त्रयोदश माला, खंड 8, अंक 8

बुधवार, 2 अगस्त, 2000
11 श्रावण, 1922 (शक)

FOR [illegible]

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
No. D...50...
Date 19/9/2001

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 2 अगस्त, 2000/11 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 143 और 145	4–39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 144 और 146 से 169	39–63
अतारांकित प्रश्न संख्या 1528 से 1732	64–453
सभा पटल पर रखे गए पत्र	453–455
कार्य मंत्रणा समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	455
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	455–456
याचिका समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	456
नियम 377 के अधीन मामले	463–470
(एक) बिहार के किउल-गया रेल सेक्टर पर ब्रह्मपुत्र और दून एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता	
डा. संजय पासवान	463
(दो) पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र से लगे गुजरात के समुद्र तट की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में तटरक्षकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया	464
(तीन) हरियाणा के महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में खुली भर्ती पद्धति द्वारा सेना में भर्ती किए जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सुधा यादव	464
(चार) प्याज और आलू उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	465

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(पांच)	कर्नाटक के परिवाड़ा और तलवाड़ा जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	465
(छह)	कालीकट विमान पत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों से उपभोक्ता विकास शुल्क न लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. मुरलीधरन	466
(सात)	केरल के पालघाट जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एन. कृष्णदास	467
(आठ)	उत्तर प्रदेश में बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चित्रकूटधाम करवी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सजीवन	467
(नौ)	प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	468
(दस)	खाद्यान्नों के भंडारण विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए समुचित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. सुशील कुमार इन्दौरा	468
(ग्यारह)	पश्चिम बंगाल में बागमुंडी में टी.वी. ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री बीर सिंह महतो	469
(बारह)	उत्तर बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	469
बिहार पुनर्गठन विधेयक		470–507, 531–668
विचार करने के लिए प्रस्ताव		470
	श्री थामस हंसदा	481
	श्री कड़िया मुण्डा	483
	श्री सुबोध राय	487
	श्री प्रभुनाथ सिंह	491
	श्री पी.एच. पांडियन	496
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	499

विषय		कालम
श्री रामजी लाल सुमन		503
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह		504
श्री राम टहल चौधरी		531
श्री नागमणि		535
श्री राम जीवन सिंह		536
श्री मुलायम सिंह यादव		541
डा. मदन प्रसाद जायसवाल		547
श्रीमती हेमा गमांग		550
श्री रघुनाथ झा		551
श्री प्रियरंजन दासमुंशी		553
श्रीमती आभा महतो		561
कुमारी मायावती		568
श्री भर्त्रुहरि महताब		572
श्रीमती कान्ति सिंह		577
श्री राजो सिंह		581
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव		585
श्री बसुदेव आचार्य		589
श्री के.पी. सिंह देव		591
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		598
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह		603
श्री सानछुमा खुंगूर बैसीमुथियारी		608
श्री रामदास आठवले		610
श्री भान सिंह भौरा		611
श्री हरिभाऊ शंकर महाले		611
श्री बीर सिंह महतो		612
*श्रीमती रेनु कुमारी		612
*श्री ब्रजमोहन राम		615
*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय		617

*भाषण सभा पटल पर रखे गये।

विषय		कालम
	*प्रो. दुखा भगत	620
	*श्री सालखन मुर्मु	623
	*श्री बिक्रम केशरी देव	627
	*श्री जोवाकिम बखला	631
	*डा. नीतिश सेनगुप्ता	631
	*श्री प्रसन्ना आचार्य	631
	*श्री जगन्नाथ मलिक	634
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	635
खण्ड 2 से 92 और खंड 1		641
पारित करने के लिए प्रस्ताव		668

मंत्री द्वारा वक्तव्य

1 और 2 अगस्त, 2000 की मध्यरात्रि को जम्मू-कश्मीर में हुई हत्याओं की घटना

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 507–531

*भाषण सभा पटल पर रखे गये।

लोक सभा

बुधवार, 2 अगस्त, 2000/11 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, वहां 26 लोग मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)* वे भंडारे का भोजन कर रहे थे। वहां यात्रियों पर हमला हुआ है, सरकार क्या कर रही है? ...*(व्यवधान)* वहां बहुत लोग मारे गए हैं।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल स्थगित किया जाए। ...*(व्यवधान)* वहां जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए शोक प्रकट किया जाए। ...*(व्यवधान)* मैंने प्रश्न-काल स्थगित करने के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके आप सबको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): कोई एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए थे ...*(व्यवधान)* एक तरफ तो साठ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और दूसरी ओर वे शान्ति प्रक्रिया की बात करते हैं। वे शान्ति प्रक्रिया जारी रख रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है और कितने लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम नहीं उठाए थे ...*(व्यवधान)* लश्करे-तोहिबा के रवैये की पूरी जानकारी होते हुए सरकार को अपनी चौकीदारी और सतर्कता को बढ़ाना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम प्रश्न काल में बाधा नहीं डालना चाहते! ...*(व्यवधान)* यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। प्रधान मंत्री को हमें बताना चाहिए कि वह क्या करने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम प्रश्न काल के पश्चात इस पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): महोदय, मैं माननीय सदस्यों की उत्तेजना को समझता हूँ, जो जानकारी जम्मू-कश्मीर से प्राप्त हुई है, यह कहना मुश्किल है कि हमारे पास सारे तथ्य आ गए हैं। उससे एक बात साफ दिखाई देती है कि कल और आज सवेरे के बीच में चार जगह आतंकवादियों ने हमले किए। उन हमलों में बच्चों की हत्या हुई है, स्त्रियों को निशाना बनाया गया है। अमरनाथ की यात्रा के लिए जाने वाले लोग भी थे और बाहर से काम करने के लिए जो मजदूर गए थे, शायद वे बिहार के थे, उनकी भी संख्या है। अभी तक 60 के करीब लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इस तरह का समाचार मिला है। तथ्य और इकट्ठे किये जा रहे हैं। ऐसा साफ दिखाई देता है हिजबुल मुजाहिदीन के कदम उठाने के बाद, कि गोलीबारी बंद होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, शांति की वार्ता शुरू होनी चाहिए। पाकिस्तान की शह पर या पाकिस्तान द्वारा सीधे-सीधे निर्देशित जो आतंकवादी गुट हैं, उन्होंने शांति की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए निरपराध और निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या करने का फैसला किया है।

अमरनाथ की यात्रा के लिए सारे सुरक्षा प्रबंध किये गये थे ...*(व्यवधान)* अगर उसके बाद भी लोग मारे जाते हैं तो और सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और वह हम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको पहले ही इसकी जानकारी थी क्योंकि गृह मंत्रालय ने आपको रिपोर्ट दी थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आज शाम तक रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जायेगी। मैं आतंकवादी गुटों से, आपके

3

समर्थन मे कहना चाहता हूं कि हम जिस रास्ते पर जम्मू-कश्मीर में चल रहे हैं, वह शांति का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे। उस पर चलने में जो भी मुसीबतें आयेंगी, उन मुसीबतों का सामना किया जायेगा। हमारे गृह मंत्री इस बारे में सारे तथ्यों के साथ चार बजे इस सदन में वक्तव्य देंगे। उसके बाद बहस की आवश्यकता हो तो बहस की जा सकती है। लेकिन इस सदन से एक आवाज जानी चाहिए कि आतंकवाद के सामने हम नहीं झुकेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम इसे किसी पक्ष का मामला नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए और एक भी व्यक्ति को जान से हाथ नहीं धोना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री ने अभी सभा को सूचित किया है कि 4.00 बजे इस घटना के संबंध में गृह मंत्री वक्तव्य देने जा रहे हैं। उस समय मैं माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण की अनुमति दूंगा। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, हम वक्तव्य का इन्तजार करेंगे। लेकिन उस वक्तव्य में हम सरकार से उन अतिरिक्त सुरक्षोपाय के बारे में, जिसे वह अब उठाएगी, विवरण चाहते हैं ताकि निर्दोष लोगों को जान से हाथ न धोना पड़े ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सर एक लाख पच्चीस हजार यात्री वहां पर हैं और उनकी जान खतरे में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 141

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आपदा प्रबंधन हेतु विश्व बैंक सहायता

***141. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को चक्रवात प्रवण राज्यों से चक्रवात संबंधी दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार मौजूदा स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूचनानुसार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को चक्रवातों के संबंध में दीर्घावधिक योजना बनाने के लिए विश्व बैंक से सहायता के लिए तीन प्रस्ताव, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा प्रत्येक से एक-एक प्राप्त हुए हैं।

(ख) उनके अनुसार संकट शमन और आपात् चक्रवात पुनर्निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर जून, 1997 में हस्ताक्षर किए गए तथा यह जुलाई, 1997 में प्रभावी हुआ। इस परियोजना की समाप्ति की तारीख 31 जुलाई, 2000 थी। इस परियोजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

चक्रवात शमन और पुनर्निर्माण परियोजना पर गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष सितम्बर, 1998 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन परियोजना के वित्त-पोषण के लिए विश्व बैंक की वचनबद्धता प्राप्त नहीं हो रही है।

उड़ीसा सरकार ने अक्तूबर, 1999 में महाचक्रवात के बाद प्रस्ताव भेजा था। परियोजना पर अनुवर्ती कार्यवाही से पूर्व राज्य सरकार के लिए अधिप्राप्ति पैकेजों को अंतिम रूप देने, विश्व बैंक द्वारा अभिज्ञात मुद्दों पर कार्रवाइयों की समाप्ति जैसी कुछ शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: सर, सभा पटल पर रखा गया विवरण मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें बताया गया है कि तीन

सभ्यों से केन्द्र को ये प्रस्ताव मिले थे तथा सितम्बर 1998 में केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार का जो प्रस्ताव मिला था उसे उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भेजा है, लेकिन वहां से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। क्या केन्द्र सरकार ने पुन: उसके लिए कोई प्रस्ताव किया है? यदि हां, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

श्री नीतिश कुमार: सर, जो साइक्लोन के पश्चात, वर्ल्ड बैंक की सहायता के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव था, उसे कृषि मंत्रालय ने अनुशंसित करके भेजा था और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर ने भी उसे रिकमेंड किया था। लेकिन उस पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई अंतिम बात सामने नहीं आई। जब तक वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस बारे में कोई अंतिम बात नहीं आती, इस बारे में कुछ भी कहना न उचित होगा और न ही संभव।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: सर, मैं पुन: यह कहना चाहूंगी कि जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र को पुनर्गठित और पुनर्विकसित करने हेतु गुजरात सरकार को जो करोड़ों रुपयों की लागत से कार्य करना पड़ रहा था और उस प्राकृतिक आपदा पर हुए अतिरिक्त व्यय की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से सहायता हेतु जो आज भी प्रस्ताव प्राप्त है, मेरी प्रार्थना है कि उस पर विचार किया जाये और सहायता प्रदान की जाये। मेरी यह भी प्रार्थना है कि देश भर में कहीं भी अगर ऐसी आपदा आती है तो कोई ऐसी नीति बनाई जाये ताकि तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।

श्री नीतिश कुमार: आपदा की स्थिति में भारत सरकार की ओर से जो मदद पहुंचाई जाती है वह सहायता साइक्लोन के बाद पहुंचाई गयी थी। एक तो कैलेमिटी रिलीफ फंड हर राज्य का है जिससे राज्य सरकार रिलीफ का कार्य करती है। लेकिन ये कार्य रिलीफ के होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के नहीं होते हैं। दूसरा, उस समय दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा से जो नेशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ था, उसके अन्तर्गत भी गुजरात को मदद पहुंचाई गयी थी। अब ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर रिलीफ के संबंध में आगे की घटनाओं पर कार्यवाही होगी।

गुजरात सरकार ने बड़े पैमाने में वहां रिकंस्ट्रक्शन, इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट और एनहांसमैंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक प्रोजैक्ट बनाया था तथा उसे वर्ल्ड बैंक के पास भेजा है। मैंने इसके बारे में पहले ही जानकारी दी है कि वह वर्ल्ड बैंक के पास लम्बित है लेकिन उसके बारे में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने बाढ़ से पीड़ित किसानों को सहायता देने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोई योजना बनाई है। बिहार के बाढ़ पीड़ित जिले खगड़िया, कटिहार तथा भागलपुर के किसानों की केला, मक्का और धान जैसी फसलों को बचाने हेतु क्या सरकार के पास कोई दीर्घकालीन योजना है? यदि नहीं तो क्यों और यदि हां तो वह कब तक लागू होगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न चक्रवात में संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, यह प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रश्न है इसलिए मैंने इसे पूछा।

अध्यक्ष महोदय: आपने वर्ल्ड बैंक की सहायता के बारे में प्रश्न पूछा है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को शमन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को सहायता दी है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है। लेकिन किसानों की कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया है उन्हें उस फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं जिसे वे उपजा रहे हैं और उनको कोई खरीदने वाला भी नहीं है यद्यपि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आधारभूत सुविधाएं सृजित की जा रही हैं लेकिन फसल बीमा नहीं कराया गया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को संबंधित नीति दस्तावेज निकाले जाने और चिन्ता, जो उन्हें किसानों के लिए है, के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन किसानों को किस प्रकार राहत प्रदान की जा रही है? यदि यह पक्ष जारी रहता है तो हमारे पास भारत में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसानों की कठिनाइयों को कम करने, अच्छे मूल्य प्राप्त करने हेतु और आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई आधारभूत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के बारे में भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में शुरू की गई आधारभूत परियोजनाओं को किस तिथि तक पूरा कर दिया जाएगा? अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या इस परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है और आंध्र प्रदेश सरकार ने एक साल और समय बढ़ाने की बात की थी। इस प्रोजैक्ट का एक साल समय बढ़ा दिया। इस प्रपोजल के कई ऑबजैक्टिव्स थे। उसमें एक यह था ''आंध्र प्रदेश संकट शमन और आपात चक्रवात वसूली परियोजना हेतु सहायता मांगी गई'' इसमें कई और कम्पोनैंट्स थे जिनके लिए उन्होंने सहायता मांगी थी। इसके लिए वहां से सहायता मिली भी थी। उसकी एक साल की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके संबंध में जो भी जानकारी हमारे पास है, वह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी जानकारी है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है, वह इससे संबंधित नहीं है। वह एक पृथक विषय है और किसानों की स्थिति के संबंध में है। पिछली बार जब कोकोनैट के संबंध में बात सामने आई तो हमने उस पर आगे की कार्रवाई जारी रखी।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या इन परियोजनाओं को एक वर्ष भीतर पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री ने फिर उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि हमारे पास जो भी जानकारी है, वह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है और यह उसका ही प्रस्ताव था। उनके प्रस्ताव पर हमें वर्ल्ड बैंक से सहायता मिली। इसका क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से हो रहा है। इसमें एक कम्पोनैंट एडवांस वार्निंग के लिए है। इसे इंडियन मीटिऑरालॉजिकल डिपार्टमैंट की तरफ से करना है। उसमें डॉपलर राडार वगैरह लगाने की बात है ताकि पहले से जानकारी मिल जाए और किसी भी तरह से साइक्लॉन के बारे में कोई खबर नहीं बचे। इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और एक साल का समय मिल गया है। इस बीच में यह काम पूरा होगा। ऐसा आई.एम.डी. ने भी कहा है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने चक्रवातग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और उनकी पहचान की है; यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से अथवा सरकारी खजाने में वित्त पोषित कोई योजना तैयार की है। मैं जानना चाहता हूं इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या सरकार ने चक्रवात का सामना करने के लिए कोई नीति तैयार की है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जहां तक साइक्लोन का संबंध है, उसके बारे में .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूँ कि चक्रवात से निपटना अत्यन्त कठिन है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे देता हूं। जहां तक साइक्लोन का सवाल है, अब यह जो आप बता रहे हैं, उससे लोगों को दिक्कत कम से कम हो, जान-माल की क्षति कम से कम हो। इसके लिए हम लोग कोई प्रयत्न कर सकते हैं ताकि समय से पहले चेतावनी मिल जाये और राज्य सरकार उसके हिसाब से कार्यवाही करे। इसके लिए वह लोगों को उस स्थल से हटा दे और जो आवश्यक कदम हों, उन्हें वह उठा सके। इसके लिए जो भी संभव हो, कार्यवाही की जाती है। साइक्लोन आने के बाद नुकसान कम से कम हो, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस के लिए तीन राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था। आंध्र प्रदेश का काम चल रहा है, गुजरात के बारे में मैंने जवाब दे दिया है और उड़ीसा के बारे में बातचीत चल रही है। सरकार इस बारे में क्या करती है? हमारे पास मानिटरिंग नैटवर्क है तथा देशभर में कई सैंटर्स हैं जहां लोगों को जानकारी दी जाती है। लोगों को पहले ही सूचना मिल जाती है कि कहां साइक्लोन फार्म हो रहा है और उसी समय आई.एम.डी. राज्य सरकारों को सूचित कर देती है। फिर कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, वहां सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी तकनीक विकसित की गई है और जो डायरेक्ट डिसैमिनेशन होता है जिससे उन लोगों को पहले ही वार्निंग मिल जाती है ताकि वे अपने बचाव के लिए तत्काल कदम उठा सकें। सरकार भी उन लोगों को वहां से हटाकर उचित और सही जगह पर पहुंचा सके, इसकी भी व्यवस्था की जाती है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि परियोजना पर अनुवर्ती कार्यवाही से पूर्व राज्य सरकार के लिए अधिप्राप्ति पैकेजों को अंतिम रूप देने में विश्व बैंक द्वारा अभिज्ञात मुद्दों पर कार्रवाइयों की सम्प्राप्ति आदि जैसी

कुछ शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। क्या मैं जान सकता हूं कि, वे परियोजना प्रस्ताव कौन से हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार द्वारा भेजने से पूर्व विश्व बैंक द्वारा पहचान की गई है कि इन पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाए?

श्री नीतीश कुमार: मुझे प्राप्त हुई सूचना इस प्रकार है:

1. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उड़ीसा में पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की तैनाती।
2. अमरीका 46 मिलियन डालर के तुरन्त किश्त के अंतर्गत प्राप्ति पैकेज पर अंतिम निर्णय।
3. परियोजना हेतु वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अंतिम निर्णय।
4. परियोजना हेतु संचालनात्मक नियमों पर अंतिम निर्णय।

चन्द्रमा पर जाने के लिए मिशन

*142. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री सुरेश पासी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 तक चन्द्रमा पर जाने वाले एक अंतरिक्ष यान को छोड़ने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन का उद्देश्य क्या है;

(ग) इस यान को चन्द्रमा पर कब तक भेजे जाने की संभावना है;

(घ) क्या परियोजना को किसी अन्य देश के सहयोग से तैयार किया जा रहा है अथवा स्वदेशी तरीके से तैयार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मिशन पर होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (च) इस संबंध में लोक सभा के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय आन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वैज्ञानिक पहलुओं की जांच करने तथा चंद्रमा पर जाने के लिए मिशन की शुरुआत करने की व्यावहारिकता हेतु प्रारंभिक अध्ययन प्रारंभ किए हैं। ये अध्ययन मुख्य रूप में संभावित वैज्ञानिक उद्देश्यों की जांच करने, अन्तरिक्ष यान को शामिल करते हुए मिशन की रूपरेखा तैयार करने तथा इस प्रकार के किसी अन्तरिक्षयान को चन्द्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय प्रमोचक राकेटों के उपयोग की संभावना से संबंधित है।

(ग) इस यान को अनुमोदन की तिथि से लगभग पांच वर्षों में भेजे जाने की संभावना है।

(घ) किसी अन्य एजेंसी से इस संबंध में अभी तक सहयोग के लिए सम्पर्क नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) चूंकि अभी तक उपकरण संबंधी विवरण तैयार नहीं किये गये हैं, इस समय मिशन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाना कठिन है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कई अखबारों में हिन्दुस्तान द्वारा चन्द्रमा पर अन्तरिक्ष यान छोड़े जाने संबंधी खबरें आई हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह नारा है—जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान'। क्या इस नारे को मूर्तरूप देने के लिए सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने की सोच रही है?

अध्यक्ष महोदय, चन्द्रमा पर अन्तरिक्ष यान भेजने के सिलसिले में प्रारम्भिक अध्ययन के नतीजे भी मिले हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे नतीजे क्या हैं? प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि अभी तक उपकरण संबंधी विवरण तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए मिशन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाना कठिन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक इस खर्च का क्या अंदाजा निकाला है कि कितना खर्च आयेगा?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: महोदय, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसे काफी समय पहले आरम्भ किया गया था। चन्द्रमा पर यान भेजने संबंधी अभियान विशेष रूप से हमारा विश्वास है कि भारत में विज्ञान को गति प्रदान करेगा और यह एक सिद्ध प्रौद्योगिकी है और अन्तराष्ट्रीय सहयोग में नए द्वार खोलेगा। यह नयी सहस्त्राब्दी में बाह्य जगत का अन्वेषण करने के

लिए भविष्य के भारत द्वारा किये जा सकने वाले अभियान हेतु परीक्षण आधार के रूप में भी कार्य करेगा। ऐसे अभियानों के माध्यम से नयी प्रौद्यांगिकियों जिन्हें प्रोत्साहन मिलेगा में एडवांस नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम, रोवेटिक्स, और अन्य अद्भुत उपस्कर सम्मिलित हैं। आनुषंगिक लाभ कई हैं। यह भी दर्शाएगा कि भारत कठिन अभियान अर्थात अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में चरम सीमा पर पहुंचने में सक्षम है।

इसके बाद माननीय सदस्य ने लागत के बारे में भी पूछा है। महोदय, इस समय चन्द्रमा पर यान भेजने संबंधी अभियान अभी भी आरम्भिक और अवधारणात्मक दौर पर है और इसकी लागत को अभी आंका जाएगा। यह उड़ाए जाने वाले अन्तरिक्ष यान पर निर्भर करेगा और क्या यह उड़ानयान होगा अथवा अन्तरिक्षयान होगा अथवा यान छोड़ने वाला होगा यह भी महत्वपूर्ण होगा कि देखा जाए कि छोड़ने वाले, अभियान नियंत्रण, आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण हेतु अन्तरिक्षयान और भूमिगत अवसंरचना को सम्मिलित किया जाए। यह सभी इस मुद्दों पर निर्भर करता है। अत: इसकी लागत के बारे में बात करना उचित नहीं होगा, जबकि उपकरणों का विकास व प्रयोग को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जब इस सब का निर्णय ले लिया जायेगा उसने बाद में इसमें लगने वाली लागत का वास्तविक आंकन हम कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या प्रदेश से कोई मदद या प्रदेश की कोई एजेन्सी इस कार्य में सहकार्य देने के लिए तैयार है या भारत सरकार ने उनसे कोई सहकार्य मांगा है। लेकिन मंत्री जी ने बताया कि नहीं, उनसे सम्पर्क नहीं हुआ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी प्रदेश की किसी एजेन्सी ने भारत सरकार को इसमें सहयोग देने की कोई भूमिका तैयार की है?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: नहीं महोदय, इस समय इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन—जो उत्तर में बताई गई गतिविधियों में व्यस्त है—अमरीकी प्रतिबंधों के अधीन अधिकारिक सूची में जारी रहेगा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है? यदि हां, तो प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा से पूर्व भा.अ.अ.सं. के संबंध में ऐसे प्रतिबन्धों को हटाने के लिए अमरीका को मजबूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: महोदय, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन अधिकारिक सूची का अंश नहीं है अत: प्रश्न का जवाब दे दिया है।

श्री शिवराज वी. पाटील: महोदय, श्री राजीव गांधी कक्ष में उपग्रह छोड़ने हेतु पुन: प्रयोग करने वाले यान को प्राप्त करना चाहते थे। चन्द्रमा पर अन्तरिक्ष यान छोड़ने का विचार भी बहुत अच्छा है। जब तक हमारे पास एक बड़े देश के रूप में बड़े विचार, भावी परियोजनाएं और प्रकृति के दुर्बोध तत्वों की छानबीन करने की जिज्ञासा नहीं है तो हमारे लिए विश्व के अन्य देशों के साथ मुकाबला करना सम्भव नहीं होगा। हमें अब जो सरकार से थोड़ा बहुत सुनने को मिला है कि वह इन मामलों पर किस प्रकार विचार कर रही है। सरकार द्वारा कुछ जानकारी एकत्र की गई है। सम्भवत: सरकार का चन्द्रमा पर अन्तरिक्ष यान छोड़ने का कुछ इरादा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को स्वयं दिलेर बनाना चाहिए और उसे मात्र आर्थिक लाभों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। इसमें कुछ व्यय अन्तर्ग्रस्त हो सकता है लेकिन यह कहना उचित होगा कि इससे कई क्षेत्रों को भी अतिरिक्त लाभ होगा। अत: क्या सरकार के लिए हमें बताना सम्भव होगा क्या वह काफी दिलेर है कि वह इसमें अन्तर्ग्रस्त आर्थिक लागत के बारे में ही विचार नहीं करेगी और इस प्रकार का यान छोड़ने के लिए भावी दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ उपग्रह छोड़ने हेतु पुन: प्रयोग करने वाले यान को छोड़ने की तैयारी करेगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: पूर्व में कई प्रयास किये गए हैं। अत: हम माननीय सदस्य से सहमत हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका और रूस जैसे देशों में चन्द्रमा अन्वेषण करने के लिए कई प्रयास किये गये हैं। लेकिन 1975 से मन्दी का अन्तराल था और उसके बाद भी 1990 में अमरीका और जापान के बाद के अभियानों का परिणाम था कि इनसे ही इन अभियानों में कुछ नवजीवन संचार और अभिरुचि उत्पन्न हुई।

अमरीकी अन्तरिक्ष यान 'ल्यूनर प्रोस्पेक्टर' द्वारा लाई गई जानकारी यह है कि चन्द्रमा पर जल की उपलब्धि का अप्रत्यक्ष प्रमाण है। अब वैज्ञानिक समुदाय को यह निर्णय करना है और पता लगाना है क्या इस जानकारी की और छानबीन की जा सकती है। इसमें निजी उपक्रम की भी रुचि है और नयी सहस्त्राब्दी में अपेक्षा की जा रही है कि ज्ञान के क्षितिज में विस्तार के कई अवसर प्रदान किये जाएं और ग्रहीय अन्वेषण, जोकि नयी सहस्त्राब्दी के लिए कार्यसूची का भाग है, हेतु हमारे कार्यक्रम सहित विश्व की वृहत अन्तरिक्ष एजन्सियों को मौके मिले।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परियोजना की हम चर्चा कर रहे हैं, उस क्षमता का रॉकेट हमारे पास पहले होना जरूरी है और पिछले अनेक वर्षों में हम उस क्षमता का रॉकेट बनाने का काम करते रहे हैं। हमने रूस से क्रायोजैनिक इंजन की टैक्नोलॉजी और इंजन लेने की बात भी की है। बिना क्रायोजैनिक इंजन के इस परियोजना को पूरा करना और चांद या दूसरे ग्रहों पर पहुंचना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्रायोजैनिक इंजन स्वदेशी तकनीक से निर्मित करने के बारे में सरकार ने इस प्रोजैक्ट को आरंभ किया था वह किस स्थिति में पहुंचा है और क्या हम निकट भविष्य में स्वदेशी तकनीक के आधार पर क्रायोजैनिक इंजन बनाने की स्थिति में हैं और उस पर कितना व्यय हो रहा है, क्या शासन इस बारे में जानकारी देगा?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: यह एक विशिष्ट प्रश्न का भाग नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं माननीय सदस्य को जारी चीज के बारे में बनाना चाहूंगी। हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं क्या इसका स्वदेशी निर्माण सम्भव है। लेकिन यह इस प्रश्न का भाग नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए। जिस परियोजना की चर्चा कर रहे हैं, उस परियोजना का हिस्सा है क्रायोजैनिक इंजन। बिना क्रायोजैनिक इंजन के वहां पहुंचना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: यह इस प्रश्न का भाग नहीं है। क्रायोजैनिक इंजन इस प्रश्न में नहीं आता है। लेकिन हम स्वदेशी सम्भाव्यता की छानबीन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: एक और स्पष्टीकरण है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है तो चन्द्रमा पर संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेज पाना सम्भव होगा?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: हम अग्रिम बुकिंग करने के लिए तैयार हैं।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

*143. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं जिनमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी शामिल हैं, पहले की पंचवर्षीय योजनाओं से खिसक कर इस समय चल रही नौवीं पंचवर्षीय योजना में आ गई हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके पूरा होने के लक्षित समय और लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की मौजूदा स्थिति, अनुमानित लागत, मौजूदा संवर्धित लागत और उनके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) नौवीं योजना में लाई गई विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं सहित 162 वृहद और 240 मध्यम चल रही सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन अनुमानित लागत, आठवीं योजना की समाप्ति तक व्यय और नौवीं योजना में आगे लाई गई लागत संलग्न अनुबंध में दी गई है। किसी परियोजना के पूरा होने की अवधि विभिन्न कारकों जैसे उसका आकार, भूमि का अधिग्रहण, वन स्वीकृति, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना तथा भू-वैज्ञानिक दशाओं आदि पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक परियोजना को उपलब्ध कराई जाने वाली एवं आबंटित की जाने वाली निधियों का इतना ही महत्व है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, केन्द्र ने ऐसी चल रही सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जिनके कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं, के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है।

अनुबंध

आठवीं योजना के अंत तक चल रही वृहद/ध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा उनकी नवीनतम अनुमानित लागत, व्यय और नौवीं योजना में आगे लाई गई लागत का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (वृहद)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना के अंत तक व्यय	नौवीं योजना में आगे लायी गई लागत
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	5375.49
2.	असम	4	432.82	211.48	221.34
3.	बिहार	14	7365.53	2105.27	5260.26
4.	गोवा	1	678.59	258.65	419.94
5.	गुजरात	9	23300.92	6522.47	16777.85
6.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	287.84
7.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	143.31
8.	जम्मू और कश्मीर	1	151.18	122.84	28.34
9.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	6058.55
10.	केरल	7	1879.50	942.41	937.09
11.	मध्य प्रदेश	23	10729.65	3131.15	7598.50
12.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	7583.74
13.	मणिपुर	2	491.65	225.85	265.80
14.	मेघालय	–	–	–	–
15.	नागालैंड	1	111.02	2.95	108.07
16.	उड़ीसा	5	4953.85	1156.55	3797.30
17.	पंजाब	-(1-आई एस)	3379.53	2704.93	674.60
18.	राजस्थान	6	4692.81	2346.01	2346.80
19.	तमिलनाडु	–	–	–	–
20.	त्रिपुरा	–	–	–	–
21.	उत्तर प्रदेश	18	7359.44	3339.74	4019.70
22.	पश्चिम बंगाल	3	2037.41	933.83	1098.58
	कुल	162	103186.89	39003.29	64183.60

टिप्पणी: नौवीं योजना के दौरान 7 वृहद परियोजनायें (गुजरात में 6 और उत्तर प्रदेश में 1) पूरी कर ली गई हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (मध्यम)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना के अंत तक व्यय	नौवीं योजना में आगे लायी गई लागत
1.	आंध्र प्रदेश	20	623.34	323.51	299.79
2.	असम	9	155.92	99.72	56.20
3.	बिहार	29	1065.18	429.37	635.81
4.	गोवा	1	40.00	2.40	37.60
5.	गुजरात	9	337.53	260.02	77.51
6.	हरियाणा	–	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	1	11.30	11.26	0.04
8.	जम्मू और कश्मीर	9	223.55	55.88	167.67
9.	कर्नाटक	15	943.67	510.72	432.95
10.	केरल	5	478.93	150.56	328.37
11.	मध्य प्रदेश	32	1012.09	733.15	278.94
12.	महाराष्ट्र	66	2076.06	1021.98	1054.08
13.	मणिपुर	2	66.58	56.50	10.08
14.	मेघालय	1	17.81	8.14	9.67
15.	नागालैंड	–	–	–	–
16.	उड़ीसा	10	499.95	410.23	89.72
17.	पंजाब	1	88.49	0.20	88.29
18.	राजस्थान	6	240.24	127.22	113.02
19.	तमिलनाडु	2	103.75	29.53	74.22
20.	त्रिपुरा	3	154.00	92.96	61.04
21.	उत्तर प्रदेश	2	54.81	39.99	14.82
22.	पश्चिम बंगाल	17	90.42	60.78	29.64
	कुल	240	8283.62	4424.12	3859.50

टिप्पणी: गुजरात में नौवीं योजना के दौरान 6 मध्यम परियोजनाएं पूरी कर ली गयी है।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहां पर पंचवर्षीय योजना के अंदर मिनिमम और मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट कितने हैं और उसका विवरण क्या है? इन प्रोजेक्टों के लिए फॉरेन एंड स्टेटवाइज कितनी खर्च की गई है और उसमें स्टेट का कितना शेयर है और सेन्टर का कितना शेयर है?

मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि ये बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं हैं जिनके काम में काफी प्रगति हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी प्रगति हुई है? 1996-97 में इसको केन्द्र की सहायता मिली है और अभी तक चार साल हो गए हैं। इसको पूरा करने में अभी और कितने साल लगेंगे?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी: यह सच है कि पहली पंचवर्षीय योजना के आज तक कई मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं। लेकिन कई परियोजनाएं इस समय तक पूरी हो चुकी होगी जिसकी हुई परियोजनाओं का संबंध है वृहद सिंचाई 162 और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 240 हैं। हमने [illegible] अवधि के दौरान 126 वृहद सिंचाई परियोजनाएं और 698 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की है। यह भी सच है और इसमें कोई सन्देह भी नहीं है कि इसमें समय और लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निष्पादन राज्य सरकारों के साथ संविधान के अनुसार किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग परियोजनाओं की मात्र निगरानी करता है और इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का कार्य है। वित्तपोषण और अन्य चीजों का प्रबंध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्य को केन्द्र सरकार की कठिनाईयों के बारे में पता है। अत: जब तक राज्य सरकार इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय के अनुरूप नहीं करती इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना केन्द्र सरकार के लिए अत्यन्त कठिन होगा।

श्री ए. नरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कितना फॉरेन फंड आ रहा है, कितनी सैंट्रल ऐड दी गई है और आप कितना स्टेटवाइज लगा रहे हैं। इसका कोई उल्लेख मंत्री जी ने नहीं किया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आंध्र प्रदेश के लिए आपने 12 मेजर इरीगेशन इंडस्ट्रीज और 20 मीडियम इरीगेशन इंडस्ट्रीज बताई हैं। इनकी प्रौजैक्ट कॉस्ट 10,130.44 लाख रुपये और मीडियम इरीगेशन के लिए 623 करोड़ रुपये बताये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन रुपयों में केन्द्र और स्टेट का कितना-कितना हिस्सा है? इसके अलावा फॉरेन ऐड क्या है, यह भी स्पष्ट रूप से बतायें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें राज्य का हिस्सा, केन्द्र का हिस्सा और विदेशी सहायता क्या है?

श्री ए. नरेन्द्र: मैं प्रत्येक रूप से आंध्र प्रदेश के लिए पूछ रहा हूं।

श्री अर्जुन सेठी: जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है 20 सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। माननीय सदस्य ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आर आई डी एफ (नाबार्ड) और विश्व बैंक सहायता में से राज्य सरकारों को दी जाने वाली धनराशि के बारे में पूछा है। इस समय, मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं बाद में माननीय सदस्य को जानकारी भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र: मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितनी मेजर इरीगेशन इंडस्ट्रीज और कितनी मीडियम इरीगेशन इंडस्ट्रीज पेंडिंग हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसका जवाब पहले ही दे दिया गया है।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सभा में उनके पहले जवाब के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि वह मेरे राज्य से हैं। मुख्य प्रश्न और अनुपूरक प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा है कि वह मात्र निरीक्षण की भूमिका अदा करते हैं। जवाब में उन्होंने कहा है:

> "सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि केन्द्र ने वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है।"

मेरा प्रश्न है कि मेरे स्वयं के राज्य में 5 वृहद सिंचाई परियोजनाएं और दस मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जैसाकि उत्तर में बताया गया है, और वृहद सिंचाई परियोजनाओं में 3797.30 करोड़ रुपये और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 89.72 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन परियोजनाओं को पूरा करने के

लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जैसी कुछ नयी योजनाओं को आरम्भ करेंगे? इस संबंध में मैं कुछ विशेष परियोजनाओं को बताना चाहूंगा। एक रेंगाली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह 1973 में आरम्भ की गई थी। इसने 10 हजार लोगों को विस्थापित किया था यह दस लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी। अभी तक 1100 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। इसे अभी 3000 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। इसके बाद तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। एक दरजंग राइट केनाल है जिसका खण्ड एक, चरण एक और दो पूरा हो चुके हैं और मात्र राइट केनाल शेष है। दूसरा बदजोर समेकित परियोजना है जहां केवल एक हिस्सा ही पूरा हुआ है और अभी 18 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। तीसरा मंजोर परियोजना पूरी करनी है। काफी लोग विस्थापित हुए हैं और काफी बड़े क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। केन्द्र को राज्य सरकार की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए जो महाचक्रवात में नष्ट हुआ है। जब तक केन्द्र राज्य सरकार की सहायता करने के लिए आगे नहीं आएगा इन परियोजनाओं को पूरा करना कठिन होगा। राज्य सरकार ने नौवीं योजना में इसे दर्शाया है। अत: मैं जवाब चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्रीजी वित्तपोषक के द्वारा अथवा किसी नई प्रक्रिया द्वारा उनकी सहायता करेंगे और तभी जाकर यह पूरी होगी। इसमें पहले ही बीस वर्ष लग चुके हैं।

श्री अर्जुन सेठी: इस विशेष प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने पहले ही बता दिया है कि केन्द्र त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और आर आई जी एफ (नाबार्ड) के माध्यम से धनराशि प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक की सहायता भी मौजूद है।

जहां तक रंगाली परियोजना का संबंध है मैं बताना चाहूंगा कि यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई थी इसकी मूल लागत 291.57 करोड़ रुपये थी। अद्यतन लागत 2357.4 करोड़ रुपये है हालांकि हमने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 110 करोड़ रुपये दे दिये हैं। *...(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव: यह इस वर्ष प्रदान किए गए थे अथवा उससे पहले प्रदान किए गए थे?

श्री अर्जुन सेठी: हमने विगत तीन वर्षों के दौरान इसके अलावा ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 110 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। जापान द्वारा दी जा रही सहायता भी उपलब्ध है और डब्ल्यू.आर.सी.पी. के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता भी उपलब्ध है। हम सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं। हम वह सब करने का प्रयास कर रहे हैं जो कुछ भी संभव है। माननीय सदस्य ने कुछ विशेष परियोजनाओं के बारे में कहा है। इन सभी परियोजनाओं में धन दिया जा रहा है।

श्री के.पी. सिंह देव: इस वर्ष आप कितना धन दे रहे हैं? उड़ीसा सरकार 1600 करोड़ रुपए चाहती थी: लैफ्ट कैनाल के लिए 700 करोड़ रुपए और राईट कैनाल के लिए 900 करोड़ रुपए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सिंह देव जी, पूरक प्रश्न पूछे जाने का यह तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जी, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें ताकि आप इन व्यवधानों से बच सकें।

श्री अर्जुन सेठी: आज तक हमने 110 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। उड़ीसा अथवा किसी भी अन्य राज्य की इन अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता पहुँचाने के लिए विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से धन उपलब्ध करा रही है क्योंकि इन परियोजनाओं के संबंध में अतिशय विलंब किया गया है। समय और लागत में भी वृद्धि हुई है *...(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव: अध्यक्ष महोदय, क्या हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह आपके और मेरे राज्य से भी संबंधित विषय है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि बिहार की 14 वृहद सिंचाई और 29 मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन हैं। 12 सिंचाई परियोजनाएं क्लीयरैंस के लिए सरकार के यहाँ लम्बित हैं जिनमें कोसी परियोजना फेस-2, गंडक परियोजना फेस-2 जिसमें जल जमाव से मुक्ति के लिए प्रस्ताव किए गए हैं, महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण बिहार के गदवन, गनहर, शंख, उत्तर बिहार की गंडक और कोसी परियोजना का फेस-2 और मध्य बिहार की सोन आधुनिकीकरण योजना, ये सब भारत सरकार की क्लीयरैंस के लिए लम्बित हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर कब तक कार्यवाही करेगी। क्लीयरैंस देगी और ऐक्सीलरेटेड इरीगेशन बैनीफिट प्रोग्राम के अधीन सहायता करके योजना का कार्यान्वयन करवाएगी?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी: बिहार राज्य के एक माननीय सदस्य ने कुछ विशेष परियोजनाओं के बारे में पूछा है। वक्तव्य के अनुसार मध्यम एवं वृहत् दोनों प्रकार की 29 परियोजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं।

यदि आप लागत में हुई तीव्र वृद्धि को देखें, तो आप पाएंगे कि यह एक बड़ी रकम है। जहाँ तक केन्द्र का संबंध है, इस मंत्रालय में जो भी परियोजनाएं आती हैं, जल संसाधन मंत्रालय उसकी जांच कर रहा है। यदि परियोजनाओं के अवयवों के संबंध में किसी प्रकार का विशिष्ट संदेह है और यदि राज्य सरकारों की ओर से इनका अनुपालन किया जाना है, तो उन्हें समय पर राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। परन्तु, राज्य सरकारों द्वारा बहुत थोड़ी अनुवृत्तियों को प्राप्त किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इनके निपटाया जाना बहुत कठिन है। मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूँगा कि वे अनुवृत्तियों को वापस केन्द्र को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करें। ...*(व्यवधान)*

बिहार के संबंध में, और इस विशेष परियोजना के संबंध में मैं उन्हें परियोजना की स्थिति को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद सिंह: यह ठीक बात है। बिहार की ...ना जब आएगी, तब उसको करवा दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, लगभग 20 माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं। क्या आपको मेरे द्वारा इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की स्वीकृति दिए जाने पर कोई आपत्ति है?

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इसे आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत उठाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर आपके द्वारा आधे घंटे की चर्चा पिछले सत्र में दी गई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पहले सत्र में इसी प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी गई थी और इसे कार्यसूची में भी शामिल किया गया था। परन्तु इसे नहीं लिया गया ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं यह कह रहा हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सत्र में, हम इसे लेंगे। इसमें इस तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस पर इसी सत्र में डिस्कस करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव ढिकले: मैंने आज प्रात: नौ बजे इस विषय पर प्रश्न पूछने की सूचना दी है ...*(व्यवधान)* मैं देश की जल समस्याओं पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो गया है? आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? पहले आप बैठिए। यह हाऊस है।

[अनुवाद]

आपको प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री उत्तमराव ढिकले: महोदय, मुझे प्रक्रिया का ज्ञान है।

[हिन्दी]

बाढ़ के कारण हुई क्षति

***145. श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से हुई जान-माल की क्षति का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक क्रियान्वित की गई विभिन्न बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का क्या असर पड़ा है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 1997 से 1998 के दौरान जीवन और सम्पत्ति की हानि और क्षति का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में है।

(ख) जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सूचित किया गया है, बाढ़ नियंत्रण के लिए वर्ष 2000-01 के लिए परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में है।

(ग) तटबंधों के निर्माण जैसे बाढ़ सुरक्षा उपायों का उद्देश्य आवर्ती बाढ़ों के कारण नुकसान पर नियंत्रण करना तथा साथ ही उत्तरी भारत में नहर प्रणाली के कमान क्षेत्रों तथा उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्रों की सुरक्षा करना तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु बांधों का निर्माण शुरू किया गया है। बैराज निर्माण से निचली घाटी में बाढ़ों की तीव्रता को कम करने में मदद मिली है। भंडारण जलाशयों से या तो बाढ़ों से क्षेत्रों की रक्षा हुई है। अथवा उनकी तीव्रता काफी हद तक कम हुई है। प्रारम्भ की गई अनेक जल निकासी स्कीमों से जल निकासी संकुलता में सुधार तथा बाढ़ को कम करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसी प्रकार बाढ़ से सुरक्षा हेतु सरणि सुधार, गांवों को ऊंचा करने, अपरदनरोधी और शहर संरक्षण निर्माण कार्यों हेतु कई स्कीमें शुरू की गई हैं।

अनुबंध I

वर्ष 1997 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा से हुई क्षति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित क्षेत्र मि.है.	प्रभावित जनसंख्या मि. में	फसलों को क्षति		मकानों को क्षति		मृत पशु संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	सार्वजनिक स्थानों को क्षति करोड़ रु.	फसलों, मकानों एवं सार्वजनिक स्थानों को हुई कुल क्षति करोड़ रु. में (कालम 6+8+11)
				क्षेत्र मि.है. में	मूल्य करोड़ रु. में	संख्या	मूल्य करोड़ में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*1.	आंध्र प्रदेश	0.194	5.098	0.184	128.85	14990	एन.आर.	137	58	249.730	378.580
*2.	अरुणाचल प्रदेश	एनईबी	0.014	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	8	एन.आर.	एन.आर.
3.	असम	0.753	2.751	0.103	19.456	18104	9.985	1961	28	6.920	36.361
4.	बिहार	1.471	6.965	0.655	57.377	174379	30.567	151	163	20.381	108.325
*5.	गुजरात	एन.आर.	2.118	एन.आर.	एन.आर.	32877	10.984	795	55	एन.आर.	10.984
6.	हरियाणा	0.010	एन.आर.	0.002	6.000	1024	0.150	2	3	एन.आर.	6.150
7.	हिमाचल प्रदेश	0.254	2.855	0.254	173.21	13943	81.460	4809	229	235.800	490.470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*8.	जम्मू और कश्मीर	0.017	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	22560	एन.आर.	17671	80	103.187	103.187
*9.	कर्नाटक	0.019	एन.आर.	0.19	6.053	6333	1.839	120	92	43.672	51.564
10.	केरल	0.385	0.95	0.09	243	16109	6.928	183	149	1015.319	1265.247
11.	महाराष्ट्र	0.049	0.797	0.049	एन.आर.	35034	एन.आर.	318	199	एन.आर.	एन.आर.
*12.	मध्य प्रदेश	0.022	0.456	0.022	एन.आर.	47963	एन.आर.	1263	14	एन.आर.	एन.आर.
13.	मिजोरम	0.002	0.002	0.002	18.490	1634	0.810	शून्य	7	0.050	19.350
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.000
15.	उड़ीसा	0.775	5.282	-0.444	40.234	50408	7.373	61	34	288.500	336.107
16.	पंजाब	0.086	एन.आर.	0.086	एन.आर.	10685	एन.आर.	75	22	एनआर	एनआर
*17.	राजस्थान	एनईजी	एन.आर.	एनईजी	0.073	10196	2.408	94	64	22.375	24.856
18.	सिक्किम	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	3000	एन.आर.	एन.आर.	57	एन.आर.	एन.आर.
*19.	उत्तर प्रदेश	0.349	1.021	0.155	एन.आर.	5123	एन.आर.	114	102	एन.आर.	एन.आर.
20.	पश्चिम बंगाल	0.193	1.354	0.193	एन.आर.	40766	एन.आर.	एन.आर.	38	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	4.569	29.663	2.258	692.743	505128	152.504	27754	1402	1985.934	2831.181

स्रोत: राज्य राजस्व, प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त जानकारी
*प्राकृतिक आपदा प्रबंध प्रभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा एकत्र जानकारी।
*अधूरी जानकारी एन.ई.जी. - नगण्य एन.आर.-सूचित नहीं

वर्ष 1998 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा से हुई क्षति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित क्षेत्र मि.है.	प्रभावित जनसंख्या मि. में	फसलों को क्षति: क्षेत्र मि.है. में	फसलों को क्षति: मूल्य करोड़ रु. में	मकानों की क्षति: संख्या	मकानों की क्षति: मूल्य करोड़ रु. में	मृत पशु संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	सार्वजनिक स्थानों को क्षति करोड़ रु.	फसलों, मकानों एवं सार्वजनिक स्थानों को हुई कुल क्षति करोड़ रु. में (कालम 6+8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1.675	0.568	1.675	1072.990	163739	100.000	155	276	1658.210	2831.200
2.	असम	1.324	6.957	0.478	463.304	220.436	33.646	86224	125	82.957	579.907
3.	बिहार	2.512	13.470	1.284	366.967	199611	55.037	187	381	92.840	514.844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	गुजरात	शून्य	3.532	शून्य	शून्य	23227	5.606	4668	153	शून्य	5.606
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.00
6.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.295	2.469	0.278	105.760	5050	0.840	221	71	110.160	216.760
8.	केरल	0.190	14.000	0.190	245.969	38430	103.904	एन.आर.	244	862.270	1212.143
9.	महाराष्ट्र	0.005	0.016	0.005	1.577	1351	0.219	36	31	0.020	1.816
10.	मेघालय	एनईबी	10.000	एनईबी	105.880	180	-	2609	4	67.880	173.740
11.	उड़ीसा	0.437	4.840	0.437	एन.आर.	72798	एन.आर.	61	34	288.501	288.501
12.	पंजाब	0.013	0.006	0.013	एन.आर.	1	एन.आर.	34	18	एन.आर.	0.00
13.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.00
14.	राजस्थान	0.159	0.669	0.097	10.114	9341	2.784	8248	31	8.565	21.463
15.	उत्तर प्रदेश	2.523	12.191	1.415	एन.आर.	384896	एन.आर.	3385	1390	एन.आर.	0.00
	कुल	9.133	68.718	5.872	2372.541	1118920	302.036	105828	2758	3171.403	5845.980

वर्ष 1999 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा से हुई क्षति दर्शाने वाला विवरण

30.04.2000 तक
अनन्तिम आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित क्षेत्र मि.है. में	प्रभावित जनसंख्या मिलियन में	फसलों को क्षति		मकानों को क्षति		मृत पशु संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	सार्वजनिक स्थानों को क्षति करोड़ रु.	फसलों, मकानों एवं सार्वजनिक स्थानों को हुई कुल क्षति करोड़ रु. में (कालम 6+8+11)
				क्षेत्र मि.है. में	मूल्य करोड़ रु. में	संख्या	मूल्य करोड़ रु. में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	0.223	0.891	0.059	50.461	133	1.499	992	3	2.19	54.145
2.	बिहार	0.751	6.298	0.287	216.008	61.038	37.537	37	230	15.285	268.830
3.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500
4.	गुजरात	-	-	-	-	689	0.244	36	73	3.093	3.337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	हिमाचल प्रदेश	0.242	5.170	0.242	109.280	2.224	27.300	129	30	164.217	300.747
6.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-
7.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-
8.	नागालैंड	0.020	-	0.020	0.060	7.152	0.863	3.650	28	3.336	4.259
9.	तमिलनाडु	0.001	-	0.001	0.173	36.501	1.833	628	103	-	2.006
10.	उत्तर प्रदेश	0.054	0.184	0.041	-	1.139	-	9	17	-	-
11.	पश्चिम बंगाल	25.925	12.848	1.095	1,261.200	556.660	88.868	3.272	79	41.758	1,391.826
	कुल	27.216	25.391	1.745	1,637.182	665.536	158.144	8,753	563	229.874	2,026.700

अनुबंध II

बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्यवार परिव्यय-2000-01

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परिव्यय 2000-01
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200
3.	असम	3700
4.	बिहार	1100
5.	गोवा	-
6.	गुजरात	500
7.	हरियाणा	2600
8.	हिमाचल प्रदेश	1324
9.	जम्मू व कश्मीर	3469
10.	कर्नाटक	-
11.	केरल	2400
12.	मध्य प्रदेश	250
13.	महाराष्ट्र	-
14.	मणिपुर	1000
15.	मेघालय	300
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	300
18.	उड़ीसा	-
19.	पंजाब	12837
20.	राजस्थान	1182
21.	सिक्किम	1000
22.	तमिलनाडु	-
23.	त्रिपुरा	590
24.	उत्तर प्रदेश	3000
25.	पश्चिम बंगाल	21975
26.	अंडमान एवं निकोबार	-
27.	चण्डीगढ़	-
28.	दादर एवं नगर हवेली	-
29.	दमन एवं दीव	-
30.	दिल्ली	2232
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पाण्डिचेरी	2150

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं, उन आंकड़ों से यह साफ हो रहा है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सालों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की तादाद में वृद्धि हो रही है और जो क्षति हुई है, उसमें भी वृद्धि हो रही है, जो पशुधन मरा है, उसकी भी वृद्धि हो रही है। बाढ़ आने का यही समय है जब बाढ़ आती है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनकी कोई ऐसी बातचीत हुई है, जो आबादी के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहां की नदियों के तटबन्ध मजबूत करने के लिए, खासतौर से जो नदियां आबादी के बीच से बहती हैं, और शहरों के बीच से बहती हैं, जैसे हमारे क्षेत्र जौनपुर के बीच से गोमती नदी बहती है, वह शहर के बीच से बहती है और थोड़ा भी पानी बढ़ता है तो वहां बाढ़ आ जाती है। इसलिए ऐसे तटबंधों को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार से आपने कोई बातचीत की है, कोई ऐसी योजना तैयार की है, जिससे आबादी के क्षेत्र में बहने वाली नदियों के तटबंधों को मजबूत किया जाये और लोगों को होने वाली क्षति से बचाया जाये?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण की जवाबदेही राज्य सरकारों की है। केन्द्र इसके लिए उन्हें मदद पहुंचाता है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण का सवाल है, इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसको अगर मोटेतौर पर देखा जाये तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए दो तरह के मेजर्स लिये जाते हैं। एक स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, दूसरे नॉनस्ट्रक्चरल मेज़र्स होते हैं। जो स्ट्रक्चरल मेज़र्स होते हैं उसी में तटबंध बनाए जाते हैं, उसी में शहरों की सुरक्षा का काम किया जाता है और उसी में बाढ़ के जमा पानी को निकालने के लिए या निकासी तेज हो सके, ड्रैनेज का काम किया जाता है। जो नॉनस्ट्रक्चरल मेज़र्स होते हैं उसके बारे में समय-समय पर वार्निंग दी जाती है, लोगों को इवेकुएट करते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो वहां से उनको सेफ जगहों पर रखते हैं। इस तरह के मेज़र्स उठाए जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी तटबंधों का काम, शहरों के प्रोटेक्शन का काम, जिस तरह देश के अन्य हिस्सों में हुआ है, वहां भी हुआ है। अगर पूरे देश को देखेंगे तो कुल 16200 किलोमीटर पर तटबंध बनाए गये हैं। 32003 किलोमीटर में ड्रैनेज चैनल का काम हुआ है। 906 शहरों के लिए प्रोटेक्शन का काम हुआ है और 4721 गांवों को रेज करने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी ये काम हुए हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपको सभा के अध्यक्ष के रूप में महिला सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मुझे कब मौका मिलेगा? आप मुझे तभी अवसर प्रदान करते हैं जब महिला और बाल कल्याण का विषय सामने आता है। मैं अन्य विषयों पर भी पूरक प्रश्न पूछने में सक्षम हूं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जौनपुर जनपद के शहर के बीच से गोमती नदी बहती है। उसमें प्रति वर्ष बाढ़ आने से काफी जनधन की हानि होती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर जौनपुर शहर को गोमती नदी की बाढ़ से बचाने के लिए कोई योजना विचाराधीन है या उस पर कोई काम हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : अभी बताया है।

श्री नीतीश कुमार : उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन-कौन से काम हुए हैं, उसकी जानकारी मैं दे सकता हूं, लेकिन जौनपुर शहर के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, उसकी अलग से सूचना दी जा सकती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां 1993 तक कुल तटबंध 1811 किलोमीटर बनाए गए। इसी तरह से 1993 तक के ड्रेनेज चैनल के आंकड़े उपलब्ध हैं, ये 3593 किलोमीटर लम्बे बनाए गए हैं। 64 शहरों में प्रोटेक्शन वर्किंग का काम हुआ है। आबादी के हिसाब से हम देखें कि कितने मिलियन हैक्टेयर में लोगों को फायदा हुआ तो कुल 15 लाख हेक्टेयर जमीन को लाभ पहुंचा है। ये सब प्रोटेक्शन मेजर्स उठाए गए हैं। अगर नॉनस्ट्रक्चरल मेज़र्स में फ्लड फोरकास्टिंग का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में 33 फ्लड फोरकास्ट स्टेशन केन्द्रीय जल आयोग के हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यह उचित होता यदि मुझे बंधुआ मजदूरी के संबंध में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई होती।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): उन्होंने जोर से बोला तो उनको मौका दे दिया, लेकिन हमें नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के कुछ विशेष जिले हर वर्ष बार-बार बाढ़ प्रवृत्त रहे हैं। यह राज्य की उच्च तकनीक से लैस प्रतिष्ठा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले भद्राचलम क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाले जाने में बड़ा भारी तमाशा किया गया था।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आप कैसे जानते हैं? आप हैदराबाद में रहीं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : वे पूरी तरह से विसामान्य व्यक्ति हैं ...*(व्यवधान)* वह यह भी नहीं जानते कि हैदराबाद कहां हैं। ...*(व्यवधान)* यदि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरी जैसी विशालकाय नहीं देख सकते तो अवश्य उन्हें अपने नेत्रों की हए। उन्हें मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद के उपचार के कई नि:शुल्क नेत्र शिविर चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैंने आपको पूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी है न कि अन्य मामलों पर बात करने के लिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : कृपया यह बात सदस्य को कहें, मुझे नहीं ...*(व्यवधान)* वे कैसे जानते हैं कि मैं हैदराबाद में हूं। वे तो यह भी नहीं जानते कि वे कहां हैं ...*(व्यवधान)* आप पर कलंक नहीं लगाया जा रहा है ...*(व्यवधान)* चुप रहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बाधित न करें।

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, भद्राचलम से लोगों को बाढ़ आने के पश्चात् हटाया गया था। इन परिवारों को सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों में भेजा गया था और उनको भोजन और पीने के पानी की आपूर्ति की जानी थी। कोई भी व्यक्ति सामान्यतया यही उम्मीद करता है कि जब हम इन शिविरों में जहाँ कुछेक दिनों से मनुष्यों का पुनर्वास किया गया है, जब हम भोजन और जल की आपूर्ति करते हैं–आपूर्ति किया गया। भोजन घटिया था। और पीने के पानी में गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। जब मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से गई, तो लोगों ने इस संबंध में शिकायत की। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही। लोगों ने यह शिकायत की कि उन्हें वहां रखा गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह बाद से बचाव के संबंध में है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: आप सावधान रहें क्योंकि आपको रक्त संरक्षण नहीं मिला। आप उसकी चिंता करें।

मैं कह रही हूँ कि जब हम जानते हैं कि हमारे कुछ क्षेत्रों में हर वर्ष ही बाढ़ आती है, तब हम इन क्षेत्रों में कोई ऐसा बेस कार्य क्यों नहीं करते जिससे कि बाहर निकाले गए लोगों का स्थायी रूप से पुनर्वास हो सके? इसमें बार-बार होने वाली लागत को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है यदि यह स्थायी कदम के रूप में होता है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है। क्या सरकार कोई स्थायी उपाय करने जा रही है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए जो भी संभव है, सरकार कदम उठाती है। पूरे तौर पर बाढ़ को रोक देना ...*(व्यवधान)* या बाढ़ की घटना को समाप्त कर देना संभव नहीं है लेकिन बाढ़ से बर्बादी कम से कम हो, इसके लिए सरकार शुरू से कदम उठाती रही है और जैसा मैंने पहले श्री चिन्मयानन्द स्वामी जी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, बाढ़ नियंत्रण के दो तरह के मेजर्स उठाये जाते हैं। एक तो स्ट्रकचरल मेजर्स हैं और दूसरे नॉन-स्ट्रकचरल मेजर्स हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स में एम्बेंकमेंट्स बनाये जाते हैं, ड्रैनेज का सुधार किया जाता है, शहरों के लिए सुरक्षा के प्रबंध किये जाते हैं। गांवों में भी ऊंचे प्लेटफॉर्म आदि बनाये जाते हैं। नॉन-स्ट्रक्चरल मेजर्स में फोरकास्टिंग होती है, फ्लड के लए वार्निंग दी जाती है और इस प्रकार के काम आगे भी सरकार करना चाहती है। फ्लड प्लेन जोनिंग भी सरकार कर रही है और हर राज्य को बताया गया है कि किस-किस इलाके में कितनी फ्लड की संभावना है और वहां लोगों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में एक रेगुलेशन बना है तथा एक मॉडल लॉ भी राज्यों को यहां से सरकुलेट किया गया है। फ्लड प्लेन जोनिंग भी केन्द्रीय सरकार की तरफ से की गई है। यह मूलत: राज्य का विषय है। इस बारे में राज्यों को कदम उठाना है। अब जहां तक फ्लड के संबंध में रिलीफ देने का सवाल है, यह रिलीफ प्रदान करना राज्य सरकार का काम है। रिलीफ के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा है। तीन चौथाई पैसा केन्द्र सरकार देती है और एक चौथाई पैसा राज्य सरकार देती है तथा तत्काल बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता है

और यह उम्मीद की जाती है कि अगर खाने का सामान दिया जाएगा तो खाने लायक वह सामान होना चाहिए, यह सामान्य बात है। अगर उस संबंध में कोई शिकायत माननीय सदस्य को है तो उनको उसी समय राज्य सरकार के पास शिकायत करनी चाहिए। वैसे यहां भी जो बात कही है, इसे हम राज्य सरकार के पास उचित जांच और कार्रवाई के लिए भिजवा देंगे।

श्रीमती रेणूका चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अगर आप सेंटर से राज्य को फंड देते हैं तो आप यदि मोनीटरिंग नहीं करेंगे तो हर साल खर्चा आएगा ही और लॉस ऑफ लाइफ जो होती हैं और किसानों को जो तकलीफ है ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का जमाना आ गया है। कहते हैं कि हर चीज यहीं से देखिए, यह कैसे संभव है?

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): जब केन्द्र पैसा अपनी जेब से देता है तो उसका हिसाब-किताब भी रखें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब के बीच बहने वाली घाघर नदी के संबंध में क्या हो रहा है। प्रत्येक मानसून के दौरान यह अपने किनारों को तोड़ बाहर बहती है और हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में लाखों एकड़ की कृषि भूमि का विनाश करती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस उपद्रवी नदी के कारण हमारे द्वारा झेली जा रही समस्या के समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों को एकमत करने में क्या केन्द्र सरकार कोई रुचि ले रही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती शीला गौतम: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि हर साल हमारे यहां बाढ़ आती है, मैं कहना चाहती हूं कि इसमें जो सुधार या जो उपाय करने हैं, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। अभी इस समय यमुना में बाढ़ आई हुई है। कितने गांव हैं जो कटकर हरियाणा में जा चुके हैं और वहां जो टक्कर लगवाई थी, जो टक्कर लगाने वाले लोग थे, उन्होंने जाल नहीं लगाया और बीच में से पत्थर खिसक गये और गांव के गांव ही बह गये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि टक्कर जब लगाई जाये तो जाल अवश्य लगाया जाना चाहिए। यह आपकी तरफ से आदेश होना चाहिए और जो गांव कटकर हरियाणा में चले गये हैं, उनका परमानेंट हल क्या होगा क्योंकि उनके खेत भी हरियाणा में चले गये हैं। यह प्रश्न मैंने कई बार उठाया है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए।

श्री नीतीश कुमार: जहां तक तकनीकी सुझाव है, उसे विशेषज्ञों के पास मैं उचित कार्रवाई हेतु भिजवा दूंगा।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर बिहार खासकर शेष बिहार की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर बिहार में भी हमारे क्षेत्र में बाढ़ है। प्रत्येक वर्ष बिहार का चौबीस जिला जो अब शेष बिहार है, चौबीस जिलों में बाढ़ से तबाही होती है, उसके स्थायी समाधान के लिए समय-समय पर राज्य सरकार ने भी सवाल उठाया है और पीछे इस सदन में भी चर्चा हुई थी कि नेपाल से वार्ता करके उसका स्थायी समाधान किया जाएगा। अभी नेपाल के प्रधान मंत्री जी सद्भावना यात्रा पर यहां आए हुए हैं। यहां माननीय विदेश मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर बिहार के बागमती, अडवाणा समूह, कमलावालान, कोसी, गंडक इत्यादि सभी नदियों के नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए, स्थायी समाधान के लिए नेपाल से वार्ता करके कब तक उसका स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेंगे?

नीतीश कुमार: जहां तक स्थायी समाधान की बात है, इसके लिए जो कुछ भी कहा जा चुका है, उसे दोहराना उचित नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को रुचि होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में अब तक जो कुल तटबंध बनाये गये हैं, उनकी लम्बाई 2788 कि.मी. और ड्रैनेज चैनल जो बनाये गये हैं, 1993 तक का आंकड़ा यहां उपलब्ध है, 365 कि.मी. तक के ड्रैनेज चैनल बनाये गये हैं। अब जहां तक नेपाल से निकलने वाली नदियों के संबंध में जिक्र किया है कि नेपाल के प्रधान मंत्री जी आए हुए हैं और उनके साथ इस बातचीत को लिया जाये। संयोग से विदेश मंत्री जी यहां गंभीरता पूर्वक आपकी बात सुन रहे हैं और जहां तक

हमारे पास सूचना है, भारत और नेपाल के जो ज्वाइंट प्रौजेक्ट्स हैं, वे नैगोशिएशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, कोसी हाई डैम प्रोजैक्ट्स भी उसमें शामिल है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): हमने बागमती और अडवाणा समूह के बारे में पूछा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पवन सिंह घाटोवार जी, कृपया सही पूरक प्रश्न पूछें।

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, असम में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। आज तक बाढ़ नियंत्रण के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वे असफल रहे हैं। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। वर्ष 2000-2001 हेतु बाढ़ नियंत्रण हेतु केवल 37 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना परिव्यय में था। चूंकि असम में लगातार विनाशकारी बाढ़ आती रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार असम में बाढ़ नियंत्रण के लिए पूर्णरूप से विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: महोदय, जहां तक असम की समस्या का सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा तबाही और बरबादी होती है, इस बात से हरेक व्यक्ति अवगत है। केवल एक साल के आंकड़ों के आधार पर और जो भी कदम उठाए गए हैं, उनसे स्थिति को आंका नहीं जा सकता है। आज यदि आप असम की स्थिति को देखेंगे, तो पायेंगे कि असम में नदी के किनारे 4566 किलोमीटर लम्बा एम्बैंकमेंट बनाया गया है और 957 किलोमीटर ड्रैनेज चैनल बनाया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

*144. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आज की तारीख तक राज्यवार बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने बंधुआ मजदूर लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) जी हाँ।

(ख) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजनागत स्कीम मई, 1978 में तैयार की गई थी इस स्कीम के अंतर्गत मुक्त हुए प्रति बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्वास अनुदान केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 आधार पर वहन किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता का पैटर्न या तो भूमि आधारित या गैर-भूमि आधारित या कौशल/शिल्प आधारित रखा गया है। भूमि आधारित स्कीम के अंतर्गत; (1) भूमि का आबंटन (2) हल, हल चलाने वाले बैल, बीज, खाद, निविष्टियों आदि जैसी सहयोग सेवाओं और सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। गैर-भूमि आधारित स्कीमों में उत्पादक परिसम्पत्तियों जैसे दुधारू पशु तथा अन्य पशुपालन मदें और बाजार से सम्पर्क शामिल है। कौशल/शिल्प आधारित स्कीमों के अंतर्गत कौशल/शिल्प की पहचान, कच्चे माल की आपूर्ति, चल पूंजी, शेड, यंत्रों और तैयार माल की बिक्री के लिए बाजार से सम्पर्क शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकारों, जो बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) *अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन अभिकरण हैं, से प्राप्त सूचना* के अनुसार अधिनियम के अधिनियम से पहचान किये गए, मुक्त कराये गये और पुनर्वासित किये गये तथा पुनर्वास के लिए जिनके पते नहीं मिले और पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या			
	पहचान किये गये	मुक्त कराये गये और पुनर्वासित किए गए	पुनर्वास के लिए जिनके पते नहीं मिले	पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं
आंध्र प्रदेश	36,289	29,552	6287	450
अरुणाचल प्रदेश	3,526	1,416	–	2110
बिहार	13,092	12,368	716	8
कर्नाटक	62,727	55,231	7377	119
मध्य प्रदेश	12,822	11,897	907	18
उड़ीसा	49,971	46,843	2776	352
राजस्थान	7,478	6,297	1181	–
तमिलनाडु	63,894	58,073	–	5821
महाराष्ट्र	1,384	1,300	82	2
उत्तर प्रदेश	27,797	27,797	–	–
केरल	823	710	113	–
हरियाणा	544	21	523	–
गुजरात	64	64	–	–
कुल	2,80,411	2,51,569	19,962	8880

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	लाभान्वित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
1997-98	6000
1998-99	5960
1999-2000	8195
कुल	20,155

ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पुनः शुरू करना

*146. **श्री दह्याभाई बल्लभभाई पटेल:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन सरकार के इस कदम से भारत-ब्रिटेन संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मुद्दे को ब्रिटेन सरकार के साथ उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) 5 जुलाई, 2000 को ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय के राज्य मंत्री ने ब्रिटिश संसद में कहा कि उन्होंने कम एवं स्पष्ट रेंज के उपकरणों अर्थात् नौसैनिक कलपुर्जे, बम निपटान उपकरण, सिविल नागरिकों के प्रयोग की वस्तुओं के लिए 20 मानक व्यक्तिगत निर्यात लाइसेंस जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय से सरकार क्षुब्ध है। ऐसा विश्वास है कि यह निर्णय पाकिस्तान में विद्यमान परिस्थितियों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की भावना के अनुरूप नहीं है। सरकार ने लंदन स्थित [illegible] के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी चिन्ता से [illegible]या है।

प्रवासी श्रमिकों को लूटने की घटनाएं

***147. श्री जे.एस. बराड़:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में रोजगार दिलाने के बहाने देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों को लूटने में संलिप्त गिरोहों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 2000 के 'दैनिक ट्रिब्यून' में ''फूडलैस ऑन ए रस्टी शिप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार को भी देखा था;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले और उसके ध्यान में आए ऐसे अन्य मामलों में क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या सरकार श्रमिकों के प्रवास से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) विदेश में रोजगार हेतु भारतीय कामगारों की भर्ती के कार्य में लगी भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध उत्प्रवास के इच्छुक व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जबकि जिन एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं उनमें से कुछ एजेंसियाँ सरकार के यहां उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, अन्य एजेंसियाँ अनधिकृत रूप से कार्य कर रही हैं। आमतौर पर शिकायतें नियमानुसार प्रावधान की गई धनराशि से अधिक सेवा प्रभार वसूलने, विदेश जाने के इच्छुक कामगारों से धन ऐंठने किन्तु उन्हें विदेश में रोजगार के लिए वास्तव में न भेजने, कुछ कामगारों को ऐसे अन्य देशों में भेजने जिनमें रोजगार विद्यमान नहीं होता तथा कुछ मामलों में विदेश में पहुंचने पर कामगारों की रोजगार संबंधी सेवा शर्तों में उनके अहित में हेर-फेर करने से संबंधित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार को प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997	91
1998	122
1999	163

(ग) और (घ) सरकार दिनांक 4.7.2000 को 'दैनिक ट्रिब्यून' में ''फूडलैस ऑन ए रस्टी शिप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार से अवगत है। तथापि, इस घटना के शिकार कामगारों अथवा अम्मान की स्थानीय सरकार द्वारा इस घटना को जोर्डन स्थित भारतीय मिशन अथवा श्रम मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। अनधिकृत एजेंटों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के लिए ऐसे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा उनके विरुद्ध मामलों को दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक आवश्यक अनुदेश जारी करें। प्रकाशित खबर के अनुसार स्थानीय पुलिस द्वारा अनधिकृत एजेंटों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 506 और 120 के अंतर्गत एक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की सूचना है जबकि दो अन्य फरार बताये गये हैं। यदि इस प्रकार के एजेंट पंजीकृत होते हैं और वे कामगारों की शिकायतों का निराकरण नहीं करते हैं तो उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों के निलंबन/निरसन की कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 32 एजेंटों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित किये गये तथा दो पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किये गये।

(ङ) और (च) विदेश में रोजगार चाहने वाले कामगारों हेतु उत्प्रवास अनुमति प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया पहले से ही सरल है तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

भारत-अमरीका संबंध

*148. **श्री पी.आर. खुंटे:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष मार्च में अमरीकी राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों और करारों के अनुसरण में निकट संबंध स्थापित करने के लिए भारत और अमरीका द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दोनों देशों के मध्य सहयोग को और बढ़ाने के लिए क्या करने के बारे में विचार किया गया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) मार्च, 2000 में अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति ने इक्कीसवीं शताब्दी में भारत और अमरीका के बीच अपने संबंधों की भावी रूपरेखा को रेखांकित करते हुए, एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस भावी रूपरेखा के भाग के रूप में, वे दोनों देशों के बीच व्यापक संस्थागत संवाद की संरचना पर भी सहमत हुए। दोनों पक्षों ने एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच के गठन संबंधी एक करार भी संपन्न किया तथा ऊर्जा और पर्यावरण में सहयोग संबंधी एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों के बीच समझबूझ को गहन करने को ध्यान में रखते हुए संवाद संरचना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण द्विपक्षीय गतिविधियों के अतिरिक्त सहयोग प्रगाढ़ करते हुए उपयोगी रूप से एक साथ मिलकर कार्य किया है। संवाद संरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच संबंधी करार और ऊर्जा तथा पर्यावरण में सहयोग संबंधी संयुक्त वक्तव्य के तहत स्थापित द्विपक्षीय मंचों की बैठकें पहले ही संपन्न हो गई हैं।

(ख) प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के सितम्बर में अमरीका की यात्रा संबंधी निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस यात्रा के फलस्वरूप अपेक्षाकृत निकट और गुणात्मक रूप से नए संबंध स्थापित करने के प्रति तथा भावी रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार, भारत और अमरीका के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए भी और अधिक योगदान मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

*149. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को अपने विनियामक नियंत्रण से मुक्त करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सामरिक गतिविधियों के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य परमाणु शस्त्र देशों (एनडब्ल्यूएस) में अपनाई गई पद्धतियों के अनुरूप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) और उसकी सुविधाओं के संबंध में नियामक तथा सुरक्षा कार्य जोकि अब तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा किये जाते थे, अब से निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा गठित "आंतरिक सुरक्षा समिति संरचना" द्वारा किए जाएंगे। उपर्युक्त कार्यों को करते समय, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, अन्य बातों के साथ-साथ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विकसित संगत सुरक्षा कोडों, संदर्शिकाओं, मानकों, आदि में दिए गए अच्छे सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों का और जनसामान्य पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा के बारे में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

जल बंटवारे के बारे में दक्षेस देशों की बैठक

*150. **श्री शिवाजी माने:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल बंटवारे के मुद्दे पर हाल ही में दक्षेस देशों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार हुआ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) जल संसाधनों का बंटवारा दक्षेस के कार्यों की परिधि में नहीं आता है। इसलिए जल के बंटवारे के संबंध में दक्षेस की कोई बैठक नहीं हुई।

वृद्धों के लिए नीति

***151. श्री साहिब सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1951 और वर्ष 1991 में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति कितने-कितने थे;

(ख) क्या गत 10 वर्षों में इस विशेष आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्ष 1951 में 60 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों की संख्या 20 मिलियन से अधिक थी तथा वर्ष 1991 में यह लगभग 57 मिलियन थी।

(ख) चूंकि जीवनकाल की प्रत्याशा में स्थिर रूप से सुधार हो रहा है इसलिए यह समझा जाता है कि गत दस वर्षों में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या भी बढ़ गई है। तथापि, इस संबंध में कोई सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां। सरकार ने जनवरी, 1999 में वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति की घोषणा की।

(घ) इस नीति में सरकार के अंतर्गत और सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों दोनों के मध्य अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रावधान है। विशेष रूप से इस नीति से मध्यक्षेप के अनेक क्षेत्रों अर्थात देश में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए वित्तीय सुरक्षा, देखभाल और पोषाहार, आश्रय, शिक्षा, कल्याण, जान-माल की सुरक्षा आदि की पहचान की है।

[हिन्दी]

विकास संबंधी प्रगति रिपोर्ट

***152. श्री तूफानी सरोज:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ राज्यों की विकास संबंधी प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना आयोग ने इन राज्यों का चयन किस आधार पर किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) योजना आयोग ने ऐसे विश्वसनीय दस्तावेजों, जो राज्यों के आर्थिक विकास के लिए कार्यसूची नियत करने में मदद करें, को प्रकाशित करने की दृष्टि से राज्यों के लिए राज्य विकास संबंधी रिपोर्टें (न कि विकास संबंधी प्रगति रिपोर्टें) तैयार करने का निर्णय लिया है। राज्य विकास संबंधी रिपोर्ट (एसडीआर) योजना आयोग द्वारा प्रायोजित दस्तावेज होगा लेकिन इसमें विभिन्न पहलुओं में राज्यों के विकास पर एक स्वतंत्र और विश्लेषणात्मक प्रकाश डाला जाएगा। एस डी आर से आशा की जाती है कि वे राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष प्रकाश डालें और चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। राज्य इन रिपोर्टों को तैयार करने में पूर्ण रूप से सक्रिय रहेंगे। वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के दौरान जिन राज्यों की विकास रिपोर्टें तैयार की जानी हैं, वे हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।

आयोग ने उपर्युक्त रिपोर्टों को तैयार करने के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कोर समिति गठित की जा रही है जिसमें संबंधित राज्य सरकारें और भागीदार संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु के संबंध में कोर समितियाँ गठित की जा चुकी हैं जबकि शेष राज्यों के संबंध में इस प्रकार की समितियों के गठन का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

(ग) राज्यों में विकास के सामान्य स्तर, उनके आकार, पिछले दो दशकों में राज्यों द्वारा की गई प्रगति, राज्यों के लिए उत्तरदायी सदस्यों के बीच संतुलित कार्यभार के आवंटन और उपयुक्त भौगोलिक वितरण को ध्यान में रखते हुए इन रिपोर्टों को तैयार करने के लिए राज्यों की पहचान की जा चुकी है।

[अनुवाद]

रोजगार की वृद्धि दर

*153. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रोजगार की वृद्धि दर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार की वृद्धि दर के संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं योजना के अंत में लक्ष्य हासिल करने के पश्चात् बेरोजगारों की संख्या कितनी होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व रोजगार की वार्षिक वृद्धि 2.3 से 2.4% आंकी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, रोजगार का स्तर सामान्य स्तर के अनुरूप (प्रमुख एवं अनुषंगी गतिविधियों पर विचार करते हुए) 367.2 मिलियन था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, रोजगार वृद्धि की प्रक्षेपित दर 2.5% थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में रोजगार में 416.4 मिलियन प्रक्षेपित वृद्धि होने का अनुमान है। नौवीं योजना के अंत में बेरोजगारों की प्रक्षेपित संख्या 7.0 मिलियन के लगभग है।

राष्ट्रपति द्वारा चीन की यात्रा

*154. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपति की हाल ही की चीन यात्रा के दौरान सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे के लिए चीन का समर्थन मांगा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आतंकवाद से लड़ने के लिए भी चीन की सहायता मांगी गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर बीजिंग की क्या प्रतिक्रिया थी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति ज्यांग जेमिन के आमंत्रण पर 28 मई से 3 जून तक चीन की सरकारी यात्रा की। बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति नारायणन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है। भारत प्रतिनिधित्व की इच्छा रखता है ताकि इससे विश्व संतुलन परिलक्षित हो सके। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के समर्थन से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त की कि संयुक्त राष्ट्र को और भी संवर्द्धित तथा पुनर्गठित किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में विकासशील देशों के हितों की अवश्य ही रक्षा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार सिर्फ विकसित देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन विभिन्न पक्षों के बीच समानता के आधार पर विचार-विमर्शों के जरिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने का पक्षधर है।

राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रभावों के बारे में भी राष्ट्रपति ज्यांग को बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत और चीन सहित सभी देशों के हित में है कि इस त्रासदी को रोका जाए। हम संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अपने प्रस्ताव पर चीन के सहयोग की प्रशंसा करेंगे। राष्ट्रपति ज्यांग ने कहा कि चीन आतंकवाद के संबंध में भारत के विचारों को समझता है। चीन ने हमेशा ही अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध किया है और इसकी भर्त्सना की है। चीन राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक स्वरूप और साधन के रूप में आतंकवाद के उपयोग का विरोधी था। चीन ने किसी देश अथवा सत्ता के विरुद्ध उग्रवादी हिंसा का विरोध किया क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मानदण्डों का उल्लंघन करता है। चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सहयोग संवर्धित करने पर बल दिया।

वर्षा-जल संग्रहण प्रणाली

***155. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उड़ीसा में संग्रह किये जा रहे वर्षा जल की मात्रा और विभिन्न उद्देश्यों हेतु इसके उपयोग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने राज्यों में स्थित शहरी रिहायशी इकाइयों के लिए छत से वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया था;

(घ) क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का इस संबंध में कोई कानून लाने का विचार था;

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान वर्षा जल संग्रहण के कार्य में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ङ) देश में कुल औसत वार्षिक वर्षापात् लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) है। इसमें से, देश की विभिन्न नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बी.सी.एम. है।

उपयोग योग्य सतही जल 690 बी.सी.एम. आंका गया है। उपयोग योग्य भूजल 433.8 बी.सी.एम. आंका गया है तथा उसमें से 20 बी.सी.एम. उड़ीसा में उपलब्ध है। वर्तमान में उड़ीसा में भूजल के 15 प्रतिशत भाग का उपयोग किया जाता है।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए वास्तविक उपयोग का आकलन नहीं किया गया है। तथापि, देश में विभिन्न उपयोगों के लिए प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टेड) मांग इस प्रकार है:

उपयोग	2000 के लिए जल की मांग (बिलियन क्यूबिक मीटर में)
सिंचाई	630
घरेलू	33
औद्योगिक	30
ऊर्जा	27
अन्य	30
	750

केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने राज्य सरकारों को शहरों में छत के बरसाती पानी का संचयन करने के वास्ते प्रावधान करने तथा भूजल संसाधनों के संरक्षण, अनुरक्षण तथा उसमें वृद्धि करने का सुझाव दिया है। तथापि, यह इस संबंध में विधान बनाने पर विचार नहीं कर रहा है।

मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण (एम एस डी ए) ने छत के बरसाती जल के संचयन के लिए नियम जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी नए आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज तथा 500 वर्ग मीटर से ऊपर के क्षेत्र वाले आवासीय भू-खण्डों में जल संग्रहण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। नगर पालिका लुधियाना ने निर्देश जारी किए हैं कि औद्योगिक संयंत्र लगाने, बारात घर, व्यावसायिक परिसर, ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी और बहु-मंजिला फ्लैटों का निर्माण करने की तब तक स्वीकृति न दी जाए जब तक कि संपत्ति का मालिक उसमें जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित नहीं कर लेता है।

सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के तहत पेय जल प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा किये जा रहे कार्यों के वास्ते राज्यों को निधियाँ उपलब्ध कराता है तथा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. का 20 प्रतिशत तक जल संग्रहण संरचनाओं सहित पेय जल संसाधनों को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए निर्धारित एवं उपयोग की जा सकती है। ग्रामीण पेय जल के लिए प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के तहत दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार इस घटक के लिए कुल आबंटन का न्यूनतम 25 प्रतिशत जल संरक्षण, जल संचयन, जल पुनर्भरण तथा डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, अतिदोहित डार्क/ग्रे ब्लाकों तथा जल की कमी वाले अन्य क्षेत्रों/सूखा प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित पेय जल संसाधनों को दीर्घावधि तक बनाए रखने संबंधी परियोजनाओं/स्कीमों पर, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की जानी है। जहां जल स्तर और वर्षपात् अधिक है तथा भूजल का कम

दोहन किया गया है, ऐसे स्थानों में, जल की स्थायी उपलब्धता के लिए कुल आवंटन का 25 प्रतिशत भाग आवंटित करने पर जोर नहीं किया जाना चाहिए।

गुजरात, नागालैंड तथा मिजोरम से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही भूजल पुनर्भरण की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत जल संचयन हेतु वित्तीय सहायता के लिए विचार करने के वास्ते कुछ प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं।

ठेका-श्रमिक

***156. श्री सुनील खां:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कोयला और इस्पात खानों में ठेका श्रमिकों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 कतिपय प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में इसके उन्मूलन का प्रस्ताव करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम 10.2.1971 से प्रवर्तन में आया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कतिपय कार्यों/प्रक्रियाओं में ठेका श्रम का उन्मूलन करना तथा जिन अन्य कार्यों/प्रक्रियाओं में इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है उनमें ठेका श्रम नियोजन को विनियमित करना है। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम ठेका श्रम प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की परिकल्पना नहीं करता है। यह ठेका श्रम प्रथा को जारी रखने की अनुमति देता है किन्तु इसमें नैमित्तिक तथा विरामी प्रकृति के कार्यों/प्रक्रियाओं/प्रचालनों में इसे विनियमित करने की अपेक्षा करता है।

2. केन्द्रीय सरकार को कोयला खानों तथा इस्पात उद्योग के स्वामित्व वाली खानों में ठेका श्रम की मौजूदगी की जानकारी है। खनन उद्योग के लिए "समुचित सरकार" के रूप में, पूरे देश की कोयला खानों के निम्नलिखित प्रचालनों में ठेका श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है:

(1) कोयला उठाना अथवा कोयला उठाना-व-बेचना,

(2) कोयला लादना और उतारना,

(3) अधिभार हटाना और भूमि काटना,

(4) सॉफ्ट कोक विनिर्माण;

(5) भूमिगत पत्थर जमावों और विविध पत्थर कटावों को ले जाना।

तथापि, यह प्रतिषेध निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगा-

(i) उत्तर पूर्व कोयला क्षेत्र में खदानों जिन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण प्रतिवर्ष कुछ माह तक ही कार्य किया जा सकता है;

(ii) पेंच घाटी में नदी की तरफ और इसी प्रकार की अन्य पेंच डिपाजिटों के साथ स्थित खदानों, जिनमें केवल तभी कार्य किया जा सकता है जब नदी का स्तर नीचे हो गया हो और वर्षा का मौसम न हो;

(iii) यांत्रिक खराबी, बिजली की खराबी अथवा रेलवे द्वारा डिब्बों की अनियमित आपूर्ति के समय कोयला लादना; और

(iv) पत्थर जमावों की कटाई/कमियाँ जिनका पहले पता नहीं लगाया जा सकता और जो अल्प-अवधि की अर्थात छः माह तक की हों।

3. देश में कोयला धमन के निम्नलिखित प्रचालनों में ठेका श्रम का नियोजन भी प्रतिषिद्ध कर दिया गया है:

(1) कच्चा कोयला उतारना,

(2) मैग्नेटाइट चार्जिंग,

(3) संयंत्र की सफाई जिसमें फिसलन, अपशिष्ट हटाना, गंदगी साफ करना, मैग्नेटाइट हटाना आदि शामिल हैं,

(4) मिडलिंग का ढोना, और

(5) गारा हटाना।

4. केन्द्रीय सरकार ने देश में लौह अयस्क खानों में निम्नलिखित प्रचालनों में ठेका श्रम का नियोजन भी प्रतिषिद्ध कर दिया है:

(1) अधिभार हटाना,

(2) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग,

(3) फ्लोट अयस्क प्रचालन,

(4) क्रसिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट और/अथवा कन्वेयर बैल्टों में कूड़ा-करकट की सफाई संबंधी कार्य, और

(5) वैगन लेवलिंग संबंधी कार्य।

5. अधिनियम के लक्ष्यों के दृष्टिगत, जबकि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं द्वारा कोयला/इस्पात खानों की निम्नलिखित प्रक्रियाओं/प्रचालनों में ठेका श्रम नियोजन नहीं किया जा सकेगा, परन्तु खनन प्रतिष्ठानों के लिए अन्य प्रक्रियाओं/प्रचालनों में ठेका श्रम पद्धति को जारी रखना अनुमेय है, जहाँ इसे प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। जब कभी भी अधिनियम के अधीन विहित निरीक्षण प्राधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणामस्वरूप अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के उल्लंघन का कोई मामला केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आता है, ऐसे प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन के मामले फाइल किये जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

***157. श्री पी.डी. एलानगोवनः क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन के सुधार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कोई नई परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) देश में इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान 'राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट' मदुरावायल और एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एम.एस.एस.आर.आई.), चेन्नई के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग द्वारा आठ नई पहल की गई हैं जिसका विवरण तथा आवंटित की गई निधि विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संस्थानों, ब्यूरो, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजना निदेशालयों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं तथा योजना स्कीमों सहित परियोजनाओं की संख्या 191 है जिसका ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल अनुसंधान संस्थान, मुदारावायल तथा एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई को कोई निधि आवंटित नहीं की है।

विवरण I

1. नौवीं योजना के लिए अनुमोदित नई योजनाओं तथा उन्हें आबंटित की गई निधियां:

(रु. लाख में)

(1)	नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रोआर्गेनिज्म	533.00
(2)	इन्डो इजराइल डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट	307.55
(3)	नेशनल रिसर्च सेन्टर आन सीड स्पाइसेस	300.00
(4)	आल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हेमोरेजिक सेप्टीकेमिया	150.00
(5)	नेटवर्क ऑन गेस्ट्रोइन्टेस्टाइनल पेरासिटिज्म	100.00
(6)	रूरल एवेयरनेस वर्क एक्सपीरिएन्स	405.00
(7)	ए.आई.सी.आर.पी. ऑन इंजीनियरिंग मेजर्स फॉर एफिशिएन्ट लैण्ड एंड वाटर मैनेजमैन्ट	73.25
	कुल योग	रुपये 1868.80 लाख

2. परियोजना की संख्या जो नौवीं योजना के दौरान प्रगति पर है:

1.	राष्ट्रीय संस्थान	46
2.	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	31
3.	राष्ट्रीय ब्यूरो	5
4.	परियोजना निदेशालय	11
5.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	80
6.	अन्य योजना स्कीम	13
7.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5
	कुल	191

बीड़ी मजदूर

***158. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे बीड़ी उत्पादन से जुड़े मजदूरों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा: और

(ग) सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 जैसे अनेक विधान अधिनियमित किये हैं। बीड़ी कर्मकारों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए इन अधिनियमों के अंतर्गत नियम भी बनाये गये हैं। सरकार बीड़ी कर्मकारों एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिये बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्रों में अनेक कल्याण योजनाएं चला रही है।

विलंब से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं

***159. श्री वी.एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विलम्ब से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में लागत वृद्धि रोकने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक ग्रुप को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ग्रुप ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) वर्तमान में विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि की जांच करने हेतु, सरकार द्वारा मंत्रियों के दल का गठन नहीं किया गया है। तथापि, 1994 में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक (जी.ओ.एम.) दल का गठन किया गया था। मंत्रियों के दल (जी.ओ.एम.) द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. ठीक न चलने वाली परियोजनाओं को बंद किया जाना।
2. (क) केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति का गठन।
   (ख) विद्यमान परियोजनाओं की पुन: प्राथमिकता निर्धारित करना।
3. मुख्य कार्यपालकों की रिक्तियों को भरने के लिए नई पद्धति तथा अन्य संबंधित सुझाव।
4. प्रशासनिक मंत्रालयों में शक्ति प्राप्त समितियों का गठन तथा जिला स्तरों पर कार्य-दलों का गठन।
5. ऑन-लाइन कंप्यूटरीकृत पर्ट-कार्यक्रम।
6. मंत्रियों द्वारा समीक्षा बैठकों के आयोजन की प्रणाली की शुरुआत।
7. निवेश के कड़े मानदंड की शुरूआत।

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए उपचारी कदमों में शामिल हैं:

जी.ओ.एम. द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, फरवरी, 1996 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 13 विशिष्ट उपायों को अनुमोदित किया गया था। तभी से यह उपाय कार्यान्वयनाधीन है। इन उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं में विलंब एवं लागत वृद्धि को कम करने के लिए निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए गए हैं।

1. सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन/अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अभिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों/प्रशासनिक मंत्रालयों को उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं;
2. विलंब को कम करने के लिए, परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों के साथ उपस्करों के निर्माण की स्थिति समीक्षा;
3. आपूर्तिकर्ताओं तथा टर्नकी ठेकेदारों के साथ, उपस्करों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा;
4. अंतरमंत्रालयी समन्वय तथा संबंधित अभिकरणों की बीच सुविधा बैठकें;
5. संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शक्ति प्राप्त समितियों का गठन;
6. परियोजनाओं को समय अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

विवरण

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति/सचिवों की समिति द्वारा मूल रूप में यथा अनुमोदित	तत्पश्चात् संशोधित
1	2
1. प्रगति न कर पा रही परियोजाओं को बंद/ठप्प करना अथवा निजी/संयुक्त क्षेत्र को हस्तांतरण प्रगति की कमी (जहां पर निर्माण अवधि का 60% बीत जाने के बाद भी किया गया व्यय 5% है) पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती संपर्क तथा अन्य संगत कारण जैसे भूमि अधिग्रहण में सामरिक अवरोध सरकार की नीतियों/बाजार स्थितियों में परिवर्तन इत्यादि विचारणीय है।	27.12.1997 को ''प्रगति की कमी'' वाली की परिभाषा को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस तरह संशोधित कर दिया है। परियोजनाएं जहां निर्माण अवधि का 60% बीत जाने के बाद भी किया गया व्यय प्रत्याशित लागत का 20% है।
2. परियोजनाएं जो प्रगति नहीं कर पा रही हैं, को बंद/ठप्प करने अथवा हस्तांतरण करने में आने वाली कार्यविधिक अथवा कानूनी अवरोधों को दूर करना। ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने हेतु एक शक्तिप्राप्त समिति का गठन।	केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति के संदर्भ में मदों को प्रगति की कमी की परिभाषा में किए गए परिवर्तन के मद्देनजर जनवरी, 1998 में संशोधित किया गया।
3. संसाधन अवरोधों के प्रकाश में परियोजनाओं का पुनर्प्राथमिकता निर्धारण प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा 8वीं योजना में परियोजनाओं की पुनर्प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी तथा 50 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत की परियोजनाएं जो 9वीं योजना में आ चुकी है, की पुनर्प्राथमिकता सी.ई.सी. निर्धारित करेगा।	
4. पी.एस.यू. में बोर्ड स्तर की रिक्तियों को भरने हेतु तत्काल कार्रवाई। पी.ई.एस.बी. द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा सचिव (सी.) द्वारा समीक्षा की जाएगी।	

1		2
5.	प्रत्येक परियोजना के लिए केंद्र प्रबंधन दल का गठन।	केंद्र प्रबंधन दल के स्थान पर, न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि वाले एक केंद्रक अधिकारी को 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए नियुक्त किया जाएगा।
6.	प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में शक्ति प्राप्त समिति का गठन।	केवल सरकार की स्वामित्व वाली परियोजनाओं के शक्ति प्राप्त समितियां।
7.	क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।	
8.	सभी स्तरों पर प्रबोधन को दृढ़ करना।	
9.	आन-लाइन कंप्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली की शुरूआत।	
10.	प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा।	सरकार के स्वामित्व वाली परियोजनाओं की समीक्षा शक्ति प्राप्त समिति द्वारा तथा पी.एस.यू. के स्वामित्व वाली परि-परियोजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में समीक्षा।
11.	परियोजनाओं का मूल्यांकन तथा स्वीकृति और अधिक सख्त भूमि की उपलब्धता तैयारी की स्थिति तथा निधियों की निश्चितता की विस्तृत जांच के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।	
12.	विभिन्न निकासियों के लिए समय-सीमा। समय-सीमा पूरी हो जाने पर, निकासी को स्वत: ही दिया गया समझा जाना चाहिए।	
13.	स्वीकृत लागत का वार्षिक अद्यतनीकरण। योजना आयोग के सदस्य-सचिव तथा वित्त सचिव की समिति द्वारा रीतियों पर अंतिम निर्णय।	संबंधित मंत्रालयों के वित्तीय परामर्शदाता परियोजनाओं की लागत (50 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजाएं) के वार्षिक अद्यतनीकरण तथा वार्षिक योजना अभ्यास से पहले ऐसे अद्यतनीकरण की सूचना योजना आयोग को देने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे यह भी इंगित करेंगे कि अद्यतन लागत पूर्ण लागत पर आधारित चरणबद्ध व्यय से भिन्न हैं अथवा नहीं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

*160. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के किसानों की परेशानियों को कम करने हेतु एक नयी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नयी फसल बीमा योजना की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नयी योजना में 'गांव' को एक इकाई के रूप में मानने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृ.षि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम नामक एक नई फसल बीमा स्कीम पहले ही रबी 1999-2000 मौसम से क्रियान्वित की जा चुकी है।

(ख) नई स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(1) साझेदार तथा पट्टेदार किसानों सहित सभी किसानों को शामिल करना।

(2) खाद्य फसलों तथा तिलहनों के अतिरिक्त वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करना।

(3) किसानों को औसत उपज की 150% की सीमा तक बीमित धनराशि के चयन का विकल्प है।

(4) कुछ क्षेत्रों में प्रयोग के लिए स्थानीकृत आपदाओं के लिए एकल आधार पर फसल नुकसान का मूल्यांकन।

(5) खाद्य फसलों तथा तिलहनों के मामले में प्रीमियम दरें खरीफ के दौरान 2.5% से 3.5% तथा रबी के दौरान 1.5% से 2.00% तक अथवा बीमांकिक दरें, इनमें से जो भी कम हो, होंगी। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम को बीमांकिक दरों के आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

(6) छोटे और सीमान्त किसान प्रीमियम में 50% तक राजसहायता के पात्र होंगे, जिसे पांच वर्ष की अवधि में समाप्त कर दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) इस नई स्कीम की संकल्पना प्रत्येक भागीदार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बीमा इकाई के रूप में तीन वर्ष की अवधि में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। तथापि, विभाग लक्ष्य को और पहले प्राप्त करने के लिए स्कीम की समीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के लिए संशोधित वेतनमान

1528. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के वैज्ञानिकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी ग्रेडों में वैज्ञानिकों/अनुसंधान प्रबंधन पदों (आर.एम.पी.) के वेतनमान

क्र.सं.	पद की श्रेणी	वर्तमान वेतनमान (रुपये)	संशोधित वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4
1.	वैज्ञानिक	2200-75-2600-100-4000	8000-275-13500
2.	वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200

1	2	3	4
3.	वैज्ञानिक (चयन ग्रेड)/वरिष्ठ वैज्ञानिक	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
4.	प्रमुख वैज्ञानिक	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
5.	प्रायोजना समन्वयक/प्रभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय केन्द्र/स्टेशन/समकक्ष विश्वविद्यालय और नार्म के अलावा अन्य संस्थाओं के संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय समन्वयक	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
6.	संस्थानों के निदेशक/प्रायोजना निदेशक/ राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/प्रायोजना निदेशालयों, भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में सहायक महानिदेशक/डीम्ड विश्वविद्यालयों के संयुक्त निदेशक/नार्म	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400 (प्रारंभिक नियुक्ति पर न्यूनतम वेतन 7300/- निश्चित किया जाता है)
7.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में उप-महानिदेशक/ भा.कृ.अ. संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान और नार्म के निदेशक	7600/- नियत	25000/- नियत
8.	राष्ट्रीय फैलो	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
9.	राष्ट्रीय प्रोफेसर	7600/- नियत	25000/- नियत

[अनुवाद]

सिंचित और असिंचित भूमि

1529. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में कुल सिंचित भूमि, असिंचित भूमि और बंजर भूमि कितनी थी;

(ख) क्या सिंचित कृषि भूमि क्षेत्र कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक निश्चित तंत्र बनाने हेतु राज्यों के सिंचाई विभागों और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के बीच कोई समन्वय है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इस्राइल सरकार से कोई विशेषज्ञता मांगी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) देश में कृषि क्षेत्र में 1994-95 से 1996-97 तक कुल सिंचित असिंचित तथा खेती योग्य परती भूमि का ब्यौरा निम्नवत है:-

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर)

वर्ष	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	खेती योग्य परती भूमि
1994-95	53.00	90.0	14.3
1995-96	53.4	88.8	14.1
1996-97	55.1	87.7	14.0

(ख) विभिन्न राज्यों में वास्तविक कृषि परिस्थितियों में खेतों पर ही जल प्रबंध अनुसंधान एवं प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत जल प्रबंध परियोजना संबंधी सहयोग केन्द्र (11 केन्द्र) राज्य कृषि विभाग से

सीधे सम्पर्क बनाए हुए हैं। ये अनुसंधान तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों से जल उपयोग दक्षता तथा कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए सिंचाई तथा कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में मदद करते हैं। कृषि जल निकासी तथा लवण से प्रभावित मृदा के सुधार के लिए भी इसी प्रकार के कार्यक्रम राज्य सिंचाई विभागों के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 23 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सृजित एवं उपयोगिता सिंचाई क्षमता के बीच के अन्तर को कम करना तथा सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन को समन्वित तरीके से सतत आधार पर इष्टतम बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सतत इष्टतम कृषि उत्पादन हेतु भूमि जल तथा फसलों के वैज्ञानिक प्रबंध के लिए उपलब्ध प्रकार की प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन/प्रचार-प्रसार किया जाता है। प्रशासक/आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बहु संकाय दलों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को परस्पर जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में इस समय 228 सिंचाई परियोजनाएं कवर की गई हैं जिनमें 22.27 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है।

(ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इजरायल सरकार की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास जल प्रबंध (लघु सिंचाई तथा संरक्षित कृषि) के क्षेत्र में इजराइल सरकार की विशेषज्ञता हासिल करने के कई तरीके हैं (1) भारतीय वैज्ञानिकों का इजरायल में प्रशिक्षण (2) जल प्रबंध अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम विशेषतौर से लघु सिंचाई प्रणाली के अध्ययन हेतु भारतीय दलों को इजरायल भेजना तथा भारत में इन पर अनुवर्ती कार्रवाई, तथा (3) भारतीय वैज्ञानिकों तथा किसानों के लाभार्थ भारत सरकार तथा इजरायल सरकार के बीच संरक्षित स्थितियों में लघु सिंचाई से संबंधित एक सहयोगात्मक कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में रखा गया है।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण

1530. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रतिबंधित पशु अभी भी कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इसमें देरी के क्या कारण हैं और संशोधन पारित कराने तथा कानून के प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अनेक भागों में पशु-बलि की प्रथा चल रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित संशोधन विधेयक सरकार के विचाराधीन है तथा उच्चतम स्तर पर कार्रवाई में शीघ्रता लाई जा रही है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों का बंद किया जाना

1531. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री बी.के. पार्थसारथी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषत: जम्मू और कश्मीर में अनेक औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए तथा कितने श्रमदिवस बेकार हुए तथा कितना उत्पादन का नुकसान हुआ; और

(घ) इन बेरोजगार कामगारों को काम देने तथा इन इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतरिक्ष क्षमता

1532. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा अब तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) भारत द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह विकास, इन्सैट प्रक्षेपण पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विविध उपयोगों हेतु विश्व स्तर के उपग्रहों के निर्माण की क्षमता तथा उन्हें अन्तरिक्ष में प्रमोचित करने हेतु साधनों का विकास करना भारत की प्रमुख उपलब्धि है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.), जोकि प्रचालनात्मक है, ध्रुवीय सूर्यतुल्यकाली कक्षा में लगभग 1200 कि.ग्रा. वर्ग के उपग्रहों को प्रमोचित कर सकता है। इस समय दो प्रकार के उपग्रह अन्तरिक्ष से प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन्सैट प्रणाली में इस समय पांच प्रचालनात्मक उपग्रह हैं, जिनका उपयोग दूरसंचार, दूरदर्शन तथा रेडियो प्रसारण, खोज और बचाव सेवाएं तथा मौसम विज्ञानीय पर्यवेक्षणात्मक सेवाओं के लिए किया जाता है। पांच आधुनिकतम उपग्रहों से युक्त भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) प्रणाली ऐसे आंकड़े प्रदान करती है, जिनका उपयोग फसल उत्पादन के क्षेत्रफल का अनुमान, कृषि पैदावार का पूर्वानुमान, भूमिगत जल की उपलब्धता के क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र, वन सर्वेक्षण इत्यादि जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंध संबंधी उपयोगों के लिए किया जाता है। आई.आर.एस. उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े वाणिज्यिक आधार पर विश्वव्यापी रूप में भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्सैट उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। अन्तरिक्ष आंकड़ों के उपयोग के लिए व्यापक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। उद्योग एवं अकादमिक संस्थाएं अन्तरिक्ष कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप में शामिल रही हैं तथा अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने 500 से अधिक छोटे, मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रखा है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित की गई 236 से अधिक प्रौद्योगिकियां उद्योगों को हस्तांतरित की गई हैं।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपग्रह विकास और इन्सैट प्रमोचन सहित अन्तरिक्ष अनुसंधान पर भारत द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1997-98	1050.50 करोड़ रुपये
1998-99	1401.70 करोड़ रुपये
1999-2000	1677.38 करोड़ रुपये

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपग्रह विकास और इन्सैट प्रमोचन पर विशिष्ट रूप में खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	उपग्रह विकास	इन्सैट प्रमोचन
1997-98	170.64 करोड़ रुपये	-
1998-99	296.77 करोड़ रुपये	269.75 करोड़ रुपये
1999-2000	308.92 करोड़ रुपये	342.01 करोड़ रुपये

(ग) भारत उन गिने-चुने देशों में एक है, जिसके पास उपग्रहों तथा प्रमोचक राकेटों दोनों के विकास की क्षमता उपलब्ध है। भारत ने आधुनिकतम उपग्रहों तथा प्रमोचक राकेटों के निर्माण की प्रौद्योगिकीय क्षमता अर्जित कर ली है, जिसकी तुलना विश्व की समकालीन प्रणालियों से की जा सकती है। इन्सैट-2ई में रखे गए कुछ प्रेषानुकर अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट) को लीज पर दिए गए हैं, जोकि इन्सैट-2ई की उच्च अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) की प्रथम वाणिज्यिक उड़ान ने आई.आर.एस.-पी4 के साथ दो विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। भारत अन्तरिक्ष अग्रणी देशों के बीच एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है।

[अनुवाद]

नेकलेस नदी परियोजना

1533. **श्री ए. कृष्णास्वामी:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहायता से नैकलेस नदी परियोजना सहित कुछ बड़ी और मझौली आकार की सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच नेकलेस नदी परियोजना पूरी हो चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) महाराष्ट्र में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस समय 7 परियोजनाएं अर्थात् गोसीखुर्द, सूर्या, वाघुर, भीमा, ऊपर तापी, ऊपर वर्धा और वान केन्द्रीय ऋण सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नेकलेस नदी परियोजना नामक कोई परियोजना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ में कनाडा के वाणिज्य दूत का कार्यालय

1534. **श्री सिमरनजीत सिंह मान:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चंडीगढ़ में कनाडा के वाणिज्य दूत को एक पूर्ण रूपेण राजनयिक कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कनाडा सरकार से चण्डीगढ़ में उनके वीसा संग्रहण केन्द्र का विस्तार करके उसे कनाडा आधारित राजनयिक कर्मचारियों से युक्त पूर्ण रूप से कोंसली कार्यालय बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने 1997 में पहले ही भारत आधारिक कर्मचारी युक्त वीसा संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति दी थी। इसे नई दिल्ली स्थित कनाडा उच्चायोग की विस्तारित शाखा माना जाता है।

(ग) सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस समय वर्तमान प्रबंध व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

रेडियोधर्मिता का रिसाव

1535. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने अपने परमाणु अपशिष्ट पदार्थ जमा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों का चुनाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों के निकट के गांवों को रेडियोधर्मिता के किसी रिसाव से बचाने के लिए सरकार ने कौन सी निवारात्मक उपाय किए हैं/करने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु उद्योग

1536. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितनी लघु उद्योग इकाइयां काम कर रही थी;

(ख) उक्तावधि के दौरान इनमें राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत थे;

(ग) इन कर्मचारियों को राज्य-वार कितना न्यूनतम पारिश्रमिक मिल रहा था; और

(घ) इन लघु उद्योग इकाइयों का सकल घरेलू उत्पाद में राज्य-वार कितना योगदान रहा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पंजीकृत और अपंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों की अनुमानित कुल संख्या क्रमश: 30.14 लाख, 31.21 लाख और 32.25 लाख थी। राज्य-वार प्राक्कलन का रख-रखाव केवल पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों के संबंध में रखा जाता है, जोकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इन इकाईयों में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित कुल संख्या क्रमश: 167.2 लाख, 171.58 लाख और 178.50 लाख थी। रोजगार और न्यूनतम दिहाड़ी के संबंध में राज्य-वार प्राक्कलनों का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान के संबंध में उपलब्ध नवीनतम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1998-99 के दौरान इसका योगदान 6.7 प्रतिशत रहा है। केन्द्रीय तौर पर राज्य-वार अनुमान तैयार नहीं किया जाता है।

विवरण

पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1098 पी	1175 पी	1194.479 ई
2.	आंध्र प्रदेश	120461 पी	124950	1270429 ई
3.	अरुणाचल प्रदेश	3358 ई	4478 ई	4519.811 ई
4.	असम	21514	23132 पी	23637.47 ई
5.	बिहार	111990 पी	117546 पी	121155.6 ई
6.	चण्डीगढ़	2962	3007	3037.217 ई
7.	दादर एवं नगर हवेली	538	870	959.3845 ई
8.	दमन एवं दीव	867 पी	1455	1507
9.	दिल्ली	29527 ई	25306	25336.15 ई
10.	गोवा	5253 ई	5761	5877.356 ई
11.	गुजरात	149893	164785	173004.3 ई
12.	हरियाणा	98116	82874 ई	84723.96 ई
13.	हिमाचल प्रदेश	15022	15941	16396.57 ई

1	2	3	4	5
14.	जम्मू एवं कश्मीर	27210 पी	28663 ई	29559.85 ई
15.	कर्नाटक	131582 ई	150675	156726.8 ई
16.	केरल	161777 पी	1849.16 ई	196926.9 ई
17.	लक्षद्वीप	384 ई	404	415.1664 ई
18.	मध्य प्रदेश	292243 ई	311375 ई	323060.5 ई
19.	महाराष्ट्र	119887	135016	140919.5 ई
20.	मणिपुर	5578	5829 ई	6000.405 ई
21.	मेघालय	2229	2514	2621.05 ई
22.	मिजोरम	3677	4028	4332.736 ई
23.	नागालैण्ड	779	813	982.3937 ई
	उड़ीसा	17142 ई	18732 पी	19277.73 ई
	पांडिचेरी	4425	4722	4873
26.	पंजाब	149089	151180	152508.1 ई
27.	राजस्थान	75898	80229	81549.68 ई
28.	सिक्किम	305 पी	323 पी	342.1371 ई
29.	तमिलनाडु	281326 ई	284943	305722.5 ई
30.	त्रिपुरा	1697 ई	1949 ई	2113.847 ई
31.	उत्तर प्रदेश	367950 ई	358594 पी	371094.7 ई
32.	पश्चिम बंगाल	148443 पी	150317 पी	151648.8 ई
	अखिल भारत योग	2352220	2446507	2539068

नोट: (पी)–अनंतिम
(ई)–अनुमानत:

नहरों से गाद निकाला जाना

1537. श्री खारबेल स्वाईं: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा में ''कोस्ट' नहर में बहुत गाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को "कोस्ट" नहर से गाद निकालने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिंचाई एवं रोजगार के अवसर का सृजन करने हेतु "कोस्ट" नहर की पुन: खुदाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा में नहरों के तट पर भारी गाद जमा हो रही है। उड़ीसा तट नहर बंगाल की सीमा से शुरू होती है और मातेइ नदी के संगम स्थल तक लगी हुई है। उड़ीसा तट नहर की कुल लंबाई 123.6 कि.मी. है इसमें 4 खंड हैं अर्थात रेंज-3 (14.4 कि.मी.), रेंज-4ए (14 कि.मी.), रेंज-4 बी (28.6 कि.मी.) और रेंज-5 (66.6 कि.मी.)। इस तट नहर का निर्माण ब्रिटिश शासन में 1880-85 के दौरान किया गया था। इसका निर्माण मुख्यत: नौवहन सुविधाएं तथा लिफ्ट द्वारा 5000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किया गया था। 14.4 कि.मी. की लंबाई वाली रेंज-3 को छोड़कर, शेष खंडों में 1.5 मीटर से 2 मीटर तक गाद जम गयी है और यह कार्य नहीं कर रही है। केवल रेंज 3 दोनों प्रयोजनों अर्थात् नौवहन तथा 600 हेक्टेयर तक सिंचाई का कार्य कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

1538. श्री राजो सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से किन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) कौन-कौन सी परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं; और

(ङ) इस कारण इन परियोजनाओं की लागत में किस हद तक वृद्धि हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 34 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं अपनी अनुसूची के अनुरूप चल रही हैं और 4 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं।

(ग) किया गया कुल व्यय 3,943.4 करोड़ रुपए है।

(घ) 12 परियोजनाएं अपनी अनुमोदित वास्तविक अनुसूची से पीछे चल रही हैं तथा 11 परियोजनाओं के शुरू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं है;

(ङ) इन परियोजनाओं की लागत 7,043.3 करोड़ रुपए की वास्तविक लागत से 42% बढ़ गई है और अब प्रत्याशित लागत 10,016.2 करोड़ रुपए है।

विवरण

बिहार में परियोजनाओं की सूची (31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)

इकाई (लागत/व्यय: करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकारी अनुमोदन की तारीख प्रारंभिक (संशोधित)	शुरू करने की तारीख प्रारंभिक (संशोधित)	शुरू करने की तारीख प्रत्याशित (अंतिम सूचित)	कुल समय-वृद्धि (संशोधित की प्रतिशत)	लागत अनुमोदित प्रारंभिक (संशोधित)	लागत प्रत्याशित	प्रतिशत लागत वृद्धि प्रारंभिक (संशोधित)	संचयी व्यय (3/2000 तक)	वास्तविक प्रगति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्षेत्र: परमाणु ऊर्जा											
	यूसीआईएल										
1.	नरवापहाड़ जे "गुद्रा यूमिल सिंहभूम बिहार	टीपीवाई 326 308	1989/04 1994/11	1993/12 1995/09	2000/04	55 71	495.54 311.41	306.74	-38 -1	303.21	3.53 (पूरी हो गई)
क्षेत्र: कोयला											
--	पुतकी बलिहारी यूजी धनबाद बिहार	3.00 1.00 एमटीवाई	1983/12 1997/04	1994/03 2000/03	2001/03	12 6	199.87 199.87	181.94	-9 -9	167.94	14.00
3.	मधुबंद वाशरी धनबाद बिहार	2.50 1.13 एमटीवाई	1985/03 1993/10	1998/12 1995/03	2000/03	60 50	71.91 194.18	194.18	170 0	190.77	3.41 प्रारंभ-अधीन
4.	ब्लॉक-3 ओसी धनबाद बिहार	0.45 एमटीवाई	1991/08	1998/03 1998/03	उ.ज्ञ. उ.ज्ञ.	उ.ज्ञ.	45.97	45.97	0 0	15.55	30.42
5.	सुलंगा ओसी धनबाद बिहार	0.7 एमटीवाई	1997/09	2001/03	2001/03	0 0	41.60	41.60	0 0	5.65	35.95
6.	विश्वकर्मा ओसी धनबाद बिहार	0.7 एमटीवाई	1997/08	2001/03	2001/03	12 28	44.74	44.74	0 0	0.84	43.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
सीसीएल												
7.	फारेब ओसी हजारीबाग बिहार	1.75 एमटीवाई	1991/08 1993/03	1998/03	2001/03	36 46	116.19	169.74	46 46	123.67	46.07	
8.	रे.बचरा बूदी रांची बिहार	0.60 एमटीवाई	1991/03	1997/03	2001/03	36 50	30.19	30.19	0 0	17.51	12.68	
9.	पोरेज पूर्व यूजी हजारीबाग बिहार	0.30 एमटीवाई	1992/09	1999/03	उ.न. 2001/03	उ.न. उ.न.	29.34	29.34	0 0	1.10	28.24	
10.	जे.पी. रेलवे लाइन बोकारो बिहार		1982/02 1991/03	1985/03 1997/06	2000/12	42 23	15.93 48.78	48.78	206 0	35.56	13.22	
11.	संगम विस्तार ओसी हजारीबाग बिहार	0.50 एमटीवाई	1995/02	1998/03	2001/03	36 97	32.66	32.66	0 0	12.70	19.96	
12.	के.डी. हसलींग विस्तार. ओसी बिहार	4.50 एमटीवाई	1995/12	2000/03	2000/03	0 0	214.93	313.43	46 46	237.56	75.87	पूरी हो गई
13.	झारखण्ड ओसी बिहार	1.0 एमटीवाई	1998/10	2004/03	2004/03	0 0	110.89	110.89	0 0	14.54	96.35	
ईसीएल												
14.	राजमहल ओसी गोण्डा बिहार	1.5 एमटीवाई	1996/09	2002/03	उ.न. 2004/03	उ.न. उ.न.	46.86	46.86	0 0	-	46.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्षेत्र: इस्पात											
सैल											
15.	बोकारो स्टील-1 का आधुनिकीकरण धनबाद बिहार	एमटीपीए 3.955 एमटीपीएएस 4.5	1993/07 1994/08	1997/07	2000/01	30 63	1625.79 1792.90	2468.18	52 38	2132.69	335.49 (पूर्ण हो गई)
16.	पुनर्निर्मित कोक बी आरवाई 3-बोकारो धनबाद बिहार	-	1995/08	1998/08	2000/07 64	23	88.59	88.59	0 0	73.75	14.84
क्षेत्र: पैट्रोलियम											
	आईओसी										
17.	बरौनी रिफाइनरी विस्तार बरौनी बिहार	एमएमटीपीए 3	1999/02	2002/02	2002/02	3 8	1803.00	1803.00	0 0	251.45	1551.55
18.	बरौनी-पटना का बदलना बिहार	-	1999/90	2002/01	2002/01 0	0	94.88	94.88	0 0		94.88
क्षेत्र: विद्युत											
डीवीसी											
19.	पंचेत हिल 2 हैप धनबाद बिहार	एमडब्ल्यू 40	1978/01	1983/01	उ.न उ.न.	उ.न	16.03	82.09	412 412	49.22	32.87
एनएचपीसी											
20.	कोयलकारो टीआर लाइन रांची/संगम	एमडब्ल्यू 710	1981/06 1991/11	1999/11 1999/11	उ.न.	उ.न. उ.न.	44.67 1292.82	2368.67	433 83	33.90	2334.52
पावर ग्रिड											
21.	कोयलकारो टीआर लाइन जमशेदपुर बिहार	सीकेएम 215	1991/11	1998/03	उ.न.	उ.न. उ.न.	52.59	52.59	0 0		52.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्षेत्र: रेलवे											
	जीसी										
22.	हाजीपुर बचवाड़ा, एनईआर बिहार	किमी. 71.45	1996/04	1997/09	उ.न.	उ.न. उ.न.	60.60	60.60	0 0	72.36	-11.76
23.	चरण-1 मानसी सहरसा, एनईआर बिहार	किमी. 43.61	1996/04	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	55.11	48.39	-12 -12	20.51	27.88
24.	रांची-लोहारदंगा, एनईआर बिहार		1999/04	उ.न.	उ.न. उ.न.	उ.न.	193.78	193.78	0 0	2.85	190.93
एनएफ											
25.	साकरी हसनपुर एनईआर बिहार	किमी. 76	1996/12	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	96.03	89.03	-7 -7	17.35	72.35
26.	मुजफ्फरपुर एस मारही, एनईआर बिहार	किमी. 62.72	1997/03	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	100.00	100.00	0 0	1.11	98.89
27.	खगडिया के अस्थान, एनईआर बिहार	किमी. 44	1997/03	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	78.23	78.23	0 0	0.71	77.52
28.	आरा-सासाराम ईआर बिहार	किमी. 98	1997/07	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	120.00	145.00	21 21	2.14	142.86
29.	कोदरमांची आर (बारकाना) रांची बिहार	किमी. 189	1999/03	2005/07	2005/07	0 0	491.19	491.19	0 0	0.48	490.71
आरई											
30.	गुमिया-पत्रातु बिहार	किमी. 72	1992/03	1997/03	उ.न. 1998/03	उ.न. उ.न.	27.25 32.64	32.64	20 0	31.92	0.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
डब्ल्यूएसएंडपीयू											
31.	50 डीजल लोकोशेड, एसपुर एनईआर बिहार	लोको 50	1996/12	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	23.68	23.68	0 0	11.63	12.05
32.	बरौनी-फैक्ट्री आरओएच-वैगन एनईआर बिहार	250 आरओएच/एमटीएच	1997/07	2002/03	2002/03	0 0	25.00	25.00	0 0	-	25.00
33.	विद्युत लोको शेड की स्थापना बोकारो बिहार	100 विद्युत लोको शेड	1996/04	2001/03	2001/03	0 0	22.36	22.36	0 0	0.35	22.01
क्षेत्र: जल-भूतल परिवहन											
	आरडीएंडबीआर										
34.	एनएच 2 बिहार (एनएचएआई) बिहार	किमी. 42.69	1995/03	1999/06	2000/06	12 24	127.89	150.67	18 0	114.37	36.30

संकेतक:

एल, रैप:	अंतिम सूचित	एनएचपीसी:	नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक कारपोरेशन
यूसीआईएल:	रेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	पी.ग्रिड:	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया
बीसीसीएल:	भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि.	एनएल:	लाइन्स (नई लाइने)
सीसीएल:	सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि.	जी.सी.:	गेज कन्वर्शन
ईसीएल:	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.	डब्ल्यूएसएण्डपूयू:	वर्कशाप एंड प्रोडक्शन यूनिट (वर्कशाप व उत्पादन इकाई)
एसएआईएल:	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	आरडीएण्डबीआर:	रोड्स एंड ब्रिजज (सड़कें और पुल)
आईओएल:	इंडियन ऑयल कारपोरेशन		

निर्धन किसानों के लिए रोजगार

1539. श्री भालचन्द्र यादव: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्धन किसानों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी इलाकों की ओर पलायन पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण स्तर पर उनके लिए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग "कृषि रोजगार सृजन कार्यक्रम" नाम से एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। खादी ऋण, बैंकिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तथापि लाभार्थी 4% की दर

पर ब्याज देता है और बैंक दर और 4% के मध्य की शेष राशि सरकार द्वारा ब्याज सहायिकी के रूप में वहन की जाती है।

ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मार्जिन मनी योजना 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा 10 लाख रु. से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त 10% उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। अ.जा./अ.ज.जा./महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भू.पू. सैनिकों/अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग और पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों के लिए 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 30% मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

1540. श्री जय प्रकाश: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग को विश्व बाजार से मिलने वाली भावी चुनौतियों का सामना करने में तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) लघु उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु एक स्कीम बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

डा. अम्बेडकर की कृतियां

1541. श्री टी. गोविन्दन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने "केरल भाषा इन्स्टीट्यूट" को "डाक्टर अम्बेडकर" शीर्षक से डा. अम्बेडकर की संपूर्ण कृतियां प्रकाशित करने का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस उद्देश्य हेतु सहायता को जारी रखने हेतु कोई अनुस्मारक प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) 36 खंडों में से 14 खंडों को मलयालम भाषा में प्रकाशित किया गया है तथा शेष खण्डों का प्रकाशन विभिन्न चरणों पर है।

(ग) और (घ) "केरल भाषा संस्थान", राज्य भाषा संस्थान, केरल को, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है, 22,64,120 रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। आगे धनराशि की निर्मुक्ति के अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।

कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट जिलों के लिए योजना

1542. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक के दौरान उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगीर जिलों के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं और उनमें किए गए निवेश के संबध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान विकास-योजनाओं के लिए योजना-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई/की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। उड़ीसा के कोरापुट, बोलनगीर, कालाहांडी जिलों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को देखते हुए, उड़ीसा सरकार ने क्षेत्र में अमल में लाए जा रहे राज्य सरकार के सामान्य योजना कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक संशोधित दीर्घावधिक कार्य-योजना (1998-99 से 2006-07)

तैयार की है। इस संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना में, केन्द्रीय योजना और कुछ विशेष क्षेत्रकों यथा कृषि, बागवानी, जलसंभर विकास, वन रोपण, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल, आपात पोषण, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण और ग्रामीण संपर्क की केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं।

केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियों के सामान्य प्रवाह के अतिरिक्त इन जिलों को अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वार्षिक योजना 1998-99 में 37 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है: 17 करोड़ रुपए लड़कियों के प्राथमिक आवासीय विद्यालय हेतु, 10 करोड़ रुपए वन रोपण हेतु, 3.50 करोड़ रुपए जलसंभर विकास हेतु और सिंचाई स्कीमों हेतु ऋणों के ब्याज भार के लिए 6.50 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बीएमएस) के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से 9 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई जिसमें आपात पोषण कार्यक्रम हेतु 7 करोड़ रुपए और चल स्वास्थ्य यूनिटों हेतु 2 करोड़ रुपए शामिल हैं।

वार्षिक योजना 1999-2000, में वनरोपण हेतु 20 करोड़ रुपए और लड़कियों के प्राथमिक आवासीय विद्यालय हेतु 17 करोड़ रुपए सहित 37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई थी। बीएमएस के अंतर्गत 20.60 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई थी जिसमें ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 10 करोड़ रुपए, आपात पोषण हेतु 8.60 करोड़ रुपए और चल स्वास्थ्य एककों हेतु 2.00 करोड़ रुपए शामिल है।

उड़ीसा सरकार की वार्षिक योजना 2000-2001 को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या

1543. श्री मोइनुल हसन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केन्द्र और राज्य/संघ क्षेत्र-वार अधिकृत संख्या कितनी है; और

(ख) संख्या निर्धारण में क्या मानदंड अपनाया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केवल विभिन्न राज्य संवर्गों से संबंधित होते हैं। राज्य-वार प्राधिकृत पद संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 के अधीन व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य सरकारों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक संवर्ग की पद संख्या (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व सहित) का निर्धारण करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्येक संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य संवर्ग में वरिष्ठ ड्यूटी पदों की संख्या का 40% है।

विवरण

क्र.सं.	संवर्ग	कुल प्राधिकृत पद संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	314
2.	अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, और संघ राज्य क्षेत्र	232
3.	असम-मेघालय	226
4.	बिहार	393
5.	गुजरात	248
6.	हरियाणा	212
7.	हिमाचल प्रदेश	126
8.	जम्मू और कश्मीर	112
9.	कर्नाटक	248
10.	केरल	178
11.	मध्य प्रदेश	396
12.	महाराष्ट्र	351
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	198
14.	नागालैण्ड	64
15.	उड़ीसा	202
16.	पंजाब	193

1	2	3
17.	राजस्थान	260
18.	सिक्किम	50
19.	तमिलनाडु	325
20.	उत्तर प्रदेश	535
21.	पश्चिम बंगाल	296
	कुल	5159

सहकारी सोसाइटी

1544. श्री रामसागर रावत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कितनी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियां पंजीकृत हैं;

(ख) इन सोसाइटियों में इनके शेयरधारकों के योगदान के समतुल्य कितना अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ग) इन सोसाइटियों पर सरकार का कितना नियंत्रण है;

(घ) इन सोसाइटियों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ङ) क्या ये सोसाइटियां उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करती हुए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या 570 है। सहकारी भंडार लि. (सुपर बाजार) तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि. बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत है।

(ख) जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचना दी है अंश पूंजी, कार्यशील पूंजी तथा सीमांत राजसहायता के लिए ऋण के रूप में 248 उपभोक्ता सहकारी भंडारों को 48.04 लाख रु. वित्तीय सहायता दी गई है। दिनांक 1.4.1999 तक सुपर बाजार की 158.58 लाख रु. (लगभग) की कुल इक्विटी में भारत सरकार का अंश 116.49 लाख रु. है। दिनांक 1.4.1999 दिनांक 1.4.1999 तक, सुपर बाजार पर सरकार का बकाया ऋण 36.64 लाख रु. है।

(ग) बहु-राज्यीय सहकारी समितियां, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधीन आती हैं तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय पंजीकार द्वारा विनियमित होती हैं। राज्य सहकारी समितियां, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के तहत विनियमित हैं तथा सहकारी समिति, दिल्ली के पंजीकार द्वारा विनियमित होती हैं। केन्द्र/राज्य सरकार की शक्तियां नीति निर्देशक तत्व जारी करने, निदेशक मंडल के नामांकन इत्यादि तक है।

(घ) इन उपभोक्ता सहकारी समितियों के उद्देश्य और लक्ष्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा आवश्यक जिंसों का थोक तथा खुदरा वितरण और जनता को उचित दरों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना है।

(ङ) और (च) भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलने पर सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, अथवा उस मामले के लिए उस समय बनाए गए किसी कानून के तहत आवश्यक जांच/खोजबीन की जाती है।

भारत-बंगलादेश के बीच भूमि सीमा समझौता

1545. श्री अमर राय प्रधान: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश के क्षेत्र में भारतीय एन्कलेवों तथा भारतीय क्षेत्र में बंगलादेश के एन्क्लेवों का आदान-प्रदान किये जाने से पूर्व भारत-बंगलादेश भूमि सीमा समझौता, 1974 की अभिपुष्टि किया जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो अभिपुष्टि किये जाने संबंधी यह कार्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के पास कब से लम्बित हैं तथा इन एजेंसियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इसकी संसद द्वारा अभिपुष्टि होने में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और बंगलादेश के बीच सीमा का सीमांकन पूरा हो जाने के बाद भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 का अनुसमर्थन किया जाएगा। लगभग 6.5 कि.मी. भारत-

बंगलादेश भू-सीमा का सीमांकन अभी पूरा किया जाना है। सरकार का संबंधित राज्य सरकारों के समर्थन से बंगलादेश के साथ सीमांकन का कार्य पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार बंगलादेश के साथ सीमा से संबंधित सभी मसलों का शीघ्र समाधान करने के लिए वचनबद्ध है।

वर्षाजल-संचयन

1546. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जल-संरक्षण के लिए ऐसी नवीन प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप दिया है जिससे वर्षाजल को सफलतापूर्वक संचित किया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे देशभर में जल-संकट का किस सीमा तक निदान होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, भारतीय औद्योगिक संस्थान (आई.आई.टी.), दिल्ली में वर्षा जल संचयन और संरक्षण संबंधी निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां इस समय उपलब्ध हैं।

(1) भूमि के ऊपर और भूमिगत टैंकों में वर्षा जल संचयन और जल का भण्डारण।

(2) वर्षा जल संचयन और मौजूदा कुओं, नलकूपों आदि का पुनर्भरण।

(3) जल भृत के पुनर्भरण के लिए जल संचयन और भूमि के अन्दर जल भरना।

पेय जल आपूर्ति के लिए घरेलू जल संचयन के तहत छत के बरसाती जल को गटरों से एकत्र किया जाता है और इसे भूमि के ऊपर की टैंकों अथवा भूमिगत टैंकों में पहुंचाया जाता है। बेहतर जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली वर्षा के जल प्रवाह को अलग से एकत्र किया जाता है और फिर इसे छोड़ा जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपों और ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहाँ भूजल आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी दूषित रसायनों से प्रदूषित हो गया हो। यह तकनीक देश के विभिन्न भागों में पहले से उपलब्ध परम्परागत प्रौद्योगिकियों का उन्नत रूप है।

भारतीय औद्योगिक संस्थान, दिल्ली ने वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संबंधी विभिन्न प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित किया है। इस तकनीक में हानिकारक दूषित तत्वों को उचित रूप से निकालने के बाद जल स्रोतों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल को वाहिकाओं द्वारा पहुंचाना शामिल है। इन प्रयासों से न केवल भू-जल स्तर वृद्धि में सहायता मिलती है बल्कि ये वर्षा जल के बेहतर निकासी में भी लाभदायक है जिससे बेहतर स्वच्छता और मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण पाया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने जल विभाजक में बड़े पैमाने पर संचालन के लिए जल संचयन संबंधी विभिन्न विषयों को एकीकृत करने के वास्ते उपयोगी साफ्टवेयर तकनीकी में विशेषज्ञता भी विकसित कर ली है।

नई तकनीकी से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है:

(1) कई वर्षों तक अत्यधिक जल उपलब्धता

(2) बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी लाना

(3) अत्यधिक सूखे वाले मौसम में जल उपलब्धता

(4) सड़कों पर बाढ़ के प्रवाह में कमी लाना

(5) जल अथवा फसलों के बाह्य अनुप्रयोग की आवश्यकता में कमी

(6) मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की कमी।

भविष्य निधि अदालत

1547. श्री किरीट सोमैया: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में विशेषत: महाराष्ट्र में भविष्य निधि कार्यालय में भविष्य निधि अदालत का खुला मंच शुरू कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विशेषकर मुंबई भविष्य निधि कार्यालय द्वारा भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य निधि कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) महाराष्ट्र स्थित कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे जटिल शिकायतों और विवादों के निपटान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख को लोक अदालत का प्रायोजन करें।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 2649 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2527 को निपटा दिया गया है।

(ङ) अंशदाताओं को तुरंत सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भविष्य निधि दावों के निपटान का नियमित प्रबोधन करने के लिए एक केन्द्रीय कार्रवाई योजना भी तैयार की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत निवारण तन्त्र को सुदृढ़ और सक्रिय बनाया गया है ताकि भविष्य निधि दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित किया जा सके। हर तरह से पूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि दावों के निपटान के लिए 30 दिनों की कानूनी समय-सीमा निर्धारित की गई है। क.भ.नि. कार्यालयों में अंशदाताओं को, अन्य बातों के साथ-साथ उनके लम्बित दावों/शिकायतों के संबंध में सूचना मुहैया करने के लिए सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

ट्रांसजीनिक फसल

1548. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को देश में ट्रांसजीनिक फसल उगाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) फसलों की उपज और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में वाणिज्यिक खेती के लिए किसी भी ट्रांसजेनिक फसल की अनुमति नहीं दी है।

(ग) ट्रांसजेनिक फसलों के वाणिज्यिक उपयोग से पहले पर्यावरण के प्रति उनकी सुरक्षा, मानव तथा पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में ट्रांसजेनिक फसलों का वैज्ञानिक मूल्यांकन, अध्ययन के मुख्य मुद्दे हैं। उपलब्ध सूचनाओं से बायोटिक तथा अबायोटिक दबाव स्थितियों में फसल पैदावार में वृद्धि की रिपोर्ट मिली है। विश्व के अन्य भागों में विपणित ट्रांसजेनिक फसलों से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विधवाओं/अकिंचनों और निस्सहायों के लिए पेंशन

1549. श्री रामानन्द सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विधवाओं, अकिंचनों और निस्सहायों को दी जा रही पेंशन का भुगतान मध्य प्रदेश में पांच-छः महीने बीत जाने के बाद किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निरक्षर अकिंचनों से छः महीने की पेंशन के वाउचर पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं जबकि उन्हें केवल एक महीने की ही पेंशन दी गई होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त पेंशन का भुगतान समय पर करने तथा इस प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जाली खादी संस्थान

1550. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खादी संस्थान के कई जाली विक्रय केन्द्र बन गए हैं जो केवल कागजों पर मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये विक्रय केन्द्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अपने मित्रों के जरिए ऋण, कर रियायतें और छूट प्राप्त करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन विक्रय केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन जाली विक्रय केन्द्रों की मदद करने वाले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाजार बंधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों का एक प्रभावशाली वर्ग श्रम सुधारों के खिलाफ है; और

(ङ) यदि हां, तो श्रम सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) श्रम कानूनों की समीक्षा/उन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और समीक्षा के परिणामों के आधार पर संशोधन किये जाते हैं/नए सिरे से विधान बनाये जाते हैं। महत्वपूर्ण समझे गए तथा समय विशेष पर ध्यान आकर्षित करने वाले अनेक मुद्दों तथा समस्याओं से निपटने के लिए काफी समय से अनेक श्रम कानून बनाए गए हैं। जबकि इनमें से अनेक चिन्ताएं नियमित स्वरूप की होती हैं, कुछ चिन्ताएं पहले ही अपना महत्व खो चुकी होती हैं तथा वे वास्तव में पुरानी अथवा निरर्थक हो जाती हैं। इस प्रकार श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा किए जाने की सदैव आवश्यकता बनी रहती है जिससे आर्थिक नीति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके तथा कामगारों के बेहतर कल्याण का भी प्रावधान किया जा सके। सरकार ने 15.10.1999 को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भी गठित किया है जो श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा करेगा तथा श्रम विधान/नीति में समुचित परिवर्तनों के बारे में सुझाव देगा। उक्त आयोग संगठित क्षेत्र में श्रमिकों से संबंधित विद्यमान श्रम कानूनों के यौक्तिकीकरण तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान के बारे में सुझाव देगा।

ग्रामीण उद्योगों को सहायता

1553. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण उद्योगों को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस धनराशि के उपयोग के संबंध में राज्यों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को अनुदान तथा ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I तथा विवरण-II पर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान का संवितरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	273.95	685.78	174.29	737.29	275.35	340.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	125.41	0.87	–	–	–
3.	असम	52.55	12.70	35.06	6.30	59.79	6.72
4.	बिहार	651.17	12.29	748.45	4.00	1196.53	33.96

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	0.60	45.35	1.00	9.84	–	40.36
6.	गुजरात	922.70	519.17	1387.00	94.71	2554.96	268.56
7.	हरियाणा	19.40	292.58	592.79	52.25	652.94	185.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1.88	203.59	123.30	153.97	76.51	272.94
9.	जम्मू एवं कश्मीर	70.29	263.48	81.92	40.53	182.50	352.13
10.	कर्नाटक	255.57	653.33	438.63	561.35	1008.73	1228.32
11.	केरल	147.03	1175.18	322.60	15.58	205.45	395.94
12.	मध्य प्रदेश	100.60	720.64	367.27	319.06	178.49	1319.02
13.	महाराष्ट्र	260.82	795.04	32.93	285.31	310.59	308.97
14.	मणिपुर	2.38	208.16	–	281.51	–	266.93
15.	मेघालय	4.88	232.43	–	–	2.36	44.93
16.	मिजोरम	1.13	1028.05	–	49.63	0.02	344.39
	नागालैंड	28.32	733.46	7.18	90.00	5.37	396.94
18.	उड़ीसा	45.25	396.94	30.99	60.50	172.53	87.02
19.	पंजाब	281.01	391.05	619.41	124.79	345.73	605.12
20.	राजस्थान	860.03	636.87	105.26	314.15	1490.71	461.80
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	757.63	737.73	1268.80	58.77	2690.76	414.10
23.	त्रिपुरा	0.50	90.31	0.02	–	0.50	–
24.	उत्तर प्रदेश	2141.50	1589.33	1947.68	77.71	4201.30	1454.00
25.	पश्चिम बंगाल	227.47	1011.77	235.00	7.60	595.10	20.49
26.	अंडमान एवं निकोबार	–	42.85	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	321.06	73.11	22.29	10.74	669.27	31.34
30.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	पांडिचेरी	–	7.60	–	–	–	26.23
32.	लक्षद्वीप	6.39	24.20	–	–	0.39	34.64
33.	डिपार्टमैंटल	229.43	3654.50	217.35	21567.01	752.48	7707.93
34.	अदर स्कीम्स	–	4866.15	–	–	–	–
	कुल	7663.54	21224.05	8760.09	24922.60	17628.36	16648.26

विवरण II

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों का संवितरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	383.16	258.90	63.02	17.68	19.76	31.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.33	29.42	–	–	–	–
3.	असम	61.43	4.68	19.43	0.37	0.79	2.00
4.	बिहार	144.81	56.34	30.17	0.14	53.83	7.02
5.	गोवा	36.65	11.30	–	31.32	–	1.55
6.	गुजरात	61.64	30.41	7.00	13.37	43.34	29.13
7.	हरियाणा	74.67	65.72	18.75	219.36	2.10	8.88
8.	हिमाचल प्रदेश	11.97	31.03	–	–	6.52	4.33
9.	जम्मू एवं कश्मीर	35.97	4.51	0.38	–	6.61	0.52
10.	कर्नाटक	170.98	56.66	170.75	68.05	102.75	61.58
11.	केरल	108.82	21.87	3.15	1.46	35.48	13.68
12.	मध्य प्रदेश	153.26	49.27	1.21	48.88	8.18	12.11
13.	महाराष्ट्र	87.68	220.24	10.84	48.68	7.62	41.96
14.	मणिपुर	7.42	2.84	–	–	–	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	6.75	36.04	–	–	–	0.86
16.	मिजोरम	1.62	–	–	–	0.10	–
17.	नागालैंड	16.78	2.73	–	2.00	–	–
18.	उड़ीसा	116.46	9.52	18.95	3.87	6.10	8.34
19.	पंजाब	72.00	6.10	–	2.50	11.45	1.21
20.	राजस्थान	218.24	18.79	28.59	26.21	19.70	23.60
21.	सिक्किम	3.90	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	446.80	43.07	0.25	26.57	42.27	37.41
23.	त्रिपुरा	21.99	4.61	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	492.82	241.38	61.81	135.90	332.88	191.10
25.	पश्चिम बंगाल	138.32	69.55	43.15	4.97	36.28	48.54
26.	अंडमान एवं निकोबार	–	–	–	–	–	
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	13.69	3.38	–	–	1.65	10.11
30.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	2.06	–	–	–	–	1.29
32.	लक्षद्वीप	–	5.10	–	–	–	–
33.	डिपार्टमैंटल	–	–	–	–	–	7.69
34.	अंदर स्कीम्स	–	–	–	–	–	–
	कुल	2904.22	1283.46	477.45	651.33	737.41	544.33

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश

1554. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौ अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने क्षेत्रों में अनुमति प्र की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्र महाजन): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वि

कम्पनियों को पूँजी निवेश करने की अनुमति दी गई है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

1997-1998	93
1998-1999	179
1999-2000	260
2000-2001	10
	(31.05.2000 तक)

हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास तथा सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं तथा मूल संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की गई।

बीड़ी उत्पादक उपक्रम

1555. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत बीड़ी उत्पाद उपक्रमों, उद्यमों और सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्योग में कार्यरत मजदूर किस श्रेणी के हैं और इनका आयु वर्ग क्या है तथा इनकी अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक बीड़ी उद्योग से बीड़ी के निर्यात द्वारा कितना उत्पाद शुल्क और विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस व्यापार में लगे निर्यातकों को कोई विशेष आराम प्रदान करने का है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) बीड़ी उत्पादन में लघु और अति लघु इकाईयों का योगदान बहुत है। तथापि, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बीड़ी उत्पादक इकाईयों के ब्यौरों के संबंध में केन्द्रीय तौर पर सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख) बीड़ी उत्पादन में लगे अधिकतर कामगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं और वे 18-60 वर्ष के आयु सीमा के हैं। देश में अनुमानित: 44 लाख बीड़ी कामगार हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह और विदेशी मुद्रा आय निम्न प्रकार से है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उपकर सहित उत्पाद-शुल्क	विदेशी मुद्रा आय
1996-97	192.02	15.96
1997-98	256.26	20.05
1998-99	261.69	30.70

(घ) एक्जिम नीति के अनुसार बीड़ी के निर्यातकों को सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

रूसी राष्ट्रपति का दौरा

1566. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में रूसी राष्ट्रपति के दौरे के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विचार-विमर्श के लिए उठाए जाने वाले संभावित मुद्दे क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामान्य श्री व्लाडिमिर पुतिन अक्तूबर 2000 के पहले दस दिनों में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा के लिए परस्पर सुविधाजनक तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) भारत-रूस संबंध निरन्तरता, विश्वास और आपसी समझ-बूझ पर आधारित हैं तथा उन्हें सामरिक भागीदारी में सुदृढ़ किया जा रहा है। ये संबंध बहुफलकीय और बहुआयामी हैं जिसमें राजनीतिक, वाणिज्यिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों के सभी क्रियाकलाप शामिल हैं। रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान उन उपायों को तय करने के लिए चर्चाएं

की जाएंगी जो आपसी लाभ के लिए इन सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा उनमें विविधता लाने के लिए आवश्यक हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी से सम्बद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर होंगे।

मत्स्य पालन में आने वाली समस्या

1557. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में मत्स्य पालन में आने वाली समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात से प्राप्त ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया था:

(1) यूरोपीयन मानकों के अनुकूल तथा छोटे पत्तनों के विकास के लिए पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष अनुदान।

(2) कल्याण योजनाओं के लिए राजसहायता की सीमा में वृद्धि करना।

(3) पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों के परिवारों को सहायता।

(4) गुजरात के मछुआरों के मिट्टी के तेल और डीजल कोटे में वृद्धि करना।

(5) जूनागढ़ जिले के नावा बंदरगाह पर मछली उतारने संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

(6) कच्छ जिले की जखाऊ मात्स्यिकी बंदरगाह परियोजना।

(7) ओखा मात्स्यिकी बंदरगाह।

(8) पाकिस्तान द्वारा मछुआरों को पकड़ना।

(9) गुजरात सरकार को जी आर पी प्रौद्योगिकी के आयात पर राजसहायता देना।

(10) गुजरात तट से जुड़ी सी रैंचिंग पर पायलट परियोजना को राजसहायता देना।

(11) आदर्श मछुआरा गांव योजना की शर्तें और निबंधनों में संशोधन करना।

(12) एफ एफ डी ए को सहायता देने की पद्धति को सुधारना।

(13) आपदा चेतावनी के लिए मछुआरों के लिए संचार व्यवस्था।

इन मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

1. मात्स्यिकी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह सुविधाओं संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वयनाधीन है। सुविधाओं को आधुनिक बनाने तथा स्वास्थ्य और सफाई संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करने के उद्देश्य से मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी एक घटक को शामिल किया गया है। इस घटक के तहत, वाटर प्रूफ फ्लोरिंग की व्यवस्था, नीलामी क्षेत्र में बचाव के लिए दीवारों का निर्माण तथा जल आपूर्ति को बढ़ाना आदि कार्य शुरू किये जा सकते हैं। इस संबंध में गुजरात सरकार से प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

2. कल्याण योजना पर राजसहायता

आदर्श मछुआरा गांव संबंधी घटक में संशोधन किया गया है और लागत सीमा को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है।

दुर्घटना बीमा योजना को संशोधित किया गया है तथा अब मछुआरों के लिए मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए 50,000 रुपए तथा आंशिक विकलांगता के लिए 25,000 रुपए का बीमा किया जाएगा।

3. पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों के परिवारों को सहायता

इस संबंध में गुजरात सरकार से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

4. गुजरात के मछुआरों को मिट्टी के तेल तथा डीजल के कोटे में वृद्धि करना

पेट्रोलियम मंत्रालय का विचार है कि मिट्टी के तेल का उपयोग प्रमुख रूप से घरेलू कार्यों के लिए होता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार को वर्तमान आबंटन से ही काम चलाना होगा तथा मात्स्यिकी के लिए आबंटित कोटा राज्य सरकारों के विवेक पर है। यांत्रिकृत मत्स्यन नौकाओं द्वारा खरीदे गए एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है तथा योजना का संशोधन मूल्यांकन अध्ययन की उपलब्धियों पर निर्भर होगा।

5. नावा बंदर मछली उतारने वाला केन्द्र

राज्य सरकार ने नए चुनिन्दा स्थल पर मछली उतारने वाले केन्द्र के लिए 141.32 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक संशोधित प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है तथा इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

6. जखाऊ मत्स्यन बंदरगाह

गुजरात के कच्छ जिले में छोटे मत्स्यन बंदरगाह को एक विशेष मामले के रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ मई, 1993 में 1143.60 लाख रुपए की लागत से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन मंजूरी मिली थी क्योंकि यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल था और भारत सरकार ने पूर्ण धनराशि जारी कर दी है। तथापि, गुजरात सरकार ने समय बीत जाने के कारण 3319.34 लाख रुपए के संशोधित लागत अनुमान की राशि भेजी है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि संशोधित लागत को इसलिए मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि परियोजना को 1993 में इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई थी कि यदि किसी भा कारण से लागत अधिक हो जाती है तो वह राज्य सरकार द्वारा ही वहन की जाएगी।

7. ओखा मत्स्यन बंदरगाह

केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सी आई सी ई एफ) बंगलौर ने ओखा मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए 21.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। परियोजना का लागत अनुमान राज्य सरकार की 1997-98 की दरों की सूची के आधार पर था। प्रस्ताव की जांच की गई है और राज्य सरकार से दरों की मौजूदा सूची पर आधारित लागत अनुमान को तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

8. पाकिस्तान द्वारा मछुआरों को पकड़ना

तट रक्षकों के लिए संचार सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना पहले से ही इस उद्देश्य के साथ क्रियान्वित की जा रही है कि वे देश के समुद्री क्षेत्रों में गश्त करने योग्य बन सकें।

9. जी आर पी प्रौद्योगिकी के आयात पर राजसहायता देना

इस संबंध में गुजरात सरकार से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

10. गुजरात तट के सात समुद्री बाड़ों पर पायलट परियोजना को राजसहायता देना

इस संबंध में गुजरात सरकार से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

11. आदर्श मछुआरा गांव योजना की शर्तें और निबंधन

गांव में फैले हुए घरों के निर्माण के लिए राजसहायता देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में सामान्य सुविधाएं अनुमत्य नहीं हैं।

12. मत्स्य कृषक विकास एजेंसी

"ताजा जल जलकृषि" विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को वर्ष 2000-2001 से आगे के लिए संशोधित कर दिया गया है। केन्द्रीय सहायता की पद्धति में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक परिवर्तन किया गया है तथा विभिन्न मदों की इकाई लागत में संशोधन किया गया है और तीव्र विकास के लिए कुछ नए घटकों को शामिल किया गया है।

13. आपदा चेतावनी के लिए मछुआरों को संचार व्यवस्था

इस संबंध में गुजरात सरकार से अभी विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होना है।

नारियल तन्तु उद्योग

1558. डा. सी. कृष्णन: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोल्लाची स्थित कई लघु नारियल तन्तु उद्योगों को देखते हुए वहां बड़े पैमाने का कोई नारियल तन्तु उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कयर बोर्ड अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं करता है। तथापि, कयर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानव संसाधन

1559. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्कम में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत राज्य-वार और परियोजना-वार कितना निवेश किया गया है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में और सिक्किम के मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार का कौन-कौन से कदमों को उठाने का विचार है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में और सिक्किम में कितने तकनीकी संस्थान हैं;

(घ) इस क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों की बढ़ती संख्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) गत 3 वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास पर राज्य-वार और स्कीम-वार योजना व्यय को दर्शाने वाली तालिकाएं विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में मानव संसाधनों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद को मजबूत करना।

(2) अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष डिप्लोमा कार्यक्रम (प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा) शुरू किया गया है।

(3) विज्ञान शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायिकीकरण, बालिका विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता और अपंग बच्चों की एकीकृत शिक्षा में सुधार के लिए भी एनईआर में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक में केन्द्रीय मध्यस्थता की गई है।

(4) प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत 55 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 32 ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(5) नौवीं योजना के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने 6 इंजीनियरिंग कालेज, 90 पोलिटैक्निक, एमबीए के लिए 6 कालेज और एम सी ए के लिए 3 कालेज स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है।

(6) विश्व बैंक और यूरोपीय यूनियन की वित्तीय सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी), निम्न महिला साक्षरता दर वाले सभी 9 जिलों को सम्मिलित करते हुए असम में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(7) आई आई टी गुवाहाटी, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम विश्वविद्यालय का दीफू कैम्पस, काटन कालेज, नागालैण्ड विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के आधारिक संरचना विकास हेतु गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से निधियाँ आबंटित की गई हैं।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में तकनीकी संस्थानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

	राज्यों के नाम	सामान्य शिक्षा के लिए कालेज	व्यावसायिक शिक्षा	विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय महत्व वाले विश्वविद्यालय और संस्थान
1.	अरुणाचल प्रदेश	7	1	1
2.	असम	265	33	6
3.	मणिपुर	50	3	2
4.	मेघालय	33	1	1
5.	मिजोरम	27	2	0
6.	नागालैंड	29	1	1
7.	त्रिपुरा	16	4	1
8.	सिक्किम	2	1	1

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्र सरकार ने गुवाहाटी में एक आईआईटी, सिलचर में एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज और इटानगर में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईएसटी) स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए शेष देश में विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों और पौलिटैक्निकों में डिग्री स्तर पर 612 सीटें और डिप्लोमा स्तर पर 307 सीटें आरक्षित की गई हैं।

(घ) और (ङ) नियमित मजदूरी रोजगार कम होने के कारण शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के कार्य अवसर तलाश करने पड़ते हैं और ये अधिकांश अवसर अनौपचारिक क्षेत्रक अथवा असंगठित क्षेत्रक में हैं। अत: विशेष रूप से उच्च आय वृद्धि अवस्थितियों में अनौपचारिक क्षेत्रक पर बल दिया गया है। अधिक तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जहां रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है, प्रदान करने के लिए शिक्षा नीति का पुन:अभिमुखीकरण किया गया है। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ी संख्या को समाहित करने के लिए बागवानी पौध फसलों चाय, रबड़, काफी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण I

वार्षिक योजनाओं (1997-2000) के दौरान मानव संसाधन विकास पर वास्तविक व्यय
पूर्वोत्तर क्षेत्र

(लाख रु.)

	राज्य	1997-98				
		सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	खेल और युवा सेवाएं	कला एवं संस्कृति	जोड़
	1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	6069.66	–	250.00	249.01	6568.67
2.	असम	38557.92	1449.80	127.82	587.38	40723.02

	1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	2383.29	104.44	2864.47	163.58	5515.78
4.	मेघालय	3625.00	60.00	338.03	218.62	4241.65
5.	मिजोरम	2128.77	75.24	99.45	81.66	2385.12
6.	नागालैण्ड	1202.52	63.27	166.63	46.66	1479.08
7.	त्रिपुरा	5991.77	10.77	178.80	31.75	6213.09
8.	सिक्किम	2556.49	11.71	71.94	186.36	2826.50

अरुणाचल प्रदेश: सामान्य शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण II

वार्षिक योजनाओं (1997-2000) के दौरान मानव संसाधन विकास पर वास्तविक व्यय

पूर्वोत्तर क्षेत्र

(लाख ₹

	राज्य	1997-98 सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	खेल और युवा सेवाएं	कला एवं संस्कृति	जोड़
1.	अरुणाचल प्रदेश	6144.23	–	181.49	186.825	6512.55
2.	असम	38123.19	2259.20	308.77	526.23	41217.39
3.	मणिपुर	2326.00	110.00	3501.81	183.00	6120.81
4.	मेघालय	3720.47	28.00	433.72	255.18	4437.37
5.	मिजोरम	2300.19	69.65	77.00	74.23	2521.07
6.	नागालैण्ड	1519.00	84.47	283.69	100.16	1988.22
7.	त्रिपुरा	6640.80	15.49	180.32	23.97	6860.58
8.	सिक्किम	4413.09	56.65	99.06	182.39	4751.19

अरुणाचल प्रदेश: सामान्य शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण III

वार्षिक योजनाओं (1997-2000) के दौरान मानव संसाधन विकास पर वास्तविक व्यय

	राज्य	1997-98 *सामान्य शिक्षा*	*तकनीकी शिक्षा*	*खेल और* युवा सेवाएं	कला एवं संस्कृति	जोड़
	1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	7188.52	–	208.00	.222	7618.52

1	2	3	4	5	6
2. असम	39279.00	2481.00	594.00	1040.00	43394.00
3. मणिपुर	4539.53	358.66	663.06	492.32	6053.57
4. मेघालय	41509.00	60.00	450.00	300.00	4960.00
5. मिजोरम	3123.00	90.00	190.00	100.00	3503.00
6. नागालैण्ड	1493.55	106.00	314.00	115.00	2028.55
7. त्रिपुरा	9158.19	11.80	133.83	31.98	9335.80
8. सिक्किम	3150.00	40.14	120.00	169.00	3479.14

अरुणाचल प्रदेश: सामान्य शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के आंकड़े भी शामिल हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

1560. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:
श्री अशोक प्रधान:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सांसदों के मंच ने 17-12-1996, 1-9-1997 तथा 23-7-1998 को प्रधानमंत्री को सौंपे प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रशासन में उच्च पदों पर पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों में कुलपतियों तथा इसके समकक्ष पदों की कुल संख्या कितनी है तथा एक जनवरी, 1996 तक ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति आसीन थे तथा कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना था;

(ग) 1.1.97 से ऐसे पदों पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया तथा इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं तथा ऐसी कुल नियुक्तियों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है;

(घ) इन पदों के लिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु समितियों/बोर्डों के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसका स्वरूप क्या है, तथा ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या प्रावधान हैं; और

(ङ) यदि कोई प्रावधान नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) परिषद की जानकारी में नहीं है।

(ख) दिनांक 1.1.96 की स्थिति के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 28 पद मानद विश्वविद्यालयों के रूप में राष्ट्रीय संस्थानों के चार निदेशक और इम्फाल में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति स्तर का एक पद है। 33 में से एक कुलपति (3%) अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं।

(ग) दिनांक 1.1.1997 से अब तक 20 कुलपतियों को नियुक्त किया गया इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं था।

(घ) कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियम के अंतर्गत गठित जांच समिति/पैनल के आधार पर की जाती है। इन समितियों/बोर्डों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों का चयन कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा किया जाता है।

(ङ) प्रत्येक विश्वविद्यालय के विधान के प्रावधान के अनुसार चयन समितियों का गठन किया जाता है। उच्च स्तर के अकेले पद के लिए सैक्टरवार आरक्षण लागू नहीं होता।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

1561. श्री सवजीभाई मकवाना: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार अहमदाबाद और गांधीनगर जिला औद्योगिक केन्द्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन्हें लंबित रखने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र, अहमदाबाद और गांधी नगर में ऋण के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या क्रमश: 311 और 40 थी।

(ख) आवेदन-पत्रों के संबंध में प्रक्रिया (कार्यवाही) जिला उद्योग केन्द्र कार्य-दल समिति द्वारा अपनी बैठक में की जाती है जोकि सामान्यत: महीने में दो बार होती है न कि रोजमर्रा आधार पर। लम्बित आवेदन-पत्रों के संबंध में कार्यवाही मई, 2000 मास में प्राप्त नए आवेदन-पत्रों के साथ की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

1562. श्री पवन सिंह घाटोवार:
श्रीमती रानी नरह:

क्या **जल-संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में बाढ़ नियंत्रण और भू-क्षरण को रोकने के लिए कोई मास्टर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) असम में बाढ़ तथा मृदा कटाव रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा तथा इसकी वितरणियों, बराक और इसकी वितरणियों की मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। पता लगाये गये गम्भीर कटाव वाले क्षेत्र हैं, मथाला, औंकलैंड, मोहनघाट, दिसांगमुख, नियामतीघाट, मोरियाहो, दक्षिण सालमारा, गुमी, पलाशबारी, गोलपारा, फकीरगंज, दक्षिणी तट पर अलीकाश और माजौली, विश्वनाथ, सिलगुड़ी, सोआलकुची, हतिमोरा, उत्तरी तट पर मुकुलमुआ और बाहरी।

(ग) मास्टर योजना में सुझाये गये सुधारात्मक उपाय हैं- तटबंध का निर्माण, विद्यमान तटबंधों को ऊंचा उठाना तथा सुदृढ़ करना, कटावरोधी उपाय करना, जल निकास विकास स्कीमें बनाना, जल विभाजक प्रबंध, बहुउद्देशीय जलाशय परियोजनाओं का निर्माण, बाढ़ मैदान जोनिंग तथा बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का उन्नयन करना।

ये मास्टर योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई हैं। राज्य सरकारें राज्य योजना निधियों तथा केन्द्रीय सहायता से अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी तथा जल निकास विकास उपाय कार्यान्वित कर रही हैं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) तथा पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम (नीपको) ने दीर्घकालीन उपाय के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ बहुउद्देशीय जलाशय परियोजनाएं शुरू की हैं।

कृषि संबंधी संगणना

1563. डा. वी. सरोजा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछली कृषि संबंधी संगणना कब हुई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दूसरी संगणना कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) 1970-71 से ही देश में पांच वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से कृषि संगणनाएं आयोजित की जा रही हैं। अब तक, पांच कृषि संगणनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा वर्ष 1995-96 (जुलाई-जून) को संदर्भ वर्ष मानते हुए छटी कृषि संगणना पूरी होने की प्रक्रिया में है। सिद्धान्त रूप में सरकार

ने वर्ष 2000-2001 को संदर्भ वर्ष मानते हुए अगली कृषि संगणना आयोजित करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। इस संगणना को राज्य सरकारों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा तथा इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। फिलहाल यह संगणना नियोजन के चरण में है तथा आंकड़े एकत्र करने का वास्तविक क्षेत्रगत कार्य (फील्ड वर्क) जून, 2001 से आरम्भ किया जाएगा। संगणना के प्रथम चरण में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि जोतों की संख्या तथा क्षेत्र संबंधी आकार समूह-वार, लिंग-वार और सामाजिक समूह-वार आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। संगणना के द्वितीय चरण में जोतों के विवरण, काश्तकारी विवरण, भू-उपयोग, फसल प्रतिमान, सिंचाई स्थिति, पम्प-सेटों, कुओं व ट्यूबवैलों आदि की संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। संगणना का प्रथम चरण देश की सम्पूर्ण जोतों के लिए है जबकि चरण-II 20 प्रतिशत नमूना गांवों में किया जाता है।

[हिन्दी]

कपास मिलों की स्थापना

1564. श्री उत्तमराव पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में नयी मिलों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की भूमिका मददगार (फैसीलिटेटर) की है तथा यह अपनी स्वयं की कपड़ा मिलें स्थापित नहीं करती।

पासपोर्ट हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

1565. प्रो. दुखा भगत:
श्री सुल्तान उल्लाउद्दीन ओवेसी:
श्री अशोक अर्गल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित आवेदन-पत्रों की कार्यालय-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट कार्यालय-वार और वर्षवार कुल कितने पासपोर्ट जारी किये गये हैं;

(ग) पासपोर्टों को जारी करने में औसतन कितना समय लिया गया है;

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटा लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या पिछले वर्ष हैदराबाद पासपोर्ट कार्यालय में प्रायोगिक आधार पर पासपोर्ट अदालतों को शुरू किया गया था;

(च) यदि हां, तो इन अदालतों को कितनी सफलता मिली है;

(छ) क्या सभी पासपोर्ट कार्यालयों ने ऐसी अदालतों को शुरू किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा कुल ऐसी कितनी अदालतें लगाई गई हैं और इन्होंने कितने मामले सुलझाए हैं; और

(ञ) सरकार द्वारा पासपोर्ट को जारी करने के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विवरण-II के रूप में ब्यौरा संलग्न है।

(ग) पासपोर्ट के लिए आवदेन प्राप्त होने की तारीख से पासपोर्ट जारी किये जाने में सामान्यत: 35 दिन का समय लगता है। तथापि, अनेक कारणों जैसे पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब, आवेदकों द्वारा दी गयी अधूरी सूचना आदि की वजह से कुछ पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में 35 दिन से अधिक का समय लगा है।

(घ) यह मंत्रालय साप्ताहिक बकाया विवरणी के द्वारा प्रत्येक कार्यालय में लंबित आवेदनों की संख्या पर निगाह रखता है तथा जिन कार्यालयों में आवेदन लंबित हैं उन्हें यथासम्भव कम से कम समय में आवेदनों का निपटान करने के लिए निदेश दिये जा रहे हैं।

विवरण II

1997, 1998 और 1999 के दौरान जारी किए गये पासपोर्ट

		1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	143866	153773	179094
2.	बंगलौर	90637	98365	131472
3.	बरेली	44030	44257	55944
4.	भोपाल	25607	32408	38808
5.	भुवनेश्वर	8808	11075	14441
6.	कलकत्ता	72869	72940	86099
7.	चंडीगढ़	96599	101237	122326
8.	चेन्नई	148411	134580	174014
9.	कोचीन	104522	110022	117057
10.	दिल्ली	154652	159584	168171
11.	गाजियाबाद	पासपोर्ट कार्यालय नहीं खुला था	9741	20103
12.	गुवाहाटी	11251	12859	14001
13.	हैदराबाद	236222	195441	212141
14.	जयपुर	58722	60078	73292
15.	जालंधर	91627	98291	120549
16.	जम्मू	9600	6695	7595
17.	कोजीकोड	146181	134133	164771
18.	लखनऊ	111291	101646	168171
19.	मुम्बई	271556	308091	274838
20.	नागपुर	14282	17683	18303
21.	पणजी	17522	18384	19197
22.	पटना	53942	59267	54395
23.	पुणे	पासपोर्ट कार्यालय नहीं खुला था	1894	17759

1	2	3	4	5
24.	श्रीनगर	800	5417	8866
25.	ठाणे	7323	9687	15522
26.	त्रिची	188283	134775	163089
27.	त्रिवेन्द्रम	88409	82838	89238
28.	विशाखापत्तनम	29400	47625	50857
	योग	22,26,412	22,22,786	25,80,113

विवरण III

पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा लगाई जाने वाली पासपोर्ट अदालतों का ब्यौरा

पासपोर्ट कार्यालय/ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम		अदालतों की संख्या	पासपोर्ट अदालतें लगायी जाने की तारीख
1.	अहमदाबाद	1	8.9.99 महीने में एक बार
	बंगलौर	8	7/99, 12/99 19-20/2/2000 और 27.5.2000
3.	कलकत्ता	1	26.3.99
4.	चंडीगढ़	1	24.6.2000
5.	चेन्नई	1	17.2.2000
6.	कोचीन	1	20.8.1999
6.	दिल्ली	1	11.3.2000
8.	गाजियाबाद	1	29.11.99
9.	हैदराबाद	1	24.3.99 और 29.3.200
10.	जयपुर	1	7.3.2000
11.	जालंधर	1	7.8.99
12.	कोजीकोड	7	14.8.99, 10.2.2000 22.3.2000, 28.3.20000 13.4.2000, 4.5.2000 और 24.5.2000
13.	मुम्बई	1	21.8.99
14.	श्रीनगर	8	5-7/12/98, 8-12/12/99 8-15/12/99, 9-16/12/99 11-8/12/99, 20-28/12/99 22-29/12/99 और 29-31/12/99
15.	त्रिवेन्द्रम	2	18.8.99 और 17.2.2000

सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु भारत का दावा

1566. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को अमरीका से प्राप्त होने वाली इस अद्यतन समाचार की जानकारी है कि हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति भारत को सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता हेतु नामित करने के पक्ष में हैं; लेकिन इस प्रक्रिया में मुख्य अड़चन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समाचारों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रश्नगत सूचनाएं एक वक्तव्य पर आधारित हैं जो अमरीका में एक निजी फाउन्डेशन द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा दी गई थी। जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया जा रहा है वह अमरीकी सरकार का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है तथा प्रेस में आने वाली गैर-सरकारी रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण की मांग करना भारत सरकार की नीति नहीं है।

सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अमरीका उन अनेक देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक सुरक्षा परिषद के विस्तार के संबंध में कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। अमरीका के किसी भी आधिकारिक वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के लिए भारत की उम्मीदवारी के मसले को कश्मीर से संबद्ध सुरक्षा परिषद संकल्प से नहीं जोड़ा गया है।

पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध

1567. श्री अखिलेश यादव: क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के बार में जम्मू तथा कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए किसी सुझाव की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों हेतु शीतागार

1568. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री पोन राधाकृष्णन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में समुद्री उत्पादों हेतु शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में आगामी योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं। राज्यों में समुद्री उत्पादों के लिए बर्फ भण्डारण सुविधा प्रदान करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अलमाटी बांध

1569. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊपरी कृष्णा परियोजना के अंतर्गत अलमाटी बांध का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप किन-किन क्षेत्रों में पानी भर जाने की संभावना है;

(ग) उक्त परियोजना के निर्माण से कर्नाटक के कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) हरियाणा और पंजाब राज्यों की सम्मिलित सतलज-यमुना संपर्क नहर का निर्माण कार्य, कर्नाटक में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की सम्मिलित कृष्णा नदी पर अपर कृष्णा परियोजना चरण-2 (अलमट्टी बांध) का निर्माण कार्य और गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित अन्तर्राज्यीय नदी नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण संबंधी कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद के कारण निर्माण योजना के अनुसार प्रगति नहीं हुई है। कर्नाटक में अपर कृष्णा परियोजना चरण-2 के तहत अलमट्टी बांध की और अधिक ऊँचाई बढ़ाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.4.2000 को निर्णय दिया है। अन्य दो परियोजनाओं के निर्माण का मामला और इससे संबंधित मामले, या तो पक्षकार राज्यों द्वारा अथवा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

सी.एस.एस. अधिकारियों से संबंधित स्थानान्तरण नीति

1573. श्री संतोष मोहन देव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवर सचिव और इसके उच्च स्तर के कई सी.एस.एस. अधिकारी पिछले 15-20 वर्षों से एक ही मंत्रालय में एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में अवर सचिव और इससे उच्च स्तर के सी.एस.एस. अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या आर्थिक विषयों से जुड़े मंत्रालय में 7 वर्ष और उससे अधिक वर्षों तक पद धारण करने वाले अधिकारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कुछ अधिकारी इस समय वैयक्तिक उन्नयन पर उप सचिवों के रूप में एक ही मंत्रालय/विभाग में लगभग 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वे अधिकारी जिन मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत हैं, वहां इनको सौंपे गए कार्य की सूचना, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए एक स्थानांतरण नीति तैयार की है तथा उस नीति में विभिन्न स्तरों पर निर्धारित कार्यावधि इस प्रकार है:-

अवर सचिव	:	7 वर्ष
उप सचिव	:	7 वर्ष
निदेशक	:	5 वर्ष
संयुक्त सचिव	:	5 वर्ष

(घ) स्थानांतरण नीति शुरू होने पर इसमें निर्धारित नीति के अनुसार, स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में प्रशासनिक असुविधा से बचते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने थे। तद्नुसार, विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों की सूचियां तैयार कर ली गई हैं तथा संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशें अभी प्राप्त कर ली गई हैं।

(ङ) से (छ) आर्थिक मंत्रालयों और गैर-आर्थिक मंत्रालयों के बीच भेद की कोई सुनिश्चित तथा अंगीकृत परिभाषा नहीं है। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य के विनियामक स्वरूप की सामान्य धारणा तथा निष्पादित कार्य के आर्थिक/विकासात्मक स्वरूप पर आधारित सूचना को, सिविल सेवा बोर्ड द्वारा स्थानांतरणों की सिफारिश करते समय यथासंभव ध्यान में रखा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्व-रोजगार योजना

1574. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी स्व-रोज़गार योजनाएं तथा कार्यक्रमों को तैयार एवं क्रियान्वित किया गया;

(ग) से (च) 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के मछुआरा ग्राम विकास घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कुल 4460 घर, 250 ट्यूबवेल और 15 सामुदायिक हॉल मंजूर किए थे। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 177.20 लाख रुपये की राशि भी जारी की गई थी। इस घटक के अंतर्गत जिन घरों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाता है, वे सामान्यत: एक से अधिक वित्तीय वर्ष में पूरे होते हैं। केन्द्रीय सहायता भी तदनुसार ही जारी की जाती है। 1997-98 से पहले स्वीकृत घरों में से राज्य सरकार ने अब तक 811 घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता की हिस्सेदारी के रूप में उन्हें जारी 177.20 लाख रुपये की राशि का इस्तेमाल नहीं किया है जो संभवत: बजट संसाधनों की कमी के कारण हुआ है।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत का विकास

1571. **प्रो. रासासिंह रावत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु विद्युत के क्षेत्र में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परमाणु विद्युत के विकास पर कितना धन खर्च किया गया;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों द्वारा देश की परमाणु उपलब्धियों को पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी गई है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परमाणु विद्युत के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारत ने परमाणु विद्युत संयंत्रों के अभिकल्पन, विनिर्माण, निर्माण प्रचालन एवं अनुरक्षण में स्वदेशी स्तर पर व्यापक क्षमता हासिल कर ली है, मुख्य विशिष्ट उपलब्धियां हैं: (1) वित्त वर्ष 1999-2000 में 80% की हाल ही की उपलब्धि सहित परमाणु विद्युत संयंत्रों के क्रमिक रूप से बढ़ते हुए क्षमता गुणक; (2) 500 मेगावाट के दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्ल्यू.आरस.) के लिए स्वदेशी स्तर पर प्रौद्योगिकी का विकास; (3) प्रचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और अपग्रेडेशन अर्थात् राजस्थान परमाणु बिजलीघर की यूनिट-2 (आर.ए.पी.एस.-2) के शीतलक चैनलों को बदलने और उसको अपग्रेड करना, आर.ए.पी.एस-1 में अति दाब मोचन युक्ति (ओ.पी.आर.डी.) की मरम्मत करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना और उसे काम में लाना।

(ख) परमाणु विद्युत के विकास के लिए वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान व्यय की गई धनराशि क्रमश: 747.28 करोड़ रुपये, 854.66 करोड़ रुपये और 958.55 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां, परमाणु विद्युत के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मान्यता मिली है। भारत, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स (डब्ल्यू. ए.एन.ओ.) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आइ.ए.ई.ए.) और कांडू ओनर्स ग्रुप (सी.ओ.जी.) का सदस्य है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेता है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए 5498.50 करोड़ रुपये का परिव्यय जिसमें बजटीय सहायता का अंश 3350.00 करोड़ रुपये है, अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

अंतर-राज्यीय जल विवाद

1572. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अनंत गुढ़े:
श्री चिंतामन वनगा:
श्री जय प्रकाश:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कितने अन्तर-राज्यीय जल विवाद निपटारे हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विवादों को निपटाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) हरियाणा और पंजाब राज्यों की सम्मिलित सतलज-यमुना संपर्क नहर का निर्माण कार्य, कर्नाटक में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की सम्मिलित कृष्णा नदी पर अपर कृष्णा परियोजना चरण-2 (अलमट्टी बांध) का निर्माण कार्य और गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित अन्तर्राज्यीय नदी नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण संबंधी कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद के कारण निर्माण योजना के अनुसार प्रगति नहीं हुई है। कर्नाटक में अपर कृष्णा परियोजना चरण-2 के तहत अलमट्टी बांध की और अधिक ऊँचाई बढ़ाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.4.2000 को निर्णय दिया है। अन्य दो परियोजनाओं के निर्माण का मामला और इससे संबंधित मामले, या तो पक्षकार राज्यों द्वारा अथवा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन हैं।

1573. श्री संतोष मोहन देव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवर सचिव और इसके उच्च स्तर के कई सी.एस.एस. अधिकारी पिछले 15-20 वर्षों से एक ही मंत्रालय में एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में अवर सचिव और इससे उच्च स्तर के सी.एस.एस. अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति बनाई है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या आर्थिक विषयों से जुड़े मंत्रालय में 7 वर्ष और उससे अधिक वर्षों तक पद धारण करने वाले अधिकारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरण किए जाने का प्रस्ताव है;

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कुछ अधिकारी इस समय वैयक्तिक उन्नयन पर उप सचिवों के रूप में एक ही मंत्रालय/विभाग में लगभग 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वे अधिकारी जिन मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत हैं, वहां इनको सौंपे गए कार्य की सूचना, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए एक स्थानांतरण नीति तैयार की है तथा उस नीति में विभिन्न स्तरों पर निर्धारित कार्यावधि इस प्रकार है:-

अवर सचिव	:	7 वर्ष
		7 वर्ष
		5 वर्ष
		5 वर्ष

(घ) स्थानांतरण नीति शुरू होने पर इसमें निर्धारित नीति के अनुसार, स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में प्रशासनिक असुविधा से बचते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने थे। तद्नुसार, विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों की सूचियां तैयार कर ली गई हैं तथा संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशें अभी प्राप्त कर ली गई हैं।

(ङ) से (छ) आर्थिक मंत्रालयों और गैर-आर्थिक मंत्रालयों के बीच भेद की कोई सुनिश्चित तथा अंगीकृत परिभाषा नहीं है। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य के विनियामक स्वरूप की सामान्य धारणा तथा निष्पादित कार्य के आर्थिक स्वरूप पर आधारित सूचना को, सिविल सेवा बोर्ड द्वारा की सिफारिश करते समय यथासंभव ध्यान में रखा गया है।

1574. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी स्व-रोजगार योजनाएं तथा कार्यक्रमों को तैयार एवं क्रियान्वित किया गया;

(ख) क्या इन चल रही उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार शिक्षित/अशिक्षित युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

1575. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार उक्त संस्थान के लिए आवश्यक भूमि और भवन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट कार्यालयों को पुलिस विभाग के साथ जोड़ा जाना

1576. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री पुष्प जैन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट कार्यालयों को पुलिस विभाग के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने पासपोर्ट कार्यालयों को जोड़े जाने का लक्ष्य है;

(घ) इस पर अनुमानित रूप से कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में कितने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार विदेश जाने वाले यात्रियों को यात्रा से संबंधित दस्तावेज विमानपत्तनों पर ही सौंप देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। सरकार ने कुछ राज्यों में संपर्क लाईन के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट के अपेक्षाकृत तीव्र संचारण का प्रयास करने के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रस्ताव किया है।

(ख) इस प्रस्ताव में पासपोर्ट कार्यालय और पुलिस विभाग के बीच आन लाईन आदान-प्रदान संदेशों के माध्यम से पुलिस रिपोर्टों के प्राप्त होने का प्रावधान है।

(ग) यह परियोजना प्रायोगिक चरण पर पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद में आरम्भ की गई है।

(घ) इसमें कोई अत्यधिक व्यय का अनुमान नहीं है, चूंकि पासपोर्ट कार्यालय और आन्ध्र प्रदेश पुलिस प्राधिकारियों के पास हार्डवेयर पहले ही उपलब्ध है।

(ङ) सरकार इस वर्ष कोई नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार नहीं कर रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड

1577. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड (एन.एच.बी.) ने बोर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक गारन्टी के बिना ही गैर-सरकारी लिमिटेड कंपनियों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसके कारण 90.60 लाख रु. का वित्तीय नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) देश में बागवानी के समेकित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी उत्पादों के उत्पादन से लेकर फसलोपरांत प्रबंध तक के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस बोर्ड ने सहकारी समितियों/किसान संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/निगमित तथा निजी क्षेत्रों/राज्य कृषि उद्योग निगमों आदि को ऋण/सरल ऋण राजसहायता देकर बागवानी के समग्र विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमें आरम्भ की हैं। जाली/गायब बैंक गारंटी से संबंधित दो मामले ध्यान में लाये गये हैं। एक मामले में अपनी स्कीम यथा फलों के रस/फल आधारित शीतल पेय के विपणन के लिए वैकल्पिक ढांचे संबंधी स्कीम के अंतर्गत 50 जूस बेचने वाली मशीनों की खरीद तथा उनको लगाने के लिए 9,37,500 रुपये का ऋण तथा 3,12,500 रुपये की राजसहायता प्रदान की है। अन्य मामले में इसने अपनी योजना यथा बागवानी फसलों के कटाई पश्चात की अवसंरचनाओं के प्रबंध से संबंधित समेकित परियोजना के अंतर्गत फसलोपरांत बुनियादी सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज, प्रिकूलिंग यूनिट, प्रशीतित वाहनों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए 49.68 लाख रुपये का सरल ऋण तथा प्लास्टिक केन्द्रों की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपये की राजसहायता प्रदान की है। उपर्युक्त मामलों की जांच के लिए बोर्ड ने भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी है। पुलिस की जांच के बाद दोनों मामलों में संबंधित न्यायालयों में आपराधिक मामले दायर किए गये हैं। बोर्ड ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की धनराशि तथा ब्याज की वसूली के लिए दोनों मामलों में दीवानी मामले भी दायर किए हैं। संबंधित न्यायालयों में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है और ये मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1578. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधित नीति की समीक्षा करने का है और इस प्रयोजनार्थ एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी पर बृहत नीति तैयार करने के उद्देश्य से डा. के. गोपकुमार, उप महानिदेशक (मात्स्यिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में 28.12.1999 को एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। विचारणीय विषयों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा करना शामिल है जो मुरारी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शुरू की गई है। विशेषज्ञ दल के विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दिए गये हैं और उम्मीद है कि समिति अपनी रिपोर्ट 30.9.2000 तक प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

विशेषज्ञ दल के विचारणीय विषय

1. परम्परागत (मोटरीकृत सहित), यांत्रीकृत तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यान द्वारा समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन करने की मौजूदा स्थिति का पता लगाना।

2. अधिक गहरे समुद्र में मछली के छोटे पैमाने वाले क्षेत्र की क्षमता के उन्नयन के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

3. ट्रूना लांग लाइनरों, पर्स सिनरों, स्क्वीड जिगरों, पोल तथा लांग लाइन फिसिंग आदि जैसे क्षेत्रवार संसाधन विशेष गहरे समुद्र मत्स्य बेड़ा निर्धारित करना।

4. मौजूदा मात्स्यिकी गहरे समुद्र में मत्स्य बेड़े की क्षमता का मूल्यांकन करना तथा यदि आवश्यक हो तो संशोधन और पुनर्तैनाती के संबंध में सुझाव देना।

5. समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का आकलन करना तथा उन्हें अभिज्ञात करना।

6. विदेशी मत्स्यन कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम, पट्टा आदि की आवश्यकता का जायजा लेना।

7. समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के मानव संसाधन विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना तथा ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

8. समुद्री मात्स्यिकी के सतत विकास के लिए जिम्मेवार मात्स्यिकी तथा अन्य सार्वभौम पहल के उद्देश्य से आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के उपायों का सुझाव देना।

विलम्बित परियोजनाएं

1579. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **प्रधान मंत्री** तारांकित प्रश्न 621 और अतारांकित प्रश्न संख्या 6826 के बारे में 10 मई, 2000 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के विवादों के समाधान की गति तेज करने के लिए माध्यस्थम् समिति गठित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार विवादों में उलझी पार्टियां और परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्य में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं। सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान बोर्ड के गठन का प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

(ख) निर्माण उद्योग विकास परिषद, जो योजना आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, के अनुसार 37,626 करोड़ रुपये की राशि 8-10 वर्षों से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं में विवादग्रस्त है। इसमें से लगभग 6,160 करोड़ रुपये की राशि न्यायालय के निर्णयाधीन है, 31,466 करोड़ रुपये विवाचनाधीन है तथा लगभग 6,770 करोड़ रुपये की राशि विभागों के पास है।

(ग) और (घ) 31 मार्च, 2000 तक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर 20 करोड़ रुपये तथा अधिक लागत वाली 28 परियोजनाएं, 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यान्वयनाधीन थीं इनमें से 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, एक परियोजना ठप्प हो गई है, 2 परियोजनाएं कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में हैं, तथा शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(31.3.2000 तक) 1.4.1986 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

इकाई: (लागत/व्यय:करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता मूल	अनुमोदित तिथि (संशो.)	शुरू होने की तिथि			लागत		लागत वृद्धि मूल का प्रति (संशो.)	संचयी व्यय 3/2000 तक	वास्तविक प्रगति %
				मूल	संशोधित प्रत्या. (एल.आर.आर.)	संशोधित का प्रति.	मूल अनुमो. (संशो.)	प्रत्याशित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सेक्टर:	परमाणु ऊर्जा										
बीएआरसी		-	1585/12	एन.ए	एन.ए	एन.ए	37.66	49.95	33	-	90.00
	ट्राम्बे वास्ट इंबालिस्ट सैयंत्र महाराष्ट्र	-	1996/01	-	-	एन.ए	49.95	-	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सेक्टर: कोयला											
	बीसीसीएल	3.00	1983/12	1994/03	2001/03	12	199-87	181.94	-9	167.94	-
	पोटकी बलिहारी यूजी	1.00	1997/04	2000/03	-	6	199.87	-	-9		
	धनबाद, बिहार	एमटीबाई									
3.	मधुबंद खदारी	2.50	1985/03	1988/12	2000/03	60	71.91	194.18	170	190.77	100.00
	धनबाद	1.13	1993/10	1995/03	-	50	194.18	-	0		पूर्ण
	बिहार	एमटीबाई									
सीसीएल											
4.	जे.पी. रेल लाइन		1982/02	1985/03	2000/12	42	15.93	48.78	206	35.56	-
	बोकारो, बिहार		1991/03	1997/06	-	23	46.78	-	0	-	
ईसीएल											
5.	झंझरा यूजी	3.50	1982/12	1994/03	2002/03	48	184.55	403.96	119	363.01	-
	बर्दवान	2.00	1995/08	1998/03	-	26	403.96	-	0	-	
	पश्चिम बंगाल	एमटीबाई									
	सतग्राम यूजी	1.20	1976/05	1989/03	2002/03	84	26.37	208.44	690	147.99	-
	बर्दवान	एमटीबाई	1995/12	1995/03	-	44	148.26	-	41	-	
	पश्चिम बंगाल										
डब्ल्यू सी एल											
7.	टंड़सी यूजी	0.90	1985/09	1995/03	2002/03	12	51.58	81.36	58	52.68	-
	छिंदवाड़ा	0.60	1998/08	2001/03	-	6	-	-	58	-	
मध्य प्रदेश	एमटीबाई										
सेक्टर: विद्युत											
	डीवीसी										
8.	पांचेट हिल, एचईपी-2	मेगावाट	1978/01	1983/01	एन.ए	एन.ए	16.03	82.09	412	49.22	- उप्प
	धनबाद, बिहार	40	-	-	-	एन.ए	-	-	412	-	
निपको											
9.	दोयांग एचईपी	मेगावाट	1983/02	1992/06	2000/03	32	96.31	758.70	688	654.22	- पूर्ण
	वोखा	75	1985/03	1992/06	-	18	128.61	-	129		
	नागालैंड		1989/07	1997/07	-	-	331.59				
एनएचपीसी											
10.	दुलहस्ती एचईपी	मेगावाट	1982/11	1990/11	2002/03	12	183.45	3559.77	2840	2501.20	56.00
	डोडा, जम्मू और	390	1989/07	1994/07	-	5	3559.77	-	0		
	कश्मीर		1997/10	2001/03	-	-	3559.77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	कोइलकारो, एचइपी	मेगावाट	1981/06	1999/11	एन.ए	एन.ए	444.45	2368.42	433	33.90	-
	रांची/श्रीनगर	710	1991/11	1999/11	-	एन.ए	1292.82	-	83	-	
	बिहार										
सेक्टर: रेलवे											
	बी.आर.एस.										
12.	द.म.रे. गोदावरी		1980/03	1989/06	एन.ए	एन.ए	29.97	66.79	123	60.18	-
	नदी पर नया पुल		1988/12	1995/12	एन.ए	एन.ए.	एन.ए.	48.06	-	39	
	राजमुंदरी, आन्ध्र प्रदेश										
डक्ट											
13.	श्रीनगर-लिंक-केबिन	आरकेएम	1986/03	1993/12	एन.ए.	एन.ए.	29.81	62.35	109	63.48	-
	मालदा, पूर्व रेल	50	1990/09	1995/12	1999/02	एन.ए.	36.80	-	69		
	बिहार/प. बंगाल										
चौड़ी											
14.	प्रभानी-पुराना-मदखेद-अदिलबाद	किमी	1985/04	1995/03	2000/12	69	181.19	221.97	23	103.30	60.43
	दक्षिण रेल, आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र	244		-	-	58	-	-	23		
एन्ट्रेस											
15.	जम्मू तवी-उधमपुर	किमी	1981/03	1994/03	2001/12	12	50.00	407.74	715	300.87	79.00
	उ.रे.	53.00	1990/03	2000/12	-	5	112.00	-	0	-	-
	जम्मू और कश्मीर						407.74				
16.	जोगीगोपा गुवाहटी,	किमी	1984/03	1994/06	2000/03	12	117.30	637.00	443	639.50	92.00 पूर्ण
	नार्थ फ्रंटियर, असम	143	1990/03	1999/03	-	7	238.93	-	167	-	-
17.	नंगलडाम-तलवार, उ.रे.	किमी	1981/03	1995/03	एन.ए	एन.ए	37.68	210.00	457	34.19	25.00
	पंजाब/हि.प्र.	113	1985/05	-	-	एन.ए	150.00	-	40	-	-
18.	तमलुक दिघा	किमी	1984/03		1997/03	एन.ए	एन.ए	43.72	160.00	266	30.37	29.50
	द.पू.रेल	87	-	-	-	एन.ए	77.13	-	107	-	-
	पश्चिम बंगाल										
19.	गुना-इटावा, म.रे.	किमी	1985/04	1994/03	2003/12	117	158.77	337.33	112	232.99	65.00
	म.प्र./उ.प्र.	348.25	1990/04	-	-	109	248.00	-	36	-	-
20.	बगहा-छितौनी, द.पू.रे.	किमी	1974/04	1994/03	एन.ए	एन.ए	6.74	184.68	2640	93.56	93.00
	उ.प्र./बिहार	28	1989/09	1999/12	-	एन.ए	40.90	-	13	-	-
			1993/01	-	-	एन.ए.	164.09	-	-	-	-
21.	नाडियाड-मोडसा और कापडवंज	किमी	1978/10	1994/12	2000/02	62	902	62.74	596	37.77	77.00
	गुजरात	60.50	1996/02	-	-	32	37.90	-	54	-	-
						40.81	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	इकलाखी-बलुराघाट,	किमी	1986/01	एन.ए	एन.ए	एन.ए	36.80	105.91	188	18.92	12.00
	नार्थ फ्रंटियर रेल,	87.11	1994/04	-	-	एन.ए	105.91	-	0	-	-
	पश्चिम बंगाल										
23.	हावड़ा-अमटा-चंपडंगा,	किमी	1974/04	एन.ए	1999/12	एन.ए	10.72	135.00	1159	29.16	45.00
	द.पू.रे., पश्चिम बंगाल	73.5	-	-	1999/12	एन.ए	-	-	1159	-	-
एफओआईएस											
24.	फटोपेरेशन आधारी संरचना		1984/03	1995/03	2000/04	61	520.00	1098.00	111	208.91	-
	ओरिस, अखिल भारत		1989/11	-	-	46	1098.00	-	0	-	-
डब्ल्यू एस व पीयू											
25.	आरसीएफ, कपूरथला, फेस-2	कोच	1985/08	1992/03	2003/03	132	180.00	359.19	100	367.14	-
	उ.रे., कपूरथला, पंजाब	1000	1989/02	-	-	167	314.57	-	14	-	-
एस व टी											
	वायरलेस सीटीएल सामान्य	बीएसजेड	1986/03	1992/03	2000/03	96	24.08	24.98	4	25.02	100.00
	सियालदह, पू.रे.	-	-	-		133	-	-	4	-	- पूर्ण
	पश्चिम बंगाल										
क्षेत्र-भूतल परिवहन											
आरडी और बीआर											
27.	अहमदाबाद-बड़ोदरा का विस्तार	किमी	1986/01	1991/12	2001/12	120	128.40	445.58	247	198.36	50.91
	वे, जीपीडब्ल्यूडी	92.85	1986/12	1991/12	-	169	137.20	-	225	-	-
	गुजरात										
क्षेत्र-अन्य											
सीपीडब्ल्यूडी											
28.	समान्य पूल, आवासीय	कक्ष सं.	1985/09	1989/09	एन.ए	एन.ए	29.50	62.75	113	1.95	-
	मुंबई, महाराष्ट्र	1016	1995/05	-	-	एन.ए	62.75	-	0	-	-

संकेत:

एलआरपी	अंतिम रिपोर्ट	बीएआरसी	भाभा परमाणु ऊर्जा शोध केन्द्र
बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोलफील्डस लिमिटेड	सीसीएल	केन्द्रीय कोलफील्डस लिमिटेड
ईसीएल	पूर्व कोलफील्डस लिमिटेड	डब्ल्यूसीएल	पश्चिम कोलफील्डस लिमिटेड
डीवीसी	दामोदर वैली कारपोरेशन	निपको	दक्षिण -पूर्व विद्युत पावर कारपोरेशन
एनएचपीसी	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन	बी और एस	पुल और सेवा
डब्ल	डबलिंग	एफओआईएस	फ्रेट आपरेशन इनफारमेशन सिस्टम
जीसी	गेज कन्वर्जन	डब्ल्यूएस और पीयू	वर्कशाप और उत्पादन इकाई
		एस आर टी	सिगनल और दूरसंचार

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त आयोग

1580. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अब तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त आयोग को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयोग ने प्रत्येक राज्य को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ग) राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य-वार कितने ऋण वितरित किए गए;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयोग द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु अपनाई जाने वाली जटिल प्रक्रिया के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर रोक लगाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त आयोग" नामक कोई एजेंसी नहीं है।

भारत सरकार द्वारा अब तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम की इक्विटी में 177.00 करोड़ रुपये की राशि का अंशदान किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाएं/कार्यक्रम 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित निधियां तथा वर्तमान वर्ष के आबंटन विवरण-I में दिए गए हैं।

लक्षित लाभार्थियों को 30 जून, 2000 तक ऋण का राज्यवार वितरण विवरण-II पर है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाए/कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामांकित राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। लाभार्थियों का चयन इन राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

राज्यवार संवितरण एवं आबंटन का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	संवितरण		आबंटन	
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	465.36	376.81	589.00	589.00
2.	असम	0.00	77.93	28.15	143.00
3.	बिहार	128.96	242.55	0.00	326.00
4.	चंडीगढ़	2.60	14.94	9.36	25.22
5.	गुजरात	363.69	481.64	633.23	726.00
6.	हरियाणा	0.00	238.99	225.00	281.00

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	20.63	91.03	56.90	87.00
8.	जम्मू व कश्मीर				
	जे.के.डब्ल्यू.डी.सी	0.00	21.25	95.00	371.40
	जे.के.एस.सी.एस.टी.	0.00	299.77	0.00	126.74
9.	कर्नाटक	0.00	641.89	632.00	1013.38
10.	केरल				
	के.एस.डब्ल्यू.डी.सी.	125.78	168.45	259.00	259.00
	के.बी.सी.डी.सी.	191.19	378.63	612.00	665.00
	के.एस.सी.एफ.एफ.डी.सी.	0.00	152.31	78.50	157.00
11.	मध्य प्रदेश				
	एम.पी.बी.सी.डी.सी.	0.00	235.18	125.00	204.00
	एम.पी.एच.एस.वी.एन.	0.00	17.91	55.00	71.00
12.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	70.00
13.	मणिपुर	65.04	124.22	0.00	92.00
14.	मिजोरम				
	एम.सी.ए.बी.	58.49	55.20	54.00	200.00
	जेड.आई.डी.सी.ओ.	19.37	79.23	190.63	300.00
15.	नागालैंड	38.44	52.10	124.00	200.00
16.	उड़ीसा	0.00	199.70	300.00	300.00
17.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	46.08
18.	पंजाब	230.26	175.74	204.00	850.00
19.	राजस्थान	0.00	99.12	100.00	102.00
20.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	181.00
21.	त्रिपुरा	13.42	66.79	36.00	36.00
22.	उत्तर प्रदेश	514.53	855.67	1030.00	1500.00
23.	प. बंगाल	403.50	791.94	641.00	1200.00
	कुल	2341.26	5938.99	6077.77	10096.60

विवरण II

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ऋण के राज्य-वार वितरण (उपयोग) का ब्यौरा 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वितरण (उपयोग)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	736.93
2.	असम	72.00
3.	बिहार	128.96
4.	चंडीगढ़	23.89
5.	गुजरात	879.14
6.	हरियाणा	557.72
7.	हिमाचल प्रदेश	139.57
8.	जम्मू व कश्मीर	
	जे.के.डब्ल्यू.डी.सी	94.50
	जे.के.एस.सी.एस.टी.	266.74
9.	कर्नाटक	1579.71
10.	केरल	
	के.एस.डब्ल्यू.डी.सी.	638.89
	के.बी.सी.डी.सी.	1541.34
	के.एस.सी.एफ.एफ.डी.सी.	201.15
11.	मध्य प्रदेश	
	एम.पी.बी.सी.डी.सी.	557.07
	एम.पी.एच.एस.वी.एन.	36.59
12.	महाराष्ट्र	-
13.	मणिपुर	189.26
14.	मिजोरम	
	एम.सी.ए.बी.	175.55
	जेड.आई.डी.सी.ओ.	289.23
15.	नागालैंड	264.54
16.	उड़ीसा	176.17
17.	पंजाब	923.88
18.	राजस्थान	98.73
19.	तमिलनाडु	209.24
20.	त्रिपुरा	73.52
21.	उत्तर प्रदेश	5702.52
22.	प. बंगाल	1825.79
	कुल	17382.63

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

1581. श्रीमती जसकौर मीणा:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल-संसाधनों के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय जल संसाधनों के विकास को विभिन्न स्कीमों के तहत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम, लघु सिंचाई/भूमि सुधार, जल विभाजक विकास स्कीम तथा जन सहयोग स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण I से III में दिया गया है।

विवरण I

त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	नारी उत्थान, बिहार, पटना	1997-98	2.66
2.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, सरन, बिहार	-वही-	8.83
3.	ममता विद्यालय शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	-वही-	2.99
4.	श्री हरदेव शिक्षा समिति, भरतपुर, राजस्थान	-वही-	1.87
5.	गौरव शिक्षण संस्थान, गंगापुर शहर, राजस्थान	-वही-	2.27
6.	नेताजी सुभाष चन्द बोस शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	-वही-	3.94
7.	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	-वही-	2.04
8.	राष्ट्रीय एकता कल्याण समिति, जयपुर राजस्थान	-वही-	0.94
9.	महिला हस्त शिल्प समिति, बीकानेर, राजस्थान	1998-99	1.79
10.	राष्ट्रीय एकता कल्याण समिति, जयपुर राजस्थान	1998-99	0.59
11.	गौरव शिक्षण संस्थान, गंगापुर शहर, राजस्थान	1998-99	2.24
12.	ग्रामीण विज्ञान सेवा संस्थान, दौसा, राजस्थान	1998-99	0.68
13.	ममता विद्यालय शिक्षा समिति, जयपुर राजस्थान	1998-99	1.63
14.	ममता विद्यालय शिक्षा समिति, जयपुर राजस्थान	1998-99	0.09
15.	बृज मेवाड़ मंडल संस्थान, भरतपुर राजस्थान	1999-2000	0.71

1	2	3	4
16.	राष्ट्रीय ग्राम्य व समाज कल्याण समिति, भरतपुर, राजस्थान	1999-2000	2.29
17.	नारी उत्थान पटना, बिहार	1997-98	2.86
		1999-2000	2.85
18.	ग्रामीण विकास समिति, औरंगाबाद, बिहार	1998-99	1.31
19.	नव जागरण संघ मुंगेर, बिहार	1998-99	0.72
		1999-2000	0.72
20.	महिला कला केन्द्र, बिहार	1998-99	1.59
21.	जनयोदी विकास परिषद्, गया, बिहार	1997-98	1.24
		1999-2000	1.81
22.	राधिका सेवा संस्थान, पूर्वी चम्पारण, बिहार	1999-2000	1.27
23.	टाटा स्टील ग्राम विकास सोसायटी ईस्ट सिंहभूमि, बिहार	1999-2000	2.50
लघु सिंचाई/भूमि सुधार			
1.	केलिया पाथर संघ, बंकूर, पश्चिम बंगाल	1997-98	3.99
2.	वजकूल खेल संघ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1998-99	6.22
3.	बापूजी एकीकृत ग्राम विकास सोसायटी, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश	1999-2000	24.39

विवरण II

जल विभाजक विकास स्कीम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	वर्ष	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	ग्रामीण एकीकृत और सामाजिक शिक्षा सोसायटी, बंगारूचिनेपाली, कोठाचेरूवा, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	1.00

1	2	3	4
2.	एन.आर. एजुकेशनल सोसायटी, पी.ओ. मानसस्थली कनकोथापाली, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	1.00
3.	स्वास्थ्य शिक्षा कृषि विकास सोसायटी, मुत्ताला, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	1.00
4.	ग्रामीण पुनर्निर्माण आन्दोलन के लिए संगठन, 16-3162-7 पारथासारथीनगर, बंगलौर रोड, धरमवरम, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	1.00
5.	महात्मा गांधी युवाजन संगम, पी.ओ. रापथाडू अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	1.00
6.	ग्रामीण कार्य का केन्द्र, 4-353, चौथा रोड, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	1.00
7.	प्रजावाला संगम सं. 40, एस बी आई कालोनी, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.25
8.	सारवन्थी एजुकेशनल सोसायटी, दसवां लेन, रामनगर ओंगोल, प्रकासम, जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.25
9.	पीपुलस ग्राम एकीकृत विकास सोसायटी, पारिगी, हिन्दुपुर, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.50
10.	यंग इण्डिया प्रोजेक्ट, पेनुकोंडा, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.50
11.	ग्राम विकास सोसायटी के लिए सामाजिक गतिविधियां, जनजागृति, निलायम, प्रकासम जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.50
12.	क्राइसट ग्राम विकास और एजुकेशन सोसायटी, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.50
13.	श्रम शिक्षा कार्य विकास सोसायटी, कुडप्पा, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.50
14.	ग्राम बहुदया सेवा संस्था, येलोर, महबूबनगर जिला, आन्ध्र प्रदेश	1997-98	0.50
15.	जिला विकलनगुला संगम, बी ओ वेनुकोंदा, गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश	1998-99	1.00
16.	पीपुल्स ग्राम एकीकृत विकास सोसायटी, पारगी, हिन्दुपुर, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	1998-99	1.00

1	2	3	4
17.	जन जागृति, पी ओ टनकाल, जिला अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	1998-99	1.00
18.	प्रजा सेवा समाज, द्वार सं. 1-364-6-4/ए, आर.एस. रोड़ कादिरी, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	1998-99	0.50
19.	गरीब कृषक शिक्षा समिति, 3/461 राजारेड्डी स्ट्रीट कडप्पा, आन्ध्र प्रदेश।	1998-99	1.00
20.	व्हाइट फील्ड ग्रामीण विकास समिति, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश।	1999-2000	1.00
21.	पटना शैक्षिक विकास ट्रस्ट, रोड नं. 2, राजेन्द्र नगर, पटना, बिहार।	1997-98	37.00
22.	छोटा नागपुर विकास केन्द्र, वरकथा, हजारीबाग, जिला, बिहार।	1997-98	0.25
23.	पर्वतीय दुर्गम शिक्षा विकास, रांची न्यायालय, रांची, बिहार।	1997-98	0.50
24.	भारती सेवा सदन, श्रीनिकेतन, अवुलस लेन, मछुवा टोली, पटना, बिहार।	1997-98	44.52
25.	नवभारत जागृति केन्द्र बेहरा, वृन्दावन, चोपारन, हजारीबाग जिला, बिहार।	1997-98	0.25
26.	जनहित विकास समिति हरिश्चन्द्र स्टेडियम रोड, नवादा, बिहार।	1997-98	0.25
27.	ग्रामीण विकास परिषद, कस्टेयर टाउन, देवघर, बिहार।	1997-98	1.00
28.	अखिल भारतीय लोकतांत्रिक संस्थान, मीर बीघा, चकवा, नवादा, बिहार।	1997-98	0.25
29.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, साही निकेतन, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बिहार	1997-98	0.50
30.	परोपकार लोक विकास सस्था, नवादा, बिहार।	1997-98	0.50
31.	सुलभ पर्यावरण और जल संस्थान, कंकवाग कालोनी, पटना, बिहार।	1997-98	0.50
32.	श्रीभास्कर समाज कल्याण केन्द्र, औरंगाबाद, बिहार।	1997-98	0.50

1	2	3	4
33.	छोटानागपुर विकास केन्द्र, वरकथा, हजारीबाग, बिहार।	1998-99	1.00
34.	परोपकार लोक विकास संस्था, नवादा, बिहार।	1998-99	0.90
35.	ग्रामीण महिला और युवा विकास समिति भालनी, मधुबनी, बिहार।	1998-99	1.00
36.	छोटानागपुर विकास केन्द्र, हजारीबाग, बिहार।	1999-2000	1.00
37.	ग्रामीण महिला और युवा विकास समिति, मधुबनी, बिहार।	1999-2000	1.00
38.	बिहार नव जीवन ज्योति प्रतिष्ठान, जमुई, बिहार।	1999-2000	1.00
39.	नव भारत जागृति केन्द्र, हजारीबाग, बिहार।	1999-2000	8.75
40.	पटना शिक्षा विकास ट्रस्ट, पटना।	1999-2000	15.00
41.	डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, लोधी रोड, नई दिल्ली	1999-2000	1.00
42.	श्री कुन्डला तालुका ग्राम सेवा मंडल, गुजरात	1997-98	21.69
43.	मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात	1997-98	0.50
44.	मालधारी ग्रामीण कार्रवाई-दल वी/1, वृन्दावन अपार्टमेंट, नेहरु पार्क, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात	1998-99	0.50
45.	एम.जी. पटेल, सर्वोदय केन्द्र, डाकघर, श्रीअमीरगध, 49टी क्यू-पालनपुर, जिला-बनासकांठा, गुजरात	1998-99	0.50
46.	अमर भारती, गांधी नगर, गुजरात	1999-2000	1.00
47.	विश्वशान्ति महिला समाजम गवर्टसोनपेट, के.जी.एफ., बंगलौर, कर्नाटक	1997-98	0.50
48.	एकीकृत ग्रामीण विकास समिति, माल्य, गौरीविद्नुर, कोलार, जिला-कर्नाटक	1997-98	23.00
49.	मेरादा, 2 सर्विस रोड, डोमलुर लेआउट, बंगलौर, कर्नाटक	1997-98	1.00
50.	सत्यम शिवम सुन्दरम ग्रामीण विकास संघ, बी.आर.टी. कालोनी, चेन्नागिरी शिमोगा, कर्नाटक	1998-99	0.50
51.	आउटरीच, बंगलौर	1999-2000	1.00

1	2	3	4
52.	मेरादा, बंगलोर	1999-2000	8.50
53.	पर्वतीय क्षेत्र ग्रामीण विकास सामाजिक कार्रवाई, कफोटा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	1997-98	0.25
54.	मानव सेवा संस्थान, डाकघर वर्थिन, विलासपुर, जिला, हिमाचल प्रदेश	1997-98	1.00
55.	मानव सेवा संस्थान, डाकघर वर्थिन, विलासपुर, जिला, हिमाचल प्रदेश	1998-99	1.00
56.	पर्वतीय क्षेत्र ग्रामीण विकास सामाजिक कार्रवाई, कफ्फोटा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	1998-99	1.00
57.	मानव सेवा संस्थान, वर्थीन, विलासपुर, हिमाचल प्रदेश	1999-2000	14.85
58.	जम्मू कश्मीर पर्यावरण (इनवायरमेंट) पर्यावरण केन्द्र, गदाधर मन्डी, जम्मू मुबारक मणि, जम्मू, जम्मू और कश्मीर	1997-98	0.50
59.	जम्मू और कश्मीर पर्यावरण (इनवायरमेंट) पर्यावरण केन्द्र, गदाधर मन्डी, जन्मू, जम्मू कश्मीर।	1998-99	34.82
60.	जम्मू और कश्मीर आलमी खुदाई खिदमतगार संघ, जम्मूतवी, 144/1750-एफ, शक्ति नगर, राजपुरा, जम्मू	1998-99	0.50
61.	लेह महिला मंडल, लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	1999-2000	1.00
62.	पीरमदे विकास समिति, पीरमदे, इडुक्की, केरल,	1997-98	27.00
63.	मानव व्यवस्थापना और पर्यावरण राष्ट्रीय केन्द्र, ई.-5/11, गिरीश कुंज, एरिया कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश	1997-98	1.00
64.	गांधी सेवा आश्रम, विनोवा नगर, मुगली, विलासपुर, मध्य प्रदेश	1997-98	0.50
65.	विकास मित्र, कुम्हारपाड़ा, कोन्डागांव बस्तर-मध्य प्रदेश	1998-99	1.00
66.	समाज प्रगति सहयोग, बाघली, देवास, मध्य प्रदेश	1998-99	1.00
67.	संभव समाज सेवा संस्थान, 13 बलवन्त नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1998-99	1.00
68.	गोपाल कृष्ण शिक्षा संस्कृति समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00

1	2	3	4
69.	वरदान सामाजिक संस्थान, डोंगरगढ़, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
70.	लोक शक्ति समिति, रायगढ़ मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
71.	चिकित्सा परामर्श केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
72.	ग्वालियर वन सेवक समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
73.	संसाधन समेकन और विकास कार्रवाई समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
74.	खन्डवा डायोसियन समाज सेवा, खन्डवा, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
75.	सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान, सरगुजा, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
76.	वाल महिला विकास समिति	1999-2000	1.00
77.	डगलस मेमोरियल वर्ल्ड मिशनरी, सीवनी, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
78.	मानव व्यवस्थापन और पर्यावरण राष्ट्रीय केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश	1999-2000	31.78
79.	भोपाल युवा पर्यावरण सामाजिक, संस्था, भोपाल, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
80.	धरती ग्रामत्थान एवम सहभागी ग्रामीण विकास समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
81.	जबलपुर डायोसियन समाज सेवा समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
82.	ग्राम सुधार समिति, जमुना, सतना, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
83.	ग्रामीण, कल्याण संस्थान, वालाघाट, मध्य प्रदेश	1999-2000	1.00
84.	सामाजिक-आर्थिक विकास-ट्रस्ट, डाकघर करवादी, परभानी, महाराष्ट्र	1997-98	1.00
85.	जन प्रबोधिनी, पोस्ट वाक्स सं. 764, 510, सदाशिव पेठ, पुणे, महाराष्ट्र	1997-98	1.00
86.	जीवन संस्थान, 6, श्री अपार्टमेंट, 917/16, गनेशवादी, पुणे, महाराष्ट्र	1997-98	1.00
87.	जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, प्रयोजक, 55/4, विश्वविद्यालय रोड, औंध, पुणे, महाराष्ट्र	1998-99	1.00
88.	हिन्द स्वराज ट्रस्ट पुणे, महाराष्ट्र	1998-99	1.00

1	2	3	4
89.	जन सेवा कथारनिवास, बजारा कालोनी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1998-99	0.50
90.	प्रेरणा प्रतिष्ठान राजवाड़ा, श्रीराम मंदिर जिला सतारा (महाराष्ट्र)	1998-99	14.53
91.	श्रीमती नासरबाई महिला मंडल, वडगांव, मुखेद, नान्देई, महाराष्ट्र	1998-99	1.00
92.	मूल्य और कार्रवाई शिक्षा समिति, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
93.	अश्वमेघ ग्रामीण विकास न्यास, धुले, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
94.	सिधेश्वर कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्था, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
95.	राष्ट्र विकास एगिवो-शिक्षण संस्थान, जलगांव, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
96.	ग्रामीण निधि, धुले, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
97.	ग्रामीण समुदाय, मुम्बई, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
98.	विनोबा भावे ग्राम विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
99.	राष्ट्रोत्कर्ष मानव विकास प्रतिष्ठान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
100.	ग्राम प्रबोधिनी, पुणे, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
101.	यशवन्त ग्राम सेवा प्रतिष्ठान, अहमदाबाद, गुजरात	1999-2000	1.00
102.	तरून विकास मण्डल, सतारा, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
103.	विनोबा कला क्रीडा बहुद्देशीय संस्था	1999-2000	1.00
104.	नेहरू युवा मण्डल	1999-2000	1.00
105.	निरंतर विकास के लिए गोमुख पर्यावरणीय न्यास, पुणे, महाराष्ट्र	1999-2000	1.00
106.	नवनीस्मिति ग्राम विकास समिति	1999-2000	1.00
107.	ग्रामीण सेवा अभिकरण, पैलेस कम्पाउण्ड (पश्चिम) इम्पाल, मणिपुर	1997-98	8.00
108.	चिल-चिल प्रौद्योगिकी सम्मेलन, लीखमपोक्पी, कंगलाटांग, सेनापति, मणिपुर	1997-98	1.00

1	2	3	4
109.	नागरिक वालन्टियर्स प्रशिक्षण केन्द्र, पैलेस कम्पाउण्ड, जिला इम्फाल, मणिपुर	1998-99	0.25
110.	ग्रामीण सेवा अभिकरण पैलेस कम्पाउण्ड (पश्चिम), जिला-इम्फाल, मणिपुर	1998-99	8.00
111.	वांगजिंग महिला और बालिका समाज, वांगजिंग बाजार थाउबल, जिला-थाउबल (इम्फाल), मणिपुर	1999-99	0.25
112.	ग्रामीण पुनर्संरचना युवा संघ, डाक घर बोइन्दा, जिला अंगुल, उड़ीसा	1997-98	0.25
113.	विकाल्पा, एट एवं डाकघर कंताभंजी, जिला बोलनगीर, उड़ीसा	1997-98	1.00
114.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, ए/9 एच.आई.जी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बीरमुण्डा, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1997-98	1.00
115.	ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संवर्धन सोसाइटी, एल-3, कल्पना स्क्वायर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1997-98	0.50
116.	ग्रामीण विकास और घरेलू मानवतावादी कार्रवाई संबंधी सोसाइटी (एस.आर.डी.एच.ए.), पटुशु, कटनी, धनकैनाल, उड़ीसा	1997-98	0.50
117.	नारी सुरक्षा, एट और डाकघर जिला अंगुल, उड़ीसा	1997-98	0.50
118.	ग्रामीण पुनर्संरचना संबंधी युवा संघ, डाकघर, बोईन्दा, जिला अंगुल, उड़ीसा	1998-99	1.00
119.	ग्रामीण विकास प्रजातांत्रिक मानवतावादी कार्रवाई संबंधी सोसाइटी (एस.ए.आर.डी.एच.ए.), पतुसाहू, कटनी, धनकैनाल, उड़ीसा	1998-99	25.96
120.	श्री सिधेश्वरी पथघर, उड़ीसा	1999-2000	1.00
121.	स्वदेशी, फुलवानी, उड़ीसा	1999-2000	0.50
122.	आस्था संस्थान, 109, खारोल कालोनी, पुराना फतेहपुर, उदयपुर, राजस्थान	1997-98	1.00
123.	ग्रामीण विज्ञान सेवा संस्थान, डाकघर, टिटारवाड़ा कलान जिला दौसा, राजस्थान,	1997-98	1.00

1	2	3	4
124.	शिक्षा एवम् जन कल्याण समिति, डाकघर खिचन, डूंगरपुर, राजस्थान	1997-98	1.00
125.	सेवा सहयोग संस्था, शिल्की डूंगरी, जयपुर, राजस्थान	1997-98	0.50
126.	सेवा मंदिर, उदयपुर, राजस्थान	1997-98	1.00
127.	ग्रामीण विज्ञान सेवा संस्था, डाकघर तीतरवाड़ा कलान, जिला-दौसा, राजस्थान	1998-99	1.00
128.	सेवा सहयोग संस्था, एट/डाकघर: शिल्की डूंगरी जिला जयपुर, राजस्थान	1998-99	0.50
129.	आस्था संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	1999-2000	8.78
130.	भारतीय विकास संस्थान, 17वीं-एच, 6/VI-क्रास, अरुलांदनगर, तंजावुर, तमिलनाडु	1997-98	0.25
131.	तमिलनाडु विज्ञान फोरम, 6 आर्क कालोनी, चेन्नई, तमिलनाडु	1997-98	0.50
132.	ग्रामीण विकास संघ, सं.2, शनमुगा नगर (पश्चिम), प्रथम क्रास, यू.टी.के. मलाई, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु,	1998-99	1.00
133.	भारतीय विकास संस्थान 17वां-एच, 6 क्रास, अरुलांदनगर, तंजावुर, तमिलनाडु	1998-99	1.00
134.	गैर-पारंपरिक उर्जा और ग्रामीण विकास सोसाइटी, 78-ए, चिती विनायकर कालोनी, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	1998-99	1.00
135.	उत्तरांचल युवा आवास ग्रामीण विकास केन्द्र, नारायण बागर, जिला चमोली, उत्तर प्रदेश	1997-98	0.50
136.	दिशा सामाजिक संगठन, सुल्तानपुर, चिल्काना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	1997-98	2.00
137.	समता, 27 कि.मी. चक्राता लाखा, मुण्डल रोड, देहरादून, उत्तर प्रदेश	1997-98	1.00
138.	उत्तराखण्ड जन शक्ति परिषद, बेल्टी, भिकियासेन, अलमोड़ा, उत्तर प्रदेश	1997-98	0.50
139.	गोमती प्रयाग जन कल्याण परिषद, डाकघर घुंगलवाली, चमोली, उत्तर प्रदेश	1998-99	0.50
140.	बुंदेलखण्ड ग्रामोद्योगिक समाज समिति, ललितपुर	1999-2000	1.00

1	2	3	4
141.	उत्तराखण्ड के पहाड़ों के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठन वाधू	1999-2000	1.00
142.	उत्तराचंल युवा एवं ग्रामीण विकास केन्द्र,	1999-2000	0.25
143.	हंसेलाहारा पार्वती क्लब, स्थान एवं पत्रालय हंसेला, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	1997-98	0.25
144.	केन्द्रीय अनुसूचित जाति और अधिकरण कल्याण संगठन, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	1997-98	0.50
145.	प्रदान, गौसाला रोड, रंगडीह, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	1998-99	1.00
146.	केन्द्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संगठन, निचू कालोनी, 4 नं. संखारी-पुरकुर, पत्रालय: श्रीपल्ली, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल	1998-99	0.50
147.	विकास कार्रवाई के लिए व्यावसायिक सहायता, नेताजी सुभाष रोड, नादिहा, जिला-पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	1998-99	1.00
148.	प्रदान लाल मोजन लाल त्रिवेदी लेन, नीलकुटी डांगरा, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	1999-2000	8.98
149.	जाम गोरिया सेवाव्रत, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	1999-2000	1.00

विवरण III

जन सहयोग स्कीम

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	वर्ष	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	ग्राम विकास मंडली संगठन न्यास, बड़ा बाजार बिलासपुर	1998-99	4.02
		1999-2000	1.00
2.	ग्रामीण विकास परिषद, ए-32, ऐशबाग स्टेडियम	1997-98	6.59
		1998-99	2.15
3.	शिव सेना संस्थान, धावरी गली-1	1997-98	3.10
		1999-2000	1.53
4.	तंत्र अनुसंधान मानव कल्याण समिति, जानकी कुण्ड, चित्रकूट, सतना	1997-98	5.27
		1998-99	1.39

1	2	3	4
5.	जैन कल्याण समिति न्यास, रायपुर	1997-98	6.57
		1999-2000	1.75
6.	श्री बालविकास सघन क्षेत्र समिति, कोथ डोकला	1997-98	3.81
		1998-99	3.80
7.	दहेगाम विकास योजना, देवाकर्ण-नी-मुवादा, दहरग्राम	1997-98	7.97
		1998-99	1.23
		1999-2000	3.09
8.	पांडु मेवास विकास अभिकरण, वालावाव, ताल साल्वी	1997-98	7.55
		1998-99	1.16
		1999-2000	2.83
9.	आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम, नवरंगपुरा	1997-98	7.81
		1998-99	0.87
10.	ग्राम्य विकास न्यास, द्वारका, ओखा मण्डल	1997-98	10.28
		1999-2000	4.47
11.	आनन्द युवक मण्डल, नरवारी धरमशाला, वजीराबाद	1998-99	2.81
		1999-2000	1.22
12.	बिहार विकास संस्थान, पटना	1997-98	1.08
13.	महिला बाल कल्याण प्रतिष्ठान, गया	1997-98	0.54
14.	पटना शैक्षणिक न्यास, पटना	1998-99	1.80
		1999-2000	1.80
15.	नालन्दा कल्याण प्रतिष्ठान, नालन्दा	1999-2000	2.20
16.	पटना शैक्षणिक विकास न्यास, पटना	1999-2000	2.78

भारत-यूरोपीय संघ समझौता

1882. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय संघ के देशों में उनकी यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ और भारत के बीच किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूरोप की सामरिक सहभागिता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) 28 जून, 2000 को आयोजित भारत-यूरोपीय संघ की प्रथम बैठक के दौरान नागर विमानन परियोजना के लिए एक वित्त पोषण करार संपन्न किया गया।

(ख) यह सहमति हुई है कि भारत और यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन और इसे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। भारत अभी यूरोपीय संघ को बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है जिनमें रत्न और आभूषण, कपड़ा, रसायन और भेषज, धातु एवं धातु उत्पाद, चमड़े तथा कृषि एवं समुद्री वस्तुएं शामिल हैं। कपड़ों और कृषि उत्पादों सहित अन्य भारतीय निर्यात को बाजार उपलब्ध कराये जाने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

(ग) भारत और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी में एक नयी सामरिक भागीदारी का निर्माण करने का संकल्प लिया है जो साझे मूल्यों और आकांक्षाओं पर आधारित होगी तथा तीव्र और बहुफलकीय सहयोग इसकी विशेषता होगी। राजनैतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त शुरूआत वाली एक कार्यसूची पर सहमति हुई है।

ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के अवसर

1583. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के अवसरों को प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उन लक्ष्यों की तुलना में राज्यवार और वर्षवार क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र

1584. योगी आदित्यनाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के साथ-साथ अनुसंधान कार्य करने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि और ग्रामीण उद्योग ऋण निगम

1585. श्री तिरूनावक्करसु: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कृषि और ग्रामीण उद्योग ऋण निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हमारे पास पहले ही एक विस्तृत बैंकिंग बुनियादी संरचना है।

[हिन्दी]

परामर्शदात्री समितियों का गठन

1586. श्री रामशकल: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में परामर्शदात्री समितियों के गठन का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी ऐसी समितियों को हाल में गठित किया गया है; और

(घ) शेष समितियों का गठन कब तक किए जाने की उम्मीद है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए अप्रैल, 1969 में बनाए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियां गठित की जानी अपेक्षित हैं। एक परामर्शदात्री समिति के गठन के लिए न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः 10 और 40 सदस्य रखी गई है। 40 मंत्रालयों/विभागों के लिए (विवरण-I) परामर्शदात्री समितियों के गठन का कार्य अक्तूबर, 1999 में प्रारम्भ किया गया था जिसमें 30 मंत्रालयों/विभागों (विवरण-II) के लिए परामर्शदात्री समितियां गठित की जा चुकी हैं। परामर्शदात्री समितियां गठित करने के लिए अपेक्षित सदस्य संख्या पूरी न होने के कारण बाकी मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियां गठित करना व्यवहारिक नहीं पाया गया।

विवरण I

परामर्शदात्री समितियों की सूची जो गठित होनी हैं

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	2
1.	कृषि
2.	रसायन और उर्वरक
3.	नागर विमानन
4.	वाणिज्य और उद्योग
5.	संचार
6.	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण
7.	संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल
8.	रक्षा
9.	पर्यावरण एवं वन
10.	विदेश
11.	वित्त
12.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
13.	भारी उद्योग और लोक उद्यम
14.	गृह
15.	मानव संसाधन विकास
16.	सूचना एवं प्रसारण
17.	सूचना प्रौद्योगिकी
18.	श्रम एवं रोजगार
19.	विधि, न्याय और कंपनी कार्य
20.	खान और खनिज
21.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत
22.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
23.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
24.	योजना और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन
25.	विद्युत
26.	रेल
27.	ग्रामीण विकास
28.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
29.	लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
30.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
31.	इस्पात
32.	जल-भूतल परिवहन
33.	पर्यटन
34.	जनजातीय कार्य
35.	वस्त्र
36.	शहरी विकास
37.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन
38.	जल संसाधन
39.	परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और महासागर विकास विभाग
40.	विनिवेश विभाग

विवरण II

परामर्शदात्री समितियों की सूची जो गठित हो गयी हैं

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम
1	2
1.	कृषि
2.	रसायन और उर्वरक
3.	नागर विमानन
4.	वाणिज्य और उद्योग
5.	संचार
6.	रक्षा
7.	पर्यावरण एवं वन
8.	विदेश
9.	वित्त
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
11.	भारी उद्योग और लोक उद्यम
12.	गृह
13.	मानव संसाधन विकास
14.	सूचना एवं प्रसारण
15.	सूचना प्रौद्योगिकी
16.	श्रम
17.	खान और खनिज
18.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
19.	विद्युत
20.	रेल
21.	ग्रामीण विकास
22.	इस्पात
23.	जल-भूतल परिवहन
24.	वस्त्र
25.	पर्यटन और संस्कृति
26.	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन
27.	युवा कार्यक्रम और खेल
28.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास विभाग
29.	समामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
30.	जल संसाधन

[अनुवाद]

विश्व बैंक परियोजना

1587. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली कुछ परियोजनाओं, विशेषकर आधुनिक भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित परियोजनाओं को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट पेश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सांख्यिकीय संस्थान-एन.एस.एस. और एन.एस.ओ. को आधुनिकीकृत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 2000-2001 हेतु योजना बजट में परियोजना के लिए 120 करोड़ रु. का समर्थ प्रावधान प्रदान किया है, जिसका औपचारिक अनुमोदन लम्बित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा सांख्यिकी प्रणाली में कमियों की आलोचनात्मक जांच करने तथा इसको सुव्यवस्थित एवं अद्यतन बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2000 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया था। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष है।

चावल उत्पादन

1588. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चावल उत्पादन में सीमांत रूप से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी प्रवृत्तियों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सजग रहने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रवृत्ति के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रवृत्ति का प्रत्यानुवर्तन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कौन से कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। केरल को छोड़कर जहां चावल क्षेत्र को अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उपयोग किए जाने के कारण चावल उत्पादन में गिरावट है, मुख्य चावल उत्पादक राज्यों में चावल उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

(ग) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

श्रम और रोजगार की वृद्धि दर

1589. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम और रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए की गयी नई पहल का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर श्रम बल में 1997 से 2002 के दौरान अनुमानत: 2.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की संभावना है तथा साथ ही इस अवधि के दौरान रोजगार में भी लगभग 2.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। रोजगार में वृद्धि तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन के उपाय सुझाने के लिए आयोग के सदस्य डा. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक श्रम बल का भी गठन किया गया है।

[हिन्दी]

निधियों का आवंटन

1590. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटनों के बड़े हिस्से की मंजूरी वर्ष के केवल अंतिम तिमाही में की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्माण कार्यों पर इसके प्रभावों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के लिए धनराशि की मंजूरी वर्ष के शुरू में ही करने हेतु प्रावधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा

प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना के समय परियोजनाओं को उनकी कार्य योजना के आधार पर आबंटन किया जाता है। तथापि, रेलवे एवं भूतल परिवहन क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के लिए निधियों का अवमोचन प्रत्येक वर्ष की भुगतान अनुसूची के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्ष के आरंभ में ही परियोजनाओं की निधियों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन समीक्षा तकनीक (पर्ट) पर आधारित एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत-नेपाल सहयोग

1591. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल ने आंतकवाद से मुकाबला करने हेतु भारत-नेपाल समन्वय समिति के गठन हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और संयुक्त समन्वय समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके क्या कार्य हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत और नेपाल ने आतंकवाद का सामना करने के लिए एक संयुक्त समन्वयन समिति गठित करने के लिए कोई औपचारिक द्विपक्षीय करार नहीं किया है। तथापि सरकार ने नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने, विशेषतौर पर नेपाल के क्षेत्र में भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए खुली भारत-नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंधन को कार्यान्वियन करने के लिए कदम उठाए हैं। दोनों सरकारों के संबंधित अभिकरण इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी समन्वयन हेतु लगातार एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं। सीमा प्रबंधन से सम्बद्ध संयुक्त कार्यदल तथा गृह सचिव स्तरीय वार्ताएं जैसे द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र भी कार्य कर रहे हैं जिन्हें विशेषतौर पर सुरक्षा मामलों पर सहयोग विकसित करने तथा इन मसलों को हल करने के लिए विकसित किया गया है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में दोनों पक्ष भारत के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों के लिए भारत और नेपाल खुली सीमा के दुरूपयोग को रोकने के लिए भारत और नेपाल के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने सहित संयुक्त रूप से समन्वित उपाय करने पर सहमत हुए हैं। अपनी ओर से नेपाल सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए उनके क्षेत्र का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा वे इस संबंध में भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य विकास कोष

1592. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री थावरचंद गेहलोत:
श्री सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 500 करोड़ रुपयों की लागत से प्रसंस्कृत खाद्य कोष की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कोष के लिए 400 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं से और 100 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से जुटाने जाने वाले थे;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या थी;

(घ) सरकार ने अब तक इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या निर्णय किया है; और

(ङ) इस फैसले को लेने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रणोद क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक प्रसंस्कृत खाद्य विकास निधि की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में शुरू में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 100 करोड़ रुपये की राशि के अलावा वित्तीय संस्थानों से 400 करोड़ रुपये जुटाने का उल्लेख था। लेकिन निधि के सृजन में जटिल किस्म के वित्तीय मामले शामिल थे इसीलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया गया है। इस काम के लिए वर्ष 2000-2001 के वास्ते बजट में एक करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा से लगे 16 राज्यों के सीमा ब्लॉकों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का आवंटन किया जाता है। आबंटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) बीएडीपी जारी रहने वाला कार्यक्रम है और इसलिए स्कीमें अगले वर्षों में भी चलती रहती हैं। राज्यों के पास खर्च न किए गये अतिशेष का मुख्य कारण यह तथ्य है कि इस कार्यक्रम का कुछेक राज्यों तक हाल ही में विस्तार किया गया है। कार्यक्रम का 1997-98 में म्यांमार के सीमा ब्लॉकों तक, 1998-99 में चीन के सीमा ब्लॉकों तक और 1999-2000 में नेपाल और भूटान के सीमा ब्लॉकों तक विस्तार किया गया था और इसके लिए राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा स्कीमों के निर्धारण और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित निर्माण अवधि अपेक्षित है। चूंकि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा कई अंतर भराव और महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की गई हैं अतः कार्यान्वयन और वास्तविक उपयोग संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता में भी समय लगा।

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	असम	4.12	4.27	7.20
2.	गुजरात	8.58	8.88	9.87
3.	जम्मू व कश्मीर	20.68	31.38	33.52
4.	मेघालय	3.95	4.11	4.52
5.	मिजोरम	6.73	6.82	8.00
6.	पंजाब	8.54	8.82	9.70
7.	राजस्थान	85.63	56.52	37.17
8.	त्रिपुरा	10.96	11.34	12.47
9.	पश्चिम बंगाल	30.81	31.86	38.05
10.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	11.00	13.00
11.	मणिपुर	4.00	4.00	4.00
12.	नागालैंड	4.00	4.00	4.00
13.	हिमाचल प्रदेश	0.00	4.00	4.00
14.	सिक्किम	0.00	4.00	5.50
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	4.00	12.00
16.	बिहार	0.00	0.00	7.00

टिप्पणी: बीएडीपी 1997-98 में म्यांमार के सीमा ब्लॉकों, 1998-99 में चीन के सीमा ब्लॉकों और 1999-2000 में नेपाल और भूटान के सीमा ब्लॉकों तक विस्तारित किया गया था।

श्रम कानून

1596. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के श्रम कानूनों में आमूल संशोधन करने का विचार है जिससे औद्योगिक स्थापनाओं से कामगारों को सेवामुक्त करने की नीति लागू करने का रास्ता खुल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 18 वर्ष की न्यूनतम आयु को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) श्रम कानूनों की समीक्षा/उन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और समीक्षा के परिणामों के आधार पर संशोधन किए जाते हैं/नए सिरे से विधान बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण समझे गए तथा समय विशेष पर ध्यान आकर्षित करने वाले अनेक मुद्दों तथा समस्याओं से निपटने के लिए काफी समय से अनेक श्रम कानून बनाए गए हैं। जबकि इनमें से अनेक चिन्ताएं नियमित स्वरूप की होती हैं, कुछ चिन्ताएं पहले ही अपना महत्व खो चुकी होती हैं तथा वे वास्तव में पुरानी अथवा निरर्थक हो जाती हैं। इस प्रकार श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा किए जाने की सदैव आवश्यकता बनी रहती है जिससे आर्थिक नीति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके तथा कामगारों के बेहतर कल्याण का भी प्रावधान किया जा सके। सरकार ने 15.10.1999 को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भी गठित किया है जो श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा करेगा तथा श्रम विधान/नीति में समुचित परिवर्तनों के बारे में सुझाव देगा। उक्त आयोग संगठित क्षेत्र में श्रमिकों से संबंधित विद्यमान श्रम कानूनों के यौक्तिकीकरण तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान के बारे में सुझाव देगा।

(ग) और (घ) पारिवारिक तथा अपने उपभोग हेतु खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले छोटे खेतों में कृषि को छोड़कर सभी व्यवसायों के नियोजन तथा कार्य में प्रवेश करने हेतु 14 वर्षों की न्यूनतम आयु निर्धारित करने संबंधी एक केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित विधान ऐसे किसी भी नियोजन तथा कार्य में प्रवेश हेतु 18 वर्षों की न्यूनतम आयु भी निर्धारित करेगा जो अपनी प्रकृति अथवा किए जाने वाली परिस्थितियों के कारण ऐसा हो जिससे युवाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा नैतिकता के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो।

विदेशी राजनयिकों का कश्मीर दौरा

1597. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2000 से अब तक कितने विदेशी राजनयिकों ने कश्मीर का दौरा किया और तत्संबंधी उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या सरकार इन विदेशी हस्तियों के दौरे के बारे में अवगत थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) विदेश मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 2000 से अब तक कश्मीर की यात्रा करने वाले विदेशी राजनयिकों की संख्या छह है। इन यात्राओं का प्रयोजन अलग-अलग है जैसे राज्य के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करना, यात्रा करने वाले अपने-अपने देश के शिष्टमंडलों के साथ जाना और जानकारी प्राप्त करना।

(ख) जी हां। सरकार को ऊपर बताए गये विदेशी राजनयिकों की यात्राओं की जानकारी थी।

(ग) (1) श्री क्रिस कूटर, प्रथम सचिव (राजनीतिक), कनाडा उच्चायोग, नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2000; (2) ब्रिटिश हाई कमिश्नर महामान्य सर रोब योंग और उनके साथ महामान्या योंग-21.5.2000 से 23.5.2000; (3) कोरिया गणराज्य के राजदूत महामान्य श्री चोंग मो ली और उन के साथ राजदूतावास के कोंसलर श्री येयोन हो चोई-7.6.2000 से 10.6.2000; (4) नार्वे के राजदूत महामान्य श्री वुल्स हानेवोल्ड-19.6.2000 से 20.6.2000; (5) नीदरलैंड के राजदूत महामान्य श्री पी.सी.एफ. कोच-25.7.2000 से 28.7.2000।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

1598. सरदार बूटा सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सांसदों ने दिनांक 17.12.1996, 1.9.1997 तथा 23.7.1998 को प्रधान मंत्री को सौंपे गए अभ्यावेदन में मुख्य कार्यकारियों, कार्यकारी निदेशकों, अंशकालिक अध्यक्ष तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा उद्यमों के प्रबंधन बोर्ड के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक संगठनों, संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य संगठनों में उक्त श्रेणी के पदों की कुल संख्या कितनी है तथा 1 जनवरी, 1996 तथा 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उक्त कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सांसदों की उक्त मांगों को यदि न माना गया है तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लम्बित कल्याणकारी परियोजनाओं का अनुमोदन

1599. डा. बलिराम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कल्याणकारी परियोजनाएं अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों से निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त न होने के फलवस्वरूप कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है; और

(छ) क्या सरकार ने 50 वर्ष से चल रहे गैर-सरकारी संगठनों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार लम्बित कल्याणकारी परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्टों के प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप 281 प्रस्ताव लम्बित हैं।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दिवा देखभाल केन्द्रों, वृद्धावस्था गृहों व्यावसाकि प्रशिक्षण केन्द्रों, नशामुक्ति केन्द्रों, पुनर्वास केन्द्रों, कोचिंग केन्द्रों, होस्टलों, स्कूलों, बेसहारा बच्चों की परियोजनाओं आदि को चलाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है। वित्तीय सहायता सामान्य रूप से योजनाओं के मानदंडों के अनुसार मांगी जाती है, जिसमें उपस्कर, फर्नीचर, वाहनों, बर्तनों जैसी अनावर्ती मदों तथा मानदेय, किराया, स्टाइपेंड, दवा, कच्चा माल आकस्मिकताओं आदि जैसी आवर्ती मदों के लिए अनुमोदित परियोजना लागत का 90% तक सहायता अनुदान शामिल हो सकता है।

(ङ) परियोजना की मंजूरी के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय नहीं हैं। आवेदनों के निपटान में लगा समय पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति, नामित प्राधिकारियों की सिफारिशों तथा उस क्षेत्र में परियोजना के लिए सुस्थापित जरूरत पर निर्भर करता है जहां इसे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई राशि विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(छ) जी, नहीं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित कल्याणकारी योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	200
2.	अरुणाचल प्रदेश	3

2	3
असम	34
बिहार	3
गोवा	2
गुजरात	26
हरियाणा	22
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू व कश्मीर	9
कर्नाटक	42
केरल	31
मध्य प्रदेश	24
महाराष्ट्र	123
मणिपुर	53
मेघालय	5

1	2	3
16.	मिजोरम	6
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	39
19.	पंजाब	11
20.	राजस्थान	8
21.	तमिलनाडु	58
22.	त्रिपुरा	4
23.	पश्चिम बंगाल	71
24.	उत्तर प्रदेश	132
25.	दिल्ली	13
26.	पांडिचेरी	1
27.	चंडीगढ़	1
	कुल	929

विवरण II

(रु. लाख में)

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.55
आंध्र प्रदेश	961.81	1516.39	2386.67
अरुणाचल प्रदेश	9.28	3.71	13.00
असम	20.30	107.40	134.58
बिहार	273.20	234.04	195.05
चंडीगढ़	8.94	35.05	32.03
दादर व नगर हवेली	3.21	0.00	0.00
दिल्ली	476.41	1353.59	1440.18
गोवा	16.87	16.00	36.17

1	2	3	4	5
10.	गुजरात	140.60	223.04	347.62
11.	हरियाणा	241.51	315.39	219.67
12.	हिमाचल प्रदेश	12.25	48.90	69.29
13.	जम्मू व कश्मीर	15.91	41.94	34.73
14.	कर्नाटक	447.25	574.79	1013.45
15.	केरल	337.17	1046.65	620.20
16.	मध्य प्रदेश	127.92	283.10	286.53
17.	महाराष्ट्र	194.49	511.02	872.63
18.	मणिपुर	125.16	324.33	363.65
19.	मेघालय	6.50	26.24	27.38
20.	मिजोरम	43.74	56.27	78.11
21.	नागालैंड	18.84	32.05	49.86
22.	उड़ीसा	299.85	781.84	1099.66
23.	पांडिचेरी	10.82	20.31	16.99
24.	पंजाब	119.62	288.97	275.60
25.	राजस्थान	259.59	474.95	614.14
26.	सिक्किम	2.06	5.59	3.12
27.	तमिलनाडु	348.38	455.82	763.52
28.	त्रिपुरा	29.17	42.65	26.90
29.	उत्तर प्रदेश	825.65	1719.48	2902.74
30.	पश्चिम बंगाल	598.97	868.77	1164.45

[अनुवाद]

बांध का निर्माण

1600. श्री जार्ज ईडन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य के कासरगौड़ जिले में ''कक्कादवन'' बांध के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केरल के कासरगोड़ जिले में ''कक्कादवन''

बांध के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की मांग संबंधी केरल सरकार से कोई अनुरोध जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मृदा अपरदन, लवणता और जल जमाव

1601. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मृदा अपरदन, लवणता और जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से राज्य इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ग) इन समस्याओं से निपटने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार क्या विशेष योजना बनाई गई और क्या सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. रत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। कृषि विभाग देश में विभिन्न कार्यक्रम, नामत: (1) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती क्षेत्र में पनधारा विकास परियोजनाएं (3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम (4) मृदा अपरदन/भूमि अवक्रमण के नियंत्रण के लिए क्षारीय मृदा सुधार चला रहा है मृदा अपरदन लवणीयता और जलमग्नता के अधीन राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मृदा अपरदन/भूमि अवक्रमण की समस्याओं पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

कृषि विभाग ने बुरी तरह प्रभावित राज्यों में तटवर्ती और अंतवर्ती लवणीयता समस्या ग्रस्त क्षेत्र की सीमा का जायजा लेने के लिए एक समिति गठित की है। समिति द्वारा तीन राज्यों, नामत: गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान, करनाल को लवणीयता की समस्या के समाधान के लिए अग्रणी परियोजना निरूपण हेतु अनुरोध किया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय देश में केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन जलमग्न क्षेत्रों के सुधार पर नया घटक क्रियान्वित कर रहा है। अब तक 2331 लाख रु. की कुल लागत वाली 285 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। विवरण निम्नवत हैं:-

राज्य	परियोजना की संख्या		सुधार की लागत (लाख रु. में)	
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
बिहार	15	24	20.4	81.9
गुजरात	-	7	-	136.7
जम्मू व कश्मीर	3	-	155.0	-
कर्नाटक	8	1	41.4	10.0
केरल	188	33	1553.2	283.0
उड़ीसा	6	-	49.1	-
कुल	220	65	1819.1	511.6

विवरण I

मृदा अवक्रमण, लवणता तथा जल जमाव से प्रभावित राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र : लाख हैक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जल अवक्रमण	वायु अवक्रमण	लवणता	जल जमाव
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	103.54	–	2.40	3.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.58	–	–	–
3.	असम	13.34	–	–	4.50
4.	बिहार	32.39	–	0.04	7.07
5.	गोवा	1.35	–	–	–
6.	गुजरात	94.62	7.04	10.42	4.84
7.	हरियाणा	15.35	14.00	5.26	6.20
९	हिमाचल प्रदेश	10.75	–	–	–
	जम्मू व कश्मीर	6.73	–	–	0.10
10.	कर्नाटक	102.25	–	4.04	0.10
11.	केरल	15.77	–	1.17	0.61
12.	मध्य प्रदेश	155.10	–	2.42	0.57
13.	महाराष्ट्र	175.89	–	5.34	1.11
14.	मणिपुर	2.94	–	–	–
15.	मेघालय	5.48	–	–	–
16.	मिजोरम	2.87	–	–	–
17.	नागालैंड	2.77	–	–	–
18.	उड़ीसा	27.71	–	4.04	0.60
19.	पंजाब	9.14	–	7.18	10.90
20.	राजस्थान	188.41	156.92	10.00	3.48
21.	सिक्किम	2.58	–	–	–
22.	तमिलनाडु	32.42	–	1.04	0.18

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	0.45	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	58.98	–	12.95	19.80
25.	पश्चिम बंगाल	7.61	–	9.86	21.80
26.	केन्द्र शासित प्रदेश	1.21	–	–	0.01
	कुल	1071.26	177.96	76.16	85.26

विवरण II

कृषि एवं सहकारिता विभाग के मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 19998-99 तथा 1999-2000 के दौरान राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1368.00	1551.50	1665.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.00	181.00	127.00
3.	असम	145.00	170.00	120.00
4.	बिहार	98.00	125.00	0.00
5.	गुजरात	966.00	2433.00	2480.00
6.	हरियाणा	180.00	465.77	245.00
7.	हिमाचल प्रदेश	770.00	1068.20	762.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	566.00	637.00	665.00
9.	कर्नाटक	3050.00	3115.00	3200.00
10.	केरल	500.00	1502.88	390.00
11.	मध्य प्रदेश	3028.00	4013.59	4750.00
12.	महाराष्ट्र	3320.00	4360.00	1500.00
13.	मणिपुर	605.00	265.00	460.00
14.	मेघालय	120.00	360.00	410.00
15.	मिजोरम	525.00	1140.00	866.00
16.	नागालैंड	460.00	1000.00	900.00

1	2	3	4	5
17.	उड़ीसा	1300.00	662.39	500.00
18.	पंजाब	242.60	321.00	123.00
19.	राजस्थान	4198.00	5559.00	5130.00
20.	सिक्किम	90.00	150.00	200.00
21.	तमिलनाडु	1500.00	2230.00	2075.00
22.	त्रिपुरा	261.00	480.00	551.00
23.	उत्तर प्रदेश	3255.40	4184.44	3575.03
24.	पश्चिम बंगाल	110.00	620.00	750.00
25.	गोवा	0.00	8.00	3.00
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	25.00	65.00	34.00
27.	दादरा एवं नगर हवेली	1.00	1.00	0.00
	कुल	26894.00	36668.77	31481.03

बुधवार को लोक शिकायत दिवस के रूप में नियत करना

1602. श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री जयभद्र सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार विभाग ने मार्च, 1988 में एक परिपत्र जारी करके मंत्रालयों आदि को बुधवार को कोई बैठक न रखकर लोक शिकायतों पर मुलाकात के लिए पूर्व-निर्धारित समय के बिना ध्यान देने की सलाह दी थी;

(ख) परिपत्र में निहित बातों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बुधवार को अधिकारियों की उनके कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई करने का है ताकि वे लोक शिकायतों की सुनवाई के बाद अपेक्षित भाषा में उनका उत्तर दें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 1 मार्च, 1988 को दिशा-निर्देश जारी किये थे जिसमें बैठक-विहीन दिवस निश्चित करने, शिकायत निवारण प्रणाली का निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में एकीकरण, पूर्ण-कालिक शिकायत अधिकारी के नामांकन आदि जैसे उपायों के माध्यम से लोक शिकायत तंत्र को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) से (घ) इस परिपत्र में दिये गये विभिन्न दिशा-निर्देशों का आमतौर पर विभिन्न मंत्रालय/विभागों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के शिकायत निवारण तंत्र के कार्य-निष्पादन पर आवधिक रूप से निगरानी रखने की दृष्टि से सचिवों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस स्थायी समिति द्वारा की गई समीक्षा के फलस्वरूप, मंत्रिमंडल सचिव ने 17 फरवरी, 2000 को भारत सरकार के सभी सचिवों को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें तात्कालिकता और शिष्टाचार के महत्व के प्रति लोक सेवा के दायित्व तथा निर्दिष्ट दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषतौर पर

संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के जनता/प्रयोक्ता के लिए उपलब्ध होने की जरूरत के महत्व पर जोर दिया गया है।

श्रम कानून

1603. डा. संजय पासवान: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मान्यताप्राप्त श्रम संघों के एकाधिकार समाप्त करने और औद्योगिक जनतंत्र स्थापित करने हेतु प्रत्येक दो वर्ष बाद चुनाव कराने को आवश्यक बनाना है और इसके लिए कानून में संशोधन करने का हैं;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक संशोधित करने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा/उन्हें अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा संशोधन करना/नए विधान बनाना समीक्षा के परिणामों पर निर्भर करता है। सरकार ने 15.10.99 को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी गठन किया है, जो श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगा और श्रम विधान/नीति में समुचित परिवर्तनों के बारे में सुझाव देगा। आयोग अंसगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों से संबंधित मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों के न्यूनतम संरक्षण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान के बारे में सुझाव देगा।

इस समय आचार संहिता, जो किसी विधायी समर्थन के बिना एक स्वैच्छिक संहिता है, के लिए 1958 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 16वें सत्र में संघों की मान्यता के लिए विकसित मानदण्ड के अनुसार संघों को मान्यता देने के लिए प्रबन्धन की आवश्यकता है। संक्षेप में, इस मानदण्ड में यह उल्लिखित है कि जहां एक से अधिक संघ है, मान्यता का दावा करने वाले एक संघ को पंजीकरण के बाद कम से कम एक वर्ष तक कार्य किया हुआ होना चाहिए, जहां केवल एक संघ है, तब यह शर्त लागू नहीं होगी। इसमें आगे यह बताया गया है कि संघ की सदस्यता में संबंधित प्रतिष्ठान के कम से कम 15 प्रतिशत लोग शामिल होने चाहिए। एक संघ किसी स्थानीय क्षेत्र में एक उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु केवल तभी दावा कर सकते हैं जब उस क्षेत्र के उदयोग के कम से कम 25 प्रतिशत कर्मकार इसके सदस्य हों। जब एक संघ को मान्यता दे दी जाती है तो दो वर्षों की अवधि के लिए इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

भारत के परमाणु सिद्धांत मसौदे पर अमरीकी रुख

1604. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका अभी भी भारत के परमाणु सिद्धांत के मसौदे का आलोचक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका अभी भी पाकिस्तान के नये सैनिक शासन के बारे में अपने रुख पर स्पष्ट नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने स्पष्ट रूप से अमरीका को बता दिया है कि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या अमरीका ने हमारे रुख की प्रशंसा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया "भारतीय नाभिकीय सिद्धांत" नामक प्रारूप दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से एक हैं; यह सरकार का नीतिगत दस्तावेज नहीं है। रक्षा स्थिति का मसाला उन मसलों में से एक है जिन पर अमरीका के साथ हमारी, द्विपक्षीय बातचीत में चर्चा चल रही है। इस वार्ता से अमरीका के प्राधिकारियों में हमारी सुरक्षा हित-चिन्ताओं के प्रति बेहतर समझबूझ बनी है। मार्च में अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर चल रही अपनी वार्ता का सकारात्मक आकलन किया और इस बात पर सहमति जताई कि यह वार्ता जारी रखी जाए।

(ख) और (ग) 25 मार्च, 2000 को इस्लामाबाद में अपने थोड़े से समय के विश्राम के दौरान के साथ-साथ कई अवसरों पर अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं और यह कि उस देश के साथ राजनीतिक एवं राजनयिक सम्पर्क सैन्य शासन का समर्थन नहीं है।

(घ) अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी है कि एक उपयोगी बातचीत के लिए

उपयुक्त वातावरण पाकिस्तान को तैयार करना है और इसके लिए पाकिस्तान को भारत में सीमा पार से आंतकवाद का प्रायोजन करना एवं उसका समर्थन करना बन्द करना चाहिए।

(ङ) और (च) अमरीकी पक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता पुनः शुरू होने की उम्मीद जताई है। अमरीकी पक्ष ने अपनी स्थिति दोहराई है जैसा कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने स्पष्ट किया है अर्थात् संयम बरतना, नियंत्रण रेखा का सम्मान करना, हिंसा से दूर रहना एवं संचार की लाइनों को नवीकृत करना। अमरीकी पक्ष ने भारत के इस दृष्टिकोण के लिए सहानुभूति व्यक्त की है कि पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर में सीमा-पार से आतंकावाद और हिंसा के प्रति अपने समर्थन को बन्द करे तथा बातचीत के लिए वातावरण तैयार करे।

[हिन्दी]

गंगा नदी बाढ़ नियंत्रण आयोग

1605. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी बाढ़ नियंत्रण आयोग की हाल ही में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में सुझावों/सिफारिशों पर क्या चर्चा की गई है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी हां, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की तीसवीं बैठक 29 मार्च, 2000 को भोपाल में हुई थी।

(ख) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की उपर्युक्त बैठक में विचार विमर्श की गई मुख्य मदें हैं – राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की सिफारिशों का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का गठन/बैठकें, बाढ़ मैदान मंडलन मानचित्रों को तैयार करना, बाढ़ मैदान मंडलन विधेयक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार किए गए बाढ़ प्रबंधन के वास्ते उप-बेसिनवार व्यापक योजनाओं का क्रियान्वयन, गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमों की मानीटरी और मूल्यांकन, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन मूल्यांकन, गंगा नदी का आकारिकी अध्ययन और गंगा बेसिन में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्य करना।

(ग) बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सभी गंगा बेसिन राज्यों को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त परिचालित कर दिए गये हैं।

इस्राइल द्वारा रडारों की आपूर्ति

1606. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस रिपोर्टों के अनुसार अमरीका ने इस्राइल पर आधुनिक इस्राइली रडार प्रणाली की बिक्री भारत को करने के सिलसिले में दबाव डाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामला इस्राइल की सरकार के साथ उठाया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) परिष्कृत इजरायली राडार प्रणालियों की भारत को बिक्री करने के बारे में अमरीका द्वारा इजरायल पर डाले जा रहे किसी दबाव की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी की अस्थियां लाया जाना

1607. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान से नेताजी की अस्थियां लाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत 14 मई, 1999 को भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। इस आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ कि क्या जापान के मंदिर में रखी गई अस्थियां नेताजी की अस्थियां हैं, सहित 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने से संबद्ध सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। इस जांच आयोग की अवधि मई, 2001 तक बढ़ाई गई है।

(क) क्या ''बुक बैंक स्कीम'' अपने उद्देश्य में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस स्कीम की सफलता के लिए क्या प्रयास किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। योजना अपना लक्ष्य प्राप्त कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस योजना को व्यापक आधार देने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे 1998 में संशोधित किया गया।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

1612. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरदार सरोवर परियोजना की संशोधित लागत तथा इसके पूरा किए जाने की समयावधि क्या है और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या समय तथा लागत के संबंध में परियोजना लागत में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अत्यंत विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में किसी संसद सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(च) परियोजना का बाकी कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) अक्तूबर, 1988 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गये अनुसार 1986-87 के मूल्य स्तर पर सरदार सरोवर परियोजना की मूल अनुमानित लागत और फरवरी, 2000 तक हुआ व्यय नीचे दिए गये अनुसार है:-

इकाई/समूह	अनुमोदित लागत (1986-97) मूल्य स्तर	फरवरी, 2000 तक संचयी व्यय
इकाई-1 बांध और अनुषंगी कार्य	1019.45	1840.11
इकाई-2 मुख्य नहर	1588.54	2804.14
इकाई-3 जल विद्युत	979.96	969.82
समूह-4 शाखाएं और वितरिकाएं	2818.10	2044.08
समूह-5 साझा व्यय	-	1519.52
समूह-6 न बांटने योग्य व्यय	-	17.99
कुल	6406.04	9195.66

I. यूनिट-1			
	98.88	85.75	84.40
	100.00	100.00	100.00
II. यूनिट-2			
1. नर्मदा मुख्य नहर (0 से 144.5 किमी.)	99.47	99.98	97.52
2. नर्मदा मुख्य नहर (144 से 263 कि.मी.)	95.24	94.70	91.21
III. यूनिट-3	95.85		
1. खुला भूमिगत नदी तल बिजलीघर	91.55		
2. नहर मुख्य बिजलीघर	100.00	100.00	100.00
IV. यूनिट-4			
1. शाखा नहर (0-144 किमी)	97.56	93.92	98.66
2. वितरण प्रणाली	83.15	84.34	87.95
3. सात मुख्य संरचनाएं	99.12	81.48	92.66
4. शाखा नहर (144-263 किमी)	79.71		50.00
5. सौराष्ट्र शाखा नहर और इसकी शाखाएं	89.72		73.11

मूल निर्माण कार्यक्रम के अनुसार सरदार सरोवर बांध को जून, 1998 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम था। तथापि, नर्मदा बचाओं आंदोलन द्वारा दायर रिट याचिका की अप्रैल, 94 में सुनवाई करते समय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5.5.1995 को अपने आदेश में निदेश दिया कि बांध की प्रभावी उंचाई 81.5 मीटर आर.एल. पर रखी जाए और उसके बाद 18.2.99 को अंतरिम आदेश के तहत बांध की सुरक्षा के लिए आवश्यक हम्पस को छोड़कर बांध की ऊंचाई आर.एल. 85 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। लागत में वृद्धि का आकलन करने के लिए एक निश्चित निर्माण कार्यक्रम आवश्यक है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) संसद सदस्यों से कई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनको यह सूचित किया गया है कि मुख्यत: इस मामले के न्यायाधीन होने के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ है।

(च) बांध की और ऊंचाई बढ़ाने का मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है। तथापि, नर्मदा मुख्य नहर का निर्माण प्रगति पर है, इसे जून, 2004 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम हैं।

[हिन्दी]

1613. मोहम्मद अनवारुल हक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमएफआईएल) में विनिवेश के बाद यहां के कर्मचारियों की दशा में सुधार हुआ है;

(ख) कर्मचारियों के वेतनमान से संबंधित मोहन समिति की रिपोर्ट को लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब लागू किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) विनिवेश से पूर्व मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले आदेश और स्टाफ विनियमन, विनिवेश के बाद भी लागू हैं।

(ख) से (घ) सरकार के निदेशों और मोहन समिति की सिफारिशों पर जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार, संशोधित वेतनमानों को नहीं अपनाया जा सका क्योंकि मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1998-99 से घाटे में थी। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के कार्य निष्पादन में भी बड़ी तेजी से गिरावट आई थी इसलिए संशोधित वेतनमानों के दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना संभव नहीं था जोकि संशोधित वेतनमान अपनाने के लिए विचार करने हेतु एक पूर्व अपेक्षा है।

भारत सरकार की 74 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के साथ-साथ प्रबंध नियंत्रण 1 फरवरी, 2000 से स्ट्रेटजिक पार्टनर (मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड) को करने के फलस्वरूप अब यह मामला नये प्रबंधन के पास विचारार्थ है जो कर्मचारियों को पहले ही पर्याप्त अंतरिम राहतें दे चुका है।

जल बंटवारा समझौता

1614. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना जल के बंटवारे के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने एक अन्तर-राज्यीय समझौते पर 12 मई, 1994 को हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस समझौते को इसके नियम और शर्तों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी राज्य सरकारों के विरुद्ध केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाई की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 12.5.94 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, बेसिन राज्य माध्य वर्ष उपलब्धता के आधार पर आकलित यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आबंटन पर सहमत हो गये हैं:-

हरियाणा	-	5.730 बी.सी.एम.
उत्तर प्रदेश	-	4.032 बी.सी.एम.
राजस्थान	-	1.119 बी.सी.एम.
हिमाचल प्रदेश	-	0.378 बी.सी.एम.
दिल्ली	-	0.724 बी.सी.एम.

यमुना नदी की ऊपर पहुँचों में भण्डारणों का निर्माण होने तक, समझौता ज्ञापन में यमुना नदी के वार्षिक उपयोज्य प्रवाह के अन्तरिम मौसमी आबंटन की भी व्यवस्था की गई है। भण्डारणों का निर्माण हो जाने से इस अन्तरिम मौसमी आबंटन में ऊपर बताये गये अंतिम वार्षिक आबंटन के अनुसार उत्तरोत्तर रूप में सुधार हो जाएगा।

बशर्ते कि किसी वर्ष जब जल की उपलब्धता आकलित मात्रा से अधिक होगी उस वर्ष में जल की अधिशेष उपलब्धता को राज्यों के बीच उनके आबंटनों के अनुपात में वितरित किया जाएगा और जिस वर्ष में जल की उपलब्धता आकलित मात्रा से कम होगी तो उस वर्ष सर्वप्रथम दिल्ली के लिए पेय जल आबंटन की पूर्ति की जाएगी और शेष जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

अनुप्रवाह भण्डारणों के पूरा होने के अनुपात में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से वर्ष भर ताजेवाला के अनुप्रवाह तथा ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह पर 10 क्यूसेक तक न्यूनतम प्रवाह बनाये रखा जाएगा क्योंकि प्रतिप्रवाह भण्डारण क्रमबद्ध ढंग से उत्तरोत्तर रूप से बनाए जाते हैं।

प्रत्येक अभिज्ञात भंडारण के संबंध में अलग समझौते का क्रियान्वयन किया जाएगा।

अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा इस समझौते के समग्र ढांचे के भीतर लाभग्राही राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाहों का आबंटन विनियमित किया जाएगा।

यदि कोई बेसिन राज्य ऐसी मांग करता है तो इस समझौते की वर्ष 2025 के बाद समीक्षा की जा सकती है।

(ग) से (ङ) यह समझौता शर्तों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, कुछ राज्य अन्य लाभग्राही राज्यों द्वारा नियोजित की जा रही संवाहक प्रणाली की कम क्षमता के कारण यमुना जल के अपने आबंटित हिस्से को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह मामला अपर यमुना नदी बोर्ड के विचाराधीन है।

भारत द्वारा मामला दर्ज करना

1615. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराने जाने के संबंध में भारत के पक्ष में निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त न्यायालय ने पाकिस्तान द्वारा कारगिल में भारतीय ठिकानों पर हमले किए जाने के संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान ने 10 अगस्त 1999 को भारतीय वायु सीमा में काफी अंदर तक घुस आए उसके सैन्य लड़ाकू विमान अटलांटिक को मार गिराने के लिए भारत से मुआवजा प्राप्त करने के लिए 21 सितंम्बर, 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की थी। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए भारत ने कहा था कि न्यायालय की संविधि से संबद्ध अनुच्छेद 36(2) के अंतर्गत 17 सितम्बर, 1974 की भारत की घोषणा के अनुरूप यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। न्यायालय ने 21 जून, 2000 के अपने निर्णय में 2 मतों के मुकाबले 14 मतों से पाकिस्तान का आवेदन रद्द कर दिया तथा यह पाया कि यह मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका/श्रीलंका के साथ समझौता

1616. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु अमेरिका और श्रीलंका के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस समझौते को क्रियान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए अमेरिका/श्रीलंका के साथ निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

(1) कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के बीच 27 जनवरी, 1996 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) आपसी वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और श्रीलंका कृषि अनुसंधान नीति परिषद श्रीलंका के बीच 2 जुलाई 1998 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(3) श्रीलंका में पशुधन प्रजनन परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, भारत और श्रीलंका सरकार ने पशुधन विकास एवं संपदा अवसंरचना विभाग के बीच 16 अप्रैल, 1998 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अनुसंधान विकास संस्थानों में सहयोग तथा और अधिक अध्ययन किए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि कृषि अनुसंधानकर्त्ताओं और संस्थानों को परस्पर जानकारियों, विचारों, कुशलताओं और तकनीकों

का आदान-प्रदान करने, कृषि संबंधी सामान्य हित की समस्याओं के समाधान में सहयोग करने का अवसर मिल सके, और विशिष्ट कृषि और विकास सुविधाओं का उपयोग किया जा सके।

श्रीलंका कृषि अनुसंधान नीति परिषद के साथ सम्पन्न समन्व समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है।

भारतीय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) और श्रीलंका के साथ हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य श्रीलंका में पशुधन प्रजनन परियोजना का नियोजन और क्रियान्वयन करना है। इस परियोजना की अवधि 10 साल की है और इसकी अनुमानित लागत 297 मिलियन रुपये है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य श्रीलंका के दुग्ध क्षेत्र का पर्याप्त विकास करना है।

(ग) से (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विकास के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु उनको 26.8.96 को एक कार्ययोजना भेजी गई है। अभी उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

श्रीलंका कृषि अनुसंधान नीति परिषद के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए समझौते के क्रियान्वयन के लिए 2000-2001 के लिए एक द्विवार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। परस्पर अध्ययन दौरे करने और श्रीलंका के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू हो गई है।

श्रीलंका के साथ राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किए गए समझौते ज्ञापन के अंतर्गत, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की भूमिका इस परियोजना में तकनीकी सहयोग देने के लिए श्रीलंका में अपने परामर्शदाताओं को भेजने और श्रीलंका के परियोजना कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण देने तक सीमित है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कार्य श्रीलंका से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

औषध-वनस्पति की खेती संबंधी पाठ्यक्रम

1617. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों को औषध-वनस्पति की उपजों के संबंध में उनके अनुसंधान और विकास का दायरा बढ़ाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालयों में औषध-वनस्पति अभियांत्रिकी और औषध-वनस्पति कृषि संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुहैया कराई गई निधि से चल रही औषधीय व संगधीय पौधों पर अनुसंधान परियोजना के तहत आनन्द (गुजरात), हिसार (हरियाणा), फैजाबाद (उत्तर प्रदेश), सोलन (हिमाचल प्रदेश), इंदौर व मंदसौर (मध्य प्रदेश), अकोला (महाराष्ट्र), उदयपुर (राजस्थान) और वेल्लानिक्कार (केरल) स्थिति राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान केन्द्रों में जड़ी-बूटी वाली फसलों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 'हर्बल गार्डन' स्थापित करने के लिए निधि मुहैया कराई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्ति

1618. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों के रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज विकलांग व्यक्तियों और उग्रवाद से प्रभावित महिलाओं आदि का जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के अंत में, बिहार के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, निम्नानुसार थी:-

(लाख में)

वर्ष के अंत में	कुल रोजगार चाहने वाले	रोजगार की इच्छुक महिलाएं	रोजगार चाहने वाले विकलांग
1997	33.5	2.6	0.17
1998	33.1	2.8	0.17
1999	31.8	2.7	0.18

इन रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत आतंकवाद से प्रभावित विकलांग व्यक्तियों एवं महिलाओं का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा गया है।

कृषि विपणन सुविधाएं

1619. डा. गिरिजा व्यास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों में कृषि विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ करने, उन्नयन करने और इन्हें बढ़ाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) राज्यों में कृषि विपणन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और विस्तार की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों और कृषि उत्पाद विपणन समितियों की है, जिसे संबंधित राज्य कृषि विपणन विनियमन अधिनियमों के अधीन स्थापित किया गया है। फिर भी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, इस मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय देश में कृषि उत्पादों विपणन के समेकित विकास हेतु विभिन्न प्रयास कर रहा है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय के मुख्य कार्यकलाप कृषि उत्पादों के मानकीकरण और ग्रेडिंग के प्रवर्धन, विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और नियोजन और कृषि उत्पाद मंडियों के विनियमन और प्रबंध पर राज्य सरकारों के कार्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। हाल ही में बाजार सूचना/आंकड़ों का कुशल और समय पर उपयोग करने के लिए उनके त्वरित संकलन और प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए कृषि विपणन सूचना नैटवर्क की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के अधीन देश की मुख्य कृषि उत्पाद मंडियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों को कम्प्यूटर नैटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर मूल्य वसूलने में मदद करेगी।

[हिन्दी]

मानचित्र का प्रकाशन

1620. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यू डब्ल्यू एफ. इंडिया और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ. इंटरनेशनल के बीच कोई संबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को डब्ल्यू डब्ल्यू एफ. इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित मानचित्र से संबंधित कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) प्रकृति संबंधी विश्वव्यापी कोष-भारत (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया) एक गैर-सरकारी संगठन है जो कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और विकास से संबंधित मसलों से संबद्ध है। यह संगठन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ. समूह का एक भाग है। जिसमें 27 स्वतंत्र राष्ट्रीय संगठन हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ. इंटरनेशनल, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ समूह के संगठनों का समन्वय निकाय है।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडिया, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंटरनेशनल के विश्व 200 पारिस्थितिकी क्षेत्र मानचित्र में भारत की राष्ट्रीय सीमाओं का गलत चित्रण किया गया था। इस मामले की शिकायत इंडिया, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ. इंटरनेशनल से की गयी थी जिसने गलती को स्वीकार किया था और क्षमा मांगी थी। इंडिया, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंटरनेशनल ने सूचित किया कि भविष्य में विश्व 200 मानचित्र सहित मानचित्रों के प्रकाशन में अप्रसन्नता के प्रति सावधानी बरती जाएगी। सरकार ने इस समस्या के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है और इसके महत्व को दोहराया है जो वह भारत की राष्ट्रीय सीमाओं के सही चित्रण को देता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में जल संकट

1621. श्री तिरूनावकरसू: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में सदा बने रहने वाले जल संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों की सदाबहार नदियों में तमिलनाडु की शुष्क नदियों को जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) तमिनाडु में आठ जिले अर्थात् कोयम्बटूर, धरमपुरी, मदुरई, रामनाथपुरम, सलेम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी हैं जिनका क्षेत्रफल 84091 वर्ग किमी है इनकी पहचान देश के कुल 99 सूखा प्रवण जिलों में से सूखा प्रवणक्षेत्र के रूप में की गई है। केन्द्र सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना वर्ष 1980 में तैयार की थी। इसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के वास्ते जल को अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने तथा सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए, स्वायत्त सोसाइटी के रूप में जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण तमिलनाडु को सिंचाई सुविधा महैया कराने के लिए महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी और पम्बा अचनकेविल-वेप्पार को परस्पर जोड़े जाने की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया है। हस्तांतरण संपर्क प्रस्ताव का क्रियान्वयन निधियों की उपलब्धता और संबंधित राज्यों के बीच सर्वसम्मति होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार कर लिए जाने पर निर्भर करता है।

अनुसंधान और विकास में गैर-सरकारी संगठन और लघु कृषकों की सहभागिता

1622. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान और विकास नीति के सभी स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों और लघु कृषक संगठनों को शामिल करने की मांग को पूरा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) इस समय गैर-सरकारी संगठनों तथा छोटे किसानों के संगठनों को अनुसंधान के सभी स्तरों पर शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपने द्वारा स्थापित किये गये गैर-सरकारी संगठनों के साथ कृषि विज्ञान केन्द्रों को चलाने का पर्याप्त अनुभव है।

[हिन्दी]

मक्का आधारित प्रसंस्करण उद्योग

1623. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मक्का फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में मक्का आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) सरकार का विचार स्वयं मक्का आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का नहीं है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग अपनी योजना स्कीम के तहत मक्का के प्रसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता देता है। वैसे मक्का—स्टार्च और चारे समेत अन्य संबंधित वस्तुओं आदि का उत्पादन करने के लिए मुख्यत: महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और हरियाणा आदि में निजी सहकारी क्षेत्र में अनेक मक्का प्रसंस्करण उद्योग हैं।

पनधारा विकास परियोजना (उड़ीसा)

1624. श्री अनन्त नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में पनधारा विकास की कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है;

(ग) क्या पनधारा विकास की कुछ परियोजनाओं को विदेशी सहायता से उड़ीसा और अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) पनधारा विकास कार्यक्रम कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किये गये हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पनधारा विकास परियोजनाएं समेकित परती भूमि विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सहायता के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III दिया गया है।

कृषि मंत्रालय के अधीन, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है तथा झूम खेती क्षेत्रों में दूसरी पनधारा विकास परियोजना सात पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वयनाधीन है। पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-IV और V दिया गया है।

(ग) जी, हां। विदेशी सहायता से उड़ीसा और अन्य राज्यों में कुछ पनधारा विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(घ) विदेशी सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 1997-98 से 99-2000 के दौरान समेकित पनधारा विकास के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	416.62	383.00	484.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	9.00	0.00
3.	असम	36.78	24.52	197.69
4.	बिहार	0.00	0.00	37.63
5.	गुजरात	72.00	360.80	448.74
6.	हरियाणा	71.83	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	149.77	148.95	544.22
8.	जम्मू व कश्मीर	75.00	136.40	100.00
9.	कर्नाटक	293.92	513.41	707.33
10.	मध्य प्रदेश	213.23	210.53	916.81
11.	महाराष्ट्र	57.24	242.53	347.93
12.	मणिपुर	135.10	285.52	167.56
13.	मेघालय	0.00	0.00	65.09

1	2	3	4	5
14.	नागालैंड	72.00	294.00	168.42
15.	उड़ीसा	330.03	190.05	466.31
16.	राजस्थान	84.34	66.28	427.44
17.	सिक्किम	105.41	56.00	217.56
18.	तमिलनाडु	30.00	74.35	346.33
19.	उत्तर प्रदेश	556.99	899.99	1091.09
	कुल	2700.26	3895.33	6735.09

विवरण II

पिछले तीन वर्षों में राज्यों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता

(लाख रु.

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	2292	2290	2671
बिहार	115	238	230
गुजरात	528	777	879
हिमाचल प्रदेश	070	052	090
जम्मू व कश्मीर	113	040	220
कर्नाटक	786	908	802
मध्य प्रदेश	893	883	1402
महाराष्ट्र	1986	552	644
उड़ीसा	064	275	046
राजस्थान	419	173	386
तमिलनाडु	707	273	827
उत्तर प्रदेश	842	839	1093
पश्चिम बंगाल	260	-	209
कुल	9075	7400	9499

विवरण III

पिछले तीन वर्षों में राज्यों को मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता

(लाख रु.)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	421.69	482.62	437.062
गुजरात	1101.14	860.18	2750.847
हरियाणा	796.62	608.22	453.550
हिमाचल प्रदेश	150	30	255.00
जम्मू व कश्मीर	225	585	486.02
कर्नाटक	841.68	350.45	215.380
राजस्थान	3463.89	5063.56	3901.2155
कुल	7000	7980.03	8499.075
एन.आई.आर.डी. हैदराबाद			0.925
			8500.000

विवरण IV

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अधीन निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	700.00	900.00	900.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	31.00	17.00
3.	असम	-	125.00	-
4.	बिहार	-	125.00	-
5.	गोवा	-	8.00	3.00
6.	गुजरात	700.00	2000.00	2000.00

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	80.00	220.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश	120.00	175.00	200.00
9.	जम्मू व कश्मीर	108.00	38.00	15.00
10.	कर्नाटक	2100.00	2000.00	1700.00
11.	केरल	500.00	1434.00	350.00
12.	मध्य प्रदेश	1434.00	1609.00	2650.00
13.	महाराष्ट्र	2500.00	3060.00	800.00
14.	मणिपुर	250.00	200.00	300.00
15.	मेघालय	–	200.00	250.00
16.	मिजोरम	225.00	700.00	466.00
17.	नागालैंड	160.00	500.00	500.00
18.	उड़ीसा	1200.00	550.00	200.00
19.	पंजाब	40.00	45.00	8.00
20.	राजस्थान	2581.00	4000.00	3700.00
21.	सिक्किम	90.00	150.00	200.00
22.	तमिलनाडु	900.00	1650.00	1700.00
23.	त्रिपुरा	130.00	300.00	350.00
24.	उत्तर प्रदेश	1000.00	1750.00	1512.00
25.	पश्चिम बंगाल	10.00	600.00	750.00
26.	दादर व नगर हवेली	1.00	1.00	-
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	25.00	65.00	34.00
	कुल	14864.00	22436.00	18640.00

विवरण V

पिछले तीन वर्षों (1998-2000) के लिए झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना के अधीन केन्द्रीय सहायता

(लाख रु.)

राज्य	निर्मुक्त धनराशि
1	2
अरुणाचल प्रदेश	460
असम	280
मणिपुर	580
मेघालय	440
मिजोरम	1140
नागालैंड	1200
त्रिपुरा	400
कुल	4500

विवरण VI

बाह्य सहायता प्राप्त (विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता प्राप्त) कृषि परियोजना का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

परियोजना का नाम तथा अवस्थिति का राज्य	दाता का नाम	शुरू होने और समाप्ति की तारीख	विदेशी सहायता की धनराशि
समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाडी-2) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, और उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	15.9.1999 से 2004	66822.00
बिहार प्लेटो विकास परियोजना, बिहार	विश्व बैंक	7.12.1999 से 30.6.2000	40143.00
उ.प्र. विविधीकृत कृषि समर्थन परियोजना, उ.प्र.	विश्व बैंक	30.7.1998 से 31.3.2004	55730.00
असम ग्रामीण अवसंरचना और कृषि समर्थन परियोजना	विश्व बैंक	6.6.1995 से 31.12.2003	39564.00
कृषि विकास परियोजना राजस्थान	विश्व बैंक	17.12.1992 से 30.9.2000	36290.00
यूरोपीय आर्थिक सहायता प्राप्त दून घाटी समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना उ.प्र.	विश्व बैंक	जून 1993 से दिसम्बर, 2001	7875.00

बाह्य सहायताप्राप्त (द्विपक्षीय सहायताप्राप्त) परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

परियोजना का नाम तथा अवस्थिति का राज्य	दाता का नाम	शुरू होने और समाप्ति की तारीख	परियोजना की लागत
2	3	4	5
व्यापक पनधारा विकास परियोजना, तिरुनेलवेली, चरण-2 तमिलनाडु	डैनिडा	5.8.1994 से 5.7.2001	4172.40

1	2	3	4	5
2.	व्यापक पनधारा विकास परियोजना, रामनाथपुरम तमिलनाडु	डैनिडा	8.11.1994 से 31.12.1999	1300.30 31.12.1999
3.	व्यापक पनधारा विकास परियोजना, मध्य प्रदेश	डैनिडा	13.3.1997 से 13.3.2002	1315.50
4.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना चरण-2 कर्नाटक	डैनिडा	2.6.1997 से 2.6.2004	2233.50
5.	व्यापक पनधारा विकास परियोजना, कोरापुट उड़ीसा	डैनिडा	5.10.1992 से	1325.00 4.10.2000
6.	समेकित पनधारा विकास परियोजना, कर्नाटक	के.एफ. डब्ल्यू (जर्मनी)	जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2002	5508.00
7.	इंडो जर्मनी पनधारा विकास परियोजना महाराष्ट्र, चरण-1	के.एफ.डब्ल्यू (जर्मनी)	दिसम्बर, 1991 से दिसम्बर, 2000	2666.50
8.	इंडो जर्मन पनधारा विकास परियोजना, महाराष्ट्र, चरण-2	के.एफ. डब्ल्य (जर्मनी)	जून, 1997 से दिसम्बर,	5600.00 2005
9.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना समिति, कर्नाटक	डी एफ आई डी	1.4.1998 से 1.10.2003	8340.00
10.	पनधारा प्रबंध पर इंडो जर्मन द्विपक्षीय परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश	जी टी जेड	जुलाई, 1997 से दिसम्बर, 2000	1060

[हिन्दी]

उर्वरकों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव

1625. श्री राम टहल चौधरी:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 'ब्राउन रस्ट डिजिज' तथा उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों तथा कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। हाल के वर्षों में गेहूं में 'ब्राउन रस्ट' की घटनाओं में तेजी नई आई है। हालांकि वर्ष 1998-99 के फसल मौसम के अंत तक केन्द्रीय और उपमहाद्वीपी क्षेत्रों में ब्राउन रस्ट की घटनाएं कुछ पुरानी संवेदनशील किस्मों में देखने में आई थी। उत्तर पश्चिम के मैदानी भाग (पंजाब) में गेहूं की एच.बी. 2329 किस्म में ब्राउन रस्ट की घटना देखने में आई थी हालांकि राज्य के अधिकतम भागों में बोयी जाने वाली गेहूं की पी.बी. डब्ल्यू 343 किस्म में 'ब्राउन रस्ट' की घटना होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ब्राउन रस्ट की घटना कानपुर, (उत्तर प्रदेश) और जयनगर (हिमाचल प्रदेश) में भी देखने को मिली है।

जहां तक उर्वरकों का सवाल है, हाल के वर्षों में पादप पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग में सुधार आया है। एन.पी.के. का अनुपात जो 1992-93 में 9.5.3.2 था कम होकर 1999-2000 के दौरान 6.9:.7:1 हो गया है जिससे संकेत मिलता है कि फास्फेट और पोटाश के प्रयोग में सुधार आया है।

(ग) से (च) भारत सरकार देश में उर्वरकों की खपत और कृमिनाशियों के उपयोग का नियमित रूप से मानिटर कर रही है। प्रति हैक्टयर 90.04 किलों एन.पी.के. की खपत (अनुमानित 1998-99) के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं देखा गया है। पादप पोषक तत्वों का कुशल और लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समेकित पादप पोषक तत्व प्रबंध और मृदा परीक्षण आधारित अनुप्रयोग का प्रचार किया जा रहा है।

रासायनिक कृमिनाशियों के प्रयोग के कारण संभावित बुरे प्रभाव से बचने के लिए सरकार समेकित कृमि प्रबंध पद्धतियों का समर्थन कर रही है। इस कार्यनीति के अधीन कृमि संबंधी समस्याओं का प्रतिरोधी फसल किस्मों प्राकृतिक परजीवियों और परभक्षियों के उपयोग जैसी गैर-रासायनिक पद्धतियों द्वारा समाधान किया जा रहा है। केवल सुरक्षित रसायन के आवश्यकता आधारित उचित उपयोग का समर्थन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप रासायनिक कृमिनाशियों का उपयोग वर्ष 1994-95 के दौरान 61357 मी. टन. (तकनीकी ग्रेड) से घटकर 1998-99 के दौरान 49157 मी. टन (तकनीकी ग्रेड) हो गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण

1626. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को बिहार विशेषत: बिहार के कटिहार जिले से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण प्राप्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए;

(ग) शेष आवेदनों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन लंबित आवेदनों का निपटान कब तक कर लिए जाने की संभावना हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उचित कार्यान्वयन हेतु उपरोक्त योजना की समीक्षा की है;

(च) क्या बिहार में उक्त योजना के कार्यान्वयन में बहुत सी अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(छ) क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बिहार राज्य और बिहार के कटिहार जिले में ऋण के लिए प्राप्त आवेदन और बैंकों को की गई सिफारिश दशनि का विवरण संलग्न है।

(ग) मानदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से उनके लक्ष्य की 125% तक प्रार्थना पत्र बैंकों को भेजने को कहा गया है। तथापि बिहार के कटिहार जिले में बैंकों को प्रार्थना पत्र भेजने का जिले का लक्ष्य जिला उद्योग केन्द्र कार्यदल समिति द्वारा अपात्र प्रार्थना पत्रों की अस्वीकृति तथा साक्षात्कार आदि के समय आवेदकों की अनुपस्थिति के कारण 125 प्रतिशत से कम था।

(घ) कार्यान्वयन एजेंसियों को अनिर्णित पात्र प्रार्थना-पत्रों को आगे विचार करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) जिला राज्य और केन्द्र स्तर पर नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

(च) बिहार में योजना के कार्यान्वयन में कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में 1993-94 से 1999-2000 के दौरान 133211 के लक्ष्य की तुलना में 83802 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए गए और 66848 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संवितरित किए गए।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में और कटिहार जिले में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए प्राप्त तथा बैंकों को सिफारिश किए गए प्रार्थना-पत्रों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य		प्राप्त प्रार्थना पत्र		राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बैंक को सिफारिश किए गए प्रार्थना प	
		बिहार संख्या	कटिहार संख्या	बिहार संख्या	कटिहार संख्या	बिहार संख्या	कटिहार संख्या
1.	1997-98	21500	340	43221	723	37320	580
2.	1998-99	20500	378	52141	513	26608	378
3.	1999-2000 (मई, 2000 तक)	21800	340	34934	612	25277	349

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर

1627. श्री रघुनाथ झा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए और उन्हें मुक्त कराने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर सर्तकता समितियां गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सतर्कता समितियों का गठन जिला और उप-संभागीय दोनों स्तरों पर किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुक्त कराए गये/छोड़े गए बंधुआ श्रमिकों के राज्य-वार और संघ-शासित क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

वर्ष	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मुक्त कराये गए/छोड़े गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
1997-98	तमिलनाडु	6000
1998-99	बिहार	98
	उड़ीसा	35
	तमिलनाडु	5578
	उत्तर प्रदेश	249
1999-2000	अरुणाचल प्रदेश	1416
	राजस्थान	80
	तमिलनाडु	6620
	उत्तर प्रदेश	79
	कुल	20,155

[हिन्दी]

बीजा व्यवस्था

1628. श्री विष्णुदेव साय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से देशों को वीजा जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) कौन-कौन से देशों ने यह सुविधा 2000-2001 में बंद कर ली है;

(ग) संयुक्त अरब अमीरात ने किन कारणों से भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार किसी एक देश के राष्ट्रिकों को दूसरे देश में प्रवेश के लिए वीजा जारी करने हेतु किसी औपचारिक द्विपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है यदि वे दोनों देश एक दूसरे को मान्यता देते हैं।

(ख) शून्य

(ग) संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करना बन्द नहीं किया है। विगत की भांति भारतीय राष्ट्रिकों को संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारी यात्रा, रोजगार एवं आगमन के लिए वीजा जारी कर रहे हैं। तथापि कई एअरलाइनों और हाटलों को जिन्हें उन विदेशी पर्यटकों को भेजने के लिए अधिकृत किया गया था जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचने पर आगमन/यात्रा वीजा मंजूर किया गया था, को संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने निदेश दिया है कि वे कतिपय राष्ट्रिकों को जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, तब तक यह सुविधा देना बन्द कर दें, जब तक वे यह सुनिश्चित न कर सकें कि अपने देश की समाप्ति से पहले ऐसे सभी पर्यटक अपने-अपने देशों को लौट जाएंगे।

(घ) सरकार की दखलंदाजी को इस स्तर पर लाभदायक नहीं समझा गया है।

पासपोर्ट कार्यालयों को सेटेलाइट के माध्यम से परस्पर जोड़ना

1629. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय स्थान-वार कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को सेटेलाइट के माध्यम से परस्पर जोड़ने का है ताकि कोई व्यक्ति दो विभिन्न शहरों से दो पासपोर्ट प्राप्त न कर सके; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) इस समय देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय हैं जो अहमदाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जालंधर, कोजिकोड, लखनऊ, मुम्बई, नागपुर, पणजी, पटना पुणे, श्रीनगर, थाणे, त्रिचि, त्रिवेन्द्रम और विशाखापट्टनम में अवस्थित हैं।

(ख) हम केन्द्रीय डाटा बेस बनाने के लिए सीडी रोम पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों से डाटा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के पश्चात पासपोर्ट कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे एक ही व्यक्ति द्वारा दो विभिन्न शहरों से दो अलग-अलग पासपोर्ट प्राप्त करने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी।

(ग) पासपोर्ट कार्यालयों को आपस में जोड़ने की परियोजना अभी योजना स्तर पर है जिसको पूरा होने में 2-3 वर्ष लगेंगे।

नारियल जटा कामगार कल्याण निधि (क्वायर वर्कर्स वेल्फेयर फंड) हेतु सहायता

1630. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल की राज्य सरकार से केरल नारियल जटा कामगार कल्याण निधि परिषद, (केरल क्वायर वर्कर्स वेल्फेयर फंड बोर्ड) के लिए वित्तीय सहायता से संबधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने कॅयर कामगारों के लिए अपनी विभिन्न कल्याण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए रु. 10 करोड़ के केन्द्रीय अनुदान

विवरण

राज्य श्रेणियां—वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (राज्य आय)

(25-7-2000 की स्थिति के अनुसार) (रुपये)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 (त्वरित अनुमान) क्यू
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	13853
	अरुणाचल प्रदेश	12929
	असम	8700
	बिहार	5923
	गोवा	एन.ए.
	गुजरात	18792
	हरियाणा	19773
	हिमाचल प्रदेश	12692
	जम्मू व कश्मीर	एन.ए.
0.	कर्नाटक	15889
1.	केरल	17756
2.	मध्य प्रदेश	10147
3.	महाराष्ट्र	23849
4.	मणिपुर	10599
5.	मेघालय	11882
6.	मिजोरम	एन.ए.
7.	नागालैंड	एन.ए.
	उड़ीसा	8719
	पंजाब	21863
	राजस्थान	11045
	सिक्किम	एन.ए.
	तमिलनाडु	17525
23.	त्रिपुरा	8669
24.	उत्तर प्रदेश	9261
25.	पश्चिम बंगाल	12961
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.
27.	चंडीगढ़	एन.ए.
28.	दिल्ली	27693
29.	पांडिचेरी	22956
	अखिल भारत	14682
	प्रति व्यक्ति एनएनपी	

स्रोत: क्रम सं. 1-29 के लिए - संबंधित राज्य सरकारों का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए- केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

क्यू-त्वरित अनुमान

[हिन्दी]

बैंकों के जरिए पेंशन का भुगतान

1634. श्री राजो सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों को सरकारी कोषों के स्थान पर बैंकों के जरिए पेंशन का भुगतान होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में पेंशन की भुगतान संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन तीन स्रोतों से प्राप्त करने का

विवरण

त्र	10 से 20 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या
ान्ध्र प्रदेश	1293
त्तर पूर्वी क्षेत्र	458
ल्ली	18,100
जरात	40,000
रियाणा	2800
रल	5016
हाराष्ट्र	38,834
ध्य प्रदेश	1815
जाब	2982
जस्थान	3917
उत्तर प्रदेश	18,820
पश्चिम बंगाल	14,750
बिहार	10,000
तमिलनाडु	4464
उड़ीसा	636

अल्माटी बांध

1637. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अल्माटी बांध के बारे में अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारें न्यायालय के निर्णय को लागू करने हेतु सहमत हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय को भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में कर्नाटक अथवा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों दोनों में से किसी की आपत्ति की कोई जानकारी नहीं है। इस निर्णय के अनुसरण में, 519.6 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर के अलमट्टी बांध सहित अपर कृष्णा चरण-2 बहुउद्देशीय परियोजना (सिंचाई भाग) को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से 31.5.2000 को स्वीकृत किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

1638. श्री टी. गोविन्दन:
श्री समर चौधरी:

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों, विशेषकर केरल और त्रिपुरा से खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम के तहत, केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सहकारिताओं को सहायता अनुदान दिया जा सकता है बशर्ते कि लागू करने वाली एजेंसी अपेक्षित आवास, जनशक्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हों।

प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश हेतु अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। केरल और त्रिपुरा में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या क्रमश: छ: और एक है। केरल से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन त्रिपुरा से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव योजना स्कीम के अनुसार नहीं था इसलिए संबंधित संगठन को कहा गया है कि वह प्रस्ताव को दोबारा से तैयार करे।

विवरण

1992-93 से 1999-2000 के दौरान सहायताप्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खा.प्र. तथा प्रशिक्षण केन्द्र की सं.	स्थान
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	डिगलीपुर (उत्तरी अंडमान)
2.	आंध्र प्रदेश	5	हैदराबाद, जडेचेरला (जिला महबूबनगर), गांधीनगर (हैदराबाद), करीमनगर, नगरकुरनूल (जिला महबूबनगर)
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	जिला पश्चिम सियांग
4.	असम	25	उलूबारी (जिला गुवाहाटी), नौगांव, जोरहाट, शिबसागर, तिनसुकिया, सिल्चर, कोकराझार, मंगलदोई, बोंडा, चन्द्रपुर, बगीचा (जिला कामरूप), तेजपुर, जगी रोड, नालबाडी, रंगिया, धुबरी, हाउली (जिला बारपेट), बेलटोला (सेजनगर, जिला गुवाहाटी) मजगांव (जिला नवगांव) तोपाटोली (जिला कामरूप), सोनापुर (जिला कामरूप चमटा (जिला नलबारी), मोरीगांव, मंगलदोई (जिला दर्रांगा) खकपारा या जलुकबाडी
5.	बिहार	27	बारियातू, अंगारा, गुमला, गोत्रा, तोरपा, दुमका, गुमला, साहिबंगज, तोरपा, लुम्बई, (जि. बंदगांव) बारद्वारी (जि. जमशेदपुर), चांदिल (जि. पूर्वी सिंहभूमि), भांद्रा (जि. लोहारडगा), चक्रधरपुर (जि. पश्चिम सिंहभूम), आसनसोल (जि. डुमका), दानापुर रोड़ (जि. पटना), रामगढ़ कैंट दानापुर, देवधर, सुतिहार-नवादा (जि. सारन-छपरा) आराका जयप्रकाश नगर (जि. भोजपुर), तिताउथर (जि. रोहतास), रघुनाथपुर का सिरीधरनगर (जि. मुजफ्फरपुर), बख्तियारपुर (जि. पटना), नायाटोला (जि. पटना), गुलजारबाग (जि.पटना), बेहाट।
6.	दिल्ली	7	दिल्ली कैंट, बुराडी (दिल्ली का उत्तरी जि.) हस्तसाल (प. दिल्ली), बपरोला (प. दिल्ली), पडपड़गंज (पूर्वी दिल्ली), कंझावला (उ. दिल्ली), लाडपुर (जि. उ. दिल्ली)

1	2	3	4
7.	गुजरात	3	गंडवी, जूनागढ़, बरदोलाई (जि. सूरत)
8.	हरियाणा	9	करनाल, मुरथल (जि. सोनीपत), ताडरू (गुडगांव), अम्बाला, सिरसा, नारनौल, सोनीपत, भुवनेश्वरी (जि. गुडगांव), फारूखनगर (जि. गुडगांव)
8.	हिमाचल प्रदेश	7	शोगी, कतैरल (जि.कूल्लू), कल्पा (जि. किन्नौर), फागु (जि. शिमला), सुबापू (शिमला हिल्स), तारादेवी, उदयपुर (जि. चम्बा)
10.	जम्मू और कश्मीर	8	कठुआ, कुपवाड़ा, श्रीनगर, रजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, प. उदयवाला (जम्मू शहर), शालीमार कैम्पस
11.	कर्नाटक	11	हब्बल, हलकोटी (जि. धारवाडड), गुलबर्गा, बिदार, गोनीकोप्पल (जि. कुर्ग), मुदीगेरे (जि. चिकमगलूर) आरभावी (जि. बेलगांव), बेलगांव, बंगलौर, का कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय हुदली (जि. बेलगांव) बेलगांव
12.	केरल	6	वेल्लमानी, वेल्लानीकश, अल्यूवा (जि. कोचीन), चंगाचैरी, नरीकुन्नी (जि. कोजीकोड), मटूटनूर (जि. कन्नुर)
13.	महाराष्ट्र	17	धानू, नासिक, वर्धा, लाटूर, वर्ध, इंदिरानगर (लाटूर), चक्कन (जि.पुणे), ठमरी, खडगांव रोड़ (जि. लाटूर) बम्बई विश्वविद्यालय (उपकेंद्र, रत्नागिरिथीबा पैलेस रोड रत्नागिरि) बुधोआ (जि. लाटूर), गुलेवाड़ी (जि. अहमदनगर) कंधार (जि. नांदेड), कस्तूरबा बाडी (पूणे), अष्टविनायक नगर (जि. नांदेड), आरंगाबाद, बाभालेश्वर (औरंगाबाद) नंदरबार (जि. धुले)
14.	मध्य प्रदेश	5	सतपुड़ा, सागौर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर
15.	मणिपुर	3	पोरम्पट (जि. इम्फाल), ताऊसेम, तमई
16.	मिजोरम	6	सौरंग, लांगेट-लाई, वेरंगेटा, ख्वाहज्वल, चियांगचिप, लंगलेई
17.	मेघालय	1	शिलांग (हैप्पी वेली)
18.	नागालैंड	2	दीमापुर, कोहिमा

1	2	3	4
19.	उड़ीसा	62	नायागढ़, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, पुरी, किशोर नगर, (कटक), नयागढ़ पोटलमपुर (गंजम), पाडालेखमुडी गजपति, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, कटक, केओंझार, बेकाला (खेनधर), नरला रोड (कालहांडी), आश्रमगढ़ (गजपति), सबोलोंग (केन्द्रपाडा), डेलांग (पुरी) ढेंकनाल, जे.एस.पुर, ढेंकनाल, कोरापुट, मयूरभंज, भापुर (जि. ढेंकनाल), ढेंकनाल, भुवनेश्वर, टिगरिआ (कटक), ढेअलासाही (कटक), सनकुमारी (जि. बालासौर), देबीद्वार (जि. जाजपुर), महिमागडी (जि. ढेंकनाल), देवगांव (जि. ढेंकनाल), बारिकपुर (जि. भद्रक), सनकुमारी (जि. बालासौर), किशोर नगर (कटक), बालाशाही (जि. जगदीशपुर), जटनी (जि. खर्दा), ओडेगांव (जि. नयागढ़), चांदीपुर (जि. बालासौर), राऊरकेला, बालीशाही, नवपाडा, (जि. कटक), गांधीनगर (जि. कोरापुट), प्रधानपाली (जि. राउरकेला), होसंगा (जि. कटक), विरासत (जि. ढेंकनाल), नीलगिरि (जि. बालासौर), वैधकेतनी (जि. ढेंकनाल), अनकोली बरहमपुर (जि. गंगम), बोरिदा कवि सूर्यनगर, जिला गंजम कान्यू जमपोशी (जि. जाजपुर), सुकिंडा अरूहन, चिरौली (जि. ढेंकनाल), बेलापाडा- पटना (जि. नयागढ़), मंचेश्वर, रसूलगढ़ (जि. खुर्दा), सरिओन (जि. ढेंकनाल), रघुनाथपुर, बारीपाडा (जि. मयूरभंज), छत्रपुर (जि. गंजम), दयाविहार कालेज, कनास (जि. पुरी), खलारी (जि. अंगुल), बालभद्रप डाकघर ढेंकानाल, बनताला (जि. अंगुल), बालीपटना (जि. खुर्दा)
20.	पंजाब	2	चोनीकलां (होशियारपुर), पटियाला
21.	राजस्थान	3	उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर,
22.	तमिलनाडु	33	तिरूपतूर, समथुवापुरम गांव (जि. पुड्डूकोट्टई), पलानीअप्पानगर (जि. पुड्डूकोट्टई), त्रिची, गोमबुम वैली (जि. मदुरै), वेलिंगटन (जि. नीलगिरि औमाचिकुलम (जि. मदुरै), तिरूमुल्लाईवायल (जि. चेंगईएम जी.आर.), शिव-गंगल (जि. मुथ्थूरामलिंगम थेवर), वर्धापल्ली (जि. कोयम्बटूर), वलायाथूर (जि. उत्तरी आरकोट अंबेडकर), जवाहरपुरम (जि. मदुरै), वेल्लूथारेड्डी (जि. विल्लूपुरम (जि. पुजहल), टी. कुलपति, मदुरै, तिरूचनगोड्डू (जि. सलेम), नल्लामनार कोट्टई (जि. उंडगल अन्ना), टूटीकोरिन, पोन्नूथु, पन्नीमड़ाई गांव के पास (जि. कोयम्बटूर), रामावरम (जि. चेन्नई),

1	2	3	4
			विक्कीराममंगलम (जि. मदुरै), ओक्कूपट्टी (जि. शिवगंगई), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कोविलंगुलम (जि. विरूदनगर),केलमबकम् (जि. काशीपुरम), के.के. नगर (जि. त्रिची), करपगम (जि. कोयम्बटूर), कृष्णा नगरी (जि. धरमापुरी), कोयम्बटूर, नटराजपुरम (जि. शिवनगरी), थानक्सडिओमबू (जि. डंडीगुल), राजापल राजापलायम,
23.	त्रिपुरा	1	अगरतला,
24.	उत्तर प्रदेश	67	देवरिया, इलाहाबाद, रामगढ़, रामनगर, अमेठी, हल्द्वानी, गाजीपुर, हरदोई, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, शारनपुर, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती सीतापुर, पलिया (जि. अमेठी), सुलतानपुर, मधूपुर (जि. मिर्जापुर), इलिया (जि. वाराणसी), चैल (जि. इलाहाबाद), औतारपुर (जि. प्रतापगढ़), लैंसडाउन, रानीखेत, बरेली, फतेहगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ, दहोलामऊ (जि. प्रतापगढ़), अशोकपुर (जि. गोंडा), फाफामहू (जि. इलाहाबाद), बैरवा (जि. सोनभद्र), लाल गोपालगंज (जि. प्रतापगढ़), तनखुईराज (जि. पदरौना), कालाकांकर (जि. प्रतापगढ़), बारी (जि. सीतापुर), सिरदौ (जि. भामताल), लोचनगंज (जि. इलाहाबाद), गोहनिया (जि. इलाहाबाद), आदर्शनगर (जि. उन्नाव), कपसेथी (जि. बनारस), कोंधिआरा (जि. इलाहाबाद), प्रतापगढ़, रायबरेली, मऊ (जि. शानोजी), आश्रम बिहार (जि. प्रतापगढ़), हलद्वानी, वाराणासी, लखनऊ, साओरा-भरोसा (जि. लखनऊ), रायबरेली, विकासपुरम (जि. फैजाबाद), मोहदपुर, मलीहाबाद (जि. लखनऊ), सरदरपुर-सादत (जि. गाजीपुर), लोरहन (जि. वाराणासी), बीर-काजी, फूलपुर (जि. इलाहाबाद), गुलेरिया, अमरोहा (जि. ज्योतिबा फुले नगर), हल्दिया (जि. इलाहाबाद), लकावली (जि. आगरा), भोपरा (जि. मुजफ्फरनगर),
25.	प. बंगाल	13	बरूईपुर (जि. दक्षिणी 24 परगना), मलदा, हाबड़ा, वर्दवान, हट्टूबा ग्राम (जि. उत्तरी 24 परगना), झारग्राम, बेलपहाडी दाक्षिणी 24 परगना, इच्छापुर, कल्याण, विवेकानंद नगर (जि. पुरूलिया), कलगढ़छिया (जि. दाक्षिणी 24 परगना), सूजापुर (जि. मालदा), कृष्णानगर (जि. सियालदा)।
	कुल	325	

कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष

1639. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत राज्यों विशेषकर बिहार को मुहैया करायी गयी वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को बिहार से कोष आबंटन बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या फैसला किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, बिहार सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि के तहत राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	200.00	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	-	-	-
4.	बिहार	-	-	36.50
5.	दिल्ली	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-
7.	गुजरात	-	-	-
8.	हरियाणा	-	-	226.00
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
11.	कर्नाटक	-	60.00	-
12.	केरल	10.00	40.00	40.00
13.	मध्य प्रदेश	200.00	-	-
14.	महाराष्ट्र	-	-	-
15.	मणिपुर	-	10.00	-

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	-	10.00	7.50
17.	मिजोरम	-	-	-
18.	नागालैंड	-	-	-
19.	उड़ीसा	-	-	-
20.	पंजाब	50.00	60.00	200.00
21.	राजस्थान	60.00	40.00	40.00
22.	सिक्किम	-	-	-
23.	तमिलनाडु	-	-	-
24.	त्रिपुरा	-	20.00	50.00
25.	उत्तर प्रदेश	40.00	60.00	100.00
26.	पश्चिम बंगाल	-	-	-
	योग	400.00	500.00	700.00

सेना के जनरल द्वारा शांति हेतु कूटनीतिक पहल

1640. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना के एक जनरल जिन्होंने अपने सेवाकाल की एक लंबी अवधि कश्मीर में व्यतीत की थी को पाकिस्तान और भारत के बीच शांति की पहल करने के कार्य में नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम सामने आया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हज तीर्थ यात्रियों के लिए चार्टर्ड विमान

1641. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रति वर्ष हज पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का कोटा बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना कोटा बढ़ाया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान हज तीर्थ यात्रियों हेतु कितने विमान चार्टर्ड किए गए तथा इससे कितने हज तीर्थ यात्रियों को लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान हज समिति, मुम्बई के तत्वावधान में हज करने वाले हाजियों का कोटा निम्नलिखित था:

1998	66,000
1999	66,000
2000	72,000

(ग) सरकार द्वारा हज-2000 के लिए छह विमान चार्टर किए थे और उन यात्रियों की संख्या जिन्होंने यात्रा की थी, 71,909 थी। हज-2001 के आवागमन के लिए किसी चार्टर पार्टी को संविदा देने की कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

ए.पी.एम.सी.एस. का विकास

1642. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को पुन: आरंभ करने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लाभ के लिए ग्रामीण विपणन के विकास हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आधारभूत सुविधाओं जैसे दुकान एवं गोदामों, नीलामी प्लेटफार्मों, पहुंच मार्गों, कार्यालय भवन के ईद-गिर्द बाड़ लगाने आदि के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है। यह प्रस्ताव सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कृषि उत्पाद विपणन के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को पुन: आरंभ करने के बारे में उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, तथा उड़ीसा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के विचार अभी प्रतीक्षित हैं।

(ग) और (घ) आवश्यकता विचार-विमर्श पूर्ण हो जाने पर कृषि उत्पाद विपण के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को पुन: आरंभ करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के लाभार्थ देश में ग्रामीण विपणन के विकास हेतु मण्डी आसूचना/आंकड़ों के कुशलतापूर्वक तथा यथासमय उपयोग के लिए उनके एकीकरण तथा प्रचार-प्रसार हेतु एक देशव्यापी आसूचना नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से मौजूदा मण्डी आसूचना व्यवस्था में सुधार लाने लिए कृषि विपणन आसूचना नेटवर्क से संबंधित एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सभी प्रमुख कृषि उत्पाद विपणन बोर्डों/विभागों को एक कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से परस्पर जोड़ा जाएगा।

गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग

1643. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए आय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी ऐसे ही अनुरोध किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग को इस संबंध में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकार ने राज्य राजकोष से निधि पोषित खाद्य सब्सिडी स्कीम के कीमत दबाव परिणाम के प्रभाव को दूर करते हुए गरीबी के अनुमान लगाने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने गरीबी अनुमान की पूर्व पद्धति, जिसे कार्यबल पद्धति के नाम से जाना जाता है की ओर प्रत्यावर्तन किए जाने के लिए भी अभ्यावेदन दिया था। उड़ीसा सरकार ने राज्य में गरीबी के अनुमान के लिए राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा अपनाने के लिए अभ्यावेदन किया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च, 1997 को हुई बैठक में योजना आयोग ने यह मत व्यक्त किया था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान, गरीबों के अनुपात और संख्या संबंधी विशेषज्ञ दल (लकड़ावाला- समिति) की रिपोर्ट में समाविष्ट

कार्यप्रणाली से लगाए जाने चाहिए। अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद इसने निर्णय लिया है कि गरीबी के अनुमान के लिए सरकारी कार्यप्रणाली के परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।

मत्स्य आधारित उद्योग

1644. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव केन्द्र शासित प्रदेश में मत्स्य आधारित उद्योग स्थापित करने की बहुत संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्योग को बढ़वा देने के लिए दीव में मत्स्य संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के संबंध में उपलब्ध जानकारी से यह पता चलता है कि दमन एवं दीव के आस-पास मात्स्यिकी क्षमता अपवादात्मक अथवा असीम नहीं है। अत: इस संघ शासित प्रदेश में मत्स्यन संस्थान की स्थापना की कम गुंजाइश है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग को प्रोत्साहन

1645. श्री पी.आर. खुंटे:
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु तैयार किए गए या प्रस्तावित नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों बहुल/विभिन्न क्षेत्रों में लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार ने लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऋण की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाया जाना, इलैक्ट्रॉनिकी आधारभूत एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्ज का प्रयोग, विपणन सहायता तथा व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों की लघु उद्योगों के प्रति संवेदनशीलता सहित समय पर सूचना का प्रसार करने जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना शामिल है। प्रति वर्ष 100 ग्रामीण कॅलस्टरों के गठन के उद्देश्य सहित राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण को आरंभ किया गया है, जिसमें ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन एवं स्वत: रोजगार अवसरों पर विशेष बल दिया गया है। बैंकों द्वारा कॉलेटरल के बिना दिए गए रु. 10 लाख के ऋणों की पुन: अदायगी की गारण्टी के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि योजना की घोषणा की गई है।

(ख) और (ग) प्रधामंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योजना का 1994-95 से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की सुविधा के लिए एकीकृत आधारभूत विकास योजना लागू। है औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित लघु इकाईयों सहित नए उपक्रमों के लिए पांच वर्ष कर की छूट को केन्द्रीय बजट 2000-2001 द्वारा 31.3.2002 तक बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

मणिसाना वेतन बोर्ड

1646. श्री शिवाजी माने:
श्री पुष्प जैन:
श्री सी. कुप्पुसामी:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. एस. जगतरक्षकन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मणिसाना वेतन बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या पत्रकार संघ से इन सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वियत करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) जी, हां। श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार, समाचार-पत्र और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों की वेतन दरों को निर्धारित एवं संशोधित करने के लिए मणिसाना वेतन बोर्ड गठित किया गया जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को 25 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत कर दी है। सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है। सरकार वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अल्पतम संभव अवधि के भीतर कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

(च) और (छ) रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रीय पत्रकार संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा में चलायी जा रही योजनाएं

1647. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
श्री राजो सिंह:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा और बिहार में कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं/परियोजनाएं शुरू की गई हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनका कार्यनिष्पादन क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और बिहार में कितना धन आबंटित किया गया/जारी और उपयोग किया गया, क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया, और प्राप्त किया गया तथा कितना रोजगार उत्पन्न किया गया;

(ग) चालू वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की राज्य-वार क्या कार्य-योजना है; और

(घ) बिहार और उड़ीसा में कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) उड़ीसा तथा बिहार के सभी जिलों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, चूना, अगरबत्ती, एच.एम.पी., शलाक, बांस तथा बेंत, गोंद तथा रिसिन, मधुमक्खी पालन, घानी तेल, साबुन, आदि जैसी खादी और ग्रामीण औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करके रोजगारसृजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1996-97 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान किया गया निष्पादन निम्न प्रकार है:-

लाख रुपये में
रोजगार लाख व्यक्तियों में

	1996-97	1997-98	1998-99
उड़ीसा			
उत्पादन	7206.19	7604.47	6051.70
रोजगार	2.05	2.10	1.98
बिहार			
उत्पादन	17572.01	18583.41	18901.19
रोजगार	3.50	3.75	3.80

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आबंटित/रिलीज की गई निधियां तथा रोजगार सृजन के ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 के लिए प्रस्तावित राज्य-वार कार्य-योजना विवरण-II में दी गई है।

(घ) जहां तक बिहार का संबंध है इसके सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र जो कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, के लिए पृथक कार्य योजना तैयार की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग चौधवार (उड़ीसा) में एक केन्द्रीय सिल्वर संयंत्र भी स्थापित कर रहा है।

विवरण I

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान जारी की गई आबंटित निधियां और सृजित रोजगार का विवरण

लाख रुपये में
लाख व्यक्तियों में रोजगार

वर्ष	आबंटित की गई कुल निधियां	के वी आई सी के बजटीय साधनों से जारी की गई निधियां		कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट	रोजगार
		अनुदान	ऋण		
उड़ीसा					
1996-97	7408.13	442.19	125.98	138.36	2.05
1997-98	3506.38	91.49	22.82	-	2.10
1998-99	3520.15	259.55	14.44	199.48	1.98
बिहार					
1996-97	4160.60	663.46	201.15	154.81	3.50
1997-98	2682.12	752.45	30.31	8.82	3.75
1998-99	3979.50	1230.49	60.85	4.01	3.80

विवरण II

2000-2001 के दौरान ग्रामोद्योगों के अंतर्गत क्षेत्रवार/राज्यवार अतिरिक्त रोजगार लक्ष्य

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2000-2001
1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार	0.01
2.	बिहार	0.43
3.	उड़ीसा	0.17
4.	सिक्किम	0.02
5.	पश्चिम बंगाल	0.28
	योग	0.91
पश्चिमी क्षेत्र		
6.	दादर व नगर हवेली	0.01
7.	दमन एवं दीव	0.01
8.	गोवा	0.02
9.	गुजरात	0.17
10.	महाराष्ट्र	0.27
	योग	0.48
उत्तीर क्षेत्र		
11.	चंडीगढ़	0.01
12.	दिल्ली	0.01
13.	हरियाणा	0.07

1	2		3
14.	हिमाचल प्रदेश		0.06
15.	जम्मू एवं कश्मीर		0.07
16.	पंजाब		0.10
17.	राजस्थान		0.22
		योग	0.54
दक्षिण क्षेत्र			
18.	आन्ध्र प्रदेश		0.26
19.	कर्नाटक		0.19
20.	केरल		0.15
21.	लक्षद्वीप		0.02
22.	पांडिचेरी		0.02
23.	तमिलनाडु		0.19
		योग	0.83
केन्द्रीय क्षेत्र			
24.	मध्य प्रदेश		0.30
25.	उत्तर प्रदेश		0.61
		योग	0.91
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
26.	अरुणाचल प्रदेश		0.40
27.	असम		0.11
28.	मणिपुर		0.09
29.	मेघालय		0.09
30.	मिजोरम		0.02
31.	नागालैंड		0.08
32.	त्रिपुरा		0.12
		योग	0.55
	कुल योग		4.22

बीड़ी कामगारों के लिए ईएसआईसी की योजना

1648. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की योजनाओं में बीड़ी कामगारों को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु आवश्यक निधि से संबंधित कोई सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार असंगठित श्रमिकों को शामिल करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) क.रा.बी. स्कीम 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बिजली का उपयोग कर रहे कारखानों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बिजली का उपयोग न करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू है। ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानों में लगे 6500 रु. प्रतिमाह तक मजदूरी आहरित करने वाले बीड़ी कर्मकार पहले ही क.रा.बी. स्कीम के तहत शामिल करने योग्य हैं। तथापि, क.रा.बी. स्कीम की अंशदायी प्रकृति इसके क्षेत्र-वार अनुप्रयोग और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को देखते हुए बीड़ी उद्योग में लगे "गृह कर्मकारों" को क.रा.बी. स्कीम के दायरे में लाया जाना संभव नहीं समझा गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां

1649. श्री नरेश पुगलिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों संबंधी एक खुफिया रिपोर्ट से नई दिल्ली और काठमांडु के आपसी संबंधों को आधार लगाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इससे उत्पन्न स्थिति से किस तरीके के निपटने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध आपसी विश्वास और भरोसे की समृद्ध धरोहर की ठोस नींव पर बने हैं। संबंधों की अनिवार्य स्थिरता और स्थायित्व को देखते हुए इस प्रकार की मीडिया खबरें दोनों देशों के बीच मौजूद मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करती हैं।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1650. श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री सुखेन्थ भोहिते:
श्री राजो सिंह:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य-वार अभी तक कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार और विदेशी एजेन्सियों द्वारा राज्य सरकारों को राज्य-वार दी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) राज्य सरकारों से मूल्यांकन के लिए प्राप्त 167 परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा, उनकी अनुमानित लागत तथा मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को जापान तथा विश्व बैंक से मार्च, 2000 को प्राप्त वित्तीय सहायता की स्थिति क्रमश: संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन्त करने पर निर्भर करती हैं।

विवरण I

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य	वृहद/ मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	पुलीचिंताला सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	506.20	बी
2.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	आंध्र प्रदेश	वृहद	659.16	बी
3.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	744.00	बी
4.	सिरीराम सागर चरण-2	आंध प्रदेश	वृहद	697.70	बी
5.	एस.आर.एस.पी. से बाढ़ प्रवाह नहर	आंध्र प्रदेश	वृहद	1331.30	बी
6.	जुराल	आंध्र प्रदेश	वृहद	545.82	बी
7.	चागलनाडु लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	43.05	डी
8.	वम्सधारा फेज-1 का चरण-2	आंध्र प्रदेश	वृहद	123.936	बी

1	2	3	4	5	6
9.	वम्सधारा परियोजना चरण-2	आंध्र प्रदेश	वृहद	275.74	बी
10.	पेदेरू जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	26.23	बी
11.	पलेमवागू	आंध्र प्रदेश	मध्यम	29.13	बी
12.	वालीगालू जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	131.82	ए
13.	येरावागू	आंध्र प्रदेश	मध्यम	31.28	बी
14.	सुदाबागू	आंध्र प्रदेश	मध्यम	56.48	बी
15.	पेदावागू	आंध्र प्रदेश	मध्यम	202.60	बी
16.	सूरमपलेम	आंध्र प्रदेश	मध्यम	46.70	बी
17.	कोवादाकालवा	आंध्र प्रदेश	मध्यम	16.02	डी
18.	पगलादिया बांध (बहुउद्देशीय)	असम	वृहद	540.99	डी
19.	बरसूती सिंचाई स्कीम	असम	मध्यम	31.70	बी
20.	गरुफेला सिंचाई स्कीम	असम	मध्यम	36.35	ए
21.	देवपानी परियोजना	असम	मध्यम	29.77	ए
22.	पुनासी जलाशय	बिहार	वृहद	221.65	बी
23.	सुवर्णरेखा (बहुउद्देशीय)	बिहार	वृहद	1428.82	बी
24.	अयाय बैराज/सिकतिया बैराज	बिहार	वृहद	248.10	बी
25.	पुनपुन बैराज	बिहार	वृहद	84.55	ए
26.	कदवान जलाशय परियोजना	बिहार	वृहद	1111.14	ए
27.	तिल्लैया दाधर	बिहार	वृहद	220.11	बी
28.	अपर साकरी जलाशय	बिहार	वृहद	123.81	बी
29.	कन्हार जलाशय	बिहार	वृहद	1015.76	ए
30.	उत्तरी कोयल जलाशय	बिहार	वृहद	836.11	ए
31.	कोनार सिंचाई	बिहार	वृहद	350.551	ए
32.	माचू-1 का आधुनिकीकरण	गुजरात	वृहद	8.12	बी
33.	बकरोल डब्ल्यू आर परियोजना	गुजरात	मध्यम	23.85	ए
34.	पश्चिमी यमुना संपर्क चैनल	हरियाणा	वृहद	31.26	ए
35.	खेत पुराली बांध परियोजना	हरियाणा	मध्यम	16.92	ए

2	3	4	5	6
सतलज यमुना संपर्क नहर	हरियाणा	वृहद	61.76	बी
माइनर (आर.आई.डी.एफ-1) के निर्माण तथा विस्तार के लिए प्रस्ताव	हरियाणा	वृहद	27.66	ए
माइनरों के निर्माण तथा विस्तार और बाढ़ संरक्षण कार्यों (आर.आई.डी.एफ-2) के लिए प्रस्ताव	हरियाणा	वृहद	81.00	ए
रणुका बांध	हिमाचल प्रदेश	वृहद	1224.64	बी
बाल्ह घाटी बायां तट	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	41.64	ए
डाडी नहर का अधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	10.91	ए
नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	18.42	ए
रफियाबाद लिफ्ट सिंचाई नहर	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	35.43	ए
कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	15.68	ए
जैनगीर नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	10.07	ए
नंदी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	6.61	ए
कांडी नहर परियोजना	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	42.07	ए
लार नहर (पुलवामा) का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	37.05	ए
अहीजी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	7.96	ए
लाल नहर (बदगाम) का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	6.63	ए
सोनामन नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	4.58	ए
मवखुल का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	7.00	ए
मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	17.72	ए
दोब नहर गंदरवाल का पुन: आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	5.40	ए
बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	4.77	ए
अपर तुंगा परियोजना	कर्नाटक	वृहद	556.00	ए
अपर कृष्णा चरण-2 (बहुद्देशीय)	कर्नाटक	वृहद	2849.06 (तैयार की जानी है)	बी
मार्कंण्डेय जलाशय परियोजना	कर्नाटक	वृहद	134.53	ए

1	2	3	4	5	6
59.	सिंगत्तालूर (हुलीगुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	वृहद	123.00	ए
60.	हिप्पारगी सिंचाई	कर्नाटक	वृहद	186.70	बी
61.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	मध्यम	9.36	ए
62.	इदमलियार सिंचाई परियोजना	केरल	वृहद	107.00	बी
63.	कारवार कुरियारकुट्टी बहुउद्देशीय परियोजना	केरल	वृहद	231.03	ए
64.	अट्टापादी सिंचाई परियोजना	केरल	मध्यम	110.00	ए
65.	बाणसागर यूनिट-2 (नहरें)	मध्य प्रदेश	वृहद	344.86	बी
66.	बारगी बहुद्देशीय परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	566.34	बी
67.	कोलार परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	139.14	बी
68.	तन्वार टैंक	मध्य प्रदेश	वृहद	24.38	बी
69.	पेंच डाइवर्सन	मध्य प्रदेश	वृहद	184.04	बी
70.	माहान	मध्य प्रदेश	वृहद	39.00	बी
71.	ओमकरेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	1784.29	डी
72.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	वृहद	309.21	डी
73.	अपर नर्मदा परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	211.92	ए
74.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू.आर.सी. परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	441.95	ए
75.	हलोन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	193.01	ए
76.	दूध गंगा सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	204.58	बी
77.	वारना सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	337.81	बी
78.	कोयना-कृष्णा लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	259.10	बी
79.	अरूणावती परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	66.48	बी
80.	पुनाद सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	29.22	बी
81.	लोअर वुना परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	87.55	बी
82.	ह्यूमन नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	494.60	ए
83.	लोअर वरधा	महाराष्ट्र	वृहद	61.99	ए
84.	गुंजावासी	महाराष्ट्र	वृहद	86.77	ए

1	2	3	4	5	6
112.	तिपाईमुख बांध परियोजना	मणिपुर	वृहद	28.99	बी
113.	जिरी सिंचाई	मणिपुर	मध्यम	48.68	डी
114.	डिसूजा सिंचाई	नागालैंड	मध्यम	49.0	बी
115.	ओंग बांध परियोजना	उड़ीसा	वृहद	217.73	ए
116.	कनुपुर सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहद	428.32	बी
117.	मंजौर	उड़ीसा	मध्यम	37.20	बी
118.	तेलनगीर	उड़ीसा	मध्यम	106.19	बी
119.	रूकूरा	उड़ीसा	मध्यम	25.21	बी
120.	धौरागोठ	उड़ीसा	मध्यम	16.80	बी
121.	रेत	उड़ीसा	मध्यम	86.14	बी
122.	अपर लान्थ	उड़ीसा	मध्यम	48.99	बी
123.	इब सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहद	966.03	ए
124.	बूतांग	उड़ीसा	वृहद	188.70	ए
125.	अपर इन्द्रावती विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	136.67	बी
126.	अपर कोलाब विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	71.66	बी
27.	समाकोई	उड़ीसा	मध्यम	43.85	बी
128.	चेलीगादा	उड़ीसा	मध्यम	43.05	ए
129.	सालकी सिंचाई परियोजना का सुधार	उड़ीसा	वृहद	10.80	ए
130.	तालाडांडा मुख्या नहर तथा वितरणी सं. 12 का सुधार	उड़ीसा	वृहद	57.06	ए
131.	हीराकुण्ड वितरण प्रणाली के सासोन नहर प्रणाली का सुधार	उड़ीसा	वृहद	33.14	ए
132.	महानदी डेल्टा चरण-1 और 2 में जल निकास विकास (फेज-1)	उड़ीसा	वृहद	227.75	ए
133.	पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना फेज-3	पंजाब	वृहद	1149.00	ए
134.	भाखड़ा मुख्य नहर की रैसिंग लाइनिंग	पंजाब	वृहद	8.27	बी
135.	होशियारपुर से बालाचूर तक काण्डी नहर का विस्तार	पंजाब	वृहद	147.12	बी

1	2	3	4	5	6
136.	अपर बारी दोआबा नहर प्रणाली के चैनलों को रिमाडलिंग	पंजाब	वृहद	177.80	बी
137.	एस.वाई.एल. मुख्य नहर भाग-1	पंजाब	वृहद	601.25	डी
138.	एस.वाई.एल. नहर भाग-3 का आधुनिकीकरण परियोजना प्राक्कलन	पंजाब	वृहद	195.44	बी
139.	शाहपुर काण्डी बांध परियोजना (रावी परियोजना यूनिट-5)	पंजाब	वृहद	1419.00	ए
140.	245 गहरे नलकूपों फेज-2 की स्थापना का परियोजना प्राक्कलन	पंजाब	वृहद	48.90	ए
141.	बादशाही नहर का आधुनिकीकरण और विस्तार	पंजाब	मध्यम	11.77	ए
142.	आर.आई.डी.एफ. निधि के तहत पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना)	पंजाब	मध्यम	49.02	ए
143.	दशमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	वृहद	450	ए
144.	पिपालदा लिफ्ट सिंचाई	राजस्थान	वृहद	11.39	ए
145.	भरतपुर जिला में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	172.96	ए
146.	झुनझुनु में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	273.00	ए
147.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	राजस्थान	वृहद	445.79	बी
148.	इन्दिरा गांधी नहर चरण-1 (ई.आर.एम.)	राजस्थान	वृहद	121.92	
149.	चाकन सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	9.55	बी
150.	पिपलाद सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	21.88	ए
151.	गरारदा सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	39.51	बी
152.	कृष्णा डब्ल्यू.एस. से मद्रास चरण-1	तमिलनाडु	वृहद	176.46	ए
153.	इनकानगुदी जलाशय	तमिलनाडु	मध्यम	28.70	ए
154.	कावेरी डेल्टा फेज-1 का आधुनिकीकरण	तमिलनाडु	वृहद	78.80	बी
155.	बेचार फीडर	उत्तर प्रदेश	वृहद	33.73	बी
156.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना	उत्तर प्रदेश	वृहद	65.0	बी

1	2	3	4	5	6
157.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	190.27	बी
158.	राजघाट नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	126.43	बी
159.	कन्हार सिंचाई	उत्तर प्रदेश	वृहद	341.45	ए
160.	किशाऊ बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	1099.00	सी
161.	माहोदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	125.16	बी
162.	चित्तौड़गढ़	उत्तर प्रदेश	वृहद	36.70	बी
163.	बुन्देलखंड में चैनल को पक्का करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	57.37	बी
164.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	15.83	ए
165.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	उत्तर प्रदेश	वृहद	64.86	ए
166.	पूर्वी यमुना (हथिनीकुंड) लिंग चैनल	उत्तर प्रदेश	वृहद	22.49	बी
167.	कंगसबती जलाशय का आधुनिकीकरण (फेज-1)	पश्चिम बंगाल	वृहद	471.90	ए

स्थिति:

(क) पत्राचार चल रहा है।

(ख) सलाहकार समिति को प्रस्तुत तथा टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

(ग) सलाहकार समिति द्वारा स्थगित।

(घ) योजना आयोग में निवेश स्वीकृति के लिए लम्बित।

विवरण II

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता
	1997-98	1998-99	1999-2000*
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	74.00	79.670	65.015
अरुणाचल प्रदेश	-	-	7.500
असम	12.400	13.950	14.540
बिहार	14.040	47.825	144.040
गोवा	5.250	0.000	3.500
गुजरात	196.900	423.820	272.700

	2	3	4
रियाणा	12.000	0.00	0.000
मांचल प्रदेश	6.500	5.000	21.172
म्मू व कश्मीर	0.00	0.000	4.680
र्नाटक	90.500	94.500	157.140
रल	15.000	0.000	0.000
ध्य प्रदेश	114.500	90.750	105.845
हाराष्ट्र	55.000	50.860	49.875
णिपुर	26.0	10.780	21.810
घालय	-	-	2.694
जोरम	-	-	1.433
गालैंड	-	-	2.730
ड़ीसा	85.000	71.500	90.250
जाब	100.000	0.00	42.000
जस्थान	42.000	14.050	106.665
क्किम	-	-	1.360
मिलनाडु	0.000	0.000	0.000
पुरा	5.100	3.975	34.653
त्तर प्रदेश	78.000	76.500	286.000
श्चिम बंगाल	20.000	10.000	25.000
कुल	952.190	1119.180	1460.6818

वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों में विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सतही सिंचाई स्कीमों को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता भी शामिल है।

विवरण III

रियोजना का नाम	समझौते के अनुसार कुल सहायता	प्राप्त प्रतिपूर्ति	प्रभावी तारीख	समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5
ान्ध्र प्रदेश				
के.सी. नहर आधुनिकीकरण	16049 मिलियन येन	1488 3/96 मिलियन येन (3/2000 तक)	3/2004	

1		2	3	4	5
मध्य प्रदेश					
	राजघाट नहर परियोजना (एम पी)	13,222 मिलियन येन	1428.20 मिलियन येन (3/2000 तक)	2/97	5/2002
उड़ीसा					
(1)	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	3,769 मिलियन येन	3114 1/89 मिलियन येन (8/98 तक)	7/98	
(2)	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	3,774 मिलियन येन	3593 मिलियन येन (8/99 तक)	12/88	1/99
(3)	रेंगली सिंचाई परियोजना	7,760 मिलियन येन	1880.83 मिलियन येन (3/2000 तक)	12/97	12/2002

(ख) उपरिलिखित परियोजनाओं की समग्र वित्तीय और वास्तविक स्थिति (3/2000 को) नीचे दी गई है:

परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	व्यय (प्रत्याशित)	प्राप्त वास्तविक प्रगति		परियोजना शुरू करने का वर्ष	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
			मुख्य कार्य	मुख्य नहर और शाखा		
आन्ध्र प्रदेश						
के.सी. नहर आधुनिकीकरण	1033.70	68.00 (3/99 तक)	25%	10%	1998	3/2004
मध्य प्रदेश						
राजघाट नहर परियोजना	523.41	213.64 (3/2000 तक)	कार्यक्षेत्र में नहीं	40%	1979	3/2002
उड़ीसा						
(1) अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	304.00	249.90 (3/2000 तक)	100%	100%	1976	पूर्ण
(2) अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	718.70	422.90 (3/2000 तक)	100%	87%	1978	3/2002
(3) रेंगली सिंचाई परियोजना	2443.16	622.98 (3/2000 तक)	100%	59%	1978	12/2002

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम (स्वीकृति तारीख) (समाप्ति की तारीख)	क्रेडिट सं.	अभिकरण	क्रेडिट लागू करने का माह	समग्र सीमा समाप्ति की मूल	ऋण अवतरण	परियोजना समन्वयन अवधि (माह) कुल माह	परियोजना समन्वयन अवधि (माह) वास्तव चुके माह	अनुमानित मूल्यांकन (एस.डी. वेसलाइन लागत)	वास्तव अवतरण (एस.डी.)
हरियाणा										
1.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना (24.6.1994) (31.12.2000)	सीआर. 2592-आई एन	आई.डी ए	06/94	12/2000	12/2000	72 2000	69	14483.60	14329.98
तमिलनाडु										
2.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना (14.12.1995) (31.03.2002)	सीआर. 2745-आई एन	आई.डी. ए	12/95	03/2002	03/2002	70	52	8401.00	8491.91
उड़ीसा										
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना (30.01.1996) (30.09.2002)	सीआर. 2801-आई ए	आई डी ए	01/96	09/2002	09/2002	74	50	9124.00	13491.96
आंध्र प्रदेश										
4.	तीसरी आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना (03.07.1997) (31.01.2003)	सीआर 2952 आई एन आईएन. 4166-आईएन	आई डी ए आईबीआरडी	07/97	01/2003	01/2003	61	30	14975.19	14975.19
	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्निर्माण परियोजना सिंचाई घटक (26.02.1999) (31.3.2004)	सीआर 3103-आईएन आईएन 4369-आईएन	आईडीए आईबीआरडी	02/99	03/2004	03/2004	55	13	9326.00	9326.00
	कुल								56309.79	60614.84

क्र.सं		व्यय (एम रु.)	कुल सहायता एसडी आरएम	समझौते के अनुसार (यूएस एम)	प्रतिपूर्ति एसडी आर एम	यूएस : एम	कार्य निष्पादन % बीता समय	व्यय	प्रति-पूर्ति	लाभान्वित क्षेत्र
		12	13क	13ख	14क	14ख	15क	15ख	15ग	16
हरियाणा										
1.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना (24.06.1994) (31.12.2000)	8225.61	187.30	(258.00)	142.51	-142.62	96	57	55	155
तमिलनाडु										
2.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना (14.12.1995) (31.03.2002)	4452.28	181.90	(282.90)	67.81	-93.49	74	52	37	691
उड़ीसा										
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना (30.01.1996) (30.09.2002)	7236.65	194.80	(290.90)	97.05	-133.74	68	54	50	332
आन्ध्र प्रदेश										
4.	तीसरी आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना (03.07.1997) (31.01.2002)	7550.84	108.10	(150.00) (175.00)	59.96	-81.27	54	51	25	318
5.	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्निर्माण परियोजना सिंचाई घटक (26.02.1999) (31.03.2004)	2582.50		132.10		39.79	24	28	30	
	कुल	30047.88	672.10			491.86				

[अनुवाद]

विधियों का उपयोग

1651. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके विभाग द्वारा गत कुछ वर्षों के दौरान उसे किए गए बजट आबंटन का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग विभिन्न परियोजनाओं की निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं कर रहा है जिससे समय और लागत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में बजटीय आबंटन के उपयोग और उसमें आई गिरावट के संक्षिप्त कारण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	बजटीय आबंटन	वास्तविक	अधिक/कम खर्च होना	गिरावट के कारण
1997-98	2540.82	2907.29	(+)366.47	पूरा उपयोग कर लिया गया।
1998-99	3992.87	3793.42	(-) 199.35	व्यय में मुख्यत: तमिलनाडु के कुडानकुलम नामक स्थान पर
1999-2000	4518.38	4355.47	(-) 162.91	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 2×1000 मेगावाट के वीवीईआर किस्म के परमाणु बिजलीघर के निर्माण हेतु ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित रूसी ऋण के भुगतान की अदायगी में तकनीकी प्रक्रिया स्थापित करने में लगे समय के कारण गिरावट आई. इसके अतिरिक्त, लगाए गए प्रतिबंधों और स्वदेशीकरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की वजह से प्रापण कार्यों में पेश आई। कठिनाईयाँ, 9वीं योजना की नई परियोजनाओं को तैयार करने और मंजूर करने में लगा समय, भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी), बड़ौदा के प्रचालन को उर्वरक संयंत्र जिससे यह भारी पानी संयंत्र जुड़ा हुआ है, की प्रचालन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आने की वजह से बंद कर देना, आदि भी इस गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) तथा (घ) प्रौद्योगिकी को स्वदेशी स्तर पर विकसित करने स्वदेशी विनिर्माण क्षमता अर्जित करने की अध्ययन प्रक्रिया और अनापेक्षित प्रौद्योगिकी समस्याओं के कारण विगत में परमाणु विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ, इसके अलावा परमाणु विद्युत संयंत्रों को प्रतिबंधित नियंत्रित शासन व्यवस्था के भू-मंडलीय वातावरण में स्वदेशी तौर पर स्थापित किया जा रहा है, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के आकलनों में उन्हें पूरा करने के अवधि के दौरान मूल्यवृद्धि की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कुछ मामलों में मुद्रा स्फीति के दबाव के कारण लागत अनुमानों का संशोधन करना अपरिहार्य हो जाता है, इसी प्रकार, जब भी मशीनरी और उपस्कर का आयात करना पड़ता है (मुख्यत: ऐसे विशिष्ट पदार्थों और स्वामित्व वाले संयटकों तक सीमित जो

आर्थिक कारणों की वजह से भारतीय उद्योग की विनिर्माण परिधि में नहीं हैं) विदेशी मुद्रा विनियम की दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

(ङ) परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में उल्लेखनीय अनुभव प्राप्त किया गया है, प्राप्त किए गए अनुभव की वजह से निर्माण अवधि में उत्तरोत्तर कमी देखी गई है, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 एवं 4 (टीएपीपी-3 एवं 4) के निर्माण के दौरान नीचे दिए उपायों को क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है ताकि इस परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए-

- परियोजना का निर्माण शुरू करने से पहले पर्याप्त अभिकल्पना और अभियांत्रिकी कार्य पूरा करना।
- इस क्षेत्र में हासिल अनुभव के संदर्भ में संघटकों/उपस्कर का विनिर्माण समय से करना।
- जहां तक संभव हो बृहत आपूर्ति एवं स्थापन/ईपीसी पैकेजों की संकल्पना को अपनाना।
- निर्धारित समयावधि पर नियंत्रण रखने के लिए परियोजना प्रबंधन तकनीकों और मानीटरन विधि को मजबूत बनाना।

अनुसंधान और विकास क्षेत्र के संबंध में, परियोजना कार्यान्वयन समितियों और स्टियरिंग समितियों का गठन बड़ी परियोजनाओं के लिए किया गया है। सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना समन्वयकों को भी नामित किया गया है। यूनिट-प्रधान के स्तर पर भी भौतिक और वित्तीय प्रगति को भी नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है। प्रापण संबंधी कार्रवाई, ठेके देना आदि कार्य में तेजी लाने के लिए बढ़ाई गई वित्तीय शक्तियाँ भी हाल ही में प्रदान की गई हैं।

आपरेशन फ्लड कार्यक्रम

1652. डा. वी. सरोजा:
श्री राशिद अलवी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम" की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के मद्देनजर इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को तीन चरणों में क्रियान्वित किया अर्थात् ऑपरेशन फ्लड-1, ऑपरेशन फ्लड-2 और ऑपरेशन फ्लड-3, तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी विकास कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए दुग्ध संघों और फेडरेशनों को वित्तीय और तकनीकी समर्थन देना जारी रखा है। मार्च, 2000 तक की स्थिति के अनुसार प्रमुख मानकों के संबंध में राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार भी नौवीं योजना के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और डेयरी की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनागत स्कीमों को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करता है। स्कीमें इस प्रकार हैं:-

1. राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना
2. चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता
3. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
4. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना
5. सहकारिताओं को सहायता
6. एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

विवरण

मार्च, 2000 को मुख्य शीर्षों के तहत राज्यवार प्रगति इस प्रकार है:-

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संगठित डी सी एस (संख्या)	कृषक सदस्य (000)	अधिप्राप्ति (हजार किलोग्राम प्रतिदिन)	विपणन (हजार लीटर प्रतिदिन)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	5167	734	872	731
असम	125	2	2	7

	2	3	4	5
हार	3371	173	281	316
ल्ली	–	–	–	1591
वा	163	18	29	80
जरात	10606	2147	4464	1701
रियाणा	3305	180	251	94
माचल प्रदेश	278	20	14	19
र्नाटक	8350	1473	1804	1445
रल	2331	608	579	608
ध्य प्रदेश	4595	240	287	230
हाराष्ट्र	6456	1411	3023	2572
गालैंड	66	3	3	4
ड़ीसा	1353	105	70	96
डिचेरी	91	26	50	47
जाब	6566	370	807	404
जस्थान	6375	414	782	482
क्किम	174	5	5	7
मिलनाडु	8233	1937	1585	1278
पुरा	84	4	1	6
त्तर प्रदेश	15025	632	709	389
श्चिम बंगाल	1575	106	162	809
खिल भारत योग	84289	10608	15780	12916

हिन्दी]

प्रतिनियुक्त अधिकारी

1653. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या प्रधान मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय काडर-वार और पद-वार भारतीय प्रशासनिक वा के कितने अधिकारी केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) क्या इस प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए किसी खास काडर को कोई वरीयता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वर्तमान में, केन्द्र-सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात विभिन्न राज्य संवर्गों से सम्बद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

28.7.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्र में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पद और संवर्ग-वार आबंटन

क्र.सं.	संवर्ग	पद का स्तर						
		सचिव	अपर सचिव	संयुक्त सचिव	निदेशक	उप सचिव	अवर सचिव	कुल
1.	असम-मेघालय	10	2	9	21	9	0	51
2.	आन्ध्र प्रदेश	7	8	15	9	4	0	43
3.	बिहार	6	5	28	34	12	1	86
4.	गुजरात	4	1	14	4	4	0	27
5.	हिमाचल प्रदेश	3	0	11	10	5	0	29
6.	हरियाणा	5	3	10	4	2	0	24
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1	0	4	6	8	0	19
8.	केरल	2	2	14	9	12	1	40
9.	कर्नाटक	3	5	15	10	9	1	43
10.	महाराष्ट्र	4	6	18	8	6	0	42
11.	मध्य प्रदेश	9	8	23	6	4	1	51
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	1	0	14	12	10	1	38
13.	नागालैंड	0	1	5	1	1	0	8
14.	उड़ीसा	4	5	7	5	3	0	24
15.	पंजाब	7	5	4	4	2	0	22
16.	राजस्थान	2	2	15	4	6	0	29
17.	सिक्किम	0	0	1	1	4	0	6
18.	तमिलनाडु	5	3	6	10	3	2	29
19.	उत्तर प्रदेश	14	8	37	16	8	0	83
20.	ए.जी.एम.यू.टी.	5	3	14	13	8	3	46
21.	पश्चिम बंगाल	4	6	15	15	8	2	50
	कुल	96	73	279	202	128	12	790

[अनुवाद]

मत्स्य पालन

1654. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक तटीय राज्य में खारा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसी कितनी एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या लघु और सीमांत स्तर के खारा जल मत्स्य पालन करने वालों को उक्त राज्यों में मत्स्य पालन का विकास करने हेतु वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) सभी तटवर्ती राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में केन्द्रीय प्रायोजित योजना "एकीकृत तटवर्ती जलकृषि" के तहत कुल 39 खारा जल मत्स्य पालक एजेंसियों की राज्यवार सूची विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। उक्त योजना के तहत सहायता झींगा फार्मों, झींगा हैचारियों की स्थापना, झींगा कृषकों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा राज्य मात्स्यिकी निदेशालय में तकनीकी विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों के जरिए उपलब्ध कराई है योजना के तहत वित्तीय सहायता की पद्धति निम्नानुसार है:

(1) निर्माण/नवीनीकरण के लिए पूंजी लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की शर्त पर पहली फसल के लिए आदान की कुल लागत।

(2) 2 महीनों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 25 रुपये प्रतिदिन की छात्रवृत्ति तथा 140 रुपये तक के यात्रा भत्ते का भुगतान।

(3) निजी/सार्वजनिक क्षेत्र को 1 लाख रुपये प्रति हैचरी या लागत का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से राजसहायता।

योजना के तहत राजसहायता की लागत, प्रशिक्षणार्थी के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान तथा प्रशासनिक लागत राज्य तथा केन्द्र के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जाती है। संघ शासित प्रदेश के मामले में 100 प्रतिशत लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निधि की राज्य-वार निर्मुक्ति विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

राज्य-वार खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	गुजरात	3
3.	कर्नाटक	2
4.	केरल	7
5.	महाराष्ट्र	4
6.	उड़ीसा	7
7.	पश्चिम बंगाल	3
8.	तमिलनाडु	5
9.	गोवा	1
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
	कुल	39

विवरण II

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान खारा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसियों के माध्यम से "एकीकृत तटवर्ती जलकृषि" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-
2.	गोवा	2.00	2.00	2.00
3.	गुजरात	7.50	20.22	20.44
4.	कर्नाटक	16.50	12.88	14.34
5.	केरल	45.00	25.47	64.53
6.	महाराष्ट्र	-	23.07	16.492
7.	उड़ीसा	3.07	16.36	41.55
8.	तमिलनाडु	-	-	-
9.	पश्चिम बंगाल	-	-	94.00
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
	कुल	74.07	100.00	253.352

बासमती चावल का उत्पादन

1655. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और स्थान-वार कितने बासमती चावल अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.ए.आर. द्वारा बासमती चावल की कितनी नयी किस्में विकसित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के लघु और सीमांत किसानों को बासमती चावल के बीज आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल का कितना उत्पादन हुआ है;

(ङ) क्या आई सी ए आर ने आंध्र प्रदेश और अन्य चावल उत्पादक राज्यों में बासमती की बढ़िया किस्म के उत्पादन हेतु कोई अनुसंधान कार्य या अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) देश में केवल बासमती चावल अनुसंधान के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बासमती चावल की कोई किस्म जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) वर्षानुवर्ष आधार पर मांग के अनुसार बासमती चावल की किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाता है। चावल के प्रमाणित बीज पर सहायता प्रदान की जाती है, ताकि भारत

रकार के केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के हत किसानों को नई जारी की गई किस्मों को उगाने के लिए रित किया जा सके। इस कार्य में छोटे तथा सीमांत किसानों को रजीह दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चावल के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1997-98	-	82.53
1998-99	-	85.99
1999-2000	-	88.25 (अनुमानित)

किस्मवार चावल उत्पादन के आंकड़े रिकार्ड नहीं किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है परन्तु मूल रूप से आंध्र प्रदेश के लिए बासमती चावल पर अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रमुख बल संकर चावल के अनुसंधान और विकास पर दिया जा रहा है। बासमती चावल से संबंधित अनुसंधान मुख्यत: देश के बासमती चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर ही केन्द्रित है।

महिला कामगार

656. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या** यह सही है कि देश में अधिकांश महिला कामगार य स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन महिला कामगारों की दशा सुधारने के क्या कदम उठाए जा रहे है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवि लाल): (क) से) सरकार महिला कर्मकारों की कार्यदशाओं में सुधार लाने की रत से अवगत है।

महिला कर्मकारों के लिए समुचित कार्यदशाएं सुनिश्चित करने और उनके शोषण को रोकने के लिए अनेक कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 आदि। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कर्मकारों के लाभ के लिए शिशु देख रेख सुविधाओं, कार्यघंटों के दौरान बच्चों को आहार प्रदान करने के लिए छुट्टी, कार्य स्थल के नजदीक अलग से शौचालयों एवं प्रच्छालन सुविधाओं, प्रसूति के दौरान छुट्टी का प्रावधान आदि की व्यवस्था है। सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का भी अधिनियमन किया है जिसमें मजदूरी भुगतान संबंधी मामलों में भेद भाव न किए जाने का प्रावधान है।

गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1657. **डा. ए.डी.के. जयशीलन:**
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए गेहूं और धान का न्यूनमत समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धान तथा गेहूं के निर्धारित लाभकारी मूल्यों में विषमता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) विपणन वर्ष 2000-2001 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। इस समय सरकार वर्ष 2000-2001 के लिए धान के समर्थन मूल्य पर विचार कर रही है।

(ग) से (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ विभिन्न फसलों की कीमतों में समानता के प्रश्न पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। इस वर्ष भी धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अंतिम निर्णय लेते समय इस पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन के लिए निधि

1658. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
डा. बलिराम:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को औद्योगिक प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु राज्य-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या ये एजेंसियां औद्योगिक प्रशिक्षण के नाम पर निधियों का दुरूपयोग कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) श्रम मंत्रालय में, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी.) राष्ट्रीय स्तर पर, व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी सर्वोच्च संस्था है। व्यावसायिक प्रशिक्षण समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकार दोनों समान आधार पर उत्तरदायित्व का वहन करते हैं। नितियों, मानकों शर्तों का निर्धारण करना एवं अंतिम व्यवसाय परीक्षा का राष्ट्रीय आधार पर संचालन करना रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का दायित्व है, जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रदेशों का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन है।

फिलहाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संगठनों की स्थापना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उपलब्ध कराने हेतु कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार की सुरक्षा

1659. श्री अमर राय प्रधान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय भण्डारों की लूट की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई और इनमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार देश में केन्द्रीय भण्डारों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किन्हीं ठोस उपायों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार में चोरी/डाके की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में चोरी/डाके की नौ घटनाएं हुई हैं उनमें कुल 511289.73 रुपये अंतर्ग्रस्त थे।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भण्डार और उसके गोदाम भण्डारण मूल्य के लिए पूरे तौर पर बीमाकृत हैं, नकद लेन-देन भी बीमाकृत हैं। केन्द्रीय भण्डार की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों को भी नियुक्त किया हुआ है। अधिक लागत होने के कारण केन्द्रीय भण्डार के लिए सभी भण्डारों पर सुरक्षा कर्मी तैनात करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ की शिखर बैठक

1660. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ की शिखर बैठक में बहुमूल्य सुरक्षा प्रणाली पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) फेइरा, पुर्तगाल में 19-20 जून, 2000 को सम्पन्न यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने कई मामलों पर चर्चा की जिनमें क्षेत्रीय एवं सौर्वभाम सुरक्षा से सम्बद्ध मामले भी शामिल थे। साझी यूरोपीय सुरक्षा एवं रक्षा नीति तैयार करने एवं गैर-यूरोपीय संघ नाटो देशों के साथ परामर्श व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई, इस बात पर सहमति हुई कि यूरोपीय सैन्य क्षमताओं के संबंध में पहले से सहमत प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने के लिए सन् 2000 की दूसरी छमाही में क्षमताओं की वचनबद्धता से सम्बद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

1661. श्री इंद्रजीत गुप्त: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने प्राय: जोखिम भरे कार्यों में संलग्न बाल श्रमिकों के संबंध में तथ्य छुपाने पर भारत की आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की मानक अनुप्रयोग समिति ने जून 2000 में भारत सरकार की बाल श्रम उन्मूलन और विशेष रूप से बलात बाल श्रम प्रतिबद्धता को नोट किया। समिति ने सरकार को क्रियाकलापों में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया। समिति ने सरकार को असंगठित क्षेत्रों में जैसे लघु उद्योग इकाईयां जो कारखाना अधिनियम 1948 के दायरे में नहीं है, में लगे बच्चों को विशेष रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान करने का आह्वान किया। बाल श्रम भारत में एक प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्या है और बच्चों को कार्य स्थल से हटाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सूचित किया जाता है।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण

1662. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 2000 के अमेरिका की उस खबर की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान एक अन्य परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका ब्यौरा प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दक्षिण एशिया में सुरक्षा के वातावरण पर इसके संभावित खतरे के संदर्भ में इस मामले को संयुक्त राज्य के समक्ष रखने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा संभावित नाभिकीय परीक्षण संबंधी मीडिया की खबरों को देखा है। सरकार ने यह भी नोट किया है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने इन खबरों का खण्डन किया है तथा उन्हें अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता द्वारा विश्वसनीय नहीं करार दिया है।

(घ) सरकार पाकिस्तान के नाभिकीय हथियार कार्यक्रमों से संबंधित सभी घटनाओं पर बारीकी से गौर करती है। सरकार खतरे के प्रति अपने आंकलन के अनुरूप भारत की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की प्रभावी तौर पर संरक्षा के लिए सभी अगवश्यक कदम उठाने के प्रति पूर्णरूप से वचनबद्ध है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बारजोर सिंचाई परियोजना

1663. श्री के.पी. सिंह देव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में बारजोर सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए किसी निधि का आबंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्षित तिथि क्या है और आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में बारजोर सिंचाई परियोजना नामक कोई परियोजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दिरा लिफ्ट नहर परियोजना

1664. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में चम्बल नदी पर प्रस्तावित इन्दिरा लिफ्ट नहर परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए विशेष प्रकोष्ठ

1665. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
डा. वी. सरोजा:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जिला स्तरीय रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बिहार के बोकारो, धनबाद और गिरीडीह जिलों में विकलांगों के लिए विशेष प्रकोष्ठ खोलने हेतु बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वर्तमान में भारत सरकार का जिला स्तर के रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों हेतु विशिष्ठ प्रकोष्ठों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को बिहार सरकार के दिनांक 28.10.1999 के पत्र द्वारा बोकारो एवं धनबाद स्थित सामान्य रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रकोष्ठों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) भारत सरकार के नए विशेष प्रकोष्ठों को न खोले जाने से संबंधित दिनांक 17.05.1994 को समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन को प्रेषित निर्णय को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को दिनांक 31.1.2000 को एक उत्तर भेजा गया जिसमें उल्लेख किया गया कि विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना के उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

मदुरै में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना

1666. श्री तिरूनावुक्करसु: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के मदुरै में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) तमिलनाडु में पहले ही हर प्रकार से परिपूर्ण एक पासपोर्ट कार्यालय त्रिची में स्थित है जो पासपोर्ट आवेदनों का

संग्रहण एवं उन पर कार्यवाही करता है तथा आवेदनों के संग्रहण के लिए मदुरै में पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्र है।

नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना कतिपय मानदण्डों द्वारा प्रशासित होता है जैसे मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों की अवस्थिति, उस क्षेत्र विशेष से प्राप्त आवेदनों की संख्या और विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसद की स्थायी समिति की यह सिफारिश कि जहां नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना है उस क्षेत्र से कम से कम 50,000 आवेदन प्रति वर्ष प्राप्त होने चाहिए।

मदुरै स्थित संग्रहण केन्द्र में 1998 में 14323 और 1999 में 12099 आवेदन प्राप्त हुए थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजन

1667. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त धन का उपयोग करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आरईजीपी के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सृजित तेजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए किसी एजेंसी का गठन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के माध्यम से रोजगार सृजन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

	1997-98	1998-99
खादी	14.01 लाख	13.85 लाख
ग्रामोद्योग	42.49 लाख	44.44 लाख
जोड़ (खादी और ग्रामोद्योग)	56.50 लाख	58.29 लाख

(घ) और (ङ) जी, नहीं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की निगरानी प्रक्रिया पर्याप्त है।

ई.एस.आई.सी.

1668. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित मजदूरों को ई.एस.आई.सी. योजना में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ई.एस.आई.सी. योजना में स्व-रोजगार वाले कारीगरों और मजदूरों को शामिल करने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का वित्तपोषण मुख्यत: कर्मचारियों और नियोजकों के अंशदान से किया जाता है। तदनुसार इस स्कीम को अनिवार्य स्कीम के रूप में माना गया है। इसका अनुप्रयोग/दायरा कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित है। अत: क.रा.बी. स्कीम के अन्तर्गत स्व नियोजित कर्मकारों को शामिल करना संभव नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा का सीमांकन

1669. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर सीमांकन का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) भारत-नेपाल सीमा की पहचान का कार्य प्रगति पर है।

(ख) यह कार्य 2003 तक पूरा होने की आशा है।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण ने बाकी बचे तीन वर्षों में सर्वेक्षण कार्य के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है।

[अनुवाद]

नारियल का भण्डारण

1670. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में नारियल के भण्डारण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में नारियल की कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ग) क्या खुले बाजार से नारियल की समूची मात्रा को अभी तक नैफेड ने ही उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत चयनित तिलहन तथा दलहन (कोपरा सहित) को, जब इनके मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाते हैं, खरीदा जाता है। 2000 मौसम के लिए, भारत सरकार ने मिलिंग कोपरा के लिए 3250 रुपये प्रति क्विंटन तथा बाल कोपरा के लिए 3500 रुपये प्रति क्विंटन न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है।

नैफेड ने अब तक विभिन्न राज्यों में कोपरा की निम्नलिखित मात्रा का प्रापण किया है तथा इसके भंडारण की व्यवस्था की है:-

राज्य	प्रापित मात्रा (मी.टन)
केरल	45230
लक्षद्वीप	2004
तमिलनाडु	18986
आंध्र प्रदेश (एफ.ए.क्यू.)	55
(विशेष श्रेणी)	2523
कुल	68798

कुल 68798 मी. टन मात्रा में से 46673 मी. टन गोदाम में पहुंचा दिया गया है, तथा शेष गोदामों में पहुंचाया जा रहा है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन एजेंडा

1671. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश से गरीबी उन्मूलन से संबंधित एक बड़ा एजेंडा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार इस एजेंडे को किस पकार क्रियान्वित करने का है; और

(घ) इस एजेंडे को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) गरीबी उन्मूलन और कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक है। सरकार ने गरीबी कम करने के लिए एक त्रिविधि कार्यनीति अपनाई है। इसमें शामिल है: (1) रोजगार सघन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित

करते हुए त्वरित आर्थिक विकास, (2) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास, और (3) लक्षित गरीबी-रोधी कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त यह माना गया है कि प्रभावी रूप से गरीबी उन्मूलन केवल गरीबों की विकास प्रक्रिया से सक्रिय भागदारी के द्वारा ही किया जा सकता है। अत: विभिन्न विकास स्कीमों के वितरण को सुधारने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों व समुदाय आधारित स्वयंसेवी समूहों और अन्य उपभोक्ता समूहों के माध्यम से गरीबों के सामाजिक संघटन और उनकी अधिकारिता को बढ़ाया जा रहा है।

[अनुवाद]

आनुवंशिक रूप से तैयार की गई फसलें

1672. श्री जी.जे. जावीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आनुवंशिक रूप से तैयार की गई फसलें, चावल और अरहर विकसित किया है जो घातक कीटनाशकों की प्रतिरोधक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये किस्में किसानों को उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तना छेदक की प्रतिरोधी किस्म तैयार करने के उद्देश्य से बैसिलस थुरिन्जेसिस (Bt) नामक एक जीवाणु से स्थानान्तरित किए गए जीन, Cry1 Aa के माध्यम से आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित चावल का विकास किया है। इन पराजीनों का मूल्यांकन किया गया तथा कन्टेन्मेंट सुविधा के अंतर्गत किये गये जैव मूल्यांकन (बायोऐसे) से पता चला कि इनमें तनाछेदक के प्रति प्रतिरोधिता है। किसानों द्वारा सामान्यतौर पर उगाए जाने के लिए जारी करने से पहले इनका कन्टेन्मेंट सुविधा में पुन: मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद खेत परीक्षण भी किया जाएगा। अरहर में अभी तक किसी पराजीन का विकास नहीं हुआ है। यह कार्य प्रारम्भिक अवस्था में (जीन स्थानांतरण से पहले ऊतक संवर्धन अवस्था में) है।

(ग) और (घ) अभी तक सामान्य रूप से उगाने के लिए किसानों को कोई पराजीनी किस्म उपलब्ध नहीं कराई गई है। आनुवंशिक रूप से तैयार फसल-किस्मों के विकास में पराजीनियों का उत्पादन मात्र पहला कदम है। किसानों द्वारा उगाने के लिए इनकी सिफारिश करने से पहले फार्म गुणों और जैव सुरक्षा की दृष्टि से पराजीनियों के मूल्यांकन की जरूरत है।

पौध जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महत्वपूर्ण फसलों पर जैव प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान करने शुरू किए हैं। इन अनुसंधानों को योजनागत परियोजनाओं, उपकर निधि तदर्थ परियोजनाओं और राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजनाओं (एन.ए.टी.पी.) के माध्यम से सहायता दी जा रही है। एन.ए.टी.पी. के तहत मिशन मोड परियोजनाएं हैं:-

(1) कीट रोधिता के लिए Bt पराजीनी अरहर, चावल और कपास।

(2) पराजीनी फसलों के कीट व नाशीजीव प्रतिरोधी पौधों के विकास के लिए पौध जीनों और प्रमोटरों का पृथक्करण।

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड

1673. कर्नल (सेनानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को देश में अंधाधुंध बोरिंग और भूजल निकाले जाने को रोकने के लिए नियामक प्राधिकारी के रूप में सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड गठित करने के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय के निदेशों को सख्ती से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भू-जल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.1996 के अपने आदेश के तहत पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का प्राधिकरण के रूप में गठन करने का निदेश केन्द्र सरकार को दिया था।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.12.1996 के आदेश के अनुरक्षण में केन्द्र सरकार ने दिनांक 14.01.1997 की अधिसूचना के तहत केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन किया है। इस अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:-

(1) निदेश जारी करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करना और उपर्युक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा (2) में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में ऐसे उपाय करना।

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित पेनल प्रावधानों की व्यवस्था करना।

(3) देश में अंधाधुंध बोरिंग एवं भूजल की निकासी को विनियमित करना तथा भूजल की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से आवश्यक नियामक निर्देश जारी करना।

इस प्राधिकरण ने अपने गठन से ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भू-जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रयोगकर्ताओं को जागरूक कर रहा है। इस प्राधिकरण ने भू जल स्तर में गिरावट को रोकने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीव के कुछ क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

बीड़ी क्षेत्र

1674. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के प्रभाव पर कोई निगरानी रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में बाधक नीतियां क्रियान्वित न की जाएं, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अमरीका ने अपने देश में भारतीय बीड़ियों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के कारण भारतीय बीड़ी उद्योग को अनुमानत: कितनी हानि हुई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) इस समय बीड़ी उद्योग में विदेशी कम्पनियां कार्य नहीं कर रही हैं। तथापि, दर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार तम्बाकू क्षेत्र में उनके निवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सीधे विदेशी निवेश का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेसिंग से सम्बन्धित प्रावधान के अध्यधीन विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य सीमा शुल्क ने खास भारतीय निर्यातकों अर्थात् मैसर्स गणेश बीड़ी वर्क्स से बीड़ियों के आयात करने पर रोक का आदेश जारी किया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान बीड़ियों का निर्यात विदेशों में बिक्री में कोई हानि नहीं दर्शाता है। तथापि, हाल ही में कुछ बाह्य एजेन्सियों द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के दृष्टिगत ऐसे निर्यात से होने वाली आय कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है।

आई.सी.ए.आर. में रिक्त पद

1675. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. के विभिन्न संस्थानों में वरिष्ठ और कनिष्ठ वैज्ञानिकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) वैज्ञानिकों के ग्रेड में प्रवेश स्तर पर कुछ पद खाली हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक के ग्रेड में कुछ पद रिक्त हैं। पदों को भरना एक अनवरत तथा समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि वैज्ञानिक/वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं।

(ग) प्रवेश स्तर पर वैज्ञानिकों के पदों को तेजी से भरने के उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल अखिल भारतीय आधार पर वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष (सिर्फ 1993 को छोड़कर) प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के ग्रेड में पदों को भरने के लिए कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल नियमित अंतरालों पर साक्षात्कार आयोजित करता है।

पद आधारित रोस्टर

1676. **सरदार बूटा सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सम्बद्ध/अधीनस्थ संगठनों के तहत उनकी नियंत्रणाधीन सेवाओं का ब्यौरा क्या है जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और जिसके कारण श्रेणीवार/ग्रेडवार रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टर्स शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या उन सेवा श्रेणियों में जहां प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है, रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टर शुरू किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1677. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या प्रधान मंत्री 10 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6791 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन लोक सभा क्षेत्रों और नोडल जिलों का ब्यौरा क्या है जहां सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हुए खर्च की नमूना लेखा परीक्षा की गई है; और

(ख) तत्संबंधी लेखा परीक्षा के क्या निष्कर्ष हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) मूल्यांकन अध्ययन में शामिल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं केन्द्रक जिलों तथा नमूना जिलों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। मूल्यांकन औपचारिक लेखा परीक्षा नहीं है। इसका उद्देश्य निष्पादन, कार्यान्वयन की पद्धतियों की उपयुक्तता तथा योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन में 57 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 28 राज्य सभा सांसद शामिल हैं। अध्ययन का सर्वेक्षण कार्य अपने अंतिम चरण में है तथा दिसम्बर, 2000 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

विवरण

लोक सभा और राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्रों की राज्यवार कोड सूची

क्र.सं.	राज्य	कोड	निर्वाचन क्षेत्र	कोड	नोडल जिला	कोड	चुने हुए जिले	कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आरक्षी, चंडीगढ़	01	सोनीपत (लोस)	01	सोनीपत (लोस)	01	सोनीपत (लोस)	01
	हरियाणा		अंबाला (लोस)	02	अंबाला (लोस)	02	अंबाला (लोस)	02
			भिवानी (रास)	03	भिवानी (रास)	03	भिवानी (रास)	03
2.	हिमाचल प्रदेश	02	हमीरपुर (लोस)	04	हमीरपुर (लोस)	04	हमीरपुर (लोस)	04
			शिमला (लोस)	05	शिमला (लोस)	05	सोलन (लोस)	05
			लाहुल व स्पिति (रास)	07	लाहुल व स्पित (रास)	07	लाहुल व स्पिति (रास)	07
3.	जम्मू और कश्मीर	03	जम्मू (लोस, रास)	08	जम्मू (लोस, रास)	08	जम्मू (लोस, रास)	08
			लद्दाख (लोस)	09	लद्दाख (लोस)	10	लद्दाख (लोस)	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	पंजाब	01	अमृतसर (लोस)	12	अमृतसर (लोस)	12	अमृतसर (लोस)	
			पटियाला (लोस, रास)	13	पटियाला (लोस, रस)	13	पटियाला (लोस, रास)	
5.	चंडीगढ़	05	चंडीगढ़ (लोस)	14	चंडीगढ़ (लोस)	14	चंडीगढ़ (लोस)	
6.	दिल्ली	06	दक्षिण दिल्ली (लोस)	15	दक्षिण दिल्ली (लोस)	15	दक्षिण दिल्ली (लोस)	
			करोल बाग (लोस)	16	करोल बाग (लोस)	16	करोल बाग (लोस)	
			दिल्ली (रास)	17	दिल्ली (रास)	17	दिल्ली (रास)	
7.	आरईओ, जयपुर राजस्थान	07	जयपुर (लोस)	18	जयपुर (लोस)	18	जयपुर (लोस)	
			भिलवाड़ा (लोस)	19	भिलवाड़ा (लोस)	19	भिलवाड़ा (लोस)	
			कोटा (रास)	20	कोटा (रास)	20	कोटा (रास)	
8.	मध्य प्रदेश	08	सरगुजा (लोस)	21	सरगुजा (लोस)	21	सरगुजा (लोस)	
			सतना (लोस)	22	सतना (लोस)	22	सतना (लोस)	
			दामोह (लोस)	23	दामोह (लोस)	23	दामोह (लोस)	
			गुना (लोस)	24	गुना (लोस)	24	शिवपुरी (लोस)	
			रायगढ़ (रास)	26	रायगढ़ (रास)	26	रायगढ़ (रास)	
			भोपाल (रास)	28	भोपाल (रास)	28	जसपुर (रास)	
							भोपाल (रास)	
9.	आरईओ, लखनऊ उत्तर प्रदेश	09	नैनीताल (लोस)	29	उधमसिंहनगर (लोस)	30	नैनीताल (लोस)	
			अकबरपुर (लोस)	31	अम्बेडकरनगर (लोस)	32	अम्बेडकरनगर (लोस)	
			संभल (लोस)	33	मुरादाबाद (लोस)	34	बदायूं (लोस)	
			मोहनलालगंज (लोस)	36	लखनऊ (लोस)	37	लखनऊ (लोस)	
			मेरठ (रास)	38	मेरठ (रास)	38	मुजफ्फरनगर (रास)	
			कानपुर नगर (रास)	40	कानपुरनगर (रास)	40	कानपुर देहात (रास)	
			देवरिया (रास)	42	देवरिया (रास)	42	देवरिया (रास)	
10.	बिहार	10	महाराजगंज (लोस)	43	महाराजगंज (लोस)	43	सिवानी (लोस)	
			जमशेदपुर (लोस)	44	सिंहपुर पूर्व (लोस)	46	सिंहभूम (पूर्व)	
			अररिया (लोस)	47	अररिया (लोस)	47	अररिया (लोस)	
			बक्सर (लोस)	48	बक्सर (लोस)	48	बक्सर (लोस)	
			कटिहार (रास)	49	कटिहार (लोस)	49	कटिहार (रास)	
			पटना (रास)	50	पटना (रास)	50	पटना (रास)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	आरईओ कलकत्ता पश्चिम बंगाल	11	दार्जीलिंग (लोस)	51	दार्जीलिंग (लोस)	51	दार्जीलिंग (लोस)	51
			बिशुनपुर (लोस)	52	बांकुरा (लोस)	53	बांकुरा (लोस)	53
			हुगली (लोस)	54	हुगली (लोस)	54	हुगली (लोस)	54
			जॉयनगर (लोस)	55	द. 24 परगना (लोस)	56	द. 24 परगना (लोस)	56
			कलकत्ता (रास)	57	कलकत्ता (रास)	57	कलकत्ता (रास)	57
			बर्दवान (रास)	58	बर्दवान(रास)	58	बर्दवान(रास)	58
12.	उड़ीसा	12	कोरापुट (लोस)	59	कोरापुट (लोस)	59	राजगुड्डा (लोस)	59
			बेडरॉक (लोस)	61	बेडरॉक (लोस)	61	बेडरॉक (लोस)	61
			जाजपुर (रास)	62	जाजपुर (रास)	62	जाजपुर (रास)	62
13.	असम	13	ऑटोनामस जिला (लोस)	63	करबई एंगलॉग (लोस)	64	करबई एंगलॉग (लोस)	64
			गुवाहटी (लोस)	65	कामरूप (लोस)	66	कामरूप (लोस)	66
			सिबसागर (रास)	67	सिबसागर (रास)	67	कामरूप (रास)	66
14.	अरुणाचल प्रदेश	14	अरुणाचल प्रदेश पूर्व (लोस)	68	लोहित (लोस)	69	तिरप (लोस)	70
			अरुणाचल पश्चिम (लोस)	71	पश्चिम सिंग (लोस)	72	पश्चिम सिंग (लोस)	72
			पंपम परे (रास)	73	पंपम परे (रास)	62	पंपम परे (रास)	73
15.	सिक्किम	15	सिक्किम (लोस, रास)	74	पूर्व सिक्किम (लोस, रास)	75	पूर्व सिक्किम (लोस)	75
16.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	16	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (लोस)	76	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (लोस)	76	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (लोस)	76
	हैदराबाद आरईओ आंध्र प्रदेश	17	काकीनाडा (लोस)	77	पूर्व गोदावरी (लोस)	78	काकीनाडा (लोस)	77
			हिन्दुपुर (लोस)	79	अनंतपुर (लोस)	80	अनंतपुर (लोस)	80
			राजमपेट (लोस)	81	कडप्पाह (लोस)	82	कडप्पाह (लोस)	82
			सिकंदराबाद (लोस)	83	हैदराबाद (लोस)	84	हैदराबाद (लोस)	84
			कडप्पाह (रास)	82	कडप्पाह (रास)	82	कडप्पाह (रास)	82
			पार्कसन (रास)	85	पार्कसन (रास)	85	पार्कसन (रास)	85
8.	कर्नाटक	18	बागलकोट (लोस)	86	बागलकोट (लोस)	86	बागलकोट (लोस)	86
			धारवड़ उत्तर प्रदेश (लोस)	87	धारवड़ (लोस)	88	धारवड़ (लोस)	88
			तमकुर (लोस)	89	तमकुर (लोस)	89	तमकुर (लोस)	89
			उदिपि (रास)	90	उदिपि (रास)	90	उदिपि (रास)	90
9	आरईओ मुंबई महाराष्ट्र	19	कोल्हापुर (लोस)	91	कोल्हापुर (लोस)	91	कोल्हापुर (लोस)	91
							धुले	93
			नांदुरबार (लोस)	92	नांदुरबार (लोस)	92	नांदुरबार (लोस)	92
			हिंगोह (लोस)	94	हिंगोह (लोस)	94	हिंगोह (लोस)	94
			पुणे (लोस, रास)	95	पुणे (लोस, रास)	95	पुणे (लोस, रास)	95
			अहमदनगर (रास)	96	अहमदनगर (रास)	96	अहमदनगर (रास)	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	गुजरात	20	कच्छ (लोस)	97	कच्छ (लोस)	97	कच्छ (लोस)	97
			जामनगर (लोस)	98	जामनगर (लोस)	98	जामनगर (लोस)	98
			भरूच (लोस)	99	भरूच (लोस)	99	भरूच (लोस)	99
			अहमदाबाद (रास)	100	अहमदाबाद (रास)	100	बडोदरा (रास)	101
							साबरकंठा (रास)	102
21.	आरइओ, चेन्नई तमिलनाडु	21	कृष्णागिरी (लोस)	104	धर्मपुरी (लोस)	105	धर्मपुरी (लोस)	105
			तिरुणवेली (लोस)	106	तिरुणवेली (लोस)	106	तूतीकोरन (लोस)	106
			सलेम (लोस)	108	सलेम (लोस)	108	सलेम (लोस)	108
			पोदीकोलाई (लोस)	109	पोदीकोलाई (लोस)	109	पोदीकोलाई (लोस)	109
							तंजावुर	110
			विल्लौर (रास)	111	विल्लौर (रास)	111	विल्लौर (रास)	111
			कांचीपुरम (रास)	112	कांचीपुरम (रास)	112	तिरुनवल्लौर (रास)	113
22.	केरल	22	कसरागांव (लोस)	114	कसरागांव (लोस)	114	कसरागांव (लोस)	114
			तिरुवंतपुरम (लोस)	115	तिरुवंतपुरम (लोस)	115	तिरुवंतपुरम (लोस)	115
			अलपज्झा (रास)	116	अलपज्झा (रास)	116	अलपज्झा (रास)	116

बागवानी कृषि प्रसंस्करण

1678. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में बागवानी कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में शामिल की गई परियोजनाओं का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग अपनी योजना स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम समेत देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों इनमें बागवानी प्रसंस्करण शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) विभाग की स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि राज्य विशेष। वैसे पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को दी गई परियोजनावार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है बागवानी परियोजनाओं के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	क्षेत्र	जारी की गई सहायता (लाख रुपये में)		
		97-98	98-99	99-2000
1.	मांस, पोल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण	4.80	291.00	291.00
2.	मछली प्रसंस्करण	4.34	9.06	10.00
3.	अनाज प्रसंस्करण	4.00	29.00	3.00
4.	कोल्ड स्टोरेज	-	-	94.30
5.	खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	3.96

विवरण

वर्ष 1997-2000 के दौरान फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र को दी गई सहायता की स्थिति

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	स्थिति	परियोजना के ब्यौरे	परियोजना की लागत	दी गई सहायता (लाख रुपये में)
1997-1998					
1.	मैसर्स प्रोविडेंस मल्टी पर्पस कोपरेटिव सोसाइटी लि. टखेलोम्बो, लैखी, इम्फाल, मणिपुर	गैर सरकारी संगठन	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	30.00	14.43
	मैसर्स अरडंग मल्टी पर्पस कोपरेटिव सोसाइटी लि. कोक्कचुंग, नागालैंड	गैर सरकारी संगठन	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	28.16	10.50
					24.93
	-99				
	प्यूपिल एक्शन फार रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन. तमंगलौंग, जिला मणिपुर	गैर सरकारी संगठन	नींबू उत्पाद	25.33	8.51
	रूरल एरिया डवलपमेंट एसोशिएशन, उखरूल, जिला मणिपुर	गैर सरकारी संगठन	बांस की कोमल टहनी	27.35	10.70
	मलोम तुलीयामा डवलपमेंट एसोसिएशन, मलोम एयरपोर्ट रोड़, मणिपुर	गैर सरकारी संगठन	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	38.79	11.20
					30.41
	9-2000				
	मैसर्स रिशांग कैशियांग फाउंडेशन फार मैनजमेंट आफ ट्राइबल एरिया, थोटचंरम, उखरूल जिला, मणिपुर	गैर सरकारी संगठन	अदरक प्रसंस्करण	135.00	42.32
	मैसर्स जोमथरा मल्टी पर्पस कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड चेऊआऊन, जिला मोन, नागालैंड	गैर सरकारी संगठन	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	66.27	5.72
	मैसर्स इंटीग्रेटिड इकनोमिक डवलपमेंट सोसाइटी, थोनजू कैथल, इम्फाल, मणिपुर	गैर सरकारी संगठन	फल तथा सब्जी का निर्जलीकरण	31.70	4.36
					52.40

कृषि परियोजनाएं

1679. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों से सहायताप्राप्त कृषि परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी धनराशि लगाई गई है;

(ग) क्या यह परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) विदेशी सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाओं की राज्यवार और परियोजनावार संख्या और इन परियोजनाओं में लगे धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विदेशी सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम तथा राज्य जिसमें ये स्थित हैं	दाता का नाम	परियोजना की कुल लागत
1	2	3	4
1.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाडी-2) हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	193.00 करोड़
2.	बिहार पठारी विकास परियोजना बिहार	विश्व बैंक	132.20 करोड़
3.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि समर्थन परियोजना उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	160.50 करोड़
4.	असम ग्रामीण अवसंरचना और कृषि सेवा परियोजना असम	विश्व बैंक	146.60 करोड़
5.	कृषि विकास परियोजना राजस्थान	विश्व बैंक	130.30 करोड़
6.	उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट *चरण 1 तथा चरण 2*	विश्व बैंक	395.17 करोड़ 1212.33 करोड़
7.	राष्ट्रीय कृषि प्रद्योगिकी परियोजना (सभी राज्य)	विश्व बैंक	861.30 करोड़
8.	महिला युवा प्रशिक्षण तथा विस्तार परियोजना, कर्नाटक	डैनिडा	
	चरण 1		4.73 करोड़
	चरण 2		8.89 करोड़
	चरण 3		15.74 करोड़

1	2	3	4
9.	कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं, तमिलनाडु	डैनिडा	
	चरण 1		4.13 करोड़
	चरण 2		33.92 करोड़
10.	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण एवं विस्तार उड़ीसा	डैनिडा	
	चरण 1		3.22 करोड़
	चरण 2		11.85 करोड़
11.	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश	डैनिडा	6.24 करोड़
12.	वृहत पनधारा विकास परियोजना तिरूनेलवेल्ली तमिलनाडु	डैनिडा	41.72 करोड़
13.	वृहत पनधारा विकास परियोजना रामनाथपुरम, तमिलनाडु	डैनिडा	13.00 करोड़
14.	वृहत पनधारा विकास परियोजना मध्य प्रदेश	डैनिडा	13.15 करोड़
15.	वृहत पनधारा विकास परियोजना कर्नाटक	डैनिडा	22.33 करोड़
16.	वृहत पनधारा विकास परियोजना उड़ीसा	डैनिडा	13.25 करोड़
17.	पशुधन विकास परियोजना तमिलनाडु	डैनिडा	डी.के.के. 51.480 मिलियन
18.	समेकित पशुधन विकास परियोजना उड़ीसा	डैनिडा	डी.के.के. 19.9 मिलियन
19.	समेकित पशुधन विकास परियोजना मध्य प्रदेश	डैनिडा	डी.के.के. 28.30 मिलियन
20.	दूनघाटी समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना उत्तर प्रदेश	इ.इ.सी.	23.7 इ.सी.यू.
21.	नारियल विकास परियोजना, केरल	इ.इ.सी.	93.40 करोड़
22.	केरल कृषि विपणन परियोजना, केरल	इ.इ.सी.	71.50 करोड़
23.	बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षारीय भूमि के पुनरुद्धार और विकास की परियोजनाएं	इ.इ.सी.	85.80 करोड़
24.	ग्रामीण विकास परियोजना, बिहार	इ.इ.सी.	33.78 करोड़

1	2	3	4
25.	फ्रेश वाटर प्रान हैचरी, गुजरात	फ्रेंच सरकार	5.60 करोड़
26.	फ्रेश वाटर प्रान हैचरी, महाराष्ट्र	फ्रेंच सरकार	3.59 करोड़
27.	पशुप्रजनन, चारा उत्पादन एवं डेरी विकास परियोजना, आन्ध्र प्रदेश	स्वीस सरकार	3.05 करोड़
28.	सतत भू-उपयोग, पशुपालन एवं डेरी विकास उड़ीसा	स्वीस सरकार	3.30 करोड़
29.	पशुपालन परियोजना, सिक्किम	स्वीस सरकार	4.08 करोड़
30.	इन्डो-जर्मन द्विपक्षी पनधारा प्रबंध परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा	जर्मनी	10.60 करोड़
31.	समेकित पनधारा विकास परियोजना, कर्नाटक	जर्मनी	45.90 करोड़
32.	इन्डो जर्मन पनधारा विकास परियोजना, महाराष्ट्र	जर्मनी	
	चरण 1		26.55 करोड़
	चरण 2		81.74 करोड़
33.	पनधारा प्रबंध परियोजना, कर्नाटक	जर्मनी	55.08 करोड़
34.	फार्म महिलाओं को प्रशिक्षण, गुजरात	डच सहायता	
	चरण 1		4.92 करोड़
	चरण 2		12.13 करोड़
35.	कृषि में आंध्र प्रदेश की महिलाओं का प्रशिक्षण	डच सहायता	5.71 करोड़
36.	कृषि मानव और पारिस्थितिकी परियोजना चरण 4 तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	डच सहायता	20.70 करोड़
37.	पश्चिम बंगाल तराई विकास परियोजना चरण 4	डच सहायता	23.02 करोड़
38.	जल भराव एवं क्षारीय भूमि के पुनरुद्धार के पाइलट परियोजना	डच सहायता	8.36 करोड़
39.	इन्डो डच नेटवर्क ओ.आर.पी. आन ड्रेनिज एंड वाटर मैनेजमेंट फार सैलिनिटी कंट्रोल इन कैनाल कमांड, हरियाणा	डच सहायता	डी.एफ.एल. 17775000
40.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना (क्वाड)	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ग्रेट ब्रिटेन	83.40 करोड़

नार्वे के दूत की यात्रा

1680. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्वे के शांति दूत ने मई, 2000 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनसे किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) दोनों सरकारों का इस पर क्या रुख है; और

(घ) चर्चा का क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) श्री एरिक सोलहैम नर्वेयाई सांसद और श्रीलंका के लिए नार्वे के विदेश मंत्री के विशेष सलाहकार, श्रीलंका की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए और वार्ता कराने में सहायता कराने के नार्वे के प्रयासों के बारे में सरकार को अवगत कराने के लिए 11 और 24 मई, 2000 तथा 29 जून, 2000 को भारत आये थे। विशेष सलाहकार इस संघर्ष के श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की रूपरेखा के भीतर किसी ऐसे राजनीतिक समाधान की आवश्यकता संबंधी सरकार के दृष्टिकोण से सहमत हुए जिसमें सभी समुदायों की आकांक्षाओं की रक्षा निहित हो।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में दलालों द्वारा दलाली

1681. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट, कार्यालय अहमदाबाद में जल्दबाजी में पासपोर्ट चाहने वाले आवेदक दलालों की ओर मुखातिब हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) का छापा पड़ने के बाद कर्मचारियों की अलमारियों से जाली पासपोर्टों के साथ बेहिसाब नकद राशि बरामद हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद के परिसर से कितने दलाल दलाली करते पकड़े गए; और

(ङ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठए गए हैं/उठाने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ आवेदक पासपोर्ट आवेदनों के साथ नकली दस्तावेज जमा कराने के लिए कुछ ट्रेवल एजेंटों का उपयोग कर रहे थे।

(ख) प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में 30 जून, 2000 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे के दौरान कोई नकली दस्तावेज अथवा बिना हिसाब-किताब की नकदी नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दो दलालों को गिरफ्तार किया गया। सूचना के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में लगभग 50 ट्रेवल एजेंट आवेदकों की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे।

(ङ) सरकार पासपोर्ट के मसले को सुव्यवस्थित करने तथा धांधली के कारणों को समाप्त करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों की मूल समस्याओं पर ध्यान दे रही है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुमोदित निजी प्रिंटरों द्वारा पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की छपाई, वितरण और कम कीमत पर बिक्री के जरिए आवेदन-पत्रों की उपलब्धता बढ़ाना, पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा कराने के लिए वर्तमान 28 पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्त 20 पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करना, 28 में से 20 पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की बेवसाइट का शुभारंभ पासपोर्ट अदालतें लगाना आदि शामिल है। पात्र आवदेकों को बिना बारी के पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए "तत्काल" योजना तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की मशीन द्वारा लिखाई आरंभ की गई है। ये कदम विलंब तथा लंबित आवेदनों की संख्या को कम करने के लिए उठाए गए हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में अधिक सतर्कता बरतने के अतिरिक्त ट्रवेल एजेंटों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कालातीत अथवा पश्यपुलिस जांच के आधार पर जारी किए जाने वाले पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद के चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

गुजरात के लिए धन

1682. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में नशाबन्दी लागू करने के लिए मुआवजे की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग विभिन्न राज्यों की सहायता के आबंटन के समय इस पर विचार करेगा और गुजरात को इस प्रकार की धनराशि प्रदान करने पर विचार करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) गुजरात सरकार समय-समय पर वित्तीय संसाधन निर्धारण बैठकों में राज्य में लागू नशाबन्दी के आधार पर मुआवजे का मुद्दा उठाती रही है। बहरहाल, राज्य को सूचित किया गया है कि योजना आयोग राज्यों को गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर ब्लाक अनुदान और ऋण आवंटित करता है तथा नशाबन्दी के लिए मुआवजा इस फार्मूले का हिस्सा नहीं है। अत: योजना आयोग संसाधन आवंटन के लिए राज्यों के ऐसे अनुरोधों पर विचार करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे मुद्दे उठाने के लिए उपयुक्त फोरम वित्त आयोग है।

[हिन्दी]

अधिनियमों में संशोधन

1683. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक उदारीकरण के मद्देनजर औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम में व्यापक संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित क्षेत्रों में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या इन श्रमिकों को वे सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों दी जाती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर उन्हें जो कृषि क्षेत्र में हैं, के हिसों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) श्रम कानूनों की समीक्षा/उन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और समीक्षा के परिणामों के आधार पर संशोधन किये जाते हैं/नये सिरे के विधान बनाये जाते हैं। महत्वपूर्ण समझे गये तथा समय विशेष पर ध्यान आकर्षित करने वाले अनेक मुद्दों तथा समस्याओं से निपटने के लिए काफी समय से अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। जबकि इनमें से अनेक चिन्ताएं नियमित स्वरूप की होती हैं। कुछ चिन्ताएं पहले ही अपना महत्व खो चुकी हैं तथा वे वास्तव में पुरानी अथवा निरर्थन हो जाती हैं। इस प्रकार श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा किये जाने की सदैव आवश्यकता बनी रहती है। जिससे आर्थिक निति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके तथा कामगारों के बेहतर कल्याण का भी प्रावधान किया जा सके। सरकार ने 15.10.1999 को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भी गठित किया है जो श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा करेगा तथा श्रम विधान/नीति में समुचित परिवर्तनों के बारे में सुझाव देगा। उक्त आयोग संगठित क्षेत्र श्रमिकों से संबंधित विद्यमान श्रम कानूनों के यौक्तिकीकरण तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक विधान के बारे में सुझाव देगा।

(ग) से (ङ) 1991 की जनगणना के अनुसार, 286 मिलियन मुख्य कामगारों में से 259 मिलियन कामगार असंगठित क्षेत्र में थे जो कुल श्रम बल का 91 प्रतिशत बैठते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों सहित अन्य श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गये हैं इनमें से कुछ श्रम कानून हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 उपदान संदाय अधिनियम 1972 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979; भवन एवं अन्य निर्माण कार्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 आदि। लौह अयस्क मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा अभ्रक खानों, सिनेमा उद्योग तथा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों को संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत शुरू किये गये विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है।

राज्य सरकार ने हथकरघा बुनाई रिक्शा खींचने आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे बड़ी संख्या में कामगारों को शामिल करके बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार, देश के ग्रामीण असंगठित अनौपचारिक श्रमिकों के कल्याण और परिस्थितियों में सुधार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है। विद्यमान योजनाओं अर्थात् आई.आर.डी.पी. ट्राइसेम, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. को एक करके अप्रैल, 1999 से "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। सरकार, कृषि कर्मकारों के लिए एक ऐसा विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य देख-रेख प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की शिक्षा, आवास, मृत्यु अथवा चोट के मामले में कृषि कर्मकारों के परिवार के लिए तत्काल सहायता सहित कतिपय कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान हो।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना एच.ई.एस.ए.

1684. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 1996 में शुरू की जाने वाली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (अप्रैल में मानव अभियांत्रिकी सुरक्षा) ए.आई.सी.आर.पी., एच.ई.एस.ए. को अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के संबंध में अब तक कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) यह स्कीम जून, 1995 में स्वीकृत की गई थी और इसने तभी से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आठवीं योजना (1992-1997) के दौरान इस योजना के लिए 57.14 लाख रु. का प्रावधान किया गया था। इसमें से 35.97 लाख रु. खर्च हो चुके हैं। नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 294.00 लाख रु. की कुल लागत से इस स्कीम को जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है।

भारी जल और नाभिकीय ईंधन

1685. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में भारी जल और नाभिकीय ईंधन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। कम लागत पर भारी पानी और नाभिकीय ईंधन के इष्टतम उत्पादन स्तर हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं?

(ख) पिछले तीन वर्षों में हासिल लक्ष्यों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

हासिल लक्ष्य का%	1997-98	1998-99	1999-2000
भारी पानी	97.48	99.60	120.60
नाभिकीय ईंधन	96.45	108.36	114.74

[हिन्दी]

गहन सहकारिता विकास कार्यक्रम

1686. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के प्रत्येक जिले में गहन सहकारिता विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र के कम्प्यूटरीकरण हेतु निवेश करने का प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परियोजनाएं बंद करना

1687. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ परियोजनाओं पर काफी अधिक धनराशि खर्च करने के बाद उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार का इन परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि को किस ढंग से वसूली करने का विचार है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) 31.3.2000 तक अंतत: ठप्प/बंद की जाने वाली परियोजनाओं की सूची में 52 परियोनजाएं रखी गई हैं। इनमें से तीन परियोजनाएं निजी क्षेत्र को बेच दी गई हैं, एक परियोजना तकनीकी रूप से पूरी कर ली गई है, परंतु, प्रौद्योगिकी असफलता के कारण बंद कर दी गई है, तीन परियोजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया है, दो परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा छ: को पट्टे पर दिया गया है। इन परियोजनाओं की कुल मूल लागत 4,320.25 करोड़ रुपये है तथा इन पर अब तक हुआ व्यय 1,034.54 करोड़ रुपये है

(ख और (ग) आधारी संरचना क्षेत्र, विशेषत: रेलवे, जल-भूतल परिवहन क्षेत्र की परियोजनाओं के ठप्प होने/छोड़ दिए जाने तथा फिलहाल निम्न प्राथमिकता दिए जाने का मुख्य कारण निधियों का अभाव है। तथापि, इनमें से विशेषत: दूरसंचार क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं पट्टे के आधार पर क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ ठप्प परियोजनाएं भी मुख्यत: अपने उत्पादों और सेवाओं की निम्न मांग के कारण अव्यवहार्य हो गई हैं। इन्हें ठप्प परियोजनाओं की सूची में रखा गया है। इनके पुन: प्रवर्तन की संभावना नहीं है।

(घ) इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर हुआ व्यय, परियोजना लागत का एक छोटा हिस्सा है। किए गए व्यय की भरपाई के लिए कुछ परियोजनाओं को बेचा जा रहा है। ठप्प परियोजनाओं को, निधियों की उपलब्धता तथा अग्रता सुनिश्चित करने के बाद शुरू किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास रिपोर्ट

1688. श्री मोइनुल हसन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को अपनी मानव संसाधन विकास रिपोर्टें तैयार करने में मदद देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। योजना आयोग उन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जिन्होंने अपनी राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्टें (एचडीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) अभी तक नौ राज्यों ने अपनी एचडीआर तैयार करने का निर्णय लिया है। राज्यों के नाम तथा 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उन्हें उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की राशि निम्नानुसार है:-

1998-99		1999-2000	
राज्य	राशि (लाख रुपये)	राज्य	राशि (लाख रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	25	हिमाचल प्रदेश	17
असम	20	तमिलनाडु	25
अरुणाचल प्रदेश	20	सिक्किम	6
पंजाब	20	राजस्थान	12
उत्तर प्रदेश	25		

मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने योजना आयोग से बिना किसी सहायता के अपनी एचडीआर पहले ही तैयार कर ली है।

सूरजमुखी का उत्पादन

1689. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सूरजमुखी का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) को राज्यों को सूरजमुखी के भंडार की खरीद करने का काम सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) देश में वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सूरजमुखी का राज्य-वार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत सूरजमुखी के बीच सहित तिलहनों की खरीद के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) भारत सरकार का केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान नैफेड द्वारा खरीदे गए सूरजमुखी के बीज की राज्य-वार मात्रा निम्नवत है:

मात्रा मी.टन में

राज्य	1999-2000	2000-2001
पंजाब	395	-
बिहार	125	-
मध्य प्रदेश	2960	6702
कर्नाटक	17703	7776
आंध्र प्रदेश	-	11588
गुजरात	-	6
कुल	21183	26072

विवरण

उत्पादन 000 मी.टन में

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	19997-98	1998-99	1999-2000 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	183.7	237.0	227.0
2. बिहार	11.2	8.3	11.0
3. हरियाणा	50.3	115.0	45.0

1		2	3	4
4.	कर्नाटक	293.7	354.0	229.0
5.	मध्य प्रदेश	3.0	3.1	9.0
6.	महाराष्ट्र	140.8	249.0	196.0
7.	नागालैण्ड	3.5	1.6	-
8.	उड़ीसा	3.4	3.0	5.0
9.	पंजाब	143.0	132.0	37.0
10.	राजस्थान	0.5	0.2	-
11.	तमिलनाडु	16.0	26.2	22.0
12.	उत्तर प्रदेश	35.7	40.6	20.0
13.	पश्चिम बंगाल	0.2	0.2	-
14.	अन्य	-	-	6.0
	अखिल भारत योग:	885.0	1170.0	807.0

[हिन्दी]

भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार

1690. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान कश्मीर में हाल में हुई घटनाओं के बारे में अपने देश के भीतर और विदेशों में भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इसके विरुद्ध विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। पाकिस्तान नेमी रूप से भारत-विरोधी शत्रुता दुष्प्रचार में लगा हुआ है। इससे भारत के प्रति पाकिस्तान की बाध्यकारी शत्रुता परिलक्षित होती है।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। इस राज्य के प्रदेश के एक भाग पर पाकिस्तान का अवैध और बलात कब्जा है। सरकार देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति अपने संकल्प पर दृढ़ है।

(ग) और (घ) सरकार ने अवगत कराया है कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार और जम्मू तथा कश्मीर में और भारत के अन्य भागों के सीमा-पार आतंकवाद का उसके द्वारा प्रायोजन शिमला समझौते और लाहौर घोषणा का उल्लंघन है। सरकार ने समुचित रूप से और प्रभावकारी ढंग से पाकिस्तान के भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप संबंधी तथ्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भी प्रस्तुत किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मुक्त रूप से इस बात को मानता है और हमारे देश तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर चिन्ता व्यक्त करता है।

एकीकृत नारियल जटा विकास परियोजना

1691. श्री जी.एस. बसवराज: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में एकीकृत नारियल जटा परियोजना के अंतर्गत एक इकाई के लिए 465 लाख रुपये का कुल परिव्यय मंजूर किया है;

विवरण

'गगनांचल' के विश्व हिन्दी सम्मेलन विशेषांक में प्रकाशित रचनाओं के लेखक और उन्हें दिया गया मानदेय

रचनाकार	मानदेय राशि
1	2
1. डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 18, विलिंग्डन क्रिसेंट, नई दिल्ली- 110001	500/- रुपये
2. सीताराम केसरी 7, पुराना किला रोड, नई दिल्ली- 110001	2000/- रुपये
3. हिमांशु जोशी 7/सी-2, हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-1 नई दिल्ली- 110091	2000/- रुपये
4. पद्मेश गुप्त 10 बैल मीडो डलविच एवेन्यू, लंदन एस ई 19 आई एच पी (यू.के.)	150 अमरीकी डालर
5. रतन लाल भगत उप सचिव (हिन्दी) विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110011	2000/ रुपये
6. हरीश नवल 15 सी, हिंदु कालेज बंगले, यूनिवर्सिटी रोड, नई दिल्ली-110007	2000/- रुपये
7. डा. वीरेन्द्र शर्मा डी-213, इला आपार्टमेंट्स बी-7, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली-110096	2000/- रुपये
8. डॉ. सत्येन्द्र श्रीवास्तव फ्लैट नं. 25,8, न्यूटन स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यू सी (यू.के.)	150 अमरीकी डालर
9. प्रहलाद राजवेदी ई-149, श्याम विहार गोयला डेयरी रोड, दीनदारपुर नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	2000/- रुपये
10. शेरगंज गर्ग जी- 261 ए, सेक्टर-22 नोएडा-2301301 (उ.प्र.)	2000/-रुपये
11. प्रकाश मनु 545, सेक्टर 29, फरीदाबाद-0121008 (हरियाणा)	1500/- रुपये
12. रामविलास शर्मा सी- 358, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	1000/-रुपये
13. कमलेश्वर 5/116 ईरोज गार्डन, सूरजकुंड रोड, नई दिल्ली- 110044	3000/-रुपये
14. प्रभाकर श्रोत्रिय निदेशक, भारतीय भाषा परिषद् 36-ए, शेक्सपियर सरणी पो.बो.- 16130, कलकत्ता-700017	2000/- रुपये
15. विश्वमोहन तिवारी ई-143, खंड-21 नोएडा-201301 (उ.प्र.)	1500/-रुपये
16. द्रोणवीर कोहली ई-163, ग्रेटर कैलास-2 नई दिल्ली- 110048	2500/- रुपये
17. डॉ. के.एल. गांधी डी-2/364, पंडारा रोड, नई दिल्ली- 110011	3000/- रुपये
18. डा. कमल किशोर गोयनका ए-98 अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली 110052	2000/-रुपये
19. ममता वाजपेयी के-210, सरोजनी नगर नई दिल्ली- 110023	1000/- रुपये
20. लल्लन प्रसाद व्यास सी-13, एन्क्लेव, नई दिल्ली -110017	1000/-रुपये
21. डा. सुरेश ऋतुपर्ण 17 सी, विश्वविद्यालय मार्ग, दिल्ली- 110007	150 अमरीकी डा

1	2
22. मनमोहन चड्ढा 7, जानकीशंकर गणंजय हाउसिंग सोसायटी, कोथरूड पुणे- 411029	1500/- रुपये
युट्टा औस्टिन 4, परशोर एण्ड लेक्सडन, कोलचेस्टर एसेक्स सी 03 5 यू जेड, (इंगलैण्ड)	150 अमरीकी डालर
सुरेश उनियाल बी-8 प्रेस अपार्टमेंट्स 23, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन नई दिल्ली- 110092	1500/-रुपये
विनोद अग्निहोत्री एच-103, सेक्टर-27 नोएडा-201301 (उ.प्र.)	2000/-रुपये
डा. श्रीप्रकाश शुक्ल सहायक निदेशक (राजभाषा) विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110011	2000/- रुपये
7. राधेश्याम तिवारी एफ-119/1 फेज-2 अंकुर एन्क्लेव, करावल नगर दिल्ली-110094	1500/- रुपये
8. रूनराम 53-सी, ऊना एन्क्लेव, मयूर विहार, फेज-1 दिल्ली-110091	2000/- रुपये
29. अशोक गुप्ता बी-2/45, सेक्टर-18 रोहिणी, दिल्ली-110085	1000/-रुपये
30. डा. परमानन्द पांचाल 222 ए, पॉकेट-1, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली -110091	1500/-रुपये
31. डा. कमलेश सिंह 41, व्हाइट हाउस पंचवटी, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)	1500/- रुपये

1	2
32. डा. बी.पी. सिंह अतिथि प्रोफेसर, गेंट विश्वविद्यालय, (बेल्जियम)	1500 अमरीकी डालर
33. डा. वेद प्रकाश 'वटुक' फाल्कलोर इंस्टीट्यूट पो.बा.बोज 1142, बर्कले, सी ए 94701(यू.एस.ए.)	150 अमरीकी डालर
34. डा. तामिओ मिजोकामि प्रोफेसर आफ इंडियन लैंग्वेजेज, साउथ एशियन स्टडीज, डिपार्टमेंट आफ एरिया स्टडीज, ओसाका युनिवर्सिटी आफ फारेन स्टडीज जापान	150 अमरीकी डालर
35. राजेश कुमार एसोशिएट प्रोफेसर (हिन्दी) जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय राजदूतावास, मास्को (रूस)	100 अमरीकी डालर
36. डा. ल्युदमिला खखलोवा डीलर अफ्रीकी और एशियाई अध्ययन विभाग, मास्को राज्य विश्वविद्यालय, रूस	100 अमरीकी डालर
37. एयराप्येतोवा येल्येनोरा सम्सानोला. उपनिदेशक (विदेश भाषाएं) छात्रावास विद्यालय संख्या 19, (हिन्दी स्कूल) नोवेचियोंमुश्किस्काया, 48 मास्को (रूस)	100 अमरीकी डालर
38. उल्फत मुखीबोवा साउथ एशियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ताशकंत स्टेट इंस्टीट्यूट आफ ओरिएंटल स्टडीज, ताशकंत, उजबेकिस्तान- 700047	100 अमरीकी डालर
39. ओमप्रकाश सिंहल 61/5, रामजस रोड, करौलबाग, नई दिल्ली -110005	2000/-रुपये
40. प्रो. थाड रन हू अध्यक्ष, पूर्वी भाषा विभाग, पेइचिङ, विश्वविद्यालय बीजिंग (चीन)	100 अमरीकी डालर

1		2
41.	प्रेम जनमेजय अतिथि प्रोफेसर (हिन्दी) वेस्ट इंडिज विश्वविद्यालय, पोर्ट आफ स्पेन, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, (वेस्ट इंडीज)	150 अमरीकी डालर
42.	डा. सुरेशचन्द्र शुक्ल सम्पादक स्पोइल, बोवरिन 19, एल-31/ए- 0596 ओस्लों, नार्वे	100 अमरीकी डालर
43.	जी. गोपीनाथन	100 अमरीकी डालर
44.	असगर वजाहत 79, कला विहार, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली 110091	2000/-रुपये
45.	अभिमन्यु अनंत संवादिता, त्रिओले, मॉरीशस	150 अमरीकी डालर
46.	महीप सिंह एच-108 शिवाजी पार्क, नई दिल्ली 110026	2000/-रुपये
47.	सुषमा बेदी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 608 ए कैंट हाल, न्यूयार्क-10027	150 अमरीकी डालर
48.	डा. कृष्णदत्त पालीवाल बी-203, 2-16-1 किचिजोजी, हिमाशी-चो, मुसाशिनो-शि टोक्यो- 180 (जापान)	150 अमरीकी डालर
49.	रूपसिंह चंदेल 10-ए/22, शक्ति नगर, दिल्ली-110007	1500/रुपये
50.	जगदीश चतुर्वेदी सी-2/32 ए, लारेंस रोड, दिल्ली-110035	2000/-रुपये
51.	कुसुम अंसल 'विश्रांति', एन-148 पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017	2000/- रुपये

1		2
52.	डा. रणजीत साहा उपसचिव, साहित्य अकादेमी, रवींद्र भवन, नई दिल्ली-110001	2000/-रुपये
53.	गोपाल चतुर्वेदी डी-2/298, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021	2000/-रुपये
54.	राजकुमार गौतम 64, पंचवटी, दिल्ली छावनी-110010	1500/-रुपये
55.	सुरेन्द्र अरोड़ा ई-202, सागर सदन, 113, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092	1500/-रुपये
56.	दिविक रमेश बी-2/95 सेक्टर-20 नोएडा,-201301 (उ.प्र.)	1000/-रुपये
57.	विजय किशोर मानव ए-34 अरुणा पार्क, शकरपुर, दिल्ली-110092	1000/-रुपये
58.	नीलेश रघुवंशी 13 बी, प्रोफेसर्स कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)	1000/-रुपये
59.	राजा खुगशाल ई-146, सेक्टर-27 नोएडा- 201301 (उ.प्र.)	1200/-रुपये
60.	हरजेन्द्र चौधरी 61, मदनगीर गांव, नई दिल्ली-110062	500/-रुपये
61.	उदय प्रताप सिंह सी-2/37 मोती बाग-1 नई दिल्ली-110021	500/-रुपये
62.	यतीन्द्र तिवारी विजिटिंग प्रोफेसर (हिन्दी) फैकल्टी आफ फारेन लैंग्वेजेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट, बुकारेस्ट (रोमानिया)	75 अमरीकी डालर

1	2
63. डा. विजय कुमार मेहता 108-15, 68वीं ड्राइव फारेस्ट हिल्स, न्यूयार्क 11375	75 अमरीकी डालर
64. डा. उषा ठाकुर पो.बॉ. न. 6631, काठमांडू (नेपाल)	75 अमरीकी डालर
65. विनोद शर्मा, 195-डी, एम.आई.जी. फ्लैट्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	1500/-रुपये
66. डा. हरिमोहन शर्मा 194, कादम्बरी, सेक्टर-9/19, रोहिणी, दिल्ली-110001	750/-रुपये
67. श्री गिरधर राठी साहित्य अकादेमी, रवीन्द्र भवन 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001	750/- रुपये
68. श्री अब्दुल बिस्मिलाह 29, मुजीब बाग, जामिया मिलियां कैंपस दिल्ली-110025	750/- रुपये

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास

1693. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति में विभिन्न क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों के लाभ हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई और लागू की गई विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रगतियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सलाहकार समिति में सूचना प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं जिन्होंने महती सेवा की है तथा इसका गठन करते समय किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में नहीं रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिए गठित सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सलाहकार समिति के गठन तथा कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी प्रौद्योगिकीय उन्नति हुई है तथा कार्यान्वित की गई है। पिछले कुछ वर्षों में इनमें से उल्लेखनीय इस प्रकार हैं:-

1. उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) द्वारा विकसित परम 10,000 सुपर कम्प्यूटर। इस कम्प्यूटर की चरम अभिकलन क्षमता 100 गीगाफ्लाप है।
2. जिस्ट (ग्राफिक्स तथा बुद्धि पर आधारित लिपि प्रौद्योगिकी) पर आधारित भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटरों के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकियां।
3. नेटवर्क प्रौद्योगिकियां उदाहरणस्वरूप इन्टरनेट, ई-वाणिज्य, ई-शासन वेब आधारित सुदूर अधिगम।
4. कैन्सर विकिरण चिकित्सा के लिए 4 मेव का सरल त्वरक (लाइनैक)।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य

1.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्र	- अध्यक्ष
2.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- सदस्य
3.	श्री पी.सी. कोहली, उपाध्यक्ष, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	- सदस्य
4.	श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्फोसिस टेक. लि.	- सदस्य
5.	श्री अजीम प्रेमजी, अध्यक्ष, विप्रो कार्पोरेशन	- सदस्य
6.	श्री सुभाष चन्द्र, अध्यक्ष, एसेल ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	- सदस्य

7.	श्री बी. रामलिंग राजू, अध्यक्ष, सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि.	-	सदस्य
8.	श्री आर.एस. पावर, अध्यक्ष, एनआईआईटी लि.	-	सदस्य
9.	श्री राजीव चन्द्रशेखर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीपीएल, दूरसंचार व्यवसाय ग्रुप	-	सदस्य
10.	प्रो. वी. राजू, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	-	सदस्य
11.	श्री देवंग मेहता, प्रेसिडेंट, नैसकॉम	-	सदस्य
12.	श्री सतीश कौड़ा अध्यक्ष, सैमटेल इंण्डिया लि.	-	सदस्य
13.	श्री जी.पी. गोयंका, अध्यक्ष, फिक्की	-	सदस्य
14.	श्री राहुल बजाज, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ	-	सदस्य
15.	अध्यक्ष इलेक्ट्रानिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद	-	सदस्य
16.	श्री सुनील भारती मित्तल, अध्यक्ष एवं समूह प्रबंध निदेशक, भारतीय एन्टरप्राइसेज	-	सदस्य
17.	श्री एस. लक्ष्मीनारायणन्, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	संयोजक

2. समिति

(क) महत्वपूर्ण/उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों का पता लगाएगी और विशेषज्ञता निर्माण करने, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए उपायों/नीतियों/कार्यवाही का सुझाव देगी जिसका उदेश्य सम्पदा का सृजन करना, आर्थिक विकास में तेजी लाना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा जिससे भारत को विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाया जा सके।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जैसे कि ई-शासन, ई-वाणिज्य, दूरस्थ अधिगम, अंकीय लाइब्रेरी आदि के तीव्र विकास एवं विस्तार के उपायों का सुझाव देगी।

3. समिति की बैठकें दो महीने में एक बार होगी तथा यह अन्य व्यक्तियों को विशेष आमंत्रिती के रूप में सहयोजित कर सकती है।

सरदार सरोवर परियोजना

1694. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के उपबंधों के अनुसार गुजरात में पुन: बसाए जा रहे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के समायोजन हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन और इस विलंबित मुद्दे के समाधान का मामला प्रधानमंत्री के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस मामले को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात की राज्य सरकारों के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस मामले की जांच सरकार द्वारा दिनांक 15.6.1999 को अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है तथा वर्तमान में कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती क्योंकि अनेक एजेंसियों से परामर्श आवश्यक है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

1695. श्री ए. नरेन्द्र क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के कृषि और ग्रामीण उद्योगों की एक सूची तैयार की है जो विभिन्न लाभ/छूट व ऋण लेने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों के लिए कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग मधुमक्खी पालन, घानी तेल, गुड़ एवं खांडसारी, अनाज तथा दाल प्रसंस्करण, पामगुड़, फल प्रसंस्करण इत्यादि जैसी जीवनक्षम कृषि तथा ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए सुविधाएं/रियायतें प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए प्लान स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा प्राइवेट उद्योगों को वित्तीय सहायता उदार ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है। सहायता की मात्रा स्कीमवार बदलती रहती है। ये स्कीमें परियोजना उन्मुख होती हैं न कि संघ राज्य क्षेत्र/राज्य विशेष-वार।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित वर्ष 1998-99 के लिए अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित है:-

		खादी	ग्रामोद्योग	योग
1.	रोजगार	13.85	44.44	58.29
2.	कंसोर्टियम बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत संवितरण	-	-	14591.58
3.	बजटीय संसाधनों के अंतर्गत संवितरण	737.41	544.33	1281.74

जहां तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अपेक्षित ब्यौरों का संबंध है, 2,50,554 आवेदकों को रु. 1,62,489.10 लाख के ऋण संस्वीकृत किए गए। वर्ष 1999-2000 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, 1,37,774 आवेदकों (अनंतिम) को रुपये 82,594.92 लाख संवितरित किए गए।

(घ) संबित आवेदनों का उद्योग-वार तथा राज्य-वार कोई अलग डाटा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम

1696. **श्री पी. आर. खूंटे:**
श्री राजो सिंह:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि बहुल क्षेत्रों में कृषि-ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान नए कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त योजनाओं में से कोई योजना मध्य प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में भी चलाई जा रही है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर मध्य प्रदेश और बिहार में ऐसे कितने कृषि आधारित उद्योग शुरू किए गए हैं;

(च) उपरोलिखित अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी राशि व्यय की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का

कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। कुछ क्षेत्रों जिनके अन्तर्गत खादी इकाइयों सहित, ग्रामीण उद्योग स्थापित किए जाते हैं, निम्न प्रकार हैं:-

1. खनिज आधारित उद्योग
2. वन आधारित उद्योग
3. कृषि आधारित उद्योग
4. पॉलीमेयर तथा रसायन आधारित उद्योग
5. वस्त्र उद्योग।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां। मध्य प्रदेश तथा बिहार में सभी जिलों में आरईजीपी को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में कृषि आधारित उद्योग सहित स्थापित किए गए ग्रामीण उद्योगों की राज्य-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदानों तथा ऋणों का राज्य-वार वितरण क्रमश: विवरण-II तथा III में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि आधारित उद्योग सहित ग्रामीण उद्योगों की राज्य-वार संख्या का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	26	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	04	05	05
3.	असम	18	20	25
4.	बिहार	27	27	25
5.	गोवा	21	21	21
6.	गुजरात	18	21	20
7.	हरियाणा	23	22	22
8.	हिमाचल प्रदेश	25	26	23
9.	जम्मू एवं कश्मीर	21	21	22
10.	कर्नाटक	25	24	24
11.	केरल	25	25	24
12.	मध्य प्रदेश	27	25	27
13.	महाराष्ट्र	27	28	28
14.	मणिपुर	21	20	22
15.	मेघालय	16	17	18

1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

क्रम

1.

2.

3.

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	19	20	19
17.	नागालैंड	22	22	21
18.	उड़ीसा	26	26	23
19.	पंजाब	22	23	20
20.	राजस्थान	23	24	25
21.	सिक्किम	16	12	13
22.	तमिलनाडु	25	25	25
23.	त्रिपुरा	17	16	14
24.	उत्तर प्रदेश	28	26	26
25.	पश्चिम बंगाल	26	27	26
26.	अण्डमान एवं निकोबार	10	11	09
27.	चंडीगढ़	15	13	13
28.	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-
29.	दमन एवं दीव	-	-	-
30.	दिल्ली	22	21	20
31.	लक्षद्वीप	02	02	02
32.	पांडिचेरी	17	17	19

विवरण-II

1996-97 से 1998-99 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों का वितरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	273.95	685.78	174.29	737.29	275.35	340.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	125.41	0.87	-	-	-
3.	असम	52.55	12.70	35.06	6.30	59.79	6.72

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	651.17	12.29	748.45	4.00	1196.53	33.96
5.	गोवा	0.60	45.35	1.00	9.84	–	40.36
6.	गुजरात	922.70	519.17	1387.00	94.71	2554.96	268.56
7.	हरियाणा	19.40	292.58	592.79	52.25	652.94	185.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1.88	203.59	123.30	153.97	76.51	272.94
9.	जम्मू एवं कश्मीर	70.29	263.48	81.92	40.53	182.50	352.13
10.	कर्नाटक	255.57	653.33	438.63	561.35	1008.73	1228.32
11.	केरल	147.03	1175.18	322.60	15.58	205.45	395.94
12.	मध्य प्रदेश	100.60	720.84	367.27	319.06	178.49	1319.02
13.	महाराष्ट्र	260.82	795.04	32.93	285.31	310.59	308.97
14.	मणिपुर	2.38	208.16	–	281.51	–	266.93
15.	मेघालय	4.88	232.43	–	–	2.36	44.93
16.	मिजोरम	1.13	1028.05	–	49.63	0.02	344.39
17.	नागालैंड	28.32	733.46	7.18	90.00	5.37	396.94
18.	उड़ीसा	45.25	296.94	30.99	60.50	172.53	87.02
19.	पंजाब	281.01	391.05	619.41	124.79	345.73	605.12
20.	राजस्थान	860.03	636.87	105.26	314.15	1491.71	461.80
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	757.63	737.73	1268.80	58.77	2690.76	414.10
23.	त्रिपुरा	0.50	90.31	0.02	–	0.50	–
24.	उत्तर प्रदेश	2141.50	1589.33	1947.68	77.71	4201.30	1454.00
25.	पश्चिम बंगाल	227.47	1011.77	235.00	7.60	595.10	20.49
26.	अण्डमान एवं निकोबार	–	42.85	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	321.06	73.11	22.29	10.74	669.27	31.34
30.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	7.60	–	–	–	26.23
32.	लक्षद्वीप	6.39	24.20	–	–	0.39	34.64
33.	डिपार्टमेंटल	229.43	3654.50	217.35	21567.01	752.48	7707.43
34.	अदर स्कीम्स	–	4866.15	–	–	–	
	योग	7663.54	21224.05	8760.09	24922.60	17628.36	16648.26

विवरण III

1996-97 से 1998-99 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया गया ऋण

(रुपये लाख में)

सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
2		3	4	5	6	7	8
	आन्ध्र प्रदेश	383.16	258.90	63.02	17.68	19.76	31.10
	अरुणाचल प्रदेश	14.33	29.42	-	-	-	-
	असम	61.43	4.68	19.43	0.37	0.79	2.00
	बिहार	144.81	56.34	30.17	0.14	53.83	7.02
	गोवा	36.65	11.30	-	31.32	-	1.55
	गुजरात	61.64	30.41	7.00	13.37	43.34	29.13
	हरियाणा	74.67	65.72	18.75	219.36	2.10	8.88
	हिमाचल प्रदेश	11.97	31.03	-	-	6.52	4.33
	जम्मू एवं कश्मीर	35.97	4.51	0.38	-	6.61	0.52
	कर्नाटक	170.98	56.66	170.75	68.05	102.75	61.58
	केरल	108.82	21.87	3.15	1.46	35.48	13.68
	मध्य प्रदेश	153.26	49.27	1.21	48.88	8.18	12.11
	महाराष्ट्र	87.68	220.24	10.84	48.68	7.62	41.96
1.	मणिपुर	7.42	2.84	-	-	-	0.34
5.	मेघालय	6.75	36.04	-	-	-	0.86
6.	मिजोरम	1.62	-	-	-	0.10	-
7.	नागालैंड	16.78	2.73	-	2.00	-	-
8.	उड़ीसा	116.46	9.52	18.95	3.87	6.10	8.34
19.	पंजाब	72.00	6.10	-	2.50	11.45	1.21
20.	राजस्थान	218.24	18.79	28.59	26.21	19.70	23.60
21.	सिक्किम	3.90	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	446.80	43.07	0.25	26.57	42.27	37.41

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	21.99	4.61	–	–	–	
24.	उत्तर प्रदेश	492.82	241.38	61.81	135.90	332.88	191.10
25.	पश्चिम बंगाल	138.32	69.55	43.15	4.97	36.28	48.54
26.	अण्डमान एवं निकोबार	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	13.69	3.38	–	–	1.65	10.11
30.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	2.06	–	–	–	–	1.29
32.	लक्षद्वीप	–	5.10	–	–	–	–
33.	डिपार्टमैंटल	–	–	–	–	–	7.67
34.	अदर स्कीम्स	–	–	–	–	–	–
	योग	2904.22	1283.46	477.45	651.33	737.41	544.33

[अनुवाद]

एन.एस.एफ.डी.सी. के अंतर्गत ऋण

1697. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में एन.एस.एफ.डी.सी. के अंतर्गत समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के कुल कितने व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे ऋणों का श्रेणीवार ब्यौरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में ऋण मंजूर किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

1997-98	1998-99	1999-2000
1011	108	60

(ख) और (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मंजूर किए गए ऋण

(रुपये लाख में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
अनुसूचित जातियां	830.03	61.52	216.24
अनुसूचित जनजातियां	220.50	38.25	शून्य
कुल	1050.53	99.77	216.24

(घ) एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त धनराशि इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

1997-98	1998-99	1999-2000
1379.51	29.85	152.43

वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि

1698. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष की तुलना में उड़ीसा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में इस वर्ष वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) उड़ीसा के लिए वर्ष 2000-2001 के वार्षिक योजना परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू पौध

1699. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्तमान तम्बाकू पौध के उन्नयन की भारतीय कृषि अनुसंधान की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों की देखरेख की है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना से तम्बाकू उगाने वाले कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निर्यात स्तरीय उच्च श्रेणी के तम्बाकू को उगाने हेतु किस हद तक प्रयासरत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निर्यात योग्य तम्बाकू की एफ.सी.वी. की खेती आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, हेमा वी.टी.-1158, गौतमी, सी.एम.-12 के.-326 (एन.एल.एस.-4) मैंक नायर-12, भव्य रत्ना के.-326 और तृप्ति। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली निर्यात योग्य सफेद बर्ली तम्बाकू की किस्में हैं, बैंकट ए1 और बर्ली 21। इन किस्मों और उनकी खेती की उन्नत विधियां को तम्बाकू की गुणवत्ता के प्रति सजग देशों को निर्यात करने के लिए जारी किए गए हैं।

सड़क क्षेत्र हेतु भारत-चीन समझौता

1700. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत के साथ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत-चीन और बर्मा से होकर जाने वाले राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) इस संबंध में चीनी लोक गणराज्य की सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक गैस पाइपलाइन

1701. श्री नरेश पुगलिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनरल परवेज मुर्शरफ ने हाल में कहा है कि वह ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत आने वाली पाइपलाइन को संयुक्त भारत-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के रूप में बदलने के पक्ष में हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार ने मीडिया की उन खबरों को देखा है जिसमें यह इंगित किया गया है कि पाकिस्तान से होकर भारत को जाने वाली गैस पाइप लाइन पर उसको कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगी। ईरान से भारत को गैस पाइप लाइन का प्रस्ताव भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय मामला है। ईरान से भारत को गैस अंतरण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत और ईरान के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की गई है।

काले धन का पता लगाने की योजना

1702. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग का विचार सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित काले धन और बेनामी संपत्ति का पता लगाने की योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी; और

(ग) योजना देश में सरकारी कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार को किस हद तक खत्म करने में कामयाब रहेगी।

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 12 जुलाई, 2000 को "बेनामी काला धन योजना" नामक एक योजना परिचालित की थी जिसमें जनता से यह आग्रह किया गया था कि वे सरकारी कर्मचारी द्वारा काला धन जमा करने अथवा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसंपत्तियां रखने के मामलों की सूचना आयोग को दें जिन्हें जांच-पड़ताल के पश्चात यदि उपयुक्त पाया गया तो ऐसे मामलों को आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/आयकर विभाग को अग्रेषित कर दिया जाएगा। आयोग, उपयुक्त मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को दण्ड विधि संशोधन अधिनियम अध्यादेश 1944 के तहत गलत ढंग से कमाई गई धनराशि को जब्त करने हेतु मामले दायर करने के लिए भी परामर्श दे सकता है। मुखबिर भी सीधे ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/आयकर विभाग की संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत उपयुक्त ईनाम के पात्र होते हैं, यदि उनकी ऐसी सूचना के आधार पर काले धन और बेनामी परिसंपत्तियों का सफलतापूर्वक पता लग जाता है। इस योजना के अन्तर्गत शिकायतकर्ताओं को ऐसी सूचना देने के विरुद्ध सावधान किया गया है। जिसे वे जानते या विश्वास करते हैं, झूठी पाई जाती है, इसके लिए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग के अनुसार यह योजना न केवल भ्रष्टाचार का निवारण ही करेगी बल्कि सच्चे मामलों की सूचना देना भी सुनिश्चित करेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताएं

1703. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **कृषि मंत्री** बिना निविदा आमंत्रित किए वस्तुओं की खरीद के बारे में 26.04.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4815 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि हां, तो क्या अब मामले की जांच की जा चुकी है और आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) क्या दिनांक 8.12.1999 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताओं पर अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) अपेक्षित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

(ख) से (घ) अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 के संबंध में सदन को दिए गए आश्वासन को पूरा कर दिया गया है।

भू-संरक्षण

1704. **श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल:**
श्री हरिमानन्द मंडल:
मोहम्मद अनवारुल हक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि विभाग द्वारा भू-क्षरण संबंधी कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भू-संक्षरण के नाम पर धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किए गए कार्य और खर्च की गई राशि का सत्यापन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए कोई आयोग स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। देश में मृदा संरक्षण संबंधी कार्य राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना स्कीमों के अधीन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारें कृषि विभाग की केन्द्र प्रायोजित स्कीमें भी क्रियान्वित करती है।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न जल संरक्षण स्कीमें इस प्रकार हैं:-

1. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के झूमखेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।
3. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
4. क्षारीय मृदाओं का सुधार।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित मृदा संरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा संबंधित राज्यों द्वारा रखा जाता है।

(ग) अब तक निधियों के दुरुपयोग की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (छ) यह मामला नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग की मृदा और जल संरक्षण स्कीमों के अधीन निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1368.00	1551.50	1665.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.00	181.00	127.00
3.	असम	145.00	170.00	120.00
4.	बिहार	93.00	125.00	0.00
5.	गुजरात	966.00	2433.00	2480.00
6.	हरियाणा	180.00	465.77	245.00
7.	हिमाचल प्रदेश	770.00	1068.20	762.00
8.	जम्मू और कश्मीर	566.00	637.00	665.00
9.	कर्नाटक	3050.00	3115.00	3200.00
10.	केरल	500.00	1502.88	390.00

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	3028.00	4013.59	4750.00
12.	महाराष्ट्र	3320.00	4360.00	1500.00
13.	मणिपुर	605.00	265.00	460.00
14.	मेघालय	120.00	360.00	410.00
15.	मिजोरम	525.00	1140.00	866.00
16.	नागालैंड	460.00	1000.00	900.00
17.	उड़ीसा	1300.00	662.39	500.00
18.	पजाब	242.60	321.00	123.00
19.	राजस्थान	4198.00	5559.00	5130.00
20.	सिक्किम	90.00	150.00	200.00
21.	तमिलनाडु	1500.00	2230.00	2075.00
22.	त्रिपुरा	261.00	480.00	551.00
23.	उत्तर प्रदेश	3255.40	4184.44	3575.03
24.	पश्चिम बंगाल	110.00	620.00	750.00
25.	गोवा	0.00	8.00	3.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	25.00	65.00	34.00
27.	दादर और नगर हवेली	1.00	1.00	0.00
		26894.00	36668.77	31481.03

भविष्य निधि पेंशन योजना

1705. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि योजना को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बदलावों से केरल के काजू, चाय और बागवानी श्रमिकों के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) भविष्यि निधि संबंधी कर्मचारी पेंशन स्कीम की समीक्षा/संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी आवश्यकता होती है। स्कीम में तद्नुसार संशोधन किया जाता है। हाल ही में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की सिफारिश पर स्कीम में संशोधन करके अन्य बातों के साथ-साथ आश्रित माता-पिता को पेंशन का भुगतान करने, अपंग बच्चों को जीवन-पर्यन्त पेंशन अदा करने, बाल पेंशन की न्यूनतम राशि को 115/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रु. प्रतिमाह करने, न्यूनतम अनाथ पेंशन को 170 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 250 रु. प्रतिमाह करने और बंद की गई

परिवार पेंशन स्कीम 1971 के लाभग्राहियों के लिए न्यूनतम विधवा पेंशन को 450 रुपये प्रतिमाह करने का प्रावधान किया गया। 31.3.98 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि के द्वितीय वार्षिक मूल्यांकन के परिणामस्वरू, पेंशनभोगियों को 1.4.98 से पेंशन के भुगतान में 5.5% की वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई है। कर्मचारी पेंशन स्कीम में ये संशोधन स्कीम के अंतर्गत शामिल केरल के काजू गिरी, चाय और बागान कर्मकारों सहित सभी कर्मचारियों के लिए लाभकारी है।

सिंचाई परियोजनाएं

1706. श्री जी. जे. जाबीया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए हाल ही में कोई बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय चल रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जिनमें पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है तथा वे परियोजनाएं जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं, के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रहा है। जून, 2000 के दौरान सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बैठकें आयोजित की गई थी, जिनमें ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया था तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि को अंतिम रूप दिया गया था।

कमजोर वर्ग

1707. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार, योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने वाली कोई निगरानी एजेंसी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क), (घ) और (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न राज्यों में शुरू की गई योजनाओं के ब्यौरे विवरण I में दिए गए है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए शुरू की गई प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि तथा लाभाग्राहियों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में है।

विवरण I

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न राज्यों में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा:-

विकलांगता क्षेत्र

वर्ष 1999-2000 में सरकार द्वारा निम्नलिखित दो योजनाएं अनुमोदित की गई हैं:-

1. विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने और प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास के लिए अवसंरचना सृजित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना। इस योजना के लिए धनराशि विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों को निर्मुक्त की जाती है।

इस योजना के कार्यान्वयन को केन्द्र सरकार द्वारा मानीटर किया जाता है।

2. मेरूदण्ड क्षति तथा अन्य अस्थि विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए सेवाओं के विस्तार हेतु क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करना। इस योजना के लिए धनराशि विकलांगों के कल्याणार्थ कार्यरत संस्थानों को निर्मुक्त किए जाते हैं।

इस योजना की प्रगति का मानीटर संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग

वर्ष 1998-99 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई थी:

1. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत उन छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर की जाएगी जिसके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 44,500 रुपये से अधिक न हो। दिवा छात्रों के मामले में ये छात्रवृत्तियां कक्षा 1 या मैट्रिक स्तर से पहले की किसी कक्षा के छात्रों को और होस्टल व्यक्तियों के मामले में कक्षा 2 या मैट्रिक स्तर से पहले इससे बाद वाली किसी कक्षा के छात्रों को और होस्टल वासियों के मामले में कक्षा 2 या मैट्रिक स्तर से पहले इससे बाद वाली किसी कक्षा के छात्रों को प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 के अंत में समाप्त हो जाएगी। छात्रवृत्ति की अवधि एक शैक्षिक वर्ष में 10 महीने की होगी। किसी शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति उन संस्थाओं में तथा उन मैट्रिक पूर्वपाठ्यक्रमों के लिए तर्कसंगत होगी जिन्हें संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत मान्यता प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के कार्यनिष्पादन का मानीटर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

2. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा पोस्ट सैकेण्डरी स्तर पर अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययन के लिए ही उपलब्ध होंगी और उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाएगी जिनसे आवेदक वास्तविक रूप से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बोरोजगार छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 44,500 रुपये से अधिक न हो छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।

इस योजना के कार्यनिष्पादन का मानीटर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

3. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल

इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की पिछड़े वर्गों की सूचियों के रूप में अधिसूचित तथा सामान्यत: अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में उल्लिखित सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमीलेयर से संबंधित छात्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में होस्टलों का निर्माण किया जाएगा जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अधिक है किन्तु होस्टल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। योजना के अंतर्गत ऐसे निर्माण के लिए राज्यों को 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस होस्टलों का निर्माण मिडिल सेकेन्डरी, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले होस्टलों में से कम से कम एक तिहाई अनन्य रूप से लड़कियों के लिए होंगे। इन होस्टलों में पांच प्रतिशत सीटें विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

इस योजना के कार्यनिष्पादन का मानीटर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

4. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस योजना का उद्देश्य कौशल उन्नयन के माध्यम से लक्ष्य समूहों अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना और उन्हें स्वतंत्र आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने या लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना है प्रत्येक मामले में सहायता का निर्धारण गुण के आधार पर किया जाता है। तथापि, भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत किसी अथवा सभी विनिर्दिष्ट मदों पर अनुमोदित व्यय का 90% पूरा करेगी।

इस योजना के अंतर्गत सहायताप्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रीय आयोगों, राज्य सरकार की जनजातीय अनुसंधान संस्थानों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस उददेश्य के लिए पदनामित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से की जाती है।

5. अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिनमें

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम आदि

तथा रक्षा सेवाओं, राज्य तथा केन्द्रीय पुलिस बलों एवं अर्धसैनिक बलों के अधीन विभिन्न सेवाओं में भर्ती,

(ख) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि में प्रवेश के लिए वे उम्मीदवार पात्र होंगे। जिनमें माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों में आय उम्मीदवार की आय सहित प्रति वर्ष 1.00 लाख से कम हो।

यह योजना इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त तथा सामर्थ्य रखने वाले राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन संगठनों को 100% की सीमा तक वित्त पोषित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रीय आयोगों, राज्य सरकार की जनजातीय अनुसंधान संस्थानों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित किसी अन्य एजेंसी के माध्य से की जाती है।

विवरण-II

विकलांगता क्षेत्र

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना:

   इस योजना के लिए धनराशि विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों को निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस योजना का परिव्यय और व्यय क्रमशः 2.80 करोड़ रु. और 1.50 करोड़ रु. था इस योजना के अंतर्गत इस अवस्था में लाभग्राहियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती ।

2. मेरूदंड क्षति तथा अन्य अस्थि विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों को निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस योजना के अंतर्गत परिव्यय और व्यय क्रमशः 4.68 करोड़ रु. और 2.00 करोड़ रु. है। इस योजना के अंतर्गत इस अवस्था में लाभग्राहियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

अन्य पिछड़ा वर्ग

1. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	बिहार	84.60	10.566	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	325.00	70.000
3.	मध्य प्रदेश	64.00	8.957	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	1.40	शून्य	100.00	46.920

2. भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	बिहार	196.00	14410	शून्य	शून्य
2.	आन्ध्र प्रदेश	116.00	3.259	324.26	26.151
3.	मध्य प्रदेश	149.00	10.426	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	3.00	शून्य	55.00	4.570
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	118.00	11.073

अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		जारी निधि	छात्रावासों की संख्या*	निर्मुक्त राशि	छात्रावासों की संख्या*
1.	बिहार	120.53	3(300)	शून्य	शून्य
2.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	144.26	19(1900)
3.	मध्य प्रदेश	10.00	1(50)	शून्य	शून्य
4.	राजस्थान	शून्य	शून्य	57.48	7(175)
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	78.26	17(985)
6.	सिक्किम	शून्य	शून्य	20.00	1(50)

*होस्टलों की संख्या (छात्रों की संख्या)

**वर्ष 1999-2000 के दौरान यह राशि अत्ययित तथा अप्रयुक्त रही।

4. वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, निर्मुक्त राशि तथा लाभग्राहियों की संख्या के अंतर्गत राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्त राशि की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.18	240	15.82	790
2.	असम	02.70	30	04.32	170
3.	गुजरात	शून्य	शून्य	00.89	50
4.	हरियाणा	शून्य	शून्य	07.33	370
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	01.55	90
6.	मध्य प्रदेश	08.50	210	शून्य	शून्य
7.	महाराष्ट्र	27.65	1015	20.13	785
8.	मणिपुर	02.16	115	10.56	435
9.	उड़ीसा	02.69	30	3.66	210
10.	सिक्किम	01.73	125	शून्य	शून्य
11.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	00.95	50
12.	उत्तर प्रदेश	05.59	180	25.11	1195
13.	प. बंगाल	01.13	80	05.66	250
14.	दिल्ली	01.13	80	11.02	570
	कुल	44.46	2105	107.00	4965

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, निर्मुक्त राशि तथा लाभार्थियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	असम	06.78	120	शून्य	शून्य
2.	केरल	03.33	40	शून्य	शून्य
3.	मध्य प्रदेश	05.19	160	2.13	80
4.	उड़ीसा	02.12	शून्य	0.85	20
	कुल	17.42	320	2.98	100

नारियल की खेती

1708. श्री टी. गोविन्दन:
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल से राज्य में नारियल की खेती में सहायता करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने 'बाल कोपरा' और 'मिलिंग कोपरा' के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) केरल सरकार ने केरल में कुटकी की समस्या के निराकरण के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नारियल विकास बोर्ड ने समेकित कृषि कार्यक्रम के पौध संरक्षण घटक के अंतर्गत कुटकी नियंत्रण हेतु केरल सरकार को वर्ष 1999-2000 के दौरान 589.025 लाख रुपये प्रदान किए हैं। नारियल के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार रोपण सामग्री उत्पादन एवं वितरण, निजी नर्सरियों को सहायता, उत्पादकता सुधार हेतु नारियल की जोतों में समेकित खेती तथा रोगग्रस्त पामों के प्रबंध हेतु नारियल विकास बोर्ड वर्ष 2000-2001 के दौरान 492.1 लाख रुपये की कुल लागत से विकासात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित करेगा।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने मिलिंग खोपरा तथा बाल खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु एक प्रस्ताव संप्रस्तुत किया है। बहरहाल, सरकार ने वर्ष 2000 के मौसम के लिए अच्छी औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरे का न्यूतम समर्थन मूल्य 3250 रुपये प्रति क्विंटल तथा अच्छी औसत गुणवत्ता के बाल खोपरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3500 रुपये पहले ही निर्धारित कर दिया है जो पूर्व वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में क्रमश: 150 रुपये तथा 175 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना

1709. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में इन परियोजनाओं का राज्य-वार तथा परियोजना-वार वर्तमान दर्जा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों में 22 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। सिक्किम एवं मेघालय राज्यों में कोई परियोजना नहीं है। 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, तथा 4 परियोजनाएं लगभग पूर्ण होने वाली हैं, 4 परियोजनाओं की पूर्ण होने की तिथि निश्चित नहीं है तथा अन्य परियोजनाएं ठीक प्रगति कर रही हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की प्रत्याशित लागत 12,228.29 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं की राज्य-वार लागत का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है। इन परियोजनाओं की राज्य-वार/क्षेत्र वार स्थिति विवरण II में दी गई है।

विवरण I

निवेश की मात्रा तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की संख्या

(31.3.2000 तक)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (करोड़ रु.)	अद्यतन अनुमोदित (करोड़ रु.)	अब प्रत्याशित (करोड़ रु.)	पूर्व वित्तीय वर्ष तक का व्यय	व्यय 1999-2000 (करोड़ रु.)	संचयी व्यय (करोड़ रु.)	शेष व्यय (करोड़ रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	468.78	831.74	1635.63	797.64	163.00	962.71	672.92
2.	असम	15	6598.41	6735.14	8017.41	3422.63	557.86	4082.31	3935.10
3.	मणिपुर	1	578.62	578.62	578.62	4.37	1.00	6.59	572.03
4.	मिजोरम	1	368.72	368.72	368.72	5.47	59.00	9.95	358.77
5.	नागालैंड	1	96.31	331.59	758.70	522.69	110.00	654.22	104.48
6.	त्रिपुरा	2	594.32	594.32	869.21	37.84	43.15	58.68	810.53
	अखिल भारतीय	22	8705.16	9440.13	12228.29	4790.64	934.01	5774.46	6453.83

विवरण II

(31.3.2000 तक) उत्तरपूर्वी राज्यों में राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार परियोजनाओं का ब्यौरा

इकाई (लागत/खर्च : करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	शुरू होने की तिथि: सरकार अनुमो. तिथि संशो.	शुरू होने की तिथि: मूल	शुरू होने की तिथि: संशो. प्रत्या. सूचना मिलने तक	लागत: कुल समय वृद्धि	लागत: अनुमो. मूल संशो.	लागत: प्रत्याशित	%: मूल पर लागत वृद्धि	%: संचयी व्यय 3/2000 तक	%: वास्तविक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य: अरुणाचल प्रदेश											
क्षेत्र: विद्युत											
	निम्को										
1.	रंगानाडी एचईपी सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश	मेगा. 405	1987/04	1994/08 1997/07	2001/09	50 41	312.78 675.74	1479.63	373 119	962.68	516.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्षेत्र: रेलवे											
	एनएल										
	मारुति-ईटानगर एनईएफआर अरुणाचल प्रदेश	कि.मी. 33	1997/02	एन.ए.	2005/12	एन.ए. एन.ए.	156.00	156.00	0 0	0.03	155.97
	असम										
	ागर विमानन										
	एएआई										
	गुवाहाटी टर्मि. का अनुनिकीकरण गुवाहाटी, असम	पैक्स 1500	1992/03 1998/12	1995/10	2000/07	57 133	12.45 27.55	27.55	121 0	15.15	12.40
	गुवाहाटी रनवे का सुदृढ़ीकरण		1998/12	2001/07 -	2001/12 -	5 -	27.63 16	27.63 -	0 0	1.41 -	26.22 -
	उर्वरक										
	एचएफसी										
	नामरूप संयंत्र का पुन: संचालन, नामरूप असम	1997/10 -	2001/05 -	2001/05 -	0 0	350.00 -	350.00 -	0 0	29.88 -	320.12 -	
	पैट्रोलियम										
	आईओसी										
	एलपीजी बोटलिंग संयंत्र गुवाहाटी, असम	टीपीए 22	1996/04 -	1998/10 -	1999/12 -	14 47	27.29 -	29.95 -	10 10	27.33 -	2.62 पूर्ण
	न्यू सोलवेंट डिवासिंग, डिगबोई असम	टीपीए 4900	1997/06 1998/03	2002/11 -	2002/11 -	0 0	391.00 -	419.00 -	7 7	29.79 -	389.21 -
	गुवाहाटी में हाई-संयंत्र, गुवाहाटी असम	टीपीए 6000	1997/06 1997/12	2002/05 -	2002/05 -	0 0	483.00 -	497.00 -	3 3	54.18 -	442.82 -
	एल.पीजी बोटलिंग संयंत्र डिग्बोई असम		1998/06	2001/12	2001/12	0 0	45.55	45.55	0 0	1.10	44.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य: असम											
एनआरएल											
10.	नुमालीगढ़ में रिफाईनरी, असम	एमएमटीपीए 3	-	1992/07 -	1997/10 -	2000/06 51	1830.00 -	2489.12 -	36 36	2377.00 -	112.12
11.	नुमालीगढ़ में टर्मि.		1998/07	1999/04	2000/03	11 122	235.52	235.52	0 0	216.00 -	19.52 पूर्ण
क्षेत्र: विद्युत											
	निप्कों										
12.	कोपली एचईपी एसटी-11, एनसी हिल, असम	मेगा 25	1999/07	2003/07	2003/07	0 0	76.09	76.09	0 0	14.75	61.34
क्षेत्र: रेलवे											
	एनएल										
13.	ब्रहमपुत्र ब्रिज बोगोविंली एंड लिंक एनईएफआर, असम	कि.मी. 54.30	1996.04 -	एन.ए. -	एन.ए.	एन.ए. एन.ए	1000.00 -	1000.00 -	0 0	- -	1000.0
जी.सी.											
14.	लुमडिंग सिलचर एनईएफआर असम	किमी. 198	1996/04 -	एन.ए. -	एन.ए. -	एन.ए. एन.ए.	648.00 -	648.00 -	0 0	11.74 -	636.2
एनएल											
15.	जोगीगोपा गुहाटी, एनएफ असम	कि.मी. 143	1984/03 1990/03	1994/06 1999/03	2000 ll03 -	12 7	117.30 238.93	637.00 -	443 167	639.50	-2.5 पूर्ण
16.	डिफु से करेऊ, एनईएफआर	किमी 123	1999/08 1999/08	एन.ए. एन.ए.	एन.ए. एन.ए.	एन.ए. एन.ए.	800.00	800.00	0 0	0.02	799.98
राज्य: असम											
17.	लुमडिंग-डिव-रूगढ़ आरएच असम	किमी. 628	1998/08 -	एन.ए. -	एन.ए. -	एन.ए. एन.ए.	554.58 -	735.00 -	33 33	664.46 -	70.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य: मणिपुर											
क्षेत्र: विद्युत											
	एनएचपीसी										
18.	लोकटक डी/एस एचईपी मणिपुर	एमडब्ल्यू 90	1999/12 -	2006/06 -	2000/06 -	578.62 0	578.62 -	0 -	6.59 0	572.03 -	- -
	मिजोरम										
	तुरियल एचई परियोजना अजवाल मिजोरम	एमडब्ल्यू 2×30	1998/07 -	2006/07 -	2006/07 -	0 0	368.72 -	368.72 -	0 0	9.95 -	358.77 -
	नागालैंड										
	दोयांग एचईपी बोखा नागालैंड	एमडब्ल्यू 75	1983/02 1985/03 1989/07	1992/06 1992/06 1997/07	2000/03 - -	32 18 -	96.31 128.61 331.59	758.70 - -	688 129	654.22 -	104.48 पूर्ण- -
	त्रिपुरा										
	पी. ग्रिड										
	अगरतल्ला पारेषण प्रणाली अगरतल्ला त्रिपुरा	सीकेएम 126 केवी 132	1993/10 -	1996/06 -	2000/12 -	54 169	19.32 -	20.21 -	5 5	17.55 -	2.66 -
	रेलवे										
	एनएल										
	कुमारघाट- अगरतल्ला एनईएफआर त्रिपुरा	केएमएम 119	1996/04 -	एन.ए. -	2005/03 -	एन.ए. एन.ए.	575.00 -	849.00 -	48 48	41.13 -	807.87 -

नोट

निफको: उत्तर पूर्व विद्युत वित्त निगम
एनएल: नई लाइनें
बी.बी.: गेज परिवर्तन
एए आई: एयर पोर्ट अथारटी आफ इंडिया
एच एल सी: हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन
आई ओ सी: इंडियन आयल कारपोरेशन
एन आर एल: नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
एनएचपीसी: नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
आरडी एवं डीआर: सड़क एवं पुल

समुद्र में जलमग्न हुई भूमि के लिए भारत का दावा

1710. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा समुद्र में जलमग्न हुई अपनी भूमि के लिए "यू.एन. कन्वेंशन आफ द लॉ ऑफ दा सी" के सम्मुख दावा प्रस्तुत करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) समुद्री कानून से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत भी एक पक्षधर है, के अनुसार तटीय राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाद्वीपीय जल क्षेत्र की बाहरी सीमा 200 नॉटिकल माइल तक निरुपित करें तथा महाद्वीपीय जल क्षेत्र की सीमा से संबंधित दावे आयोग के समक्ष दायर करें।

(ख) ऐसे दावों को बेसलाइन के ब्यौरों सहित समर्थक वैज्ञानिक और तकनीकी आंकड़ों जो माप के लिए अपरिहार्य हैं, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) भारत को होने वाले संभावित लाभों में इसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से आगे समुद्रीय संसाधनों की खोज और दोहन शामिल हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण नीति

1711. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या प्रसंस्कृत खाद्य की मांग बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई मांग को किस तरह पूरा करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति में मुख्य रूप से फसलोत्तर बुनियादी सुविधाएं, पेकेजिंग, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, उत्पादों का विपणन-घरेलू एवं निर्यात, प्रसंस्कृत खाद्यों के प्रति जागरूकता एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों समेत प्रसंस्करण सुविधाएं बैकवर्ड लिन्केज, कच्चे माल की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

(ख) से (घ) उपभोक्ताओं द्वारा मुख्यत: ताज़े उत्पादों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण प्रसंस्कृत खाद्यों की घरेलू मांग धीमी गति से बढ़ रही है। प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों का वर्तमान क्षमता उपयोग सामान्यत: कम है और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के मामले में यह अनुमानत: 60 प्रतिशत के करीब है। हमारे पास उपलब्ध कच्चे माल की व्यापक मात्रा के मद्देनजर बढ़ रही मांग को पूरा करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु समय-समय पर विभिन्न उपाय कर रही है जिसमें व्यापक विज्ञापनों के माध्यम से प्रसंस्करण खाद्यों की घरेलू मांग को बढ़ाना शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग उस क्षेत्र के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को अनुदान एवं आसान शर्तों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता

1712. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निधियां उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने उद्योग तथा केन्द्र खोले गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम के तहत, केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सहकारिताओं को सहायता अनुदान दिया जा सकता

है बशर्ते कि लागू करने वाली एजेंसी अपेक्षित आवास जनशक्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो। एकल उत्पाद लाइन खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में उपकरणों के वास्ते 2 लाख रुपये और कच्चे माल के लिए एक लाख रुपये तक की सहायता स्वीकार्य है। बहुल उत्पाद लाइन खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में, उपकरणों के वास्ते 7.50 लाख रुपये और कच्चे माल के लिए 2 लाख रुपये तक की अधिकतम सहायता उपलब्ध है। पिछले तीन सालों के दौरान कुल 94 केन्द्रों को सहायता दी जा चुकी है। विवरण I संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार मंजूर की गई सहायता की मात्रा विवरण II पर दी गई है।

विवरण I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य का नाम	97-98	98-99	99-2000	स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	1	-	डिंगलीपुर
2.	आंध्र प्रदेश	-	1	3	(1) जडचेरला (2) गांधी नगर (3) करीमनगर (4) नगर कुरनूल
3.	असम	-	-	2	(1) मोरी गांव (2) खरपांढ़ा एवं जलुकवारी
4.	बिहार	-	4	4	(1) सुतिहार-नवादा (2) जयप्रकाश-नपुर, आरा (3) रघुनाथपुरनगर (4) तिताढधर (5) बखितियारपुर (6) नयाटोला (7) गुलजारबाग (8) बीहट
5.	दिल्ली	-	3	-	(1) पटपडगंज (2) कांजेवाला (3) लाडपुर
6.	हरियाणा	-	-	1	ताउरू, गुणगांव
7.	जम्मू और कश्मीर	-	1	1	(1) उधववाला (पश्चिमी जम्मू) (2) शालीमार कैंपस
8.	महाराष्ट्र	-	4	8	(1) खडगांठ (2) धीवा प्लेस (3) चाकन, पुने (4) इंद्रानगर, लातूर (बंधोदा) (6) मुलेबाडी (7) बंधार (8) कस्तूरबावाडी (9) अष्टविनायक नगर (10) औरंगाबाद (11) बाभेलेश्वर (12) नंदूरवाद
9.	उड़ीसा	3	16	3	1. कुआरमुंदा 2. रसूलपुर 3. नौपाड़ा 4. पराधानपाली 5. होसंगा 6. विरासे 7. नीलगिरी 8. वैदया कथी 9. अंकोली

1	2	3	4	5	6
					बहरामपुर 10. बोरीदा 11. नया जामूपोसी सुचिंदा 12. बेलापादापतता 13. अरूहान, चिरूली 14. मानचेश्वर 15. सारियों 16. रघुनाथपुर 17. छतरपुर 18. दवाविहार 19. खलाडी 20. बलाभादरापुर 21. बन्टाला 22. बालीपटना
10.	तमिलनाडु	2	8	7	1. जवाहरपुरम 2. सामुगापुर 3. नालामारकोटाई 4. तुतीकुरीन 5. पानुथ 6. रामावरम 7. विकारामंगलम 8. कोवीगुलम 9. ओकूपती 10. केलामबाकम 11. के के नगर 12. करपागम 13. कृष्णगिरि 14. तमिलनाडु अग्री युनिवर्सिटी बिलडिंग कोयमटूर 15. नतरंजापुरम 16. थंसडीकम्बू 17. राजापलायम
11.	उत्तर प्रदेश	9	8	3	1. आदर्श नगर 2. कापसेथी 3. कोंधीआरा 4. फतेपुर 5. वेहतखुर्द 6. माउ 7. आश्रमविहार 8. देवकाली 9. जमालपुर 10. सौरा-भारोसा 11. रायबरेली 12. कंरपागम 13. महामोदपुर 14. सरदारपुर-सदात 15. लोरहां 16. बीरकाजी (फूलपुर) 17. गुलेरिया 18. हल्दिया 19. लक्कावली 20. बोपारा
12.	पश्चिम बंगाल	-	2	-	1. कृष्णानगर 2. कालागच्चिया
	कुल जोड़	14	48	32	कुल जोड़ - 94

विवरण II

पिछले तीन सालों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए जारी किए गए सहायता अनुदान की मात्रा

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष			लाख रुपये में कुल
		97-98	98-99	99-2000	
1	2	3	4	5	6
1.	उड़ीसा	11.35	68.90	25.475	105.725
2.	तमिलनाडु	4.00	22.43	20.983	47.413
3.	उत्तर प्रदेश	39.00	17.14	14.716	70.856
4.	महाराष्ट्र	-	30.00	57.90	87.90
5.	हरियाणा	-	-	7.50	7.50
6.	असम	-	-	3.96	3.96

1	2	3	4	5	6
7.	आंध्र प्रदेश	-	2.00	12.50	14.50
8.	पश्चिम बंगाल	-	4.00	0.54	4.54
9.	बिहार	-	19.00	9.78	28.78
10.	जम्मू और कश्मीर	-	7.50	7.565	15.065
11.	अंडमान तथा निकोबार	-	7.50	-	7.50
12.	दिल्ली	-	6.00	0.065	6.065
13.	कर्नाटक	-	-	0.065	0.065
14.	मध्य प्रदेश	-	-	0.065	0.065
	कुल	54.35	184.47	161.114	399.934

उच्च किस्म के कम्प्यूटरों के विकास के लिए केन्द्र

1713. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च किस्म के कम्प्यूटरों के विकास के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख में देश में स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का ब्यौरा क्या है और साथ ही ये पार्क कहां-कहां स्थापित हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक पार्क के विकास के लिए कितना धन आबंटित किया गया है और इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें देश में निकट भविष्य में शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) देश में समानान्तर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित उच्च कार्यनिष्पादन क्षमता के कम्प्यूटरों (जिसे सुपर कम्प्यूटर भी कहा जाता है) की डिजाइन, विकास और नियोजन की क्षमताएं तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पहल के रूप में उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) की स्थापना की थी। सी-डैक का परम 10,000 भारत में अद्यतन तथा सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कम्प्यूटर है, जिसकी संसाधन क्षमता 100 गीगा फ्लोटिंग प्लाइंट (गीगाफ्लॉप) प्रति सेकण्ड है। सी-डैक इस समय उच्च अभिकलन कार्यनिष्पादन अभिकलन प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोगों की अगली पीढ़ी का विकास करने के अपने तीसरे मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के विकास और नियोजन के लिए उच्च कार्यनिष्पादन अभिकलन में हासिल की गई विशेषज्ञता को अंतरित करने और प्रौद्योगिकियों का विकास करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान सी-डैक के कार्यकलापों में विविधता आई है।

सी-डैक द्वारा किए गए अन्य पहल विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में ब्यौरा विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) निम्नलिखित स्थानों के लिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का अनुमोदन पहले ही दे दिया गया है और भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा इनकी स्थापना की जा रही है:-

1. गुवाहाटी, असम
2. सिक्किम में गंगटोक (एसटीपी, गुवाहाटी के हब केन्द्र के रूप में)
3. जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर
4. आंध्र प्रदेश में वाईजैग

5. इन्दौर

6. हुबली

जिन अन्य स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है उनमें शिमला, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मुम्बई, ग्वालियर, भोपाल, राउरकेला, पांडिचेरी, त्रिची, मदुरै, लखनऊ, देहरादून तथा कलकत्ता शामिल हैं।

विवरण I

सी-डैक द्वारा किए गए अन्य पहल में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय परम सुपरकम्प्यूटिंग सुविधा (एनपीएसएफ) की स्थापना जिसमें परम प्रणाली स्थापित है जिसमें शोधकर्ताओं और विभिन्न प्रयोगर्ताओं को उनकी उन्नत अभिकलन आवश्यकताओं के लिए मशीन तक पहुचना संभव है।

2. प्रौद्योगिकियों का विकास जिसमें सी-डैक की लोकप्रिय जिस्ट प्रौद्योगिकी के आधार पर भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर पर काम करना संभव होगा।

3. इस क्षेत्र में विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने और उद्यगकर्ताओं में मल्टीमीडिया शीर्षकों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय मल्टीमीडिया केन्द्र की स्थापना करना तथा इस क्षेत्र में अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

4. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की आवश्यकता पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के जरिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए देश में प्रशिक्षण केन्द्रों की श्रृंखला शुरू करना।

5. आद्योपान्त सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का विकास और नियोजन। जिन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इन समाधानों का प्रस्ताव किया गया हैं उनमें चिकित्सालय सूचना प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक शासन, भार, प्रेषण और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंध, बैंकिंग एवं वित्तीय बाजार एवं व्यापार अनुरेखक, दूरसंचार के बिल संबंधी कार्य, नेटवर्क तथा इंटरनेट अनुप्रयोग शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सी-डैक सूचना प्रौद्योगिकी के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्य भी करता हैं। जिन क्षेत्रों में इस समय परियोजनाएं चल रही हैं उनमें नेटवर्क सुरक्षा, मशीनी अनुवाद तथा भाषा अधिगम, बहुभाषी मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी, अंकीय लाइब्रेरी, दोष सहिष्णु प्रणाली, सुदूर औषधि तथा इलेक्ट्रॉनिक शासन शामिल हैं।

विवरण II

आज तक स्थापित और कार्यरत सांफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का स्थापना-स्थल तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक केन्द्र को जारी की गई धनराशि और उनकी उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

क्र.सं.	एसटीपीआई की स्थिति	राज्य	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी राशि (लाख रुपये में)	निर्यात (1999-2000) (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित ईकाईयां (31 मार्च, 2000 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	462.00	1059.00	977
2.	गांधी नगर	गुजरात	477.00	27.00	295
3.	बंगलौर	कर्नाटक	490.00	4321.00	746
4.	मणिपाल	"	50.00	ऊपर के साथ	
5.	मैसूर	"	50.00	शामिल	
6.	त्रिरुवनन्तपुरम	केरल	477.00	57.00	188

1	2	3	4	5	6
7.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र	50.00	962.00	755
8.	पुणे	"	341.00	572.00	474
9.	गोवा		100.00	एसटीपी, पुणे के साथ शामिल	-
10.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	437.00+45.00	89.00	152
11.	मोहाली	पंजाब	50.00	15.00	131
.	जयपुर	राजस्थान	50.00	15.00	95
.	चेन्नई	तमिलनाडु	50.00	1890.00	535
.	कोयम्बटूर	"	50.00	ऊपर के साथ शामिल	-
.	नोएडा	उत्तर प्रदेश	394.00	2450.00	1103
.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	शून्य	150.00	131

महिलाओं पर की जा रही हिंसा

1714. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि सामान्य कारणों की अपेक्षा महिलाओं पर की जा रही हिंसा के कारण महिलाओं की अपंगता और मृत्यु अधिक हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नए अस्पतालों का खोला जाना

1715. श्री ए. नरेन्द्र: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में औद्योगिक कामगारों के लाभ हेतु श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत नए केन्द्रीय अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु पहचाने गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के पुराने शहर हैदराबाद में एक 50 बिस्तरों वाले कर्म.रा. बीमा अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव है। कर्म राज्य बीमा निगम द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा रही है। तथापि, कर्नाटक में किसी नए अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अवैध-आप्रवासन कराने की धंधेबाजी

1716. श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2000 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के जरिए तस्करी कराने वाले अवैध-आप्रवासन के कार्य में लिप्त धंधेबाजों का पर्दाफाश हुआ जब 26 व्यक्तियों को जाली दस्तावेजों के साथ अमान जाने वाली "रॉयल जार्डन" विमान सेवा की एक उड़ान में चढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नौकरी घोटाला करने वाले कितने ब्यूरो पाये गये; और

(ग) ऐसे धंधेबाजों, जो कि रोजगार की तलाश कर रहे भोले-भाले व्यक्तियों का शोषण करते हैं, की हरकतों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 26 भारतीय यात्रियों, जो मुख्यत: चन्डीगढ़, जालन्धर, और लुधियाना से थे और जिनके पास 21/22.05.2000 की रात अम्मान को जाने वाले रॉयल जोर्डानियन हवाई जहाज के टिकट और यात्रा पास थे, को रोक लिया गया और चूंकि उनके पास जाली दस्तावेज थे अत: उनके विरुद्ध अभियोग चलाए जाने के लिए उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस स्टेशन, इ.गां.अं. हवाई अड्डे में प्राथमिकी सं. 174/2000 दिनांक 22.5.2000 के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया और उक्त 26 नवयुवकों को आगे तफ्तीश करने और अभियोजन चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में शामिल दो व्यक्ति जिनके नाम सर्वश्री राकेश और राजिन्दर सिंह हैं, एजेन्ट बताए गए हैं।

(ग) अनधिकृत एजेन्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ऐसे एजेंटों पर कड़ी नजर रखने और इनके विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा है। जब कभी अनधिकृत भर्ती संबंधी कोई घटना सरकार की जानकारी में आती है, उसे समुचित कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास भेजने की तत्काल कार्रवाई का जाती हैं।

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

1717. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के लिए कितनी योजनागत और गैर-योजनागत निधियां आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार को संस्थान में की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी है; और

(ग) यदि नहीं, तो बेरोई, उड़ीसा स्थित राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के वित्तीय व्यय को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार चल रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान के लिए योजना तथा गैर-योजना आबंटन इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

	योजना	गैर-योजना
1997-98	225.00	229.00
1998-99	241.00	258.00
1999-2000	408.00	280.00

(ख) कुछ कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की सूचना और संस्थान ने इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करने आरम्भ किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए व्यय की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों का वार्षिक मूल्यांकन

1718. प्रो. उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के कार्यकरण का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अस्पतालों में, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में स्थित अस्पतालों में अपनाए जा रहे मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) दिल्ली और नोएडा को छोड़कर अन्य स्थानों पर क.रा.बी. स्कीम के तहत चिकित्सा देखरेख के प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की है। तथापि क.रा.बी. अस्पतालों के कर्मचारियों और साज-सज्जा के संबंध में क.रा.बी. निगम ने मानक/मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं। आन्ध्र प्रदेश में स्थित क.रा.बी. अस्पतालों सहित समस्त क.रा.बी. अस्पतालों में सामान्य विशेषज्ञता सेवाएं और साथ ही कार्डियोलोजी न्यूरालोजी, प्लास्टिक सर्जरी और तपेदिक के इलाज की सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। अल्ट्रा सोनोग्राफी, ऑटोएनाला जर, ट्रेड मिल टेस्ट, कम्प्यूटरीकृत आँख जांच और कार्डिअक मानीटरिंग सिस्टम जैसी निदान सुविधाएं मौजूद हैं। बीमित व्यक्तियों को उच्च विशेषज्ञता इलाज प्रदान करने के लिए ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं के साथ संबंध व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बीमित व्यक्ति को उचित चिकित्सा देख-रेख को सुनिश्चित करने को सहज बनाने के लिए निगम ने एक सामान्य प्रयोजन उप समिति गठित की है जो प्रत्येक वर्ष एक या दो राज्यों में स्थित क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों का दौरा करती हैं। इन

अस्पतालों के कार्यकरण में होने वाली कमियों/त्रुटियों की जानकारी संबंधित राज्य सरकार को दी जाती है ताकि वे उचित उपचारात्मक कार्रवाई कर सकें।

(घ) और (ङ) क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय निदेशक राज्य सकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं ताकि उनके अपने-अपने राज्यों में क.रा.बी. संस्थाओं का उचित प्रशासन और रख-रखाव सुनिश्चित हो सकें। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों में क.रा.बी. संस्थाओं के कार्यकरण का निरीक्षण करने और चिकित्सा लाभों का प्रशासन करने के लिए क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।

राष्ट्रीय सतर्कता कोर

1719. श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने राष्ट्रीय सेवा योजना की तरह राष्ट्रीय सतर्कता कोर की स्थापना हेतु प्रस्ताव का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सरकार द्वारा प्राप्त अन्य प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने शिक्षा विभाग तथा संस्कृति, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय से इस आशय के सुझाव मांगे थे कि देश में भ्रष्टाचार के खतरे से निबटने के लिए युवा शक्ति का सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। संस्कृति, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय ने यह महसूस किया है कि भ्रष्टाचार रोकने/उसका भंडाफोड़ करने की प्रक्रिया में युवा स्वयंसेवकों को भागीदारी बनाने का तरीका और सीमा की प्रक्रिया एक संवेदनशील मुद्दा होगा जिस पर समुचित सावधानी से कार्यवाही करनी होगी। इस सुझाव पर केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 19 जून, 2000 को राज्य सतर्कता आयुक्तों/भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था जिसमें इस संबंध में बहुत से संवेदनशील मुद्दे उठाए गए थे जिन पर इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व, ध्यान रखना होगा।

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(1) विसॅल ब्लोअॅर एक्ट

ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में लागू प्रथा के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस संबंध में विधि आयोग को लिखा है।

(2) सूचना का स्वातंत्र्य विधेयक का अधिनियमन

सूचना स्वांतंत्र्य विधेयक 2000, दिनांक 25 जुलाई, 2000 को लोक सभा में पुरस्थापित कर दिया गया है।

(3) भ्रष्ट लोक सेवक—सम्पत्ति जब्ती अधिनियम का अधिनियमन

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित विधान वाली विधि आयोग की 16वीं रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह अनुभव किया है कि लोक-सेवकों द्वारा गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती का प्रावधान, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के ढांचे में उपर्युक्त संशोधन करके किया जा सकता है। विधि मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मत से सहमत हो गया है। किन्तु इस मामले की विधि विशेषज्ञों के परामर्श से और आगे जांच की जा रही है।

(4) बेनामी संव्यवहार (निषेद्ध अधिनियम, 1988) का कार्यान्वयन)

बेनामी संव्यवहार निषेद्ध अधिनियम, 1988, संसद द्वारा वर्ष 1988 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में बेनामी संव्यवहार निषेद्ध तथा बेनामी रूप से धारित सम्पत्ति की जब्ती करने के अधिकार का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 8 की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार से उक्त आशयों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की अपेक्षा की जाती है।

राजस्व विभाग ने यह सूचित किया है कि विधि मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कानूनी खामियों के कारण नियम नहीं बनाए जा सके। तथापि अधिनियम में पाई गई खामियों को ध्यान में रखकर इसमें संशोधन करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा सुझाव दिए गए हैं तथा उक्त विभाग द्वारा इस आशय का प्रस्ताव विधिक्षा के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया बताया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण

1720. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली सरकार ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) प्रधानमंत्री के इटली के प्रधानमंत्री के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह स्वीकार किया गया कि भारत के पास असाधारण संसाधन उपलब्ध हैं, अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उच्च प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की । सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाएं

1721. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) क्या लघु उद्योग परिसंघ ने लघु उद्योगों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें कई तरह के नए प्रोत्साहन देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। 9वीं योजना के दौरान लघु उद्योगों के विकास के लिए तैयार की गई कार्यनीति में योजनाओं/कार्यक्रमों को जारी रखना तथा उनको सुदृढ़ करना और कुछ नई योजनाएं भी तैयार करना शामिल है। ये क्रेडिट की आपूर्ति को सुधारने, राजकोषीय छूटों तथा रियायतों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधारित संरचना विकास, बाजार विकास, उद्यमिता विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क का सृजन आदि से संबंधित है। हाल ही में, बिना कोलैटरल के रुपये 10.00 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई बनाई गई है। विशिष्ट उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता की एक योजना तैयार की जा रही है।

(ग) 8वीं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए आवंटित राशि क्रमश: रुपये 1629.25 करोड़ तथा रुपये 4303.85 करोड़ हैं।

(घ) से (च) जी, हां। भारतीय लघु उद्योग संघों के परिसंघ ने दिनांक 5 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत किए गए अपने अभ्यावेदन में सरकार से लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रोत्साहन देने के लिए कहा है जिसमें लघु उद्योग विशेष रूप से अति लघु इकाइयों के लिए ऋण की सुनिश्चित पहुंच, वायबल क्रेडिट गारंटी स्कीम का सृजन, रियायती दरों पर लघु उद्योग इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निधियों को निर्धारित करना, इकाइयों का उपचार, विपणन सहायता, कानूनी सुधार आदि शामिल हैं। सरकार इन मुद्दों से परिचित है जो लघु उद्योग क्षेत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इस संबंध में पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(अनुवाद]

भारत-कुवैत संबंध

1722. **श्री जी.जे. जाखीया:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कुवैत ने आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साझी रणनीति बनाने हेतु हाल ही में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 2000 को कुवैत के साथ सम्पन्न समझौता ज्ञापन में द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग संवर्धित करने हेतु सीनियर स्तर पर नियमित परामर्श का प्रावधान है। भारत और कुवैत में बारी-बारी से बैठकें करने तथा परस्पर हितों के विशिष्ट मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यदलों के गठन का प्रावधान किया गया है।

(ग) समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का नियमित आदान-प्रदान एवं सहयोग करना सुकर होगा।

भूमिहीनों को जमीन

1723. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1991-92 के दौरान देश में भूमिहीन परिवारों को खाली पड़ी सरकारी जमीन वितरित की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में जिला-वार ऐसे परिवारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन भूमिहीन परिवारों को ऋण आधार पर कुछ वित्तीय सहायता भी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

सोने की खदानों में दुर्घटनाएं

1724. श्री ए. चरेन्द्र: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोने की खदानों में दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त खादानों में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोने की खादानों का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण खानों में घटी दुर्घटनाओं के निम्नलिखित रुझान दर्शाते हैं कि दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1997	86
1998	79
1999	61

(ग) और (घ) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में विस्तृत सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। सुरक्षा कानूनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है। खानों में सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय परिपत्रों के रूप में प्रबंधनों को दिशानिर्देश जारी करता है। इन सुरक्षा उपायों का खान प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और सुरक्षा उपायों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करते हैं तथा चूक की दशा में खान अधिनियम 1952 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

विधायी उपायों के अतिरिक्त सरकार कई अन्य पहलों को बढ़ावा दे रही है:

जैसे:-

(1) खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन:

(2) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन।

(3) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी।

(4) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षाएं।

(5) कामगारों का प्रशिक्षण।

(6) सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना और सुरक्षा अभियान चलाना आदि।

(7) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

(ङ) केन्द्रीय क्षेत्र में केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसका नाम भारत गोल्ड माइन्स लि. (बी.जी.एम.एल.) है जिसका मुख्यालय कोलार गोल्ड फील्ड्स है। एक रुग्ण इकाई होने के कारण इसे 1992 में बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया था। बी.आई.एफ.आर. ने इसके परिसमापन की सिफारिश करते हुए 12.06.2000 को अन्तिम आदेश पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में बी.जी.एम.एल. के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

वृद्धाश्रम

1725. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री कोलूर बसवनागौड़:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विशेषकर कर्नाटक के लिए वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए वार्षिक अनुदान की मांग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या देश में अगले पांच वर्षों में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपलब्ध स्थान और संभावित आवश्यकता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वृद्धों/वरिष्ठ नागरिकों के सर्वतोमुखी कल्याण के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) विवरण Iक, Iख, IIक, IIख, और विवरण III संलग्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। सरकार द्वारा जनवरी, 1999 में वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति तैयार और घोषित की गई।

(च) और (छ) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण IV संलग्न है।

विवरण I(क)

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों बच्चों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत प्राप्त लम्बित प्रस्ताव।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	3
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	कर्नाटक	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	3
8.	नागालैंड	22
9.	पंजाब	2
10.	राजस्थान	1
11.	तमिलनाडु	1
12.	उत्तर प्रदेश	2
13.	दिल्ली	1
	कुल	40

विवरण II(ख)

गत तीन वर्षों के दौरान महिला होस्टल (स्वीकृत निधियां)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	रा./सं.रा.क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	4	47.79	4	26.64	5	45.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	00.86	–	–
3.	असम	–	–	1	04.76	1	04.99
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	गुजरात	2	04.37	3	18.26	1	01.12
6.	हरियाणा	2	51.72	1	10.60	3	44.52
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
8.	जम्मू और कश्मीर	–	–	1	21.22	–	–
9.	कर्नाटक	18	193.44	21	253.85	12	116.17
10.	केरल	8	45.60	12	125.62	17	172.85
11.	महाराष्ट्र	15	90.90	15	78.67	8	60.90
12.	मध्य प्रदेश	2	11.95	2	12.81	2	03.79
13.	मणिपुर	1	06.50	1	01.33	2	17.54
14.	नागालैंड	1	05.47	1	01.46	2	13.25
15.	उड़ीसा	1	09.27	4	37.99	2	10.76
16.	पंजाब	1	12.45	2	15.24	–	–
17.	राजस्थान	3	09.95	1	02.11	1	00.71
18.	तमिलनाडु	9	82.46	10	60.66	4	32.99
19.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	1	41.14	4	37.85	2	24.21
21.	पश्चिम बंगाल	5	56.51	3	35.35	6	103.42
22.	दिल्ली	2	80.33	1	28.43	2	39.91
23.	पांडिचेरी	–	–	–	–	1	12.37
24.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
25.	चंडीगढ़	–	–	–	–	1	03.03
	कुल	75	750.00	88	773.71	72	708.13

संख्या किस्त आधार पर निर्मुक्ति के लिए प्राप्त और स्वीकृत मामलों की संख्या को दर्शाती है।

विवरण II(क)

वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहुसेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/ स्वावलंबी समूहों की योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत तथा लम्बित प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	11
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	4
6.	हरियाणा	7
7.	हिमाचल प्रदेश	6
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	6
10.	महाराष्ट्र	3
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	मणिपुर	8
13.	मेघालय	3
14.	मिजोरम	4
15.	नागालैंड	2
16.	उड़ीसा	1
17.	पंजाब	4
18.	राजस्थान	3
19.	तमिलनाडु	10
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	33
22.	पश्चिम बंगाल	16
23.	जम्मू एवं कश्मीर	4
24.	पांडिचेरी	1
25.	चंडीगढ़	1
26.	दिल्ली	2
	कुल	164

विवरण II(ख)

वृद्धावस्था गृह/बहु सेवा केन्द्र के निर्माण की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राशि के साथ मामलों की संख्या

(रु. लाख में)

	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
राज्य	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	5	50.00
असम	-	-	1	2.50	4	38.94	2	28.86
हरियाणा	-	-	4	10.00	3	23.50	3	29.00
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	–	–	1	2.50	5	17.50	–	–
महाराष्ट्र	26	130.00	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	–	1	3.50	–	–
पंजाब	–	–	1	10.00	3	20.50	4	31.50
राजस्थान	–	–	1	2.50	1	5.00	1	10.00
तमिलनाडु	–	–	1	2.50	1	12.00	1	10.00
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	2	24.49	2	27.00
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	1	3.70	1	10.00
पांडिचेरी	–	–	–	–	1	6.00	–	–
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	1	10.00
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	1	10.00
नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	1	10.00
कुल	26	130	9	30	22	155.13	23	236.36

विवरण III

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
असम	1	1.00	–	–	–	–
दिल्ली	2	4.00	1	2.76	–	–
गुजरात	–	–	2	4.00	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	1	2.00
कर्नाटक	1	1.00	–	–	–	–
केरल	–	–	1	1.20	–	–
मणीपुर	–	–	–	–	1	2.00

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	-	-	1	1.00	-	-
पंजाब	-	-	1	2.00	-	-
राजस्थान	1	2.00	-	-	1	1.00
उत्तर प्रदेश	-	-	1	2.25	2	4.25
कुल	5	8.00	7	13.21	5	9.25

इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण IV

इस नीति में सरकार तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों में अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए व्यापक ढांचे का प्रस्ताव है। विशेषकर इसी नीति के द्वारा देश के वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए मध्यक्षेत्र के कई क्षेत्रों अर्थात वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और पोषाहार, आश्रय, शिक्षा जान-माल की सुरक्षा आदि की पहचान की है। अन्य में, यह नीति इस दिशा में राज्य के प्रयासों को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के प्रति अनुकूल सेवाएं प्रदान करने में गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका को नीति में मान्यता प्रदान करती है। उपयोगी वृद्धावस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, इस नीति में वृद्ध व्यक्तियों को अत्यावश्यक अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में परिवार के महत्व पर भी बल दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास समन्वय के दायित्व के साथ इस नीति के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं में सरकारों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों की भागीदारी परिकल्पित है।

(1) इस नीति को कार्य रूप देने के लिए 10 मई , 1999 को वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.ओ.पी.) की स्थापना की गई है। एन.सी.ओ.पी. की पहली बैठक 13 जून, 2000 को नई दिल्ली में हुई। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना के मसौदे के बारे में सदस्यों ने विचार-विमर्श किया। कार्य-योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(2) एन.सी.ओ.पी. के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए आधार की स्थापना की गई है। इसका नियंत्रण मंत्रालय की वित्तीय सहायता से एक गैर-सरकारी संगठन, सजवेल फाउन्डेशन द्वारा किया जा रहा है। आधार के बड़े कार्यकलापों में वृद्ध व्यक्तियो के अभिवेदनों और शिकायतों को प्राप्त करना और शिकायतों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

(3) राष्ट्रीय नीति के आलोक में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए मंत्रालय की चल रही योजनाओं की समीक्षा तथा सुधार दोनों कार्य किए गए हैं।

(4) मंत्रालय ने ओएसिस (वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा के लिए एक परिवर्णी शब्द) नामक एक परियोजना शुरू की है तथा भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़े नीतिगत मामलों की जांच करने तथा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक यू.टी.आई. के अध्यक्ष डा. एस.ए. दवे की अध्यक्षता में 8 सदस्यों को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 11.1.2000 की प्रस्तुत की।

(5) इस मंत्रालय के अनुरोध पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सलाह दी कि वे वृद्ध व्यक्तियों के न्यायालय संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।

(6) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्तरों पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग से पंक्ति (क्यू) के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं।

(7) इस मंत्रालय की पहल पर तथा इसकी वित्तीय मदद से ऐजवैल फाउंडेशन नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा बूढ़े लोगों के लिए एक टेलीफोन हैल्प लाइन शुरू की गई है। यह हैल्पलाइन अप्रैल, 1999 से कार्य कर रही है।

(8) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने बूढ़े विकलांग व्यक्तियों की घर पर देखभाल करने हेतु 3 महीने का एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। वयोवृद्ध व्यक्तियों की उनके घरों में तथा समुदाय में व्यापक रूप से देखरेख करने हेतु जेरिएटिक एनीमेटरों का संवर्ग तैयार करने में इस पाठ्यक्रम से सहायता मिलेगी।

भारतीय नागरिकों पर लगे प्रतिबंध को हटाना

1726. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुवैत और कुछ अन्य अरब देशों में घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) घरेलू नौकरों का उत्पीड़न मजदूरी का भुगतान न करना, मजदूरी का भुगतान देरी से करना से संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुवैत में घरेलू नौकरानी और नौकरों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। घरेलू नौकरों की तैनाती पर लगे प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है कुवैत में घरेलू नौकरों की तैनाती के प्रतिबंध के हटाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब सरकार आश्वस्त हो कि ऐसी तैनाती नियोजन की सेवा शर्तों के अनुसार होगी।

बेसहारा बच्चों के लिए परियोजना

1727. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री मोहन रावले:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बेसहारा बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) देश में इस समय बेसहारा बच्चों की संख्या कल कितनी है;

(घ) क्या इन योजनाओं की पहुंच विभिन्न राज्यों के सारे बेसहारा बच्चों तक होगी;

(ङ) क्या मंत्रालय की इन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम में सुविधाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संयुक्त कार्यप्रणाली और एकीकृत बाल सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए प्रशिक्षण देने को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(छ) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय कोर-समूह का भी गठन किया है जो राज्य सरकारों से भी समर्थन प्राप्त कर रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या सफलता हासिल हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय "बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम" की अपनी एक योजना के अन्तर्गत बेसहारा बच्चों के लाभ के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है। इन परियोजनाओं को चलाने का उद्देश्य निराश्रित बच्चों की निराश्रयता को रोकना तथा बेसहारा जीवन से उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त करना और उन्हें उनके परिवार के साथ लाने का प्रयास करना। ये परियोजनाएं उन बच्चों के लाभ के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती हैं जिनमें 24 घंटे की सेवा के प्रवेश वाले आश्रय शामिल हो सकते हैं और इन आश्रयों में रात को ठहरने, नहाने, मनो-विनोद, प्राथमिक उपचार आदि की सुविधाएं हैं। कुछ परियोजनाएं गैर-पारम्परिक शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, नियमित स्कूलों में नाम लिखाने को आसान बनाते हैं, भोजन तथा निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श तथा मार्गदर्शन आदि प्रदान करते हैं जो ऐसे बच्चों के पूर्ण तथा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता माने जाते हैं।

(ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। यह मंत्रालय प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उसकी जांच करता है और क्षेत्र की विशेष समस्याओं तथा

बजट में निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुमोदित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान में रखा जाता है कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में विस्तृत भौगोलिक प्रतिनिधित्व हो। इस समय यह मंत्रालय लगभग 1,34,551 बच्चों को लाभ देते हुए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 102 परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है। कुछ गैर-सरकारी संगठन भी अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए बेसहारा बच्चों के लाभ के लिए परियोजनाएं चला रहे हैं।

(ङ) और (च) समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सेवा प्रदान करने तथा ऐसी परियोजनाओं की जागरूकता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों और विभागों के बीच समन्वय के लिए आवधिक प्रशिक्षण देता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

म्यूनिख सम्मेलन

1728. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 6 फरवरी, 2000 को 36वें म्यूनिख सम्मेलन में पारित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सुरक्षा नीति से सम्बद्ध म्यूनिख सम्मेलन एक परामर्शी मंच है जहां पर भाग लेने वाले उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि रक्षा उद्योग से सम्बद्ध प्रतिनिधि और शिक्षाविद एवं पत्रकार सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा करते हैं। किसी संकल्प पर विचार नहीं किया गया अथवा मतदान हुआ और सम्मेलन ने कुछ भी पारित नहीं किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

1729. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बाल श्रम पर रोक लगाने में विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितने बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और यह संख्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में कितनी है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ङ) क्या इस राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार की बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति है जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया जाता है:

- एक विधायी कार्य योजना,
- जहां कहीं भी संभव हो बच्चों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना, और
- मजदूरी/अर्द्ध-मजदूरी रोजगार में लगे बाल श्रम बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना।

सरकार बाल श्रम के सभी स्वरूपों का उन्मूलन करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। समस्या के स्वरूप और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, बाल श्रमिकों को हटाने और उनका पुनर्वास करने के लिए एक क्रमिक अनुवर्ती दृष्टिकोण अपनाया गया है।

(ग) बाल श्रम के बारे में प्रमाणिक सूचना दस वर्षीय जनगणना के दौरान प्राप्त होती है। 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 11.28 मिलियन है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बाल श्रम की सभी स्कीम के लिए कुल खर्च 7845.75 लाख रुपये है।

मूक और बधिरों के लिए शिक्षा

1730. श्री ए. कृष्णैया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मूक और बधिर व्यक्तियों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी निधियां नियत की गई और व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार की मूक और बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल और कालेज स्थापित करने हेतु निजी संगठनों और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने जुलाई-दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 47वां दौर किया। इस सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए साक्षर वे लोग थे जो समझकर एक सरल संदेश को पढ़-लिख नहीं सकते थे। जो ऐसा नहीं कर सकते थे उन्हें निरक्षर माना गया। शहरी भारत में 46% की तुलना में ग्रामीण भारत में वाणी और श्रवण विकलांगताओं वाले व्यक्तियों सहित लगभग 70% विकलांग व्यक्ति पाए जाते हैं। शहरी भारत में लगभग 12% के मुकाबले ग्रामीण भारत में श्रवण तथा वाणी विकलांग व्यक्तियों सहित केवल 4% विकलांग व्यक्तियों ने शैक्षिक स्तर (सेकेण्डरी और इससे ऊपर) की सूचना है। साक्षरता में शहरी प्रवृत्ति है। शहरी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से पूरी और बेहतर शैक्षिक सुविधाओं तथा खासतौर पर विशेष स्कूलों के विद्यमान होने के कारण संभवत: यह विकलांग व्यक्तियों में और अधिक स्पष्ट है।

(ख) से (ङ) वाणी एवं श्रवण विकलांग व्यक्तियों के लिए 550 से अधिक विशेष स्कूल हैं। विशेष स्कूलों का स्तर प्राइमरी-पूर्व, प्राइमरी, सेकण्डरी तथा उच्चतर शिक्षा है। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर जैसे अनेक पाठ्यक्रम विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार भी जहां तक संभव हो विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जानी है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकेण्डरी एजूकेशन तथा हायर एजुकेशन विभाग, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना (आई.ई.डी.सी.) को संचालित कर रहा है जो सामान्य स्कूल प्रणाली में विकलांग बच्चों (लड़के और लड़कियों दोनों) के लिए उन्हें इस प्रणाली में बनाए रखने और अंतत: मिला लेने के कार्य को आसान बनाने के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पुस्तकों तथा लेखन-सामग्री वर्दियों, संसाधन अध्यापकों, हेल्परों के वेतन, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है। इस प्रकार यह योजना 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। वर्तमान वर्ष, 2000-2001 के दौरान, इस योजना के लिए 1500 करोड़ रु. का बजट प्रावधान (योजना) किया गया है। इसमें से 4.50 करोड़ रुपये दिनांक 26.7.2000 तक खर्च किए गए हैं। गत तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान क्रमश: 998.63 लाख रु., 880.18 लाख रु. तथा 1,290.02 लाख रु. है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ वाणी और श्रवण विकलांग सहित विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान वर्ष 2000-2001 के दौरान वाणी और श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को 2.26 करोड़ रु. का सहायता अनुदान मंजूर किया गया है। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 7.74 करोड़ रु., 3.45 करोड़ रु. तथा 7.61 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1731. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार निधियों के उपयोग में अधिकारियों द्वारा अनियमितितायें बरतने से संबंधित राज्य-वार कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं के कुछ मामले इस मंत्रालय की जानकारी में लाए गए थे। ऐसी अनियमितताओं की जानकारी जब भी सरकार को

कराई जाती है, जांच और उपचारी कार्रवाई हेतु इनको संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

न्यूनतम आधारभूत सेवाएं

1732. श्री राम टहल चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम आधारभूत सेवाओं के अंतर्गत गरीब बेसहारा लोगों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेतु राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को, विशेषकर बिहार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कोई प्रभावी योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में सभी लोगों के लिए पहचान की गई सात बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम वर्ष 1996 में शुरू किया गया। ये सेवाएं हैं सुरक्षित पेयजल, सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण आवासहीन गरीबों के लिए घर, सभी असम्बद्ध गांवों और निवास स्थानों तक सम्पर्क, पोषाहार और गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

योजना आयोग ने विगत चार वर्षों के दौरान बी एम एस के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) उपलब्ध करायी। तथापि, यह पूर्ण रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ऊपर था कि एसीए का सात आधारभूत सेवाओं के बीच घटकवार आवंटन वे अपनी स्वयं की प्राथमिकता के आधार पर करें।

(घ) गत चार वर्षों के दौरान बिहार और संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्यों को बीएमएस कार्यक्रम के लिए एसीए का आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) ग्राम स्तर पर सतत मानव विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है। पीएमजीवाई में सरकार के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से चुनिंदा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आवंटन की परिकल्पना की गई है। चालू वर्ष से पीएमजीवाई के लिए एसीए ने बीएमएस के लिए एसीए का स्थान ले लिया है। वार्षिक योजना 2000-01 में पीएमजीवाई के लिए आवंटन 5000 करोड़ रुपये है। पीएमजीवाई के दो घटक हैं, नामत: 2500 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ ग्रामीण सड़कें और समान आवंटन वाले पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रम। पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों में शामिल है: प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार। पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों के लिए एसीए के राज्यवार आवंटन का निर्णय योजना आयोग द्वारा किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

पीएमजीवाई के ग्रामीण सड़क घटक का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जहां तक पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों का संबंध है, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, परिवार कल्याण, पेयजल, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रशासनिक विभागों ने पीएमजीवाई के अन्य क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। जहां पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों की मानीटरिंग योजना आयोग द्वारा की जाएगी।

विवरण I

वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रु.)

क्र.सं.		एसीए 1996-97	एसीए 1997-98	एसीए 1998-99	एसीए 1999-2000
1	2	3	4	5	6
(क) गैर-विशेष श्रेणी राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	140.52	170.59	179.61	196.34
2.	बिहार	225.67	364.07	383.32	419.04
3.	गोआ	1.55	1.55	3.63	3.63
4.	गुजरात	52.58	72.58	76.42	113.54
5.	हरियाणा	19.08	19.08	40.09	26.96
6.	कर्नाटक	59.40	99.42	104.68	114.43
7.	केरल	69.64	78.69	102.85	110.57
8.	मध्य प्रदेश	144.09	210.00	236.10	265.34
9.	महाराष्ट्र	96.78	132.23	159.22	152.19
10.	उड़ीसा	79.26	147.45	164.25	190.31
11.	पंजाब	25.59	35.59	36.94	40.37
12.	राजस्थान	87.63	132.98	140.01	153.05
13.	तमिलनाडु	82.36	119.80	141.13	137.88
14.	उत्तर प्रदेश	317.33	456.84	500.99	575.88
15.	पश्चिम बंगाल	150.00	204.57	214.33	234.30
(ख) विशेष श्रेणी राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	62.18	62.18	90.47	71.57
2.	असम	154.14	163.80	172.46	188.53
3.	हिमाचल प्रदेश	64.41	64.41	113.45	109.14
4.	जम्मू एवं कश्मीर	156.52	156.52	164.80	180.15
5.	मणिपुर	44.30	44.30	64.30	72.64
6.	मेघालय	37.03	37.03	38.99	63.62

1	2	3	4	5	6
7.	मिजोरम	36.87	36.87	49.96	51.43
8.	नागालैंड	37.53	37.53	49.51	67.19
9.	सिक्किम	25.65	25.65	47.25	49.76
10.	त्रिपुरा	46.37	46.37	55.37	59.92
(ग) संघ राज्य क्षेत्र					
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9.00	14.20	14.95	16.34
2.	पांडिचेरी	3.90	6.13	7.45	7.06
3.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.00	13.19	17.17	15.19
4.	चण्डीगढ़	3.72	5.87	6.18	6.76
5.	दादरा व नगर हवेली	1.08	1.71	1.80	1.97
6.	लक्षद्वीप	1.44	2.27	2.39	2.62
7.	दमन व दीव	0.86	1.36	1.43	1.57
	योग	2244.48	2963.83	3381.50	3699.22

विवरण II

पीएमजीवाई के लिए एसीए का आवंटन–2000-01

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2000–01 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3
गैर–विशेष श्रेणी राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	14206.00
2.	बिहार	28725.00
3.	गोआ	78.00
4.	गुजरात	6479.00
5.	हरियाणा	1678.00
6.	कर्नाटक	7513.00
7.	केरल	6908.00
8.	मध्य प्रदेश	11377.00
9.	महाराष्ट्र	9913.00
10.	उड़ीसा	9855.00
11.	पंजाब	4040.00
12.	राजस्थान	9640.00
13.	तमिलनाडु	10479.00
14.	उत्तर प्रदेश	34891.00
15.	पश्चिम बंगाल	16782.00
	उप-जोड़	172564.00
विशेष श्रेणी राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00

	2	3
.	असम	17957.00
.	हिमाचल प्रदेश	7061.00
.	जम्मू व कश्मीर	17158.00
.	मणिपुर	4856.00
.	मेघालय	4059.00
.	मिजोरम	4041.00
.	नागालैण्ड	4113.00
.	सिक्किम	2811.00
0.	त्रिपुरा	5083.00
	उप-जोड़	73956.00
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1105.00
2.	पांडिचेरी	477.00
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1027.00
4.	चंडीगढ़	456.00
5.	दादर व नगर हवेली	132.00
6.	लक्षद्वीप	177.00
7.	दमन व दीव	106.00
	उप-जोड़	3480.00
	कुल जोड़	250000.00

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं:-

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1996 और 1997 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में सत्रहवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2128/2000]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2000 जो 20 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2000 जो 20 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 172 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2129/2000]

(2) (एक) नेशनल इन्सटीट्यूट फार इन्टरपरेन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनिस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्सटीट्यूट फार इन्टरपरेन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनिस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2130/2000]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2131/2000]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधायें) अधिनियम, 1998 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (दूरभाष सचिवालयीय प्रसुविधायें) संशोधन नियम, 2000 जो 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल.टी. 2132/2000]

अपराह्न 12.01 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं कार्यमंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न $12.1^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 9 मार्च और 11 मई, 2000 को हुई पहली और दूसरी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

याचिका समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति (तेरहवीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शून्य काल लेगी। श्री किरीट सोमैया।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, हमने महान्यायवादी, पूर्व विधि मंत्री और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच संबंध जैसे संवेदनशील मुद्दों से संबंधित मामलों के निपटान के बारे में नोटिस दिया है। यह नोटिस नियम 184 के अधीन दिया गया है। हम चाहते हैं कि कृपया आप इसे स्वीकार करें ताकि इस पर चर्चा नियम 184 के अधीन इस सभा में की जा सके। हम इस बारे में आपका प्रत्युत्तर चाहते हैं *...(व्यवधान)* हमारे कई साथियों ने यह नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में फैसला करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, पहले हमारी बात सुनिए और तत्पश्चात् फैसला करें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल, सरकार भी इस मामले पर चर्चा करवाने के लिए सहमत हो गयी थी। हम इस बात का फैसला करेंगे कि इस पर किस प्रकार से चर्चा हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसका फैसला आज ही करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, नियम 184 के तहत यह नोटिस आज सुबह ही दिया गया है। अब तक महोदय आपने फैसला कर लिया होगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शून्य काल लेगी। हम इस पर फैसला बाद में करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह नया मामला नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह मामला कल श्री माधवराव सिंधिया ने उठाया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया जी, कल हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी की थी।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह मामला दो या तीन दिनों से चल रहा है *...(व्यवधान)*। अब तक आपने इस बावत अपना निर्णय ले लिया होगा *...(व्यवधान)* महोदय, आप हमारे नोटिसों को मंजूर कर रहे हैं या नहीं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस मामले पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हम बाद में फैसला करेंगे कि किस प्रकार से इस पर चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : आप इस पर चर्चा किस नियम के अधीन करवाएंगे? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें इस पर आज ही चर्चा करनी चाहिए। आपको अपना विनिर्णय देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल भी आपने यह मामला उठाया था। सरकार ने भी जवाब दिया था। सरकार की ओर से इस मामले पर चर्चा के लिए कोई आपत्ति नहीं है। हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार लिया जाना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे अन्तिम रूप देंगे, कृपया,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, हम इस मामले को अन्तिम रूप बाद में देंगे। कृपया, इसे समझिए।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): हम इस पर चर्चा आज करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रा में अभी तक जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें डेड बॉडी कहां से मिलेगी। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, अमरनाथ यात्रियों की आतंकवादियों ने हत्या की है। उन्होंने कितने लोगों की हत्या की है, उनके नाम तो आएं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): पहले इस पर बहस होनी चाहिए, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* सरकार जो कुछ कर रही है, ...*(व्यवधान)* जेठमलानी के संबंध में जो मामला सदन में उठा है, उस पर बहस होनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, जिन अमरनाथ यात्रियों की आतंकवादियों ने हत्या की है, उनकी लिस्ट आनी चाहिए। इसकी जानकारी उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* उनकी डेड बॉडी कब मिलेगी, उनके परिवारों को कब पता चलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कोई एक सदस्य मामला उठा सकता है लेकिन एक ही समय में कई सदस्यों द्वारा मामला कैसे उठाया जा सकता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, वह सहमत हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.07 बजे

इस समय श्री सईदुज्जमा व कुछ अन्य सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए, मैं कैसे बोल सकता हूं? आप अध्यक्षपीठ को भी बोलने नहीं दे रहे हैं, यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, पहलगाम में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को गोली से मार दिया ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने नियम 184 के अधीन एक नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आपको अध्यक्षपीठ को भी सुनना चाहिए कि उसका क्या कहना है।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, रेडियो और टेलीविजन पर मृतक लोगों के नाम बताए जाएं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इस मामले में चार बजे बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, लोग हमसे इस बारे में फोन करके पूछ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना, यह फैसला किया गया है कि अपराह्न 4.00 बजे गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। हजारों यात्री अमरनाथ यात्रा में गए हैं। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): डैड बॉडीज का आइडैंटिफिकेशन हो रहा है। जो बॉडीज आइडैंटिफाई हो जाएंगी, हम उनके नाम बता देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरी इनफर्मेशन चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे नियम 184 के अधीन पूर्व वित्त मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में इस सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के संबंध में सर्वश्री रूपचंद पाल, हन्नान मोल्लाह, बसुदेव आचार्य, एम.ओ.एच. फारूक, पी.आर. दासमुंशी, मणिशंकर अय्यर तथा पी.एच. पांडियन से नोटिसों के प्रस्ताव मिले हैं।

नियम 190 के उपबंधों के अनुसार, नियम 184 के अधीन प्राप्त नोटिसों को सम्मिलित करने के बाद उन्हें अनियत दिन के प्रस्तावों के रूप में समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है और उन पर चर्चा के लिए समय आवंटन हेतु उन्हें कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है। इस समय ये नोटिस मेरे विचाराधीन हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया, आप कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक शीघ्र बुलवाइए ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): कृपया, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलवाइए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, यदि मैं इन नोटिसों को स्वीकार भी कर लेता हूं तो भी कार्य-मंत्रणा समिति को समय निर्धारित करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, हम अभी आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक शीघ्रता से बुलाओगे क्योंकि यह मामला अविलम्ब लोक महत्व का है। माननीय प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है। यह मामला कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संबंधों से जुड़ा हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, नियम 377 के अधीन मामले, अब डा. संजय पासवान बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, सभा में मामले उठाते समय आपको यह भी अनुपालन करना चाहिए कि उसकी प्रक्रिया क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कृपया हमें बताएं कि आप कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कब बुला रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ कैसे एकाएक जवाब दे सकती है कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कब होने जा रही है?

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मामले के महत्व के मद्देनजर, यदि ऐसी प्रक्रिया है तो कृपया बैठक शीघ्र बुलवाएं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

अब हम नियम 377 के तहत मामले लेंगे। डा. संजय पासवान।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करने दीजिए। अब नियम 377 के अधीन मामले। डा. संजय पासवान।

अपराह्न 2.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार के किउल-गया रेल सेक्टर पर ब्रह्मपुत्र और दून एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, पूर्व रेलवे के अन्तर्गत दानापुर मंडल में स्थित किऊल-गया लाइन जो स्वतंत्रता पूर्व बनी थी, अभी तक इस रेल खंड पर कोई भी एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में तिनसुखिया एक्सप्रेस (सम्प्रति, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस) जो गुवाहटी से चल कर नई दिल्ली आती है, उसका परिचालन इसी मार्ग से किया गया था लेकिन कुछ दिनों बाद इसका परिचालन बंद कर दिया गया। आज तक कोई ट्रेन इस मार्ग पर चलाई नहीं जा रही है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस एवं दून एक्सप्रेस को इसी मार्ग पर चलाया जाए ताकि हजारों-हजार यात्री, जो इन क्षेत्रों से प्रतिदिन बसों से हावड़ा एवं दिल्ली जाते हैं, इन्हें इन ट्रेनों के परिचालन से लाभ पहुंचेगा, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में बढ़ोत्तरी होगी एवं वह क्षेत्र जो उग्रवाद से प्रभावित है, उसमें भी कमी आएगी।

अत: मैं किऊल-गया रेल खंड में अविलम्ब एक ट्रेन दिल्ली हेतु (ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस) दूसरी ट्रेन हावड़ा हेतु (दून एक्सप्रेस) एवं तीसरी नई प्रस्तावित ट्रेन वाराणसी वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस को इस मार्ग से अविलम्ब चलाया जाए।

(दो) पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र से लगे गुजरात के समुद्र तट की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में तटरक्षकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं। वहां इसका तटीय क्षेत्र 1600 किलोमीटर लम्बा है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में रण क्षेत्र प्रमुख है। भारत में घुसने का वह एक ऐसा मार्ग है जहां से विदेशी तत्व प्रमुखत: आई.एस.आई. का प्रवेश हो सकता है। इस लंबे तटीय क्षेत्र की सुरक्षा सामान्य नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. के एजेंटों द्वारा विभिन्न चरणों में दबाव बना कर हमारी सुरक्षा को चुनौती दी गई। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्याप्त संख्या में वहां कॉस्ट गार्ड तैनात किए जाएं जिनके पास आधुनिकतम हथियार और साधन हो। समुद्र में चौकसी की दृष्टि से आधुनिकतम नौकाएं होनी चाहिए जो आई.एस.आई. की गतिविधियों को न केवल नियंत्रित कर सके अपितु उन्हें समाप्त करने में समर्थ हो सके। ऐसे संवेदनशील गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र कॉस्ट गार्ड की संख्या में वृद्धि की जाए जिससे उत्पन्न समस्या का निराकरण सम्भव हो सके।

(तीन) हरियाणा के महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में खुली भर्ती पद्धति द्वारा सेना में भर्ती किए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में सेना की भर्ती की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ एवं रेवाड़ी जिले में फैले दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में सेना में भर्ती होने की गौरवशाली परम्परा है। क्षेत्र के प्रत्येक गांव में सैनिकों से जुड़े अनेकों परिवार हैं। इस क्षेत्र में नौजवानों में सेना में भर्ती होने का परम्परागत आकर्षण है। इस क्षेत्र में सैनिकों ने शहादत देकर हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया। विगत कारगिल युद्ध में भी इस क्षेत्र में 20 सैनिकों ने शहादत दी।

रक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष अप्रैल में नयी योजनानुसार सेना की भर्ती के लिए खुली भर्ती (ओपन रैली) का प्रावधान किया है। परन्तु अभी तक महेन्द्रगढ़ एवं रेवाड़ी जिले में इस प्रकार की एक भी भर्ती रैली का आयोजन नहीं किया गया। जिसके कारण नौजवानों को भर्ती के लिये दूसरे जिलों में जाना पड़ता है जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि कई नौजवान हतोत्साहित भी हो जाते हैं। महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के नौजवानों की भर्ती के लिये इन्हीं जिलों में भर्ती रैली का आयोजन किया जाना चाहिये जिससे इन जिलों में भर्ती दफ्तर न होने की कमी को पूरा किया जा सके। इस क्षेत्र में भर्ती होने की परम्परा को मजबूती मिलेगी। नौजवानों के लिये कैम्प का आयोजन सेना के द्वारा देश सेवा करने के प्रेरणा केन्द्र बनेंगे।

(चार) प्याज और आलू उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शॉवर चन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, देश में पिछले छः माह से आलू और प्याज के उचित दाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं। किसान विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के किसान उचित भाव नहीं मिलने से घाटे की स्थिति में आ गये हैं। किसानों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। सरकार ने प्याज निर्यात का निर्णय लिया किन्तु किसानों को राहत नहीं मिली है। किसानों का भारी शोषण हो रहा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने हेतु सरकार कारगर कदम उठाये।

(पांच) कर्नाटक के परिवाड़ा और तलवाड़ा जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): महोदय, अखिल भारतीय आधार पर जब अनुसूचित जनजाति की सूची को अद्यतन किया गया था, तब कर्नाटक राज्य के 'नायका' समुदाय को इस सूची में सम्मिलित किया गया। किंतु नायका की तरह की अन्य जातियों को इस सूची से बाहर रखा गया है। इसलिए, 1984 में केरल की राज्य सरकार ने यह बात केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई और यह अनुरोध किया कि 'नायका' जैसे अन्य समुदायों जैसे 'परिवाड़ा' और 'तलवाड़ा' को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा जाए। तद्नुसार, सरकार ने 'नायका' जैसे अन्य समुदायों जैसे वाल्मिकी बेडा, नैक, नायाकडा और नायका को इस सूची में सम्मिलित कर लिया। मगर दुर्भाग्यवश 'तलवाड़ा' और 'परिवाड़ा' (राज परिवार) इस सूची में सम्मिलित होने से रह गए। यहां तक कि ये समुदाय अपने बच्चों की शादियां भी उन्हें, 'नायका' समुदाय से ही मानकर करते हैं और उनकी संस्कृति भी एक सी ही हैं। इस बारे मे, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1988 में, कर्नाटक राज्य के कई सांसदों ने, इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करने के लिए, केन्द्र सरकार को ज्ञापन भी दिया था।

इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित न करने से वहां के लोगों में रोष व्याप्त है। इन समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में प्राप्त होने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है।

इसलिए, मैं 'परिवाड़ा' (राज परिवाड़ा) और 'तलवाड़ा' समुदायां को तुरंत अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की मांग करता हूं।

(छह) कालीकट विमान पत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों से उपभोक्ता विकास शुल्क न लिए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, मैं कालीकट विमानपत्तन से जाने वाले यात्रियों से ली जाने वाली 'प्रयोक्ता विकास शुल्क' को वापिस लिए जाने का मुद्दा उठाना चाहूंगा। नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 22.9.1994 के आदेश सं. ए.वी. 20036/8/91 वी.बी. के अनुसार कालीकट विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय विमानों के प्रयोग करने वाले यात्रियों से प्रयोक्ता शुल्क के रूप में प्रति यात्रि 500 रु. लेने का निर्णय लिया गया है। प्रयोक्ता शुल्क 1.10.1995 से ली जा रही है और यह उगाही लगभग छः वर्षों से जारी है। कालीकट विमानपत्तन प्राधिकरण खाड़ी के गरीब मलयालियों से प्रयोक्ता शुल्क के रूप में, प्रति यात्रि 500 रु. की दर से 32 करोड़ रु. की राशि प्राप्त कर चुका है। कालीकट के सिवाए, पूरे भारत के किसी भी विमानपत्तन में प्रयोक्ता शुल्क का ऐसा गैरकानूनी और अतर्कसंगत संग्रह देखने को नहीं मिलता है। आजकल, खाड़ी के मलयालियों को गंभीर वित्तीय संकट और रोजगार सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनसे प्रयोक्ता शुल्क लेना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत। हवाई पट्टी विकास का कार्य अनिश्चितकाल के लिए लंबा खिंच रहा है और यात्रियों पर 500 रु. देने के लिए दबाव पड़ रहा है जबकि इसके विस्तार कार्य में विलंब हो रहा है।

[श्री के. मुरलीधरन]

इसलिए मैं, सरकार से हवाईपट्टी विस्तार के कार्य को शीघ्र निपटाने और प्रयोक्ता विकास के अतिरिक्त शुल्क के संग्रहण को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

(सात) केरल के पालघाट जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, केरल राज्य का पालघाट जिला, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। इस जिले के और अधिक विकास हेतु यहां के कृषकों को सरकार से हर प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय ने अब देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र के गठन की घोषणा की है। वस्तुत: अन्य राज्यों की तुलना में केरल में कृषि विज्ञान केन्द्र कम हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए पालघाट में बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि केरल के पालघाट जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के लिए तुरंत और आवश्य कदम उठाए जाएं।

(आठ) उत्तर प्रदेश में बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चित्रकूटधाम करवी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदा के अंतर्गत चित्रकूटधाम करवी रेलवे स्टेशन मध्य रेल के झांसी मंडल के बांदा सैक्शन में एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। धार्मिक भावना एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रतिदिन यहां बड़ी संख्या में यात्रीगण आते और जाते रहते हैं। प्रति माह अमावस्या के अवसर पर पांच दिनों तक भारी भीड़ रहती है और यात्रियों को ढोने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी हैं। ट्रेनों की कमी के कारण लोगों को मजबूरन छतों पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। इस स्टेशन पर दो ट्रेनें एक साथ खड़ी होती हैं। परंतु दूसरा प्लेटफार्म व तीसरी रेल लाइन (लूप लाइन) नहीं होने के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। बूढ़े-बच्चे-महिलाएं अक्सर चोटे खातें हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों के अंग-भंग होते हैं तथा जानें जाती हैं। कुछ ही दिनों पूर्व 15 जुलाई, 2000 में ट्रेन नं. 5010 से राजकीय रेलवे पुलिस का सरकारी ड्यूटी में कार्यरत एक सिपाही ट्रेन से उतरते समय गिरकर कट गया। उनको तुरंत आर्थिक सहायता दी जाये तथा चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन में एक नई रेल लाइन (लूप लाइन) बनाकर दूसरे प्लेटफार्म तथा पैदल पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए तथा यात्रियों की जान-माल को बचाने हेतु प्रबंध किया जाए।

(नौ) प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुपत्तुर): महोदय, भारत जैसे देश में, जहां भिन्न-भिन्न प्रकार की जातियां और भाषाएं हैं, जहां केन्द्र और राज्यों में चुनी गई लोकतंत्रीय सरकारें हैं, वहां दोनों सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपनी राष्ट्रीय जातियों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें। इसलिए सरकार को मातृभाषा के माध्यम से सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी मातृभाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। बच्चे अपनी सोचने-समझने की प्रक्रिया का विकास, विशेषत: प्राथमिक स्तर पर, केवल अपनी मातृ भाषा में मिलने वाले निर्देशों से ही कर सकते हैं। इसलिए, पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए। तमिलनाडु के नमूने की ही तरह, केन्द्र को भी इस संबंध में पहल करनी चाहिए। सभी प्राथमिक विद्यालयों में मातृ-भाषा में शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस बारे में सभी राज्यों के परामर्श से एक राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए। संपूर्ण देश की सुरक्षा, विभिन्न राष्ट्रीय जातियों और युवा पीढ़ी के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।

(दस) खाद्यान्नों के भंडारण विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए समुचित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर है। देश के किसानों ने, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कड़ी मेहनत और अद्भुत लगन के बल पर न केवल देश की भूख का इंतजाम कर दिखाया है, वरन् देश के भंडारों को भी अतिरिक्त अनाज से भर दिया है। आज देश में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध है परंतु खेद है कि

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

इसके समुचित भंडारण की व्यवस्था का अभाव है। पंजाब और हरियाणा के भंडार अनाज से पटे पड़े हैं। दो माह बाद जब नई फसल धान की आएगी, उसको रखने के लिए इन राज्यों में व्यवस्था नहीं होगी। भंडारण व्यवस्था के अभाव में किसान की मेहनत, उसके अनाज के रूप में नष्ट होती दिखेगी।

अत: मेरा अनुरोध है कि अभी समय रहते पंजाब और हरियाणा राज्यों से अनाज को उठाकर इन राज्यों में भेजने की व्यवस्था की जाए, जहां इसके उपयोग के लिए आवश्यकता है। समय रहते भंडारों को खाली करा लिया जाए, ताकि आगामी फसल पर किसानों के धान की भरपूर खरीद हो सके और उन्हें उनकी मेहनत की पूरी कीमत प्राप्त हो।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में बागमुंडी में टी.वी. ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के पश्चिमी भाग की बांग्लाभाषी जनता कलकत्ता के डी.डी.-7/आसनसोल दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले बंगाली कार्यक्रों को देख नहीं पा रही हैं। बागमुंडी में एक बहुत ही कम शक्ति का ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित किया गया है किंतु यह केन्द्र, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

मैं यह मुद्दा संसद में कई बार उठा चुका हूं। इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि बागमुंडी केन्द्र के अत्यंत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र में परिवर्तित किया जाए।

(बारह) उत्तर बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, तो वरिष्ठ सांसद, नियम, 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों को भी नए सदस्यों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, केवल वरिष्ठता के ही कारण मैं कई बार अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े मामलों को उठा नहीं पाया हूं। सभी मुख्य सचेतकों के साथ यही समस्या है।

एक महीने पहले ही, उत्तरी बंगाल में विकास परिषद् की स्थापना की गई है। उत्तरी बंगाल में गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है क्योंकि वहां अच्छी सड़कों, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण और उद्योग व कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर और मालदा जिलों के संकट की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अनुसूचित जाति समस्या के साथ बेरोजगारी भी एक समस्या के रूप में उठ रही है। पिछले 23 सालों से इस क्षेत्र के खाद्य प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया है! फलस्वरूप उत्तर और दक्षिण के मालदा और दीनाजपुर जिलों में तबाही हुई थी।

केवल राजमार्ग 34 ही कुछ सीमा तक उत्तर-पूर्व और शेष भारत के बीच, बिना नेटवर्क के विस्तार और बिना नियमित रखरखाव के एक गलियारे के रूप में काम कर रहा है। कई स्थानों जैसे सामसी, दलखोला और किशनगंज इत्यादि के रेलवे क्रांसिंग पर पुलों की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और योजना आयोग से अनुरोध कर चुका हूं कि उत्तरी बंगाल की कमियों को जानने और गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न करने वाली समस्याओं पर एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए।

इसलिए, मैं, एक बार फिर सरकार का ध्यान, उत्तर बंगाल के संबंध में नवीं योजना के लिए एक विशेष कार्ययोजना पर दिलाना चाहूंगा और सरकार से मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस स्तर पर इस क्षेत्र में खाद्य प्रबंधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्तरी बंगाल विकास परिषद् को 500 करोड़ रु. का विशेष संसाधन पैकेज प्रदान किया जाए।

अपराह्न 2.25 बजे

बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इम मद सं. 8 पर आते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी अब बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 को विचार करने और उसे पारित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ आबादी का बिहार है और हिन्दुस्तान का दो-तिहाई इतिहास बिहार का इतिहास है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पॉइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, पहले इनको सुन लेते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो विधेयक लाया गया है, इसमें फाइनेन्शियल मैमोरण्डम के संदर्भ में स्पष्ट रूप से रूल 69 कहता है। मैं क्वोट कर रहा हूं:

[अनुवाद]

नियम 65 के उप-नियम (4) के अनुसार:

"अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (2); या नियम 69 या 70 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो।"

महोदय, नियम 69 के अनुसार:

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जाएगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जाएगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका ध्यान उप-नियम 2 की तरफ इसलिए खींचा है क्योंकि:

"अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (2); या नियम 69 या 70 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो।"

नियम 69 के उपनियम में प्रावधान है कि-

"विधेयकों के जिन खंडों या उपबंधों में भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे:"

"परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो अनजाने में मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा जाये, विधेयक का प्रभारी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाएगा।"

इसीलिए मैं इसे सभा की जानकारी में लाया। यह बिल की मूल कापी है और इसमें जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम दिया गया है, उसमें इसकी विस्तार से कहीं कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए मेरी इस नियम के तहत आपत्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाये या ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाये जहां इसकी पूरी जांच हो।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, फाइनेंशियल मेमोरेंडम के संबंध में माननीय नेता श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, उसी पर मैं कहने के लिए खड़ा हुआ था। उन्होंने जो तकनीकी सवाल उठाया है, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन बिहार की विधान सभा और विधान परिषद् ने वित्तीय खर्च के संबंध में संशोधन दिया है कि 1,79,900 करोड़ रुपये बिहार के लिए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इनकी पार्टी के लोगों ने भी दिया है। हम आज सब कागज-पत्र लेकर आये हैं और आज हम उनको ठीक करेंगे। ...*(व्यवधान)* सारे कागज-पत्रों के आधार पर, सारे सबूतों के आधार पर हमारा कहना है कि इससे झारखंड का विकास नहीं होने वाला है बल्कि वह कंगाल रहेगा, बिहार भी कंगाल रहेगा। ये राजनीतिक कारणों से अलग राज्य बना रहे हैं। अगर राजनीतिक कारणों से नहीं बना रहे हैं और विकास के लिए बना रहे हैं तो इतना ही खर्च दे रहे हैं? श्री देवेन्द्र जी ने जो सवाल उठाया है कि वित्तीय ज्ञापन में सब खोलकर रखना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इस विधेयक को वापिस लें और इसे स्टैंडिंग कमेटी, ज्वाइंट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये तभी जनता का कल्याण और देश प्रदेश का हित होगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वित्तीय ज्ञापन में, बिहार विधान सभा द्वारा स्वीकृत पैकेज नहीं है। संकल्प में भी पैकेज है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। चर्चा के समय आप ये मुद्दे उठा सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसमें उस पैकेज पर होने वाले व्यय की शामिल हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, और इसे इस तरह लाया नहीं जाना चाहिए। इसे या तो स्थाई समिति या प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन है कि माननीय सदस्यों द्वारा जो तकनीकी बातें उठायी गयी हैं, सदन की भी यह भावना है, बिहार की जनता की भी यही भावना है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आप इस पर अपनी रूलिंग तो दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम दे देंगे। मिनिस्टर साहब पहले क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम आपसे बात न करके अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, नियम यह है कि इस प्रकार के विधि निर्माण में वित्तीय ज्ञापन अनिवार्य होता है। वास्तव में, यदि वित्तीय ज्ञापन न हो या वह उचित न हो तो विधेयक पर विचार की बात छोड़िए, इसे प्रस्तुत करने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने यह आपत्ति उस समय भी उठाई थी।

अध्यक्ष महोदय : उस समय अध्यक्षपीठ द्वारा आपकी बात सुनी गई थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, बिहार विधान सभा द्वारा सुझाए गए विशेष पैकेज पर बात की गई थी। मैं केवल यही कह सकता हूं कि इन राज्य पुनर्गठन विधेयकों में अब तक लगभग उन्हीं वित्तीय ज्ञापनों को सम्मिलित किया गया है, जैसाकि इसके लिए प्रावधान है। इस विशेष मामले में भारत सरकार ने इस बात को माना कि झारखंड का गठन होने पर, शेष बिहार पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए, पहली बार उद्देश्य और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि:

> "सरकार ने झारखण्ड राज्य की विरचना के परिणामस्वरूप बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों को अनन्यत: निपटाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे-सीधे भारसाधन के अधीन योजना आयोग में एक समर्पित इकाई स्थापित की है।"

शेष बिहार पर विशेष ध्यान देना राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास में पहली बार किया गया है इसलिए जहां तक तकनीकी आपत्ति का प्रश्न है, आप इसके विषय में कोई निर्णय ले सकते हैं और जहां तक धन का प्रश्न है, मैंने इसके विषय में बता दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह स्पष्ट नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर विधेयक को पास करते समय विचार किया जा सकता है, न कि इस समय जबकि मंत्री महोदय विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप ये सभी मुद्दे बहस के दौरान उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं फाईनैंशल मैमोरंडम के बारे में बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैंने मेन आपत्ति फाईनैंशल मैमोरंडम के बारे में उठाई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ये सभी मुद्दे बहस के दौरान उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने अपना विनिर्णय नहीं दिया है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाए या नहीं। आपका इस पर क्या विनिर्णय है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, क्या बिना पैसा खर्च किए राज बंट जाएगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ये सब मुद्दे बहस के दौरान उठायें।

अब, माननीय मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य बात सभा की कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:

> "कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)* अच्छा होता यदि इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया होता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, मैंने पहले ही आपको व्यवस्था संबंधी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न विधेयक के पास करने से संबंधित है न कि इस विचार की स्थिति के समय से। कृपया, आप धारा 69(1) के प्रावधानों को पढ़ें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब, संशोधन संख्या 1—श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि विधेयक को उस पर 29 दिसम्बर, 2000 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (1)

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 2 - श्री विलास मुत्तेमवार - उपस्थित नहीं।

संशोधन संख्या-3 - **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

> "कि विधेयक को उस पर 10 नवम्बर, 2000 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (3)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 4—श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें नौ सदस्य हों, अर्थात्:-
>
> (1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी
>
> (2) श्री अजय चक्रवर्ती
>
> (3) श्री सनत कुमार मंडल

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

(4) श्री रूपचन्द पाल

(5) श्री अमर राय प्रधान

(6) डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

(7) श्री स्वदेश चक्रवर्ती

(8) श्री हन्नान मोल्लाह, और

(9) श्री बसुदेव आचार्य

और उसे बजट सत्र, 2001 के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।" (4)

अध्यक्ष महोदय : अब, संशोधन संख्या 5 – श्री प्रभात सामन्तराय।

श्री प्रभात सामन्तराय (केंद्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्यमान बिहार राज्य और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें नौ सदस्य हों, अर्थात्–

(1) श्री प्रसन्न आचार्य

(2) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(3) श्री बिक्रम केशरी देव

(4) श्री के.पी. सिंह देव

(5) श्री जगन्नाथ मलिक

(6) श्री जुएल उराम

(7) श्री अर्जुन सेठी

(8) श्री भर्तृहरि महताब

(9) श्री प्रभात सामन्तराय

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 6 – श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें नौ सदस्य हों, अर्थात्:–

(1) श्री बसुदेव आचार्य

(2) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(3) श्री स्वदेश चक्रवर्ती

(4) डा. सुशील कुमार इन्दौरा

(5) श्री रूपचन्द पाल

(6) डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

(7) श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(8) श्री मुलायम सिंह यादव; और

(9) श्री रामजीलाल सुमन

और उसे 15 जनवरी, 2001 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।"(6)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 9 – डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 12 सदस्य हों, इस सभा से 8, अर्थात्:–

(1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(2) श्री के.पी. सिंह देव

(3) श्री भर्तृहरि महताब

(4) श्री जगन्नाथ मलिक

(5) श्री जुएल उराम

(6) श्री प्रभात सामन्तराय

(7) श्री अर्जुन सेठी; और

(8) श्री प्रसन्न आचार्य

और राज्य सभा से 4 सदस्य;

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 4 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। (9)

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 10 – श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को उस पर 15 नवम्बर, 2000 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 17, श्री के.पी. सिंह देव।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10, अर्थात्:-

(1) श्री प्रसन्न आचार्य

(2) श्री त्रिलोचन कानूनगो

(3) श्री भर्तृहरि महताब

(4) श्री जगन्नाथ मलिक

(5) श्री हन्नान मोल्लाह

(6) कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद

(7) श्री रूपचन्द पाल

(8) श्रीमती कुमुदिनी पटनायक

(9) डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी

(10) श्री प्रभात सामन्तराय

और राज्य सभा से पांच सदस्य।

[अनुवाद]

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 16 जनवरी, 2001 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। (17)

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 18 – श्री त्रिलोचन कानूनगो।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंगपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

[हिन्दी]

कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें नौ सदस्य हों, अर्थात्:-

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री प्रसन्न आचार्य
3. श्री पद्मनाव बेहरा
4. श्री के.पी. सिंह देव
5. श्री रूपचन्द पाल
6. श्री प्रभुनाथ सिंह
7. श्री रामजीलाल सुमन

8. श्री बेनी प्रसाद वर्मा

9. श्री त्रिलोचन कानूनगो

15 दिसम्बर, 2000 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये। (18)

[हिन्दी]

श्री श्यामस हंसदा (राजमहल): अध्यक्ष जी, जो बिहार पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.36 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

यह जो नया प्रदेश झारखंड बनने का बिल आया है, मैं सरकार को और माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ बिहार के मुख्य मंत्री जी और सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि सारे रास्ते को साफ कर दिया जिससे कल झारखंड राज्य बन सके। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विवाद न उठाया जाये। सब साथ दें जिससे यह झारखंड राज्य बन सके क्योंकि बहुत लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है। कोई आज से नहीं, लगभग आजादी से पहले और उसके बाद से निरन्तर यह संघर्ष वहां के लोगों ने अलग राज्य बनने के लिए किया है। आज मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं, उन नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लम्बे समय तक संघर्ष किया है और जो शहीद हुए हैं, उनको भी आज याद करना चाहता हूं। आज इसमें कुछ त्रुटि रह गई है कि झारखंड राज्य क्यों बनना चाहिए? उन कारणों को कम दर्शाया गया है, उन पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। इसके दो कारण हैं, एक तो राज्य सरकार की भूल की वजह से और दूसरे केन्द्र सरकार की भूल की वजह से है। मैं राज्य सरकार की भूल की चर्चा यहां नहीं करूंगा। मैं केन्द्र सरकार की चर्चा करूंगा। केन्द्र सरकार की चर्चा यहां होनी चाहिए। सरकार सामने है। जो भूल है, वह यह है कि दो खंड मिलाकर झारखंड बनता है। छोटा नागपुर और संथाल परगना, इन दोनों को मिलाने से झारखंड बनता है। छोटा नागपुर और संथाल परगना, दो खंड एक साथ होते हैं। वहां के इलाके में वहां के काश्तकारी अधिनियम में दो कानून चलते हैं, एस.पी. लैंड टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, की चर्चा इसमें कहीं नहीं की गई, उसकी सीमा क्या होगी? पहले की सीमा होगी या कोई नयी सीमा होगी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। वहां का समाज जिस रीति-रिवाज से चलता है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। वहां प्रधान परगना की व्यवस्था से समाज चलता है और वहां पंचायत चुनाव हो या न हो, यह विवाद लम्बे समय से है। उसकी चर्चा होनी चाहिए, वह इसमें नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात केन्द्र सरकार से संबंधित है। नया राज्य जो बनता है और अगर उसमें त्रुटि है तो अगर उसे यथाशीघ्र समाप्त कर दिया गया तो आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगा। वह केन्द्र सरकार से संबंधित है, इसलिए मैं यहां रख रहा हूं। एक डुमका शहर भी है। एक संथाल परगना है उसको रेलमार्ग से नहीं जोड़ा गया है और न ही हजारीबाग को रेल मार्ग से जोड़ा गया है। डुमका, साहेबगंज, पांकुड के लोगों को अठारह घंटे में रांची जाना पड़ता है। रोड के रास्ते से 18 घंटे लगते हैं तब हम वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए वहां तत्काल जिस तरह से पहले चलता था, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाई-कोर्ट की एक ब्रांच रांची में थी, उसी तरह की डुमका में हाई-कोर्ट की एक ब्रांच होनी चाहिए। सरकार को साहेबगंज, पाकुंड, डुमका होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. की व्यवस्था करना चाहिए। आज हम परिवहन की व्यवस्था देखें, वहां बिहार में परिवहन निगम फेल है। अगर यही परिवहन निगम रांची में झारखंड में भी चला आता है तो तबाही हो जाएगी। एक भी बस नहीं चलेगी, एसलिए वहां नये परिवहन निगम की स्थापनी करनी होगी नहीं तो दिक्कत होगी। वहां के लोगों को डुमका से रांची जाने में बहुत दिक्कत होगी। साथ ही साथ अगर हौस्पिटल की बात की जाये तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां इस इलाके का अगर एक भी आदमी बीमार पड़ता है तो या तो वह पटना जाता है या कलकत्ता जाता है। इसमें उसे भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नए राज्य के निर्माण में सरकार को चाहिए कि तत्काल एक मैडिकल कालेज डुमका में खोले, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। उस क्षेत्र में पहाड़ी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके हित में अच्छा होगा कि उन्हें कलकत्ता या पटना न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनना चाहिए विद्युत के बारे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा। बगल में दस किलोमीटर की दूरी पर कोयले से चलने वाले दो ताप बिजली घर-कहलगांव और फरक्का हैं, लेकिन बिजली उनको 1200 किलोमिटर की दूरी से मिलती है। दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी इतनी दूरी से बिजली सप्लाई नहीं होती है। इसलिए तत्काल नजदीक में तीन जगहों-साहिबगंज, पाकुड और डुमका पर बिजली का ग्रिड बनाना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को बिजली मिल सके। ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां पिछले 15 सालों से बिजली नहीं पहुंच रही है, जैसे ग्वारीजोर, पकुड़िया, बरहेट, उधवा महेशपुर और महाराजपुर आदि। इंदिरा जी के समय में मिली, उसके बाद तो मिली ही नहीं। इसलिए ग्रिड स्टेशन का निर्माण होना ही चाहिए। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, साहिबगंज, पाकुड और वर्दवान

[श्री थामस हंसदा]

बीरभूम जिलों में जो रेल गाड़ी चलती थी, वह लूपलाइन के नाम से जानी जाती थी। इन इलाकों में मात्र यही रेल लाइन है और कोई भी ट्रेन नहीं है, जो दिल्ली शहर और बड़े-बड़े मुख्यालयों को जोड़ सके। यह दुर्भाग्य है। पहले 13 अप 14 डाउन मात्र गाड़ी सियालदा से लेकर दानापुर तक, जिसको कभी-कभी मुगलसराय तक बढ़ाकर ले जाते थे, चलती थी। इन कमियों को आपको दूर करना होगा। ये मामले सीधे केन्द्र सरकार से संबंध रखते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार को ही इन त्रुटियों को दूर करना होगा। तत्काल रामपुरहाट से दिल्ली गाड़ी चलाना होगा। अगर आप इन त्रुटियों को दूर कर देते हैं और झारखंड के प्रखण्डों को सुखी देखना चाहते हैं, तो इनको आपकों पैकेज देना होगा। पैकेज उनको मिलना चाहिए, जो भूखा है, उनको नहीं जो पहले से ही हलवा-पूरी खाते हैं। पैकेज नवजात शिशु को मिलना चाहिए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। होना तो यह चाहिए था, इधर झारखंड राज्य की घोषणा होती और उधर रांची से राजधानी ट्रेन चलती, तब बात समझ में आती कि वास्तव में सही मायने में काम हो रहा है।

मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्लेन क्षेत्र के लिए आप 20 हजार रुपए स्वीकृत करते हैं, लेकिन पहाड़ों पर एक ईंट को ले जाने के लिए पांच रुपए देते हैं, तो इतनी राशि में कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग रेट तय करना चाहिए। जहां तक चापाकल का प्रश्न है, समतल में तो 40 फीट में पानी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों पर तो 200 फीट में भी पानी नहीं मिलता है। इसलिए यह राशि भी उस क्षेत्र के अनुसार निश्चित होनी चाहिए। हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास खनिज और कोयले की रायल्टी हमें कोयले के दाम पर दी जानी चाहिए, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

अगर इन खामियों को आप दूर करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना आने वाले दिनों मे आपको जापान की तरह उन्नत दिखाई देगा और सारे हिन्दुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): महोदय, बिहार में दो राज्य बनें, आज इस विधेयक पर हम लोक सभा में चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार का और बिहार की विधान सभा का आभार प्रकट करता हूं। यह मांग आज की नहीं है। यदि इसका हम इतिहास टेखें तो पता चलेगा कि अंग्रेजों के समय में भी इस भाग का शोषण होता रहा है और मांग होती रही है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना में जो आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा था, उससे हमें मुक्ति मिले। आज अगर उसका हिसाब करें तो कम से कम डेढ़ सौ वर्षों से इस क्षेत्र के लोग अपने जंगल, जमीन और संस्कृति के लिए लड़ते रहे हैं। शायद जो दूसरे प्रांत बने हैं वे इतनी लम्बी अवधि तक नहीं लड़े। इस लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो शहीद होते थे उनकी कोई गिनती नहीं करता था। गोली चले, कोई मरे तो उसे कहीं फेंक दिया, जला दिया या कहीं नदी में बहा दिया। इसमें हजारों लोग मरे। आज इतने दिनों की कुर्बानी के बाद झारखंड अस्तित्व में आ रहा है। आज के दिन हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए शहीद हुए।

महोदय, आज हमारे झारखंड क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टिकोणों से आजादी के बाद भी वैसा ही शोषण हो रहा है, जैसा आजादी के पहले होता रहा। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। मैं आपको इसका एक उदाहरण बता दूं कि जब 1999 में सैकेंड्री बोर्ड की परीक्षा हुई तो रांची के एक स्कूल में एक विद्यार्थी परीक्षा देने आया। वह परीक्षा देते समय चोरी कर रहा था जिसे वहां के अध्यापक ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम क्यों चोरी कर रहे हो। विद्यार्थी बड़ा साहसी था, उसने कहा कि सर, हम जिस विद्यालय में तीन साल तक पढ़े वहां भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला संस्कृत का अध्यापक था, यानी भौतिक विज्ञान को पढ़ाने वाले हमारे बिहार में संस्कृत के विद्वान हैं। यह 1999 की बात है। उसी तरह का हमारे यहां आज भी शोषण हो रहा है, इससे वहां के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हमारे यहां आबादी के हिसाब से बजट का 30 और 70 का अनुपात होना चाहिए, यानी झारखंड क्षेत्र में 30 प्रतिशत खर्चा होना चाहिए और शेष बिहार में नॉन प्लान बजट में से 70 प्रतिशत खर्चा होना चाहिए। आज भी बिहार बिजली बोर्ड को जो दस प्रतिशत भाग दिया जाता है, उसे घटा दिया जाए तो हमें सिर्फ 20 प्रतिशत मिलता है। इस तरह से बिहार का रेश्यो आबादी के हिसाब से, झारखंड को 20 प्रतिशत और शेष बिहार को 80 प्रतिशत मिलता है लेकिन उसमें भी विडम्बना है। आप अखबारों में दस साल से देख रहे हैं कि घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं—जैसे चारा घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला, दवाई घोटाला। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर घोटालों पर बहस होगी तो हम भी बताएंगे।...*(व्यवधान)* सब घोटालों का पता चल जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री कड़िया मुण्डा: जो 20 प्रतिशत खर्चा हुआ है, हम उसके आंकड़े बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भी चांस मिलेगा, आप बैठ जाइये।

श्री कड़िया मुण्डा: इस तरह से जो पैसा विकास के कामों पर खर्च होना चाहिए, वह पैसा कागजों में ही खर्च हुआ है, असलियत में नहीं। जिन स्थानों पर वह पैसा खर्च होना चाहिए, उन स्थानों पर खर्च न होकर वह किसी की जेब में चला गया है। इसलिए वहां के लोग काफी नाराज हैं। वहां के दो करोड़ साठ लाख लोगों की मांग है कि अगर हम बिहार से अलग नहीं होंगे तो जिस तरह की आज वहां परिस्थितियां हैं, उसमें हमें वहां से भाग जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वहां की हवा ठीक है, पानी ठीक है, लोग सीधे हैं, मेहनती हैं इसलिए शासक वर्ग और प्रशासक वर्ग भी खूब लूटते हैं। पैसा लेने-देने का स्थान अच्छा है। लेकिन वहां की शासकीय परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। माननीय थॉमस जी कर रहे थे कि हम भूखे मर रहे हैं और बाकी लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबका विकास समान रूप होना चाहिए, ताकि समाज में समरसता रह सके।...*(व्यवधान)* जब छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि आदिवासी बहुल 6 जिलों को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया जाए, ऐसा एक माननीय सदस्य ने कहा था। लेकिन अब अगर आदिवासियों एवं अन्य मूल निवासियों की आबादी का 80 प्रतिशत यह मांग कर रहा है कि हमें अलग कर दो, तो आपको क्यों ऐतराज हो रहा है। ऐसी मांग करके वे क्या बुरा कर रहे हैं। जितने भी लोग एम.पी. या एम.एल.ए. बनते हैं वे जब पटना जाते हैं तो उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार होता है। रूम के अंदर वे घुस नहीं सकते हैं। वहां जो मंत्री बनाये गये हैं उनमें कोई दवा वाला, कोई चारे वाला कोई आदिवासी कल्याण वाला है। *क्या आदिवासी कल्याण मंत्री के ही योग्य हैं। सब* विभाग ऐसे ही दिये गये हैं। बाकी जितने बड़े-बड़े विभाग हैं वे उनको नहीं मिलते हैं। पी.डब्ल्यू.डी. का कोई मंत्री हमारे में से नहीं है।...*(व्यवधान)* वहां हर स्तर पर, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, हमारी उपेक्षा हो रही है। आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारी वहां उपेक्षा हो रही है। झारखंड इलाके से एक ही मुख्यमंत्री माननीय कृष्ण वल्लभ सहाय जी हुए हैं और कोई नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* आज जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी योग्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन किसी को नहीं बनाया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): पंडित विनोदानंद झा और माननीय भागवत झा आजाद जी का भी नाम आप जोड़ लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया साथ-साथ मत बोलिए। यह काफी गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : ठीक है, स्व. विनोदानंद झा एवं भागवत झा आजाद का जन्म क्षेत्र झारखंड है परन्तु कार्यक्षेत्र नहीं। मेरा कहना है कि वहां के लोग पटना जाकर क्यों झंडा उठाते रहें। क्या वहां के लोग योग्य नहीं हैं। बिहार और झारखंड का इलाका एक ही है, तो झारखंड क्षेत्र से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं। इस तरह से वहां के लोगों का राजनीतिक शोषण अब तक बराबर होता रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। सिवाय श्री कड़िया मुण्डा के भाषण के।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : इसलिए वहां के लोगों की जो अलग राज्य के लिए मांग है वह ठीक है।

राज्य निर्माण की जो शर्तें होनी चाहिए वे झारखंड इलाकों में पूर्ण हैं। वहां राज्यपाल का भवन है। वहां एक जमाने में ग्रीष्मकाल में विधान सभा का अधिवेशन होता था। वहां असेम्बली, मिनी सचिवालय और ए.जी. का ऑफिस है। जो आज भी रांची में है लेकिन बाद में उसका कुछ भाग पटना ने ले लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री का निवास है, मंत्रियों का निवास है। पैसे का जहां तक सवाल है, आज भी बिहार को जितनी आमदनी होती है, उसका 80 प्रतिशत भाग झारखंड इलाके से आता है। हम आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से जितना सीमा क्षेत्र होना चाहिए, उसमें हम शेष बिहार से थोड़े कम होंगे। आबादी के हिसाब से हम दो करोड़ 60 लाख हैं। जो बहुत से राज्य बने हैं और जिनकी आबादी लगभग दस लाख से एक करोड़ के बीच है, हम आबादी के हिसाब से उससे कहीं अधिक हैं।

जहां तक सामाजिक समरसता की बात है, वहां के लोग मिल-जुल कर रहते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जातीय झगड़े और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कड़िया मुण्डा]

छोटे-बड़े के बीच झगड़े नहीं होते हैं। हम साथ-साथ खेत में काम करते हैं, बाजार जाते हैं, और शादी-ब्याह के समय एक साथ बैठकर मिल-जुल कर काम करते हैं। नए राज्य बनाने की मांग हर दृष्टिकोण से उचित है और इसे मान लेना चाहिए। कुछ लोग विशेष पैकेज की बात कह रहे हैं। यह कितना उचित और अनुचित है, यह केन्द्र की सरकार बताएगी। हम सारे बिहार को पचास साल तक खिलाते रहे। हम उस दृष्टिकोण से कितने अक्षम हो गए हैं क्या इसकी भी किसी को चिंता है? सरकार उन्हें पैकेज दे, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। वह जितना मांगे, उतना दे, उसका आधा दे या पूरा दें, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे साथ 50 साल तक अन्याय होता रहा, इस पर भी विचार होना चाहिए। पहले हमारे क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की बहाली प्रमंडल और जिला स्तर पर होती थी। नवम्बर 1995 में बिहार में एक कानून बना कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली पटना से होगी। हमारे गांव का आदमी पटना जाएगा तो किस कोने में खो जाएगा, पता नहीं? इतना ही नहीं एक साल पहले शिक्षकों के इंटरव्यू हुए। हमारे यहां के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ा। वे इंटरव्यू दरभंगा और आरा में हुए। पता नहीं वे लोग वहां पहुंचे या नहीं? शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी हमारे साथ शोषण कम नहीं हुआ। इस बिल का समर्थन करते हुए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि हम आर्थिक, भौगोलिक और आबादी के दृष्टिकोण से कम नहीं हैं। नया राज्य बनाने के लिए हमारा क्षेत्र सभी दृष्टिकोणों से सही है इसलिए इस बिल को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। आज उस क्षेत्र के लोग हमारी ओर देख रहे हैं। उनको लगे कि दिल्ली की सरकार और जन प्रतिनिधि हमारी चिन्ता करते हैं, हमारी मांग को सुनते हैं, विचार करते हैं और उनकी हमारे प्रति सहानुभूति है। उनको ऐसा न लगे कि हम उनके ऊपर उल्टा प्रहार कर रहे हैं। हमें साथ रहना है, साथ-साथ आना-जाना है। बहुत से मित्रों के साथ हमारे रिश्ते हैं। हमें बाद में भी आना-जाना है। इस दृष्टिकोण से सहृदयता से विचार करते हुए इस विधेयक को पास करें। मैं अंत में केन्द्र सरकार, बिहार विधान सभा और सांसदों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जय भारत।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सुबोध राय (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है और खासकर देश के एक बड़े भू-भाग बिहारवासियों के लिए यह मामला बहुत ही गंभीर है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक का मैं पुरजोर विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि यह बिहार की जनता के हित, हमारे राष्ट्र के हित और खुद दक्षिणी बिहार की जनता के हित में नहीं है। वहां की जनता बहुत बड़े पैमाने पर शोषित है, जो दलित है, गरीब है, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हित में नहीं है। यहां जिन मांगों की चर्चा की गई है, उनके बारे में पिछले काफी समय से आवाज उठती रही है लेकिन कौन नहीं जानता कि जब आजादी का संग्राम शुरू हुआ था तो दक्षिणी बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में बिरसा मुण्डा, सिद्धू कानू जैसे लोगों ने भाग लिया था। उस संघर्ष में लाखों आदिवासियों, लाखों दलितों, अल्पसंख्यकों ने, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना झकझोर रही थी, जो साम्राज्यवाद शोषण से चीत्कार रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। इसमें उन लोगों ने कुर्बानियां दी थीं। उन लोगों के मन में यह इच्छा कभी नहीं थी कि पूरे बिहार के लोगों से अलग रहकर या उनसे हटकर कोई काम करें। वे लोग तो अंग्रेजी दासता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वे उन लोगों के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे थे। जो अंग्रेजी दासता को मजबूत बनाने के लिये, जो शोषण को मजबूत कर रहे थे, बड़े-बड़े भूस्वामी जो सूदखोर और महाजन थे, जो गरीब का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन लोगों ने अपने संघर्ष का ऐलान तब किया जब उनके खिलाफ शोषण और उत्पीड़न बढ़ गया था। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जब इनकी जमीनें छीनने का काम किया गया, बड़े-बड़े सरमायेदार जिन्होंने शोषण और अत्याचारों की वारदातें की थीं, उनके खिलाफ यह संघर्ष किया गया। यह हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक परम्परा है जो न केवल सम्पूर्ण बिहार बल्कि पूरे भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है और लिखी जाएगी। हम उस पर गौरवान्वित हैं। आज इस विधेयक से इतिहास के उस पन्ने को हटाने की बात की जा रही है, इतिहास की उस परम्परा को समाप्त करने की बात की जा रही है। इसलिये बिहार के गरीब, दलित, शोषित तथा पीड़ित लोग मिलकर अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की वे ताकतें जो किसी न किसी बहाने हमारे देश की आजादी को पसंद नहीं करतीं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को पसंद नहीं करतीं और देश के अंदर तमाम गरीबों पर शोषण और उत्पीड़न का साम्राज्य कायम करना चाहती हैं, ऐसे तत्व देश में साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं, जो जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीयता और अलगाववाद का नारा लगाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनके द्वारा देश की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है।

यह बिल उन्हीं के लिये लाया गया है और इसीलिए आज यह चिन्ता नहीं है कि उन इलाकों के गरीबों का क्या होगा। इस बात को कौन नहीं जानता कि आज बड़ी संख्या में वहां के आदिवासी विस्थापित हुए हैं। छोटी-मोटी या बड़ी-बड़ी उन तमाम योजनाओं के शिकार वहां के हमारे गरीब आदिवासी, गैर-आदिवासी भाई हुए हैं। उनके विस्थापन की समस्या के बारे में आज कोई बात नहीं कही गई। बड़े पैमाने पर आज वहां माफियाओं का राज है, जो कोल माफिया के नाम से जाने जाते हैं, जो जंगल माफिया के नाम से जाने जाते हैं। जो अपनी पूंजी का प्रसार करने के लिए वहां की तमाम प्राकृतिक सम्पदा को हासिल करने पर अपनी नजरें गड़ायें हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से भारत सरकार ने आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने का काम किया है, इस नये राज्य की स्थापना आज उसकी मांग है, नवधनाढ्य वर्ग की मांग है क्योंकि नये राज्य की स्थापना के बाद सबसे ज्यादा लाभान्वित होने का अवसर उन्हीं का है और इसीलिए वे इस तरह की मांगों के पीछे ज्यादा दीवाने हो गये हैं। आज इसकी चिंता किसी को नहीं है कि कितने आदिवासी और गरीब भूमिहीन हो गये हैं। आज जंगलों से उनका अधिकार किस तरह से समाप्त हुआ है। किस तरह से उनकी मां-बहनें आज भी शोषण की शिकार होकर बिहार के दूसरे इलाकों में, चाहे ईंट का भट्ठा हो या कोई और जगह हो, मेहनत-मजदूरी करती हैं। उन्हें हर तरह का काम अपनी जिंदगी को बिताने के लिए करना पड़ता है। उनकी चिंता किसी को नहीं है। आज बिहार के गरीबों की भी चिंता नहीं है। आज अचानक भारत सरकार को चिंता हो गई कि नया राज्य बनना चाहिए। लेकिन भारत सरकार को इस बात की कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार में 68 लाख एकड़ जमीन प्रतिवर्ष बाढ़ से तबाह हो जाती है। यदि नेपाल की नदियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बाढ़ की तबाही अनन्तकाल तक जारी रहेगी। भारत सरकार को आज तक कभी चिंता नहीं हुई कि 68 लाख एकड़ जमीन, जो बिहार के लोगों के लिए सोना उगलने का काम करती है, वह क्यों तबाह और बरबाद होती है। क्यों हर साल तबाही का आलम बिहारवासियों को भोगना पड़ता है। उसके बारे में किसी को कुछ चिंता नहीं है। आज बिहार में बड़े पैमाने पर अनेकों परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं, जिनमें केन्द्र सरकार को सबसे ज्यादा भूमिका निभाने की जरूरत थी, उन्हें आज तक क्यों उपेक्षित रखा गया। क्यों आज बिहार के अनेकों जिले, खासतौर से जो पूर्वांचल के जिले हैं, दक्षिणांचल के जिले हैं, मिथिलांचल के जिले हैं और दूसरे जिले हैं, जहां भारत सरकार की परियोजनाएं चलती हैं, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने वहां कोई भी काम नहीं किया। ऐसी कोई भी योजना नहीं दी, जिससे बिहार के लोगों को आज संतोष होता, लाभ होता। भारत सरकार को इस मामले में आज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी हंसी आती है। हमारे कुछ मित्र थोड़ा सा विरोध करके ऐसे बैठ गये जैसे लगा कि उन्होंने रस्म अदायगी कर देने का काम किया हो। उन्होंने बिहार के लिए पैकेज की मांग की। उन्होंने 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की। आप किस तरह से यह पैकेज मांग रहे हैं। जो सरकार खुद कर्जों से घिरी हुई है, जो सरकार स्वयं देशी-विदेशी कर्जों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जो सरकार स्वयं दीन-हीन बनी हुई है, क्या वह सरकार बिहार की दरिद्रता, बिहार की विपन्नता के लिए नीतियों को गढ़ सकती है। उन्हें दूर करने के लिए, कोई मजबूत कदम उठाने की इच्छाशक्ति उसमें नहीं है। बिहारवासियों को यह छलावा और मत दिखाओ।

मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए दक्षिण बिहार के उन इलाकों में, जिनमें रांची है, हजारीबाग है और चतरा के जंगल और पठार के इलाके हैं, वहां लगभग 1230 किलोमीटर जो उत्तर कर्णपुरा घाटी के हिस्से हैं, उसमें पूरे देश का 8 प्रतिशत कोयले का भंडार अभी भी पड़ा हुआ है। आज उस पर किसकी निगाह है? आज उस पर निगाह है बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल और साम्राज्यवादी कंपनियों की और वह किसके सहयोग से यहां आना चाहती हैं? आज पूरे कोयलांचल में मल्टीनेशनल्स को लाने का और निजीकरण करने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, वह क्या वहां की गरीबी, वहां की तबाही और बरबादी को और बढ़ाने वाला नहीं होगा? पूरे देश के एक हिस्से के लोगों की जिन्दगी के साथ वह क्या और खिलवाड़ करने वाला नहीं होगा? यह जो बिल है, इसमें वहां के आदिवासियों की समस्या, जो उनकी भाषा की समस्या है, जो वहां की संस्कृति की समस्या है, जो उनके रस्मोरिवाज की समस्या है, उनकी सुरक्षा की बात, उसकी अस्मिता की रक्षा की बात नहीं कही गई है। किसी को उसकी चिन्ता नहीं है क्योंकि जब हिन्दुत्व के एजेण्डा को लागू करना है तो दूसरी कोई भी संस्कृति, कोई भी दूसरा रस्मोरिवाज के वहां पनपने की बात नहीं हो सकती और इसलिए यह भाजपा की अच्छी तरह से सोची समझी नीति के तहत राज्यों के बंटवारे का काम किया जा रहा है। यह ऐसी समस्या है जो हर तरह से अच्छा वातावरण तैयार नहीं करेगी। यह बिल और ज्यादा क्षेत्रीयतावाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा और अनेक तरह की उन शक्तियों को मैदान में लाने का काम करेगा जिनकी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यह बिल पेश किया गया है, हमारे बहुत से साथियों ने इसका विरोध किया है, उस विरोध को

[श्री सुबोध राय]

देखते हुए, पूरी गंभीरता से इसमें बातें की जानी चाहिए और इस बिल को वापस करने की बात करनी चाहिए क्योंकि इससे कोई नई और स्वस्थ परंपरा कायम नहीं हो रही है। इससे पूरी तरह से गलत परंपरा कायम हो रही है। इससे साम्प्रदायिक ताकतों को, क्षेत्रीयवादी ताकतों को और ज्यादा मजबूत होने का मौका मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, आज का दिन बिहार के इतिहास के पन्नों में एक नया पन्ना जोड़ने वाला दिन है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का इतिहास स्वयं गौरवमयी रहा है। बिहार का इतिहास, चाहे वह देवी-देवताओं के मामले में लें, ऋषियों मुनियों या तपस्वियों की चर्चा करें, चाहे तीर्थंकरों की चर्चा करें, गौतम और महावीर का वह स्थान रहा है। बिहार का वैशाली तो प्रजातंत्र की जननी जन्मभूमि है। आज बिहार के जिस बंटवारे की चर्चा हम कर रहे हैं, उससे बिहार के इतिहास में हम एक नया पृष्ठ जोड़ने जा रहे हैं।

हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि वैसे तो मानसिक तौर पर हम राज्यों के बंटवारे के बहुत पहले से विरोधी रहे हैं। बिहार विधान सभा में भी कई बार सदस्य रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जब भी विधान सभा में इस सवाल पर चर्चा चली है, मैंने हृदय से बंटवारे का विरोध किया है।

मैंने दिल से बंटवारे का विरोध किया है लेकिन जिस दल से मैं हूं, जब उस समता पार्टी की संसदीय बैठक हुई, नीतीश जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने उस बैठक में कहा कि बिहार बंटवारे पर हमारे दल को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हम बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार के लिए विशेष पैकेज लेंगे। उनके नेतृत्व में, जार्ज फर्नान्डीज साहब के नेतृत्व में 12वीं लोक सभा के समय हम सब सांसद प्रधान मंत्री जी से मिलने गये। उनके सामने हमने अपने दुख-दर्द को रखा। हमने उन्हें कहा कि शेष बिहार के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए और शेष बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए आप हमें 50 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दें ताकि शेष बिहार के लोग भी खुशहाल रहें। इसके बाद आप झारखंड या वनांचल जो भी राज्य बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी सहमति है। हमने उस पर अपनी सहमति दी थी और उसी सहमति के आधार पर इस सदन में यह बिल आया है। हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन शर्त के साथ। हमारी शर्त है और शर्त कोई मुफ्त में नहीं है। शर्त कोई बनावटी नहीं है। यह हृदय की पीड़ा है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि

हमने उस धरती पर जन्म लिया है। हमने नंगे पैर अपना बचपन वहां गंवाया है। हमारी जवानी उस धरती पर आई है और आज हम सांसद भी बने हैं तो वह भी उस धरती की देन है। वहां के लोगों का आशीर्वाद और कृपा है। इसलिए हम उनकी भावना को जानते हैं।

मेरा कहना है कि झारखंड का जो इलाका है, वह बिहार का हृदय है। इस झारखंड का महत्व आज से नहीं है बल्कि त्रेता समय से है। जिस समय पांडव भटक रहे थे और श्रीकृष्ण पांच गांव मांगने गये थे उस समय उन्होंने कहा था कि झारखंड तिरहुत को दीजिए, पटना को दे दीजिए राजन, पढ़ने को काशी दे दीजिए और बैठने को हस्तिनापुर राजन। मेरा कहना है कि झारखंड का महत्व उस जमाने से चला आ रहा है। यह हमारा हृदय है। आज हमारे शरीर से हमारा हृदय अलग होने जा रहा है। हमें इस बात की पीड़ा है। नई पीड़ा का सवाल नहीं है। लेकिन बावजूद हमने इस बंटवारे का समर्थन किया है और वह भी शर्त के साथ किया है।

हमारे कांग्रेस के एक साथी बोल रहे थे कि वहां शोषण हुआ है। उन लोगों को पीड़ा हुई है इसलिए उन लोगों को अलग से विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि विशेष पैकेज मुझे मिलना चाहिए और वह क्यों मिलना चाहिए, यह भी मैं आपको बता दूं। बिहार की यह धरती देवघर जहां भोलेनाथ निवास करते हैं, वहां देश विदेश से 15 से 20 लाख की संख्या इसी सावन महीने में कांवर लेकर आशीर्वाद लेने जाते हैं। उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। कल हम इस देवघर में जायेंगे जो कि हमारे महादेव का स्थान है, तो हम झारखंड में जायेंगे। अब हम बिहार में नहीं जा सकते। वह भी आज हमारे हाथ से जा रहा है जो कि हमारे हृदय की जगह थी। आज हम चिन्न मस्तिका के पूजा करने के लिए हजारीबाग जाते थे। कल तक हम वहां मां का दर्शन करने जाते थे। मां के आंचल से ममता पाने जाते थे लेकिन अब हम वहां जायेंगे तो हम बिहार में नहीं जायेंगे बल्कि झारखंड में एक देवी की पूजा करने के लिए जायेंगे।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार 55 जिलों का राज्य है। 55 जिलों में से 18 जिलों का आप एक अलग राज्य झारखंड बनाने जा रहे हैं। बाकी जो 37 जिले हैं, वे शेष बिहार में हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी 863.74 लाख है जिसमें से 218.44 लाख की जनसंख्या आप बिहार में शामिल करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह 1991 की जनगणना है। यदि आप आज जनगणना करायें तो बिहार की

आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। जो हिस्सा आपने शेष बिहार के लिए छोड़ा है, उन हिस्सों की आबादी बढ़ी है और जिनको आप झारखंड बनाने जा रहे हैं, उनकी आबादी घटी है। हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि इस आबादी के आधार पर, बिहार में पूर्व में जो धन गया चाहे वह केन्द्र से गया हो या उस राज्य के जो मुखिया बने, उस सूबे के सूबेदार बने, वहां के मुख्यमंत्री बने, जैसा हमारे एक साथी ने यह बात ठीक कही कि मात्र उस इलाके से एक श्री के.बी. सहाय को छोड़कर दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था।

आप बाबू विनोदानन्द जी का नाम ले रहे थे, लेकिन विनोदानन्द जी देवधर में पैदा हुए थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र कहीं दूसरी जगह था। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि मात्र एक मुख्य मंत्री बने थे। उनकी बात में सच्चाई है लेकिन आपको इस सच्चाई को भी देखना पड़ेगा कि जितने भी मुख्य मंत्री उत्तर बिहार और मध्य बिहार के बने, कितनी ईमानदारी के साथ बिहार का ज्यादा से ज्यादा धन उन्होंने झारखंड इलाके में खर्च किया। उनकी ईमानदारी पर आपको बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कहीं कोई कोताही नहीं की। केन्द्र का जो भी पैसा गया, उसका विशेष भाग आदिवासी विकास के नाम पर उस इलाके में गया और शेष बिहार का हिस्सा, उस दिन भी मारा गया। बड़े-बड़े जो उद्योग धन्धे वहां लगाए गए, चाहे वह बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे हतिया का प्लांट हो, निजी तौर पर जो कारखाने लगाए गए, चाहे वह टाटा में लगे हों, सारे कारखाने उसी इलाके में लगाए गए। वे उस समय झारखंड करके नहीं लगाए गए थे, उस दिन बिहार के नाम पर लगाए गए थे। बिहार का सारा धन बिहार पर खर्च हुआ था। आज वह हमारा हृदय हमसे अलग हो रहा है।

इस बिल की पेज संख्या 43 देखिए। बिहार के नाम पर जो संस्थाएं खोलीं गईं, हम चाहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी उनको जरा एक नजर से देख लें। बी.आई.टी. सिन्दरी, आर.आई.टी. जमशेदपुर, राजकीय पॉलीटैकनिक, धनबाद, राजकीय पॉलीटैकनिक, रांची, राजकीय पॉलीटैकनिक, आदित्यपुर, राजकीय पॉलीटैकनिक, खुतरी, राजकीय पॉलीटैकनिक, लतेहर, राजकीय महिला पॉलीटैकनिक, जमशेदपुर, राजकीय महिला पॉलीटैकनीक, रांची, राजकीय महिला पॉलीटैकनीक, बोकारो, खान संस्थान, धनबाद, खान संस्थान, बाघा, खान संस्थान, कोडरमा, राजकीय पॉलीटैकनीक, दुमका, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, रांची, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, हजारीबाग, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, डाल्टेनगंज, सैनिक विद्यालय, तिलैया, नेतरहाट विद्यालय, इन्दिरा गांधी कन्या विद्यालय, हजारीबाग - ये सब उसी झारखंड में हैं। हम गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि हमने अपने जिस हृदय को बिहार के नाम पर सींचा था, बनाया था, आज हमारा हृदय हमसे अलग होने जा रहा है, अब हमें नया बिहार बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमें विशेष पैकेज की जरूरत है और यही इन्साफ है कि हमें आप विशेष पैकेज दीजिए जिससे हम अपने बिहार को संवार सकें, बना सकें।

गृह मंत्री जी ने कहा था कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने शेष बिहार के लिए व्यवस्था की है। इस बिल में लिखा हुआ है-सरकार ने झारखंड राज्य की विरचना के परिणामस्वरूप बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों को अनन्यत: निपटाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे भारसाधन के अधीन योजना आयोग में एक समर्पित इकाई स्थापित की है। जो समर्पित इकाई स्थापित हुई है, हम कहना चाहते हैं कि यह बिल पिछले सत्र में भी आया था। चार महीने में योजना आयोग की समर्पित इकाई ने उस बिहार के लिए कौन सा काम किया। यदि कोई काम किया था तो इसमें क्यों नहीं दर्शाया गया। हम चाहते थे कि इसमें आप दो पंक्तियां और जोड़ देते, आपकी बड़ी कृपा होती। आप यह जोड़ देते कि हमें क्या पैकेज देने जा रहे हैं और कितने समय में देने जा रहे हैं। हम आपके आभारी होते। हम आपके आदेश को मान रहे हैं, आप हमारी भावनाओं और पीड़ा को समझिए। हम अपनी भावना और पीड़ा, व्यथा आपके बीच रख रहे हैं कि कल जिस तरह से हमारे एक हिस्से को आप खुशहाल बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे हाथ में खाली कटोरा मत रखिए कि हम दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने का काम करें। आज बिहार के लोग आसाम, बंगाल, गुजरात और दिल्ली में आकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इसका कारण यह है कि वह शेष बिहार प्राकृतिक विपदाओं से मारा हुआ इलाका है। एक तरफ जहां मोतीहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी, इधर दरभंगा, मधुबनी तक बाढ़ से प्रभावित है, किसानों की सालभर की पूंजी, मेहनत कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, वहीं उत्तर बिहार का छपरा, सीवान, गोपालगंज, वैशाली ये सब इलाके बिल्कुल जल जमाव से प्रभावित होते हैं।

किसान अपना परिश्रम और पूंजी लगाकर कुछ नहीं पा सकते, वहीं दूसरा भाग गया और पहाड़ी इलाका है जहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। वहीं जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद तक आज वहां नर संहारों की भरमार चल रही है। वहां के लोग आज अपने घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जीविका चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप हमारी भावनाओं को समझिए और भावनाओं के अनुरूप अपने से भी कहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें इतना दीजिए, बिहारवासियों की भानाओं को समझिए और भावनाओं के अनुरूप समीक्षा कीजिए। शेष बिहार के लिए व्यवस्था कीजिए

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

ताकि वहां के लोग कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर न हों। हमारी नजर में कुछ त्रुटियां जाने-अनजाने में रह गई हैं। पेज संख्या 26 और 27 को देखा जाये। जिस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है, हमें लगता है कि भौगोलिक त्रुटियां हुई हैं। इसलिए कि जहां देवगढ़ को बांका से निकाला गया है, वहीं मुंगेर, गया को जोड़ देने से सात विधान सभा पर एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा और सात विधान सभा के ऊपर एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाने की वजह से वहां के प्रतिनिधि को कठिनाई नहीं पड़ेगी लेकिन अन्य तरह की कठिनाई भी सामने आएगी। इसी तरह औरंगाबाद में इमामगंज जुड़ा हुआ है और इमामगंज और ओबरा की दूरी 125 कि.मी. है। यह हमें ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि किस भौगोलिक दृष्टिकोण से इमामगंज को औरंगाबाद में जोड़ा है। इसी तरह नवादा को देखिये। नवादा में फतेहपुर को भी जोड़ा गया। वह नवादा सात विधान सभा क्षेत्र का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा और वहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ...*(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वे इसे दिखवा रहे हैं जो पांच-पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पर भी हो गये हैं। ये औरंगाबाद, नवादा, गया और मुंगेर है जो सात-सात पर हो गये हैं और पांच पर चतरा, हजारीबाग, भागलपुर हैं। हम यह मानते हैं कि कहीं न कहीं से भौगोलिक त्रुटियां हो गई हैं। हम चाहते हैं कि इसे गंभीरता से दिखवा लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड, जिसमें पूंजी लगी है और आप देखेंगे कि 28 चीनी मिलें वहां पहले से कार्यरत थी जिनमें से 18 में ताला लग चुका है बल्कि बंद हो चुकी हैं और दस लगभग बंदी के कगार पर हैं। उद्योग धंधे के नाम पर वहां शून्यता है। बरौनी में भी कारखाने बंदी के कगार पर जा चुके हैं। इसी तरह छतरा जिले में महौड़ा जगह थी जहां चीनी मिल थी, डिस्टिलरी थी, वे सब बंद हो गई हैं और वहां के लोग असहाय हो गये हैं। लाखों-लाखों परिवार जो नौकरी चलाकर जीविका चलाते थे, आज वे बेरोजगार हो गये हैं, भुखमरी के शिकार हो गये हैं और दिल्ली में 1200 रुपये, 1500 रुपये की नौकरी से अपनी जीविका चला रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली कितना महंगा शहर है और दिल्ली में 1200 और 1500 रुपये महीना कमाने वाला अपनी जीविका कैसे चला रहा होगा, इस पर आप गंभीरता से सोचिए। मैं खासकर बिहार के 54 सांसदों से निवेदन करूंगा कि वे इस भावना से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराये ताकि सरकार शेष बिहार की भावना को महसूस कर सके और महसूस करके उसका सही हक और हिस्सा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इस झारखंड बिल का समर्थन करता हूं और हमें विश्वास है कि आज माननीय गृह मंत्री जी अपने

वक्तव्य में हमें आश्वस्त करेंगे कि वे हमारी इन बातों पर गंभीरता से चिंतन करके हमें विशेष पैकेज देने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय डी.एम.के. पार्टी की ओर से, मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 के संबंध में निम्न निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं। कल, जब गृह मंत्री उत्तरांचल के गठन पर उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण हुई हैं। अब, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक में आम लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं। मेरी भावना यह रही है कि लोगों की भावनाएं हैं: जीविका के लिए पर्याप्त साधन, अन्न, आवास और रोजगार। यदि हम लोगों की यह आकांक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो, ने राज्य बनाने का क्या उपयोग है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नए राज्यों के गठन के साथ ही, लोगों की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उन्हें इस संशोधन से रोजगार हासलि होगा? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भविष्य में लोगों को अन्न, आवास, रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त होंगे। भविष्य अनिश्चित है।

50 वर्ष पूर्व, हमारे नेता स्वर्गीय अन्ना ने अलग 'द्रविड़ नाडु' की मांग की थी। भारत-चीन युद्ध के दौरान, उन्होंने यह मांग छोड़ दी। अपनी मांग के समर्थन में, उन्होंने राज्य सभा में कहा था कि 'पूर्वोत्तर' तरक्की कर रहा है परंतु 'दक्षिण' नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक के नेताओं में वही एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की एक ही भावना है तो, नए राज्यों के गठन की मांग क्यों उठ रही है? हम ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के लोगों का पक्का दृष्टिकोण है कि यदि वर्तमान राज्यों को ही ठीक ढंग से प्रशासित किया जाए और यदि वर्तमान राज्य ही लोगों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह कर पाए, यही पर्याप्त है। वर्तमान राज्य लोगों के जान और माल की रक्षा और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में असफल रहा है। इसलिए, मैं यह कहता हूं कि यह विधेयक राजनैतिक पैंतरेबाजी है। राजनैतिक रूप से विचार किया जाए तो, ये विधेयक इस सभा में कुछ वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने के लिए लाया जा रहा है। हम इस विधेयक को पारित कराने के लिए विघटनकारी भावनाओं और विभाजन की प्रवृत्तियों को उकसा रहे हैं।

मैं उत्तरांचल और झारखंड के बारे में नहीं जानता सिवाय इसके कि मैंने श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान

झारखंड से संबधित मामले के संबंध में पढ़ा था। बस इतना ही। परंतु कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यह इस देश के प्रत्येक नागरिक का है। श्री प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि वे बिहार की भूमि में जन्मे हैं। मेरी भी यही भावना है कि मैं इस राज्य की भूमि का हिस्सा हूं। भूमि एक ही है। यह सभी भारतीय भूमि है। बिहार भूमि या झारखंड भूमि न ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भूमि जैसी कोई चीज नहीं है। सभी भूमि इस देश के प्रत्येक नागरिक की है। इसी अखंडता की भावना के साथ, मैं यह कहता हूं कि वरिष्ठ नेता या राजनीतिक जैसे कि गृह मंत्री, श्री एल.के. आडवाणी, को अपने कार्यकाल के दौरान इन विधेयकों को नहीं लाना चाहिए था। यदि इस विधेयक पर चर्चा की अनुमति दे दी गई, और पारित किया गया तो, अगले दस वर्षों में भारत में हजारों राज्य होंगे। भारत एक नहीं रह पाएगा। यह विखण्डित हो जायेगा। अब, सीमांत राज्यों में, पाकिस्तान और चीन हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए, स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, मैं गृह मंत्री से यह अपील करना चाहता हूँ कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है वे इस विधेयक को वापस ले सकते हैं।

महोदय, राज्यों को विभाजित और उप विभाजित करने से हमारा देश मजबूत नहीं होगा। चेकोस्लोवाकिया या सोवियत रशिया अलग है, उनकी जनता अलग है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 17 करोड़ और बिहार की दस करोड़ है। इसे क्यों विखण्डित किया जाए? दूरी ऐसा करने का कोई मापदण्ड नहीं है।

कल, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक भाग से दूसरे भाग पर प्रशासन करना कठिन हो जाता है। यदि कन्याकुमारी से कोई संसद सदस्य चुना जाता है तो, क्या इसका यह अर्थ हुआ कि संसद को उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया जाए? नहीं। हमें एक अखण्ड भारत चाहिए। इस अखण्ड भारत के लिए, इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है।

इस परिस्थिति में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा यह दृढ़ विचार है कि राज्यों में शक्तियों का अंतरण किया जाए। राज्यों के मध्य एकता हो। कल मैंने यह कहा था और आज इसी बात पर जोर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 370 के संबंध में भी, यदि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर में मान्य है, तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों और विशेषाधिकारों को सभी राज्यों को दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक राज्य स्वतंत्र हो। किसी एक राज्य के लिए अलग संविधान क्यों हो? क्यों नहीं प्रत्येक राज्यों के लिए एक संविधान मान्य किया जाए? इसी तरह सभी राज्यों पर समान रूप से विचार किया जाए। एक ही राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त न हो। इसलिए इस आधार पर हम बिहार पुनर्गठन विधेयक का विरोध करते हैं। हमारे दिल में व्यक्तिगत रूप से किसी के भी प्रति कुछ नहीं है। 1985 में पटना में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सम्मिलित होने के अलावा, हम झारखंड समस्या के बारे में नहीं जानते हैं। स्थानीय समस्याओं को भिन्न तरीके से निपटाना चाहिए, संवैधानिक पद्धति से इस तरीके से नहीं।

यदि यह विभाजन किसी एक वर्ग को संतुष्ट करती है तो, अन्य वर्ग के लोग भी इसी तरह की माँग करेंगे। कर्नाटक में, आंध्र में, वे विभाजन की मांग करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): हम इसकी मांग नहीं करेंगे।

श्री पी.एच. पांडियन: वे नहीं मागेंगे, परंतु उनके बच्चे इसकी माँग करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि यही परिपाटी चलती रही, तो अगले दस वर्षों में सैकड़ों राज्य बन जायेंगे और प्रत्येक राज्य को सीमांत देश खा जायेंगे।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): विकास के असंतुलन का क्या होगा?

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यदि यह विभाजन का आधार विकास है, तो क्या वे यह कहना चाहते हैं कि पिछले पचास सालों में हम नाकामयाब रहे? ...*(व्यवधान)* यह प्रशासन की सुविधा के लिए नहीं हो सकता। यदि यह प्रशासन की सुविधा के लिए है, हमें चेन्नई में बैठना चाहिए। दूसरा संसदीय अधिवेशन चेन्नई में हो सकता है। अन्य संसदीय अधिवेशन हैदराबाद, बंगलोर में किया जा सकता है। दिल्ली में ही क्यों? ...*(व्यवधान)* हाँ, क्यों एक वर्ग के लोगों को यह संसद देखने से वंचित रखा जाए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, कृपया उन्हें अब समाप्त करने दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ कि सादृश्य तर्क मत विकसित कीजिए और विभाजन और उप-विभाजन के बीज लोगों के मन में मत बोइए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उड़िया में बोलूंगा। मैंने इस संबंध में नोटिस दिया है। मुझे आशा है कि इसका समानांतर भाषान्तरण पहले ही किया जा चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने बंगाली में बोलने के लिए सूचना दी थी। मुझे आशा है कि इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हाँ।

अपराह्न 3.40 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि श्रवणयंत्रों को कानों पर लगा लें।

*अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य के गठन का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बिहार पुनर्गठन विधेयक को सदन में पुर: स्थापति करते समय इसे स्पष्ट कर दिया था। महोदय, झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा है और उसका एक भाग उड़ीसा से लिया गया था। मैं सरायकेला और खर्सुआं का उल्लेख कर रहा हूँ जो उड़ीसा में सामन्तवादी राज्यों के अंतर्गत आते थे और जो कि बिहार में कभी भी नहीं थे। यदि आप उस समय की राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि कैसे जल्दबाजी और अनुचित रूप से सरायकेला और खर्सुआं को छोटा नागपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया था जो कि बाद में बिहार राज्य का भाग बन गये।

महोदय, मैं समस्त सिंहभूम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अथवा आंध्र प्रदेश के इच्छापुरम में उड़िया भाषी क्षेत्रों के बारे में नहीं कह रहा हूँ जहाँ लाखों उड़िया लोग रह रहे हैं। मैं केवल सरायकेला और खर्सुआं के बारे में कह रहा हूँ। उस समय कुछ चालाक राजनीतिज्ञों ने जल्दबाजी में सरायकेला और खर्सुआं को बिहार में रखने का कदम उठाया जो कि उड़ीसा में थे। वे कितने भी महान हों परन्तु उनके अविचारित निर्णय के परिणामस्वरूप उड़िया भाषी ये दो क्षेत्र बिहार में रह गये। भारत के तथा विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले उड़िया लोग सरायकेला के अपने भाईयों और बहनों के बारे में महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। केन्द्र सरकार ने 6 मई, 1948 को इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया और इन क्षेत्रों को 18 मई, 1948 को बिहार के प्रशासकीय नियंत्रण के तहत लाया गया। इस प्रकार उस समय सत्तासीन कुछ राजनीतिज्ञों के अविचारित निर्णय द्वारा सरायकेला और खर्सुआं बिहार में रह गये। सरायकेला उप-मंडल खर्सुआं पुलिस स्टेशन और कुधिकेला ग्राम पंचायत उड़ीसा में थे। दबाव के अंतर्गत कोई भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता परन्तु प्रत्येक उड़िया व्यक्ति यह महसूस करता है कि उड़ीसा से सरायकेला और खर्सुआं कांग्रेस सरकार द्वारा लिये गये थे। ये दो क्षेत्र 18 मई, 1948 को अल्पकाल के लिए बिहार में शामिल किये गये थे। उसके बाद इन दो क्षेत्रों को उड़ीसा में वापिस हस्तांतरित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तब उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से पूछा कि इन क्षेत्रों को केन्द्र सरकार ने पहले अपने नियत्रण में और बाद में इन्हें बिहार में शामिल क्यों किया गया और इन्हें उड़ीसा को वापिस नहीं किया गया। उस समय भारत सरकार को एक न्यायाधिकरण स्थापित करना था। यह कहा गया कि एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। परन्तु वास्तव में न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किया गया। 1953 में अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के लिए बोटिश अनशन पर बैठे। इसके परिणामस्वरूप अगले दिन मद्रास को दो राज्यों में विभाजित किया गया और भाषा के आधार पर अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन समिति गठित की गई। प्रत्येक राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति गठित की गई थी। श्री फजल अली आयोग के सदस्य थे। यह उम्मीद की गई थी कि उड़ीसा को न्याय मिलेगा और सरायकेला और खर्सुआं को शामिल करके राज्य की सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा। परन्तु यह खेदजनक है कि श्री फजल अली ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह बिहार और उड़ीसा दोनों राज्यों के राज्यपाल थे। इस प्रकार यह मामला लंबित रखा गया। राज्य पुनर्गठन समिति द्वारा कोई निर्णय न लिए जाने के कारण उस समय राजनेताओं ने उन क्षेत्रों के लोगों और उड़ीसा के लोगों की भावनाओं का ध्यान किए बगैर छोटे भाग को बिहार में रखा। महोदय, हम अनेक मंचों पर इस मामले को उठा रहे हैं क्योंकि यह मामला हमें बहुत अधिक आन्दोलित कर रहा है। परन्तु यह त्रासदी है कि कोई भी हमारी बात सुनना नहीं चाहता है। महोदय, जब मैं सम्माननीय सदन के सदस्य के रूप में चुना गया तो मैं बहुत आशावान था कि यह उचित मंच है जहां मैं इस मामले को उठाऊंगा और यह सदन सरायकेला और खर्सुआं को उड़ीसा में पुन: शामिल करने के लिए मदद करेगा। हमें सरकार से न्याय मिलेगा। हम राजग सरकार के सहयोगी घटक हैं। इसलिए, सरकार छोटे क्षेत्र अर्थात् उड़िया

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

भाषी क्षेत्रों सरायकेला और खर्सुआं को हमें वापस करेगी। आज तक वहां के अधिकांश लोग उड़िया हैं और उसके बाद बंगालियों का स्थान आता है और शेष अन्य हिन्दुस्तानी हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरायकेला और खर्सुआं में रहने वाले उड़िया लोगों के लिए कोई भी रुचि नहीं ले रहा है। वहाँ जिन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वे उड़ीसा आते हैं। वहां उनके लिए नौकरियां आरक्षित हैं। वहां श्री देवी प्रसाद बागची है जो कि भारत के सचिव हैं और वह उड़ीसा कैडर के हैं। उनके पिताजी उसी क्षेत्र के हैं। वे उड़ीसा चले गये और वहां कार्य करना शुरू किया।

महोदय, आप विधेयक का अर्थ गलत क्यों लगा रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यदि आपने इयरफोन का उपयोग किया होता तो आप उसे समझ गये होते। महोदय, यदि कोई भी आज श्री देवी प्रसाद बागची जी से पूछेगा तो वे कहेंगे कि वह उड़िया हैं और उड़ीसा के रहने वाले हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: सभापति महोदय, कृपया अपना इयरफोन लगाईये।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें। यहाँ पर अनेक वक्ता हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: कृपया मेरी बात सुनें। मैं केवल दो या तीन मिनट और बोलूंगा। मैं इससे अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, इसीलिए हमारी एकमात्र मांग यह है कि सरायकेला और खर्सुआं को उड़ीसा को वापिस किया जाना चाहिए। महोदय, मैं उस समय बहुत खुश हुआ जब माननीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर बहस का उत्तर देते समय अगले दिन कहा कि इन नए राज्यों के गठन के बाद प्रत्येक विधेयकों के पक्ष-विपक्ष पर पुनर्विचार किया जाएगा। पुनर्विचार के लिए मामले को विधि विभाग को भेजा जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि वे प्रशासकीय ढांचे की समीक्षा करेंगे और तत्पश्चात् वे अपने विचार प्रकट करेंगे। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय सरायकेला और खर्सुआं की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे और उनकी यथार्थ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वे उड़ीसा में इन क्षेत्रों को पुनः शामिल करने के मामले पर पुनर्विचार करेंगे और इसके लिए वे सदन में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

महोदय, उड़ीसा एक शांतिपूर्ण राज्य है और उड़िया लोग शांतिप्रिय हैं। उन्होंने केन्द्र के विरुद्ध कभी भी विद्रोह नहीं किया है। वे किसी राज्य का विभाजन नहीं चाहते हैं। परन्तु वे चाहते हैं कि सरायकेला और खर्सुआं के उनके भाई और बहन उनके साथ रहने चाहिए। यदि सरायकेला और खर्सुआं को उड़ीसा में दोबारा शामिल किया जाता है तो झारखंड राज्य को कुछ गंवाना नहीं पड़ेगा। बिहार को कुछ नहीं गंवाना पड़ेगा। इसलिए, मेरी मांग यह है कि सरायकेला और खर्सुआं को हमें वापस दे दिया जाए। बिहार ने एक ऐतिहासिक गलती की है। इतिहास आज राज्य से बदला ले रहा है। मैं इससे खुश नहीं हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या माननीय गृह मंत्री महोदय उड़िया समझते हैं। जब तक वे इयरफोन नहीं लगायेंगे वे अनुवाद नहीं सुन सकते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मेरे मित्र, श्री प्रियरंजन दासमुंशी निश्चित रूप से मेरी बात समझ रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, आज बिहार का विभाजन हो रहा है। इतिहास बिहार से बदला लेगा। यदि वे नहीं तो उनके बच्चे बदले का सामना करेंगे। आज यह बिहार के मामले में होने जा रहा है। 1948 में जब सरायकेला और खर्सुआं को बिहार को हस्तांतरित किया गया था तो सरायकेला के तत्कालीन शासक ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

यहाँ पर बहुत अधिक सदस्य हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: उड़िया भाषी लोग अपने आपको हतोत्साहित और उपेक्षित महसूस करेंगे। विगत में उन्हें उपेक्षित किया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से दूसरी बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मुझे एक मिनट और बोलने दें।

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं दूसरे सदस्य को बोलने का मौका देता हूँ।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यहाँ पर समय सीमा नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय: अपना भाषण समाप्त करें। पीठ पर दबाव डालने का यह तरीका ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* संसद में सिफारिश नहीं चलती है। बैठ जाइये।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: एक मिनट।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि सरायकेला और खर्सुआं दो सामन्तवादी राज्य थे। इन सामंतवादी राज्यों के संबंधी इस सदन के सत्तापक्ष और विपक्ष की कुछ सीटों पर विराजमान हैं। यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे बताएंगे कि सरायकेला के लोग आज कैसे रह रहे हैं। उनकी संस्कृति उड़िया के लोगों जैसी है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां जाति संघर्ष अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा दूसरे समुदायों के बीच विवाद नहीं है। एक जनजातीय व्यक्ति तीन बार राज्य का मुख्य मंत्री बना है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ जाति संघर्ष नहीं है। परन्तु आपने उड़िया भाषी क्षेत्रों को अलग करके उन्हें पृथक कर दिया है। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उचित शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। वे नौकरी प्राप्त करने के लिए उड़ीसा में आते हैं। इसलिए, मैं सरायकेला खर्सुआं को उड़ीसा में दोबारा शामिल करने के लिए पुनर्विचार करने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, कल हम लोगों ने उत्तरांचल के संबंध में चर्चा की। उत्तरांचल के सवाल पर बहस उधमसिंह नगर और हरिद्वार पर ही केन्द्रित थी। आज हम झारखंड की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरायकेला और खर्सुवां जो दो महत्वपूर्ण इलाके हैं, उनकी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। सरकार को इसे पास करने की बहुत ज्यादा जल्दी इसलिए है कि 15 अगस्त को हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को लाल किले के मैदान से तीन राज्यों के निर्माण के बारे में ऐलान करना है।

सभापति महोदय, लोगों को बिना विश्वास में लिये जो काम किया जा रहा है, यह भविष्य में घातक सिद्ध होगा। अभी जॉर्ज साहब यहां नहीं बैठे हैं। कल उत्तरांचल विधेयक पर बहस के समय ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के बारे में जिक्र किया गया था और जार्ज साहब ने जो वक्तव्य दिया कि उस कमेटी में पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब कहा गया था कि ऊधमसिंह नगर के लोग चाहते हैं कि इसे उत्तरांचल में रखा जाये जबकि पंजाब के मुख्य मंत्री का आज पेपर में स्टेटमेंट आया है कि यह जॉर्ज साहब का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कमेटी का राय नही है। आज अखबारों में छपा है-

"अकालिज अपसैट, क्लेम जार्ज मिसलैड लोक सभा"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस विधेयक में इसका कोई महत्व नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, आज सवाल झारखंड का आया है जिसे 18 जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है। यह क्षेत्र राजस्व का 60 प्रतिशत अंश दे रहा है। इसलिए श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने बाकी बिहार के लिए 50 हजार करोड़ रुपया मांगा है और बिहार सरकार एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये की मांग कर रही है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जहां तक आर्थिक पैकेज का सवाल है, कल उत्तरांचल के लिए भी इस बारे में कहा गया था। हम लोगों को इसके लिए एतराज इसलिए है कि यह सरकार गर्दिश में है या देश गर्दिश में है। यदि हर राज्य को आर्थिक पैकेज देने की बात है तो हम सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार पर अरबों-खरबों रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि सरायकेला और खरसवां में जनमत कराया जाये और लोगों की राय ली जाये कि आखिर वे लोग क्या चाहते हैं। इससे राष्ट्र का भला होगा। चूंकि यह विवादित मामला है, इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज झारखंड के तमाम लोग टी.वी. और रेडियो की ओर देख रहे होंगे कि आखिर झारखंड विधेयक पर क्या होने वाला है। प्रत्येक पार्टी के लोगों में, हर सैक्टर और हर वर्ग के लोगों में यह चिन्ता थी कि कब झारखंड बिहार राज्य से अलग हो जायेगा। यह बात जरूर है जैसा कई पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि एक परिवार में साथ रहकर फिर अलग हो जाना, इससे दुख तो होता है। मैं कई ऐसी पुरानी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि स्व. इंदिरा गांधी ने चाहा

था कि वहां के आदिवासी क्षेत्र का विकास किया जाये और इसके लिए एक सब-प्लान की व्यवस्था की गई थी। मेरे ख्याल से माननीय गृह मंत्री जी जरूर जानते होंगे कि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जितना आबंटन धन का किया गया, वह पूरा खर्च नहीं हो सका था।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, चार बजे अमरनाथ यात्रा पर माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट होना था...

[अनुवाद]

सभापति महोदय: गृह मंत्री एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मंत्री महोदय, क्या आप तैयार हैं?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: शायद वक्तव्य की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं, मेरे पास एक प्रति है। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं इसे बाद में पढ़ूंगा।

सभापति महोदय: उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। तत्पश्चात आप वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही माननीय सोनिया जी को भी धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए कि जब कल और परसों मैं गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, वह बार-बार इस बात को कहते थे कि जब तक विधान सभा इसे पारित नहीं करेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर पायेंगे। आज अगर बिहार विधान सभा ने इसे पारित नहीं किया होता तो शायद यह बिल नहीं आता। इसलिए इस बिल को विधान सभा में पारित कराने के लिए सोनिया जी ने बड़ा प्रयास किया। इसलिए मैं लालू जी को भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, कहने के लिए अभी बहुत बाते हैं कि विकास नहीं हुआ, टॉर्चर किया गया। परंतु अब अलग राज्य बनने वाला है, कुछ न कुछ सुधार करेंगे। परंतु मैं दो-चार बातें और कहना चाहता हूं। बिहार विधान सभा ने पैकेज की चर्चा की, मैं निश्चित रूप से मांग करता है कि बिहार को पैकेज देना चाहिए। परंतु साथ में छोटा नागपुर में केवल राजधानी जो रांची थी, वही राजधानी का राजभवन मुख्य मंत्री का निवास सचिवालय है। परंतु जितने जिले बनें, झारखंड क्षेत्र में पहले छः जिले होते थे, अब छः से 18 बन गये। वहां जिले तो बन गये, लेकिन मकान नहीं बन पाये, आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि आप फंड की व्यवस्था करें।

सभापति जी, अभी कहा जा रहा था, अबी हमारे साथी ने चर्चा की कि पता नहीं जब बिल लाया जा रहा था, हम गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहे थे, चाहते थे कि किसी पर कोई इल्जाम नहीं आये। जब मैंने बिल को देखा, जैसी कि चर्चा हुई कि सलैक्शन कमीशन को जो लोक सभा की सीटों का डिलिमिटेशन करता है, उसमें कभी किसी बात का ध्यान नहीं रखा गया। जहां पेज 27 में इस पर चर्चा श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने की कि कहीं पांच विधान सभा सीटे हैं तो कहीं सात हैं। छोटा नागपुर के 14 लोक सभा क्षेत्र में यह सौभाग्य तो हजारीबाग जिला का है. जहां उस जिले में एक कांस्टीटुएंसी पार्लियामेंट की है। ऐसी कोई लोक सभा कांस्टीटुएंसी नहीं हैं जहां दो तीन या जिले बनाकर कास्टीटुएंसी नहीं बनी हुई है। इतना सब करने के पहले छोटा नागपुर के सांसदों की कम से कम राय लेनी चाहिए थी कि किसका कहां क्षेत्र नजदीक होगा विदाउट एनी पोलिटीकल मोटिव के ऐसा करना चाहिए था। इसमें एक और उपबंध है कि पेज-5 में जो झारखंड क्षेत्र की विधान परिषद के सदस्य हैं, वे जब तक रियाटर नहीं हो जायेंगे, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। पता नहीं कौन सा रूल, कौन सा नियम यह बना है। हम चाहते हैं गृह मंत्री जी इस पर ध्यान दें। जब आप हमें वहां से अलग कर रहे हैं तो हमें उनके साथ क्यों छोड़ते हैं, झारखंड के लिए भी एक काउंसिल बना दीजिए। जब झारखंड बिहार प्रांत से अलग हो रहा है, तो सब चीजें अलग हो गई। हम वहां क्यों रहेंगे। इस पर भी आप गौर करें।

अपराह्न 4.02 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब अलग राज्य बनेगा तो जितना सिविल सर्विसेज आई.पी.एस., आई.ए.एस. और आई.एफ.एस. हैं, उनमें फर्क जरूर होना चाहिए। इन सत्रों से आप ऑप्शन लें कि कौन कहां रहना चाहता है। आप सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में सुविधा दें, आप दोनों सरकारों के बीच में इस पर बात करें कि मौका उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए। साथ ही कल जैसा कि गृह मंत्री जी ने

[श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह]

बड़े ढंग से स्वीकार किया कि झारखंड क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से चार सौ, पांच सौ किलोमीटर पर दूरियां हैं। विधान सभा क्षेत्र में यह 50-100 किलोमीटर पर पड़ती हैं। इसलिए वहां विधान सभा की सीटों को बढ़ाया जाए। अभी आपने 81 सीटें प्रस्तावित की हैं, इसमें कम से कम 20 और जोड़कर इसे 101 कर दीजिए और उसी में फिर आरक्षण की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही मैं पुन: इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जब झारखंड का बिल पास होगा तो उसमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। अलग होने पर दुख होता है, लोग कहते हैं, परन्तु जैसा मैंने कहा कि पैकेज की व्यवस्था जरूर कीजिए।

अपराह्न 4.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

1 और 2 अगस्त, 2000 की मध्यरात्रि को जम्मू-कश्मीर में हुई हत्याओं की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, 1-2 अगस्त, 2000 की मध्यवर्ती रात को जम्मू तथा कश्मीर से उग्रवादियों द्वारा की गयी अनेक भयंकर घटनाएं सूचित की गई हैं जिनमें 80 लोगों की जानें गई।

1 अगस्त को अपराह्न लगभग 6.45 बजे, पहली घटना में, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने पहलगाम में अन्धाधुन्ध गोलीबारी की, जहां पर अमरनाथ यात्री ठहरे हुए थे। यह घटना, आरु जाने वाली सड़क पर लिद्दडे नाले पर हुई जब आतंकवादियों ने दो लंगरों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों पर गोलियां चलाई। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बरा ने गोलियों का जवाब दिया। 2 पुलिस कार्मिकों सहित 27 व्यक्ति मारे गए और 50 जख्मी हुए। गोलीबारी के लिए जिम्मेवार दो उग्रवादी भी घटनास्थल पर ही मारे गए। उनसे निम्नलिखित बरामदगी हुई—ए.के. राइफल-2, ए.के. मैगजीन-19, राइफल ग्रेनेड-8, हथगोले-2, ग्रेनेड लॉन्चर-1, राऊन्ड-55, ट्रांजिस्टर-1।

दूसरी और तीसरी घटना में, उग्रवादियों ने ईंट के दो भट्टों के मजदूर शिविरों पर हमला किया, एक अनन्तनाग जिले में मीर-बाजार, काजीगंड में और दूसरा मीर नोगाम (अछबल) में। मीर बाजार में 19 मजदूर और मीर नोगाम में 7 मजदूर मारे गए। उसी रात को उग्रवादियों के दूसरे ग्रुप ने रामबन क्षेत्र में पोगल परिस्तान (डोडा जिले) में 14 लोगों की हत्या कर दी। उसी जिले के गांव क्यार में आतंकवादियों द्वारा ग्राम सुरक्षा समिति के 8 सदस्य मार दिए गए। छठी घटना कालारुस (कुपवाड़ा जिला) में हुई जिसमें मुस्लिम परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई।

राज्य सरकार ने एहतियाती और राहत उपाय शुरू किए हैं। फील्ड में सुरक्षा बलों के साथ स्थिति और सुरक्षा प्रबंधों की पुनरीक्षा करने के लिए जम्मू और कश्मीर विभाग में विशेष सचिव के साथ महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को जम्मू और कश्मीर भेजा गया है।

यह रिपोर्टें मिली हैं कि हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा संघर्ष-विराम घोषणा के परिणामस्वरूप और इस पेशकश पर सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए भाड़े के बहुत से विदेशी सैनिकों वाले कुछ अन्य उग्रवादी गुट हिजबुल मुजाहिद्दीन की पेशकश में खुश नहीं हैं और वे समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और हिंसा बढ़ा सकते हैं। इस बारे में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है और उन्हें और अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यह इसी सतर्कता का नतीजा है कि 1 अगस्त की सुबह जम्मू कैम्प में अमरनाथ यात्रियों पर उग्रवादियों के हमले के एक प्रयास को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। इस भिड़न्त में एक उग्रवादी मारा गया और दूसरा घायल हो गया।

हिंसा की इन नृशंस घटनाओं की निन्दा करने के लिए कोई शब्द नही है जो निस्संदेह हमारे पड़ोसी शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध किये जा रहे छद्म युद्ध को जारी रखने का एक भाग है। लेकिन सरकार यह महसूस करती है कि हिंसा की यह नवीनतम घटना उन लोगों द्वारा किया गया निश्चित प्रयास है जो पिछले सप्ताह हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा शांति के लिए की गई पहल की संभावनाओं से परेशान है।

सरकार नए सिरे से सुरक्षा उपाय करके अमरनाथ यात्रा को जारी रखने और आम जनता को सभी आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के प्रति कृत संकल्प है। इसके अलावा, सरकार शांतिप्रिय लोगों के साथ बात-चीत करके जम्मू तथा कश्मीर राज्य में सामान्य हालात बहाल करने के लिए प्रयास करती रहेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, यह केवल छद्म युद्ध ही नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सोनिया गांधी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, यह एक गंभीर मामला है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी तथा अपनी ओर से मैं इस नृशंस कृत्य में मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।

जम्मू और कश्मीर के विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत आरम्भ करने और युद्ध विराम की घोषणा करने के सरकार के निर्णय के बाद, यह अपेक्षित था कि इनमें से कुछ आतंकवादी संगठन इस तरह की गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। जैसाकि अभी-अभी गृहमंत्री ने हमें बताया है कि सरकार इस बात से अवगत थी कि इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तब ऐसा क्यों हुआ कि सरकार भरपूर सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही, विशेषकर अमरनाथ जाने वाले मार्ग पर जो स्पष्ट तौर पर आतंकवादियों के लिए आसान लक्ष्य था क्योंकि इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री यात्रा करते हैं। अब सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वह इस संबंध में विस्तार से बताये कि यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए तथा जम्मू और कश्मीर के अन्य लोगों की रक्षा के लिए सरकार क्या करने जा रही है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी तथा यहां उपस्थित हमारे बहुत से सहयोगी इस बात से अत्यधिक चिंतित है। हम इस बात से अत्यधिक चिंतित हैं क्योंकि पिछली बाहर लाहौर यात्रा के दौरान बड़ा उत्साह था और उस उत्साहपूर्ण क्षण के बाद कारगिल की घटना घटित हो गयी। यद्यपि, कांग्रेस पार्टी जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापना के लिए शुरू की गयी प्रक्रिया हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का स्वागत करती है, साथ ही साथ, हमारा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह वहां सुरक्षा में ढील न दें जैसा कि लाहौर यात्रा के दौरान सरकार ने किया था। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह पूरी तरह चौकस रहे और जम्मू और कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, हम सब इसकी निन्दा करते हैं और इसमें संदेह नहीं कि सभा के सभी सदस्य इन बर्बर हमलों की निन्दा करते हैं जिनमें बहुत सी जानें गयी हैं। मैं विपक्ष के नेता के साथ शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन महोदय, इस घटना से कई प्रश्न उभर कर सामने आये हैं। इसमें 80 जानें गयी हैं। मेरा मानना है कि हर किसी को यह आभास था कि यदि एक बार शांति प्रक्रिया आरम्भ हो गयी, हर किसी का यही विश्वास है, तो इस तरह की घटनाएं घटित होंगी जिससे कि शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचे। यह बताया गया है कि इस तरह की घटनाओं के घटित होने के बारे में खुफिया रिपोर्ट थी। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस आशय की कोई रिपोर्ट थी और यदि इस आशय की रिपोर्ट थी, तो इसे रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये थे।

यह आश्चर्यजनक बात है कि इस हमले में 25 तीर्थयात्री मारे गए 50 घायल हो गए और 2 पुलिसकर्मी भी मारे गये। वहां गोलीबारी कब थमी। हमारे सुरक्षा बल क्या कर रहे थे कि वे केवल दो ही आतंकवादी मार सके। वहां कुल कितने आतंकवादी थे।

पता नहीं वहां किस तरह के बल तैनात थे और उन्होंने बदले में क्या कार्यवाही की। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किये गये थे, और तीर्थयात्री वहां बहुत आसान लक्ष्य थे। इसलिए, इस बात को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है कि यह घटना कैसे घटी, और इसके बदले में पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी।

अब यह कहना कि तीर्थयात्रियों को आगे की यात्रा के लिए सुरक्षा बल प्रदान किये गये हैं, महोदय, यह बात बमुश्किल संतोषजनक कही जा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे हमलों का कोई पूर्वाभास था, और इसके लिए क्या कदम उठाये गये थे, और क्या इस संबंध में कोई खुफिया जानकारी थी। जिस स्थान पर अर्थात् पहलगाम में जहां यह घटना घटी, सुरक्षा बलों का क्या प्रबंध था, और वे इस तरह की घटना को रोकने में असमर्थ क्यों रहे और आतंकवादी इतने कम हताहत कैसे हुए। वहां पर हम बुरी तरह असफल हुए हैं, और ऐसा लगता है हम इस पर बहुत अधिक आत्म संतुष्ट हैं। पता नहीं राज्य का पुलिस बल क्या कर रहा था। जो बहुत गंभीर बात है वह यह है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग प्रदान किया जा रहा है। यह बहुत गंभीर बात है और हम इसकी निन्दा करते हैं। इसे सांप्रदायिक मामला नहीं मानना चाहिए। इससे सारी शांति प्रक्रिया ही बाधित हो जायेगी। लेकिन इस मामले

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

में ऐसा लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही है।

इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सभा को विश्वास में ले और हमें यह बतायें कि वास्तव में हुआ क्या था?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, अभी मैंने 3.30 बजे स्टार प्लस पर न्यूज देखी है। उसमें मरने वालों की संख्या 90 से ज्यादा बताई गई है। लगभग इतने ही लोग जख्मी हुए हैं। इस दिल दहलाने वाली घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया है। 24 घंटे में छः विभिन्न स्थानों पर 93 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 24 घंटे में इतनी बड़ी घटना हुई हो। आतंकवादियों के एक गुट द्वारा सीज़ फायर की घोषणा होने के बाद, हमने सुरक्षा बलों को शांत रहने के लिए कहा। मुझे लगता है कि इसका फायदा उठाकर आतंकवादियों ने, जो नहीं चाहते थे कि शांति वार्ता हो, ऐसा किया। मेरा निवेदन है कि हमने अपने सुरक्षा बलों को शांत रहने के लिए कह दिया, जैसे अभी रैड ऐलर्ट किया, वह नहीं कहना चाहिए था। साईमल्टेनियसली छः जगहों पर नरसंहार होता है। जैसा कहा गया कि केवल एक आतंकवादी मुठभेड़ में मारा जाता है, इसका मतलब यह है कि सुरक्षा बलों ने एक-आध जगह छोड़कर कहीं मुकाबला नहीं किया और आतंकवादी आसानी से हत्या करके चले गए।

मैं तीन-चार चीजें आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। मृतकों के प्रति शोक और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए लोक सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरा मेरा कहना है, जो मैं सुबह से कह रहा हूं और मुझे लगभग सौ से ज्यादा फोन दिल्ली के लोगों के आ चुके हैं कि आप मालूम करके बताइए कि हमारे लोगों का क्या हुआ। सुबह गृह मंत्री जी ने कहा था कि पहचान हो रही है, जैसे कोई ऐक्सीडेंट होता है तो उसकी लिस्ट अखबारों में आ जाती है, शाम तक जितनी लिस्ट ऐवेलेबल है, उसे प्रकाशित कर दिया जाए। उसके साथ ऐसा प्रबंध कर दिया जाए जिससे लोग डैड बॉडीज को लेने के लिए वहां जा सकें या डैड बॉडीज को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए।

यह बहुत बड़ा काम होगा, उनको राहत होगी वर्ना डैड बॉडीज लावारिस की तरह रह जाएंगी और परिवार वालों को हम कुछ सांत्वना नहीं दे पाएंगे। मेरा निवेदन है कि अमरनाथ के यात्रियों की पूरी सुरक्षा की जाये ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में उचित धनराशि दी जाये तथा जख्मियों को भी उचित धनराशि दी जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसके लिए सुबह सूचनाएं दी हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया और खुराना जी की सूचना से 90 से ज्यादा लोगों की जानें गई। यह बड़ी दुखद घटना है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और आज हमने इस पर एडजर्नमेंट मोशन भी दिया था। अमरनाथ यात्रा हर साल होती है और सरकार चौकसी बरतती है। सरकार दावा करती है कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है लेकिन जो घटना हुई है इससे लगता है कि सरकार एकदम विफल हुई है। सरकार की व्यवस्था ढीली ही नहीं चौपट थी। इस वजह से जहां लोग खा रहे थे, वहां टाइट सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। उसमें बाहर से जाकर मार देना और वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और यदि काउंटर होता तो दोनों तरफ से दस-बीस मारे जाते लेकिन लगता है कि आतंकवादी लोगों के एक ग्रुप से बातचीत भी सरकार कर रही है और दूसरा ग्रुप नहीं माना और वह यह सब विफल करने के लिए कर रहा है। यह सरकार का काम है कि किन आतंकवादियों से बात कर रही है तो वही दूसरे आतंकवादी उपद्रव कर रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों को ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि सरकार धोखे में पड़ी है और आतंकवादियों के विभिन्न ग्रुप हैं। क्या उनका एक संगठन है? कोई एक संगठन किसी बात में फंसा देता है और दूसरा संगठन निर्दोष तीर्थ यात्रियों पर हमला कर देता है। आगे इस तरह की घटना न हो, सरकार सदन को आश्वस्त करे। इस विफलता में कहां त्रुटि, कमजोरी, ढिलाई है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देश भर के लोग आतंकित हो गये हैं और देश भर में यह बड़ा संवेदनशील मामला है और हम लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। इसलिए इस तरह की घटना दुबारा न हो और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए सरकार स्पष्टीकरण दे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, जो घटना हुई है, वह अत्यधिक दुखद है और इसमें हम सब लोगों की राय एक है। इतना तो कहा जा सकता है कि हम चाहे जो आंकड़े पेश करें लेकिन आतंकवादी किस हद तक हतोत्साहित होने चाहिए

थे, उस हद तक वे हतोत्साहित नहीं हुए। आज अखबारों में छपा है कि यह घटना उस समय हुई है जब आतंकवाद से निपटने के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं, उनका विशेष दल आज इस्लामाबाद में है और वह सब अमरीका की पहल पर हुआ है। इसमें पाकिस्तान की भी सहमति है। हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ-साथ हुर्रियत कांफ्रेंस के लोगों से भी बात होने वाली है। इस तरह की बातें आज समाचार-पत्रों में छपी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आतंकवादी संगठन थे, उनका कोई नेता संगठन नहीं था। प्रत्येक आतंकवादी संगठन अपने तरीके से काम कर रहा है और कहीं न कहीं यह संदेश गया है कि या तो हम सब लोगों को विश्वास में लेकर बात होनी चाहिए थी वर्ना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।

समाचार-पत्रों में छपा है कि लश्कर-ए-तोएबा का हाथ है। इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन गतिविधियों से लिप्त आतंकवादी संगठनों से सरकार को बात करनी चाहिए। आपकी खुफिया एजेंसी और लोकल खुफिया एजेंसी को सक्रिय करिए, वरना भविष्य में इस प्रकार की और घटनाओं की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कुमारी मायावती (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों की काफी तादाद में हत्या की गई है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से दुःख प्रकट करती हूं।

महोदय, दो बजे की न्यूज मैंने खुद सुनी है, जिसके सरकार की न्यूज ही कहा जाता है, उसमें बताया गया है कि आतंकवादियों के द्वारा छः स्थानों पर हत्यायें की गई, जिसमें 84 लोग मारे गए हैं। दुःख की बात है कि एक तरफ तो भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए आतंकवादी संगठनों से बातचीत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। कल से तो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। मैं यह समझती हूं कि केन्द्र की सरकार, खासतौर से माननीय गृह मंत्री, को अपनी इन्टैलीजेंस एजेंसी को एलर्ट रखना चाहिए और उसमे कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आतंकवादी संगठनों से सख्ती से निपटना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से घुसे हैं, उनके ऊपर आपकी इन्टेलीजेंस एजेंसी को कड़ी नजर रखनी चाहिए। जब तक आप उन आतंकवादी संगठनों को नहीं पकड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में वारदातें होती रहेंगी। आए दिन वहां पर हत्यायें होती रहती हैं। बिहार से मजदूर जो वहां पर मजदूरी करने के लिए गए थे, वे भी काफी तादाद में मारे गए हैं। इस तरीके से न तो जम्मू-कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं और न दूसरे लोग जो वहां जाते हैं, वे सुरक्षित हैं। इसके लिए आपको कोई हल निकालना चाहिए। मैं समझती हूं कि जम्मू-कश्मीर में शांति व्यवस्था का वातावरण पैदा करने के लिए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने के लिए सरकार यदि कोई सख्त कदम उठाना चाहती है, तो हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उस कदम का पूरा साथ देगी। साथ ही अन्य पार्टियों को नेता भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे, आपका पूरा साथ देंगे, नहीं तो वहां पर शान्ति कायम नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार को वहां पर सख्ती से कदम उठाना जरूरी है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रियों की आतंकवादियों से जो निर्मम हत्या हुई है, उसकी मैं कड़ी निन्दा करता हूं और जो यात्री आतंकवादियों से मारे गए, उनके प्रति शोक प्रकट करता हूं।

महोदय, जब पहली घटना हुई, अभी गृह मंत्री जी ने सदन के सामने बताया कि शाम को छः बज कर 45 मिनट पर पहली घटना हुई और उसकी खबर रात को 11 बजे बीबीसी और स्टार न्यूज पर हमें सुनाई दी। तब तक सरकार ने कुछ भी बयान, कुछ भी वक्तव्य उस संदर्भ में नहीं किया था। महोदय, अलग-अलग छः घटनाओं में 90 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और मेरी जानकारी के मुताबिक आज भी डोडा जिले में 12 लोगों की हत्या हुई। जब पहली हत्या हुई उस समय सिर्फ चार आतंकवादी थे, वे हत्या करके चले गए। सरकार कहती है कि हमने सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया था।

महोदय, इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी लश्करे तोइबा ने ली। उन्होंने कहा कि हमने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। सरकार आतंकवादियों से बातें कर रही है। ...*(व्यवधान)* मेरी जानकारी के मुताबिक आज उनके पास हथियार नहीं हैं। उनके पास सरकार की शरण में आने के सिवा कोई चारा नहीं है, सिर्फ सरकार का ध्यान अलग खींचने के लिए शांति की वार्ता हो रही है। वे शांति चाहते हैं। महोदय, एक आतंकवादी संगठन शांति की बात करता है और एक अमरनाथ यात्रियों पर हमला करता है। हमें आतंकवाद से कड़ा मुकाबला करने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवही करने की आवश्यकता है। हम जब तक सख्ती से आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला है।

महोदय, आज जो शरणार्थी जम्मू के अंदर हैं, ऊधमपुर में हैं, उनकी अलग-अलग बस्तियां हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जम्मू में लगभग पांच हजार से

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

सात हजार शरणार्थी रहते हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है उन पर भी वे हमला कर सकते हैं। ऊधमपुर में जो शरणार्थी हैं उन पर भी कल वे हमला कर सकते हैं और आज वहां जो यात्री हैं उन पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ये हमले लगातार होते जा रहे हैं।

महोदय, दो वर्ष पूर्व जब अमरनाथ की यात्रा होने जा रही थी तो इन्हीं आतंकवादियों ने धमकाया था कि हम अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे। उसी समय हमारे शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी तो हम हज की यात्रा भी नहीं होने देंगे। *...(व्यवधान)* आप पहले आगे सुन लें कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। *...(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब्जैक्ट पर बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गंगाराम गीते, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त गंगाराम गीते, कृपया शांति हो जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अनावश्यक रूप से समस्या क्यों खड़ी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नगिरि): माननीय मुलायम सिंह जी, मुझे पहले पूरा सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं क्या कहने जा रहा हूं, उसे पहले पूरा सुनिये। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, सदन के सभी सदस्यों को और देश को यह समझना चाहिए कि हमारा जो पड़ौसी देश है उसकी स्ट्रेटेजी का सारा उद्देश्य केवल कुछ लोगों की हत्या करना नहीं है, बल्कि देश के अंदर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके *...(व्यवधान)* मेरी बात पूरी होने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): खाली हिंदुओं को मत समझाइये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के गंभीर विषयों पर भी माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में जहां इस बात का जिक्र किया कि पहलगांव में जो लोग थे वे अमरनाथ यात्री थे, वहीं दूसरी ओर मैंने सोचकर जिक्र किया कि कुपवाड़ा में एक मुस्लिम परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गयी, जिससे देश में यह भाव जाये कि यह चुनौती जो है वह हिंदु या मुसलमान के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती है। *...(व्यवधान)* हममें से अगर कोई इस सारी समस्या में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक आयाम देखेगा तो हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें उनकी चुनौती का मुकाबला करना है और उसे विफल बनाना है तथा ऐसे सभी लोगों को पराजित करना है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): मैं गृह मंत्री जी से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन पहले आप मुझे पूरा सुन तो लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप अपना वक्तव्य कितनी देर में समाप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: मैं गृह मंत्री जी से पूरी तरह से सहमत हूं और न कोई साम्प्रदायिक तनाव हम पैदा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले पूरा सुन तो लीजिए। मुझे पूरा सुनने से पहले ही यहां आपत्ति खड़ी कर दी गयी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं जो बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अमरनाथ की यात्रा पिछले साल भी शांतिपूर्वक संपन्न हुई और इस वर्ष भी होती। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि भारत सरकार का जरा सा भी भय आतंकवादियों को नहीं है, इसलिए वे लगातार गोलियां चलाते जा रहे हैं। आज भारत सरकार का कोई भय उनको नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं कोई साम्प्रदायिक तनाव पैदा नहीं करने जा रहा हूं। मैं बहन मायावती जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि आतंकवादियों से सख्ती से निपटना चाहिए। केवल बातें करके हम आतंकवाद से नहीं निपट सकते हैं। एक तरफ उनके एक गुट से वार्ता हो रही है और दूसरी तरफ दूसरे गुट द्वारा हमले हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यह सिलसिला आगे और बढ़ सकता है। इसलिए माननीय खुराना जी ने साफतौर पर कहा है कि अब भारत सरकार को चेतावनी केवल आतंकवादियों को ही नहीं पाकिस्तान को भी देनी चाहिए।

गृह मंत्री बार-बार यह बतान देते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पिछले तीन साल में जो भी हादसे हुए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया यह समझने का प्रयास करें कि अन्य नेता भी स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप कितना समय लेंगे?

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: पिछले तीन सालें में जितने भी हादसे हुए, उन पर जब भी इस सदन में चर्चा हुई, उस समय हर गृह मंत्री ने यही कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया इसे विवाद नहीं बनाएं। यह वाद-विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि शरणार्थियों की सुरक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए और अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके मन में कोई भय नहीं रहना चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, 1968 में डाक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने एक संयुक्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसके बारे में उसी तरह की प्रतिक्रिया हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। इन दोनों नेताओं ने बाकायदा एक संयुक्त वक्तव्य दिया था और उसका सबने समर्थन किया। हम चाहते हैं कि आडवाणी साहब वह बयान इन सबको दे दें जिससे यह उसे पढ़ लें। आपके आदर्श पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी और हमारे आदर्श डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। आतंकवादियों या मुस्लिम आतंकवादियों ने जो कुछ किया, उसके बारे में हिन्दू भाइयों की प्रतिक्रिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और न ही ऐसा कहना चाहिए। यह बात सही है कि सरकार की विफलताएं हैं और वे इसलिए हैं कि इनमें एका नहीं है। मंत्रिमंडल एक साथ फैसला नहीं ले रहा है। यह एक सच्चाई है। हम नहीं जानते थे कि गृह मंत्री अपने पद पर रहते हुए कमजोरी दिखाएंगे, चाहे प्रधान मंत्री हों, लेकिन यह सच है कि देश का प्रधान मंत्री और गृह मंत्री कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हाउस में क्या कर रहे हैं? आप में कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही दु:खद घटना है जिसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान गई है। सामान्यत:, जो अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं वे तीर्थ पर जाते हैं। वे शांतिप्रिय लोग हैं और पहली तथा दूसरी घटना में भी उनकी हत्या की गई है। स्पष्टत: इससे यह संदेश जाता है कि सुरक्षा उपायों में विफलता रही है; और कुछ

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

सीमा तक गुप्तचर एजेन्सियां भी विफल रही हैं। अन्यथा, पहली ही घटना में हम इस पर काबू पा सकते थे। हमें नहीं मालूम कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं पर छोड़ दिया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर वर्ष अमरनाथ यात्रा हो रही है तथा यह हिन्दुओं की अत्यन्त ही पावन और पवित्र तीथत्रयात्रा है। विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी वे इस तीर्थ यात्रा पर जाते हैं।

इस वर्ष भी, सैंकड़ों-हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी—बजाए इसके कि पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर सरकार पर डाल दी जाए—भारत सरकार की है। हमें उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करना चाहिए था। अन्यथा, हमें उन्हें यह तीर्थ यात्रा नहीं करने की चेतावनी देनी चाहिए थी।

यह नृशंस हत्या है। हमें नहीं मालूम कि यह गतिविधि है। यदि यह उग्रवादी गतिविधि है तो गुप्तचर एजेन्सी को चेतावनी देनी चाहिए थी कि इस तरह की घटनाएं होने की आशंका है। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि कड़े सुरक्षा उपाय किये जायें, अन्यथा लोगों को तीर्थयात्रा नहीं करने के लिए कहा जाए।

तीर्थयात्रियों के जान से हाथ धोने से क्या यह श्रेयष्कर नहीं कि उन्हें तीर्थयात्रा पर भेजा ही न जाए। यह एक राष्ट्र के रूप में हमारी निर्बलता प्रदर्शित करता है। हम अपने ही लोगों को बचाने में सक्षम नहीं हैं। वे सिर्फ तीर्थयात्रा पर जा रहे थे किसी और काम पर नहीं। यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है। पूरे देश का शर्म से सिर झुक जाता है। हम लोगों की जान की सुरक्षा करने के काबिल नहीं हैं। मैं सरकार से अपील और अनुरोध करता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चाहे जो कोई भी हो, पाकिस्तानी उग्रवादी हो अथवा भारतीय उग्रवादी अथवा जम्मू-कश्मीर के उग्रवादी, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों की जान की रक्षा की जाए। यदि उग्रवादी हमारे नागरिकों का खून बहाते हैं तो हमें भी उसी प्रकार से प्रतिशोध लेना चाहिए। तभी राष्ट्र को गृह मंत्री पर भरोसा होगा।

मैं अपनी पार्टी और स्वयं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदन प्रकट करता हूँ। हम इस नरसंहार की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कुछ हुआ वह अत्यन्त ही दु:खद है और इसके लिए हमें शर्मसार हो जाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा से मुझे कुछ वास्ता पड़ा था। तत्कालीन गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो कि यहाँ उपस्थित हैं, के अनुरोध पर मैंने 1996 की आपदा की जांच की थी तथा इसके कारणों को जानने और समाधान सुझाने का प्रयास किया था। एक मूल सिफारिश यह थी कि अमरनाथ यात्रा संपन्न कराने में सेना की प्रत्यक्ष सहायता ली जाए। क्योंकि यदि कुछ हो जाता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इस स्थिति से केवल सेना ही निपट सकती है। इस बात पर सहमति थी कि सेना मुख्य रूप से यात्रियों के मार्ग को सुरक्षित रखेगी तथा सीमा की देखभाल भी करेगी।

अब, महोदय, गृह मंत्री ने कहा कि कुछ तीर्थयात्री आरू में मारे गए। आरु यात्रा मार्ग पर नहीं है। किन परिस्थितियों में लोगों को आरू में रुकने की अनुमति प्रदान की गई? आरू युद्ध विराम रेखा से अधिक निकट है। जबकि अमरनाथ नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ भाड़े के विदेशी उग्रवादी मनचाहे तरीके से युद्ध विराम रेखा को पार करके भारत में आ रहे हैं तथा जा रहे हैं। 1948 से 1990 के बीच इस तरह की घटना कभी नहीं घटी। 1990 के बाद ही एक प्रकार की ढील आई। मैं नहीं जानता कि क्या युद्ध विराम रेखा की पूरी जिम्मेदारी सेना को दी गई है। अथवा क्या जम्मू-कश्मीर पुलिस, जो कि इस संदर्भ को सक्षम नहीं है, इस तरह की घटनाओं का सामना करने में असफल रही है। आश्चर्यजनक यह है कि घाटी में पांच या छ: अलग-अलग स्थानों पर कल से जो घटना हो रही है, वह बार-बार हुई। पहली घटना होने के पश्चात् सरकार क्या कर रही थी? यदि हमें वास्तव में बातचीत करनी है। हमें अपनी स्थिति दृढ़ कर बातचीत करनी होगी। मैं समझता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सके हैं। मेरा गृह मंत्री तथा संपूर्ण सरकारी तंत्र से अनुरोध है कि युद्ध विराम रेखा की समुचित रक्षा हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाएं तथा 1948 और 1990 के बीच जो स्थिति थी उसे पुन: बहाल किया जाए। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी सेना की है। यह साम्प्रदायिक स्थिति नहीं है। मैंने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया था कि कैसे कश्मीरी मुस्लिम हिन्दू तीर्थयात्रियों के सहायता के लिए आगे आए। एक साथ तथा इकट्ठे रहे। यह कुछ विदेशियों की करतूत है जो कि कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पूरे राष्ट्र को सरकार के पीछे खड़ा होना चाहिए और सरकार को अत्यन्त दृढ़ता से पाकिस्तान के साथ निबटना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह घटना घटी है, वह हृदय विदारक है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों पर घात लगाकर जिस तरह से हमला किया

गया, उसमें 90 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हम उन सभी दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से शोक प्रकट करते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाये, उतनी कम है। जिस तरह से यह घटना घटी है, वह अत्यन्त ही निन्दनीय है लेकिन चर्चा के दरमियान इस घ्टना के प्रति भावनाओं की एक ऊंचाई होनी चाहिए।

यह हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है बल्कि देशी और परदेशी आतंकवादियों का सवाल है। हमारे देश हिंदुस्तान में जितना साम्प्रदायिक सद्भाव मजबूत होगा, उतने ही दुश्मन के छक्के छूटेंगे, चाहे वह दुश्मन पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो। इसीलिए सवाल देशी और परदेशी आतंकवादियों का है, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। इस विषय पर, सरकार को खास तौर से आतंकवादियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए, एक ठोस कार्य योजना, वर्किंग प्लान बनाकर उनसे निपटना चाहिए। आतंकवादियों का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। तभी इस देश का सिर ऊंचा होगा। हम किसी से कम नहीं हैं। हम हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकते हैं, हम आतंकवादियों से निपट सकते हैं, लेकिन हमारी ढिलाई, हमारी कमजोरी बीच में आ जाती है और जिस तरह का वातावरण बनाया गया और वार्तालाप और डायलाग की बात की गई, हम समझते हैं कि इसे गंभीरता से देखना चाहिए कि कहां हमसे चूक हुई है, कहां हमारी भूल हुई है। इसीलिए इसे गंभीरता से लेकर आतंकवादियों से जितनी सख्ती से निपटा जाए, निपटना चाहिए और सरकार में यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छाशक्ति होनी चाहिए और पोलीटीकल शक्ति भी होनी चाहिए। यही हमारा कहना है।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस सभा के सम्मुख यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में असफल रही है। हम, संसद सदस्य, 6, 7, 8 और 9 जुलाई को जम्मू-कश्मीर तथा कारगिल के दौरे पर गए थे। हमें वहाँ न सिर्फ केन्द्र सरकार अपितु राज्य सरकार का भी वजूद भी देखने को नहीं मिला। वहाँ आतंकवादियों का आना-जाना दोनों हो रहा है। पाकिस्तानी उग्रवादी भारत में सक्रिय उग्रवादी गतिविधियों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए बेरोजगारी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारण मानता हूँ। ये उग्रवादी 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के युवकों को ले जाते हैं तथा उन्हें 13,000 रु. प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं?

हमने जब कश्मीर का दौरा किया तो हमें बहुत कम लोग नजर आए। हम संसद सदस्य भी समूह में सुरक्षा घेरे में ले जाए गए। इसलिए, तीर्थयात्रा में सम्मिलित लोगों के जीवन की सुरक्षा कर पाने में केन्द्र सरकार की असफलता अत्यन्त ही निन्दनीय है। उग्रवाद पर नियंत्रण पाने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार दूसरी लोकतांत्रिक सरकार से बातचीत कर सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है। क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिन लादेन के बारे में कुछ कर सकी? सरकार ने बिट्टा हरे, जो कि पाकिस्तान का दुर्दान्त आतंकवादी है और जो इस समय जम्मू कश्मीर जेल में बंद है, द्वारा 40 पंडितों की हत्या कर दिये जाने पर क्या कार्रवाई की?

मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर के मामले पर राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का घटक नेशनल कांफ्रेंस एक अलग ही सिद्धांत की वकालत कर रही है। मुझे लगता है कि उनके विचार बिल्कुल ही अलग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री, गृह मंत्री या वरिष्ठ मंत्री ने इन उग्रवादियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई की है। क्या उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द कहा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री पी.एच. पांडियन: कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: सामान्यत:, एक वक्तव्य पर सदस्य केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह एक प्रकार की स्वीकारोक्ति है।

आतंकवाद पर काबू करते समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी ने कहा था कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और यही कारण था कि उनकी हत्या कर दी गई।

इसी तरह, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि वह आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने क्या इस तरह कहा? आप राजनीति कर रहे हैं। आप देश पर शासन नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा शासन कर रहा है *...(व्यवधान)* आप उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए, वह उग्रवाद पर काबू पा लेंगी।

हमारे प्रधान मंत्रियों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु आप सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के घटकों को

[श्री पी.एच. पांडियन]

संतुष्ट कर रहे हैं लेकिन आप भारत के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। आप भारत के लोगों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आपको वोट मिला। राज्य और केन्द्र सरकार की प्राथमिक चिन्ता इस देश के नागरिकों के जानमाल की रक्षा करना है। क्या आपने उनकी रक्षा की? आप तीर्थ यात्रियों की रक्षा करने में असफल रहे।

प्रधान मंत्री को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उग्रवादियों का सामना करने के लिए आपकी मनोवृत्ति भी उग्र होनी चाहिए। आप लोकतांत्रिक मनोवृत्ति नहीं रख सकते हैं। यह श्रम न्यायालय नहीं है। जब आप एक उग्रवादी का सामना करना चाहते हैं, आपकी मनोवृत्ति अवश्य उग्र होनी चाहिए। यदि वे गोली चलाते हैं, तो आपको भी उन पर गोली चलाने का आदेश देना चाहिए। अन्यथा आप नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उस तरह से, मैं अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से अपने विचार प्रकट करता हूँ।

अंत में, मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनकी तीर्थ यात्रा में नृशन्स हत्या कर दी गई।

हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, अमरनाथ यात्रियों के साथ जो घटना घटी है, यह बहुत ही दुखद घटना है। हम अपनी तरफ से और अपनी समता पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लोगों को इतने बड़े हादसे को सहने का धैर्य दें।

अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी खुराना जी ने बताया कि 90-92 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो वार्ता का प्रयास शुरू हुआ, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि सरकार सिर्फ तोप और गोली से नहीं चल सकती। अगर कहीं अमन-चैन, प्रेम और मोहब्बत की बोली से काम चल सकता हो तो इसका प्रयास करना चाहिए और अगर सरकार ने प्रयास किया है तो सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए और किसी की नीयत पर शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ हम यह बताना चाहते हैं कि जिस ढंग से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा घटनाएं की जा रही हैं और खासकर यह घटना जो हुई है, इससे देश भयभीत है, सदन तो चिन्तित है ही। हम चाहेंगे कि परिस्थिति के अनुसार आदमी को कठोर बनने में कभी हिचकना नहीं चाहिए और मैं तो यह कहूंगा जो एक शायर ने कहा है:

"ऐ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से
खर्च चलता हाथ से, शासन चलता तलवार से।"

अब हम महसूस करते हैं कि उन आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और अपनी सेना और सुरक्षा बलो को कठोर निर्देश देना चाहिए और पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी ही नहीं देनी चाहिए बल्कि हम तो यह महसूस करते हैं कि जिस ढंग से सीमा पर और जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवाद की घटनाएं पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही हैं, एक बार हिम्मत के साथ उनको ललकार कर इस्लामाबाद पर हिन्दुस्तान का तिरंगा फहरा देना चाहिए, तब हिन्दुस्तान की गरिमा बढ़ेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, आपने कहा था कि आप उन सभी सदस्यों को अवसर देंगे जिन्होंने इसका नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, कृपया समझने की कोशिश करें। मैंने केवल दलों के नेताओं से ही कहा है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय आप इस बात की सराहना करेंगे कि मैं प्रात: 9.30 बजे आ गया था। आप सबको अनुमति दे रहे हैं। महोदय, आप एक दल से चार सदस्यों को बुला रहे हैं, परन्तु आपने भा.ज.पा. के सदस्यों को नहीं बुलाया है। फिर कोई भी सुबह क्यों आयेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अपना वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय मैं जानना चाहता हूं कि एक दल के वे चार सदस्य कौन हैं? *...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपको समझना होगा।

अध्यक्ष महोदय: सरकार उत्तर दे रही है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): मैं इस देश का गृह मंत्री था। आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा के संबंध में कतिपय घटनाएं घटित हुई। वास्तव में उस समय यात्रियों पर उग्रवादियों का सशस्त्र हमला नहीं हुआ था। परन्तु अन्य पहलुओं के कारण उनको काफी कष्ट हुआ था जैसे कि मौसम की स्थिति, उनकी यात्रा के लिए पर्याप्त व्यवस्था न कर पाना, उनके ठहरने/रुकने का स्थान और अन्य बातें। इस संबंध में सरकार की विफलता के कारण देश में काफी हल्ला हुआ था। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय इसे स्वीकार करें मेरा उनके प्रति सम्मान और बढ़ जायेगा यदि वे इस सभा में आज यह स्वीकार कर लें कि सुरक्षा और आसूचना की भारी विफलता रही है जिसके बिना ऐसा नहीं हो सकता था।

आप कृपया यह याद करेंगे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया था कि तीर्थयात्रियों को इस झुण्ड पर जो गोली-बारी हुई थी जिससे अधिकांश लोग मारे गए थे वह उस समय हुई थी। जब वे भोजन प्राप्त करने के लिए लंगर में जमा हुये थे। उसको भोजन वितरित किया जा रहा था। उग्रवादियों को यह पता था कि ऐसे स्थानों पर वे आसानी से लक्ष्य बनाये जा सकते थे और वहां पर लोग भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। उग्रवादी वहाँ आ गये और वहाँ खून-खराबा किया।

मैं जानना चाहता हूँ कि सुरक्षा बल क्या कर रहे थे और आसूचना के लोग क्या कर रहे थे। मैं डा. नीतिश सेनगुप्ता के स्मरण से सहमत हूं क्योंकि मैंने उस समय जांच करने के लिए उन्हें नियुक्त किया था। उस समय जब मैं गृह मंत्री था तो वहाँ सेना तैनात नहीं की गई थी। हमने निदेश दिया था कि भविष्य में जहां भी यात्री जायेंगे तो उस मार्ग पर जहाँ कहीं भी ऊंचा स्थान या ऊंची चोटी होगी तो सशस्त्र बलों द्वारा वहाँ पैट्रोलिंग की जायेगी। इसके बिना कोई भी सुरक्षित अनुभव नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि आजकल क्या किया जा रहा है। इसके बारे में हमारे पास कोई अद्यतन रिपोर्ट नहीं है।

फिर भी ऐसा लगता है कि सेना या सीमा सुरक्षा बल को वहाँ तैनात नहीं किया गया था। मैं उनसे स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि क्या हम केवल जम्मू और कश्मीर पुलिस पर ही निर्भर कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए राज्य पुलिस का उपयोग किया जा रहा है यह जानते हुए कि जब भी हम उग्रवादियों के साथ बातचीत आरम्भ किये जाने की बात करते तो निश्चित ही भड़काने वाली कार्यवाही की जाती है, उनकी ओर से तीव्र प्रतिक्रिया होता है क्योंकि वे बातचीत की पूरी प्रक्रिया में विघ्न डालना चाहते हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि सतर्कता की पूर्ण रूप से कमी थी कोई नहीं जानता है कि क्या हो रहा है। अत्यन्त कष्टप्रद स्थिति है। मैं समझता हूँ कि सरकार को जिस गम्भीरता से वे प्रयास कर रहे हैं, उससे अधिक गम्भीरता से इस स्थिति से निपटना होगा।

मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री महोदय अंतिम रूप से यह बतायें कि भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी। भविष्य का तात्पर्य कल से ही है क्योंकि मैं समझता हूँ कि वह अमरनाथ यात्रा रद्द या निलंबित नहीं की जायेगी। तीर्थयात्री इसे रद्द कर देना नहीं चाहेंगे। सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे तीर्थ यात्रा पूरी करना चाहेंगे। मैं जब पिछली बार यहाँ पर था तब मैंने देखा था कि ये लोग डरते नहीं हैं। वे आगे बढ़ेंगे, भले ही उन पर और अधिक हमले हों। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है जिसमें जहाँ कहीं भी आवश्यक हो सेना तैनात करने की बात भी सम्मिलित है ताकि उचित, सुरक्षोपाय करके लोगों की वास्तव में रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पूरे सदन ने जो वेदना, पीड़ा प्रकट की है, जो मृत लोग हैं, जिनमें अमरनाथ यात्री भी हैं, अन्य जम्मू कश्मीर के नागरिक भी हैं, उनके परिवारों के प्रति जो संवेदना प्रकट की है, मैं सरकार की ओर से उसके साथ सम्बद्ध करता हूं। यह बात भी प्राय: अधिकांश सदस्यों ने कही कि इस बार जो हत्याकांडों का सिलसिला है, वह केवल मात्र अब तक जो सिलसिला चलता आया, उसका हिस्सा नहीं है, उसका एक आयाम और है। हिजबुल मुजाहिदीन ने पिछले सप्ताह जो एक तरफा सीज़ फायर की घोषणा करके बातचीत की पेशकश की और भारत सरकार ने उस पेशकश को स्वीकार करके बातचीत के लिए अपनी तत्परता दिखाई, उस प्रयत्न को समाप्त करने का एक निश्चित प्रयास है, यह भी सबने कहा। कुछ लोगों ने लश्कर-ए-तोएबा के बारे में बताया, शायद रामदास जी ने कहा या किसने कहा कि लश्कर-ए-तोएबा ने इस हत्याकांड की जवाबदारी स्वीकार की है। मैं नहीं जानता हूं लेकिन हमारा अंदाजा है कि यह लश्कर-ए-तोएबा ने किया है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूं कि जो तीन-चार प्रमुख तनजीम हैं, जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हत्याएं करती रही हैं, उनमें एक लश्कर-ए-तोएबा है, एक हरकत-उल-अंसार है और एक हिजबुल मुजाहिदीन है। यह सोचना कि हिजबुल मुजाहिदीन के पास हथियार नहीं हैं या वे कमजोर हैं,

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

ऐसी बात बिल्कुल नहीं हैं। अगर हिजबुल मुजाहिदीन की कोई बड़ी ताकत है तो वह यह है कि कश्मीर के लोग अगर उन जनजीमों में से किसी में अधिक मात्रा में हैं तो वह हिजबुल मुजाहिदीन में हैं। बाकी लश्कर-ए-तोएबा और हरकत-उल-अंसार में पाकिस्तानी हैं, अफगान हैं अन्य विदेशी हैं, थोड़े-बहुत कश्मीरी भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें बिल्कुल नहीं हैं। इस तथ्य को सरकार ने ध्यान में रखा जब हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से यह पेशकश की गई क्योंकि हमको लगता था कि हिजबुल मुजाहिदीन अगर वास्तव में पाकिस्तान के साथ और विदेशी बाकी लोग हैं तनजीमों में, उनसे अलग हो जाए और उन्होंने कई कारणों ने पहल की, मैं इस समय उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं इतना मानता हूं कि इस साल में, यहां बड़ी आलोचना हुई है, यह भी हो सकता है कि जहां पर पहलगाम की यह घटना हुई, उसमें हमारी कुछ कमी हो, मैं नहीं कह सकता, मैं उसकी पूरी जानकारी करूंगा, खासकर श्री इन्द्रजीत के कहने के बाद, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके आदेश के बाद लेकिन लगातार पिछले सालों में अमरनाथ यात्रा में बड़ी मात्रा में सेना लगाई गई। यहां तक कि मैंने अभी जानकारी की तो पता लगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए आर्मी की ओर से पांच बटालियन्स लगाई गई। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त: कहां लगाई गई।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पूरे में लगाई गई, पूरा रास्ता बहुत लम्बा है और उसमें यात्री हैं। मैंने कहा कि जहां तक पहलगाम की बात है, वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उसकी जानकारी जरूर करूंगा लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षाकर्मी जितनी मात्रा में वहां लगाए गए, जब कभी देखता हूं, पिछले साल भी गया था, अमरनाथ यात्रा को भी देखा था, उससे पूर्व के साल भी गया था, वहां की व्यवस्था देखी थी। लगता था कि हम यहां बैठकर जब सुरक्षाकर्मियों की और खास करके सैनिकों की आलोचना करते हैं, तो हमारे द्वारा कभी-कभी उनके साथ अन्याय हो जाता है। वह अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत कष्ट, तकलीफ, परिश्रम के साथ, बहुत त्याग करके वे अपने सुरक्षा कामों में लगे हुए हैं और इन्हीं पांच-छ: महीनों में, एक कारण यह भी है कि शायद आज तक कभी मिलिटैंट्स को इतनी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा जितना अकेले जून के महीने में 180 मिलिटैंट्स मारे गए और उसके कारण भी प्रतिक्रिया है। यह ठीक है कि कोई कह सकता है कि उन्होंने एक दिन में ऐसा कर डाला। छ: घटनाएं हुई हैं। उन छ: घटनाओं में अमरनाथ यात्री मेरे हिसाब से, यहां अगर कहा गया कि 90 से अधिक हैं, मेरे पास जितनी निश्चित जानकारी थी उतनी मैंने सदन को दी थी।

हो सकता है कि जो लोग घायल हुए थे, क्योंकि घायलों की संख्या मेरी जानकारी में करीब 60 है तो उसमें से किसी की मृत्यु हुई हो। ...*(व्यवधान)* बाकी सब फैले हुए हैं, डोडा में हैं, कुपवाड़ा में हैं, अनन्तनाग में हैं। अमरनाथ यात्रियों पर एक स्थान पर हमला हुआ है और उसकी, मैंने कहा कि और विस्तार से मैं जांच करूंगा कि उसमें हमारी तरफ से क्या कमी रही। किस प्रकार की और सुरक्षा करनी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि सदन चाहेगा कि जो प्रयत्न अभी चला है, वह प्रयत्न हमें इन घटनाओं के कारण छोड़ना नहीं चाहिए। वह प्रयत्न यह है कि आज से कुछ महीने पहले हमने घोषणा की कि आतंकवाद जहां पर भी है, उस आतंकवाद का समर्थन करने के खिलाफ सरकार की ओर से तीन प्रकार के प्रयत्न किये जायेंगे। हिंसा करने वालों के ऊपर कठोर से कठोर उसकी प्रतिक्रिया हो और उसको नियंत्रित किया जाये, उनका दमन किया जाये। उस भाव को भी सब सदस्यों ने प्रकट किया है। दूसरी बात यह कि जो उनमें से बातचीत करने को देश के भीतर के लोग तैयार हैं, जैसे नागालैंड में उन्होंने बातचीत की पेशकश की, बोडो क्षेत्र में उन्होंने बातचीत की तो उनके साथ हम बातचीत करने को तैयार होंगे और साथ-साथ आर्थिक विकास ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वहां इंटेलीजेंस क्या कर रही थी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुख्य बात यह है कि सभी तीर्थ यात्रियों के एकत्र होने का प्रमुख केन्द्र पहलगाम है। मूलत: प्रत्येक वर्ष वे यहाँ पर काफी संख्या में एकत्र होते हैं। मंत्री महोदय, क्या आप स्पष्ट करेंगे कि क्या एकत्र होने के स्थान पर सेना या अर्द्धसैनिक बल तैनात थे जो लंगर और अन्य सभी बातों का ध्यान रख सकें। यह मुख्य बात है क्योंकि पहलगाम एकत्र होने का प्रमुख स्थान है। मैं पहलगाम के बारे में जानता हूँ ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अब तक मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उससे यह संकेत मिलता है कि के.रि.सु.ब. वहां पर तैनात थी। सेना मौजूद थी या नहीं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। परन्तु के.रि.सु.ब. वहाँ पर तैनात थी। के.रि.सु.ब के दो पुलिसकर्मी भी इस घटना में मारे गये हैं। परन्तु जहाँ तक पहलगाम की घटना का सवाल है मैं इसका निश्चित ही पता लगाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मियलादुतुरई): मंत्री महोदय, मुद्दा यह नहीं है कि क्या वहाँ पर सेना थी या नहीं। मुझे आश्चर्य है कि इस बात पर आते-आते आपको 24 घंटे लग गये। और 24 घंटे बाद यहाँ आने पर आपको अभी भी यह नहीं पता है कि

कल सायंकाल 6.45 बजे सेना वहाँ थी या नहीं। हमें प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी है। ...*(व्यवधान)* हमें इस बात पर पुनः क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी है। आपको निश्चित ही अब तक पता लगा लेना चाहिए था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा केवल इस कारण है कि इस समय मेरे पास यह सूचना है कि के.रि.सु.ब. वहाँ पर तैनात थी। के.रि.सु.ब. ने गोली चलायी थी। वहाँ दो उग्रवादी मारे गये थे। वे भी लश्कर-ए-तोइबा के लगते थे। यह जानकारी है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: वहाँ पर कितने उग्रवादी थे।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय गृह मंत्री जी, आपने कहा कि हमने सुरक्षा फोर्सेज की आलोचना की है। हम सिक्योरिटी फोर्सेज की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम आपसे यह कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में आपने मामले को नजरअंदाज किया कि शान्ति अभियान एक तरफ चल रहा है, इसका भयंकर रिएक्शन दूसरी तरफ लोग कर सकते हैं, फिर भी पर्याप्त मात्रा में आप लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज वहां मौजूद नहीं रखी। आलोचना हम आपकी सरकार की कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं उससे इंकार नहीं करता कि मेरी जवाबदारी है, और सरकार की जवाबदारी है। मैं सदन को भी और सदन के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम यात्रा नहीं रोकेंगे, यात्रा हम चलने देंगे। यात्रा के लिए जितनी आवश्यक सुरक्षा और चाहिए, वह हम प्रस्तुत करेंगे। साथ-साथ यह जो तंजीम ने पहल की है, उस तंजीम की पहल का भी ठीक प्रत्युत्तर हमारा जाये। लेकिन यह धारणा गलत है कि जब से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है, हमने सैनिकों को, सुरक्षाकर्मियों को कहा है कि आप ढील छोड़ दो, सुरक्षा मत दो। अगर कोई बंदूकधारी आकर किसी पर हमला करना चाहता है तो आप बीच में हस्तक्षेप मत करो। अगर यह भावना है तो यह सरासर गलत है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: आडवाणी जी, यह किसी ने नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले उनको अपनी बात पूरी करने दें। यह ठीक नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमने हिजबुल मुजाहिद्दीन के बारे में कहा है, और किसी के बारे में नहीं कहा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार के संदेश के मुताबिक आपने अच्छा काम किया। सरकार ने खुद ऐलान किया कि हम लोग अभी फायरिंग नहीं करेंगे, वह ठीक है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन लश्कर-ए-तोएबा का है और कौन हरकत-उल-अंसार का है। इसके बारे में आपने स्ट्रेटेजिक डायरैक्शन आर्मी को दी तो इस काम के लिए क्या डायरैक्शन थी?

क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम यह जानना चाहते हैं कि आर्मी की इंटेलिजेंस, पुलिस की इंटेलिजेंस या अन्य कोई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हैं, इनकी क्या रिपोर्ट थी, इनकी क्या भूमिका थी? क्या वहां पहले से ही बंकर बना दिए गए थे, जिनका इनको पता नहीं चला, क्योंकि बिना बंकर बनाए इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। यह हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। इन इंटेलिजेंस से पूछना चाहिए कि इन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमें अनुमान था। इस मामले में जो भी इंटेलिजेंस होती है, वह जनरल इंटेलिजेंस रहती है, स्पेसिफिक नहीं रहती। उसके आधार पर सबको एलर्ट किया जाता है। जहां तक सीज़ फायर के रिस्पांस करने की बात है, मुझे याद है 23 तारीख को जब हिजबुल मुजाहिदीन ने घोषणा की थी, उससे पहले अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। तब बैठकर इस पर चर्चा की थी और यह महत्वपूर्ण सवाल उठा था कि हम कैसे पहचान सकेंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन का कौन व्यक्ति है और लश्कर-ए-तोएबा का कौन है। इन सारे विषयों पर विचार करके निर्णय हुआ कि हम विजीलेंस जिसको सोनिया जी ने कहा, हमें सुरक्षाकर्मी कम नहीं करने चाहिए। हम किसी भी सूरत में सावधानी न छोड़ें। यह बात बिल्कुल सही है कि पहले दिन से लेकर सेना को और सुरक्षाकर्मियों को यही हिदायत दी थी कि सावधानी न छोड़ें। कौन किस रूप में आ सकता है, कोई यह भी कह सकता है कि मैं हिजबुल मुजाहिदीन का हूं, चाहे हो वह लश्कर-ए-तोएबा का। इसलिए सावधानी बरतते हुए उसके बावजूद हम यह एप्रिहेंशन करते थे, वह सही निकला। हम इस बात पर जितनी कमी होगी, उसकी पूर्ति करके आवश्यक प्रबंध करेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): विपक्ष की नेता ने जो सवाल पूछे थे, उनका उत्तर नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री राम टहल चौधरी के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 5.18 बजे

बिहार पुनर्गठन विधेयक

श्री राम टहल चौधरी (रांची) अध्यक्ष महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 जो आदरणीय गृह मंत्री के द्वारा चर्चा के लिए पेश किया गया है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। यह विधेयक झारखंड राज्य बनने के लिए आया है। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली एवम् ऐतिहासिक दिन है।

जिन बातों की यहां चर्चा की गई, मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने छोटे राज्यों का विरोध किया है। मगर प्रकृति की देन को कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत ही नीचे की बात से शुरू करता हूं कि अगर परिवार बड़ा होता है तो भाई-भाई अलग होते हैं। इसी तरह पंचायत बड़ी होती है या प्रखंड बड़ा होता है तो उसके टुकड़े होते हैं और जिला बड़ा होता है तो उसके भी हिस्से हो जाते हैं। बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, अब उसको दो भागों में बांटा जा रहा है। इसकी मांग वर्षों से हो रही थी। मैं समझता हूं इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज बिहार का जो बंटवारा होने जा रहा है, हम जब साथ-साथ रहकर अलग होते हैं तो उसमें तकलीफ होती है। प्रभुनाथ सिंह जी का कहना सही है कि आज हम अलग हो रहे हैं इसलिए उसका कष्ट तो है ही। जिस वातावरण में अलग राज्य बनाया जा रहा है।

जहां परिवार लड़-झगड़कर अलग होता है, आपस में मारकाट करके अलग होता है, वहां वैमनस्य बराबर बना रहता है लेकिन मुझे खुशी है कि आज का जो वातावरण आप देख रहे हैं वह बिल्कुल मिलकर आपस में जैसे भाई बैठकर बंटवारा करते हैं, उस हिसाब से बंटवारा हो रहा है और इससे दोनों के घर का विकास होगा। कोई पीछे नहीं रहेगा।

यह आज की मांग नहीं है। 1953 में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने महसूस किया था कि इसे अलग होना चाहिए। 1977 में जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था कि बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है और झारखंड अलग प्रांत होना चाहिए। इस संबंध में सारे लोगों का समर्थन मिला है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी तथा साथ ही बिहार प्रदेश से जो विधान सभा से पारित कराकर भेजा गया है, विधान सभा के सारे सदस्यों को और सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ-साथ एन.डी.ए. की जो सरकार है जिसकी वजह से आज यह बिल आया है, उसको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य जो बैठे हैं और जो बिल पारित कराने में वे दो दिन से सहयोग दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इसी संदर्भ में जो भी कहूंगा, मैं आपके सामने सच कहूंगा। इसीलिए किसी को तकलीफ लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं।

आज हम लोग क्यों अलग होना चाहते हैं? मैं दोनों तरफ की चर्चा करूंगा। आज बिहार की जो स्थिति है और आज जो व्यवस्था है, ईमानदारी से कहता हूं कि हम कमेटी के टूर में बिहार से बाहर जाते हैं तो परिचय देने में भी हिचक होती है। जहां बिहार का नाम लेते हैं तो लोग ऐसा मुंह बनाते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई खराब नहीं है। यह हमारी प्रतिष्ठा बनी है। बिहार की भूमि जहां जनकपुरी, नालंदा है, महावीर, बुद्ध और वैद्यनाथ धाम जैसे वहां स्थान हैं और डा. राजेन्द्र प्रसाद और जय प्रकाश जैसे व्यक्तित्व ने जहां जन्म लिया है और उसकी ऐसी हालत है? सच्चाई को सुनने के लिए हिम्मत रखिए। *...(व्यवधान)* आप हमारी बात सुनिए। आज इसीलिए अलग होना चाहते हैं और इसीलिए सारी बातों को यह रखा गया है। झारखंड क्षेत्र में अपार खनिज और सोने की खान हैं। इसके पहले झारखंड को राजा महाराजाओं ने जो नाम दिया था, वह हीरा नागपुर उसका नाम है, वहां हर चीज है लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारी हरिजन आदिवासी मां-बहिनें आसाम और पंजाब में ईंट-भट्टे में काम करने के लिए जाती हैं। वहां गांव में सड़क नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। वहां हमारे अनेक संस्थान हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेज हैं, एच.ई.सी. आदि जगह हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों की उपेक्षा की गई है। वहां सरकारी संस्थाओं में और लोगों की बात छोड़ दीजिए, लोकल आदमी की बात छोड़ दीजिए, वहां हरिजन आदिवासियों को उनका स्थान नहीं दिया गया है। इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं *...(व्यवधान)*

कुमारी माया‌वती (अकबरपुर): हरिजन की जगह दलित कहा जाये। *...(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी: ठीक है, उनमें दलितों को भी स्थान नहीं मिला। यह स्थिति है और इसीलिए सब जगह के हिन्दुस्तान

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के हर कोने के लोग बिहार खंड क्षेत्र में रहते हैं और लोगों का पहले तो यह था कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ विरोध भी कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि जब भी मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो यही पूछा जाता है कि कब अलग हो रहा है, यह स्थिति वहां के लोगों के मन में थी। जो काम करने जा रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से यह काम हो रहा है, इसलिए वहां के लोगों के मन में कितनी खुशी होगी, हम सभी इसका अन्दाजा लगा सकते हैं।

छोटी-छोटी बातों के लिए हमें पटना दौड़ना पड़ता है और हमारे लोग जा नहीं पाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ...*(व्यवधान)* हम बीच में कभी टोका-टाकी नहीं करते हैं। आप बैठिए, नहीं तो हमें सच बात बोलनी पड़ेगी ...*(व्यवधान)* हमारे लोगों को टापू पर रहना पड़ता है। झारखण्ड में न बाढ़ आती है, न आग लगती है, लेकिन छोटी-बड़ी नदियों को भी बनाने का काम नहीं किया गया है। सारा कुछ रहते हुए भी वहां के लोग गरीब हैं। यह मांग कोई आज की मांग नहीं है, सैंकड़ों वर्षों से यह मांग चली आ रही है। सभी लोगों की राय है कि छोटा राज्य होगा, तो यह विकास करेगा। इधर के स्थान का भी विकास किया जाए, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। विकास दोनों तरफ का होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केन्द्र के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी चर्चा आडवाणी जी ने भी की है। झारखण्ड चार राज्यों को मिलाकर बनाने की बात थी। हम लोगों ने महसूस किया और हमारे नेतृत्व ने महसूस किया तथा हमारी पार्टी भी चाहती थी कि बिहार के अन्दर जो भी झारखण्ड इलाका पड़ता है, उसको मिलाकर अलग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 8 अप्रैल, 1988 को आगरा में जब बैठक हुई थी, वहां प्रस्ताव पारित किया गया। ...*(व्यवधान)* जहां तक नाम का सवाल है, झारखण्ड सब लोगों की इच्छा के अनुसार रखा गया। उसी समय बीच में रांची और धनबाद में आन्दोलन भी हुए। आन्दोलन हर पार्टी के लोगों ने किए और यह काम पार्टी से ऊपर उठकर हो रहा है। हर दल के लोग इसके पीछे आन्दोलन करते रहे हैं और मांग करते हैं कि यह क्षेत्र अलग होगा, तभी इसका विकास होगा। वहां के जन-जन में यह भावना थी कि यह बिल कब संसद में आएगा और कब पास होगा। एक विश्वास जनता में अटूट था कि भारतीय जनता पार्टी यानी एन.डी.ए. की सरकार के समय में पास नहीं हुआ, तो आगे किसी भी समय में नहीं होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास था और वहां के लोगों ने केन्द्रीय सरकार की तरफ नजर रखी हुई थी कि केन्द्रीय सरकार जितनी जल्दी हो इस बिल को लाए और पास कराए। हमारी सरकार ने वायदे के अनुसार इस बिल को पेश किया है और प्रत्येक दल के सहयोग से यह बिल पास होने जा रहा है।

अपराह्न 5.29 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, झारखण्ड जिले में पठारी इलाका है, जिसका क्षेत्रफल 80 लाख हैक्टेयर है और आबादी अढ़ाई करोड़ और जनसंख्या का घनत्व 273 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। बिहार के मैदानी इलाके का क्षेत्रफल 98 लाख हैक्टेयर है, आबादी 6 करोड़ 48 लाख और जनसंख्या का घनत्व 701 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है।

इसमें 81 विधान सभा और 14 लोक सभा सीटों का यह क्षेत्र बनेगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें और विधान सभा की सीटें तथा लोक सभा की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं भी अपनी तरफ से मांग करता हूं कि कम से कम 20 विधान सभा क्षेत्र और और एक लोक सभा क्षेत्र वहां बढ़ाए जाएं।

महोदय, हमारे यहां पर्यटन स्थल भी बहुत से हैं और धार्मिक स्थल भी हैं। जिनका विकास करने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं किया गया है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, हमारे यहां भी जगन्नाथपुर का मंदिर है। इसी तरह कई धार्मिक स्थल झारखंड क्षेत्र में हैं। जो पर्यटन स्थल हैं, वहां फल बहुत अच्छे-अच्छे हैं। हुंडरू फॉल, गौतम धारा, हिरनी फॉल, बेतला, नेतर हाट पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाए। इसी तरह हर जिले में कुछ न कुछ है, जिनका विकास करने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं हो पाया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका विकास होना चाहिए। अभी थोमस जी ने कहा कि रांची से दुमका जाने के लिए आठ घंटे लगते हैं। यह दुखदायी बात होगी, इसलिए उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। वहां एक हाई कोर्ट बैंच की भी व्यवस्था हो और गोड्डा तक ठीक से सड़क बने, एक-दूसरे से सम्पर्क करने के लिए, इधर-उधर जाने के लिए अच्छी सड़क बने, इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं। आप रुपए की मांग करते हैं, मगर हमें कभी-कभी अफसोस होता है जब कहते हैं कि और रुपया चाहिए, इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो रुपया मिलता है, उसको आप ठीक से खर्च क्यों नहीं करते हैं, अगर ठीक से खर्च करते तो यह स्थिति नहीं होती।

महोदय, मेरा कहना यह है कि 50 साल में आपको 36,000 करोड़ रुपया मिला और वह भी पूरा खर्च नहीं हो पाया। आपने पंचायत और नगर-निगम के चुनाव नहीं करवाए। बिहार को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहां 22 सालों से चुनाव नहीं हुआ। एक ही मां का लाल कर्पूरी ठाकुर था, जिसने पूरे बिहार में चुनाव

[श्री रामटहल चौधरी]

करवाया, उसके पहले भी नहीं हुआ और न बाद में हुआ। अगर चुनाव होता था तो झारखंड क्षेत्र में हर तीन साल में होता था, बाकी क्षेत्रों में नहीं होता था। यह किस का दोष है, यह दोष हमारा है, अगर हम इसे नहीं मानें तो किस की गलती है, ये सब चीजें हैं। हम पैसा लगाएं और ईमानदारी से खर्च न हो तो यह बात ठीक नहीं है। आज इतने छोटे-छोटे राज्य बन रहे हैं, लोगों को शंका है कि छोटे राज्य बनने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि यह शंका ठीक है और अगर हम चाहते हैं कि उस छोटे राज्य का विकास हो तो ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, अच्छे पदाधिकारियों की आवश्यकता है और काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। जहां तक झारखंड की बात है, भगवान ने जितना उस राज्य को दिया है, उतना किसी राज्य को नहीं मिला। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम हो तो पांच साल में वह हिन्दुस्तान का एक अच्छा राज्य होगा, मजबूत राज्य होगा और उससे देश भी मजबूत होगा। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं पुनः लोगों का, सरकार का एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप इसे सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करेंगे। जयहिन्द, जय भारत, जय झारखंड।

श्री नागमणि (चतरा): सभापति जी, बिहार विधान ने आम सहमति से झारखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव भेजा है और खासतौर से हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यह प्रस्ताव भेजा गया है। हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहना चाहते हैं कि झारखंड राज्य बने। लेकिन साथ ही साथ बिहार के उत्तरी इलाके में हर वर्ष बाढ़ से जो काफी तबाही होती है और उसके लिए स्पेशल पैकेज की जो हमारी डिमांड है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारी जनता को और हमारे नेताओं को झारखंड राज्य पर खास खुश होने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारी जो चतरा पार्लियामेंटरी कांस्टीट्युएंसी है उसमें तीन कांस्टीट्यूएंसी बिहार में और तीन झारखंड राज्य में पड़ने वाली हैं। बिहार की जो कांस्टीट्यूएंसी हैं उनमें हम बाराचट्टी से 25 हजार वोटों से, फतेहपुर से 30 हजार वोटों से और इमामगंज से 20 हजार वोटों से जीतकर आये। हम लोगों के साथ एक ही मजबूरी है कि नया राज्य बन रहा है और जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए तथा साथ ही जो झारखंड राज्य बनने वाला है उसको भी विशेष पैकेज देने की जरूरत है। हमारी बिहार और झारखंड में तीन-तीन असेम्बली पड़ रही हैं। हम अपने क्षेत्र से आज ही दौरा करके लौटे हैं। बाराचट्टी, फतेहपुर और इमामगंज के लोगों की राय है कि हम झारखंड में रहें। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का, गृह मंत्री जी का और प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में मालिक जनता होती है और जनता ने मुझे चुनाव जीतकर भेजा है। अगर हमारा क्षेत्र दो भागों में बंट जायेगा तो हम जनता की सेवा नहीं कर पायेंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

दूसरे, एक बहुत ही संवेदनशील मामले को मैं उठा रहा हूं। झारखंड राज्य जो है, उसके बारे में दुख की बात यह है कि चाहे सरकार केन्द्र में बी.जे.पी. या एन.डी.ए. की हो या पहले कांग्रेस की थी या हमारी सरकार भी रही है, लेकिन पलामू, चतरा और हजारी बाग का जो इलाका है उसमें 16-17 प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं लेकिन उसके आधार पर वहां एक भी कारखाना नहीं खोला गया है। जिसकी वजह से झारखंड का इलाका विकसित नहीं हो पाया है। एक तरफ हम कश्मीर के बारे में कहते हैं कि वहां आतंकवाद बढ़ रहा है दूसरी तरफ अगर 16-17 प्रकार के खनिज पदार्थों के होते हुए भी वह इलाका विकसित नहीं होता है तथा वहां कोई कारखाना नहीं खुलता है और वहां के लोग अगर नक्सलाइट बनते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब झारखंड इलाके में 16-17 तरह की माइन्स-मिनरल्स हैं और सरकार ने जिस तरह से अलग राज्य बनाने में भूमिका निभाई है वह उसके विकास के लिए भी भूमिका निभाए। केवल अलग राज्य बनाने से समस्या का निदान नहीं होगा। सरकार वास्तविकता के आधार पर वहां कारखाने खोले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही मैं बिहार के सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इस आन्दोलन में अपनी जान दी।

श्री राम जीवन सिंह (बलिया, बिहार): सभापति जी, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए समर्थन नहीं करता हूं कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एन.डी.ए. में है और वह इस विधेयक को लाई है। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि हमारी पार्टी शुरू से इस राय की रही है कि छोटे राज्यों का गठन किया जाए। आपको याद होगा कि 1998 में जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था, उस समय हमारी पार्टी का घोषणा पत्र निकला। उसमें हमारी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से छोटे राज्यों के गठन का उल्लेख किया और उसकी मांग

की। गृह मंत्री यहां नहीं हैं। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि जब कोई विधान सभा इसे पास कर दे, मात्र उस आधार पर इसे पास कर दिया जाए। ऐसे किसी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। यदि इसी आधार को माना जाएगा तो वह गलत बात होगी। इसके बारे में आपको सब मालूम है। अभी नागमणि जी बोल रहे थे और इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार विधान सभा ने पिछले दो वर्षों में तीन तरह के प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव 22 जुलाई, 1997 को आया। उस समय राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी। जब उनकी पार्टी टूट गई तो उन्होंने जनता दल को तोड़ कर नई पार्टी बनाई। उस समय उनकी पार्टी की संख्या 165 थी। टूट जाने के बाद 135 रह गई। जब उनका बहुमत घट गया तो अचानक 22 जुलाई को दिन के दो बजे बिहार विधान सभा में यह प्रस्ताव नाटकीय ढंग से लाया गया जबकि उस दिन विधान सभा के एजेंडा में इसका उल्लेख नहीं था। अचानक दो बजे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वर्तमान बिहार राज्य से अलग एक पृथक झारखंड राज्य बनाया जाए। यह आइटम एजेंडा में नहीं था और कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास नहीं किया था। यह प्रस्ताव पास होने के बाद 15 दिनों बाद केबिनेट इस प्रस्ताव को भूतलक्षित प्रभाव से पास कर देता है। एक बरस बाद 21 सितम्बर 1998 को वही सदन, वही व्यक्ति, वही दल यह प्रस्ताव पास करता है कि 22 जुलाई 1997 को प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। वह उसी सदन से प्रस्ताव पास होता है। मैं उस समय भी सदन का सदस्य था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, बिना आसन की अनुमति के आप खड़े न हों। आप अपना आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सदन का संचालन करते हैं। आप आसन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): आज बिहार का एक भाग मुक्त हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम जीवन सिंह: मैं रघुवंश बाबू का सम्मान करता हूं। वह एक अच्छे सदस्य हैं। अपनी बातों को रखने का तरीका जानते हैं और इस कला को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि "औरों को सुनता नहीं, गाता अपना गान, जो जितना चिंघाड़ता है, वक्ता वही महान"।

सभापति महोदय, हम जिस पार्टी से आते हैं, उसकी कंटिन्यूटी रही है, एक क्रमबद्धता रही है। हम इस बात को नहीं मानते कि यह कहा जाये कि आज कुछ प्रस्ताव पास करो और राजनैतिक लाभ उठाने के लिये कल कोई दूसरा प्रस्ताव पास करो। कभी यह कहा जाये कि झारखंड प्रदेश का निर्माण हमारी लाश पर होगा और कभी यह कह दो कि झारखंड बनेगा। अपनी सत्ता बचाने के लिये जो राज्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, हमारी पार्टी इस बात में कतई विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी टूट जाने में विश्वास करती है लेकिन राज्य और जनता के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं करेगी। यही कारण है कि हम लोगों ने सत्ता से बाहर रहना पसंद किया जिसकी बिहार के लोग चर्चा करते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि केवल यही आधार मात्र न हो कि सिर्फ विधान सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। इस आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिये। अन्यथा बड़ा खतरनाक काम होगा। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि विधानसभा तीन तरह का प्रस्ताव तीन बार पास करती है।

सभापति महोदय, कल और परसों यहां छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य बनाये जाने के लिये विधेयक पास किया गया और यह कहा गया कि जनाकांक्षाओं को देखते हुए राज्य बनाये गये। मैं यह मानता हूं कि राज्य के निर्माण में केवल यह आधार नहीं होना चाहिए बल्कि भौगोलिक, भाषायी या प्रशासनिक आधार होना चाहिये जिसकी इकौनोमिक वायबिलिटी हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे केन्द्र में किसी भी दल की सरकार हो, उसका यह कर्तव्य बनता है कि उसे सभी दलों को बैठाकर सर्वसम्मति या सर्वानुमति से एक मानदंड निर्धारित करना चाहिये जिससे राज्य का निर्माण हो अन्यथा कभी-कभी कठिनाई होती है।

सभापति जी, अभी श्री नारायण दत्त तिवारी यहां नहीं बैठे हैं। कल उन्होंने कहा था कि वे चार बार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। अच्छी बात है लेकिन उन्होंने यह कहा कि चूंकि वे उत्तराखंड से थे, इसलिये उनके सामने दुविधा थी कि यदि वे उत्तराखंड का प्रस्ताव करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रस्ताव अपने पक्ष में पास करते हैं जबकि विरोधी लोग यह कहते कि वे उत्तराखंड का प्रस्ताव क्यों पास करेंगे? जब वे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं तो वे एक छोटे राज्य के लिये क्यों करें। यदि उन्होंने नहीं किया तो यह समस्या और यदि करते तो दूसरी समस्या। मैं श्री मुलायम सिंह जी और कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन दोनों के समय में उनकी सरकारों ने इस संबंध में प्रस्ताव पास किया था। आज भले ही उस कार्य के लिये कोई दूसरा श्रेय ले ले। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक आधार के ऊपर राज्य का

[श्री रामजीवन सिंह]

निर्माण होना चाहिये। चाहे कमिश्नरी का निर्माण हो, चाहे जिले का निर्माण हो या प्रखंड का निर्माण हो। आज हम बिहार में देखते हैं कि तीन-तीन पंचायत पर एक ब्लाक बन गया है, तीन-तीन ब्लाक पर एक जिला बन गया है और एक-एक ब्लाक पर एक अनुमण्डल बन गया है। इससे निश्चित तौर पर प्रशासनिक खर्चा बढ़ता जा रहा है।

सभापति महोदय, आज पंचम वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मान लेने के बाद जिस प्रकार से खर्चा तेजी से बढ़ा है, उसका असर किस पर पड़ रहा है? इन सबका परिणाम यह निकला कि विकास के जितने कार्य थे, वे सब अवरुद्ध हो गये हैं। इसलिये मैं केन्द्र सरकार और गृह मंत्री जी से कहूंगा कि हमेशा यह आधार नहीं होना चाहिये कि सिर्फ एक विधान सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया और राज्य का निर्माण हो जाये। इसका आधार भौगोलिक, भाषायी या प्रशासनिक या इकौनोमिक वायबिलिटी होना चाहिये। अभी श्री कड़िया मुण्डा ने कहा कि हमारे वर्तमान झारखंड प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण हो रहा था या दूसरे तरह का शोषण हो रहा था। मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इस बात में इतना तथ्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 में प्रति व्यक्ति योजना निवेश सम्पूर्ण बिहार के लिये औसत 461 रुपये था और वर्तमान झारखंड प्रदेश के लिये 586 रुपये था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण बिहार के लिये प्रति व्यक्ति योजना निवेश 790 रुपये था जबकि झारखंड प्रदेश के लिये प्रति व्यक्ति 1171 रुपये था।

आठवीं योजना में, 1993 से 1997 तक जो पैसे का प्रति व्यक्ति योजना निवेश हुआ है, वह सम्पूर्ण बिहार के ऊपर औसतन 1506 रुपये और जो प्रस्तावित झारखंड क्षेत्र है उसके ऊपर 2297 रुपये है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि झारखंड प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से उपेक्षा की गई है। मैं यह भी कहूंगा, आज आपको सुनकर ताज्जुब होगा और मैं कड़िया मुंडा जी से कहना चाहूंगा कि संपूर्ण देश में प्रति लाख के पीछे करीब 211 किलोमीटर कच्ची-पक्की सड़कें हैं, जबकि बिहार में करीब 127 किलोमीटर के लगभग हैं और अगर औसतन उसे झारखंड और बिहार में बांट दें तो जो झारखंड प्रदेश हमारा बनेगा, उसमें औसत करीब 48 किलोमीटर और शेष बिहार में करीब 37 किलोमीटर का औसत आयेगा। इसलिए हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं। जो सम्पूर्ण बिहार में बिजली की जनरेशन कैपेसिटी है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, उस 1779 सम्पूर्ण मेगावाट में, आप अकेले उस प्रदेश में देखें कि यहां पर....

सभापति महोदय : कंक्लूड किया जाए, यहां आसन है, यहां दल नहीं है।

श्री रामजीवन सिंह: जिसमें प्रस्तावित झारखंड की 1220 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है और शेष बिहार की 559 मेगावाट कैपेसिटी है। इसलिए यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसकी उपेक्षा की गई है। हम इस बात को मानते हैं और हमारा दल स्वीकार करता है कि झारखंड प्रदेश की स्थापना बहुत पहले होनी चाहिए थी। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उस समय ही इसका निर्णय करना चाहिए था। उस समय वृहत्तर झारखंड राज्य की मांग की जा रही थी, जिसमें 18 बिहार के जिले चार उड़ीसा के जिले, तीन पश्चिम बंगाल के और दो मध्य प्रदेश के जिले शामिल होते। इस प्रकार 27 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रदेश बनता। निश्चित तौर पर भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, रस्मो-रिवाज के आधार पर, रहन-सहन के आधार पर, तीर्थ और त्यौहार के आधार पर एक समरूपता वहां रहती, लेकिन वैसा न करके उसे न तो बंगाल से काटा गया, न मध्य प्रदेश से काटा गया, न उड़ीसा से काटा गया और न बिहार से अलग किया गया। चूंकि उस समय के सारे मुख्य मंत्री इतने दबंग थे कि जिनके सामने योजना आयोग की कुछ चल नहीं सकी, अन्यथा झारखंड प्रदेश के पीछे जो भावना थी, वह वृहत्तर झारखंड प्रदेश की थी।

लेकिन आज जो झारखंड प्रदेश अलग हो रहा है, इसका हम समर्थन करते हैं और यह मांग करते हैं कि झारखंड प्रदेश के अलग होने के बाद अब जो बिहार की स्थिति होगी, उस संबंध में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी मांग की है। मैं गृह मंत्री जी से और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, जब आपने यह कहा कि उस सदन ने यह प्रस्ताव पास किया है, इसीलिए हम इसे यहां लाये हैं, लेकिन उसी सदन ने यह प्रस्ताव भी पास किया है कि 1,79,900 करोड़ रुपये का बिहार को पैकेज देना चाहिए। अन्यथा जो बिहार का पिछड़ापन है - शैक्षणिक दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, इन सभी क्षेत्रों में बिहार पीछे रह जायेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि बिहार को इस मामले में एक पैकेज दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और झारखंड प्रदेश आगे बढ़े। हम लोगों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, वह एक दूसरे के सहयोग से बना रहेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): सभापति जी, झारखंड राज्य बनने का जो विधेयक पेश किया है, समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में न कभी है, न रही है और न रहेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक साथ हो ही गई हैं तो हम चाहें कितने ही भाषण दें, कुछ होने वाला नहीं है, दोनों एक हैं ...*(व्यवधान)* हम कह रहे हैं कि आंखें मूंदकर रोजाना समर्थन मत करते रहो।

रोज हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का ही राज है। मर्जर कर लो। आप सरकार में होंगे तो कम से कम नियंत्रण तो करोगे इन पर। जब दोनों एक हैं तो हमारी राय है कि ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): इस मुद्दे पर एक हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो विरोध करेंगे। आप विदेशी पूंजी के बारे में एक हैं, विदेशी कंपनियों के बारे में दोनों एक हैं, उत्तराखंड पर दोनों एक हैं, बीमा विधेयक पर दोनों एक हैं ...*(व्यवधान)* झारखंड प्रदेश के मामले पर दोनों एक हैं और छत्तीसगढ़ पर दोनों एक हैं। एक किसमें नहीं हैं मुझे पता नहीं, यह सुन्दर लाल पटवा जी जानें और सोनिया जी जानें कि किस-किस में एक हैं और किस-किस में अलग हैं। ...*(व्यवधान)* हम तो दोनों के खिलाफ हैं। हम इस बारे में जनता के बीच जा चुके हैं, कह चुके हैं, अब क्या रह गया है? आप लोग तो सब एक हो गए। हम दोनों के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि प्रभुनाथ जी, राम जीवन जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी कहां जाकर लालच में बैठ गए, आप लोग निकलकर आएं, जार्ज को समझाइए और यहां आएं यह जो थर्ड फोर्स बैठी हुई है इन दोनों के खिलाफ ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): थर्ड फ्रंट कहां गया?

श्री मुलायम सिंह यादव : एक तो खड़ा ही है।

श्री रघुनाथ झा : आप हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, मैं हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उसको और बढ़ाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप आएंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हां, आप बढ़ाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे खुशी है कि प्रभुनाथ जी हमारी राय से सहमत हैं। आपको आना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* हम कह रहे थे कि हम छोटे राज्यों के खिलाफ हैं। जब झारखंड बन गया है तो उत्तरी बिहार में कुछ बचा नहीं है, कोई उद्योग नहीं बचा। जमशेदपुर गया, रांची गया, धनबाद भी चला गया। खनिज, कोयला चला गया, सीमेन्ट भी चला गया, लकड़ी भी चली गई और सब कुछ चला गया। अब कहते हैं कि शोषण बहुत होता था। कुछ साथियों की राय है कि जिनके आधार पर बना है, जो नाम दिया गया है, उन आदिवासियों की केवल 27 फीसदी तादाद है। आदिवासियों का वहां मुख्य मंत्री बनने वाला नहीं है। आपके सामने आ जाएगा। और जो कहा जाता था कि भारी शोषण हो रहा है, अब वह शोषण करने वालों को कब निकालेंगे, उनको भी निकालना पड़ेगा। झारखंड राज्य में शोषण करने वाले जिनका इशारा हो रहा था, मैं सुन रहा था कि गरीब का शोषण, किसान का शोषण, मजदूर का शोषण, पिछड़ों का शोषण, आदिवासियों और दलितों का शोषण, यह शोषण करने वाले तो इसमें शामिल हैं और बहुमत में हैं। मुझे तो बिहार की पूरी तस्वीर मालूम है। शोषण करने वाले मौजूद हैं, उनके लिए इस विधेयक में क्या रखा गया है?

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): जिनके द्वारा सारे घोटाले हुए, चारा घोटाला, दवा घोटाला, भूमि घोटाला हुआ - वह आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमसे बहस मत करो। लालू जी से आप कह सकते हैं, रघुवंश जी से कह सकते हैं, मुझसे मत कहिये। ऐसा घोटाला आ जाएगा पूरे देश में अभी-अभी। ऐसा घोटाला मामूली नहीं होने जा रहा है। वह तो चारा, दवाइयां सबको पीछे कर देगा, ये सब होगा। इसलिए घोटाले की बात तो मत करो आप भी घोटाला बनने वाले हैं।

इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब यह जो शोषण करने वाले हैं उनके लिए विधेयक में क्या है या कैसे सावधान किया जाए। अंतरिम सरकार बनेगी। मुझे खुशी होगी अगर आदिवासी मुख्य मंत्री बना दें।

सायं 6.00 बजे

जिस आधार पर बंटवारा हुआ है ...*(व्यवधान)* मजबूरी में बहुत जगह किया है। मजबूरी में तो आपने राजस्थान में भी कर दिया है। आपकी मजबूरी है इसलिए मेरा कहना है कि आपने मजबूरी में किया है न कि खुशी में किया है। ...*(व्यवधान)* आपने मजबूरी में किया है। आप बैठे रहो मजबूरी में। आप हमसे समर्थन

[श्री मुलायम सिंह यादव]

भी करोगे और लड़ोगे भी, यह दोनों काम नहीं कर सकते। आप लड़ो या मिलो, यह बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। यह तटस्थता कुछ नहीं होती, यह मैं आपको बता रहा हूं।

उत्तरी बिहार के पास कुछ नहीं बचा है। अब न्याय करना चाहिए। जब हम अलग हो रहे हैं और आप बार-बार भाई-भाई कहते हैं तो इंसाफ होना चाहिए। इसके बारे में राम सजीवन जी भी कह रहे थे और आप भी खड़े होकर कहेंगे। सबकी राय यही है कि वहां इंसाफ होना चाहिए। यदि इंसाफ के साथ बंटवारा होगा तो मैं समझता हूं कि वहां शांति होगी और अगर इंसाफ के साथ बंटवारा नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई तो फिर झगड़े होंगे। नार्थ बिहार में भी आंदोलन चलेंगे। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बेहतर यह होता कि आपको एक पैकेज के साथ इस विधेयक को लाना चाहिए था। वह पैकेज 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है परंतु कुछ तो राय होनी चाहिए थी। आप 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब छः बज चुके हैं। अगर सदन की सहमति हो तो यह बिल पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

सभापति महोदय : सदन का समय बिल पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरी राय में तो आप पास करा दीजिए। ...*(व्यवधान)* हम अपना भाषण बंद करते हैं। आप पैकेज दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इसे पास करिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आपको अपनी बात कहने से रोका नहीं गया है। छः बज गये थे इसलिए हमने आपको रोका था। आप अपना भाषण जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम भाषण बंद करते हैं। आप पैकेज की घोषणा करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)* इस बिल को पास करा दीजिए। उनकी बात सदन को मान लेनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप नियमन दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा): सभापति जी, गृह मंत्री जी को यहां रहना चाहिए। गृह मंत्री जी हाउस में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने की इजाजत दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : असली मंत्री अब आ गये हैं। आप इनको पकड़िये। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैकेज ...*(व्यवधान)* श्री मुलायम सिंह जी को बिहार की सारी जानकारी है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि पिछले 10 साल से वहां जो सरकार है उसने अरबों, खरबों रुपयों ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लाल मुनी चौबे जी, आप पुराने सदस्य हैं इसलिए आप सदन संचालन में व्यवधान न करें। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, वहां की सरकार ने अरबों खरबों रुपया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग्स में दर्ज नहीं हो रही है।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, हम अभी चुनाव लड़कर आये हैं और जनता से हमने एक वायदा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया है। ...*(व्यवधान)* जो मुख्यमंत्री रहेगा, उसी की देख-रेख में विकास का काम होगा और यहां से पैसा जायेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। जब आपको समय मिला था तब आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : चौबे जी, आपकी बात प्रोसीडिंग्स में दर्ज नहीं हो रही है इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इन्हीं का भाषण सुनिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम कैसे भाषण दें। *...(व्यवधान)* चौबे जी, आप यह नोट करें कि मैं बेइमानी नहीं कर रहा हूं। बेइमानी करने वाले इधर हों, चाहे उधर हों, हम कोई बेइमानी नहीं करते। *...(व्यवधान)* हम तो अपनी राय रख रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी आप बातें करना बंद कीजिए क्योंकि आपसे मामला अटका हुआ है।

1 लाख 79 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की मांग है। आप कितने पर सहमत हैं, यह बिल के अंदर आना चाहिए। अगर आपको 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपए ज्यादा लगते हैं तो जितना आप ठीक समझते हैं, उसकी कोई न कोई राय आनी चाहिए। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। *...(व्यवधान)* जो हरेक की बात में टोका-टाकी करे, वह अच्छा पार्लियामैंटेरियन नहीं माना जाता। कभी-कभी तो कर लीजिए। ये बंटवारे तो होते जाएंगे। वहां स्कूल, पानी, बिजली नहीं हैं। अभी तो पुरानी विधान सभा है। फिर नई बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। हमें खबर है कि उसमें सिर्फ आठ लोगों के बैठे की जगह है और आप 81 एम.एल.ए. बनाएंगे 90 बनाएंगे या कितने बनाएंगे, यह पता नहीं है। *...(व्यवधान)* अब विधान सभा बनानी पड़ेगी, सचिवालय बनाना पड़ेगा, मुख्य मंत्री निवास बनाना पड़ेगा, मंत्रियों के निवास बनाने पड़ेंगे, आई.ए.एस. और सचिवों के मकान बनाने पड़ेंगे। बिजली, पानी का सारा पैसा केवल राजधानी बनाने में ही चला जाएगा। छोटे-छोटे राज्यों का यह नतीजा होगा कि जमीन सिकुड़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और अन्न की पैदावार घटती जाएगी। इन बंटवारों के ये तमाम परिणाम हैं। थोड़े दिनों बाद 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपए को लेकर विवाद छिड़ेगा, हम जानते हैं कि इसकी तैयारी है। ये लोक सभा में ऐसे बोल रहे हैं - ऐसा नहीं है। यह संघर्ष की बुनियाद रखी जा रही है।

इसलिए वित्त मंत्री जी, इस विवाद को खत्म कीजिए। इन्हें अलग प्रांत दे दीजिए जहां ये अपनी बातचीत कर लें। मेरी आपसे यह राय है कि 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपए की, एन.डी.ए. के माननीय नेता या सदस्यों की मांग हैं, हमारी भी मांग है, शायद इधर की भी मांग हो, कांग्रेस के मित्र भी मांग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नार्थ बिहार के होंगे, उत्तरी बिहार के होंगे, वे भी कहेंगे कि हमें दीजिए। इसमें सर्वसम्मति है और जब सर्वसम्मति है तो देर किस बात की है। आप कहेंगे पैसा नहीं हैं, आप विदेशों से पैसा ला रहे हैं, विदेशी कर्ज ले रहे हैं, फिर बंटवारा क्यों कर रहे हैं। यह सोचना चाहिए था कि रुपया मांगा जाएगा। दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि आप बंटवारा भी करें और धनाभाव भी बताएं। जब बंटवारा कर रहे थे तभी सोचना चाहिए था कि यह सब करना पड़ेगा। सभापति जी, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये से सहमत नहीं हैं तो जितने रुपयों से सहमत हो रहे हैं, वह बताइए ताकि रास्ता निकाला जाए। हम प्रभुनाथ जी, रघुनाथ जी और अन्य साथियों से भी कहेंगे कि मजबूरी है, ये विदेशों से कर्ज मांग रहे हैं, यहां बहुत बड़े देश के मालिक बन रहे हैं और वहां भीख मांग रहे हैं। देश की यह हालत हो गई है कि जब हमारे बड़े-बड़े मंत्री अमरीका में जाते हैं तो वहां के अफसरों से बात कर पाते हैं, वहां के मंत्रियों से बात नहीं कर पाते। यहां बड़ी हैसियत दिखाते हो, मुझे पता है, यहां ऐसे लगते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन ये वहां जाकर, हमारे यहां जो डिप्टी सैक्रैटरी, ज्वाइंट सैक्रेटरी होता है, ऐसे अफसरों के बीच जाकर खुशामद करते हैं। यह हमारे मंत्रियों की हालत है। इसे भिखमंगा देश बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हर चीज के बंटवारे होते चले जा रहे हैं। यह तो एक नए आन्दोलन का निमंत्रण तो दे दिया। इसमें सब शामिल होंगे। बी.जे.पी. के जो नहीं होंगे तो शर्म की वजह से नहीं होंगे। समता पार्टी आदि सब होंगे। इसलिए इसे पैकेज के साथ आना चाहिए। अगर पैकेज नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है। मुझे यह खबर मिली है कि 15 अगस्त को बड़ी भारी उपलब्धि पेश की जाएगी।

लालकिले से एक बड़ी उपलब्धि घोषित होगी। एक सबसे बड़ी उपलब्धि घोषित होगी कि हमने उत्तराखंड बना दिया। ये तो उत्तरांचल कहेंगे, लेकिन जब उत्तराखंड पास कर दिया तो हम इसे उत्तराखंड ही कहते रहेंगे और यदि कभी मौका मिला तो उसका

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

नाम उत्तराखंड ही होगा। ये एक उपलब्धि बताएंगे कि हमने छत्तीसगढ़ बना दिया। आप भाषण सुनिएगा, उसमें लिखा जायेगा। हमें पता है, हमें खबर मिली है। इसीलिए जल्दी-जल्दी ये विधेयक पास हुए हैं। कार्य मंत्रणा समिति में इन्हें इसीलिए जल्दी रखा गया है ताकि 15 अगस्त को बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री के माध्यम से घोषित की जा सके। इनके भाषण में तीन बड़ी उपलब्धियां होंगी।

अब ये अमेरिका जा रहे हैं। इनकी इस उपलब्धि से तो हमें बड़ा डर लग रहा है कि कहीं यह बड़ा खतरनाक कदम न हो जाये। हमें पता चला है कि वहां सब चीजों पर दस्तखत होंगे। सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत का पूरा वायदा हो चुका है। अगर सरकार ने हम लोगों को विश्वास में लिये बिना सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत किये तो मैं आज बताये दे रहा हूं कि सरकार का काला मुंह होकर आयेगा, अगर इसी तरह से सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत हो गये। हमारी यह मांग है कि वे पांचों देश भी अपने सारे हथियारों को समुद्र में फेंक दें तो भारत भी अपने हथियार फेंकने को तैयार है। जब तक ये देश अपने हथियार नहीं फेंकते तो आपको इसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको देश के स्वाभिमान को बचाना चाहिए। इसलिए आपको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था कि विदेशी कर्जा लेंगे तो क्या होगा। अब हम इस पर नहीं बोलेंगे, जब परसों-तरसों इस पर बहस होगी, तब आपको बताएंगे। हम एक लाख 79 हजार 900 करोड़ रुपये की मांग का समर्थन करते हैं। अगर हम लोगों की मांग ज्यादा हो तो आप वित्त मंत्री हैं, आपके पास सारे देश का आर्थिक नक्शा रखा है कि हमारी वित्तीय हालत कैसी है। जो आप उचित समझते हैं, वह कोई न कोई चीज आपको देनी चाहिए, वरना इस विधेयक को आप वापस लीजिए और दोबारा पैकेज के साथ हाऊस में इसे लाइये।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उत्तरी बिहार से आता हूं। जब मैं विधान सभा का सदस्य था, उस समय से ही मेरी भावना रही है कि बिहार का दो भागों में, एक वनांचल या झारखंड हो और जो दूसरा बिहार में इसका बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा, ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली बार अलग हो रहे हैं। बिहार कभी बंगाल के साथ था, हम बंगाल का हिस्सा थे और 1912 में जिस समय इस सदन का निर्माण भी नहीं हुआ था, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1936 में बिहार और उड़ीसा भी एक दूसरे से अलग हो गये। आज सन् 2000 में यदि बिहार के साथ अभी एक दूसरा राज्य झारखंड बन रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। झारखंड की जनता आज बहुत प्रसन्न होगी। इसकी लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। झारखंड राज्य की लड़ाई बहुत पुरानी है। इसी सदन में जिस समय जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और जयपाल सिंह जी रांची से आते थे, जब वे यहां वहां से सांसद थे, तब से यह मांग चली आ रही है। बहुत बार यहां मांग हुई, लेकिन पता नहीं क्यों, जिस समय उन्हें कांग्रेस ने मंत्री बना दिया और झारखंड पार्टी का मर्जर कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया तो उस समय झारखंड की जनता की मांग को कुछ नेताओं ने खत्म कर दिया।

मैं एन.डी.ए. की सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन लोगों ने यह फैसला लिया कि बिहार को दो भागों में बांटा जाये और झारखंड राज्य का निर्माण कराया जाये। आज उत्तरी बिहार से होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी सारी इकाइयां हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वे सारी दक्षिण बिहार में हैं और उत्तरी बिहार में कुछ नहीं है। पहले वहां चीनी मिलें थी। जूट की मिलें थीं, कागज की मिलें थीं, लेकिन आज वे सारी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं। केवल एक मिल चल रही है और वह बरौनी का पैट्रोलियम का कारखाना है, एक ऑयल रिफाइनरी है, वही चल रही है।

बरौनी में दूसरा कारखाना फर्टिलाइजर का है, वह भी बंद पड़ा है। दक्षिण बिहार में काफी उद्योग स्थापित हुए, वहां इतना खनिज पदार्थ होते हुए भी और जंगलों की पर्याप्त व्यवस्था होते हुए भी वहां के लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकी, दक्षिण बिहार का उद्धार नहीं हो सका और न इससे उत्तर बिहार का हो सका। हमारी सबसे अधिक चिंता उत्तर बिहार को लेकर है। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। केवल जल प्रबंधन कर दीजिए, तो हम पंजाब और हरियाणा को मात दे सकते हैं। वहां से अधिक अनाज की उपज कर सकते हैं, इतनी वहां क्षमता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत है कि जो भी नदियां हमारे यहां हैं, वे नेपाल से आ रही हैं। उनके कारण हम बाढ़ की चपेट में रहते हैं और कभी सूखे की चपेट में रहते हैं। हम कोई पैकेज केन्द्र से नहीं चाहते। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये नदियां भी अंतरराष्ट्रीय हैं। इसलिए हमें इस संबंध में नेपाल से समझौता करना होगा। उस समझौते के अधीन अगर बाढ़ से राहत मिल गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर बिहार पंजाब की तरह इस देश का सबसे ज्यादा अनाज उत्पादक राज्य बन सकता है।

1930 में वहां 28 चीनी मिलें थीं, जो अब घटकर आठ या दस रह गई हैं। उसका मुख्य कारण वहां का कुप्रबंधन है। अंग्रेजों के जमाने में लोगों ने तय किया कि उत्तर बिहार की जमीन ऐसी

है वहां गन्ने की उपज काफी हो सकती है इसलिए वहां चीनी मिलें लगाई गईं। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां पर आठ बार सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, जबकि उत्तरी बिहार में शायद एक बार ही गन्ने के खेत में पानी देना पड़े। मैं जब विधायक था तो एक बार एक चीनी मिल में गया। वहां एक बोरा चीनी का दाम 810 रुपए था। मैंने पूछा कि इसकी लागत कितनी आती है तो मुझे जवाब मिला कि एक बोरा चीनी पर हमें 22,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जी हां, 22,000 रुपए - इससे आप सोच सकते हैं कि वहां कैसे चीनी का उत्पादन हो सकता है। 1930 में बनी चीनी मिलें आज के आधार पर, जिस तरह आज की व्यवस्थाएं हैं, कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी।

वहां जो नया राज्य बनने जा रहा है, उसको लेकर झारखंड के लोगों के मन में काफी खुशी है। वे इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज झारखंड के इलाके में व्यवस्था होगी, उसके लिए पैकेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसके बारे में यह तय होना चाहिए कि यह भार किस सरकार पर पड़ेगा। बिहार को पहले भी कई पैकेज दिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सारे घोटाले चाहे चारे के हों, दवा के हों या भूमि के हों, वे उत्तर बिहार या मध्य बिहार में नहीं हुए, वे सब दक्षिण बिहार में हुए हैं। इसलिए जो पैकेज पठारी क्षेत्र को लेकर बने, वह वहीं पर लागू हो।

संसदीय क्षेत्र का जो विभाजन हुआ है, इससे डिस्पैरिटी हो गई है। कहीं-कहीं एक लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभा क्षेत्र हैं, कहीं पर सात हैं। हमारे यहां चार ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां सात विधान सभा क्षेत्र हो गए हैं। उनके सांसदों पर उस इलाके का ज्यादा बोझ पड़ गया है। उनका अनुमान है कि हमारे क्षेत्र में भी व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

दक्षिण बिहार के राज्य बनने से मैं समझता हूं जैसे छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, वह रांची में नहीं होंगी, क्योंकि रांची राजधानी होने जा रही है।

रांची में पहले से ही उच्च न्यायालय मौजूद है। वहां मुख्य मंत्री का आवास है, राज्यपाल का आवास है, मंत्रियों का आवास है और जब उस समय विधान सभा भी वहां चला करती थी तो उसकी भी वहां व्यवस्था है, इसलिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दूसरे राज्यों के लिए करनी पड़ेगी। ये सारी सुविधाएं हमारी रांची में उपलब्ध हैं लेकिन उस इलाके की एक दूसरी जगह दुमका है जहां से रांची आने-जाने में काफी समय लगता है, इसलिए सरकार को इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट): सभापति महोदय, मैं बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 का स्वागत करती हूं। इसके साथ-साथ उड़ीसा राज्य की जनभावना को मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह करती हूं कि उड़ीसा राज्य का अभिन्न अंग जो कि सरायकेला व खरसांवा विधान सभा क्षेत्र को, झारखंड राज्य को नहीं बल्कि, संशोधन विधेयक के द्वारा उड़ीसा राज्य को सौंपा जाये, यही उड़ीसा राज्य के लोगों की हार्दिक इच्छा है।

सरायकेला व खरसांवा क्षेत्र 1947 से पहले उड़ीसा राज्य का अभिन्न अंग था। वहां के राजाओं ने जब नये राज्य का गठन किया जा रहा था तो उस समय उड़ीसा राज्य में इन दोनों क्षेत्रों के राजाओं ने अपनी हार्दिक इच्छा व जनभावनाओं की इच्छा के अनुरूप उड़ीसा राज्य में रहने की सहमति लिखित रूप से सरकार को दी थी। इन दोनों क्षेत्रों में उड़िया भाषी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां की संस्कृति, सभ्यता और भाषा अनेक प्रकार की समानताएं वर्तमान समय में भी उड़ीसा राज्य जैसी ही हैं। उस समय में भी उड़ीसा राज्य के नेताओं तथा नागरिकों ने जब इन दोनों क्षेत्रों को बिहार राज्य से जोड़ा जा रहा था तो व्यापक विरोध किया गया था। लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी एवं अन्य पार्टियों ने जब झारखंड राज्य बनाने का ऐतिहासिक संकल्प किया है तो कम से कम उड़ीसा राज्य के उस अभिन्न हिस्से को झारखंड की बजाए उड़ीसा राज्य को सौंपा जाये, इसी रूप में जनभावनाओं का आदर होगा। झारखंड राज्य के गठन की मांग वहां के आदिवासी और वनवासी लोगों द्वारा की गई थी तथा वे इस मांग को लेकर काफी समय से संघर्षरत थे। मैं चाहती हूं कि दलित आदिवासी समाज के लोग अपनी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई इकाई में एक रहकर अपना विकास करें। दलित आदिवासियों का जो कई वर्षों से शोषण होता आ रहा था, मैं चाहता हूं कि झारखंड और छत्तसीगढ़ राज्य में आदिवासी वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया जाये तथा ...*(व्यवधान)* कांग्रेस ने उड़ीसा को भी तीन बार आदिवासी वर्ग के नेता को बनाया था। सरायकेला और खरसांवा इन दोनों क्षेत्रों को केन्द्र सरकार उड़ीसा राज्य को सौंप दे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड के लाखों नागरिक विशेषकर हमारे आदिवासी भाई-बहनों की आशाओं के अनुसार झारखंड प्रदेश का गठन होने जा रहा है, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का मैं समर्थन करता हूं। चिर-परिचित यह मांग उस इलाके के लोगों की विशेषकर आदिवासी, दलित, गरीबों की मांग रही है। यह मांग हमारे माननीय सदस्यों ने ठीक उठाई है। श्री जयपाल सिंह जी आदिवासियों के नेता थे। जो हमेशा इसे अलग करने की मांग करते थे। उस समय यह मांग काफी जोरों पर थी और कांग्रेस के लोगों ने श्री जयपाल सिंह को पटाने का काम किया, फंसाने का काम किया और कांग्रेस में मिला लिया था फिर भी वह काम नहीं हो सका। ...*(व्यवधान)* उसके बाद श्री एस.के. बघा, झारखण्ड के बहुत बड़े नेता हुए और बिहार विधान सभा में विपक्ष के भी नेता हुए। उनके जमाने में झारखण्ड अलग राज्य बनें, इसकी चर्चा भी उस समय हुई। वहां के लोगों की इच्छा, आकांक्षा की पूर्ति हो, लेकिन वे भी कांग्रेस के जाल में फंस गए और कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन गए। ...*(व्यवधान)* आप बैठिए, हम सब बात जानते हैं, कांग्रेस की रीढ़ को जानते हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, आज हम एन.डी.ए. की सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि इस विधेयक को पेश करने का काम किया। आज हम समझ सकते हैं, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को हमने देखा है, हमको लग रहा है कि अभी यह विधेयक इस सदन में पारित होगा और जल्द ही झारखण्ड के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। हम उनकी इस आकांक्षा में अपने आपको शामिल करते हैं और हृदय से वहां की जनता को मुबारकबाद देते हैं। महोदय, जिस दिन यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था, उस दिन हम लोगों की तरफ से, अन्य विपक्षी के दलों की तरफ से, माननीय मुलायम सिंह जी की तरफ से तथा दूसरे लोगों की तरफ से और रघुवंश प्रसाद जी की तरफ से इसका विरोध हुआ था। उस समय गृह मंत्री जी ने कहा था, स्वीकार किया था कि हम समझते हैं, जानते हैं कि शेष बिहार की स्थिति खराब होने वाली है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जिससे कि एक दरिद्र हो जाए और एक समृद्ध बन जाए। जहां तक उत्तर बिहार का प्रश्न है, मैं मुलायम सिंह जी की बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं, महोदय आप भी उत्तर बिहार से आते हैं, आज हम कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं, चाहे विपक्ष के नेता की हैसियत से, चाहे मुख्य मंत्री की हैसियत से, उन्होंने बराबर इस बात का जिक्र किया था, जब तक उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों को बांधने का काम केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं होगा, तब तक उत्तर बिहार की गरीबी, बेबसी, लाचारी दूर नहीं की जा सकती है। राज्य में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, लालू प्रसाद जी की सरकार को हम भले ही कुछ कह दें, उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों के बाढ़ के कारण हर साल नुकसान होता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, सड़कें टूटती हैं, मकान ढहते हैं, जमीन बरबाद होती है, खेत बरबाद होता है, यह समस्या हम किसके सामने रखें। यह काम बिहार सरकार के बूते का नहीं है। बिहार की सरकार नेपाल की सरकार से बात नहीं कर सकती है। आज हमें प्रसन्नता है कि राजधानी में नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री जी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार नेपाल से आने वाली नदियों से हमारा जो नुकसान होता है, अगर उसको रोकने का काम कर सके, तो बिहार के लोगों में दरिद्रता नहीं रहेगी। अभी मदन प्रसाद जायसवाल जी कह रहे थे कि हम हरियाणा को खिला सकते हैं, हमारी जमीन उपजाऊ है, लेकिन किस तरह से खिला सकते हैं, नेपाल के साथ कौन बात करेगा। नेपाल के साथ बात करने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी होगी। भारत सरकार को बताना होगा कि हम किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे तभी हमारा दुःख दूर हो सकता है।

महोदय, बिहार में 32 शुगर फैक्ट्रीज हैं, मध्य बिहार में तीन शुगर फैक्ट्रीज हैं, सारी शुगर फैक्ट्रीज बन्द हैं, केवल चार-पांच शुगर फैक्ट्रीज ही चल रही हैं, बाकी सारी दम तोड़ रही हैं और 5-6 को किसी न किसी तरह से चलाई जा रही हैं। बिहार में पिछले वर्षों में एक भी शुगर फैक्ट्री देने का काम भारत सरकार ने नहीं किया है। आप हमारी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो शुगर फैक्ट्रीज को बेहतर बनायें और नई शुगर फैक्ट्री बिहार में लगायें। इसी प्रकार जहां तक जूट की बात है, पूर्णिया और सहरसा के इलाके में जूट की फैक्ट्री थी और किसान जूट दिया करते थे।

आज वह जूट फैक्ट्री बंद है। हमारा खाद का, कागज का कारखाना बंद है। हमारे सामने सिर्फ बालू, मिट्टी और पानी है, हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे। वित्त मंत्री जी, आप भी बिहार से आते हैं। आप पहले उत्तर और मध्य बिहार के थे लेकिन अब आप हजारीबाग, झारखंड राज्य में चले गए। आप झारखंड राज्य में जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जो शेष बिहार बच रहा है उसे आप बचाने का काम करें। हम यह बात आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा, हम उनकी दो बातों से सहमति रखते हैं। पहली यह है कि अगर उत्तर-बिहार के लोगों को अपने रहमोकरम पर छोड़ देंगे तो उत्तर-बिहार या मध्य बिहार के लोग ज्यादा दिन तक चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। वे इस बात के लिए बगावत पर उतारू होंगे, आंदोलन और संघर्ष करेंगे। झारखंड राज्य बने, उससे हमारा कोई विवाद नहीं है लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि किस उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य बनाया जा रहा है। मुलायम सिंह

जी ठीक कह रहे थे। 81 सीटों में से 23 सीटें आदिवासी और दलित भाईयों की हैं, बाकी सारी सीटें दूसरे लोगों की हैं, जनरल सीटें हैं। हमारी इच्छा है और हम भी चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आप झारखंड राज्य का गठन कर रहे हैं तो उस इलाके के सम्यक झारखंड में कोई आदिवासी मुख्य मंत्री हो, कम से कम पहला मुख्य मंत्री तो आदिवासियों के बीच में से बनाने का जरूर संकल्प लीजिए। आप घोषणा कीजिए, हम उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं। गृह मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें बिजली के मामले में क्या सहायता दे रहे हैं। आप हमें बिजली के मामले में मदद कीजिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड़, बिजली, सिंचाई, चीनी मिलों की अधिक से अधिक स्थापना शेष बिहार में करें।

महोदय, आप शंका व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि पैसे का गोलमाल हो जाता है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बिजली दीजिए, हमारे उद्योग धंधे दीजिए। हमें नेशनल हाईवे, सड़क दीजिए। हमारे यहां नदियों में तट बंध बांधने का काम कीजिए, सिंचाई का प्रबंध कीजिए। ये सारी चीजें उत्तर-बिहार और मध्य बिहार के लोगों को दीजिए ताकि हम बिहार की उन्नति और तरक्की कर सकें तथा शेष बिहार में अपने झारखंड के भाइयों के साथ मिल कर खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकें, यह मैं आशा करता हूं कि और उम्मीद रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

***श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): सभापति महोदय, मैं बंगला में बोलना चाहता हूं। मैं पहली बार अपनी मातृभाषा में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैं पहली बार 1973 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रांची गया तो बिहार के युवा कांग्रेस नेता श्री ज्ञान रंजन मेरे साथ थे। वे इस आंदोलन के महान नेता थे। मैं पहली बार जिन लोगों से मिला वे सब आदिवासी युवक थे। उन लोगों ने मुझसे एक ही बात कही - आप युवा कांग्रेस के बारे में बोलने आये हैं। कृपया हमारी मानसिक वेदना को सुनें। हम लोग भारत के ही अंग हैं, स्वतंत्रता संघर्ष में हम भी सहभागी थे। हमारे नेता बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। हमारे नेता सिद्धु कानू ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, ये सारे तथ्य केवल इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गये हैं। हमारी पहचान क्या है? क्या हमारी पहचान कोटे के माध्यम से मंत्री अथवा एम.एल.ए. बनने की है? पूरे वनांचल अथवा झारखंड क्षेत्र में हमारा भविष्य क्या है? सभापति महोदय, तब मैं इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका था। केवल सर झुकाये वापस आ गया था। मैंने स्वयं से कहा कि स्वतंत्र भारत का श्रेय केवल गांधी जी या राजेन्द्र प्रसाद अथवा जय प्रकाश नारायण को नहीं दिया जा सकता। यदि बिरसा मुंडा, सिद्धु कानू जैसे लोगों का योगदान न होता अथवा संथालियों का संघर्ष न होता तो शायद अंग्रेजों को इतनी आसानी से भगाना संभव न होता और स्वतंत्रता न मिलती। इस दिन मैंने मन ही मन कहा कि उन लोगों को किसी न किसी दिन उनका अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड संघर्ष के बारे में हमारी पार्टी द्वारा कोई दृष्टिकोण तैयार करने के पूर्व ही मैंने यह महसूस किया कि वहां के लोगों को आंदोलन करने का हक है और उनका संघर्ष सफल हो। आज मुझे बहुत खुशी है कि सरकार, कांग्रेस पार्टी यह सदन तथा अन्य लोग पृथक झारखंड के निर्माण का समर्थन कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाषायी या सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक मुद्दों पर आधारित किसी संघष, को मान्यता देते हुए पृथक राज्य का गठन करना देश का विभाजन है। मेरी मान्यता ठीक इसके विपरीत है। भारत के वर्तमान परिदृश्य में मेरा यह मानना है कि यदि कोई भारत में रहना चाहता हो लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक भेदभाव के विरुद्ध अपने लिए पृथक पहचान चाहता हो, तो उनकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने से प्रजातंत्र और सुदृढ़ होता है। यदि लोगों की उक्त आकांक्षा को बलपूर्वक दबा दिया जाये तो इससे लोकतंत्र कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है। मुझे आश्चर्य है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पृथक राज्यों के गठन से देश विभक्त हो जाएगा। ये सदस्य ही अपनी पार्टी बैठकों में इस बात पर बल देते हैं कि मजबूत केंद्र के नाम पर यदि सभी शक्तियां केंद्र में निहित हों जायें तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वे सत्ता के विकेन्द्रीकरण की केवल बातें करते हैं लेकिन पुन: राज्य को सत्ता का हस्तांतरण किये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। मुझे इस दलील में कोई तर्क नजर नहीं आता है। हमें आज यह समझना चाहिए कि भाषा, संस्कृति तथा राजनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित पृथक पहचान की इच्छा को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता। इससे लोकतंत्र की प्रक्रिया कमजोर होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के शुरूआती दौर में रविन्द्रनाथ ने कलकत्ता में स्वदेशी मेला में एक गीत गाया। मुझे वह गीत याद है:-

थाउजैण्ड एण्ड थाउजैण्ड्स आफ माइंड आल डाइवर्सड कल्चर आईडैन्टिटी शुड बी टाइड विद वन नॉट (भिन्न-भिन्न संस्कृति

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

वाले हजारों लाखों लोग एकता के सूत्र में बधे हैं। विभिन्नता में एकता का उनका यही अर्थ था। यही भारत का राग है। यदि नागालैंड आज यह अनुभव करता है कि नागा होने के कारण उसकी अपनी भाषा, परिधान तथा व्यक्तित्व है, और इसे अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता है तो उनकी मांग में कोई गलत बात नहीं है। आज यदि अनन्त शोषण और लंबे संघर्ष के बाद आदिवासियों ने अलग झारखंड राज्य प्राप्त करने में सफलता पायी है तो सभा को विनम्रतापूर्वक बिना किसी चर्चा के उनकी चिरप्रतीक्षित इच्छा को पूरा करना चाहिए तथा उनकी संघर्ष की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। हम बहस द्वारा उनकी पृथक अस्तित्व की भावना को नहीं दबा सकते। उनकी पृथक अस्तित्व की यह भावना जटिल जरूर है परन्तु स्वाभाविक भी है। हम इसे जरूर समझें। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता। कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि विभिन्न राज्यों का निर्माण देश की एकता को खंडित कर देगा। देश को यह क्यों विभाजित करेगा? *...(व्यवधान)*

श्री बैसीमुथियारी बोडोलैण्ड के प्रश्न पर मैं आपके साथ हूं, लेकिन पहले मुझे इस विधेयक पर बोलने दें। आज मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं। जब महात्मा गांधी किसान संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए चम्पारण गये, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के दिनों को गिन रही थी, तो कांग्रेस ने 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस की बैठक में क्या कहा? इसने छत्तीसगढ़ की बात कही। बनारस कांग्रेस की बैठक में - कांग्रेस ने क्या कहा? बंगाल के विभाजन के दौरान कांग्रेस ने क्या कहा? जब गोखले ने इसे रोका तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कहा? इसने कहा - आज भारत के लोगों की मांग केवल भोजन या भूख नहीं है बल्कि इनकी सभ्यता, भाषा, सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की है। हमें सभ्यता, भाषा तथा विरासत के सम्मान के इस विषय पर पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि जरूरत हो तो संविधान में एक या दो बार ही नहीं बल्कि साठ-सत्तर बार भी संशोधन किया जा सकता है। यही जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था। प्रारम्भ में हमारे पास भाषा के आधार पर राज्य थे, लेकिन बाद में हमने पाना कि केवल भाषा ही नहीं अन्य पहलू भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने कहा कि छोटे राज्यों का सृजन देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में आपने अपनी विधान सभा में - उत्तराखंड विधेयक पारित किया था। उस दिन आप जानते थे कि राज्य का विभाजन हो रहा है। तब आपने विधेयक क्यों पारित किया? क्योंकि आप जानते थे कि आपको पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की भावना का सम्मान करना

है। उसमें कुछ भी गलत या अनुचित नहीं था और मैं यह अनुभव करता हूं कि झारखंड पृथक राज्य का निर्माण का निर्णय विलंबित जरूरत है लेकिन उचित है। इस निर्णय से प्रजातंत्र कमजोर नहीं होगा। मैं जानता हूं कि उत्तर बिहार के लोगों की मांग उचित है। बिहार के लोगों ने देश की आजादी में काफी बलिदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का अत्यधिक योगदान है। बिहार के योगदान से कोई आगे नहीं निकल सकता। मुझे बयालिस के आंदोलन की याद आती है। एक विद्यार्थी के रूप में हमें 1942 की 'भारत छोड़ो' आंदोलन का अध्ययन करना पड़ा था। हम सभी को मालूम है कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बिहार ने कितना योगदान किया। यह केवल गांधी जी का चम्पारण या डा. राजेन्द्र प्रसाद या जय प्रकाश नारायण ही नहीं बिहार का एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सैकड़ों लोगों का बलिदान नहीं किया था। यदि आज छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर यह कहते हैं कि वे असहाय निर्धन हैं, मैं अवश्य उनकी वकालत करूंगा तथा केंद्र सरकार से उनकी समस्याओं को देखने तथा उनके आर्थिक संकट में मदद करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का आग्रह करूंगा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई झारखंड के निर्माण के खिलाफ यह डर कर तर्क देता है कि उनके पास इतने ज्यादा मैगनीज हैं, मेरा कहना है कि ये प्राकृतिक संसाधन हैं। कोई स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पा सकता है और यह सब प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रकृति ने उन्हें भूमिगत कोयला दिया है। प्रकृति ने उन्हें अन्य खनिज संसाधन भी दिये हैं। उनके पास स्वर्ण रेखा नदी है, सोन नदी का उदगम स्थल झारखंड है। गंगा राजमहल तथा साहेबगंज से होकर बहती है। उनके पास क्या नहीं है? यदि उनके पास प्राकृतिक संपदा है तो यह ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिए। यदि उत्तर बिहार के पास इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, तो वहां इसके लिए अन्य साधन उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक तरीके हैं और विज्ञान तथा अन्य साधनों से हम उत्तर बिहार का नवगठन कर सकते हैं। मैं उत्तर बिहार के सदस्यों की मांग के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश विखंडित हो जाएगा ऐसी बात बिल्कुल गलत है। इस दलील से कितनी पीड़ा होती है यह हम नहीं महसूस करते हैं। मैं जाति के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि कुछ समुदायों के बीच जिनमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति शामिल हैं, भावना बनायी गई है कि स्वतंत्रता के द्वारा प्राप्त की गई लेकिन शासन करने का अवसर कुछ विशेष जाति, कुछ विशेष वर्ग, कुछ विशेष व्यक्तियों को ही मिला है। हम केवल भाषण देकर उन लोगों की वेदना को शांत नहीं कर सकते। केवल बोलने का भाषण देने से उनके दुख, उनकी शिकायतें

दूर नहीं होंगी। इसका उपचार उनकी सांस्कृतिक सामाजिक भाषायी तथा आर्थिक भेदभाव के विरुद्ध अपनी पहचान की इच्छा को पूरा करना, प्रजातांत्रिक ढांचे के अंदर उनके लिए छोटे राज्य को मान्यता देना है। यदि यह सभा लोगों की भावना के अनुकूल इतना भी नहीं कर सकती तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। अत: मैं महसूस करता हूं कि इसके लिए खिड़की खोलनी चाहिए। यदि आपके पास एक कमरा हो जिसमें एक खिड़की हो और आप सभी लोगों को उस कमरे में बैठा के और केवल कुछ लोगों की खिड़की के पास बैठने और स्वच्छ हवा लेने की अनुमति दें और बाकी के लिए खिड़की बंद कर दें, तो यह हमेशा नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहूंगा कि विदर्भ में भेदभाव के विरुद्ध आवाज क्यों उठाई गई है। उत्तरी बंगाल में क्यों आवाज उठ रही है। मैं किसी राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं बोल रहा। मैं नहीं चाहता कि राज्यों को विभक्त किया जाए। लेकिन मुझे यह करते हुए खेद है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बिहार के कुछ हिस्से 1953 में बंगाल तथा बिहार के पुनर्गठन के समय बंगाल में शामिल कर दिये गये थे। माह जून से सिंहभूम बिहार में चला गया जबकि पुरुलिया बंगाल में चला गया। पुरुलिया तथा सिंहभूम दोनों जगहों के लोग तूसू गाना गाते हैं। संस्कृति में कोई भेद नहीं है। इस हस्तांतरण के कारण लोगों में असीम पीड़ा थी। जहां से मैं संसद सदस्य चुन के आता हूँ यहाँ चकुलिया, किशनगंज तथा किशनगंज से सटे गांवों जैसे कुछ हिस्से बिहार से कट कर आये हैं। यहां की संस्कृति सुरजापुरी है और सुरजापुरी भाषा का यहाँ विशेष स्थान है। उर्दू भाषा के लिए भी आदर है। यदि उन्हें हम उर्दू भाषा पढ़ने की अनुमति न दें अथवा सुरजापुरी भाषा का सम्मान न करें और वह बंगाली होने का दंग भरे और अपने को जमींदार का बेटा कहे अथवा ऊंची जाति का कहे और अपनी बात चलाये तो वह टिक नहीं सकता। ऐसी राष्ट्रीयता नहीं चल सकती। समय बदल रहा है। हमें सच्चाई कबूल करनी चाहिए। आज उत्तर बंगाल में जो नारा दिया जा रहा है वह खतरनाक है। उनका कहना है कि उनकी भाषा राजबंसी है। हमारे क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोग राजबंसी के रूप में जाने जाते हैं जिनमें रे, सरकार, चौधरी, सिन्हा, बर्मन आते हैं। मैं उन लोगों के साथ बचपन से बढ़ा हूँ। उनके अपने पर्व हैं, अपनी भाषा है। उन लोगों ने कामतापूरी के नाम पर नारा दिया है कि उनकी भाषा राजबंसी को सम्मान तथा मान्यता दिया जाना चाहिए। उत्तर बंगाल यूनिवर्सिटी में यह भाषा नहीं पढ़ाई जाती, जलपाईगुड़ी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ अधिकांश सीट दलितों के लिए आरक्षित हैं। उन लोगों ने उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की मांग की। यह बहुत बड़ी मांग नहीं थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया। पश्चिम बंगाल सरकार भी सहमत हो गयी। लेकिन श्री जेठमलानी के दौरे के बाद इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, अब क्या होगा किसी को पता नहीं है। क्या लोगों की मांग की इस तरह अनदेखी की जानी चाहिए। जिन लोगों ने कामतापुरी की मांग की है, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाये। वे उत्तरी बंगाल के सर्वाधिक शान्तिप्रिय लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी बन्दूकें इस्तेमाल नहीं की। आज वे बन्दूकों की बात कर रहे हैं। वे बन्दूक उठाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न योजनाओं में उत्तरी बंगाल के साथ भेदभाव बरता गया है। उत्तरी बंगाल के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये ने इसे पिछड़ा क्षेत्र बना दिया है। इस भेदभाव के कारण लोगों में विद्वेष का आ गया है। आज जब हम एकता की बात करते हैं, हम उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। मैं प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि यदि उन्होंने उचित योजनान्वयन द्वारा श्वेत पत्र प्रकाशित करके उत्तरी बंगाल हेतु विशेष उपाय नहीं किए, तो ज्वाला भभक उठेगी और मुझमें उस आग को बुझाने की शक्ति नहीं है। झारखंड के विषय पर बहस में भाग लेते हुए, मुझे सरकार को क्यों आगाह करना पड़ रहा है। यह बात आदिवासियों ने मुझे बताई है। वे झारखंड के वासी नहीं है। वे उत्तरी बंगाल के तपन थाना में रहने वाले आदिवासी है। वे मेरे पास आये और उन्होंने मुझे कहा, प्रिय बाबू, आप बंगाल से हमारे संसद सदस्य हैं। झारखंड को बनने से मत रोकिये। हम आप लोगों के साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। परन्तु यदि वहां के लोगों को मान्यता मिलने लगे, उस मान्यता को समाप्त करने की कोशिश मत करना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यह एक संदेश है। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या भी किसी को उठानी चाहिए। किसी जगह उनकी भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। इसीलिए सभापति महोदय, आज मैं उनकी बात का उल्लेख कर रहा हूँ। हमें उनके मामले पर संकीर्णता से विचार नहीं करना चाहिए। सराईकेला के विषय पर जो कुछ कहा गया है मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि किसी प्रश्न पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम किसी को दु:ख पहुंचा कर लोकतंत्र को मजबूत नहीं बना सकते। परन्तु यह सच है कि आई एन सी ने किसी राजनीतिक दबाव के कारण इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है। आई एन सी ने इस मांग का समर्थन इसलिए किया क्योंकि आई एन सी के एक सम्मेलन में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कांग्रेस को लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मांगों का आकलन करके भारत के लोकतंत्र में एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस को किसी भी बात को जोर-जबरदस्ती से नहीं दबाना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस एक पार्टी होते हुए भी एक मंच है। इसी कारण से कांग्रेस को जन-आन्दोलन कहा गया। कितने लोग विरसा मुण्डा के नाम से अवगत हैं? भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वालों को कितने नामों की जानकारी हैं? महात्मा गांधी को तो सभी जानते हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जवाहर लाल नेहरू, जय प्रकाश नारायण, और कुछ अन्य नाम के.वी. मालवीय, मदन मोहन मालवीय, गोविन्द वल्लभ पन्त, लाला लाजपत राय जैसे कुछ नाम हैं, जिनसे लोग परिचित हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये सब स्मरण रखे जाने योग्य हैं परन्तु क्या बिरसा मुण्डा का नाम जानने की सारी जिम्मेदारी आदिवासियों की ही है? क्या यह देश की जिम्मेदारी नहीं कि देश के लोग बिरसा मुण्डा का नाम जानें? उन्होंने कितनी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। जब हिन्दु और मुस्लिम जमींदार अंग्रेजों की सेवा में जुटे रहते थे, संथाल क्रान्ति में आदिवासी संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। वे समझ चुके थे कि यह देश उनका है अंग्रेजों का नहीं। हमें इस ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर आगे बढ़ना है। यही कारण है, महोदय, मैं यह महसूस करता हूँ कि झारखंड बनाने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले इस विधेयक को प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने के विषय पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हमें कम से कम इस विधेयक पर लड़ना नहीं चाहिए कई कारणों से सीपीएम के अपने वामपंथी मित्रों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे आकाश की ओर नजर डालें और देखें कि सूर्योदय हो रहा है। लोग जागरूक हो गए हैं। लोग अब अंधविश्वास से ग्रस्त नहीं रहेंगे। वे अपने परिधान, अपनी भाषा, अपने वातावरण अपनी चेतनता अपनी बुद्धि अपनी समझबूझ, अपने सुख-दुख हेतु आदर एवं स्नेह चाहते हैं। उनका आग्रह है कि इन सभी पहलुओं के लिए उन्हें भी मान्यता मिले। यदि हम उनके इस आग्रह की ओर ध्यान नहीं देते और जोर जबरदस्ती से उनकी बात नहीं सुनते तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं बहुत छोटे जिले का निवासी हूँ। उस जिले का नाम था उत्तर दीनाजपुर मैं अपने वामपंथी मित्रों से पूछता हूँ कि उन्होंने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के लिए इस छोटे से जिले को दो भागों में बांटने को कहा है। ये दो जिले हैं उत्तर और दक्षिण। अपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यह लोगों की मांग थी उस समय आपको वही सही लगा। परन्तु अब आपको झारखंड का मामला उचित नहीं लगता परन्तु मुझे नहीं लगता है कि यह अनुचित है। मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि विधान सभा में शान्तिपूर्ण चर्चा करके, बन्दूक, बम या अन्य किसी मारधाड़ वाले साधनों को अपनाये बिना, एक अलग राज्य बनाने के बारे में सर्वसम्मति है तो इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे मान्यता मिलनी चाहिए। मैं इस मामले को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तरी बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नवजात शिशु बाढ़ के कारण डूब जाता है। आवास की कमी के कारण माता को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता और वह कुछ राहत नहीं पहुँचा पाती। लोगों के पास सिर ढकने की जगह क्यों नहीं है? योजना आयोग ने आवास बनाने की मंजूरी दी थी परन्तु उनका निर्माण नहीं किया गया। आज वह नींद से जागे हैं। अब वह अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को बताया है कि वे नहीं जानते कि यह तूफान कहाँ से शुरू हो रहा है। परन्तु यह आ रहा है।

राजीव जी दार्जिलिंग गए। यद्यपि प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहाँ गए वहाँ एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ज्योति बसु वहाँ गए वहाँ कोई नहीं था। पुलिस वाले पेड़ों की छाया तले खड़े थे। राजीव गांधी ने मुझे कहा कि हम अपने कानून यहाँ लागू नहीं कर सकते हमें वही बात माननी पड़ती है जो उनके दिमाग में है। हमें उन्हें अवश्य कुछ देना है। निश्चय ही उन्हें उनका सम्मान और अधिकार मिलने ही चाहिए। आज हमें इन बातों को महसूस करना है। हिमाचल प्रदेश क्यों बनाया गया? हरियाणा क्यों बनाया गया? पंजाब क्यों बनाया गया? मिजोरम क्यों बनाया गया? झारखंड क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? विदर्भ क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि और अधिक राज्य होंगे भारत की एकता को संरक्षित रखा सकेगा और यदि हम बल से सेना या पुलिस के माध्यम से लोगों की अधिक आजादी के आग्रह को दबा कर नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, भारत एकताबद्ध नहीं रह सकेगा। इसलिए मैं झारखंड राज्य बनाये जाने का समर्थन करता हूँ। मुझे हमारे मंत्री कार्टिक ओरांग, जो अब नहीं रहे, के शब्द याद हैं, जो अपनी सीमित शक्ति से बावजूद झारखंड के बारे में कहा करते थे। मैं झारखंड हेतु किये गए संघर्ष का सम्मान करता हूँ। मैं उनके सभी राजनीतिक नेताओं का आदर करता हूँ। मैं उत्तरी बिहार की पीड़ा जानता हूँ।

श्री बैसीमुथियारी, मैंने आपके बोडोलैंड के बारे में बोला है। मैं बोडोलैंड बनाने के खिलाफ नहीं हूँ। परन्तु मैं आपको हिंसा और बन्दूक का मार्ग त्यागने और अहिंसा एवं सत्याग्रह के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करने की सलाह दूँगा। झारखंड के संघर्ष में हिंसापूर्ण रास्ते नहीं अपनाये गये। उन्होंने हथियार नहीं उठाये। उन्होंने किसी का अपहरण करके उसकी हत्या नहीं की। उन्होंने रेल गाड़ियों को नष्ट नहीं किया अथवा बम धमाके से जन सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है।

उड़ीसा के बारे में भी मैं महसूस करता हूँ कि उड़ीसा को भी इस मामले में वंचित रखा गया है। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट का समय लूँगा। मैं अपनी बात लोगों को समझाना चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में अतुल प्रसाद ने रवीन्द्र नाथ से उपस्थित प्रतिनिधियों के लिए बंगला में एक गीत गाने के लिए कहा।

रवीन्द्रनाथ ने कहा कि समस्त भारत से आए प्रतिनिधि बंगला नहीं समझ सकते। इसीलिए वे बंगला में गीत कैसे गा सकते हैं। अतुल प्रसाद ने उन्हें बंगला में ऐसा गीत गाने को कहा जिसमें ऐसे शब्द हों जो सबकी समझ में आएँ। रवीन्द्रनाथ ने ऐसा गीत रचा और उसके शब्द ऐसे थे जो पूरे भारत से आए प्रतिनिधि समझ पाए। मैं गीत की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करता हूं:

एइयो भुवोनो मोनो मोहिनी
एई निर्मलो शुरजो कोरो जौलो धरनि
जानाकी जननी जननी
नीलो शिन्धु जौली धौतो चारेण तलो
औनिलो बीकमपीतो श्यामोलो आँचलो
शुभ्रो तुषार कीरिटीनि

सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे निर्मल, जानानि भुवन, मोहिनी, तुषार के अर्थ समझते हैं। इस तरह से रवीन्द्र नाथ ने गीत रचा। यदि हमारा उद्देश्य ईमानदारीपूर्ण है, हम सबको एकताबद्ध कर सकते हैं। परन्तु यदि हमारा उद्देश्य दुविधापूर्ण है हम असफल हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस झारखंड राज्य का समर्थन करती है। कांग्रेस वनांचल के आदिवासियों द्वारा किए गए संघर्ष के लिए उसका धन्यवाद करती है। मैं यह भी कहूँगा कि हो सकता है किसी दिन मेरी पार्टी भी सत्ता में आकर सरकार बनाये। मैं चाहूँगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासियों में से हो। उनका प्रतिनिधि उनमें से ही होना चाहिए।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, हम दासमुंशी जी को बंगाली भाषा में अच्छा भाषण देने के लिए बधाई देते हैं।

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर): आदरणीय सभापति जी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और साथ ही अंतरात्मा से स्वागत करते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल जी एवं पितातुल्य गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि 50 वर्षों की जो झारखंड राज्य की इच्छा है, वह आज पूरी होने जा रही है।

आज जो विधेयक आया है, इसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं—सिद्धू कानू, बिरसा मुण्डा, तिलका माझी, मैं उनको भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहती हूं।

सभापति जी, हम सब भारत के लोग हैं। यह देश हमारा है और देश केवल नाम से नहीं बनता, न मिट्टी के किसी टुकड़े को जोड़ने से बनता है। देश नागरिकों के मिलने से बनता है और हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। अगर राज्य अलग हो रहा है तो इसमें देश के बंटवारे की बात कहीं नहीं आती है। आज जिस तरह से कोई परिवार बड़ा होता है और मां-बाप के न चाहते हुए भी पुत्रों को अलग-अलग रहना पड़ता है, वही स्थिति हमारी है। आज हम बिहार से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मन से भी अलग हो रहे हैं, विकास की दृष्टि से अलग हो रहे हैं और इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। इस मामले में मैं बिहार सरकार की महिला मुख्य मंत्री राबड़ी देवी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि 50 वर्षों की इस मांग में उनकी भी सहभागिता है, भले ही रघुवंश जी कितना भी विरोध कर लें। ...*(व्यवधान)* लेकिन उनकी सरकार ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया था और आज इतनी जल्दी हम इस विधेयक को यहां लाने में समर्थ हुए हैं। इस मामले में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने भी विधान सभा में कहा था कि अगर यह विधेयक जल्दी नहीं आता है तो मैं पांच लाख लोगों को लेकर संसद का घेराव करूंगा, लेकिन सभापति जी, वह दिन नहीं आया और बहुत जल्दी यह विधेयक हम पास कराने जा रहे हैं, यह खुशी की बात है। ...*(व्यवधान)* कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा हमें सताया जाता था लेकिन आज भी उपनिवेश का शिकार हम लोग थे और हमेशा से हम झारखंड के लोगों के साथ उपेक्षा का बर्ताव किया गया, तभी जाकर इस चिंगारी ने धीरे-धीरे आग का रूप लिया और वहां अनेक आंदोलन हुए। आज सब सपने पूरे होने जा रहे हैं जो वहां के लोगों ने बरसों संजोए थे। कितने लोग तो सपने देख-देखकर ही चले गए और आज दुनिया में नहीं हैं। पिछली बार 12वीं लोक सभा में यह विधेयक पेश होना था तो हमारे ही क्षेत्र के एक एक्स-एम.एल.ए. ने कहा था कि मैं इसी आशा में जिन्दा हूं कि कब बिल पारित हो जाए और तब मैं खुश होकर मरूं। उनके लिए भी यह खुशी की बात है और वह बहुत खुश हो रहे होंगे, आज वह दिवाली और होली एक साथ मना रहे होंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति भी बिहार से हमेशा से अलग रही है। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में वहां के जिले में डिप्टी कमिश्नर होते हैं और शेष बिहार में डी.एम. कहे जाते हैं। छोटा नागपुर झारखंड में बिहार टैनेन्सी एक्ट कभी लागू नहीं हुआ। वहां छोटा नागपुर टैनेन्सी एक्ट और संथाल परगना टैनेन्सी एक्ट लागू होता था।

हमारा देश विभिन्न जाति और धर्मों का देश है जहां विविधता में एकता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर राज्यों का गठन किया था।

[श्रीमती आभा महतो]

सायं 7.00 बजे

आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक और भाषायी आधार पर किया था लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सर्वप्रथम राज्यों का पुनर्गठन आर्थिक विकास के आधार पर किया है। यह सर्वविदित है कि झारखंड हमेशा से बिहार का उपनिवेश बनकर रहा है और हमेशा से पिछड़ापन झेल रहा है। इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 12 नवम्बर 1977 को पटना में लोहिया विचार मंच की सभा में कहा था कि मैं बिहार के दो टुकड़े करने के पक्ष में हूं। उत्तर बिहार की संस्कृति दक्षिण बिहार की संस्कृति से भिन्न है इसके बंटवारे से ही दोनों क्षेत्रों का विकास होगा।

सभापति महोदय, मैं कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को आपके सामने रखना चाहती हूं। भारतवर्ष में झारखंड क्षेत्र जंगल और पहाड़ों का एक मनोरम भूभाग है जिसकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं पारम्परिक व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से एक धरोहर के रूप में मौजूद है। मैं झारखंड की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इस सदन में रखना चाहती हूं। यही वह धरती है जहां शिव पुराण में उल्लेख है:

"अय: पात्रे पय: पानम, शाल पत्रे च भोजनम्,
शयनम् खर्जूरी पत्रे, झारखंडे विधियते।"

यहां के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। साल के पत्ते पर खाना खाते हैं। खजूर के पत्ते की चटाई पर सोते हैं। यह झारखंड की संस्कृति है। अभी हमारे प्रियरंजन दास मुंशी जी बंगला में अपना भाषण दे रहे थे। बंगला के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कृतिवास रामायण में झारखंड का उल्लेख है–

"मान्दार पृथ्वी जाईवो झारखंड देशे,
झारखंडी रा आछे अद्भूत रुपे।"

हमारे उड़िया के आदरणीय भाईगण यहां हैं। उड़िया चैतन्य भागवत के आदिखंड में कहा गया है–

"प्रथमे चोलीला प्रभु तीर्थेश्वर,
तबे वैद्यनाथ झारखंड गेला एकेश्वर।"

चैतन्य चरितामृत में बंगला में लिखा है–

"मथुरा जाबार काले झारखंड मिलीलो,
प्राय: लोक ताहात परम आनन्द।"

अर्थात् चैतन्य महाप्रभु को मथुरा जाते समय झारखंड मिला था और वहां के लोगों को प्रेमपूर्वक रहते देखकर वे बहुत खुश हुए। अकबरनामा में भी झारखंड का उल्लेख है। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त इस क्षेत्र के सर्वेयर मैनुअल डिकेन्स में भी अपने अभिलेख में इस क्षेत्र को झारखंड कहा है।

महोदय, मुगल शासन के बाद अंग्रेजी हकूमत ने झारखंड के अतीत के साथ छेड़खानी शुरू की थी जिसके कारण 1765 के बाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह हुए। इनमें से महत्वपूर्ण है 1772 में मलेर विद्रोह, 1774 में चेरो विद्रोह, 1778 एवं 1783 में पहाड़िया विद्रोह, 1784 में तिलका माझी विद्रोह, 1798 में तमाड़ विद्रोह, 1820 में कोल विद्रोह, 1831-32 में संथाल विद्रोह, ग्रेट कोल 185557 के संथाल विद्रोह 1895 से 1900 तक विरसा आंदोलन।

महोदय, विद्रोहों से अंग्रेज शासक परेशान हो उठे और मिलिट्री कार्रवाई कर विद्रोह को शांत करने के लिए 1780 में सर्वप्रथम झारखंड क्षेत्र को प्रशासनिक परिवर्तन कर रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र का नाम दिया। विद्रोह शान्त नहीं होने से फिर रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र को 1833 में बंगाल प्रेसीडेन्सी के अंतर्गत दक्षिण-पश्चिम सीमान्त एजेंसी का गठन कर झारखंड क्षेत्र को कई प्रशासनिक ढांचे में जैसे रामगढ़ जिला, जंगल महल जिला और मेदनीपुर जिला में शासन के सुविधानुसार अंग्रेजों ने अलग-अलग बांट दिया।

महोदय, रामगढ़ जिला अब हजारीबाग, गिरीडीह और कोडरमा जिला तक था। *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: इसे पढ़ा हुआ समझा जाये। *...(व्यवधान)*

श्रीमती आभा महतो: कैसे पढ़ा हुआ समझा जाये *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती आभा महतो: कान्ति सिंह जी, मैंने तो पोलिटिकल साईंस में ऑनर्स किया हुआ है लेकिन आपकी मुख्यमंत्री जी छठी क्लास भी पढ़ी हुई नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: आपको इतना भी पता नहीं कि सदन में बैठकर ऐसा नहीं बोला जाता। *...(व्यवधान)* सभापति जी, मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदन के संचालन में आप खुद व्यवधान डाल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह: इन्होंने ऐसा क्यों कहा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमती आभा महतो जी, आपका भाषण बहुत अच्छा हो रहा था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप आसन की कोई बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, खैरियत है कि 33 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आभा जी, आप अपनी बात कह रही थीं। आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जो डिफैंड नहीं कर सकते हैं, उन पर इस तरह से अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): इस तरह से एक-दूसरे को कोई नहीं टोक सकता। उन्होंने क्यों टोका। क्या ऐसे टोकना चाहिए? *...(व्यवधान)*

श्रीमती आभा महतो: सभापति महोदय, मैं अपनी बात वापस लेती हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो झारखंड पर बोल रही हैं। जो विषय सदन के सामने है, उसी पर बोलिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सदन में अनावश्यक व्यवधान न पैदा किया जाए।

...(व्यवधान)

श्रीमती आभा महतो : यह टौचर सहते-सहते पचास वर्ष हो गए। हम लोग बहुत दुखी हैं और दुख की अंतिम घड़ी भी झेल रहे हैं। *...(व्यवधान)* कांति जी, मैं बात वापस ले रही हूं।

झारखंड क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए भारत के अन्य हिस्सों से राजे-रजवाड़ों को नियुक्त किया गया था और उस एरिया को जंगल महल एरिया कहा जाता था। मिदनापुर जिला जो वर्तमान में धनबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर से लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला तक था, दक्षिण-पश्चिम सीमा प्रान्त में गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा नियुक्त पॉलीटिकल एजेंट द्वारा शासन चलाया जाता था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 1854 में अंग्रेजों ने फिर से प्रशासनिक फेरबदल में दक्षिण-पश्चिम सीमान्त एजेंसी, जिसे अंग्रेजी में साउथ वैस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं, उसे समाप्त कर छोटा नागपुर डिवीजन का सृजन किया और छोटा नागपुर को बंगाल के उप-राज्यपाल के अंतर्गत रखा गया। उस समय का उप-राज्यपाल भवन आज राज्यपाल भवन के नाम पर रांची में मौजूद एवं सुरक्षित है।

1857 में संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र यानी छोटा नागपुर डिवीजन से सन् 1862 में कुछ भाग जैसे सरगुजा और रायगढ़ को सैन्ट्रल प्रौविन्स में मिला दिया था और अब मध्य प्रदेश में है। 1895 से 1900 तक बिरसा आन्दोलन के कारण अंग्रेजों ने फिर से छोटा नागपुर डिवीजन का राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए प्रशासनिक ढांचा ही बदल दिया। फलस्वरूप 1912 में बंगाल से जब बिहार अलग हुआ तो छोटा नागपुर डिवीजन में से कई जिले बिहार के साथ मिला दिए गए। फिर 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। इस तरह अंग्रेजों ने जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए झारखंड क्षेत्र को समय-समय पर बांट कर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई।

सभापति महोदय: अब आपका समय समाप्त हुआ। इस पर अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे। कई माननीय सदस्य आपके दल के भी बोलने वाले हैं। आप लोग समय दे दीजिए, मैं उनका नाम पुकार देता हूं। अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती आभा महतो: सभापति महोदय, 1954 के राज्य पुनर्गठन आयोग को झारखंड पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद जयपाल सिंह जी ने अपने 34 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन अलग राज्य बनाने के संबंध में दिया था। उस समय भी इस आन्दोलन को करने से उनको रोका गया। एक साजिश के तहत उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया। उसके बाद भी इस राज्य को नहीं दिया गया। जयपाल सिंह जी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद *...(व्यवधान)* हम पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं।

सभापति महोदय: सदन को इतिहास की पूरी जानकारी है।

श्रीमती आभा महतो: अभी हमारी पार्टी के अन्य सांसद लोग भी बोलेंगे।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अभी सात माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्रीमती आभा महतो: सभापति महोदय, जयपाल सिंह जी के बाद भी यह आन्दोलन बन्द नहीं हुआ। इसके बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की आठ अगस्त, 1988 को हत्या के बाद यह आन्दोलन और उग्र रूप में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप फिर से इस बारे में लोगों को सोचना पड़ा। इसी क्रम में हमारी पार्टी ने इस आन्दोलन को समझा और जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय स्तर के राजनैतिक दल, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड आन्दोलन का समर्थन किया। 3 अप्रैल, 1988 को आगरा में पार्टी की कार्यकारिणी की समिति की बैठक में छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर एक वनांचल राज्य गठन करने का प्रस्ताव पारित किया।

सभापति महोदय: अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्रीमती आभा महतो: मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये। *...(व्यवधान)* शिक्षा और रोजगार के बारे में बातें आई हैं। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूं कि वहां बहुत सारे उद्योग-धंधे और शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन उनमें 98 प्रतिशत *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह ठीक बात नहीं है। अब आप समाप्त कीजिए। आपके चीफ व्हिप का पत्र मेरे पास है। उसमें समय भी अंकित है। मैं नहीं चाहता कि इसको पढ़ दूं। महिला सदस्य होने के नाते आपको पहले ही ज्यादा समय मिल गया है।

श्रीमती आभा महतो: सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप बस दो मिनट मुझे और बोल लेने दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्रीमती आभा महतो: रोजगार और शिक्षा के बारे में स्थिति यह है कि वहां इतनी इंडस्ट्रीज, इतने उद्योग लगे, लेकिन करीब 98 प्रतिशत यानी अधिकतम ऊंचे पदों पर और 95 प्रतिशत छोटे पदों पर बिहार के लोग आसीन हैं। वहां इंजीनियरिंग और मेडीकल के जितने शिक्षण संस्थान हैं, वहां आज भी हमारे झारखंडी लोगों को एडमीशन नहीं मिलता है। आज भी उनकी अधिकाधिक संख्या वहां पर पदस्थापित है। योजना के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो पैकेज *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती आभा महतो: हमारे यहां जो योजना का पैसा जाता है, उसको भी पूर्णतया खर्च नहीं किया जाता है। आज वहां से जो पैकेज की मांग आई है, मैं कहना चाहती हूं कि उसके लिए कोई योजना उनके पास है क्या? हमारे उड़ीसा के कुछ भाई कह रहे हैं कि सरायकेला-खरसवां को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाये। लेकिन सरायकेला खुरमवां के लोग उड़ीसा में मिलना नहीं चाहते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण दे सकती हूं। 1991 की जनगणना में *...(व्यवधान)* मैं कुछ ऐतिहासिक पहलू रख रही हूं। 1991 की जनगणना के मुताबिक सरायकेला-खरसवां के क्षेत्र में 7-8 प्रतिशत उड़ियाभाषी लोग हैं। सरायकेला-खरसवां लोक सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति का आरक्षित क्षेत्र है। हमारे आदिवासी साथियों के साथ वे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं। *...(व्यवधान)* मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और अंत में यही कहना चाहती हूं कि रांची हमारी राजधानी होगी। वहां राजभवन है, हाई कोर्ट है, सचिवालय है और आफिस भी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। भाषण के अन्त में यही कहना चाहूँगी-

कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ा काशी,
झारखंड में विराजो हे वृंदावन के वासी।

कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 को आज माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा के लिए सदन में रखा है। इस विधेयक का मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर समर्थन करती हूं। बिहार में जो नया राज्य बनने जा रहा है झारखंड के नाम से, उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के साथ-साथ उनसे भी ज्यादा तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग के लोग वहां रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज वहां पर काफी तादाद में रहता है। झारखंड क्षेत्र में आदिवासी समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए बिरसा मुण्डा का जो आंदोलन रहा, वह भी किसी से छिपा नहीं है। उनसे प्रेरित होकर

झारखंड के लोग, खासतौर से आदिवासी लोगों में स्वाभिमान की भावना पैदा हुई। अपने कुछ अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई। उन्होंने अपने बारे में सोचा कि बिहार राज्य के झारखंड क्षेत्र में काफी तादाद में ये लोग रहते हैं, ये लोग बड़े पैमाने पर पिछड़े हुए क्यों हैं। उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में सोच-विचार कर उस क्षेत्र के अन्य लोगों ने भी झारखंड अलग से राज्य बनना चाहिए, इसके लिए काफी संघर्ष किया। खुशी की बात है कि काफी जद्दो-जहद के बाद बिहार विधान सभा में झारखंड अलग से राज्य बनना चाहिए, इस संबंध में विधेयक पास हुआ। हमारी पार्टी ने भी विधान सभा में पुरजोर समर्थन किया। बिहार विधान सभा में झारखंड अलग से राज्य बनना चाहिए, यह विधेयक जब पास होकर भारत सरकार के पास आया तो भारत सरकार इस विधेयक को जल्दी पास करे, इसके लिए भी हमारी पार्टी ने झारखंड में काफी कोशिश की। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में झारखंड से आदिवासी लोग चलकर दिल्ली आए और पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी 23 दिसम्बर को उन्होंने संसद के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया कि झारखंड राज्य जल्दी बनाया जाए। खुशी की बात है भारत सरकार ने झारखंड क्षेत्र के लोगों की तरफ ध्यान दिया और आज इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए और पारित कराने के लिए रखा।

इस क्षेत्र के लोग जो लम्बे अर्से से संघर्ष कर रहे थे कि उनका अलग से राज्य बने, यदि आज यह विधेयक पास हो गया तो उनको काफी खुशी होगी। बहुजन समाज पार्टी को भी इसकी काफी खुशी होगी। लेकिन जब झारखंड राज्य अलग से बनने के लिए जा रहा है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि जिस मकसद से झारखंड राज्य बनने जा रहा है, उस मकसद की तरफ केन्द्र की सरकार को भी और जो झारखंड राज्य की नई सरकार बनेगी, उसे भी उसके विकास की तरफ ध्यान देना होगा। उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे काफी दबे हुए लोग हैं और जब भी नयी सरकार बनती है, मेरा यही कहना है कि आदिवासी समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए यदि किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो आदिवासी समाज के व्यक्ति को वहां का मुख्य मंत्री बनाया जाये। इससे उस क्षेत्र के आदिवासी समाज का मनोबल बढ़ेगा और यदि नहीं बनाया गया तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी कोशिश रहेगी कि आज नहीं तो कल उस क्षेत्र को तैयार करेगी। जिस दिन झारखंड क्षेत्र तैयार हो जाएगा, यदि दूसरी पार्टियों ने आदिवासी समाज को लाने नहीं दिया लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज नहीं तो कल झारखंड क्षेत्र को तैयार करेगी। आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी की ओर से जरूर मुख्य मंत्री बनाएगी और इस प्रकार आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को जरूर पूरा करेगी। मैं एक-दो बातें और कहना चाहती हूं। जब नया राज्य बनने के लिए जा रहा है, जो भी विधान सभा की सीटें उधर तय की हैं, उसमें अनुसूचित जाति की वर्तमान जनगणना के आधार पर लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए जो भी कानून बने हैं, उस राज्य में सख्ती से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इस नये राज्य के विशेष पैकेज की बात हुई है, हालांकि बिहार राज्य के जो जिम्मीवार लोग हैं, एम.पी. हैं, उन्होंने कहा कि जब बिहार में नया राज्य झारखंड के नाम से बनने जा रहा है तो केन्द्र सरकार ध्यान दे रही है और विशेष पैकेज की व्यवस्था करेगी लेकिन केन्द्र सरकार को बिहार की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिहार राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। उसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उसे विशेष पैकेज दिया जाये। हमें कोई एतराज नहीं होगा यदि बिहार को भी विशेष पैकेज दिया जाएगा। लेकिन झारखंड जो अलग राज्य बनने के लिए जा रहा है, बहुत पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र की काफी उपेक्षा हुई है। वहां पर प्राकृतिक संसाधनों, खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। लेकिन वहां पर सारी चीजों को पैदा करने वाले और इंडस्ट्री में काम करने वाले दबे कुचले लोग हैं, लेकिन उसका फायदा उस क्षेत्र की जनता को नहीं मिला है। यही मुख्य वजह थी कि जनता के मन में आया कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। यह वहां की जनता की काफी लम्बे समय से आकांक्षाएं हैं जो जरूर पूरी होंगी। दो राज्य बन चुके हैं। उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ दो विधेयक पास हो चुके हैं और आज बिहार में झारखंड के नाम से विधेयक पास होने वाला है लेकिन तीन विधेयकों के पास होने के बाद मैं समझती हूं कि पूरे देश में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जिनकी अलग नये राज्य बनाने के लिए मांगें उठेंगी। यहां एक माननीय सदस्य बैठे हैं, वह बोडोलैंड के बारे में काफी स्टडी कर रहे थे और कई बार मुझे लगता है कि स्पीकर महोदय के चैम्बर में भी गये हैं।

उनकी अपनी मांग है कि बोडोलैंड बनना चाहिए। मैं समझती हूं कि इससे छोटे से छोटे राज्य बनाने की मांगे पैदा होंगी। इसके लिए केन्द्र की सरकार को भौगोलिक स्थिति के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर कोई मापदंड तय करना चाहिए कि इस आधार पर नया राज्य गठित होगा। यदि केन्द्र की सरकार ने नए राज्य को बनाने के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया, तो आपके लिए नई समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। हम इन तीन राज्यों के गठन से खिलाफ नहीं हैं। हमने इस विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन इसके बाद और भी अन्य प्रदेशों में नए राज्यों को बनाने की आवाजें उठेंगी और सरकार उन आवाजों को दबा नहीं पाएगी।

[कुमारी मायावती]

उन राज्यों को एसेम्बलीज प्रस्ताव पास करेंगी कि अमुक राज्य अमुक स्टेट में बनना चाहिए। देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 425 विधान सभा की सीटें है। उत्तरांचल की 22 सीटें निकल जाने के बाद 423 सीटें शेष रह जायेंगी और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मांग करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग से राज्य बनना चाहिए। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड के लोग, पूर्वांचल के लोग भी चाहेंगे कि अलग से राज्य बनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ नहीं है, छोटे राज्यों के पक्ष में है और यदि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल नाम से टुकड़े होते हैं, तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम उसके पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को कोई मापदंड तय करना होगा कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हमारा यह क्राइटेरिया होगा। यदि यह क्राइटेरिया पूरा होता है, तब केन्द्र की सरकार इस सदन में विधेयक को पेश करेगी और नया राज्य बनाने की संस्तुति देगी। ये तीनों विधेयक पास होने के बाद पूरे देश में जिन राज्यों में लम्बे समय से मांग चल रही है कि अलग राज्य बनना चाहिए, वे आवाजें उठेंगी। इसलिए केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। नए राज्यों को बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति तय करनी होगी, मापदंड तय करना होगा, ताकि उस मापदंड के आधार पर नए राज्यों का गठन हो सके। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, हालांकि आपको इस बात की जानकारी होगी। भारतीय संविधान के निर्माता परमपूजनीय बाबासाहिब अम्बेडकर, जिनका इस देश के संविधान को बनाने में योगदान रहा है, का ध्यान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की तरफ नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के बारे में निश्चित था। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जिन राज्यों में आबादी काफी है, क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, उनके बारे में बाबासाहिब अम्बेडकर का मानना था कि जिन राज्यों का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी फैला हुआ है, आबादी बहुत ज्यादा है, उधर नए राज्य बनने चाहिए, नहीं तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हूं, मैंने जब उत्तर प्रदेश में बड़े जिलों को काटकर नए जिले बनाए, तो बहुत सी पार्टियों ने उसका विरोध किया था कि इससे राज्य का बंटवारा होगा और राज्य के टुकड़े होंगे। आज जब नए राज्य बन रहे हैं, जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में विरोध किया, वे पार्टियां आज प्रचार कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो रहा है। मैं समझती हूं कि इससे देश का बंटवारा नहीं होगा, देश का कोई हिस्सा दूसरे देश में नहीं जा रहा है। हमारे देश में कोई बड़ा राज्य है, उस बड़े राज्य के विकास में एक एडमिनिस्ट्रेटर या मुख्य मंत्री या कैबिनेट पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है और उस क्षेत्र की जनता अपने को अविकसित महसूस कर रही है और मांग करती है कि नया राज्य बनना चाहिए, तो मैं समझती हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए यदि छोटा राज्य बनता है, तो बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करेगी।

बहुजन समाज पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है। छोटे राज्यों के बनने से देश का बंटवारा नहीं होगा, इससे देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं होगा। आज यह तीसरा विधेयक है, इसके बाद और कोई विधेयक जल्दी से नये राज्यों को बनाने वाला नहीं आने वाला है। यहां गृह मंत्री जी होते तो मैं उन्हें जरूर बताती, लेकिन अन्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा उनसे कहना है कि आप इस पर जरूर सोच-विचार करें।

महोदय, मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करती हूं कि जो और राज्यों में नये राज्य बनाने की मांग उठ रही है, वह दबेगी नहीं। इसलिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए और नये राज्यों को बनाने के लिए कोई मापदंड तय करना चाहिए ताकि सही प्रकार से नये राज्यों के गठन करने में निर्णय लिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, बिहार में जो झारखंड राज्य अलग से बनाने जा रहे हैं, इस विधेयक का मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर समर्थन करती हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैंने नोटिस दिया है कि मैं बीच-बीच में उड़िया में भी बोलूंगा।

सर्वप्रथम मैं अपने उन मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मेरे बायीं ओर बैठे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बिहार पुनर्गठन विधेयक लाई है। मेरे मित्र इस ओर बैठे हैं। प्रो. दुःखा भगत यहाँ हैं। बहन आभा महतो यहाँ हैं। श्री कड़िया मुण्डा यहाँ हैं श्री सालखन मुर्मू, एक करीबी मित्र यहां हैं। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जब झारखंड के मामले को बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया और एक दिशानिर्देश दिया गया था तब श्री मुर्मू ने रांची उच्च न्यायालय में इसे उठाया था। वे उड़ीसा में मयूरभंज के निवासी हैं। बहुत से लोगों ने झारखंड के लिए आन्दोलन किया है और मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखता हूं और उनका समर्थन करता हूं।

बीजू जनता दल झारखंड बनाने का विरोधी नहीं है। मैं दोहराता हूँ मेरे एक सहयोगी, श्री प्रसन्न आचार्य ने इस विधेयक के प्रस्तुत करने के समय कहा था कि हमारी पार्टी, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सदस्य है, झारखंड राज्य बनाने के विरुद्ध नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव

घोषणा-पत्र में बिहार में वनांचल, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल के गठन का उल्लेख था। इस देश के राष्ट्रपति ने भी इसका उल्लेख किया था। परंतु जब यह विधेयक तैयार किया गया था क्या उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटकों के बीच इस पर चर्चा हुई थी। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं मंत्रिमंडल के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूं। क्या बीजू जनता दल के साथ इस पर चर्चा की गई थी। यह नहीं किया गया था।

इस सभा में इस संबंध में अनेक प्रश्न उठे हैं कि आपने इसे विगत 45 वर्षों में क्यों नहीं उठाया और अब आप इसे क्यों उठा रहे हैं

मेरे एक सहयोगी ने स्पष्ट रूप से विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के समय उल्लेख किया था कि इस मामले को उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मंच कहाँ था? 1956 के पश्चात्, जब कांग्रेस सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी, क्या गुंजाइश कहाँ बची थी? उड़ीसा के हम लोगों ने इसे कहां उठाया था? सराइकेला और खरसवां के लोगों ने इसे कहां उठाया? वहाँ कोई मंच नहीं था। इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से एक मंच बनाया गया है। यही कारण है कि हमने कुछ संशोधनों के साथ इसे माननीय सभा के सम्मुख इस अनुरोध के साथ रखा है कि वह इसे प्रवर समिति को विचारार्थ भेजे।

मैं अपने बायीं ओर बैठे मित्रों से कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर मैं दांयी ओर बैठे अपने मित्रों के पास आऊँगा। यह सर्वविदित है कि उड़ीसा में प्रशासन हमारे हाथ में है। यह एक गठबंधन सरकार है। भाजपा वहां प्रशासन में सहयोगी पार्टी है। बीजू जनता दल इस मंत्रिमंडल का मुखिया है। मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया था। भाजपा और बीजू जनता दल दोनों ने कहा है कि हम सराईकेला और खरसवा लेने के लिए प्रयास करेंगे। भुवनेश्वर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में कांग्रेस, भाजपा, बीजू जनता दल और कम्यूनिस्ट सभी उपस्थित थे। उन्होंने सर्वसम्मत संकल्प पारित किया था कि वे सराईकेला और खरसवां के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस संकल्प को दो मंत्रिमंडलीय सहयोगियों एक राज्यमंत्री और दूसरे भाजपा की राज्य इकाई के एक अध्यक्ष ने माननीय गृह मंत्री को प्रस्तुत किया था।

परन्तु मुझे यह जानकर धक्का लगा कि गृह मंत्री ने यह उचित नहीं समझा कि इसकी प्रस्तुति के समय इस ज्ञापन का उल्लेख किया जाए। इसकी सम्भावनाएं कहां हैं? आपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में इस पर विचार नहीं किया था। आपने अपनी पार्टी के लोगों को इस बात की अनुमति क्यों दी कि वह मंत्रिमंडल में, सर्वदलीय बैठक में और विधान सभा में एक संकल्प पारित करे? यहाँ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं।

अब मैं अपनी दायीं ओर बैठे अपने मित्रों से बात करता हूँ। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1948 और 1949 में यह निर्णय लिया कि सराईकेला और खरसवां सिंहभूम का अभिन्न हिस्सा है। यदि सराईकेला और खरसवां उड़ीसा को दिये जाने हैं तो पूरा सिंहभूम ही दिया जाना चाहिए। सन 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कई याचिकाएं दी गई थी। इससे पूर्व संविधान सभा में भी अनेक याचिकाएँ दी गई थी। 1956 में उस समिति के चेयरमैन जस्टिस फैजल अली ने स्पष्ट रूप से नोट दिया था कि वह इस निर्णय में भागीदार नहीं होगा। यह पचास वर्ष पहले का इतिहास है। मैं तो तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे बहुत से मित्र जो इस समय सभा में बैठे हैं पैदा भी नहीं हुए थे। परन्तु हम वर्ष 1949 और 1956 के विश्वासघात का दुःख मनाते हैं।

मैं इस सभा को कुछ इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। 2000 वर्ष पूर्व अशोक ने कालिंग को जीता था। परन्तु उसका भी 300 वर्ष पश्चात् बदला ले लिया गया।

मैं अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सरदार पटेल गृह मंत्रालय के मुखिया थे, तो उस मंत्रालय को रियासतों का मंत्रालय कहा जाता था उन रियासतों के एकीकरण के समय उन्होंने कहा था, "कई दशक पूर्व, उस महान सम्राट की जागरूकता जगाने की चुनौती एक गौरवपूर्ण विशेषाधिकार जो समय के साथ न केवल महान और बुद्धिमान और भूस्वामी बना अपितु अपने लोगों का महान दिग्दर्शक मित्र और मार्गदर्शक भी बना। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा और कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता होगा कि ऐसा व्यक्ति उसी भूमि से क्रान्तिकारी परिवर्तन शुरू करेगा जो भारत को इतनी एकता और शक्ति देगी जो महान शासक अशोक के समय भारत को प्राप्त थी।"

स्वतंत्रता के 53 वर्ष बाद सराइकेला और खरसवां में क्या हुआ? मेरे मित्र श्री कानूनगो ने सराईकेला और खरुसवां के लोगों की कुछ कठिनाईयों का हाल बताया। इस बारे में रिपोर्ट आई है- मुझे नहीं पता कि बहन आभा महतो यह कैसे कह रही हैं कि वहां उड़िया बोलने वाले केवल छः से सात प्रतिशत लोग हैं मुझे नहीं पता परन्तु मेरे विचार में यदि कोई जनगणना की रिपोर्टों के तथ्यात्मक विवरण का अध्ययन करने में रुचि रखता है तो केवल 1911, 1921, 1931, 1951 और 1971 के ही नहीं अपितु 1981

[श्री भर्तृहरि महताब]

के भी आंकड़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सराईकेला खण्ड में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार कुल 76,117 लोगों में से उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या 18,493 थी। वर्ष 1981 में यह संख्या 14,275 थी। यह कम हो रही है।

खरुसवां प्रखण्ड में 50,109 की कुल संख्या में से उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या 21,530 है। 1981 में जनसंख्या बढ़ी है पर उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या घटकर 19,000 हो गई है। गोविन्दपुर जिसे अब राजनगर कहा जाता है वहां यह संख्या 79,997 है और उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या 16,000 है। वर्ष 1981 में जनसंख्या बढ़कर 82,000 हो गई है परन्तु उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या घटकर 15,722 हो गई ऐसा क्यों है?

क्या किसी ने हस्तक्षेप करने की, जांच करने की कोशिश की कि ज्ञापन में कहे गए के अनुसार इन दो या तीन ब्लाकों में उड़िया बोलने वालों की जनसंख्या कम क्यों हो रही है? वहां यह कम क्यों हो रही है जहाँ स्कूल है? रिपोर्टों के अनुसार 1947-48 में 1500 उड़िया प्राथमिक विद्यालय थे। इस संख्या में अपने व्यवसाय के 53 वर्षों के दौरान क्या एक भी नया स्कूल जुड़ा है? यह वचनबद्धता कि उड़िया बोलने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने व्यक्त की थी? क्या आपने उस संख्या में कोई वृद्धि की है। इसके बजाय कुछ स्कूल बन्द कर दिये गए हैं।

उड़िया उच्च विद्यालय में कहीं एक भी कमरा और बनाया गया है? कुछ स्कूल टूट-फूट गए हैं और तोड़ दिये गये हैं। क्या आपने इन स्कूलों में एक भी नया उड़िया अध्यापक नियुक्त किया है? इसकी बजाय आपने कई दूसरे अध्यापक लगा दिये हैं।

यह वो मूल समस्या है जो हमें चुभ रही है। हम झारखंड के गठन के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु आप लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे जबकि आपने पचास वर्ष पूर्व यह प्रभार ग्रहण किया था और वह समय बीत चुका। वे लोग उड़ीसा में वापस आ रहे हैं और यह उड़िया लोगों की सच्ची मांगे हैं कि 53 वर्ष पूर्व आपने जो वचन दिया था उसे निभाएं और यह कि 50 वर्ष पूर्व या 52 वर्ष पूर्व और 44 वर्ष पूर्व किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया।

*सभापति महोदय, हम जानते हैं कि सभा में हमें अपने पक्ष में न्याय नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 50 वर्ष पूर्व एक अन्यायपूर्ण ढंग से हमारे विरुद्ध एक षडयंत्र रचा। सराईकेला और खरुसवां हमसे जबरदस्ती छीन लिया गया। हमारे वाजिब तर्क और कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे प्रति घोर अन्याय किया गया।

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप कन्क्लूड करें। आपकी पार्टी के अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, बस मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। आज हमने एक ही दावा किया है। आप हमें एक मंच दीजिए ताकि आप हमारी बात सुन सकें। आप जल्दी-जल्दी विधेयकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ से संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया है, आपने जल्दी उत्तरांचल विधेयक प्रस्तुत किया है। आप आज झारखंड विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। गुंजाइश कहां बची हैं? हमारे पास यह सब बातें करने के लिए समय नहीं है। इसी कारण मैं सभी से एक बार फिर कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के पक्ष में वोट देने हेतु व्हिप जारी नहीं किया। परन्तु कितने कांग्रेस सदस्य यहाँ मौजूद हैं? वे उड़ीसा में एक सर्वदलीय बैठक में उपस्थित रहे और विधान सभा में संकल्प पारित किया। परन्तु अब उड़ीसा से कांग्रेस के दो सदस्य ही उपस्थित हैं। मुझे नहीं पता वे क्या करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: चेयरमैन की अनुमति के बिना आप बोल रहे हैं, कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): आप हमारी चिन्ता मत करिए, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए।

श्री भर्तृहरि महताब: जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा अखिल भारतीय पार्टियां हैं। जब आप राष्ट्र के विषय में सोचते हैं, आप अलग ढंग से सोचते हैं, जब आप राज्य में बैठे होते हैं आप अलग ढंग से सोचते हैं? यह दोतरफा नीति क्यों है? आपको इस प्रश्न का उत्तर उड़ीसा के लोगों को देना है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर): उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई किसी भी दोहरी नीति का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी पार्टी ने विधर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने का भी संकल्प पारित किया था। परन्तु चूंकि यह संकल्प महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित नहीं किया गया था अत: हमें यह विचार छोड़ना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हम सरायकेला और खारसोन चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि यह विधेयक पारित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 इस सदन में आया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। मैं बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और हमारे दल के राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने यह विधेयक विधानसभा से पारित कराकर केन्द्र को भेजने का काम किया।

सभापति महोदय, सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें उसकी नीयत स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार की नीयत स्पष्ट होती तो बिहार सरकार द्वारा विधेयक में जो संशोधन लाये गये थे, उसको इस सदन में लाती। मुझे यह बात भी समझ में नहीं आती कि बिहार विधान सभा द्वारा किये गये संशोधनों में ऐसी कौन सी अलोकतांत्रिक बातें थीं जिसे केन्द्रीय सरकार ने शामिल नहीं किया। मुझसे पूर्व श्रीमती आभा महतो और श्री थामस हंसदा जी तथा तमाम लोगों ने कई बातें कहीं।

सायं 7.52 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

हम समझते हैं कि अगर आज झारखंड राज्य बन जाता है तो वहां के लोगों के बीच दिवाली और होली मनाई जायेगी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि बिहार का बंटवारा हो रहा है और दस करोड़ की आबादी वाला बिहार में से निकालकर तीन करोड़ आबादी वाले जो झारखंड राज्य बन रहा है उसमें 18 जिलों को लाया जा रहा है और इन 18 जिलों में 81 विधान सभा क्षेत्र आते हैं। इन 81 विधान सभा क्षेत्रों में 30 जनजाति के लिए और सात सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 44 सीटों का सामान्य वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सीटें जनजाति और सात सीटें अनुसूचित जनजाति दोनों मिलकर 37 सीटें होती हैं और सामान्य वर्ग की 44 सीटें इसमें आती हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि यह झारखंड आदिवासी राज्य बने। जिनके बीच में आदिवासियों का आज तक शोषण होता आया है, उनकी सरकार बने। यदि आज झारखंड राज्य बनता है तो किस तरह से झारखंड सरकार में आदिवासी व्यक्ति मुख्य मंत्री बनेगा? हम यह जरूर चाहते थे कि झारखंड राज्य बने, लेकिन हम चाहते थे कि झारखंड राज्य सही तरीके से बने। चूंकि झारखंड राज्य में जितनी माइन्स हैं, मिनरल्स हैं, चाहे वह स्टील हो, खनिज हो जितनी भी 17-18 बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आज उनकी क्या स्थिति है। कोयले का क्षेत्र लीजिए, जो झारखंड राज्य बनने जा रहा है, उस इलाके में आप देखिए, सारी कोयले की खदानें घाटे में जा रही हैं। चाहे सी.सी.एल. हो, या बी.सी.सी.एल. हो, या राजमहल का एरिया हो, राजमहल थोड़े बहुत फायदे में है। लेकिन अगर वह ई.सी.एल. में लिया जाता है तो वह भी घाटे में चली जा रही है। जब तक वहां की खदानों की धार्मिक स्थिति सही न हो जाए, क्योंकि वहां वी.आर.एस. लागू करके मजदूरों को हटाने की बात की जा रही है। इस तरह से जो झारखंड राज्य बनेगा, वह किस तरह से सुदृढ़ राज्य बन पायेगा। क्या वहां के आदिवासियों को राज्य में सही तरीके से प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। वहां बोकारो का स्टील कारखाना ह

वह भी घाटे में जा रहा है। हमारे मन में एक शंका है कि जो झारखंड राज्य बन रहा है और वहां जो हमारी खदाने हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को यह किस तरह से सुधारने का काम करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप सभा में दस्तावेज नहीं पढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि केन्द्र सरकार के पास 88 हजार करोड़ रुपया ऋण देय से दिया जा रहा है, यानी की बजट का 26 प्रतिशत सूद में दिया जा रहा है और जो यह झारखंड अलग राज्य बन रहा है, यह उसे किस प्रकार से मजबूत करेगी।

सभापति महोदय, दूसरी ओर आप देखें कि हमारे बिहार में करीब 7,25 हजार हैक्टेयर ऐसी जमीन है जो हमेशा पानी में डूबी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती कान्ति सिंह]

रहती है और 13 लाख हैक्टेअर में मात्र एक फसल हो पाती है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि वहां कितनी ही चीनी की मिलें बंद हो चुकी हैं और जो बाकी दस मिलें बची हैं, उनकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं है। आज यदि हम बिहार को दो भागों में बांटकर अलग झारखंड राज्य बनाते हैं तो जो बिहार पर 31 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है वह किस तरह से देने का काम किया जायेगा। क्योंकि हमें इस बात की आशंका है कि जो 31 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है कहीं वह जो बिहार इधर रह रहा है, उधर तो नहीं दे दिया जायेगा या फिर झारखंड के नये राज्य को तो नहीं दे दिया जायेगा। यदि इनका मन साफ है तो जो 31 हजार करोड़ रुपये का ऋण है, उस ऋण को माफ किया जाये।

क्योंकि जब केन्द्र में प्रधान मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल थे तो उन्होंने पंजाब का 12,500 करोड़ रुपया माफ किया था जबकि पंजाब धनाढ्य राज्य है। सभी जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है तो क्या केन्द्र सरकार उसके ऋण को माफ करने जा रही है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो माइन्स हैं, खासतौर पर हमारे नजदीक की कांस्टीट्यूएंसी में जो पीपीसीएल पाइराइट्स की माइन्स हैं, उन्हें भी दो साल से बंद कर गया है जबकि हर तरह की सुविधा उसमें उपलब्ध है और जा रहा है कि पाइराइट्स को निकालने में कॉस्ट ऑफ प्राडक्शन ज्यादा पड़ती है इसलिए उसे बंद कर दिया जाए। शेष बिहार में फिर हमारे पास क्या बचेगा? वहां के हजारों गरीब उसमें नौकरी करते हैं, यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर बिहार में लगभग 11 मिलियन हैक्टेयर कृषि भूमि चूने से युक्त है, वहां कैलकरियस मिट्टी में है। इसमें से 2.3 मिलियन हैक्टेयर लवणी भूमि है। ...*(व्यवधान)* मैं राजनीति शास्त्र में एम.ए. हूं फिर भी नहीं बताती। मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूं। यह लवणी भूमि अनुत्पादक है और उनकी उत्पादकता को 2.5 से 3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पाइराइट्स का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। कलकरियस भूमि में गंधक की भी कमी होती है। कृषि श्रेणी से पाइराइट्स का प्रयोग इस भूमि में सुधार हेतु गंधक उर्वरक के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपस में बातचीत मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): एम.ए. पास लोग क्या ऐसे पढ़ते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री धावरचन्द गेहलोत, आप इस प्रकार मत बोलिए। कृपया नियमों का पालन कीजिए। कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: सभापति महोदय, हमारे यहां जो पीपीसीएल पाइराइट्स की खानें हैं, और पाइराइट्स के माध्यम से सोनगंगा खाद बनती है, उसको सल्फरयुक्त बनाने के लिए 19 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमारे वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनका ध्यान आपके माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि कम से कम हमारे यहां की जो पीपीसीएल खदान है, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे यहां पूरा उत्तर बिहार पानी में डूबा रहता है और हर बार सदन में इस तरह के सवाल उठाये जाते हैं कि नेपाल की सरकार और भारत की सरकार आपस में बात करे, कोई सुनिश्चित योजना बनाए ताकि हर साल जो बाढ़ आती है, उसे रोका जा सके।

अंत में, यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि अगर इनकी मंशा साफ है तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार में लंबित हैं, उन प्रोजेक्टों को शीघ्र यहां से कार्यान्वित करते हुए भेजने का काम करें। जैसे कदवनजला परियोजना है, सोन नहर आधुनिकीकरण योजना है, दुर्गावती जलाशय योजना है, पुनपुन सिंचाई योजना है, जमनिया पंप नहर योजना है, उत्तरी कोइल जलाशय योजना है, स्वर्णरेखा परियोजना है, कोना सिंचाई परियोजना है, पश्चिमी कोसी नहर योजना है, बटेश्वर स्थान पंच नहर योजना है, अपर क्यूल जलाशय योजना है, पुनासी जलाशय योजना है, अरज बैराज योजना है, ये सब योजनाएं केन्द्र सरकार में लंबित हैं। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.00 बजे

आपने सारे देश को गिरवी करके रखा हुआ है। यहां तक कि आप दूध भी बाहर से लाने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* आपके यहां के लोग कहां जायेंगे।

सभापति महोदय, इसलिए मैं बिहार राज्य और झारखंड राज्य, दोनों राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग करती हूं क्योंकि अगर झारखंड भी बनेगा तो उसका भी विकास होना चाहिए। वहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा केन्द्र सरकार की मंशा वहां कोयले के माइन्स को जो बेच देने की है, उस पर यहां से रोक लगाने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि झारखंड राज्य में केवल मात्र 26 प्रतिशत ही आदिवासी लोग हैं और बाकी सामान्य वर्ग के लोग हैं। अगर झारखंड राज्य बनता है तो यह सिर्फ उनके अपने स्वार्थ के लिए ही बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि वहां आदिवासियों का राज्य हो तो आज सदन में गृह मंत्री या वित्त मंत्री इस बात का ऐलान करें कि झारखंड में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वह आदिवासी बनेगा। इसके अलावा जो कैबिनेट बनेगी, उसमें भी 70 प्रतिशत आदिवासियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये। मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि हम लोगों का बिहार विधान सभा से संशोधित विधेयक में अतिरिक्त पैकेज देने की बात है, उस 1,79,900 करोड़ रुपये की मांग करते हुए मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): सम्माननीय सभापति जी, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। जब हम इसको पास कर देंगे तो धारा तीन के अनुकूल यह झारखंड राज्य हो जायेगा। गृहमंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन गृह राज्य मंत्री जी यहां हैं। जिन मंत्री जी से हमको बात करनी थी, वे मौजूद हैं। हमारे राज्य के यशवन्त बाबू वित्त मंत्री हैं। हमारे साथियों ने मिला-जुला प्रदर्शन किया। सभी ने एक स्वर से आपका समर्थन किया लेकिन पता नहीं कृतघ्न शब्द अनपार्लियामैंट्री है या पार्लियामैंट्री है जो आपने सोनिया जी को धन्यवाद नहीं दिया। ...*(व्यवधान)* रघुनाथ जी, यहां से बिल राज्य सभा में जायेगा। अगर सोनिया जी का व्हिप नहीं होगा तो राज्य सभा में आपके सारे बिल गिर जायेंगे। ...*(व्यवधान)* आप कहां हैं। जब धनुष यज्ञ होने लगा और सभी लोगों ने धनुष को नहीं तोड़ा तो जानकी और जनक ने कहा

तजो वास निधि निज गिरि चाहू,
लिखा न विधि बय जे हित जाहू।

जनक को चिन्ता थी कि धनुष नहीं टूट रहा और जानकी को चिन्ता थी कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी। मेरी शादी नहीं होगी। अगर कांग्रेस आपको समर्थन नहीं करती तो आप कुंवारे रह जायेंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय के माध्यम से मैं आभा जी को संबोधित करना चाहता हूं कि गत वर्ष जब बिल आया था तब आप बहुत दुखी थी, परेशान थी। आप इसलिए परेशान थी क्योंकि बिल पेश नहीं हो सका था। मैं मानता हूं कि आपकी परेशानी स्वाभाविक थी लेकिन आपने कांग्रेस को धन्यवाद नहीं दिया। आपने सोनिया जी को धन्यवाद नहीं दिया। ...*(व्यवधान)* जरा अपने लोगों से पूछिए। रघुनाथ बाबू जी से पूछिए। रघुनाथ बाबू जी ने इतिहास बताना शुरू किया था। ...*(व्यवधान)*

आप भी हैं। आपने कह दिया, आप अपने राम जीवन बाबू से पूछिए। मैं फिगर्स में नहीं जाना चाहता। राम जीवन बाबू ने जो फिगर दी है, वह फिगर प्रमाणित करती है कि बिहार की जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने झारखंड क्षेत्र का नुकसान नहीं किया, फायदा किया। वित्त मंत्री जी, राम विलास बाबू और आप दोनों तो मिले ही हुए हैं, कभी हमारी बात भी सुन लीजिए। अनुसूची 9 और 10 देखिए। आपने जो बिल बनाया है, यह सारे संशय किसने खड़े किए थे, कहां खड़े किए थे। डा. श्रीकृष्ण बिहार के मुख्य मंत्री थे। उनको सत्रह वर्ष तक शासन करने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने पंडित जवाहर लाल के नेतृत्व में जो भी बड़े से बड़ा कारखाना था, कहां खड़ा किया। छोटा नागपुर इलाके में खड़ा किया। कठिनाई दूर करना चाहते हैं। अभी मैडम ने कहा कि आदिवासियों की संख्या 28 प्रतिशत है। इस बार की जनगणना में घटकर 26 प्रतिशत हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी चाहता हूं। रघुनाथ झा जी, अभी श्री राम जीवन सिंह ने कहा कि छोटे-छोटे तीन पंचायत का प्रखंड बन जाता है। श्री राम जीवन सिंह, आप बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और आपने अपने मंझौल गांव को सब-डिवीजन बना दिया। वह कितने पंचायत का था। श्री रघुनाझ झा जी, आपने शिवहर अपना जिला बना दिया। वहां कितने एम.एल.ए. हैं। एक एम.एल.ए. अपने हैं, दूसरा कोई नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं भी चाहता हूं कि छोटा राज्य बने लेकिन किसी पर इल्जाम लगाकर नहीं बने। आप इल्जाम लगा रहे हैं। यह सबसे बड़ा राज्य बन रहा है। इसमें 81 एम.एल.ए. जा रहे हैं, 14 सांसद जा रहे हैं और 7 एम.एल.सी. वहां चले जाते लेकिन यशवंत बाबू, आपने प्रोटैक्ट कर दिया।

बरों संभु नृप रहो कुमारी
जन्म-जन्म की रगर हमारी।

रामायण में तुलसीदास ने कहा। आपका यह प्रण पूरा हुआ। आपने प्रण किया था कि जब तक झारखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक मैं पटना नहीं जाऊंगा। आप आज झारखंड राज्य बना रहे हैं, अब पटना चलिएगा, पटना से रुसिएगा नहीं। आभा जी, आज आपसे ज्यादा प्रसन्न यशवंत बाबू हैं। ...*(व्यवधान)* मुख्य मंत्री क्यों बनेंगे, सारे देश के मालिक बने हुए बैठे हैं, सारे खजाने पर बैठे हुए हैं, न खाने देते हैं, न खाते हैं। सांप के सामने रुपया रख दीजिए तो वह न खाएगा न खाने देगा। ये खजाने पर बैठे हुए हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.09 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हाउस थोड़ी देर तक बैठेगा, इसलिए मिनिस्ट्री ने माननीय सदस्यों के लिए कमरा नम्बर 70 में डिनर का इंतजाम किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: आप तो खाना खिलाते ही हैं, इसमें कहने की क्या जरूरत है। हम सब बिल ऐसे ही पास कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

यशवंत बाबू, जो 14 पार्लियामैंट मैम्बर झारखंड में जाएंगे, उसमें किस तरह का प्रोवीजन कर दिया है, कैसा प्रोवीजन कर दिया। आप जहां के रहने वाले हैं, उसकी पोजीशन क्या है, बता दीजिए।

आप वह बताइए। आप नहीं बताते तो हम बता देते हैं। आपने पृष्ठ 28 पर दिया है, हजारीबाग में कौन-कौन सा निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, बरही, बरखागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। आप जब वोट लेने गये थे तब सिमड़िया भी उसमें था। आपने सिमड़िया से भी वोट लिया है। इस सूची के आधार पर सिमड़िया की जो जनता होगी, सिमड़िया निर्वाचन क्षेत्र का जो वोटर होगा, वह आज क्या सोचता होगा, वहां के मतदाता आपके जैसे और हमारे जैसे कानून जानने वाले नहीं हैं। कल वे समझ जाएंगे कि सिमड़िया निर्वाचन क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि यशवन्त बाबू नहीं हैं। दूसरा आपने क्या किया कि विधान सभा के सात निर्वाचन क्षेत्रों में जमुई को मुंगेर में मिला दिया। बिहार में छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पर एक पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी होती है। अभी मुंगेर पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी है, उसमें इन्होंने चकई को जोड़ दिया। जगदम्बी बाबू बैठे हुए हैं, ये गोड्डा से आते हैं, इनके क्षेत्र में चकई था, आपने प्रोवीजन कर दिया कि चकई को गोड्डा से काटकर मिला दिया, रेल राज्य मंत्री दिग्विजय बाबू हैं, उनके यहां मिला दिया और इनके यहां दूसरा मिला दिया गया। कौन सा क्षेत्र, जो आज भागलपुर में महगामा है। महगामा निर्वाचन क्षेत्र को आपने गोड्डा में मिला दिया। ...*(व्यवधान)* आप ऐसा मत बोलिये। कोई क्षेत्र किसी का नहीं है। अभी डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, केवल आपकी मंशा मैं बता रहा हूं। चतरा का आपने क्या किया, यह बिल है, बिल पर बहस हो रही है, आप बिल पर भी जरा विचार करके देखिये। पृष्ठ 27 पर गोड्डा से महगामा आपने ले लिया और चकई को काट दिया। चकई में चूंकि आपके कम मतदाता लोग रहते हैं, इसलिए उसको काटकर दूसरी जगह कर दिया और आपने चतरा से तीन निर्वाचन क्षेत्रों को निकाल लिया। बाराचक्की को निकालकर आपने औरंगाबाद में दे दिया। फतेहपुर को नवादा निर्वाचन क्षेत्र में दे दिया और इमामगंज को गया निर्वाचन क्षेत्र में दे दिया। यह आप क्या करना चाहते हैं।

जिस दिन मैडम ने फैसला कर लिया, हमारी अध्यक्षा ने फैसला कर लिया, नेता विरोधी दल ने फैसला कर लिया कि हमें झारखंड को समर्थन देना है, हमें छत्तीसगढ़ को समर्थन देना है और हमें उत्तरांचल को समर्थन देना है, उसी दिन आपका बिल पास हो गया। मैंने कहा था, "बरों शम्भू न तों रहों कुमारी, जनम-जनम की रगड़ हमारी"। यशवन्त बाबू, तब आपकी पूर्ति हुई है। आप पटना मत जाइये, आप पटना से बहुत नाराज हैं, बिहार भेज दीजिए, मुजफ्फरपुर में घर बना लीजिए। हमारे साथियों ने कहा कि झारखंड का मुख्यमंत्री होने का अवसर नहीं मिला। क्या कृषि वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, श्री विनोदानन्द झा मुख्यमंत्री नहीं हुए थे और श्री भागवत झा आजाद, जिनके सुपुत्र कीर्ति आजाद वहां मे पार्लियामेंट के मैम्बर हैं व जिनका महगामा क्षेत्र है, जो झारखंड में पड़ रहा है, वहां के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि नहीं थे। इसलिए यह कहना कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब हमें बहुत नैग्लैक्ट किया गया है, यह गलत बात है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सोनिया गांधी नहीं चाहतीं तो आपका बिल तो जानकी के धनुष यज्ञ की तरह ही रह जाता। यह फैसला हमारा है, इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। हमारे उड़ीसा के भाई कह रहे हैं कि मयूरभंज दीजिए, राउरकेला दीजिए, कौन कहां ले जाना है, ले जाइयेगा। अब तो हम पहले झारखंड पास कर देते हैं। अब उड़ीसा के बन्धु झारखंड में फरियाते रहिएगा, अब आपका बिहार से क्या मतलब है।

बिहार विधान सभा के सदस्यों ने चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, उन्होंने आपसे मांग की थी, लेकिन आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। आपने कहा कि कमेटी बनाएंगे, उसका जो निर्णय होगा, तब कुछ करेंगे, वरना घाटा होगा। आप कोई रोजगार करने थोड़े ही निकले हैं कि घाटे और नफे की सोचें। बिहार विधान सभा में जो बिल पास हुआ था, हुबहू उसको यहां पास करना चाहिए था। लेकिन आपने उसको संशोधित कर दिया। हम इसके विरोधी नहीं हैं। झारखंड क्षेत्र के सात एम.एल.सी. बिहार के ही रहेंगे, इस मामले में आपने ईमानदारी नहीं बरती। आपकी पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए तो आपने प्रावधान कर दिया। 12 लोक सभा सदस्य झारखंड में चले जाएंगे, लेकिन ये सात एम.एल.सी. बिहार विधान परिषद में ही बैठेंगे।

वहां के विधान मंडल ने दूसरी सिफारिश आर्थिक पैकेज की की थी। आप सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। अब आप सत्ता में हैं, कल दूसरा आएगा। हम रघुनाथ झा जी की तरह रोने की बात नहीं करते, जबकि वे सत्ताधारी दल में हैं। वे कहते हैं कि हमारा खून तो बाढ़ में बह गया, हमें रुपया दो, नेपाल से बात करो। मैं कहना चाहता हूं कि यह कुछ नहीं देंगे। आप बताएं कि क्या आपने वहां के लोगों के कहने पर कभी पैसा दिया है। हमारा 27 प्रतिशत फंड अभी भी यहां पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि वहां फंड खर्च नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट वहां से यहां मंजूरी के लिए आते हैं, उनको पास नहीं करते। श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पर लालू यादव ने इस बिल का समर्थन किया और विधान मंडल से पास कराकर भेजा। इसलिए लालू यादव और हमारी कांग्रेस की सरकार भी धन्यवाद की पात्र है।

मायावती जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में ईमानदारी है, सचमुच में झारखंड के साथ न्याय करना चाहते हैं तो वहां का मुख्य मंत्री किसी आदिवासी को बनाएं तो हम समझेंगे कि आपने सही काम किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा): उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय आडवाणी जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने लम्बी अवधि से झारखंड की जनता की आकांक्षा को पूरा करने का काम किया है। चुनाव के वक्त में आपने जो वचन दिया था, उसका भी पालन किया है। जब एक राज्य का विभाजन होता है तो लोगों को थोड़ा-बहुत तकलीफ होती है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ और आज 2000 में बिहार से झारखंड अलग होकर एक राज्य बन रहा है। दोनों के विकास के लिए मैं समझता हूं आपसी सहयोग नितांत आवश्यक है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने लोहिया मंच से कहा था कि मैं चाहता हूं बिहार के दो खंड हों। यह भी कहा था कि तभी बिहार के दोनों खंडों का विकास होगा।

यह आंदोलन आज का नहीं है। आदिवासियों के प्रतीक पुरुष बिरसा मुंडा जी जो उनके नेता हैं, जो आज वनाचंल में भगवान के साथ पूजे जाते हैं, उस समय से लेकर आज तक लोगों का सपना कि झारखंड प्रांत बने, वह आज साकार हो रहा है। इसलिए आज इस सरकार को और इस बिल के समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

1977 में लालू यादव जी की सरकार ने झारखंड का अनुमोदन किया था। बीच में चाहे जो कुछ हुआ हो, श्रीमती राबड़ी जी ने विधान सभा में इस बिल को पारित किया है। इसमें कांग्रेस का भी सहयोग रहा है, इसलिए मैं उसे भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था कि जल्दी से बिल पास हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे जल्दी पारित करने के लिए रखा है। झारखंड आंदोलन बहुत पुराना है। 82 वर्ष से यह चला आ रहा है। झारखंड आंदोलन को पहली बार 28 अप्रैल, 1988 को राष्ट्रीय दल के एक ही दल भारतीय जनता पार्टी के आगरा अधिवेशन में इसे राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। उस समय के तत्कालिक भाजपा के अध्यक्ष आडवाणी जी ने रांची में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस झारखंड प्रदेश के बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने जब से हाथ डाला तब से यह स्थिति बनी कि झारखंड बने। आज यह बनने जा रहा है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को, सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। वनांचल निकलने के बाद यह विचार हो रहा है कि बिहार का क्या होगा, पैकेज मांगा जा रहा है। पहली बार गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया और इसके पास होने के पहले से योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बना दी जिससे बिहार का अपकार नहीं हो और बिहार का संरक्षण हो, उसके विकास में बाधा नहीं हो। जो पैकेज मांग रहे हैं, पैकेज की व्यवस्था हमारे गृह मंत्री जी ने पहले ही कर दी है लेकिन बिहार को अगर विकसित करना है तो उसके लिए एक राजनैतिक दृढ़ता और निष्ठा की आवश्यकता है। जब पंजाब और हरियाणा उठ सकता है तो बिहार क्यों नहीं उठ सकता? राज्य को ऊपर उठाने के लिए अच्छी जमीन, वर्षा, नदी तथा खनिज चाहिए, ये सब उसके पास हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के निकलने का मलाल क्यों है? जो भी वहां घोटाले हुए हैं, वे सब झारखंड में ही हुए हैं। झारखंड का रुपया घोटाले में गया है। यदि यह रुपया झारखंड में लगता तो उसका कितना कल्याण होता। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप ऐसे ही बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, हमारे पास पहले से ही टाइम कम है। आपके बात करने से दो मिनट और खराब हो गये हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: उत्तर बिहार का समस्तीपुर का जो समतल मैदान है, वह इतना उपजाऊ है कि अगर उसे जल और बिजली से सिंचित किया जाये तो आधे हिन्दुस्तान को वही खिला सकता है। आज उसे विकसित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से उत्तर बिहार में क्या नहीं है?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मैं थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी लगभग 19 माननीय सदस्य और हैं, जो बोलना चाहते हैं। अगर आप उन सभी को 5 मिनट भी बोलने देंगे तो भी लगभग 2 घंटे और लग जाएंगे। अत: मेरा अनुरोध है कि एक या दो और भाषणों के बाद आप सभा को स्थगित कर दीजिए? *...(व्यवधान)* गृह मंत्री महोदय कल जवाब दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): हम बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम कर सकते हैं। या हम प्रत्येक माननीय सदस्य का आवंटित समय कम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आप संसदीय कार्य मंत्री से अनौपचारिक बातचीत कर सकते हैं और कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तत्पश्चात् मैं इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत करूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: न ही संसदीय कार्य मंत्री और न ही उनके कनिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं किससे बातचीत करूँ? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अभी लगभग 19 माननीय सदस्यों को बोलना है और इसमें लगभग तीन चार घंटे लग जाएंगे। एक या दो और भवनों के बाद सभा को स्थगित कर दें। हम इसे कल जारी रखेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम लोग तो बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें कम से कम तीन घंटे लगेंगे। यदि ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए जिससे प्रत्येक माननीय सदस्य को दिए गए समय को कम करके पांच मिनट किया जा सके तो इसे जल्दी समाप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह संभव है। यदि कुछ नेता और संसदीय कार्य मंत्री आपस में बातचीत करें तो इसमें एक या दो घंटा कम किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है। कृपया ऐसा करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रमुख विपक्षी दल की ओर से मैं आपके माध्यम से सभा से अनुरोध करता हूँ कि चाहे चर्चा और उत्तर पूरे हों अथवा न हों हम आज रात 9 बजे सभा की कार्यवाही समाप्त कर देंगे और कल उसे पुन: प्रारंभ करेंगे *...(व्यवधान)* हम कल सरकार का सहयोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अब मैं संसदीय कार्य मंत्री से इसका उत्तर देने के लिए कह सकता हूँ?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी 19 और माननीय सदस्यों को बोलना है। पूरे सम्मान के साथ हम यह चाहते हैं कि उनमें से प्रत्येक को बोलना चाहिए। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ। 19 माननीय सदस्यों का भाषण पूरा होने के बाद यदि मंत्री महोदय एक घंटे तक उत्तर देंगे और उसके बाद यदि हम उस पर खण्ड-वार विचार करेंगे तो सुबह का एक बज जाएगा। अत: मेरा अनुरोध है कि हमें आज रात 9 या 9.15 बजे तक कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए। हम इसे कल समाप्त करेंगे *...(व्यवधान)* हम सहयोग दे रहे हैं। हम आपत्ति नहीं कर रहे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि बहस चले। आप बोलिए। सभी को बोलने का राइट है।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: कल की सबसे पहली समस्या यह है कि हमें जम्मू और कश्मीर राज्य की स्वायत्तता पर चर्चा करनी है। हमारे पास इस विधेयक पर विचार करने का समय नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि परसों शुक्रवार है जो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। उसके बाद शनिवार और रविवार है। अत: हमें विधेयक को आज ही पारित करना है और दूसरी सभा में ले जाना है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यदि वे चाहते हैं तो मैं अपने पक्ष की ओर से बोलने वाले सदस्यों को रोकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एकतरफा ऐसा नहीं कर सकता।

प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के सदस्य इस सभा में बोले हैं अब तक प्रत्येक पार्टी के कम से कम तीन या चार माननीय सदस्य इस सभा में बोल चुके हैं। यदि आप 'संवरण प्रस्ताव' लाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यह आम सहमति से होना चाहिए, और अब मैं गृह मंत्री महोदय से विचार-विमर्श करूंगा वह अभी उत्तर देंगे और इस प्रकार हम इसे समाप्त कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मुझे स्पष्ट करने दें। कृपया व्यवधान मत डालिए।

मंत्री महोदय, आपके यहां आने से पहले मैं श्री दासमुंशी को सुझाव दे रहा था कि आपके और पार्टियों के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के बाद इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है।

यदि आप ऐसा कर सकें तो हम प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल पांच-सात या आठ मिनट का समय देकर इस चर्चा को जारी रख सकते हैं। इस बीच आप वह कार्य भी कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

अब श्री जगदम्बी प्रसाद यादव अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, समय की सीमा को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उत्तर-बिहार का अगर एक-एक चीज का वर्णन किया जाए, वहां पूर्णिया, मधुबनी, अररिया, किशनगंज ऐसे हैं जहां 40,000 से ऊपर पोखरे हैं। यदि इन पोखरों मे वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन किया जाए तो ये सारे भारत को निर्यात कर सकते हैं। यहां लीची, तम्बाकू और केले की खेती का सकती है। ...*(व्यवधान)* वहां खेती करने के लिए अनेक स्रोत हैं। ...*(व्यवधान)* वहां तेलशोधक कारखाना है, अगर उसके साथ पैट्रो केमिकल्स भी जोड़ दिया जाए तो इससे हजारों लोगों को सर्विस मिलेगी और इससे रोजगार बढ़ेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अच्छे प्रशासन की जरूरत है, जो इच्छाशक्ति को लेकर इसके विकास में लगें। ...*(व्यवधान)* आज झारखंड में बहुत सी चीजें होने के बावजूद भी वह बैकवर्ड बना हुआ है, इसलिए झारखंड की उन्नति करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, हम आज ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि समय थोड़ा है। हम बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का विरोध करते हैं। हमारी मार्क्सवादी पार्टी छोटे राज्य के पक्ष में नहीं है। हम पहले भी इस बात को बोल चुके हैं कि हम इसके पक्ष में क्यों नहीं हैं, हम क्यों बिहार का विभाजन नहीं चाहते और क्यों आज यह मांग उठ रही है। हमारा जिला पहले छोटा नागपुर के साथ ही था। पहले मानभूम था और मानभूम का एक अंग हमारा जिला पूर्णिया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने के लिए सिफारिश की, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने उस समय बताया था कि क्यों चोपुरा मानभूम जिला और सिंहभूम का ज्यादा इलाका पश्चिम बंगाल के साथ आना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। उसमें कुछ कंसीड्रेशन के लिए था। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के कंसीड्रेशन का था और दूसरे जो राज्य का पुनर्गठन किया और बताया गया, वह यह ठीक है कि–

[अनुवाद]

> "यदि केवल भाषा पर विचार किया जाता तो पुरुलिया बंगाली बोलने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा जिला होता जो इस समय बिहार में हैं।"

[हिन्दी]

यह उनका ऑबजर्वेशन था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जो बातें की जा रही हैं कि छोटा नागपुर या झारखंड का इलाका पिछड़ा हुआ है लेकिन वह क्यों पिछड़ा हुआ है? इतनी प्राकृतिक सम्पदा और खनिज सम्पदा के होते हुए भी आज यह इलाका क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या इसका विकास अलग राज्य के बनने से हो जायेगा? आजादी के बाद से हमारे देश में बहुत से छोटे-छोटे राज्य बने। क्या छोटे राज्य बनने से उनका विकास हुआ, उनका पिछड़ापन दूर हुआ और क्या बढ़ती आबादी का समाधान हुआ? मेरा कहना है कि नहीं हुआ। जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया। जिस तरह की परिकल्पना लेकर इस क्षेत्र के विकास का स्कोप था, उसको ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। जो शोषण की बात कही जाती है कि दक्षिण बिहार उत्तर बिहार का शोषण कर रहा है वह गलत बात है। क्या दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की कॉलोनी है? ऐसा नहीं है। जो असली समस्या है उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों इस इलाके में 50 साल के बाद भी कोई प्लानिंग विकास के लिए नहीं बनायी गयी? क्यों आज वहां बेरोजगारी बढ़ रही है? आज वहां पर हर तरह की समस्या बढ़ रही है। इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए था वह तो नहीं दिया गया और अब अलग राज्य की बात की जा रही है। अलग राज्य बनने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम बिहार को एकजुट रखकर और उस क्षेत्र के लिए एक आटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाकर विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। यह सवाल बार-बार आता है और मांग भी बार-बार आती है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ध्यान नहीं दिया जाता।

[श्री बसुदेव आचार्य]

वंचित करने से अलग-थलग करने की भावना पैदा होती है। एलीनेशन के कारण यह मांग होती है कि हमको अलग कर दो। लेकिन अलग करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बंगाल में भी यह समस्या आई है।

1985-86 में दार्जिलिंग जिले में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। हम वहां की समस्या का समाधान निकाल सके। वहां ऑटोनॉमस हिल काउंसिल बना कर, उस क्षेत्र के लोगों को अधिकार देकर, उस क्षेत्र के विकास में, उस क्षेत्र की आबादी की भागीदारी से समस्या का समाधान कर सके। 18 जिलों को लेकर एक ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन बना कर उस क्षेत्र के आदिवासियों और गैर आदिवासियों को अधिकार दिये जा सकते हैं। त्रिपुरा में भी ऐसी समस्या थी। त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चे की सरकार ने आदिवासी और गैर-आदिवासियों को एकजुट रख कर ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाई। हमने वहां बेरोजगारी, गरीबी और दूसरी समस्याओं का जिस तरह समाधान करने की कोशिश की, उसके मुताबिक इस क्षेत्र में भी इसी ढंग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अलग राज्य बना कर इस क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और अब झारखंड अलग राज्य बनने जा रहे हैं। इससे दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी मांग उठेगी। यह मांग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे प्रान्तों से आएगी। यह देश का विभाजन करने को प्रोत्साहन देगी। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य को एक रख कर उस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जाए। वहां के लोगों को अधिकार देकर और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। धीरे-धीरे ऐसी मांग दूसरे राज्यों में भी उठने लगी है। यदि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता तो अच्छा होगा। वहां इस पर चर्चा होने के बाद सदन में लाया जाता तो ठीक होता। इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है। देश का जिस तरह बंटवारा करने का मामला चल रहा है, हम उसके विरोधी हैं। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री के.पी. सिंह देव बोलेंगे। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, मैं संक्षेप में नहीं बोल सकता क्योंकि हमें सबसे अधिक कष्ट हुआ है और मुझे इस सभा के समक्ष निवेदन करना है।

महोदय, किसी राष्ट्र का निर्माण अत्यन्त प्रसन्नता का अवसर होता है। 14 अगस्त की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू का "ट्राइस्ट विद डेस्टिनी" भाषण सभी को याद है। जब काफी समय से पीड़ित लोगों की पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक आवाज उठाई। अत: पिछले तीन दिनों में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और आज झारखंड तीन राज्यों के सृजन से कई लोगों को खुशी हुई है।

मैं अपने सहयोगी रेलवे संबंधी स्थायी समिति के भूतपूर्व सभापति, श्री बसुदेव आचार्य की इस बात से सहमत हूँ कि यह विधेयक स्थायी समिति के माध्यम से लाया जाना चाहिए था।

जब से स्थायी समिति की धारणा पैदा हुई है तबसे केबल टेलीविजन अथवा कोल बियरिंग एरिया बिल जैसे अहानिकरक विधेयक भी स्थायी समिति की जांच के बिना संसद में नहीं लाए गए। मुझे नहीं लगता कि यदि ये तीनों विधेयक स्थायी समिति के माध्यम से लाए जायें तो आसमान गिर जाता क्योंकि हममें से अधिकांश लोग इन तीन राज्यों के गठन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं उन लोगों और नेताओं के सतत संघर्ष, कष्ट और बलिदान को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इन तीन नए राज्यों के लिए लड़े। कुछ राज्यों जैसे झारखंड के लोग 1793, स्थायी बंदोबस्त के समय से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय वक्ताओं ने विभिन्न विद्रोहों का ही उल्लेख किया है। फिर कैप्टन विलकिन्सन आयोग में प्रशासक बन कर आए। उसके बाद डोनेल आए और अन्य कई घटनाएं हुईं।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राजीव गांधी के समय से सारी चीज पूरे मामले में गति आई। इन तीनों राज्यों के लिए स्वर्गीय श्री राजेश पायलट द्वारा भी काफी प्रयास किये गये थे। जिस समय श्री बूटा सिंह गृह मंत्री थे उस समय एक रिपोर्ट "झारखंड की दिशा में" (लीडिंग अपटू झारखंड) प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट में 18 जिलों, जो इस समय झारखंड में सम्मिलित हैं, को अवसंरचनात्मक दृष्टि से कमजोर बताया गया था। यह जानकारी 1990 में दी गई थी। आज झारखंड राज्य का निर्माण करके न्याय किया जा रहा है।

मैं श्री प्रभुनाथ सिंह और श्रीमती कान्ति सिंह का आभारी हूं जिन्होंने अनेक परियोजनाओं का उल्लेख किया है। यह सब कुछ केन्द्र सरकार तथा कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद यह क्षेत्र पिछड़ा ही रहा क्योंकि राज्य सरकार ने यथोचित ध्यान वहाँ नहीं दिया।

महोदय, कल गृह मंत्री महोदय इतने उदार थे कि उन्होंने उत्तरांचल विधेयक पर बोलते हुए एक राजनेता जैसी प्रतिक्रिया जतायी कि अगर उधम सिंह नगर को आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए कुछ तहसीलों की आवश्यकता है तो उन्हें इस पर पुन:

विचार करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा दो तहसीलों को उधम सिंह नगर में जोड़ा जा सकता है जिससे गन्ने की खेती उसमें बनी रहे तथा यथासम्भव कुछ किया जा सके। उड़ीसा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? उड़ीसा का क्या कहना है? श्री भर्तृहरि महताब जो इस समय यहां बैठे हैं तीन बार कांग्रेस की ओर से संसद तथा विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। लेकिन अचानक आज कांग्रेस उनके लिए बुरी हो गई ...*(व्यवधान)* मैंने आपके बीच में व्यवधान नहीं डाला था। आप संसद और विधान सभा के लिए खड़े हुए थे और हार गए। महोदय उनके दत्तक पिता श्री हरिकृष्णा महताब 1952 में, पंडित नेहरू के समय में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। लेकिन आज कांग्रेस एक बुरा शब्द बन गया है। लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने यह शुरू किया—चाहे वह उत्तरांचल हो या छत्तीसगढ़। यह बात अभिलेख में है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने आज नहीं बल्कि चार साल पहले अपने प्रथम कार्यकारण में इसका स्वागत किया था। इसलिए कांग्रेस पिछड़े इलाकों के आर्थिक उत्थान के लिए पहले से ही जुड़ी रही है। पिछड़े इलाकों, जन-जातियों, अनुसूचित जातियों और क्षेत्रीय असंतुलन के प्रति यह हमेशा सजग तथा चिंतित रही है। हो सकता है, यह पर्याप्त न हो। हो सकता है कि आने वाली सरकार जिसे मैं कभी-कभी 24 पार्टियों का विषम संगम कहता हूँ, हमसे अच्छा काम करे। आज मैं इन तीनों अल्प-विकसित क्षेत्रों—उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के सभी भाई-बहनों की सफलता की कामना करता हूँ।

इस विधेयक के लाने के दौरान मुझे बोलने का मौका मिला और उस समय मैंने इसका विरोध किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने विधेयक का विरोध किया था क्योंकि मेरी पार्टी विधेयक को पारित करने के प्रति वचनबद्ध है। यह प्रक्रिया कांग्रेस द्वारा शुरू की गई थी जिसे यह सरकार पूरा कर रही है और मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रचनात्मक विरोध या आलोचना की है। उदाहरण के लिए हम प्रसार भारती विधेयक को लीजिए, यह इस सदन में सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ होता यदि राजीव गाँधी तथा कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया होता। उस समय हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उस लोक सभा के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य थे। हमने सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक का समर्थन किया, हमने ऐसे सभी विधेयकों का समर्थन किया था। हमने सभी अच्छे कार्यों का समर्थन किया है।

विधेयक के पुर:स्थापन के समय मैंने इसका विरोध क्यों किया। इसका एक कारण था। आज यदि कश्मीर भारत के साथ है तो इसका कारण है 15 अगस्त, 1947 की संप्रभुता का अभाव। यदि उस समय के भारत के 544 प्रांतीय शासक संप्रभु होते तो वे स्वेच्छा से पाकिस्तान या भारत में जा सकते थे। इनमें से सबसे पहले शासक श्री आर.एन. सिंह देव थे जो प्रथम लोक सभा के सदस्य थे तथा वर्तमान सदस्य श्रीमती संगीता कुमारी देव के दादा थे। तत्पश्चात श्री विक्रम केशरी देव के पिता श्री पी.के. देव थे जो सरायकेला में एक शांतिपूर्ण सभा को संबोधित करने जा रहे थे कि उनका सिर फूट गया था। श्री आर.एन. सिंह देव जेल में सड़ते रहे। इनमें और भी कई विशिष्ट लोग, श्री सारंगन दास, श्री सुरेन्द्र मोहंती, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, श्री अभिमन्यु रथ अन्य कई लोग तथा कई विधायक भी थे।

उड़ीसा बहुत ही शांतिप्रिय राज्य रहा है, जैसाकि मेरे पुराने मित्र कालेज के प्रेसीडेंट श्री त्रिलोचन कानूनगो ने कहा है। हम अभी भी शांतिप्रिय हैं। हम गाँधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। जब अशोक ने हमारे ऊपर चढ़ाई की तो हम लोग इसे चुपचाप सह गए तथा हमने पुन: अपना विकास किया। उड़ीसा के कलिंग युद्ध ने चंद अशोक को धर्म अशोक बना दिया। हमने ये सब कुछ सहन किया है और अभी भी इसको सहन कर रहे हैं।

44 वर्षों के बाद आज हम सरकार से जो कुछ मांग रहे हैं वह उड़ीसा के प्रति न्याय की मांग है। जब हमारे यहां भीषण तूफान आया तो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया यद्यपि इसे एक राष्ट्रीय आपदा समझा गया। पिछले चालीस वर्षों से हमारी मांगें व्यर्थ हो गई हैं। हम उत्तरांचल या पूर्वोत्तर के क्षेत्र की तरह पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ मौसम से जुड़ी आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ और तूफान से लगातार बर्बादी हो रही है। हम चालीस वर्षों से ये सब भुगत रहे हैं। हम हमेशा से ही पिछड़े हुए हैं। हमें अनुसूचित राज्य या उत्तरांचल या पहाड़ी राज्यों की तरह समझा जाए। योजना आयोग हमारी बात नहीं सुनता और कुछ हद तक यह संसद भी हमारे प्रति बहरी रही है।

ढांचागत विकास के मामले में भी उड़ीसा सूची में सबसे नीचे है। रेलवे के मामले में भी उड़ीसा सबसे नीचे है। सिंचाई के मामले में हमारी जरूरत 3700 करोड़ रुपये की है जबकि हमें मात्र 75 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। आज के प्रश्नकाल में तीसरा प्रश्न मेरा ही था। जल संसाधन मंत्री महोदय श्री अर्जुन सेठी भी उड़ीसा से हैं तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्री उनकी ही पार्टी के नेता हैं। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा है? सिर्फ 75 करोड़ रुपये का उड़ीसा के प्रति ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

[श्री के.पी. सिंहदेव]

आपकी अनुमति से, 1956 में एस.आर.सी. से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बारे में असहमति नोट में श्री सुरेन्द्र मोहंती ने जो कहा था उसका कुछ अंश उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था:

"इस अफरा-तफरी या स्वार्थपरता के बीच सिद्धांतों की लड़ाई तब तक चलती रही जब तक कि सिद्धांतों का अंत न हो गया"।

आयोग के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा:

"...आयोग समस्या के हालात, ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, मौजूदा स्थिति तथा उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण और संगत सभी पक्षों की जांच करेगा। वे इस प्रकार के किसी पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रथम दृष्टया सरकार उम्मीद करती है कि आयोग विस्तार से जांच नहीं करेगा बल्कि सामान्य सिद्धान्तों के संबंध में सिफारिश करेगा जिससे इस समस्या का समाधान निकलेगा और यदि वे चाहते हैं कि मोटेतौर पर..."

लेकिन आयोग ने ठीक इसके विपरीत किया इसने पुरुलिया, तथा दलभूम सहित सभी क्षेत्रों की संक्षिप्त जांच की पुरुलिया बंगाल में आ रहा था तथा दलभूम सरायकेला तथा खरसवां से अलग किया जाएगा। ये केवल दो तहसील हैं। कल ही श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि उधम सिंह नगर को दो तहसील देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा उड़ीसा के साथ नहीं हो रहा है जिसे 1947 में ही उड़ीसा के साथ मिला दिया गया था? विलय समझौता में भी दिसम्बर, 1947 में तथा 1949 तक, जिला कलेक्टर बालासोर द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। बालासोर के कलेक्टर सरायकेला, सिंहभूम तथा चाईबासा के कार्यभार देख रहे थे। अस्थायी व्यवस्था क्या थी? यही बात है जिसे श्री सुरेन्द्र मोहंती ने पैरा 9 में कहा है:

"सरायकेला तथा खारसवां उड़ीया बोलने वाले 25 राज्यों में से थे जिन्हें क्रमश: 14 और 15 दिसम्बर, 1947 को भारतीय क्षेत्र डोमिनियन ऑफ इंडिया की सरकार तथा इन राज्यों के शासकों के बीच विलय समझौता पर हस्ताक्षर के बाद 1 जनवरी, 1948 को उड़ीसा में मिला दिया गया। इस प्रकार इन राज्यों (क्षेत्रों) का उड़ीसा के साथ विलय इस तथ्य को जाहिर करता है कि इन दोनों राज्यों का ऐतिहासिक भाषायी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उड़ीसा के साथ समानता है।"

सरायकेला समझौता का प्रस्तावना इस प्रकार है: .

"राज्य तथा इसके लोगों के तात्कालिक हित में सरायकेला के राजा इस बात के लिए इच्छुक हैं कि राज्य के प्रशासन का यथाशीघ्र उड़ीसा प्रांत के प्रशासन के साथ इस प्रकार विलय कर दिया जाना चाहिए जैसा कि डोमिनियन ऑफ इंडिया ठीक समझता है।"

इसके तुरंत बाद क्या हुआ?

इन राज्यों के उड़ीसा में विलय के तुरंत बाद इन दोनों राज्यों को बिहार को हस्तांतरित करने के लिए बिहार ने विवाद खड़ा कर दिया। 1 जनवरी, 1946 को खरसवां में जहाँ पर आदिवासी उड़ीसा के पूर्वी राज्यों तथा छत्तीसगढ़ एजेंसी को यूनियन के निर्माण के लिए प्रदर्शन हेतु इकट्ठा हुए थे, आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना से स्थिति और उलझ गई। यद्यपि मामला समाप्त हो गया तथा बिहार के लिए यह पूर्व निर्णित भी थी फिर भी बाद की घटनाओं जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, से बिहार तथा उड़ीसा के बीच विवाद फिर जोर पकड़ लिया। बिहार द्वारा खड़ा किए गए इस प्रकार के अनुचित विवाद को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बम्बई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री बावडेकर की अध्यक्षता में.....

महोदय, मैं लोगों के विश्वासघात को उजागर करना चाहता हूँ जो इस सबके लिए जिम्मेदार थे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उस समय वहाँ किसकी सरकार थी क्योंकि सरकार के साथ विधिवेत्ता भी थे।

"....राज्यों के संकल्प सं. एफ.2 (35)-पी/48 नई दिल्ली दिनांक 7 अप्रैल, 1948 इन दो राज्यों, बिहार उड़ीसा के परस्पर दावों के संबंध निम्नलिखित संदर्भ में अधिनिर्णय सुनाने के लिए (1) राज्यों की जनता के विचार (2) ऐतिहासिक, आर्थिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक समानता तथा (3) प्रशासन की सुविधा पर विचार करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। लेकिन 18 मई, 1948 को, इसके पहले कि उक्त न्यायाधिकरण मामले की जांच करता तथा कोई फैसला सुनाता, राज्यों के मंत्रालय ने जनता की इच्छाओं तथा उसकी ऐतिहासिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक समानताओं पर विचार किए बिना इन दोनों राज्यों को अस्थायी रूप से बिहार को....."

ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये राज्य पुनर्गठन आयोग तथा संयुक्त समिति द्वारा दिए गए कुछ उद्धरण हैं।

...इस आधार पर दे दिया गया कि ये भौगोलिक रूप से उड़ीसा से जुड़े हुए नहीं थे क्योंकि उड़ीसा का एक अन्य राज्य मयूरभंज उस समय उड़ीसा में नहीं मिलाया गया था। इसी बीच 1 जनवरी, 1949 को मयूरभंज राज्य को उड़ीसा में मिला दिया गया। इसके बाद ये दोनों राज्य, सरायकेला तथा खरसवां, स्पष्ट रूप से उड़ीसा से जुड़ गए। इस प्रकार भारत सरकार के पास इन दोनों राज्यों को उड़ीसा को लौटा देने के लिए पर्याप्त तर्क रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। एक अस्थायी फैसले को अंतिम व्यवस्था के रूप में मान लिया गया।''

एस.आर.सी. ने भी वैसा कुछ नहीं किया और एक ऐतिहासिक भूल, जिससे हम अवैध रूप से जुड़े हुए हैं, को हम ढो रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यह सारा कुछ कांग्रेस के समय में हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकनाल): ऐसा हो सकता है। अब मैं राजनैतिक, बहस वाले तथा एक दूसरे से खुद को ऊपर दिखाने के प्रयास वाले मुद्दों को नहीं उठाना चाहता। अब हम इस बहस को छोड़ दें कि वहाँ कौन सी सरकार थी!

रात्रि 9.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास अब समय नहीं है। श्री सिंह देव आप कृपया पीठाध्यक्ष को संबोधित कीजिए। माननीय सदस्य की बातों पर ध्यान मत दीजिए। श्री कानूनगो जी, आप कृपया बैठे जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, इस सरकार ने प्रतीज्ञा की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सारे क्षेत्र को वापस ले लिया जाएगा। इसने लद्दाख और अक्साईचीन, जो चीन के अधीन है, के क्षेत्र को वापस लेने की प्रतीज्ञा की है। उनसे निवेदन है कि किसी भी हमलावर को आगे से कोई लाभ न दिया जाए? ...*(व्यवधान)*

अब मैं विषय पर आता हूँ मंत्री महोदय आप उनको झारखंड में मिलाना चाहते हैं क्योंकि वे बिहार में नहीं रहना चाहते। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ये दोनों छोटी तहसीलें जो उड़ीसा का हिस्सा थी, झारखंड में चली जाएंगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे तहसीलें उड़ीसा को वापिस की जाएं। मैं माननीय गृहमंत्री जी से भी मिला था। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक में ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए उनसे मेरी अपील है कि इन दोनों तहसीलों को उड़ीसा को लौटाया जाए, जो कि यह सर्वथा सही है। इससे उधम सिंह नगर को दो तहसील देने के संबंध में उनकी उदारता का ही पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं सिद्धांतत: बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 के पक्ष में हूं और मेरी पार्टी भी छोटे राज्यों की पक्षधर है। हमने शुरू में जब बिल पुर: स्थापित हो रहा था, तब कुछ आपत्ति उठाई थी। आज भी जब विचार के लिए विधेयक लाया जा रहा था, उस समय भी हमने आपत्ति की थी। हमने इसलिए यह आपत्ति की थी ताकि सदन के जरिये ऐसे काम न हो, ऐसी परम्परा स्थापित न हो। इसलिए मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं। अभी मैं हवाला नहीं दूंगा क्योंकि फर्स्ट ऑवर में मैंने बता दिया था कि नियम के तहत इस विधेयक में क्या-क्या जल्दबाजी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग गवर्नमैंट के रीढ़ हैं, एलायंस पार्टी हैं, घटक हैं। क्या जरूरत थी? कभी एन.डी.ए. के सभी सदस्यों को विश्वास में लिया गया? तीन राज्यों के पुनर्गठन का विधेयक लाया गया। तीन राज्यों का विभाजन हुआ है लेकिन एन.डी.ए. के सभी सदस्यों को कभी बुलाया नहीं गया, विश्वास में नहीं लिया गया। मैं यह बात इसलिए दर्ज कर रहा हूं ताकि आगे यह परिपाटी न हो। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनें। हम अपनी बात कह रहे हैं।

इस विधेयक का वित्तीय ज्ञापन पृष्ठ संख्या 50 पर है। इसमें स्पष्ट है कि विधेयक का खंड 40, जो राजस्व के वितरण के संबंध में है, यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग की सिफारिश पर, विद्यमान बिहार राज्य को संदेय कुल रकम में से, बिहार राज्य और झारखंड राज्य के अंश, आदेश द्वारा ऐसी रीति से अवधारित करेंगे, जो वह ठीक समझे। प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार के विभागों और अभिकरणों के प्रशासनिक व्यय में कुछ आंशिक वृद्धि को छोड़कर, भारत की संचित निधि में से कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

महोदय, अभी वित्तीय ज्ञापन के अनुच्छेद 280 का जिक्र किया गया है। 280 अनुच्छेद में, 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर अथवा इससे पूर्व, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति समझें, एक वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। यह हरेक पांच साल पर ही हो सकता है। इसके अनुच्छेद 275 में लिखा है कि कुछ राज्यों को संघ के अनुदान, ऐसी राशियां जिनकी संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

की संचित निधि प्रभावी होगी। जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाजन में कहां पर राशि नियत की गई है? इसलिए जब गृह मंत्री या माननीय प्रधान मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे तब हम इस चीज को जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिन जब गृह मंत्री जी सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इतने लाख करोड़ रुपये शायद कुल मिलाकर पूरे बिहार के पास भी नहीं होंगे। यह नहीं कह सकते लेकिन पहली बार मंत्रिमंडल ने 1998 में राज्य पुनर्गठन की कल्पना का निर्णय लिया।

गृह मंत्री जी ने, पिछले दिनों जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, यह विचार व्यक्त किया था। मैं उस निर्णय को पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता, मैं उसे कोट नहीं करना चाहता, वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। चाहे उत्तर बिहार हो चाहे शेष बिहार हो या झारखंड हो, दोनों सम्पन्न रहें, उत्तर बिहार की प्रगति हो, वह समृद्ध हो, दोनों राज्य समृद्ध हों, सुखी हों। जब यह नीयत है, मंशा है तो इसमें राशि का उपबंध क्यों नहीं किया गया। 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जहां तक इस बिल के उद्देश्य का सवाल है, पृष्ठ 44 में लिखा है। इसका जिक्र किया जाता है, स्पैशल पैकेज देने की बात का जरूर है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में इसका संकेत है। प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। 1998 में, जैसा मैंने जिक्र किया, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी आया। लॉ डिपार्टमैंट, सारी प्रक्रिया आदि होते-होते, अभी 4-5 महीने में, जो पौजीटिव संकेत होना चाहिए, वह नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ आर्थिक पैकेज के बारे में है। शेष बिहार में जो 37 जिले हैं, जिसकी आबादी लगभग सात करोड़ से ऊपर होगी, उसमें केवल यह दिया गया है—सरकार ने झारखंड राज्य की विरचना के परिणामस्वरूप बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों को अनन्यत: निपटाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे भारसाधन के अधीन योजना आयोग में यह समर्पित इकाई स्थापित की है। यूनिट तो स्थापित की गई है लेकिन इसे कार्य रूप में लाना चाहिए। 1998 में फैसला हुआ, अभी चार महीने हो गए, इस समय क्या प्रगति हुई है। बिल को अद्यतन स्थिति के साथ आना चाहिए। स्पैशल इकोनौमिक पैकेज को सकारात्मक रूप से शेष बिहार को देने के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं है। क्या चार महीने बाद कदम-ताल हो रहा था? प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ। प्लानिंग कमीशन का नाम देने मात्र से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक पक्ष क्या है क्योंकि शेष बिहार में केवल नेपाल, भारत से नदियां निकलती हैं। रघुनाथ झा जी बोल रहे थे, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हमने शुरू में ही इस बात का अर्ज किया कि हम झारखंड राज्य बनने के विरोधी नहीं हैं, हम छोटे राज्य को चाहते हैं लेकिन जो विशेष पैकेज का मामला है, उसमें अनदेखी क्यों की जा रही है। क्या एक बिहार झारखंड को बना कर शेष बिहार को नदी, बालू, पानी में डुबोने की स्थिति पैदा करने से वह राज्य सुखी रह सकेगा? नेपाल से जो नदियां निकलती हैं चाहे कमला बालान हो, चाहे भूतही बालान हो, चाहे अधवारा समूह हो, चाहे बागमती हो, चाहे कोसी नदी हो, ये शेष बिहार में इतना उपद्रव मचाती हैं कि सात करोड़ आबादी के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाते हैं। फ्लड डिवास्टेशन इतना जोर से हो जाता है कि लोग छ: महीने बाढ़ में रहते हैं। हृदय पर हाथ रख कर कहें, जो 40 सदस्यीय जीत कर इस सदन में आते हैं, झारखंड राज्य जो प्रस्तावित है, उसमें 14 सदस्य होंगे। यह जब पारित होगा तो 14 सांसद उधर हो जायेंगे और 40 सांसद शेष बिहार में हो जाएंगे। वे 40 सांसद जहां से आएंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। वहां केवल बालू रहेगा, कोई उद्योग नहीं है। चीनी मिल थी, वह भी बंद हो गई। यहां रघुवंश जी हैं। इनका राज है, चीनी मिल का क्या हुआ। वहां कुछ नहीं है। सूत मिल थी, वह भी समाप्त हो गई। उत्तर बिहार में जूट उद्योग था, वह भी बंद है। वह रुग्ण हैं। कोई मिल नहीं, कोई उद्योग नहीं है। कागज की अशोक पेपर मिल, दरभंगा में थी, वह भी समाप्त हो गई। रोजगार का कोई साधन नहीं है। आज 11 लाख खेतिहर मजदूर, जो खास करके खेती पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्रान्तों में अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं।

वहां से 11 लाख मजदूरों का पलायन हो गया जिनमें से 18 लोगों को मार भी दिया गया। वहां के लोग बराबर रेल एक्सीडेंट में मरते हैं, पंजाब में मरते हैं, विभिन्न राज्यों में जाकर रोजी-रोटी के लिए मरते हैं, क्योंकि इंसान रोटी के बिना नहीं रह सकता। जो भी नीड्स हैं, उनमें बाकी नीड्स से तो काम चल सकता है। आवास और कपड़ा तो फटा हुआ भी पहनकर काम चल सकता है, लेकिन जो पेट की ज्वाला है, उसमें आदमी रोटी के बिना नहीं रह सकता। रोटी के लिए उनको दूसरे राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है। खेती शेष बिहार की घाटे का व्यवसाय हो गई है। धान, गेहूं और दूसरी फसलों की खेती वहां घाटे का व्यवसाय है। किसान अब खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि मजदूर भी वहां से पलायन करके बाहर चले गये हैं। उनको वहां मजदूरी नहीं मिल पाती, चूंकि बाढ़ में सारी फसल नष्ट हो जाती है, हर साल नष्ट होती है। अभी बरसात का महीना है, अभी फ्लड चल रहा है, नदियों में तूफान चल रहा है तो क्या हम सब नदी में चले जायें। आर्थिक पैकेज का पोजीटिव संकेत आपने दिया है, यह अच्छी बात है, लेकिन संकेत देने मात्र से हमारी व्यावहारिक कठिनाई दूर नहीं हो सकती है, शेष बिहार की कठिनाई इससे दूर नहीं होगी।

जो बिहार पुनर्गठन विधेयक के द्वारा राज्य बन रहा है, वह किसके लिए बना रहा है। हमें बड़ी खुशी होगी, जब आदिवासी लोगों का मुख्यमंत्री बनाने को सुनिश्चित किया जायेगा। हम एकदम उसके पक्ष में हैं, जो दबे-कुचले लोग हैं, जिनकी आज तक उपेक्षा हुई है और जो भारत के मूल वासी हैं। आदिवासी का मतलब है कि वे भारत की मूल संस्कृति की धरोहर हैं। मैं आदिवासियों के विषय में कह सकता हूं कि भारत की मिट्टी और धरती की मूल धरोहर कोई बिरादरी अगर है तो वह आदिवासी हैं। इसलिए आदिवासी लोगों की रक्षा, उनका विकास, उनका उन्नयन और उनकी प्रगति होनी चाहिए। लेकिन हमें शंका है, आज सदन के इतिहास में दो तारीख को हम दर्ज कराना चाहते हैं कि 24 से 26 प्रतिशत आबादी वहां आदिवासियों की है, गैर-आदिवासी लोग वहां 74 प्रतिशत हैं। यहां चौधरी राम टहल जी बैठे हुए हैं, इनका शोषण करने वालों से छुटकारा कैसे होगा, इसे भी माननीय गृह मंत्री जी सुनिश्चित करें, क्योंकि वहां जो एक्सप्लायटर लोग होंगे, वे इनको वहां की राजसत्ता पर चढ़ने नहीं देंगे। राजसत्ता में ही नहीं, बल्कि विकास की सारी चीजों पर बाहर के लोग वहां जमे हुए हैं, जो 76 प्रतिशत लोग हैं, जो गैर-आदिवासी हैं। मुझे शंका है कि कहीं यह झारखंड राज्य कालोनी, उपनिवेश न बन जाये। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शोषक लोगों का कहीं यह उपनिवेश न बन जाये, यह मेरी शंका है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी वहां का मुख्यमंत्री हो, जो वहां के आदिवासियों के उन्नयन के लिए काम करे। यह झारखंड राज्य में सुनिश्चित हो। *...(व्यवधान)* यह तो सेंसस की बात है, मैं डाक्यूमेंट से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): यह गलत बात है, वे वहां के मूल वासी हैं, आप उनको शोषक नहीं कह सकते। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं। इतना समय नहीं है, आप कहिये तो हम सेंसस का भी बता दें। सदन में और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। इसलिए झारखंड राज्य किसके लिए बनाने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि जनता की इच्छा और आकांक्षा को देखते हुए यह किया जा रहा है, यह स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल इच्छा और आकांक्षा के आधार पर राज्य को न बांटा जाये। भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक ढांचा और इकोनोमिक वायबिलिटी, विकास की स्थिति, इन सारी चीजों को भी उसमें प्राथमिकता दी जाये। केवल आकांक्षा होगी तो फिर सात करोड़ की आकांक्षा अलग हो जायेगी और ढाई करोड़ की आकांक्षा दूसरी हो जायेगी। तब आकांक्षा में भी टकराव हो जायेगा, इसलिए जनता की आकांक्षा में टकराव न हो, ऐसा कोई आधार बनाना चाहिए राज्य के विभाजन का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आधारभूत संरचना है, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन इससे और न बढ़ जाये। मुझे शंका है, इसलिए मैं शंका का निराकरण कराना चाहता हूं। मैं तो इस विधेयक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे शंका है कि कहीं क्षेत्रीय असंतुलन और न बढ़ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: तब तो मैं बैठ ही जाता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको 15 मिनट हो गये। आप दो मिनट और ले लीजिए। यादव जी, आप नाराज क्यों होते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आसन सर्वोपरि है। मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

मैं आपके आदेश का पालन अक्षरश: करना चाहता हूं। क्षेत्रीय असंतुलन की बात मैं कहना चाहता हूं। रघुनाथ झा जी जहां से आते हैं, शिवहर से, वहां सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आदि 17 जिलों के लोगों ने मिथिलांचल राज्य का नारा दिया है, क्योंकि झारखंड राज्य बन रहा है इसलिए लोग कहते हैं कि मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए। इसी तरह से रोहतास के लोग भोजपुर की मांग उठाकर शाहबाद क्षेत्र को अलग करने की बात करेंगे। इस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन का भी संकेत उठेगा। इसीलिए हम आधारभूत संरचना की बात कह रहे हैं। उत्तर बिहार की रोड के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। वहां जो इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैपेसिटी है, शेष बिहार में नहीं है। जो आंतरिक संसाधन मोबिलाइजेशन होना चाहिए राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य के रेवेन्यू के लिए, वह वहां नहीं है। वहां केवल बालू और नदी है इसलिए जो शेष बिहार बचेगा, उसमें आंतरिक संसाधन मोबिलाइजेशन की क्षमता नहीं होगी तो वहां योजना का आकार कैसे तय होगा। इसलिए आज सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। गाडगिल फार्मूले के अनुसार प्लान का आकार बनता है। जब गाडगिल फार्मूले के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, प्लान का आकार होगा, तो इन 37 जिलों में आंतरिक संसाधन मोबिलाइजेशन की क्षमता नहीं

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

रहेगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा और ये रसातल में चले जाएंगे। वहां की योजनाओं को आकार नहीं मिलेगा, क्योंकि केन्द्र के पास जो पैरामीटर है उसके अनुसार यदि वित्त का आकार बनेगा तो फिर उस राज्य का क्या होगा, इसलिए मैं यह चिंता यहां व्यक्त कर रहा हूं। राज्य की सड़कों के बारे में मैंने निवेदन कर ही दिया है। वहां बिजली की, सिंचाई की क्या हालत है, यह सभी को पता है। जब तक नेपाल और भारत की सरकारें वहां बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं खोज लेतीं, उस क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। यह मामला केवल राज्य सरकार का नहीं है। नेपाल के प्रधान मंत्री जी यहां आए हुए हैं। अभी या फिर कभी उनसे वार्ता करके नदी का फ्लड डिवास्टेशन, स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक शेष बिहार नहीं बच पाएगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरे पास कहने को और भी कई बातें हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। जिस तरह से इंजीनियरिंग कालेज हैं, टाटा, जमशेदपुर आदि में आइरनओर, ताम्बा तथा अन्य खनिज हैं, वे सब दक्षिण बिहार में हैं, लेकिन उन सभी का मुख्यालय बाहर है।

जो समृद्ध राज्य बनाने की कल्पना इस विधेयक में की गई उसके लिए गृह मंत्री जी आर्थिक पैकेज की घोषणा भी करें। झारखंड राज्य से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा निवेदन है कि सरकार अगर अभी आर्थिक पैकेज देने को तैयार नहीं है तो उसको प्रवर समिति को या संसद की संयुक्त समिति को भेज सकती है। उस पर पूरी जांच हो और भली-भांति उस पर विचार करके दिया जाए। आगामी शीतकालीन सत्र में उसको पारित कराया जाए। अभी सिर्फ तीन महीने बाकी हैं अगले सत्र में इसलिए इस बीच कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई जल्दी नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस विधेयक के समर्थन की घोषणा पहले ही कर दी गई। इससे भाजपा के लोगों का बड़ा भारी मन इस ख्याल से बढ़ गया कि अब कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि प्रवर समिति में भेजिए। एन.डी.ए. के कई प्रमुख घटक के सदस्यों ने मांग की कि प्रवर समिति में भेजिए। हम लोग तो अड़े ही हुए हैं कि प्रवर समिति, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और इसका औचित्य भी है। किसी पार्लियामेंट्री कांस्टीट्यूएंसी में किसी में सात, किसी में पांच और किसी में चार व्यतिक्रम है और उसमें जैसे-तैसे लोगों को किया है। उसका सुधार हो जाता और विधेयक बनता लेकिन सरकार जल्दबाजी में है।

रात्रि 9.21 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी जल्दबाजी क्यों है कि बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है। लेकिन पहले से मुझे सूचना दी थी कि माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि चूंकि यह संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक है, इसलिए इसे कमेटी में भेजा जाएगा तथा देश की एक तिहाई आबादी से संबंधित ये तीनों विधेयक हैं। इस कारण इससे इसका औचित्य होता है कि आम तौर पर महत्वपूर्ण विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता रहा है। ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी में भेजा जाता रहा है लेकिन सरकार जल्दबाजी में है। मुझे नहीं जानकारी थी। माननीय प्रधान मंत्री जी की राय थी, ऐसी सूचना मुझे मिली। पता चला कि वित्त मंत्री जी बहुत जल्दबाजी में हैं कि झारखंड जल्दी होना चाहिए। यह कल तक की सूचना थी लेकिन आज मुलायम सिंह जी के भाषण के समय में भंडा फूटा, भेद खुला कि अभी तक दो वर्षों तक हुकूमत माननीय प्रधान मंत्री जी की हुई लेकिन देश की समस्याओं के समाधान में देश को कुछ नहीं मिला। समस्याएं और बढ़ती ही जा रही हैं। पन्द्रह अगस्त को लालकिले के ऊंचे मंच से क्या भाषण होगा, उस भाषण के लिए मसाला क्या होगा जिससे 15 अगस्त को किसी हालत में कहने के लिए कुछ हो जाये कि राज्य का बंटवारा कर दिया, बड़ा भारी काम कर दिया। यह बात मुलायम सिंह जी के भाषण से हमें पता चली कि क्यों बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है।

हमारे संबंध में लोगों की धारणा है कि बड़ा भारी विरोधी आदमी है। हम विरोधी आदमी सिद्धांतविहीन, नीतिविहीन कार्य के भारी विरोधी हैं। इसमें चाहे राज का बंटवारा कर दे और प्रखंड के बंटवारे में भी मैं विरोधी हूं और पंचायत के बंटवारे का भी विरोधी हूं। सौ करोड़ लोगों का यह देश है। इसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग यहां रहते हैं। इसको सिद्धांतविहीन और नीतिविहीन ढंग से क्या चलाया जा सकता है? राज्यों के बंटवारे के संबंध में कोई सिद्धांत नहीं है। इस कारण मध्य प्रदेश के संबंध में मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ न बने। देश भर में विभिन्न तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसको नाजायज कहा जाए, उनको कैसे नहीं मानिएगा? अन्यथा पिक एंड चूज की राजनीति होगी। राजनैतिक स्वार्थ की राजनीति होगी। कन्वीनिएंस की राजनीति होगी तो इससे देश में समस्याएं बढ़ेंगी, आतंकवाद बढ़ेगा, आंदोलन होगा, देश के कोने-कोने में हल्ला मचेगा। इसीलिए हम बार-बार कहते रहे हैं कि स्टेट री-आरगेनाइजेशन कमीशन बनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि हम छोटे राज्य के खिलाफ हैं और कुछ कहते हैं कि छोटे

राज्य के पक्ष में हैं। छोटे और बड़े राज्य का क्या मतलब है? इस देश में 15 करोड़ की आबादी का भी राज्य है, 8 लाख की आबादी वाला भी स्टेट है। कौन छोटा और कौन बड़ा है? 1 करोड़ को छोटा माने कि बड़ा माने? दस लाख को बड़ा माने कि छोटा माने। लेकिन नीति सम्मत कोई भी क्राइटीरिया बन जाये, जैसे सन् 1956 में भाषा के आधार पर री-ऑरगेनाइजेशन कमीशन ने स्टेट बनाया था। सभी लोगों ने स्वागत किया लेकिन उसके बाद राजनैतिक रूप से हमें सूट कर रहा है कि नहीं, कहां-कहां तालमेल बैठ गया? इसके हिसाब से माननीय गृह मंत्री जी ने इसे सैद्धांतिक रूप से अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की है।

विधान सभा ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, हम उसको आधार मान लेते हैं। एक नीति सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, विश्वसनीय बयान नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बारहवीं विधान सभा ने इसी झारखण्ड विधेयक को खारिज कर दिया था। गृह मंत्री जी कम उतारू नहीं थे, उस समय खुराना जी संसदीय कार्य मंत्री थे, बैठक हुई थी, कहा कि राज्य माने या न माने, विधान सभा कहे या न कहे, मैं बांट दूंगा, मैं बिल इन्ट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं जब उस ब्यान को याद करता हूं और बयान जो अब दिया है कि एसेम्बली के कहने को आधार बनाते हैं तथा जब मैं इन दोनों बयानों की तुलना करता हूं, तो लगता है कि गृह मंत्री जी का बयान सच्चाई से परे हैं और विश्वसनीय नहीं है। इसलिए आप कोई सिद्धांत सम्मत बात नहीं कह रहे हैं। इससे देश में समस्यायें बढ़ेंगी। जहां तक बृहद झारखण्ड की बात है, जिसमें बंगाल के दो जिले, मध्य प्रदेश के चार जिले, उड़ीसा के दो-तीन जिले और बिहार के सोलह-अठारह जिले, इन सबको मिलाकर झारखण्ड बनना चाहिए। चूंकि, अब असली झारखण्ड नहीं हो रहा था, तो आपकी पार्टी ने वनांचल का नाम रख दिया। तीन राज्य उससे सहमत नहीं हुए, इसलिए बिहार को बांट दिया। यह पोलिटिकल कन्विनियेंस की बात है और सुविधा की बात है। यह सिद्धांत सम्मत बात नहीं है। गृह मंत्रीजी के बयान से स्पष्ट होता है। जैसा कि कहा गया है, यह कैसे हो सकता है कि राज आदिवासी के हाथ में जाए। मध्य प्रदेश के छः जिले—सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, उमरू—आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। इनको नहीं लिया गया और कहा गया कि आदिवासी दो जिलों में रहेंगे। यहां भी 27 फीसदी आदिवासी हैं, कहते हैं कि राज्य बन जाएगा। मैं कहता हूं कि यह आदिवासियों के भले की बात है। चारों राज्यों के क्षेत्र से झारखण्ड बनता, तो उसमें 60 फीसदी आदिवासी होते, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनका भूगोल, सब एक जैसा होता, तब जाकर आदिवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती, लेकिन वह नहीं हो रहा है। पोलिटिकल कन्विनियेंस उसमें चल रहा है। सहूलियत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान की ओर नहीं जा रहे हैं। इसमें बड़ा भारी शोषण बिहार का हो रही है, मैं तो कहता हूं कि बिहार के साथ दुश्मनी हुई है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी और नामरूप कारखाना, दोनों के लिए एक कमेटी बनी थी और दोनों के लिए कहा गया था कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। मंत्रिमंडल में कोई जवाब दे सकता है कि नामरूप कारखाना चालू है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चालू है, लेकिन सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी बन्द पड़ी है। उसको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्यों नहीं दिया है, जब कि कमेटी ने एक साथ अपनी रिपोर्ट दी। इस सवाल को मैंने दो-तीन बार उठाया, लेकिन नहीं, इसको नहीं होन देंगे। मैं भेदभाव नहीं करता हूं, अब तो यह झारखण्ड में जा रहा है, झारखण्ड का भला करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी कब चालू होगी। आईडीपीएल, खाद के संबंध में एशिया की सबसे अच्छी फैक्टरी है, लेकिन वह बन्द हैं, लेकिन उसको नौएडा में ले जाने की साजिश हो रही है, वह कब चालू होगी? बिजली परियोजना के संबंध में भी चार बार सवाल उठा चुका हूं, 734 मेगावाट बिजली परियोजना को क्यों रोके रखा हुआ है?

अब वह झारखंड में पड़ेगा, तब वह पता नहीं कब चालू होगा। महोदय, पंचायती राज का पैसा आदिवासी इलाके में से चला गया तो पंचायती राज चुनाव होना ही नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराया है, इसलिए सरकार को दंड देंगे, दस करोड़ आबादी को दंड देंगे या झारखंड को दंड देंगे। हमारा 600 करोड़ रुपया, दसवें वित्त आयोग का हिस्सा बिहार को नहीं दिया और ये कहते हैं कि पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। पंचायत का चुनाव नहीं होने के कारण स्व. राजीव गांधी जी के समय में जब संविधान संशोधन हुआ, 73वें संशोधन, भारत के संविधान के आर्टीकल 243 में कहा गया कि मुखिया के पद पर सारे सरपंच, सारे पंचायती राज के पदों पर आदिवासी का, अनुसूचित जाति का आरक्षण होगा और फिर महिलाओं का आरक्षण होगा तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है। राज्य सरकार उसे अपने कानून में जोड़ सकती है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, बिहार की राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति को भी आरक्षण का प्रावधान किया। पंचायत के सभी पदों पर 38 करोड़ रुपया खर्च हो गए। इसके लिए अगर उन्होंने पैसे की व्यवस्था

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

नहीं की तो राज्य सरकार ने की और सारे बैलेट पेपर छपवा दिए। जब वोट होने को हुआ तो हाई कोर्ट में चुनौती हुई, उस समय हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसने कहा चूंकि मुखिया सिंगल पद है इसलिए उस पर आरक्षण नहीं होगा, मतलब अनुसूचित जाति का भी आरक्षण नहीं होगा और महिला का भी नहीं होगा तथा अनुसूचित जनजाति का भी नहीं होगा, पिछड़ी जाति का भी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। अब यह धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि राज्य सरकार पंचायती राज का चुनाव हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कराए या संविधान के प्रावधान के मुताबिक कराए। यदि संविधान के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंगल पद मुखिया पद का आरक्षण दिए बिना चुनाव कराएंगे, यह आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी, हाईकोर्ट के अनुकूल और फिर संविधान के प्रतिकूल होगा। हाईकोर्ट की बात मानी जाए संविधान के खिलाफ, संविधान की बात मानी जाए कोर्ट के खिलाफ, आप कोर्ट की अवमानना जानते हैं, वहां क्या व्यवहार होता है। इसलिए चुनाव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर है। आप बिहार को छोड़िए, के ट्राइबल एरिया में पंचायती चुनाव का कानून ही नहीं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अमेंडमेंट भी दिया हुआ है, अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने, उस पक्ष के एन.डी.ए. के प्रभुनाथ सिंह जी, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री रघुनाथ झा और उस तरफ के भी कुछ सदस्य हैं। आप लोग तो ऐसे ही लगे हुए हैं लेकिन इन लोगों ने कहा और फिर कांग्रेस के, सी.पी.एम. के नेता, मुलायम सिंह जी, कुमारी मायावती जी, आमतौर से सम्पूर्ण सदन की भावना है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम असेम्बली की भावनाओं की कद्र करते हैं और असेम्बली को आधार बनाते हैं, जो असेम्बली ने प्रस्ताव बांटने के लिए कर दिया। उन्हें सूट करता है तो कहते हैं कि ठीक है, हम असेम्बली की बात मानते हैं और उसी असेम्बली ने कहा है कि पैकेज मिलना चाहिए। उसमें उनकी पार्टी का भी मैं बता रहा हूं, मैं आज भंडाफोड़ कर रहा हूं। असेम्बली की प्रोसिडिंग है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात बिहार राज्य को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से 1,79,900 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग और उसके औचित्य के संबंध में लिखा हुआ है।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड में प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्च हुआ था लेकिन सम्पूर्ण बिहार में कम खर्च हुआ था। बिहार में खर्च हुआ 461 रुपया प्रति व्यक्ति और झारखंड में 586 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हुआ। अब मैं जल प्रबंधन एवं सिंचाई संबंधी मामले, सड़क तथा जल विद्युत योजनाओं से संबंधित मामले, सड़क तथा रेल योजनाओं से संबधित मामले, जल प्रबंधन एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश, जल जमाव की समस्या एवं निदान तथा वित्तीय आकलन पर कहूंगा। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह जो विधान सभा की कार्यवाही है और विधान परिषद की कार्यवाही है, उसको माननीय गृह मंत्री ने देखने का कार्य नहीं किया है और इसको ताक पर रख दिया है। इतना ही नहीं विधान सभा की कार्यवाही जो सर्वसम्मत है और जिसमें सभी पार्टियों के चाहे भाजपा हो, समता हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सभी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद में भाजपा के जनरल सैक्रेट्री सरजू राय और उसके अध्यक्ष नंद किशोर यादव का जो स्मरण-पत्र विधान परिषद की कार्यवाही में आया है उसका उपसंहार में एक लाइन में पढ़ देता हूं। वनांचल और शेष बिहार के लिए सहायता पैकेज की सांकेतिक रूपरेखा ऊपर लिखित विवरणों में दी गयी है। शेष बिहार के लिए 1,15,000 करोड़ रुपये और वनांचल क्षेत्र के लिए करीब 85,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गयी है। ये आकलन इन क्षेत्रों की विकास जरूरतों को देखते हुए प्रस्तुत किये गये हैं। यह विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही में सभी पार्टियों के लोगों ने कहा है कि एक पैकेज मिलना चाहिए। इसलिए मैंने अपने संशोधन में बिहार को 1,79,000 करोड़ रुपये और झारखंड को एक लाख करोड़ देने का संशोधन प्रस्तुत किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर वाद-विवाद और चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। लेकिन मुझे इस बात के लिए अत्यन्त खेद है कि मैं हर जगह सिर मुंडा कर नहीं जा सकता।

सत्ता पक्ष के हमारे विद्वान मित्र ने असम के मूल निवासियों की अलग बोडोलैंड बनाये जाने संबंधी मौलिक और जायज मांगों को ठुकरा कर हमारे बहुमूल्य उत्तराधिकार से हमें वंचित कर दिया है। असम के मूल निवासियों की मौलिक एवं जायज मांगों की अनदेखी करते हुए छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड जैसे नए राज्यों का गठन करने में सरकार द्वारा अपनायी गयी भेदभाव पूर्ण

नीति, उसके दृष्टिकोण तथा उसके कार्यों का मैं कड़ा विरोध करता हूँ और उसी विरोध के फलस्वरूप मैंने अपना सिर मुंडवा लिया और यह सब इस प्रतिष्ठित सभा में कहने में मुझे बड़ा दुःख हो रहा है।

तथापि, आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड की तर्ज पर चिरप्रतीक्षित अलग बोडोलैंड के निर्माण के लिए समान नीतिगत निर्णय लें। यह कोई नई मांग नहीं है। यह बहुत पुरानी मांग है। लगभग 33 वर्ष पुरानी मांग है।

महोदय, 13 जनवरी, 1967 को एक मिजो शिष्टमंडल मिजो लोगों के लिए एक अलग पहाड़ी राज्य बनाने की मांग को लेकर तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली आया था। मिजो शिष्टमंडल के जोरदार मांग के प्रति अपने जवाब में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि असम सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को समान न्याय तथा संरक्षण न दिए जाने की स्थिति में फेडरल प्लान के अनुसार असम को पुनर्गठित किया जाएगा। तबसे असम के बोडो लोग एक अलग बोडोलैंड के निर्माण के लिए लगातार जोरदार ढंग से लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण व्यापक आंदोलन करते आए हैं।

सन 1993 में, श्री पी.वी. नरसिम्हाराव के शासन काल में 20 फरवरी, 1993 को बोडो समझौता पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद् के नाम तथा तर्ज पर बोडो लोगों को एक राजनैतिक व्यवस्था दी गई। लेकिन इस बोडोलैंड स्वायत्त परिषद् से असम के मूल बोडो लोगों की मूल आशाएं तथा आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं। इसी तरह लद्दाख हिल्स स्वायत परिषद, दार्जिलिंग गोरखा हिल्स परिषद तथा त्रिपुरा जन-जातीय क्षेत्र स्वायत्त परिषद् से भी इन क्षेत्रों के लोगों की मूल आशाएं तथा आकाक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। आपको दो मिनट का समय दिया गया है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: जी हाँ, महोदय, इन परिस्थितियों में नए राज्यों का निर्माण ही एकमात्र टिकाऊ राजनैतिक समाधान हो सकता है। यही कारण है कि मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा माननीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से उत्तरांचल, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर चिरप्रतिछित अलग बोडोलैंड के निर्माण की दिशा में अविलम्ब एक ठोस तथा सकारात्मक नीतिगत फैसला लेने के लिए जोरदार आग्रह करता हूँ ताकि बोडो लैण्ड के मूल निवासियों की उत्तरजीविता तथा अस्तित्व के प्रश्न तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा, उनके अलग बोडोलैंड राज्य में उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

महोदय, इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को गर्मजोशी से धन्यवाद देता हूँ तथा मैं अपने तथा भावी नए झारखंड राज्य में रहने वाले अन्य लोगों को अपना प्यार, सम्मान तथा शुभ कामनाएँ देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार रिऑर्गेनाइजेशन बिल, 2000 का विरोध न करते हुए अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। झारखंड का निर्माण होने जा रहा है। छोटे-छोटे राज्य बनाने का हमारी पार्टी समर्थन करती है। सरकार जो बिल लाई है, हम इसका पहली बार इसलिए समर्थन कर रहे हैं।

दो साल से इनके काम का समर्थन करने का मौका नहीं मिला था लेकिन आज सरकार बिहार पुनर्गठन विधेयक लाई है, इसमें बिहार के 18 जिले हैं और 14 लोक सभा की सीटें हैं और असेम्बली में 81 सीटें हैं। इसमें एस.टी. के लिए 5 सीटें हैं और एस.सी. के लिये एक सीट रिजर्व है। हमारी मांग है कि एस.टी. में और 5 सीटें रिजर्व की जायें तथा एस.सी. के लिए दो सीटें और रिजर्व की जायें।

अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने बिहार के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की मांग की है, उनकी इस मांग को मंजूर करने की आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि इतना पैसा सरकार के पास है या नहीं? झारखंड राज्य के विकास के लिए कम से कम एक लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस मांग पर विचार करेगी।

किया जा रहा यहां देश का बंटवारा,
तो भी यहां गूज रहा एकता का नारा,
अटल जी, आडवाणी जी, अगर तुम बिहार
और झारखंड को नहीं देंगे चारा,

तो समता वाले और जनता वाले बजायेंगे तुम्हारे बारह॥
अटल जी, बढ़ो तुम आगे, राज है तुम्हारा,
अटल जी, आडवाणी जी, लड़ो तुम आपस में, राज है हमारा॥

[श्री रामदास आठवले]

बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उस पार्टी की ओर से हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं सी.पी.आई. की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि इसमें जो 81 विधान सभा सीटें और 14 लोक सभा सीटें रखी गई हैं, वे कैसे बांटी जायेंगी। इसमें 14 लोक सभा की सीटों के विरुद्ध आपने 81 विधान सभा सीटों को रखा है, इसका अनुपात ठीक किया जाए। यदि छः सीटों का भी हिसाब लगाया जाए तो विधान सभा की सीटें 84 होनी चाहिए। 81 सीटें कैसे बंटेगी। एक पार्लियामेंट की सीट में जितनी असेम्बली सीटें हैं वे छः के हिसाब से बंटनी चाहिए, इसलिए इसे 84 सीटें किया जाए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तीन दिन में तीन स्टेट्स बन गई हैं लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाए कि इन स्टेट्स में आपस में झगड़ा न रहे। जैसे हरियाणा और पंजाब में पानी और चंडीगढ़ को लेकर झगड़ा अभी भी चल रहा है, ये झगड़े न हों और इन झगड़ों को बैठकर निपटाया जाए। इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री **हरीभाऊ शंकर महाले** (मालेगांव): अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का कम विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जो बिल लाया गया है वह ठीक है। झारखंड में आदिम जाति के लोग बहुत अधिक हैं। पचास वर्ष के बाद महात्मा गांधी का स्वप्न साकार हो गया जब महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन बन गये। मेरी विनती है कि झारखंड का मुख्य मंत्री आदिम जाति का हो और वहां का राज्यपाल भी आदिम जाति का हो। वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें आदिम जाति और पिछड़ी जमात को दी जाए। यह नया राज्य बन रहा है, इसे मेरा प्रणाम है। मैं इसे प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि यहां महात्मा बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। महात्मा बुद्ध से प्रेरणा ली और अहिंसा को स्वीकार किया। बिहार बहुत महान है। इतना ही नहीं यहां के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने बिहार से दीक्षा ली और समता पार्टी बनाई, उनके दो चेले श्री पासवान जी और श्री शरद यादव जी बने। बिहार इतना महान है।

अध्यक्ष महोदय, यहां श्री लालू प्रसाद और कांग्रेस का नाम लेना भी जरूरी है। ये दोनों सांठ-गांठ करके यह बिल लाये हैं। इतना ही नहीं, विद्यमान गृह मंत्री जी और पिछले संसद सदस्य श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी की रथयात्रा का घोड़ा लालू प्रसाद ने ही अटकाया था। अभी जो राज्यों का निर्माण हुआ है उससे लालू प्रसाद जी का घोड़ा इतना आगे जायेगा और इनका घोड़ा पीछे रह जायेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक की ओर से प्रस्तावित बिहार पुनर्गठन बिल, 2000 का स्वागत करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक पिछले 35-40 सालों से सदन में और सदन के बाहर भी बराबर इसका पक्षधर रहा हूं। अगर देश का सर्वांगीण विकास करना है, देश की संस्कृति और सभ्यता को विकसित करना है तो छोटे राज्यों का निर्माण आवश्यक है, अनिवार्य है। इसीलिए हमारी पार्टी विदर्भ राज्य के लिए महाराष्ट्र में कई वर्षों से आंदोलन चला रही है। झारखंड राज्य का मुद्दा बहुत पुराना है। अब इस मुद्दे को सफलता मिल रही है। झारखंड राज्य के लिए जो प्रस्ताव आया है वह देरी से आया है, देर आयद, दुरुस्त आयद। अंत में, मैं सरकार को और सभी माननीय सदस्यों को इस बिल को पास करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, कई वक्ता इस विधेयक पर बोलना चाहते थे लेकिन समयाभाव के कारण वे नहीं बोल पाये। मैं उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं ताकि वे सदन के पटल पर अपना भाषण रख सकें।

अध्यक्ष महोदय: जी हाँ, लिखित भाषण सभा पटल पर रखे जा सकते हैं। उन्हें रिकार्ड में शामिल किया जाएगा।

अब माननीय मंत्री, श्री एल. के. आडवाणी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

***श्रीमती रेनु कुमारी:** अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य के समर्थन में खड़ी हुई हूं। लेकिन अलग होने का दर्द चंद शब्दों में व्यक्त कर रही हूं।

जब 1912 में बिहार बंगाल से और 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिहार के लिए दक्षिण बिहार के अलगाव की एक और लड़ाई लड़नी बाकी है। दरअसल प्रकृति ने बिहार को दो स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है—एक पठारी इलाका (दक्षिणी बिहार) जिसका क्षेत्रफल 80 लाख हेक्टेयर और आबादी 2 करोड़ 80 लाख है एवं दूसरा मैदानी क्षेत्र (उत्तर बिहार, मध्य बिहार) जिसका क्षेत्रफल 98 लाख हैक्टेयर, आबादी 6 करोड़ 48 लाख है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

22 जुलाई 1997 को जब बिहार विधान सभा में झारखण्ड राज्य के पक्ष में लालू प्रसाद की सरकार ने प्रस्ताव पास किया तो आशा नहीं थी कि ठीक एक वर्ष बाद ही इसी सरकार के इस मुखिया (मुख्यमंत्री न होते हुए भी) को ठीक इसके विपरीत कहना पड़ेगा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा तथा झारखंड बनने पर उत्तर-मध्य बिहार की जनता को बालू फांकना पड़ेगा।

दरअसल इन घोषणाओं में 20 वर्षों तक अनवरत राज करने की डुगडुगी बजाने वाले श्री लालू प्रसाद की राजलिप्सा ही बोलती थी। लेकिन श्री लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंसे थे। उन्हें भरत जैसा उनके खड़ाऊं की पूजा करने वाला एक भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्हें गद्दी सौंपनी थी। चारा घोटाला में पहली दफा जेल जाने के सात दिन पूर्व आनन-फानन में अपना घर संभालने वाली पत्नी (राबड़ी देवी) को बिहार संभालने के लिए मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी।

झारखंड के सवाल पर बिहार विधान सभा में 1956 और 1998 में बहस हो चुकी है। इसके निर्माण के लिए चलाये गये झारखंड आंदोलन ने कई बार उग्र रूप भी लिया। आर्थिक नाकेबंदी, रेल बंद, चक्का जाम और झारखंड बंद जैसे कई आंदोलनों ने हिंसा का रूप धारण किया और कई जानें गईं। इन कुर्बानियों का नतीजा है-झारखंड राज्य के निर्माण में सबकी सहमति। इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि झारखंड बन जाने के बाद शेष बिहार का क्या होगा? यह सच है कि कारखानों के मामले में दक्षिण बिहार की संपन्नता के आगे उत्तर-मध्य बिहार खड़े होने लायक भी नहीं है। एच.ई.जी. कारखाना, आयरन स्पंज का कारखाना, टाटा स्टील, टैल्को, उषा मार्टिन, बिहार कॉपर जैसे दक्षिण बिहार के कारखानों के सामने उत्तर-मध्य बिहार के बरौनी का तेल शोधक कारखाने को छोड़कर मुजफ्फरपुर का आई.डी.पी.एल. कांटी का थर्मल पॉवर जहां दम तोड़ रहे हैं। उत्तर-बिहार 15 चीनी मिलों सहित मुंगेर का बंदूक एवं सिगरेट कारखाना, अशोक पेपर मिल, ठाकुर पेपर मिल, डालमिया नगर सीमेंट तथा इसडा फैक्ट्री, पूर्णियां, अररिया, कटिहार, किशनगंज के जूट का उपयोग करने वाला जूट फैक्ट्री सभी के दस्तावेजों पर आज ताले लटक रहे हैं और मशीनों को जंग खा रही है तथा कारखाना क्षेत्र जंगल बनने की प्रक्रिया में हैं।

कहा जा रहा है कि राज्य विभाजन के बाद उत्तर तथा मध्य बिहार में खेती के जरिए समृद्धि लाई जायेगी। लेकिन यह काम इतना सरल नहीं है। इसके लिए हर वर्ष बाढ़ का ताण्डव मचाने वाली नदियों को सफलतापूर्वक बांधना होगा। देश के सकल कृषि उत्पादन में बिहार का योगदान 5.6 प्रतिशत है। यह बिहार की भौगोलिक सीमा एवं कृषि योग्य जमीन की तुलना में साढ़े आठ प्रतिशत कम है। स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में धन ही नहीं समय की भी आवश्यकता पड़ेगी।

प्रदेश की आय का स्रोत मूलत: करों पर आधारित है। आमदनी बढ़ाने का अपना कोई तंत्र नहीं है। राजस्व प्राप्ति के कुल पांच जरिए हैं, जिनसे बिहार की आमदनी होती है। प्रदेश को वाणिज्य कर से 2274 करोड़, निबन्धन से 339 करोड़, उत्पाद से 283 करोड़, परिवहन से 203 करोड़ तथा भू-राजस्व से 15 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होती है। गैर-राजस्व प्राप्तियों का विवरण देखें तो कृषि से 4 करोड़, वन से 36 करोड़, खान से 775 करोड़ तथा सिंचाई से 21 करोड़ की प्राप्ति सरकार को होती है।

इसके अलावा केन्द्रीय करों से राज्य सरकार को जो हिस्सा मिलता है उसका कुल योग 4,498 करोड़ रुपया है। फिलहाल 4,836 करोड़ रुपये की कुल सालाना आमदनी बिहार की होती है। कुल 2,348 करोड़ रुपये का इंतजाम राज्य सरकार से सालाना गैर-योजना मद में आवश्यक खर्चों के लिए करने पड़ते हैं।

प्रस्तावित झारखण्ड राज्य के गठन के साथ ही राज्य सरकार की कुल आय घटकर 4,278 करोड़ रुपये रह जाएगी तब राज्य सरकार को गैर-योजना मद में खर्च की भरपाई के लिए सालाना 2,821 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी।

राज्य विभाजन की मार बिहार पर किस रूप में पड़ेगी, इसका आकलन सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि बंटे हुए हालात में शेष बिहार की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्जों की मुहताज होगी और योजना मद में एक पैसे का खर्च करने में भी असमर्थ रहेगी। दीगर बात तो यह है कि राजनीतिक हालात के कारण बिहार सरकार को कर्ज देने वाला भी कोई वर्तमान में नजर नहीं आता।

इस तरह स्पष्ट है कि विभाजन का फैसला तत्काल दोनों प्रदेशों को खुशहाल करने वाला नहीं साबित हो सकता। प्रस्तावित झारखंड राज्य के पास गैर-योजना मद में खर्चे के बाद योजना मद के खर्चों के लिए मात्र 472 करोड़ रुपये सालाना बचे रह जायेंगे। किसी नए राज्य के विकास के लिए यह कतई बड़ी नहीं कही जायेगी।

अत: प्राकृतिक संसाधन ने महरूम शेष बिहार के विकास की गति तेज हो, इसके लिए केन्द्र सरकार को सहायता के लिए आगे आना होगा। अत: हमारी पार्टी की पुरानी मांग है पैकेज की। अत: शेष बिहार को 1.79 (एक लाख उन्नासी हजार करोड़) पैकेज दिया जाये।

जैसाकि बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों के निपटारा के लिए योजना आयोग में एक इकाई स्थापित की गई है। लेकिन इस इकाई को स्थापित किये चार महीने हो गये हैं,

[श्रीमती रेनु कुमारी]

अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अत: जब रिपोर्ट आ जाये तभी इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए था ताकि शेष बिहार राहत की सांस ले सके, घुटकर न मरें। वैसे मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। झारखंड राज्य की विरोधी नहीं हूं।

***श्री ब्रज मोहन राम:** अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं एन.डी.ए. सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री श्री आडवाणी जी को धन्यवाद देता हूं तथा सभी दल के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं।

आज का दिन बिहार के वनांचलवासियों झारखंडवासियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। इस तिथि का नाम वहां के लिए इतिहास बनेगा क्योंकि राजग की सरकार ने अपने दृढ़ वादे को पूरा कर दिखा दिया है कि उनके इरादे कितने बलवान हैं। प्रस्तावित झारखंड राज्य में कुल 18 जिले होंगे एवं इसका कुल क्षेत्रफल 68649 वर्ग कि.मी. होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 78 लाख बयालीस हजार 876 वहां की जनसंख्या है। प्रस्तावित झारखंड राज्य देश का सबसे अधिक धनी राज्य [illegible] खनिज सम्पदा वाले राज्यों में से एक है एवं देश [illegible] खनिजों का 41 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है।

यह भी विदित है कि वहां पर आकर्षक पर्यटन एवं धार्मिक स्थल जैसे पलामू में वेतला नेशनल पार्क, हजारी बाग नेशनल पार्क, हेडम स्थित जलप्रपात, जमशेदपुर में डीमना लेक कुडु में कान्ती फाल महुआ डांड प्रखंड में कई जल प्रपात धार्मिक स्थलों में पारसनाथ में जैन धर्म का तीर्थस्थल नगर उटारी में बंसीधर मंदिर, रांची में जगन्नाथ मंदिर। बिहार एवं प्रस्तावित झारखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में काफी अंतर है।

बिहार के लगभग अधिकांश प्रमुख उद्योग इसी क्षेत्र में हैं जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिक, खाद्य कारखाना सिन्दरी, भारी मशीनरी उपकरण एवं ढलाई कारखाना रांची, इस्पात संयंत्र बोकारो, इंडियन अल्यूमीनियम कम्पनी, भूरी बारूद कारखाना गोमियों आदि इसके साथ-साथ मैग्नीज, लोहा, कोयला, अभ्रक, चूना-पत्थर, क्रोमाइट, ग्रेफाईट, सल्फर, थीथा ताम्बा आदि सभी खनिज इस क्षेत्र में पाये जाते हैं। साथ ही साथ यूरेनियम भी यहां है। इतनी अधिक खनिज सम्पदा, विशाल वन सम्पदा, परन्तु यहां के लोगों में दिनोंदिन गरीबी बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहां जो भी सरकारें आयीं, इस क्षेत्र का शोषण किया है। वर्तमान समय में सेल, कोल एवं डी.वी.सी. मुख्यालय कलकत्ता में है जबकि रांची में होना चाहिए। क्योंकि सभी माईन्स मिनरल थरमल पॉवर स्टेशन झारखंड एरिया में हैं। अत: इन सभी मुख्यालयों को अविलम्ब रांची में स्थानांतरित किया जाये। लोक सभा की सीट बढ़ाई जायें तथा विधान सभा की कम से कम 20 सीटें बढ़ायी जाये। जनसंख्या के हिसाब से यह बढ़ोत्तरी अति आवश्यक है। यह स्थल विरसा मुण्डा की जन्म स्थली है। ऐसे वीर पुरुष का जन्म इसी झारखंड में हुआ था। यह हम सभी झारखंड वासियों के लिए गर्व का विषय है और रांची तो पूर्व से ही ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अलग राज्य होने से अनुसूचित जाति/जनजाति का विकास तभी संभव है अथवा विकास नहीं हो पायेगा।

झारखंड वनांचल अलग राज्य का सपना कोई नया नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पचासों वर्ष से यह मांग आ रही है। इस क्षेत्र के राज्य बनाने का प्रस्ताव पहले भी आया परन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग राज्य की मांग को 1955 में ठुकरा दिया था। वहां के लोगों की मांगों को देखकर कुछ वर्ष पूर्व बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार ने झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया परन्तु वह परिषद जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। यहां तक कि उसका लोकतांत्रिक ढंग से गठन भी बिहार की राजद सरकार ने नहीं किया और एक कमेटी के रूप में सिर्फ काम लिया गया। पहले वृहद झारखंड की मांग की जा रही थी, उसमें बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के राज्यों को मिला कर नये राज्य के निर्माण की बात थी जो व्यावहारिक नहीं था।

भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के दर्द को समझा और 18 जिले के वनांचल का नारा दिया। राष्ट्रीय पार्टियों में सर्वप्रथम 8 अप्रैल, 88 को आगरा में सम्पन्न कार्य समिति में वनांचल बनाने का प्रस्ताव पास किया। 23 नवम्बर, 1988 को तत्कालीन भा.ज.पा. अध्यक्ष माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में रांची में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया एवं भाजपा का सपना राजग के सहयोगियों के द्वारा पूर्ण होने जा रहा है। लालू जी कहते थे कि झारखंड का निर्माण उनकी लाश पर होगा, परन्तु सत्ता के अंकगणित के आगे उन्हें झुकना पड़ा और बिहार विधान सभा से दुबारा यह बिल पास होकर केन्द्र सरकार तक आया।

यह सर्वविदित है कि जिस तरह दक्षिण बिहार में खनिज एवं वन सम्पदा है उसी तरह शेष बिहार जल संपदा से भरा हुआ है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना, मुजफ्फरपुर का आई.डी.पी.एल. कोटि का धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, उत्तर मध्य बिहार में 15 चीनी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मिल, अशोक पेपर मिल, डालमिया नगर, सीमेंट तथा डालडा फैक्ट्री सभी बंद पड़े हैं। यह सिर्फ राजनैतिक विफलता के कारण, वहां जो भी सरकारें आई, इन सभी ने इन उद्योगों को चालू रखने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बल्कि वनांचल क्षेत्र से मिलने वाले 70 अरब के राजस्व पर ही ध्यान रहा। बिहार सरकार की उदासीनता के कारण झारखंड क्षेत्र के विकास के लिए मिले 297 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने धनबाद में कहा था कि भाजपा अलग झारखंड निर्माण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, परन्तु केन्द्र सरकार ने झारखंड विधेयक को पेश कर, भाजपा के दृढ़ निश्चय को प्रमाणित कर दिया है।

झारखंड राज्य के निर्माण होने से शेष बिहार एवं झारखंड दोनों ही क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। छोटे-छोटे राज्य होने से प्रशासनिक ढंग से भी काफी सुगमता आयेगी।

अंत में, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा लाये गये प्रस्ताव को पारित किया जाये। इन्हीं बातों के साथ मैं झारखंड बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

जयहिन्द, जय झारखंड, जय वनांचल।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, वनांचल की धरती का आह्वान आज झारखण्ड राज्य के गठन के लिए आतुर है, लेकिन बिहार पुनर्गठन विधेयक को इस महान पंयात में लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है और इसे मंजिल तक पहुंचाने में उस महान विभूतियों के उदगार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, गृहमंत्री जी, भा.ज.पा. के सभी सदस्यों के साथ-साथ एन.डी.ए. के सम्मानित साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसे अंजाम देने में अहम भूमिका अदा की।

हालांकि इस राज्य के गठन का सपना विगत 82 वर्षों से भगवान विरसा मुण्डा के जमाने से संजोया आ रहा था, जिसका सबल नेतृत्व अन्य महान सपूतों ने भी दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक महारथी अपनी पैठ बनाये रखने की लालसा में इसे पोकेट में सीमित कर दिये थे।

1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी छोटानागपुर, संथाल परगना के लिए विशेष विकास बोर्ड की सिफारिश की थी, जो ठंडे बस्ते में चला गया। पुन: लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी ने इसकी आधारशिला 1977 में रखी और बिहार को दक्षिण बिहार की संस्कृति अलग होने के कारण इसके बंटवारा के पक्ष में थे।

इसके गठन में वर्तमान रा.ज.द. सुप्रीमों का भी कम योगदान नहीं है, क्योंकि 22 जुलाई, 1997 को उनकी सरकार ने बिहार विधान सभा में झारखण्ड राज्य के पक्ष में प्रस्ताव पास किया। लेकिन कुछ ही दिनों में राजनीतिक स्वार्थ की खातिर उनकी आश झारखण्ड की लाश में बदल गई, क्योंकि वहाँ की जनता भा.ज.पा. को ही अपनी हितैषी मान रही थी। इसके विपरीत अन्य दलों से बिहार के विकास को विनाश में परिलक्षित होते देख रही थी। इसके बाद रा.ज.द. उत्तर और मध्य विहार की जनता को भड़काने लगी कि झारखण्ड राज्य अलग हो जाने से बिहार में कुछ नहीं बच जाएगा। मैं कहता हूँ कि आज जो बिहार में विकास की जो बदतर स्थिति है, उससे प्रबुद्ध और समझदार कितने लोग खुश हैं। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, पारदर्शी प्रशासन और उद्योग आज के डेट में क्या है बिहार के लिए? बिहार की गरीब जनता को अन्य प्रान्तों में रोजगार के लिए दुर्दिन की आँसू बहाना पड़ रहा है। गया के टेक्सटाइल मिल, डालमियानगर का कारखाना, एचईसी, रांची, आयरण स्पंज कारखाना, टाटा स्टील, टेल्को, उषा मार्टिन, बिहार कॉपर, बरौनी के तेल शोधक कारखाना, आई.डी.पी.एल. कारखाना मुजफ्फरपुर, कॉटी थर्मल पावर, चीनी मिलों, मुंगेर का बंदूक कारखाना, सिगरेट कम्पनी, जूट फैक्ट्री कई पेपर मिलें आदि हैं, इनमें से कई कम्पनियों में ताले लटक रहे हैं। झारखण्ड विकास के नाम पर विश्व बैंक से धनराशि आती रही, उस राशि को बिहार सरकार के द्वारा उपयोग नहीं करने के कारण वापस लौटना पड़ता है।

बिहार के कई जिलों में 40 हजार से अधिक पोखरें हैं, जिसमें केवल मछली पालन से पूरा राज्य सम्पन्न हो सकता है। भागलपुर जिला में हैंडलूम उद्योग, मधुबनी की पेंटिंग, मेहसी का सीप यह सब बड़े उद्योगों की संभावना लिये खड़ा है। किशनगंज और पूर्णियां की धरती चाय की बागानी के लिए उपयुक्त है। नगदी फसल के रूप में तम्बाकू, लीची, केला, लाल मिर्च, अनानास की खेती को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाये। बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बिहार कई राज्यों से समृद्धशाली बन सकता है। लेकिन यहां केवल राजनीति करनी है।

राष्ट्रीय दलों में सर्वप्रथम भा.ज.पा. ने 8.4.1988 को आगरा में सम्पन्न अपनी कार्यसमिति की बैठक में छोटानागपुर, संथाल परगना को मिलाकर वनांचल बनाने का प्रस्ताव पारित किया और 23 नवम्बर 98 को भाजपा के नेतृत्व में रांची में ऐतिहासिक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

प्रदर्शन किया गया और इतना ही नहीं भाजपा और उसके सहयोगी इकाईयों द्वारा झारखण्ड क्षेत्र के गाँव-देहातों में गरीबों के लिए आश्रम विद्यालय और गरीब आदिवासियों के लिए शिक्षा और संस्कार देने के लिए कर्मठता और ईमानदारी के साथ समाज सेवा को अंजाम दिया गया और उसी का प्रतिफल है कि वनांचल के लोक सभा के 14 सीटों में से 12 सीटों पर भाजपा काबिज रही है।

अब आप हकीकत को नजरअंदाज करके बिहार के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको दक्षिण बिहार की जनता ने नकार दिया। लेकिन सच्चाई देखें, आज भी बिहार में लोग विकास के लिए लोग लालायित हैं! कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं, बंद उद्योग खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उलटा पांव भागना पड़ता है क्योंकि एक पेपर सरकारी दफ्तर में कितना दिन में लौटेगा। कानून व्यवस्था क्या होगी? इसमें राजनीति नहीं? मनन करने की बात है। हम एम.पी., एम.एल.ए. रहें या नहीं, बिहार के भूख और भय के लिए करोड़ों गरीबों के पेट पर रोटी सेंकने से परहेज करना चाहिए।

में पर्यटन स्थल बौद्धगया, वैशाली, सीतामढ़ी, राजगीर ... मौजूद हैं और ईमानदारी से खोज करवाया जाये तो ऐसे कई पर्यटन स्थल आज भी मिल सकते हैं। जो पर्यटक यहां आवे उसको यह पता चले कि यहां हम सुरक्षित हैं। सड़क मार्ग आरामदायक हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उसका पूरा और सही उपयोग हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय से पता चला कि तीन वर्षों के दौरान मात्र 48 करोड़ रुपया ही बिहार सरकार द्वारा खर्च किया गया, उसमें भी उसका यूटीलाईजेशन रिपोर्ट भी केन्द्र सरकार को अभी तक नहीं मिला है। इसी तरह टाटा देखें तो कई मंत्रालय का पैसा बिहार सरकार द्वारा उपयोग नहीं होता है। हमारे यहां 1971 में कोणार सिंचाई परियोजना का प्राक्कलन बना था जिसकी प्राक्कलन राशि करीब 71 करोड़ रुपये थी। आज वह 300 करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रोजेक्ट हो गया है इसके लिए मैंने कई बार मामले को लोक सभा में उठाया, व्यक्तिगत संपर्क किया लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। इसमें बिहार सरकार को पहल करके हजारों एकड़ में पानी दिलाने का काम कराया जाता। आज बिहार में कई ऐसे गांव और शहर हैं जिसमें महीने में भी बिजली नहीं आती। बिहार में किस बात का विकास है? लोगों को क्यों डराया जा रहा है।

राज्यों का बंटवारा 1966 में भी हुआ जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चडीगढ़ (केन्द्र शासित) राज्य बना। 1960 में गुजरात, मुम्बई प्रदेश से अलग हुआ। लेकिन हरियाणा और गुजरात अलग होकर भी किसी राज्य से कम नहीं हैं। वहां के औद्योगिक विकास को देखें तो उसकी समृद्धि दिखाई पड़ेगी। अभी कई दल झारखण्ड राज्य के निर्माण में भाजपा की उदासीनता को उछाल रहे थे लेकिन अब वह शुभ दिन आ गया है जब लोगों को गलत ढंग से भड़काने से वनांचल की जनता या बिहार की जनता सच्चाई से विचलित न होगी।

अब मैं चाहूँगा कि वनांचल की उपेक्षित जनता को केन्द्र सरकार का उचित सहयोग मिले और प्रायोजित योजनाओं का शीघ्र और सीधा लाभ उस गरीब और शांतिप्रिय जनता के साथ-साथ सभी वर्गों और समुदायों को मिले। कानून और इंसाफ का राज हो। वनांचल की आवाम को बेरोजगारी, गरीबी, भय और भूख से निजात मिले। अंत में, मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जो वर्षों से इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्षरत रहकर नये राज्य के गठन के सपने को साकार करने में प्रेरणा स्रोत बने रहे। इस राज्य के भावी संरक्षकों को भी नवगठित राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने से ही हम सही लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं और वनांचल की जनता की ओर से ऐसे भावी संरक्षकों से हम लोगों को ढेर सारी अपेक्षायें होंगी, जिसका उचित क्रियान्वयन उनकी कार्यशक्ति पर ही निर्भर होगा और आशा करते हैं कि वे इस दिशा में सफल होंगे।

*प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा): अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज झारखण्ड की ढाई करोड़ जनता का सपना पूरा होने जा रहा है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, एन.डी.ए. सरकार एवं सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। आजादी के पूर्व 1938 से झारखण्ड अलग राज्य की मांग उठती रही है। परन्तु कुछ स्वार्थी नेताओं के चलते झारखण्ड अलग राज्य का आन्दोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सका। यह आन्दोलन कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बिकता रहा है, जिसे झारखण्ड की जनता सहित सम्पूर्ण देश जानता है। इसलिए मैं इसका विस्तार से उल्लेख करना नहीं चाहता।

पृथक वनांचल राज्य की मांग को वर्ष 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगरा के महाअधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की। उस समय से लेकर आज तक वनांचल की ढाई करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ने आन्दोलन किया। जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। वनांचल क्षेत्र की जनता को इस बात का पूरा भरोसा था कि अलग राज्य का सपना केवल भारतीय जनता पार्टी एवं एन.डी.ए. सरकार ही पूरा कर सकती है। इसी कारण से 11वीं लोक सभा के चुनाव में वनाचंल क्षेत्र की 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली। फिर 12वीं लोक सभा में भी 12 सीटें मिली और इस बार के चुनाव में 11 सीटें प्राप्त कर हम सबसे आगे रहे। जनमत का आदर करते हुए एन.डी.ए. सरकार ने पिछले सप्ताह बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 लोक सभा में पेश कर दिया एवं आज इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा के पश्चात् माननीय सदस्यों के सहयोग से यह विधेयक पारित हो जाएगा एवं भारत के नक्शे पर झारखण्ड राज्य का उदय हो जायेगा।

झारखण्ड राज्य केन्द्र सरकार के सहयोग एवं अपने संसाधनों के आधार पर कुछ दिनों में अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा और भारत का समृद्ध राज्य होगा। भारत के कुल खनिज उत्पादन का झारखण्ड राज्य में तांबा 98 प्रतिशत, पाईराइट 90 प्रतिशत, काईनाईट 86 प्रतिशत, अभ्रक 70 प्रतिशत, बाक्साईट 60 प्रतिशत, कोयला 37 प्रतिशत, चाइनाक्ले 32 प्रतिशत तथा लौह अयस्क 16 प्रतिशत उत्पादित होता है। इसके अतिरिक्त फायर क्ले, लाइम स्टोन, मैंगनीज, एसबेस्टस, डोलोमाइट, ग्रेफाइड, यूरेनियम जैसे आणविक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज भी झारखण्ड में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद यहां के लोग बेरोजगार हैं। निर्धनता मुंह बाये खड़ी है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस खनिज सम्पदा से मिलने वाली रायल्टी अपर्याप्त है। अभी भार पर आधारित रायल्टी मिल रहा है। केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भार के आधार पर रायल्टी न देकर मूल्य के आधार पर रायल्टी दिया जाये। इससे प्राप्त आय से झारखण्ड का विकास किया जायेगा एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाये जायेंगे।

झारखण्ड राज्य का क्षेत्रफल 79 हजार 519 वर्ग कि.मी. है और आबादी करीब ढाई करोड़ है। यह क्षेत्र वनों एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां विधान सभा की 81 सीटें हैं। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को देखते हुए विधान सभा की 81 सीट बहुत ही कम हैं। कई विधान सभा में तो 4 लाख से भी अधिक मतदाता हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं। कि झारखण्ड राज्य में 81 से बढ़ाकर 120 विधान सभा की सीटें कर दी जायें। इससे जहां एक ओर जनजातीय समाज सहित अन्य लोगों को विधान सभा में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा तो दूसरी ओर विकास की गति तेज होगी।

झारखण्ड क्षेत्र में उद्योग तो बहुत लगे परन्तु आज रुग्ण अवस्था में हैं। एच.ई.सी., रांची की दयनीय स्थिति से पूरा देश परिचित है। बोकारो स्टील प्लान्ट की भी दशा बदतर होती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी उद्योग बन्द हैं अथवा बन्दी के कगार पर हैं। बिहार राज्य के लोक उपक्रम जो झारखण्ड राज्य में अवस्थित हैं, की हालत दयनीय है। उद्योगों के विकास के लिए रांची, बोकारो एवं आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी। इससे भी यहां की जनता को कोई लाभ नहीं मिला।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी क्षमता 840 मेगावाट है, की हालत जर्जर है। तेनघाट विद्युत प्रतिष्ठान की भी हालत दयनीय है। इन दोनों के सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम बनाने होंगे। एन.टी.पी.सी. टण्डवा का कार्य तीव्र गति से कराना आवश्यक है तभी हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। यहां पर जल विद्युत परियोजनाओं की अपार सम्भावनाएं हैं। इस दिशा में भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

झारखण्ड क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यहां सरखुआ, बीज साल, शीशम, महुआ, आम, जामुन, कटहल, सेमल, कुसुम, पलास तून, आंजन, लाह, खैर, आसन, धौठा, सलाई, गम्हार, आंवला, हर्र बहेरा, केन्दू पति, बांस इत्यादि प्रचुर मात्रा में है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारन्डा इसी क्षेत्र में है। इसके बावजूद यहां क जनजातीय समाज गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का शिकार है। इसलिए वनों पर आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता है।

झारखण्ड क्षेत्र में गंगा, दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल कोनार, बोकारो बराकर, अजय, स्वर्णरेखा, खरकाही, सकरी, पंचाने कांची, शंख, गरहा प्रमुख नदी हैं। इन नदियों के आधार पर सिंचाइ की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। पर्यटन विकास के लिए भी यह नदियां उपयोगी हैं।

पर्यटन की दृष्टि से भी यह राज्य भारत में अग्रणी स्थान ले सकता है। यहां हजारीबाग एवं बेतला नेशनल पार्क को विकसित कर देश का सर्वोत्तम पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। रांची जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, नेहरहाट, भिखना पहाड़ी, तोपचांची झील, झुमरी तलैया, कोनार, मैथन पंचत, पिठोरिया घाटी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां का प्रमुख तीर्थ स्थल वैद्यनाथधाम जगन्नाथपुर बासुकीनाथ, रजरप्पा, पारसनाथ, भद्रकाली, रामरेखा धाम चित्रेशर जहां एक और भारत की सांस्कृतिक विरासत है तो दूसरी ओर पर्यटन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।

भारत की इस रत्नगर्भा धरती से प्रतिवर्ष 1908 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होने के बावजूद यहां के लोग भूखे, नंगे, शोषित, पीड़ित रहे हैं। अब अवसर आ गया है। इन दबे-कुचले लोगों के

[प्रो. दुखा भगत]

उत्थान का। झारखण्ड राज्य बनने के बाद जहां विकास की गति तेज होगी, वहीं शेष बिहार भी अपने संसाधनों के आधार पर विकसित होगा। आवश्यकता है केवल दृढ़ निश्चय एवं आत्म विश्वास की।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य की जनता राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ कर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के विकास में अग्रणी रहेगी। झारखण्ड राज्य मिलने के इस पावन अवसर पर वहां की ढाई करोड़ जनता संसद के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में एवं झारखण्डी जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को ध्वनिमत से पारित कराने में सहयोग करें।

जय हिन्द, जय झारखण्ड, जय वनांचल।

***श्री सालखन मुर्मू** (मयूरभंज): अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड प्रांत निर्माण बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम झारखंड की जनता और अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ...य गृह मंत्री तथा कांग्रेस पार्टी को झारखंड का अभिनंदन करता हूं। झारखंड प्राप्त के निर्माण में समर्थन देने के लिए हम पूरे राष्ट्र के प्रति आभार प्रकट करते हैं और सहयोग की आशा करते हैं। ताकि झारखंड भी पूरे राष्ट्र की सेवा कर सके।

झारखंड आंदोलन का इतिहास लंबा है। तिलका माझी, सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्म और बिरसा मुन्डा इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने झारखंड के जंगल जमीन और जीवन की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिये थे। बंगाल से 1912 में बिहार अलग प्रांत बना उसी प्रकार 1936 में बिहार से उड़ीसा प्रांत अलग हुआ। किन्तु उस दौरान झारखंड के आदिवासी अलग राज्य की मांग कर रहे थे किन्तु उनकी किसी ने नहीं सुनी और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ जो आगे चलकर श्री जयपाल सिंह मुन्डा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी में परिवर्तित हुआ। झारखंड अलग प्रांत निर्माण के लिए अनेक झारखंड पार्टियां, झारखंड समन्वय समिति और आजसू जैसे संगठनों का खासा योगदान रहा है। झारखंड आंदोलन के साथ ही खरसवां गोलीकांड, गुंडुरिंग गोलीकांड, बांझी गोलीकांड, गवा गोलीकांड की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इन गोलीकांडों में शहीद हुए शहीदों को भी हमारा जोहार। किन्तु अंतत: भाजपा के दृढ़ संकल्प ने ही झारखंड आंदोलन को झारखंड प्रांत में तबदील किया।

वैसे तो झारखंड के लोग विकास और पहचान के लिए झारखंड प्रांत की मांग करते रहे हैं। किन्तु यदि आज हम विकास और जनतांत्रिक आकांक्षों की कसौटी पर भी इसे देखें तो यह बिल्कुल न्यायसंगत है। बिहार के भीतर झारखंड क्षेत्र की घोर उपेक्षा विगत 50 वर्षों में होती रही है। झारखंड क्षेत्र राजस्व का 70 प्रतिशत योगदान बिहार राज्य को देता है। किन्तु उसे बदले में केवल विकास के नाम पर 25 प्रतिशत का बजट आबंटन दिया जाता है। झारखंड क्षेत्र में सिंचाई और बिजली मात्र 5 प्रतिशत हुआ है जबकि बाकी बिहार में लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र बिजली और सिंचाई का प्रबंध किया गया है। 1982 में छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकारों का संगठन किया गया किन्तु वे सदैव पंगु रहे। 1981 में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना के तहत नियम जारी किया कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्गों में केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किये जायेंगे। किन्तु इसका भी सर्वथा उल्लंघन करते हुए उत्तर बिहार के लोगों को झारखंड में रोजगार दिया गया। विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, शोषण का मामला झारखंड क्षेत्र में प्रबल रूप में जारी रहा। विकास के नाम पर आबंटित रुपयों का बंदरबांट उत्तर बिहार के भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार मिलकर करते रहे हैं। स्वर्ण-रेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में लगभग 900 करोड़ रुपयों के खर्च होने के बावजूद यह एक बूंद पानी की सिंचाई का काम नहीं कर पाया है। चारा घोटाला और अन्य घोटाले भी झारखंड क्षेत्र को आबंटित राशि पर ही किया गया है। 1951 की जनगणना में छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर बनने वाली झारखंड प्रांत में आदिवासी 50 प्रतिशत से ज्यादा थे जो अब घटकर लगभग 33 प्रतिशत रह गये हैं।

बिहार राज्य में आदिवासियों के हित में बने सरकारी नियमों, कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन होता रहा है। 5वीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1) के तहत बने ट्राइब्ज एडवाईजरी काउंसिल के संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन कभी नहीं होता है। इसकी बैठकें नहीं बुलायी जाती हैं तथा आदिवासियों के हित में जो काम होने चाहिए वे नहीं हो पाते हैं। मैं काउंसिल में दो बार सदस्य रह चुका हूं और ऐसा हमारा अनुभव रहा है। झारखंड एरिया ओटोनोमस काउंसिल एक्ट 1994 के तहत बने झारखंड काउंसिल का मुख्य उद्देश्य झारखंड क्षेत्र का सर्वांगीण त्वरित विकास करना था। जिसके सेक्शन 29 से 34 तक अनेक अधिकार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रदत्त हैं। सेक्शन 34 के तहत झारखंड काउंसिल को बिहार के वार्षिक बजट का कम से कम 25 प्रतिशत राशि आबंटन झारखंड काउंसिल को देना है। किन्तु बिहार सरकार ने झारखंड काउंसिल की स्थापना के बावजूद काउंसिल को न तो अधिकार दिये और न राशि दिये। इस प्रकार सरकार ने खुद झारखंड काउंसिल को पंगु बना दिया। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राईबल स्टडीज, जमशेदपुर की चेयरमैन की हैसियत से झारखंड काउंसिल को बिहार सरकार से काउंसिल को प्रदत्त सभी अधिकार, फण्ड दिलाने के लिए पटना उच्च न्यायालय के रांची बैंच में बिहार सरकार के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर किया। जिसकी संख्या सीडब्ल्यूजेसी 1871-1996 (आर) है। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही बिहार सरकार अधिकार, फण्ड और चुनाव कराने के लिए मजबूर हुई। तथापि काउंसिल को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। किन्तु बिहार सरकार ने प्रथम कुछ वर्षों में केवल एक करोड़ रुपया ही आबंटित किया। बिहार सरकार ने झारखंड क्षेत्र का विकास कुंठित करने का ही काम किया। झारखंड काउंसिल में अधिकांश भ्रष्ट लोगों को रखा गया तथा झारखंडी लोगों और नेताओं में फूट पैदा करने का काम किया गया।

छोटा-नागपुर टेनन्सी एक्ट और संथाल परगना टेनन्सी एक्ट के प्रावधान के अनुसार आदिवासियों की जमीन दूसरे नहीं खरीद सकते हैं। किन्तु बिहार सरकार के भ्रष्ट अफसरों की मदद से सदैव इसका उल्लंघन हुआ है और आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को देने में सरकार खुद मददगार रही है।

बिहार प्रांत के भीतर झारखंड क्षेत्र की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की मान्यता शून्य है। चूंकि बिहार विधान सभा में उपस्थित कुल 324 विधायकों के भीतर झारखंड क्षेत्र के कुल 81 विधायकों की संख्या केवल 25 प्रतिशत रह जाती है और इसलिए उनकी अधिकांश समय उपेक्षा ही किया जाता रहा है। उसी प्रकार झारखंड क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले सभी 15 सांसद अलग प्रांत निर्माण के समर्थक होने के बावजूद अलग प्रांत निर्माण में बिहार सरकार का विगत समय नकारात्मक रवैया झारखंड के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की अवमानना करने के समान है। अतएव झारखंड क्षेत्र विगत आधी शताब्दी से बिहार के भीतर एक उपनिवेश इंटरनल कॉलोनी बन चुका है। इसे मुक्त करना अब आवश्यक है।

झारखंड के अलग हो जाने से बाकी बिहार मर जायेगा। यह धारणा गलत है। आज किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी, निष्ठा और दृढ़ पॉलीटिकल विल की आवश्यकता है। इसकी कमी से आज संपूर्ण बिहार झारखंड की अपार संपदा के बावजूद बीमार पड़ा है। झारखंड अलग होने के बाद बाकी बिहार के पास पंजाब और हरियाणा के योग के बराबर भू-भाग रहेगा। गंगा का समतल उर्वर भूमि, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्रॉप वैराइटी उचित जल संसाधन उपलब्ध रह जाता है जो दक्षिण बिहार में नहीं है। अत: कृषि और अनाज के उत्पादन, चीनी मिल, आम और लीची के वृहद उत्पादन की संभावना रहती है। आम और लीची से काफी विदेशी मुद्रा कमाया जा सकता है। पर्यटन की भी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। इस प्रकार बाकी बिहार की स्थिति पंजाब, हरियाणा से भी बेहतर हो सकती है।

बाकी बिहार को केन्द्र सरकार की तरफ से इकनॉमिक पैकेज दिया जाना सर्वथा उचित होगा। चूंकि झारखंड प्रदेश के अलग हो जाने से बाकी बिहार को निश्चित प्रारंभिक काल में काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अत: आने वाले कुछ वर्षों तक बाकी बिहार को सबल और उन्नत बनाने हेतु उचित आर्थिक पैकेज दिया जाये।

झारखंड प्रदेश के पास अपार खनिज संपदा, वन, जल और जन संपदा है। यहां के लोग ईमानदार और परिश्रमी हैं। जात-पात, अगड़ी-पिछड़ी की चिंता नहीं है। झारखंड प्रांत के निर्माण हो जाने से 21वीं शताब्दी में झारखंड प्रदेश भारतवर्ष का ताज बनकर उभरेगा। झारखंड प्रदेश सबके लिए होगा किन्तु आदिवासियों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस प्रकार पूरे बिहार को दो भागों में विभक्त कर दोनों हिस्सों को आगे बढ़ने का सुअवसर मिलेगा। जिसे रोकना आज उचित नहीं है।

भारतीय संविधान के भीतर नये राज्यों के निर्माण को नकारात्मक रूप में देखना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। हां, नये राज्य छोटे किन्तु फिजीबल होने चाहिए। फिलहाल तीनों नये राज्यों का गठन सभी कसौटियों पर खरा उतरते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रांत का विरोध करने वाले वास्तव में आदिवासी और दलितों के विरोधी हैं जो नहीं चाहते हैं वे आगे बढ़ें। बल्कि ऐसे विरोधी सदैव उनको पंगु बनाकर अपने अधीन रखना चाहते हैं।

अंत में, मैं झारखंड विधेयक के कुछ बिन्दुओं पर अपना सुझाव देना चाहता हूं:-

1. पाठ पांच के पैराग्राफ 40 में निर्दिष्ट बिहार और झारखंड को हिस्सों के बंटवारे में केवल आबादी (76:24) नहीं बल्कि क्षेत्र (54:46) का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

2. झारखंड क्षेत्र के अफसर, जो बिहार में पदस्थापित हैं उन्हें झारखंड प्रांत में आने का प्रावधान शामिल किया जाये।

[श्री सालखन मुर्मू]

3. पाठ 8 पैराग्राफ 77 में झारखंड प्रदेश सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बिल में नहीं किया गया है, उसे भी शामिल किया जाये।

4. शेड्यूल एरिया होने के नाते नये झारखंड प्रदेश में 5वें अनुसूची के प्रावधान को जारी रखा जाये।

5. छोटा-नागपुर टेनन्सी एक्ट और संथाल परगना टेनन्सी एक्ट को जारी रखा जाये।

6. झारखंड क्षेत्र की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था—माझी परगना, मानकी मुन्डा, पड़हा पंचायत आदि को उचित शक्ति देकर चालू रखा जाये।

7. संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत नये झारखंड प्रदेश में संथाली भाषा और उसकी लिपि ओले-चिकी को मान्यता दी जाये।

8. झारखंड से विस्थापित एवं पलायन किये नागरिकों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।

9. झारखंड आंदोलन में जुड़े होने के कारण किसी भी प्रकार के मुकदमों में फंसे लोगों को अविलंब मुक्त कर देना चाहिए।

10. पश्चिम सिंहभूम जिले के अंतर्गत पड़ने वाले सराईकेला और खरसवां क्षेत्र के सभी नागरिकों को नवसृजित झारखंड प्रदेश में रोजगार और विकास के क्षेत्र में शामिल होने का संपूर्ण अवसर प्रदान किया जाये।

संथाली भाषा में दो शब्द कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और नवसृजित झारखंड और बाकी बिहार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड दिशोमरिन सनाम दिशुआ पाहटा सेन खोन मनोतान प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अडी अडी सरहाव। अकिन ठेन अरदास ताहैयेना जेसंताली पारसी आर ओल-चिकी हो जेमोन लागे तो लागे संविधान रेकिन आंगोच ओचोया। मां संनाम कोगे भारत दिशोम रे लहाअ रेयाग कुरूमुटू बो रिकाया। जोहार।

[अनुवाद]

***श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के समर्थन में मैं खड़ा हूं। यह विधेयक जरूरी था क्योंकि यह झारखंड प्रदेश जिसमें 18 जिले हैं राजनैतिक तथा आर्थिक हर क्षेत्र में बहुत उपेक्षित रहा है। महोदय, छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में कुल भूमि का केवल 5% भाग सिंचित है। बिहार की बिजली का 10% का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। लेकिन केवल 5% गांवों को बिजली मिल पाती है। महोदय 89% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित हैं और कुल कृषि भूमि का केवल 2% में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि उत्तरी बिहार में कुल कृषि भूमि का 37% भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। संविधान की अनुसूची के अध्याय 5 और 6 के अनुच्छेद 244 में एक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 में एक जनजातीय सलाहकार परिषद की कल्पना की गई है जिसका गठन केवल 1966 में ही हुआ था। तथा तब से आज तक कोई बैठक या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। झारखंड शब्द की उत्पत्ति 'वन्य भूमि तथा इसके निवासी' से हुई है। अत: झारखंड कुल भू-भाग के 29.2% में जंगल है। तथा इन क्षेत्रों के जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए पूर्णत: जंगल से प्राप्त छोटे-छोटे उत्पादों तथा वन सम्पदा पर ही आश्रित हैं। इसके अलावा इस वन्य क्षेत्र में उन लोगों के इन उत्पादों का वास्तविक मूल्य भी नहीं मिल पाता है क्योंकि मध्यस्थ लोग उन उत्पादों की असली कीमत स्वयं खा जाते हैं। देश की कुल खनिज संपदा का 40% उत्पादन इस झारखंड क्षेत्र से होता है। लेकिन जब रॉयल्टी बढ़ाने की बात आती है तो उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। अत: खानों में काम करने वाले लोग अमानवीय परिस्थिति में जी रहे हैं।

लोकतंत्र में शिक्षा सफलता की माप है और इस क्षेत्र में शिक्षा का बहुत अभाव है। महोदय, यदि आप जनजातीय बच्चों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या देखें तो आप पाएंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार देश भर में ऐसे बच्चों की संख्या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इसलिए राजग सरकार के एजेंडे के उपबंध 31 के अनुसार वनांचल अथवा झारखंड का गठन सरकार का प्रमुख उद्देश्य था। इस देश के जनजातीय लोगों को और खासकर दक्षिणी बिहार जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, के इस उपेक्षित क्षेत्र के लोगों को एक अपना क्षेत्र देने के उद्देश्य से यह विधान लाने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जनजातीय अधिकारों तथा झारखंड राज्य के निर्माण के लिए इस व्यापक संघर्ष पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। पूर्व में तमाम विद्रोह (1801 से 1820), ग्रेट कोल इनसरक्सन (1831 से 1832) सरदारी विद्रोह (1858 से 1895), बिसा इनसरक्सन (1895 से 1900) जैसे कई आंदोलन हुए हैं। इसके बाद लोकतांत्रिक युग में गांधी जी के आंदोलनों ने बॉचलेमेन के नेतृत्व में 1911 तथा 1912 में अहिंसा का मार्ग दिखाया। बाद में इसका नेतृत्व

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जुएल लकड़ा और बांदी उरांव ने किया। 1929 में उन लोगों ने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन दिया था। इसके बाद 1920 में छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ। इसमें कोई भी गैर-आदिवासी नहीं था। इसने अपनी एक पहचान बनाई तथा जनजातीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक अन्य संगठन किसान सभा का भी निर्माण हुआ जिसका नेतृत्व थेवल उरांव ने किया तथा उसके बाद कैथोलिक महासभा बनी। महोदय इसके बाद बिहार विधान सभा में हमारी विधायिका बनी तथा झारखंड क्षेत्र को केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने के लिए कांग्रेस (इ) विधायक देवेन्द्र चम्पैया द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया ताकि बिहार द्वारा इस क्षेत्र के प्रति सौतेले व्यवहार को कुछ हद तक हल किया जा सके। इस आंदोलन के झंडे तले विधान सभा चुनाव लड़े गए तथा झारखंड पार्टी ने 33 सीटें जीतीं। 1952 तथा 1957 के चुनावों में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इस क्षेत्र की उपेक्षा के कारण उनके नेता जयपाल सिंह वर्ष 1963 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। यह प्रयास गलत रहा तथा जयपाल सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। महोदय, वर्ष 1967 में जनसंघ पार्टी, जो आज की भाजपा पार्टी है, ने बिहार के दक्षिणी भाग में बिल्कुल निचले स्तर पर संगठन बनाना शुरू किया और उन लोगों ने दक्षिण बिहार में सीटें जीतकर अपना खाता खोला। अत: महोदय, मैं कहूंगा कि यह विधेयक मानवीय आधार पर बहुत जरूरी था ताकि दक्षिण बिहार में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी लोकतंत्र का लाभ मिल सके। यह विधेयक स्वागत योग्य है। मैं नहीं जानता कि बी.जे.डी. के हमारे साथियों ने विधेयक को लाने का विरोध क्यों किया और वह सदन से उठकर बाहर क्यों चले गए। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी उड़िया भाषी सरायकेला और खरसवां क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं क्योंकि वे हिन्दी बोलना नहीं जानते। मैं समझता हूं कि वे सरायकेला तथा खरसवां के उल्लेख करने के कारण झारखंडी भाई मुझे गलत नहीं समझेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, मैं बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र हेतु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के भाग "क" में क्रमांक 3 में किए गए संशोधन का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, बिहार के लिए क्रमांक 3 में कहा गया है कि इस क्षेत्र, जो इस संविधान के लागू होने से तुरन्त पहले बिहार प्रान्त में जल्दीबाजी में शामिल किए गए थे अथवा प्रशासित किये जा रहे थे जैसे कि वे उस प्रान्त का भाग माने गए हों। जैसाकि बताया गया है उड़ीसा के क्षेत्र जिसे इस संविधान के लागू होने से पहले उड़ीसा प्रान्त में जल्दीबाजी में समाहित किया गया था अथवा प्रशासित किया जा रहा था जैसे कि वे उस प्रान्त का भाग माने गए हों। अत: जब हम सेरीकला और खरसुंआ, छोटानागपुर एजेन्सी के अन्तर्गत प्रशासकीय सुविधा के कारण लगभग 1960 तक सेरीकला और खरसुंआ दो पूर्व राज्य थे, की बात करते हैं इसके बाद इन्हें उड़ीसा एजेन्सी में स्थानान्तरित कर दिया गया था और उस समय उपराज्यपाल एक अंग्रेज जो एक पार्षद और बिहार के लोगों ने, सभी इस बात से सहमत हुए थे कि इसे वर्षों तक उड़ीसा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लगभग 25 वर्षों तक राजनीतिक विभागों के वार्षिक ज्ञापन में अन्य राज्यों के साथ इन दो राज्यों को उड़ीसा राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा था। जब उड़ीसा राज्य की अखण्डता के लिए सेरीकला उपमण्डल और सदर सिंगभूम उपमंडल का मुद्दा उठा तो आम जनता का समर्थन था चूंकि पारम्परिक तौर पर ये क्षेत्र जातीय, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से उड़ीसा के अन्य राज्यों से सटे हुए हैं। जब यह समस्या खड़ी हुई थी तो बावेदकर अधिकरण का गठन किया गया था ताकि विवाद की छानबीन की जा सके लेकिन यह त्रासदी थी इसने एक दिन भी काम नहीं किया। (एक दिन का सूरज भी नहीं देखा) इस मामले का निर्णय राज्य मंत्रालय द्वारा केवल एक आधार पर प्रशासकीय सुविधा, न कि उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर किया। उस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों से बिहार विधान सभा में 12 विधायक थे और 7 ने उड़ीसा में जाने की इच्छा जाहिर की थी। कई मालकीन्स, मुंडास और सरपंचों (जाति का मुखिया) ने तत्कालीन प्रधान मंत्री, गृह मंत्री आदि को याचिकाएं भेजी थी। महोदय जैसा कि आपको पता है उड़ीसा राज्य का गठन 1936 में ही किया गया था क्योंकि उससे पहले उड़िया जनसंख्या फैली हुई थी और बंगाल, बिहार और सी पी के अधीन थी। लेकिन मधुसूदन दास और महाराजा पालाक हंडू जैसे महान नेताओं और उड़ीसा के निर्माण के लिए उड़िया लोगों द्वारा बलिदान किये गए। महोदय, अब मैं इस संसद और इस सम्माननीय सभा का आभारी रहूंगा कि इन दो उड़िया भाषी क्षेत्रों को जो ऐतिहासिक भूल से बिहार में चले गए, को वापिस उड़ीसा में मिला दिया जाए। यह बिहार के लोगों और झारखण्ड के लोगों की उदारता को दर्शाएगा।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध भी करता हूं जैसा कि उधमसिंह नगर समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हुए सभा में बताया था कि ऊधमसिंह नगर से जुड़े हुए गन्ने उगाने वाले क्षेत्र को उस क्षेत्र में चीनी मिलों को चलाने के लिए लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि 13वीं लोक सभा में सेरीकला और खरसुंआ को उड़ीसा में मिलाए जाने पर विचार करे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह महान उपलब्धि होगी। क्योंकि उड़ीसा विधान सभा में भा.ज.पा. ही सर्वसम्मति से संकल्प की समर्थक है। अन्त में, मैं अपने जनजातीय भाईयों और बहनों को बधाई देता हूं और उन्हें स्वस्थ और समृद्ध झारखण्ड के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं क्योंकि कुशल प्रशासन और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह भा.ज.पा. का एजेन्डा है।

***श्री जोवाकिम बखला** (अलीपुरद्वारस): महोदय, आर.एम.पी. की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं।

***डा. नीतिश सेनगुप्ता** (कोंटाई): महोदय, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से हम बिहार राज्य में झारखण्ड राज्य का सृजन करने का प्रावधान करने वाले विधेयक बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का समर्थन करते हैं। यह झारखण्ड क्षेत्र के लोगों की चिरकालिक मांग को पूरा करता है। हम नए राज्य के लोगों और बिहार राज्य को भी शुभकामनाएं देते हैं। जिनके साथ हमारे बंगाल के लम्बे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध हैं।

लेकिन हम महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार को दो आर्थिक पैकेज देने चाहिए। एक बिहार राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को उससे अलग करने की क्षतिपूर्ति के लिए और दूसरा नए राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए देना चाहिए। इस अनुरोध के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

.मन्न **आचार्य** (सम्बलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में, मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने जनजाति और वनवासी द्वारा चलाए गए आन्दोलन के दौरान झारखंड के निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन महोदय, उड़ीसा से उसके अभिन्न भाग सारायकेला और खारसुआं लेकर उन लोगों के प्रति किए गए अन्याय के विरोध में जिन्होंने अपनी आवाज उठायी और अपना सब कुछ न्यौछावर किया यदि हम उनके बलिदान को याद नहीं करते तो यह मेरे लिए अपने कर्त्तव्य से विमुख होने के समान है। महोदय, आप और पूरा देश जानता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संघ में कई राजसी राज्यों के विलय के दौरान उड़ीसा के साथ कितना अन्याय किया गया था।

मैंने बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 की पुर:स्थापना के समय अपने भाषण में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं और मेरा दल सैद्धांतिक रूप में झारखण्ड के बनाये जाने के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा हमारी मांगों के प्रति अपनाए गए नकारात्मक रवैया का विरोध करता हूं और अभी एक ऐसा अवसर था जब सराईकेला और खारस्वान को पुन: उड़ीसा में मिलाया जा सकता था और 53 वर्ष पूर्व की गई ऐतिहासिक भूल को सुधारा जा सकता था। सराईकेला और खारस्वान न केवल उड़ीसा के अंग हैं बल्कि संस्कृति, अपनी भाषा और इसके विरासत और इसके रीति-रिवाज व परम्पराएं सभी उड़ीसा के साथ मिलता-जुलता है।

महोदय, उड़ीसा के लोगों ने बहुत दुख झेला है जोकि एस.आर.सी. जिसका गठन 1953 में किया गया था और जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, की अनुचित और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट के कारण है। उस समय राज्यों का पुनर्गठन मात्र भाषा के आधार पर किया गया था। लेकिन सराईकेला और खारस्वान के उड़िया लोगों ने क्या पाप किये थे कि उनके उड़ीसा में पुनर्विलय की मांग को ठुकरा दिया गया। क्या यह संघ सरकार और राज्य पुनर्गठन आयोग का दोहरा मापदंड नहीं था? मुझे सभा को स्मरण कराने दीजिए कि रा.पु.आ. की सिफारिशें भी सर्वसम्मत नहीं थीं। न्यायमूर्ति फजल अजी रा.पु.आ. के सभापति थे, जिन्होंने सराईकेला और खारस्वान के मुद्दे पर अपनी राय देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि मैं उद्धृत करता हूं "बिहार में मेरे लम्बे काल तक जुड़े होने के कारण मैं इस विषय पर अपनी राय नहीं दे सकता। अन्य शब्दों में मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। लेकिन इसका किया जाना मेरे नियंत्रण से बाहर है लेकिन मैं इसका अंग नहीं हूं" और महोदय यह अन्याय उड़ीसा के साथ किया गया था।

मैं, प्रस्तावित झारखण्ड से जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों के संवेदनशील भाषणों को सुन रहा था और वे अपने गुस्से को शब्दों में निकल रहे थे जिसका कारण यह है कि उन्हें वर्तमान राज्य बिहार में नजरअंदाज और अपमान झेलना पड़ रहा था और इसलिए वे झारखण्ड के सृजन को न्यायसंगत ठहरा रहे थे ताकि सारे दु:खों से मुक्ति पाई जा सके। क्या मैं उन मित्रों को अनुरोध करूं कि वे भी बिहार राज्य के अधीन सराईकेला और खारस्वान के उड़िया भाषी लोगों के दुख, अपमान और उनके विनाश की क्रमवार प्रक्रिया के बारे में भी उसी तरह से अनुभव करे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पिछले 50 वर्षों के दौरान सराईकेला और खारस्वान में उड़िया भाषी लोगों की संख्या कम करने के लिए किस प्रकार सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया है। तत्कालीन बिहार प्रधान मंत्री ने 5 जून, 1948 को उड़िया भाषा, संस्कृति आदि की रक्षा करने के लिए आश्वासन दिया था लेकिन सरकार ने दिनांक 21.6.1948 के संकल्प सं. 81 एस.आर. के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माध्यम से उड़िया भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा कर दी थी चूंकि यह सराईकेला और खारस्वान में न्यायालय की भाषा थी। सराईकेला और खारस्वान में उड़िया शिक्षा माध्यम के 1500 से अधिक प्राईमरी और उच्च स्कूल थे। लेकिन उड़िया विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था। बिहार सरकार की उड़िया-विरोधी नीति के कारण से उन विद्यालयों में उड़िया शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई और वर्ष-दर-वर्ष इन विद्यालयों की संख्या में कमी आती गई। आज तक जारी इन कुत्सित क्रियाकलापों के बावजूद उस क्षेत्र में उड़िया भाषी लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कुछ लोग यह आभास दे रहे हैं कि सरायकेला और खरस्वां के लोग उड़ीसा में शामिल होने के पक्ष में नहीं हैं। महोदय, मैं उन लोगों को 1951-52 के आम चुनावों की याद दिलाना चाहूंगा जिसमें श्री मिहिर कवि इन क्षेत्रों को उड़ीसा में पुन: शामिल होने के एकमात्र मुद्दे पर सरायकेला और खरास्वां निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और बहुत बड़े बहुमत से जीते थे। क्या उड़ीसा में शामिल किए जाने के समर्थन में जनमत की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है?

महोदय, इस मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री के कठोर रवैये से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक सहयोगी बीजू जनता दल बुरी तरह से आहत है। उन्होंने न केवल उड़ीसा मंत्रिमंडल, उड़ीसा विधान सभा, सर्वदलीय बैठक के उनके सर्वसम्मत प्रस्तावों के माध्यम से किए गए न्यायसंगत अनुरोध को मानने से इंकार किया है बल्कि उन्होंने 3.5 करोड़ उड़िया भाषी लोगों के संवेगों एवं भावनाओं की भी उपेक्षा की है। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं और प्रेस हमारे पीछे पड़ा है कि सरकार में शामिल होते हुए भी हम क्यों और कैसे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि हम एक प्रादेशिक दल हैं और अपने राज्य और वहां के लोगों के हितों की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। हम तो सिर्फ अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं। हम सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता का शोधन करना नहीं चाहते। यदि आप अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते तो सत्ता में होने का क्या औचित्य है। संसद के मानसून सत्र की समाप्ति के पश्चात् हम अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में जब वापस जाएंगे तो हमारे पास जनता को जवाब देने के लिए क्या है? वे हमसे पूछेंगे कि आपने राज्य के हित के लिए क्या किया है? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से उनकी स्थिति पर पुनर्विचार करने एवं सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा में पुन: शामिल करने की हमारी मांग को मानने एवं विधेयक में इस संबंध में आवश्यक संशोधनों को किए जाने का एक बार फिर अनुरोध करूंगा।

***श्री जगन्नाथ मलिक** (जाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं कि लोकतंत्र में लोगों की उचित मांगों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। परन्तु इस विधेयक में सरायकेला और खरस्वां के उन लोगों की आकांक्षाएं प्रतिबिंबित नहीं हुई हैं जो उड़ीसा में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं। उड़ीसा के लोग भी सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा में शामिल करने की मांग करते रहे हैं परन्तु इस विधेयक को तैयार करते समय इस बात का पूरी तरह ध्यान नहीं रखा गया है। 1951-52 के चुनावों में मिहिर कवि सरायकेला और खरस्वां निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा में सरायकेला और खरस्वां को शामिल किए जाने के विशिष्ट मुद्दे के साथ बिहार विधान सभा के लिए चुनाव लड़े और चुने भी गए। 1949 में इन दो रियासतों को बिहार में अस्थाई रूप से मिलाए जाने के पश्चात् उड़ीसा में जबरदस्त नाराजगी पैदा हुई और 1953 में उड़ीसा विधान सभा ने सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा में शामिल करने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। फिर 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के विरोध में उड़ीसा में विद्रोह हुआ जिसमें जान और माल दोनों की ही क्षति पहुंची। 1992 में, उड़ीसा विधान सभा ने इन्हें शामिल किए जाने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और अभी कुछ दिन पहले, उड़ीसा विधान सभा ने शामिल करने के लिए उड़ीसा की सभी पार्टियों के निर्णयों के आधार पर फिर से एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है और उड़ीसा सरकार ने सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा में शामिल करने की मांग संबंधी ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा है। भारत सरकार द्वारा बिहार से एक नया राज्य झारखंड का गठन करने के लिए इस विधेयक को तैयार करते समय इन सभी लोकप्रिय मांगों की उपेक्षा की गई है, जोकि अलोकतांत्रिक है।

महोदय, 1949 में इन दो रियासतों को अस्थाई रूप से बिहार में रखा गया था क्योंकि उड़ीसा और सरायकेला, खरस्वां में कोई भौगोलिक संलग्नता नहीं थी क्योंकि उस समय तक मयूरभंज राज्य का उड़ीसा के साथ विलय नहीं हुआ था। परन्तु जब मयूरभंज राज्य स्वयं उड़ीसा में शामिल हो गया तब उड़ीसा के साथ भौगोलिक संलग्नता में कोई कमी नहीं रह गई थी और उस समय सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा के साथ मिला देना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। चूंकि उड़ीसा और बिहार दोनों ही सरायकेला और खरस्वां पर अपना दावा स्थापित करना चाहते थे, इसलिए भारत सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भावेदकर की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जगन्नाथ मलिक]

अध्यक्षा में एक न्यायाधिकरण का गठन जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया। न्यायाधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्न बातें शामिल थी:-

1. राज्यों की जनता की इच्छाओं पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें देना।

2. उनकी ऐतिहासिक, आर्थिक, भाषिक और सांस्कृतिक संबंध।

3. प्रशासनिक सुविधाओं पर विचार करना।

परन्तु यह न्यायाधिकरण अपना कार्य आरंभ नहीं कर सका क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय ने इन प्रयोजनों के लिए न्यायमूर्ति भावेदकर की सेवाएं नहीं सौंपी। उस समय, भारत ने एक गलत निर्णय लेते हुए इन दो रियासतों को बिहार में शामिल किए जाने की अनुमति दे दी, ऐसा शायद दबाव में आकर किया गया था क्योंकि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. बाबू राजेन्द्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। उस समय से सरायकेला और खरस्वां के लोग और उड़ीसा की जनता सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा में [illegible] हेतु आंदोलन करते रहे हैं। परन्तु इस पर विचार नहीं और उड़ीसा के उचित मांग की उपेक्षा की गई जिसके [illegible]स्वरूप, सरायकेला और खरस्वां के लोग अपने बच्चों की शिक्षा अपनी मातृभाषा उड़िया में प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, अच्छा व्यवहार न किए जाने के कारण सरायकेला और खरस्वां के उड़िया भाषी लोगों की संख्या में कमी आई है और उनकी अर्थव्यवस्था अपंग हो चली है, जब तक सरायकेला और खरस्वां को उड़ीसा में शामिल नहीं किया जाता, वहां की परंपरा और भाषा पतन के खतरे में घिरी रहेगी। अतएव मैं विधेयक का विरोध करता हूं और साथ ही साथ मैं माननीय गृह मंत्री से विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संयुक्त प्रवर समिति को भेजने हेतु सहमत होने का अनुरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन का अंत:करण से धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार तीन दिनों तक देर रात तक बैठकर आपने इन विधेयकों को पारित किया। यह संभव नहीं होता अगर सरकार का साथ अधिकांश विपक्षी दलों ने और जिनमें से भी प्रमुख रूप से प्रमुख विरोधी दल ने जिस सहजता और उत्साह से साथ दिया, वैसा न दिया होता। इसीलिए मैं सबसे अधिक धन्यवाद विपक्षी दलों को देना चाहूंगा और उनको भी देना चाहूंगा जिन्होंने चाहे विरोध किया हो, लेकिन जिनकी पार्टी अगर विधान सभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करके यहां न भेजती तो जो सिद्धांत इस सरकार ने स्वीकार किया कि हम झारखंड के राज्य का प्रस्ताव हम तब संसद में रखेंगे जब वहां की विधान सभा उसको पारित करके भेजेगी। इसी कारण मैं श्री लालू प्रसाद यादव और उनके दल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि झारखंड का निर्माण संभव हो सका है।

यह कहकर मैं यह बात जोड़ना चाहूंगा कि आज तीन राज्यों की कुल जनसंख्या करीब पांच करोड़ है। पौने दो करोड़ छत्तीसगढ़ की, 75 लाख के करीब उत्तरांचल की और सवा दो करोड़ इस झारखंड राज्य की। यह जो पांच करोड़ की जनसंख्या है, वह कितनी दुखी थी, जब पिछले अधिवेशन में सरकार की ही कुछ त्रुटि के कारण हम जितनी जल्दी इन्हें लाना चाहते थे, नहीं ला सके, उसकी जो विधाएं पूरी करनी आवश्यक थीं, वे नहीं कर सके, हमने अध्यक्ष जी को जिस समय नोटिस दिया, वह नोटिस अपर्याप्त था और इसीलिए आप लोगों को यह पूरा अधिकार था कि आपने विरोध किया और उस समय हमारा यह बिल पेश नहीं होने दिया। अध्यक्ष जी ने कहा कि आपकी ओर से यह त्रुटि रही है और इसलिए मैं उसको नहीं कर सका। लेकिन इस बार जब समय पर सारी विधाएं पूरी हुईं, प्रस्तुत भी हो गया और न केवल प्रस्तुत हो गया बल्कि बी.ए.सी. में जब अधिकांश लोगों ने कहा कि उन क्षेत्रों की जनता चाहती है कि ये राज्य जल्दी बन जाएं, इन राज्यों के बनाने में देर न हो, तो सब लोगों ने इस पर भी आम सहमति दी कि अच्छी बात है, इस बार स्टैण्डिंग कमेटी को न भेजकर इस पर संसद में विचार करें। मुझे बी.ए.सी. की ओर से यह जानकारी मिली कि ऐसा निर्णय हुआ है। उसमें सही है कि कुछ लोगों की राय नहीं होगी, मगर वहां पर जो कनसेन्सस बना, उसके आधार पर और फिर उसके बाद विपक्षी दल और प्रमुख विपक्षी दल ने जिस प्रकार से उसका साथ दिया और अधिकांश बाकी सदस्यों ने भी साथ दिया ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उसमें आम सहमति नहीं थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने उसके लिए तर्क रखे। आखिर तो आज जितने लोग झारखंड के थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से, किसी भी पार्टी के हों, सबने बहुत उत्साह से उसका समर्थन किया, लेकिन बिहार के लोगों ने आशंका प्रकट की और कहा कि समर्थन तो करते हैं लेकिन बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति का क्या होगा और बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति कैसे प्रभावित होगी इस पर तर्कपूर्ण तरीके से प्रभुनाथ सिंह जी ने, यादव जी ने अपनी-अपनी बातें रखी। मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार राज्य तो बहुत बड़ा राज्य है, छोटा

राज्य नहीं है। लोक सभा में उसके 40 प्रतिनिधि हैं। विधान सभा इतनी बड़ी है और जो बिहार राज्य शेष रहेगा, जब छोटे-छोटे राज्य बने थे, तब प्राइमा-फेसी दिखता था कि इनकी इकोनॉमिक वायेबिलिटी नहीं रहेगी, तो भी उनकी आकांक्षा है कि हमारा राज्य बनना चाहिए—मेघालय का राज्य बनना चाहिए, मिजोरम का राज्य बनना चाहिए, अरुणाचल का राज्य बनना चाहिए। शुरू-शुरू में तो अरुणाचल केन्द्र शासित प्रदेश था, फिर उसको राज्य बना दिया गया। क्यों राज्य बने, इस कारण आकांक्षा है कि यह जो हमारी आइडेन्टिटी है वह निखरकर आए और एक स्थान जो अपना क्षेत्र है, उसको राज्य का रूप दे। उसका अपना महत्व है। चाहे फाइनेन्शियली वायेबल नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कि फाइनेन्शियल वायेबिलिटी का महत्व देश के लिए होता है। राज्य के लिए फाइनेन्शियल वायेबिलिटी की चिन्ता करना देश का कर्तव्य बन जाता है और इस कारण बिहार की जो वित्तीय कठिनाइयां हैं, तो मैं कहूंगा कि वह केन्द्र सरकार की जवाबदेही होगी कि उन कठिनाइयों को दूर करे।

रात्रि 10.00 बजे

इसी कारण मैंने इस बात का बार-बार उल्लेख किया कि जो चीज कभी किसी पुनर्गठन विधेयक में नहीं लिखी गयी, वह हमने क्लाजेज में भी लिखी और स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्शन्स एंड रीजन्स में लिखा कि योजना आयोग में एक डेडीकेटेड सेल रहेगा जो रेस्ट ऑफ बिहार की चिन्ता करेगा। यह नहीं कि वह झारखंड की चिंता करेगा क्योंकि साफ दिखता था कि झारखंड बनने के बाद जो अविभाजित बिहार प्रदेश के संसाधन ज्यादा थे, वह तो उनके पास जा रहे हैं। उनके पास जब जायेंगे तो जो शेष बिहार बचेगा, उसकी कठिनाइयों को कौन हल करेगा? पहली बात तो यह कि हिन्दुस्तान भर के राज्य कुल मिलाकर अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहें, यह सबकी इच्छा है। हम भी चाहेंगे और बिहार तो छोटा प्रदेश न होकर बहुत बड़ा प्रदेश है। वह कोई मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उसके संसाधन अपेक्षाकृत शायद झारखंड में ज्यादा हैं। लेकिन यह अपने उन संसाधनों को बढ़ाये, इसकी बहुत गुंजाइश है। यूं तो जब बिहार पूरा मिला हुआ था तब भी उसकी वित्तीय कठिनाइयां कम नहीं थीं। बसुदेव आचार्य जी ने सही कहा कि केवल मात्र राज्य बन जाने से कोई प्रगति हो जाती है, विकास हो जाता है, ऐसा किसी का दावा नहीं है। हमारा भी दावा नहीं है। यह तुलना शायद ठीक नहीं होगी लेकिन जब हम किसी देश को आजाद करने की बात सोचते हैं, अपने देश को ही सोचते थे तो आजादी स्वयं में कोई विकास की गारंटी नहीं है बल्कि इससे रास्ता खुलता है। उसी प्रकार से झारखंड एक प्रदेश बनता है तो झारखंड प्रदेश के लिए अपना विकास करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : झारखंड बनना कोई आजादी नहीं है। आप उसके साथ तुलना मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए मैंने कहा, चाहे यह तुलना उपयुक्त न हो लेकिन यह सारे रास्ते खुले हैं। जब सारे रास्ते खुले हैं तो उनका पूरा उपयोग दोनों प्रदेशों की जनता करे, दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधि करें, दोनों प्रदेशों का नेतृत्व करे, यह सारे सदन की इच्छा होगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज जिस झारखंड का राज्य निर्माण हो रहा है और जिसके कारण आज अलग-अलग हिस्सों में, इन पांच करोड़ जनता के मन में एक बहुत बड़ी खुशी है, मैं मानता हूं कि उसमें से छत्तीसगढ़ को इतना लम्बा संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना संघर्ष उत्तरांचल और झारखंड को करना पड़ा। इन दोनों प्रदेशों को जितना संघर्ष करना पड़ा है, उसके कारण आज उनके यहां उल्लास, खुशी और उम्मीद की एक लहर जो दौड़ जायेगी, उसके कारण उस क्षेत्र की जनता भी संसद के प्रति बहुत आभारी अनुभव करेगी, हम सबका धन्यवाद करेगी। इस खुशी को प्रकट करते हुए एक बार पुन: सब लोगों ने अपने-अपने जो तर्क रखे हैं, उन तर्कों को ध्यान में रखा जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हमें भी खुशी बढ़ाने के लिए मौका दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारे उड़ीसा के कुछ बंधुओं ने सरायकेला और खरस्वां का जिक्र किया। मैं आपका भाषण अंदर बैठकर सुन रहा था। आपने इस बात पर बल दिया था कि सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इन विधेयकों को पारित किया है। मैंने जाकर स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट देखी कि उस समय इस विषय पर क्या कहा गया था। मैं उसको कोट नहीं करना चाहूंगा। उसका कारण यह है कि उड़ीसा की जनता की यह धारणा है कि उस समय हमारे साथ अन्याय हुआ। चाहे स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने 1932 की एक ओ. डोनेल कमेटी की रिपोर्ट का सहारा लेकर स्वीकार किया कि यहां पर उड़िया भाषी लोग हैं। लेकिन उड़िया भाषी लोग होते हुए भी यह जो हिस्सा था, वह वर्षों से छोटा नागपुर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रहा। इसीलिए सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से इसको हटाकर उड़ीसा से मिलाने में हमको कोई तर्क दिखाई नहीं देता। इन्होंने यह निर्णय देकर ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): महोदय, आपको पृष्ठभूमि पर गौर करना होगा। जब तक आप पृष्ठभूमि नहीं देखते आप प्रतिवेदन का मूल्यांकन नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते हैं कि यह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझाना चाहूंगा, मुझे याद है जिस समय एन.डी.ए. का मैनिफैस्टो बना था, तब यह बात आई थी और एन.डी.ए. का मैनीफैस्टो बनते हुए हमने कहा था कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, इन तीनों के बारे में विधान सभाओं ने स्वीकार किया है, एक आम सहमति उन प्रदेशों में हैं और हमारी कसौटी यह है। लेकिन एस.आर.सी. के समय से लेकर कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का निपटारा इन पचास सालों में नहीं हुआ है। हरेक सदस्य ने कहा कि 52 साल पहले न्याय हुआ। अगर उसे मान भी लिया जाए तो उस दोनों राज्यों के लोग आपस में बैठकर करें, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज मैं चंडीगढ़ का फैसला, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ पर नहीं थोप सकता। मेरी अपनी राय हो सकती है कि यह उचित है या अनुचित है लेकिन कुल मिलाकर संसद में आम सहमति निर्माण करने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड राज्य बन जाए और झारखंड और उड़ीसा के प्रतिनिधि बैठ कर ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : बंगाल के साथ भी अन्याय हुआ है

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बसुदेव आचार्य जी, कृपया शांत रहें। मैं बैठ नहीं रहा हूं। यह उड़ीसा के प्रतिनिधियों से संबंधित मामला है।

[हिन्दी]

जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि झारखंड के प्रतिनिधि और उड़ीसा के प्रतिनिधि बैठ कर कोई हल निकाल सकें, छोटे एरियाज हैं, बहुत बड़े एरियाज नहीं हैं। उसमें केंद्र सरकार अवश्य योगदान करना चाहेगी।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए बाधित कर सकता हूं?

महोदय, सरायकेला और खरस्वां वे राज्य थे जिन्हें शामिल किया गया था। इस प्रकार.....

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं। मैं इन आयामों को भी समझता हूं। आपने परम सत्ता का उल्लेख किया। इसे नहीं भूलना चाहिए कि हम जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा केवल इसलिए ही नहीं समझते क्योंकि इस पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया है। तकनीकी रूप से यह सत्य है।

[हिन्दी]

हमारा केस इससे स्ट्रांग है कि टैक्नीकली सही हो गया कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जिस समय इनस्ट्रूमैंट ऑफ ऐक्सैशन साइन किया तो यह लीगली कांस्टीट्यूशनली भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन हमारे यहां उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की सरकार ने कहा कि केवल महाराजा के साइन करने पर जम्मू-कश्मीर हमारा हिस्सा बना है, इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि वहां की जो प्रतिनिधि संस्था है, प्रतिनिधि संस्था के नेता हैं, वे भी हमारे साथ मिलें। इतना ही नहीं मैं चाहूंगा कि वहां की जो कौन्स्टीट्यूऐंट असैम्बली है, जो वहां की जनता की प्रतिनिधि है, वह भी कहे कि हम जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं। यह सारी प्रक्रिया करने के कारण आज जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच में जाकर हम केवल टैक्नीकल सहारा नहीं लेते कि इन्स्ट्रूमैंट ऑफ ऐक्सैशन महाराजा हरी सिंह ने साइन किया है इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। इसी कारण पैरामाउंसी का लैप्स होना वह एक पहलू है। मैं उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि वहां उड़ीया भाषी लोग हैं और उस समय अगर कोई अन्याय हुआ, आज उसे न्यायपूर्ण रूप दिया जा सकता है तो दोनों सदस्य बैठकर आपस में चर्चा करें, कोई हल निकालें। उसमें केन्द्र सरकार जो योगदान कर सकेगी, अवश्य करेगी।

मैं समझता हूं कि मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी जितनी बातें कही गई हैं, उनमें जो ग्राह्य होंगी उन्हें ग्रहण करेंगे लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि एक प्रकार से तीन दिन लगातार इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक पारित करके इस संसद ने एक प्रकार का हैट्रिक स्कोर किया है। एक दिन छत्तीसगढ़, एक दिन उत्तरांचल और आज झारखंड राज्य का निर्माण कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री वरकला राधाकृष्णन, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री बसुदेव आचार्य और पुन: श्री बसुदेव आचार्य, श्री प्रभात कुमार सामन्त, श्री रामजी लाल सुमन, श्री त्रिलोचन कानूनगो, श्री प्रसन्न कुमार पटसानी और श्री के.पी. सिंह देव द्वारा रखे गए संशोधन संख्या क्रमश: 1, 3, 10, 4, 5, 6, 18, 9 एवं 17 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1, 3, 10, 4, 5, 6, 18, 9 एवं 17 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

– झारखंड राज्य का बनाया जाना

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 31 तथा 32–

"**बोकारो, चतरा, देवगढ़, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू**" का लोप किया जाए। (11)

श्री जगन्नाथ मलिक : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 एवं 33,–

"सिंहभूम (पूर्व) और सिंहभूम (पश्चिम)" के स्थान पर

"और सिंहभूम (पूर्व)" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

अध्यक्ष महोदय : श्री के.पी. सिंह देव जी, मेरे विचार से आप अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री पद्मनाव बेहरा (फूलबनी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 और 33,–

"सिंहभूम (पूर्व) और सिंहभूम (पश्चिम)" के स्थान पर

"सरायकेला (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर सिंहभूम (पूर्व) और खरसावां (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर सिंहभूम (पश्चिम) प्रतिस्थापित किया जाए।" (36)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री रघुवंश प्रसाद, श्री जगन्नाथ मलिक और श्री पद्मनाव बेहरा द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 11, 12 और 36 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 11, 12 और 36 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): यह उड़ीसा राज्य के साथ अन्याय है जिसके विरोध में हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.12 बजे

इस समय, श्री प्रसन्न आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 4 से 39 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 40

– राजस्व का वितरण

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 17 के 19 के स्थान पर,–

"40. वित्त आयोग को बिहार और झारखंड अलग-अलग राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान के अंश की सिफारिश करने के लिए कहा जाएगा; और इन दोनों राज्यों का अंश राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जायेगा और जब तक वित्त आयोग की सिफारिश प्राप्त होती है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग की सिफारिश पर विद्यमान बिहार राज्य को संदेय कुल रकम में बिहार और झारखंड राज्यों का अंश ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, अवधारित करेंगे।"

प्रतिस्थापित किया जाए। (30)

महोदय : मैं अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 29 को मतदान के लिए रखता हूं:

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 40 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 41

– भाग का लागू होना

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 30 से 32 के स्थान पर,–

"(4) वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम के बारे में कोई विवाद आपसी समझौते के द्वारा तय किया जाएगा. उसके अभाव में विवाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग को भेजा जायेगा और आयोग का निर्णय सभी दलों को बाध्यकर होगा।"

प्रतिस्थापित किया जाए। (30)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 30 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 41 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 42

– भूमि और माल

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 38 से 42 का लोप किया जाये। (31)

पृष्ठ 10, पंक्ति 4 से 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

"(3) सचिवालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से संबंधित भंडार, जिनकी आधिकारिता सम्पूर्ण, विद्यमान बिहार राज्य पर है, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ऐसी रीति और ऐसे मानदंड के आधार पर विभाजित किए जाएंगे जैसा दोनों राज्य आपसी सहमति से फैसला करें, यदि आपसी सहमति न हो तो ऐसे भंडारों को उत्तरवर्ती राज्यों में ऐसे निदेशों के अनुसार विभाजित किया जाएगा जैसा न्याय और साम्यपूर्ण वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार उचित समझे।" (32)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 तथा 32 को मतदान के लिए रखता हूं:

संशोधन संख्या 31 तथा 32 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"कि खण्ड 42 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 43 से 45 तक विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 46

– कतिपय निधियों में विनिधान और जमा

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 10,–

पंक्ति 41 और 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

"परन्तु यह कि विद्यमान बिहार राज्य की आपदा राहत निधि मे किए गए विनिधानों में धारित प्रतिभूतियां नियत दिन से तीन पूर्ववर्ती वर्षों में उत्तरवर्ती राज्यों के दखलकृत राज्य क्षेत्रों में किए गए व्यय के अनुपात में उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजित की जाएंगी।" (33)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 33 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 46 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 47

– राज्य उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 11,–

पंक्ति 19 और 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

"नियत दिन को, बिहार राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से सम्बन्धित आस्तियों और दायित्वों के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा तथा विद्यमान बिहार राज्य की कुल आस्तियां और दायित्व उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित कर दिए जाएंगे जिस अनुपात में दो राज्यों द्वारा दखलकृत राज्यक्षेत्रों ने पूर्व वित्तीय वर्ष में विद्यमान बिहार राज्य के कर एवम् गैर-कर राजस्व का अभिदाय किया है। उत्तरवर्ती राज्य आस्तियों और दायित्वों के संबंध में अपने देय भाग से कम प्राप्त कर रहा है तो उस उत्तरवर्ती राज्य द्वारा उसकी उतनी प्रतिपूर्ति की जाएगी जितना वह अपने देय भाग से अधिक प्राप्त कर रहा है।" (34)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 34 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 47 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 48

—लोक ऋण

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 11,-

पंक्ति 24 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"विद्यमान बिहार राज्य के लोक ऋण और लोक खाते जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: माफ कर दिए जाएंगे।" (16)

पृष्ठ 11-

पंक्ति 24 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

"(1) विद्यमान बिहार राज्य के लोक ऋण और लोक खाते मद्दे सभी दायित्व जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे उत्तरवर्ती राज्यों के बीच निम्नलिखित रीति से प्रभाजित किए जाएंगे:-

(क) यदि किसी लोक ऋण अथवा लोक खाते की राशि ऐसी किसी परियोजना पर व्यय की गई है जिसका लाभ पूर्वत: किसी एक उत्तरवर्ती राज्य का हुआ है तो इससे उद्भूत दायित्व उस राज्य को चला जाएगा।

(ख) यदि किसी लोक ऋण अथवा लोक खाते की राशि ऐसी परियोजना पर व्यय की गई है जिसका लाभ दोनों राज्यों के राज्य क्षेत्र को हुआ है तो इससे उद्भूत दायित्व को दोनों राज्यों के बीच उस अनुपात में जिसमें दोनों राज्यों को ऐसी परियोजना से लाभ प्रोद्भूत हुआ है, प्रभाजित किया जाए।

(ग) यदि किसी लोक ऋण अथवा लोक खाते की राशि किसी विशेष परियोजना पर व्यय नहीं की गई है तो उससे उद्भूत दायित्व को दोनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में जिसने नियत दिन से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में दोनों राज्यों द्वारा दखलकृत राज्य क्षेत्र में राज्य योजना निवेश किया गया है, प्रभाजित किया जाएगा:

परंतु यह कि धारा 47(1) में उल्लेखित दायित्वों के निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच हजार करोड़ रुपए की एक सामान्य निधि का सृजन किया जाएगा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दायित्वों के प्रभाजन के अनुपात में प्रतिपूरित की जाएगी।" (35)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 और 35 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 16 और 35 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 48 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 49

- प्लवमान ऋण

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 12-

पंक्ति 14 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएं:-

"किसी वाणिज्यिक उपक्रम को लघु अवधि के वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए जारी किए गए किसी अन्य उधार की बाबत बिहार राज्य का दायित्व उत्तरवर्ती राज्यों बिहार

और झारखंड के बीच निम्नलिखित रीति से प्रभाजित किया जाएगा:-

(क) यदि ऐसे उधार की रकम किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए व्यय की गई है जिसका लाभ पूर्ण रूप से किसी भी एक उत्तरवर्ती राज्य को प्राप्त हुआ हो, तो संबंधित दायित्व उस राज्य का होगा।

(ख) यदि ऐसे उधार की रकम किसी ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय की गई है जिसका लाभ दोनों राज्यों के राज्यक्षेत्रों को प्राप्त हुआ हो, तो संबंधित दायित्व दोनों राज्यों को इससे प्रोद्भूत लाभ के अनुपात में दोनों राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा।

(ग) यदि ऐसे उधार की रकम किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की गई है, तो संबंधित दायित्व दोनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा, जिस अनुपात में नियत दिन से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में दोनों राज्यों के दखलकृत राज्यक्षेत्रों में राज्य योजनागत निवेश किए गए हों।" (19)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 49 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 49 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 50 से 52 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 53

– *पेंशन*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 12,-

पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

"पेंशन से भिन्न सेवानिवृत्ति के फायदों से संबंधित दायित्व आठवीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर, जहां तक वे ऐसे दायित्वों से सुसंगत हैं, भी प्रभाजित किए जाएंगे।" (20)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 20 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 53 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 53 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 54

– *संविदाएं*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 13,-

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

"परंतु यह और कि उपधारा (1) की मद (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व उसी अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे जिसमें दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दखलकृत राज्यक्षेत्रों ने पूर्व वर्ष में विद्यमान बिहार राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में अभिदाय किया हो।" (21)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि खण्ड 54 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 54 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 55

- अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

:-

पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

"परंतु यह कि मद (ख) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे दायित्व उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे जिसमें दोनों राज्यों ने दखलकृत राज्यक्षेत्रों में पूर्व वर्ष में विद्यमान बिहार राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में अभिदाय किया हो।" (22)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 55 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 55 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 56

- प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 13, पंक्ति 23 से 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"56. जहां नियत दिन के ठीक पहले बिहार राज्य पर किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी, न्यास, निगम, संस्था अथवा अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व हो वहां वह दायित्व-

(क) यदि उस सोसाइटी, न्यास, निगम, संस्था अथवा व्यक्ति का कार्यक्षेत्र उस राज्यक्षेत्र तक सीमित हो जो नियत दिन को अथवा उसके पश्चात् बिहार राज्य अथवा झारखंड राज्य के दखल में है, तो दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रारंभिकत: बिहार राज्य का दायित्व परंतु यह कि ऐसा दायित्व दो उत्तरवर्ती राज्यों में ऐसी रीति से प्रभाजित किया जाएगा:-

(1) यदि वह दायित्व जिसके लिए गारंटी दी गई है, से किसी एक उत्तरबर्ती राज्य के राज्यक्षेत्र को लाभ हुआ हो तो ऐसी गारंटी का दायित्व उस राज्य का होगा।

(2) यदि कोई ऐसा दायित्व, जिसके संबंध में गारंटी दी गई है, से दोनों राज्यों के राज्यक्षेत्रों को लाभ हुआ है तो ऐसी गारंटी से उत्पन्न दायित्व को दोनों राज्यों में उस अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जिस अनुपात में ऐसे दायित्व से दोनों राज्यों को लाभ मिला है।

(3) यदि किसी भी दायित्व के जिसके संबंध में गारंटी दी गई है, फायदों को निर्दिष्ट करना व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसी गारंटी से उदभूत दायित्व दोनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जिस अनुपात में नियम दिन से तीन पूर्ववर्ती वर्षों में दोनों राज्यों के राज्यक्षेत्रों में राज्य योजनागत निवेश किए गए हैं।" (23)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 56 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 56 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 57 से 60 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 61

– संचित निधि पर भारित किए जाने वाले कतिपय व्यय

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 14, पंक्ति 13—

के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

(2) झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार राज्य को आर्थिक पैकेज के रूप में भारत की संचित निधि से एक लाख उनासी हजार नौ सौ करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) नए झारखंड राज्य के समग्र विकास के लिए भारत की संचित निधि से कम से कम एक लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) बिहार राज्य को सर्वाधिक पिछड़े राज्य की हैसियत प्रदान की जाएगी ताकि इसे केन्द्रीय सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी।"(41)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक पैकेज है। इस संशोधन पर मत विभाजन कराया जाए ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, इस पर मत विभाजन करा लीजिए। कौन लोग बिहार को पैकेज देना चाहते हैं कौन नहीं, यह पता चल जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में स्ट्रैंथ भी देख लें।

कुंवर अखिलेश सिंह : यह शेष बिहार और झारखंड के भविष्य का सवाल है। इस पर मत विभाजन करा लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आज जिन लोगों ने विशेष पैकेज की बात कही है, उनका चेहरा भी सदन के सामने साफ होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही परिणाम देख सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट है। मत-विभाजन के लिए आपका दावा व्यर्थ है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप में सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट है। ...*(व्यवधान)* हम प्रार्थना कर चुके हैं। यह नियम लिखित दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर मत विभाजन करा लीजिए। इस सवाल पर मत विभाजन करा लीजिए और अगर सरकार की मंशा साफ है तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों की सदस्य संख्या को जानते हुए भी आप मत-विभाजन की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे सभा का समय बर्बाद ही होगा! अब 10.30 भी बज चुके हैं।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : गृह मंत्री जी सदन के अंदर घोषणा करें कि बिहार को एक करोड़ *...(व्यवधान)* महोदय, इस सवाल पर मत विभाजन करा लीजिए। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, नियम के अधीन थोड़ी अपनी कृपा कीजिए। *...(व्यवधान)* इस पर थोड़ा-बहुत कंसीडरेशन करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह आपका अधिकार है। — परिणाम स्वयं ही देख सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट है, *व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बात को समझिए। सभा के दोनों पक्षों को गणमान्य सदस्यों की पूर्ण उपस्थिति को जानते हुए भी आप अनावश्यक रूप से मत विभाजन की मांग करके सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यदि एक भी माननीय सदस्य मत-विभाजन की मांग करता है तो इसे स्वीकृत कर लेना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मत विभाजन हमारा राइट है। *...(व्यवधान)* यह नियम परम्परा है। यह हमारी प्रार्थना है। *...(व्यवधान)* अपने भाषण में इन्होंने बोला है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन्होंने झारखंड राज्य का गठन किया है। *...(व्यवधान)* यदि यह भारत का वास्तविक विकास चाहते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर घोषणा करें कि बिहार को एक प्रस्तावित विशेष पैकेज देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, आप सभा में दोनों पक्षों की संख्या देख सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, अगर उनके विचारों को आप देखें तो साफ तौर पर बिहार को विशेष पैकेज देने की बात है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह नियम परम्परा है। यह हमारा राइट है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : संशोधन के पक्ष में बहुमत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यदि कोई भी एक सदस्य मत विभाजन की मांग करता है तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इस तरह से सभा का समय बर्बाद न करें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार बर्बाद हो जाएगा। या तो गृह मंत्री जी उस विशेष पैकेज की घोषणा करें वर्ना इसी सवाल पर मत विभाजन करा लीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। *...(व्यवधान)* यह दोनों राज्यों की भलाई का सवाल है। *...(व्यवधान)* कल फिर बेरोजगारी, भुखमरी और विकास के सवाल पर कहीं आंदोलन खड़े न हो जायें? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यदि आवश्यकता हो तो हम खड़े हो जाएंगे। नियम 367(ग) के परन्तुक के अधीन आप हमें खड़े होने के लिए कह सकते हैं *...(व्यवधान)*

आप खड़े होकर फैसला करा लीजिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शेष बिहार के मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे और उसमें चुप नहीं बैठेंगे। उसके आर्थिक विकास पर भी विचार करेंगे। लेकिन यह बात ठीक है और साफ नहीं हो पायी है। हम निवेदन करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी संतोषजनक बात कह दें और रघुवंश प्रसाद सिंह जी से कह दें। उसमें वोट की जरूरत नहीं है। वोट से पैकेज नहीं होता है, इसलिए आप इस बात को समाप्त कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कैसा व्यवस्था का प्रश्न है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : जब बिहार विधान सभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : नियम 367 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 367(3)(क) में कहा गया है कि:

> ''यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाए तो वह ''सभाकक्ष'' खाली किए जाने का आदेश देगा।'' ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : नियम 155 के परन्तुक के अनुसार, यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची, अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची, यथास्थिति, पृथक रूप से मतदान के लिए रखी जाए तो अध्यक्ष उसे यथास्थिति, पृथक रूप से रखेगा।

[हिन्दी]

इसलिए मैं प्रार्थना कर चुका हूं, नियम 155 के अंतर्गत मांग कर चुका हूं। आपने बड़ी कृपा की है, क्लाजवाइज अमेंडमेंट सुना है। ध्वनि मत से हमने सब छोड़ दिया, केवल एक क्लाज को नहीं छोड़ा जा सकता है। बिहार का गला कटवाया नहीं जा सकता है। इससे तो बिहार का गला कट जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : मैं नियम 367 के उपबंध को पढ़ना चाहूंगा, जिसके अनुसार:

> ''परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई हो, तो वह क्रमश: 'हां' तथा 'ना' वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कह सकेगा और गणना हो जाने के बाद सभा का निश्चय विघोषित कर सकेगा। ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अभिलिखित नहीं किए जाएंगे।''

महोदय, अब आप अपनी राय दे सकते हैं कि मतविभाजन का दावा बेकार ही किया गया है। आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बेकार ही इसका दावा किया है ...*(व्यवधान)* महोदय, आप नियम 367 का अंतिम परंतुक देख सकते हैं। यह स्पष्ट है ...*(व्यवधान)* महोदय, हम अपने-अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं और आप गिन सकते हैं। वे बेकार ही मत विभाजन का दावा कर रहे हैं। वे अपने राजनैतिक हिसाब-किताब चुकता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 10.30 बज चुके हैं ...*(व्यवधान)* केवल इसीलिए, वे मत विभाजन की मांग कर रहे हैं। यह अनावश्यक है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रणाली की मर्यादा से वोट करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, नियम 155 के दूसरे परंतुक और नियम 85(2) के परंतुक के अनुसार, यदि कोई सदस्य यह प्रार्थना करे कि कोई संशोधन पृथक रूप से रखा जाए तो अध्यक्ष उस संशोधन को पृथक रूप से रखेगा। यह इतना ही कहता है। अत: आपकी इच्छा के अनुसार आपका 41वां संशोधन पृथक रूप से रखा गया है। इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। यदि

[अध्यक्ष महोदय]

मत-विभाजन भी किया जाए तो उसका परिणाम तो स्पष्ट ही है। मत विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की जा रही है

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया नियम 367 देखिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप नियम 155 और नियम 85 के परंतुक देख सकते हैं

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं देख चुका हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं। नियम स्पष्ट है और परिणाम भी स्पष्ट हैं। का समय नष्ट ना करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सारे नियम और परिपाटी को देख लें। आप नियमों के संरक्षक हैं। ध्वनि मत से हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि वोट कराइए। डिवीजन हमारा राइट है। बहुमत हां के पक्ष में है। आपने पूछा है, हमने चुनौती दी है कि हमारा बहुमत है। आप वोट कराइये।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 367(3) देखिए। इसके अनुसार—

"(क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाये तो वह "सभाकक्ष" खाली किए जाने का आदेश देगा।

(ख) 3 मिनट और 30 सैकेण्ड बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि उसकी राय में 'हां' वाले जीत गये या 'ना' वाले।

(ग) यदि इस तरह घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाए तो वह निदेश देगा कि स्वचालित मतदान-यंत्र को चलाकर.....

अध्यक्ष महोदय : किंतु यहां स्थिति भिन्न है और काफी स्पष्ट है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, यह सदस्य का अधिकार है। आप नियम 367 देख सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वोटिंग हमारा राइट है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं मानता हूं कि इस समय मतदान काफी अड़चन वाला कार्य है और इसका अब समय भी नहीं है। मगर मत की मांग करना सदस्य का अधिकार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मगर मांग उपयुक्त होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं मानता हूं कि मांग उपयुक्त होनी चाहिए। नियम 367 के एक परन्तुक के अनुसार इसे बेकार ही चुनौती दी जाती है तो अध्यक्ष सदस्यों को खड़े होने के लिए कह सकता है और यह विनिर्णय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य खड़े हो जायेंगे तो बहुमत सिद्ध कौन करेगा?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपसे सहमत हूं। मगर यह दृष्टांत नहीं बनना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खड़े होना संभव नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, कई मामलों में तो बहुमत आसानी से सिद्ध हो जाता है। सदस्य को यह अधिकार है कि ...*(व्यवधान)* सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी मामले विशेष में किए गए अपने मतदान को रिकार्ड में दर्ज करा सके। सदस्य के इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपने कहा आइज हैव इट, उस समय जो फरियाद करेंगे, क्या उनको सुना नहीं जाएगा। फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की यही परिपाटी है। ...*(व्यवधान)* हम समय बर्बाद होने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम केवल नियम पर अड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह कभी भी दृष्टांत नहीं बनना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह हमारा राइट है और अगर हम वोटिंग के लिए फरियाद करेंगे तो बहुसंख्यक लोग हमारे पक्ष में हैं। ...*(व्यवधान)* एक लाख 51 हजार करोड़ रुपये फण्ड के लिए और 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपए बाकी बिहार के लिए। ...*(व्यवधान)* इसमें हमारी फरियाद होगी, हमारा बहुमत होगा और इस बहुमत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर झगड़ा किस बात का है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं कौल व शकधर की ''संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार'' के पृष्ठ संख्या 829 का संदर्भ का उल्लेख कर रहा हूं, जिसके अनुसार, अध्यक्ष को ही तय करना होगा कि मतविपणन का दावा व्यर्थ ही नहीं किया गया है। अध्यक्ष द्वारा मत-विभाजन के व्यर्थ के अनुरोध, ठुकरा दिए गए हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि आपको यह लगता है कि मत विभाजन की यह मांग व्यर्थ और अनावश्यक है तो आपको निर्णय लेने का अधिकार है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह अनावश्यक नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे न कि आप। महोदय, यदि आपको यह लगता है कि यह मांग व्यर्थ और अनावश्यक है तो आप इसे अस्वीकृत कर सकते हैं। मैं आपसे विनिर्णय देने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, यदि कोई सदस्य, किसी विशेष मामले पर दिए गए अपने मत को कार्यसंचालन प्रक्रिया में दर्ज करवाना चाहता है तो उसे मत-विभाजन की मांग करने का पूरा अधिकार है। यदि मामला महत्वपूर्ण है और इस संबंध में सभा में आम सहमति है, तो अध्यक्ष, सदस्य का अनुरोध स्वीकार कर सकता है। इसलिए, मत विभाजन की मांग करने का सदस्य को पूरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: उसे इसका पूरा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक और व्यवस्था है। श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में झारखंड के सवाल पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप बिना नियम देखे बोल रहे हैं। इस संबंध में नियम 367(3) स्पष्ट है। इसके अनुसार:

> ''(3) (क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाये तो वह लाबी खाली किए जाने का आदेश देगा।
>
> (ख) 3 मिनट और 30 सैकेण्ड बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि उसकी राय में 'हां' वाले जीत गए या 'ना' वाले।

[अनुवाद]

> (ग) यदि इस तरह घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाये तो वह निदेश देगा कि स्वचालित मतदान-यंत्र को चलाकर

[अध्यक्ष महोदय]

अथवा सभा में 'हां' और 'ना' वाले पर्चियों का प्रयोग करके अथवा सदस्यों द्वारा सभाकक्ष में जाकर मतदान किया जाये:

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई हो, तो वह क्रमशः 'हां' तथा 'ना' वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कह सकेगा और गणना हो जाने के बाद सभा का निश्चय विघोषित कर सकेगा। ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अभिलिखित नहीं किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या-41 सभा में मत-विभाजन के लिए रखता हूँ।

जो इसके पक्ष में हैं 'हां' कहें।

—— माननीय सदस्य: हाँ।

..... महोदय: जो विरोध में हों 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ। 'नहीं' वाले विजयी हुए।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, निर्णय 'हाँ' वालों के पक्ष में हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, एक वोट से सरकार गिरी थी। ...*(व्यवधान)* एक वोट से आपने डिसीजन कराया था। आज भी हमारे पक्ष में ज्यादा लोग हैं और सदन में जो भाषण हुए हैं उससे भी लगता है कि हमारी मैजोरिटी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पुनः प्रस्ताव/संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा। अब वे सदस्य जो इसके पक्ष में हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब वे सदस्य जो इसके विरोध में हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ। 'नहीं' वाले विजयी हुए।

संशोधन संख्या 41 अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 61 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 61 विधेयक में जोड़ दिया गया।

रात्रि 10.36 बजे

तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 62 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 62 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 63 और 64 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 65 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 65 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 66 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 71 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 71 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 72 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 73 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 73 निधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 74 से 77 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 74 से 77 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: शायद डा. रघुवंश प्रसाद सिंह खण्ड 78 में अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 78 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 79 से 92 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 26-

पंक्ति 29 और 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

'(2) प्रविष्टि "176 कटोरिया" के पश्चात प्रविष्टि "177-चकाई" अन्त:स्थापित की जाए। (43)

पृष्ठ 26-

पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

'(ई) क्रम संख्या 30 के सामने प्रविष्टि "171-सुल्तानगंज" के पश्चात—

प्रविष्टि "173-धुरिया" अन्त:स्थापित की जाए।'

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (44)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि श्री के.पी. सिंह देव और अन्य अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि दूसरी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

तीसरी अनुसूची

किया गया संशोधन

पृष्ठ 34-

पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए-

"8 श्री प्रवीण सिंह"

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (45)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में श्री के.पी. सिंह देव और अन्य सदस्य चौथी अनुसूची से संबंधित अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

पांचवीं अनुसूची से दसवीं अनुसूची तक विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 3 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 3 अगस्त, 2000/12 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 2 अगस्त, 2000/11 श्रावण, 1922(शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (iv)	6	श्री प्रसन्ना आचार्य	श्री प्रसन्न आचार्य
110	15	1566 (प्रश्न संख्या)	1556
468	नीचे से 7	डा. सुशील इन्दौरा	डा. सुशील कुमार इन्दौरा
503	23	श्री राजीलाल सुमन	श्री रामजीलाल सुमन

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।